विकेन्द्रीकरण, स्वायत्तता और जवाबदेही के आधार पर झारखण्ड राज्य में नगरपालिका शासन से संबंधित विधियों में समेकन और संशोधन करने, नगरपालिकाओं के वित्तीय प्रबंधन तथा लेखा–पद्धति, आन्तरिक संसाधन की उत्पादन क्षमता एवं उनके सांगठनिक ढांचा में सुधार लाने, नगरपालिका कर्मियों की वृत्तिक दक्षता को सुनिश्चित करने और उनसे जुड़े या उनके आनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए अधिनियम।

भारत गणतंत्र के इकसठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–

भाग. I

अध्याय.1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(1) **यह अधिनियम झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।**

(2) **"इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में उन क्षेत्रों को छोड़कर जहाँ झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (यथा संशोधित) या केन्टोनमेंट अधिनियम, 1924 के उपबंध लागू है; होगा।"**

(3) **"यह उस तिथि को प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार, राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए अलग–अलग तिथि नियत की जा सकेगी।"**

2. परिभाषाएं

"इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,"

(1) "समिति" से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 243()़ के तहत गठित समिति।

(2) ''तदर्थ समिति'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के धारा–47 के अधीन नियुक्त तदर्थ समिति;

(3) ''प्रशासक'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन नगरपालिकाओं, स्थायी समिति तथा नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तथा अधिरोपित कर्तव्यों के संपादन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई पदाधिकारी;

(4) ''विज्ञापन''से तात्पर्य है दीप्तियुक्त अथवा दीप्तिहीन कोई ऐसा शब्द, वर्ण, नमूना, चिन्ह, विज्ञापन फलक, नोटिस, युक्ति अथवा प्रतिरूप जो विज्ञापन, घोषणा या निर्देश के प्रकार का हो और उन्हीं प्रयोजनों के लिए पूर्णतः या अंशतः प्रयुक्त किया गया हो, और इसके अन्तर्गत कोई ऐसी तख्ती तथा इसी प्रकार के अन्य ढांचे हैं जो या तो विज्ञापन के प्रदर्शनार्थ प्रयुक्त होते हों या जो इस प्रकार प्रयुक्त किये जाने के लिये अनुकूलित कर लिये गये हों;

(5) ''विज्ञापनकर्ता'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसको लिखित या प्रदर्शित रूप में विज्ञापन लटकाने या चिपकाने या बोर्ड या होर्डिंग, लगाने के लिये अनुमत किया गया हो, या जिसने नियमों के अन्तर्गत आवेदन कर रखा हो, इसमें उसका अभिकर्ता, प्रतिनिधि या सेवक भी सम्मिलित है;

(6) होल्डिंग (धृति) के''वार्षिक किराया मूल्य'' से अभिप्रेत है सकल वार्षिक किराया, जिस पर किसी होल्डिंग को युक्तिगत रूप से किराये पर लगाया जा सके;

(7) ''पुरातात्विक स्थल'' से वह स्थल अभिप्रेत है जहाँ पुरातात्विक अवशेष अवस्थित है;

(8) ''वास्तुविद'' से ऐसा वास्तुविद अभिप्रेत है, जो भारतीय वास्तुविद परिषद में पंजीकृत हो;

(9) ''क्षेत्रसभा'' से इस अधिनियम की धारा–45 के अधीन गठित क्षेत्रसभा अभिप्रेत है;

(10) ''निर्धारण सूची'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम में निर्दिष्ट कोई नगरपालिका निर्धारण रजिस्टर, और इसमें उसका समनुषंगी कोई रजिस्टर शामिल है;

(11) ''लेखापरीक्षक / संपरीक्षक'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा–117 के अधीन नियुक्त लेखापरीक्षक, और इसमें इस अधिनियम के अधीन लेखापरीक्षक के सभी या किन्हीं कृत्यों का संपादन करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी शामिल है;

(12) ''पिछड़ा वर्ग'' से अभिप्रेत है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े ऐसे नागरिकों से, जिनको भारत के संविधान के अनुच्छेद–15 के खंड चार के अधीन सरकार द्वारा मान्यता दी गयी हो;

(13) ''तुलन–पत्र'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा–115 के अधीन तैयार किया गया तुलन–पत्र;

(14) ''जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट'' से अभिप्रेत है मनुष्य या जानवर के रोग निरूपण (डायग्नोसिस),उपचार या प्रतिरक्षण के दौरान या उससे जुड़े शोध कार्यों के दौरान या जैविक उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्सर्जित कोई अपशिष्ट;

(15) ''पुल'' में पुलिया शामिल है;

(16) ''बजट प्राक्कलन'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की
धारा–108 के अधीन तैयार किया गया बजट प्राक्कलन;

(17) ''बजट अनुदान'' से अभिप्रेत है बृहत शीर्ष के अधीन बजट प्राक्कलन के व्यय भाग में प्रविष्ट तथा नगरपालिका द्वारा अंगीकृत कुल राशि, और इसमें ऐसी कोई राशि शामिल है जिसके द्वारा अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार, अन्य शीर्षों

में से या को अंतरित कर बजट अनुदान बढ़ाया या घटाया जाता है;

(18) ''भवन'' से अभिप्रेत है सभी प्रयोजन के लिए और किसी भी सामग्री से निर्मित ढांचा तथा इसमें नींव, कुर्सी, दीवारें, छत, चिमनी, अचर चबूतरे, बरामदा, बालकनी, कारनिस या प्रक्षेप (प्रोजेक्शन) या भवन का भाग या उससे लगा कुछ भी या तीन मीटर ऊँचाई से कम की चहारदीवारी से भिन्न घेरने वाली या घेरने के लिए इच्छित अन्दर कोई दीवार, कोई भूमि, संकेत या वाह्य प्रदर्शन संरचना, किन्तु इसमें तम्बू, शामियाना या तिरपाल का शरणगृह शामिल नहीं है;

(19) ''भवन रेखा'' से अभिप्रेत है वह रेखा जिसके बाहर किसी भवन की बाहरी दीवार का वाह्य सिरा या कोई भाग विद्यमान या प्रस्तावित और स्वीकृत किसी गली की ओर निकाला हुआ नहीं होना चाहिए;

(20) ''विनियम'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम;

(21) **"उम्मीदवार" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो किसी निर्वाचन में सम्यक् रूप से उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया गया हो या नामांकित किये जाने का दावा करता हो और इसमें वह उम्मीदवार सम्मिलित होगा जो अपने आप को संबंधित निर्वाचन में भावी उम्मीदवार के रूप में पेश करता हो।"**

(22) ''यान'' से अभिप्रेत है कमानी सहित या कमानी की तरह काम करनेवाले अन्य उपकरणों से युक्त कोई पहियादार वाहन जिसका उपयोग साधारणतया मानवों को ढोने के लिए किया जाता हो और इसमें इन–रिक्शा, साइकिल रिक्शा, साइकिल या तिनपहिया साइकिल शामिल है, किन्तु इसमें बच्चागाड़ी या बच्चों अथवा बूढ़ों, दुर्बल या विकलांग व्यक्तियों को ढोने के लिए निरुपित अन्य वाहन शामिल नहीं है;

(23) ''गाड़ी'' से अभिप्रेत है किराए की गाड़ी या

कमानीयुक्त या कमानीविहीन पहियादार गाड़ी, जो यान नहीं है और इसमें हाथ–गाड़ी, साइकिल वैन और ठेला वैन शामिल है किन्तु इसमें यांत्रिक शक्ति से चलनेवाला कोई पहियादार वाहन या उसका ट्रेलर शामिल नहीं है;

(24) **"आकस्मिक रिक्ति" से अभिप्रेत है ऐसी रिक्ति जो किसी सदस्य या किसी निर्वाचित पद के कार्यकाल पूरा होने से घटित न हुई हो अथवा जहाँ किसी भी कारण से किसी नगरपालिका का कोई स्थान या पद रिक्त रह गया हो।**

(25) ''मलकूप'' के अन्तर्गत कोई ऐसी भराव वाली टंकी या अन्य टंकी शामिल है जो भवन से निकलने वाली गलीज को ग्रहण करने या उसके निस्तारण के लिए हो;

(26) ''धर्मार्थ (दातव्य) प्रयोजन'' में सम्मिलित है, एक शैक्षिक संस्था तथा इससे सम्बद्ध हास्टल, जो पूर्ण या आंशिक रूप से आत्मनिर्भर हो, की देखभाल बिना किसी लाभ के लिए करना;

(27) ''अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष'' से अभिप्रेत हैः–

(क) नगर निगम के सम्बन्ध में क्रमशः महापौर तथा उप महापौर,

(ख) नगरपरिषद के संबंध में क्रमशः अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, तथा

(ग) नगर पंचायत के सम्बन्ध में क्रमशः अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष;

(28) ''वाणिज्यिक भवन'' का तात्पर्य किसी ऐसे भवन से है जिसका उपयोग या अध्यासन कोई व्यापार या वाणिज्य या उससे सम्बद्ध या आनुषांगिक या प्रासंगिक कोई कार्य करने के लिये किया जाय;

(29) ''वाणिज्यिक धृति'' से अभिप्रेत है, कोई धृति या धृति का कोई भाग जो भण्डारण या वस्तुओं के थोक या खुदरा विक्रय या भुगतान के बदले सेवा उपलब्ध कराने हेतु उपयोग किया जाता हो, इसमें निजी शैक्षिक संस्था तथा कोचिंग केन्द्र आदि सम्मिलित है जिनको सरकार किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं देती है;

(30) ''कंपनी'' से अभिप्रेत है–
(क) कोई कंपनी जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–3 में परिभाषित है तथा इसमें धारा–591 के अर्थ में विदेशी कंपनी भी शामिल है;
(ख) सहकारी समितियों के अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों के अधीन पंजीकृत या पंजीकृत समझी गयी सहकारी समिति;
(ग) एक निगमित निकाय; तथा
(घ) कोई फर्म या संघ जो निगमित हो या नहीं, राज्य में व्यापार कर रही हो, तथा इसके व्यापार का प्रमुख स्थान राज्य में स्थित हो या न हो;

(31) ''अहाता'' से तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो बंद हो या नहीं, जो किसी भवन का संलग्न हो अथवा कई भवनों का सामूहिक संलग्न हो;

(32) ''सफाई–व्यवस्था'' से अभिप्रेत है मल–जल, बदबूदार सामग्री और कूड़ा–करकट आदि का हटाना और निपटान करना;

(33) ''परिषद'' का तात्पर्य प्रत्येक नगरपालिका के लिए इस अधिनियम की धारा–15 के अधीन गठित परिषद से है;

(34) नगरपालिका के संबंध में ''पार्षद'' से अभिप्रेत है उस नगरपालिका के वार्ड से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना हुआ व्यक्ति;

(35) ''घनाकार स्थान'' से तात्पर्य है किसी भवन की माप के संदर्भ में, वह स्थान जो उसकी दीवारों और छत के वाह्य धरातलों तथा उसके सबसे नीचे के खंड के उसके फर्श के ऊपरी धरातल के या यदि भवन केवल एक ही खंड का हो, उसके फर्श के ऊपरी धरातल में समाविष्ट हो;

(36) ''खतरनाक बीमारी'' से अभिप्रेत है –
(क) हैजा, प्लेग, चेचक, सेरिब्रोस्पाइनल मेनिनजाइटिस, डिपथिरिया, यक्ष्मा, कुष्ठ, प्रतिश्याय (इंफ्लूयेंजा), मस्तिष्क ज्वर (इनसेफ्लाइटिस), पोलियो

(पोलियोमाइलिटिस) या उपदंश (सिफलिस); अथवा

(ख) कोई अन्य महामारी, स्थानिक बीमारी (इन्डेमिक) या संक्रामक बीमारी, जिसे सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ खतरनाक बीमारी होना घोषित करे;

(37) ''**उपायुक्त–सह–जिला निर्वार्चन पदाधिकारी**'' से अभिप्रेत है, उस जिले, जिसमें नगरपालिका अवस्थित हो, का उपायुक्त; **अथवा–**

"जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)" से अभिप्रेत है नगरपालिका के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन का संचालन करने के लिए आयोग द्वारा पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी।

(38) ''विकास योजना/महायोजना'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन तैयार की गयी विकास योजना/महायोजना का प्रारूप और अंतिम विकास योजना/महायोजना;

(39) ''नगरीय प्रशासन के निदेशक'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त कोई पदाधिकारी, और इसमें अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, या इस अधिनियम के अधीन नगरीय प्रशासन के निदेशक के कृत्यों के संपादन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी;

(40) ''जिला योजना समिति'' से ऐसी समिति अभिप्रेत है, जो संविधान के अनुच्छेद–243 यघ के अनुपालन तथा इस अधिनियम की धारा–383 के अधीन जिले में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की योजनाओं का समेकन करने के लिए गठित की गयी हो;

(41) ''प्रमंडलायुक्त'' से उस प्रमण्डल का प्रमण्डलायुक्त अभिप्रेत है जिसमें नगरपालिका अवस्थित है;

(42) ''नाली'' में शामिल है मोरी, घरेलू नाली, किसी अन्य प्रकार की नाली, टनेल, पुलिया, खाई, जल सरणी या मलिन जल, कूड़ा–कचरा, सन्तापकारी

पदार्थ, प्रदूषित जल, वर्षा–जल या अवमृदा–जल के वहन के लिए अन्य युक्ति;

(43) ''निवास–गृह'' से अभिप्रेत है मानव–निवास हेतु पूर्णतः या प्रमुखतः निर्मित, प्रयुक्त या प्रयोग के लिए रूपान्तरित ईंट या पत्थर का भवन;

(44) **"निर्वाचन" से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन किसी नगरपालिका के महापौर, उपमहापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा पार्षद की रिक्ति को भरने हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन"।**

(क) 'उप निर्वाचन' से अभिप्रेत है आकस्मिक रिक्ति
या रिक्तियों को भरने के लिए किया जानेवाला निर्वाचन।

(45) किसी वार्ड के सम्बन्ध में **"निर्वाचक" या "मतदाता" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसका नाम महापौर, उपमहापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा पार्षद के लिए होने वाले निर्वाचन के प्रयोजनार्थ मतदाता सूची में दर्ज हो"।**

(46) ''आवश्यक सेवा'' से ऐसी सेवा अभिप्रेत है, जिसका संबन्ध नगर पालिका के पम्पिंग स्टेशन, निकास व्यवस्था, सफाई या जलापूर्ति तथा कोई अन्य ऐसी सेवा जैसा सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, से हो;

(47) ''कार्यपालक पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा नगर परिषद या नगर पंचायत के सम्बन्ध में नियुक्त, नगर परिषद या नगर पंचायत का कार्यपालक पदाधिकारी;

(48) ''कारखाना'' से कारखाना अधिनियम, 1948 में परिभाषित कारखाना अभिप्रेत है;

(49) ''गंदगी'' से अभिप्रेत है :–
(क) विष्ठा या शौचालय, मल हौदी और नाली की अन्य वस्तुएं;
(ख) धूल, गोबर, अपशिष्ट, व्यर्थ या घृणोत्पादक वस्तु जिसको किसी निर्माण, उद्योग या व्यापार के प्रसंस्करण के फलस्वरूप फेंक दिया गया हो; तथा

(ग) सड़ा अथवा सड़ने **वाले पदार्थ, इत्यादि।**

(50) ''वित्त आयोग'' से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद–243झ के अधीन गठित तथा इस अधिनियम की धारा–97 में सन्दर्भित राज्य वित्त आयोग से है;

(51) ''खाद्य'' में शामिल है औषधि या जल से भिन्न, मनुष्य द्वारा खाद्य या पेय के लिए प्रयुक्त हरेक वस्तु तथा मानव–खाद्य पदार्थ के घटक में या उन्हें बनाने में सामान्यतः डाली जाती हो या प्रयोग में लायी जाती हो, और इसमें मिष्ठान्न, स्वादिष्ट बनानेवाली और रंग चढ़ाने वाली वस्तुएं, गंध एवं मसाले भी शामिल हैं;

(52) ''पैदल–पथ'' से तात्पर्य है पैदल चलने वालों के लिये पथ;

(53) ''माल'' में पशु सम्मिलित है;

(54) ''सरकार/राज्य सरकार'' से झारखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(55) ''धृति'' से अभिप्रेत है एक पदवी या करार के अधीन धारित तथा एक नियत चहारदीवारी से घिरी भूमिः

परन्तु यह कि जहां एक ही स्वामी द्वारा धारित दो या अधिक सटी हुई धृतियां किसी एपार्टमेंट और निवास–गृह, कारखाना, गोदाम या व्यापार या करोबार के स्थल या परिसर का अभिन्न अंग हो वहां ऐसी धृतियों को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक धृति माना जाएगा;

स्पष्टीकरण– सड़क या संचार के अन्य साधनों से पृथकीकृत धृतियों को इस खण्ड के अर्थान्तर्गत सटी हुई धृति माना जाएगाः

परन्तु यह और कि जहां किसी भवन का उपयोग हिस्सों में पृथक–पृथक किए जाने योग्य हो या जहां ऐसे भवन के हिस्से विभिन्न व्यक्तियों के पृथक–पृथक स्वामित्व में हों या जहां उस भवन में स्वपूरित और स्वतंत्र इकाइयां हों, वहाँ ऐसे भाग, हिस्से या इकाइयां, उनके स्वामी द्वारा आवेदन किए जाने पर, पृथक धृति

के रूप में मानी जाएंगी;

(56) ''गृह–नाली'' से अभिप्रेत है एक या अधिक परिसरों की कोई नाली, जिसका प्रयोग ऐसे परिसरों की जल निकासी के लिए किया जाता हो;

(57) ''गृह–अवनलिका'' से अभिप्रेत है नाली के रूप में कार्य करने के लिए या शौचालय, मूत्रालय, हौदी या गंदे या प्रदूषित वस्तुओं के लिए अन्य आधान तक उन्हें साफ करने हेतु या ऐसी वस्तुओं को हटाने के लिए नगरपालिका कर्मचारियों या नियोजित व्यक्तियों को वहां जाने के लिए निर्मित या छोड़े गए या उपयोग में लाये जाने वाले पार–पथ या जमीन की पट्टी, इसमें ऐसे पार–पथ या जमीन का ऊपरी भाग (हवा स्थल) शामिल है;

(58) ''झोपड़ी'' से अभिप्रेत है कोई भवन, जिसकी फर्श या फर्श के स्तर के ऊपर के पचास सेंटीमीटर की ऊंचाई तक की दीवार को छोड़कर, कोई भी यथेष्ट भाग जो ईंट–पत्थर, सुदृढ़ीकृत कंक्रीट, स्टील, लोहा या अन्य धातु से निर्मित न हो;

(59) ''औद्योगिक नगर क्षेत्र'' से अभिप्रेत है ऐसा शहरी क्षेत्र या उसका भाग, जिसे सरकार, उस क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में औद्योगिक स्थापना द्वारा उपलब्ध कराई जा रही या उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रस्तावित नगरपालिका सेवाओं तथा अन्य यथोचित बातों को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा औद्योगिक शहरी क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करे;

(60) ''संक्रामक बीमारी'' या ''संचारी बीमारी'' से अभिप्रेत है ऐसी कोई बीमारी, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संचारित हो सकती हो, और जिसे सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसी बीमारी घोषित करे;

(61) ''वृहत्तर शहरी क्षेत्र'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा–8 के अधीन वृहत्तर शहरी

क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत नगर क्षेत्र;

(62) ''लाइसेंसधारी नल मिस्त्री'', ''लाइसेंसधारी सर्वेक्षक, ''लाइसेंसधारी वास्तुविद'', ''लाइसेंसधारी अभियंता'', ''अनुज्ञप्त संरचनात्मक अभिकल्पक (डिजाइनर)'' तथा ''लाइसेंसधारी निर्माण लिपिक'' से तात्पर्य है, वह व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका ने क्रमशः नल मिस्त्री, सर्वेक्षक, वास्तुविद्, अभियन्ता, ढाँचे का रूपांकक (अभिकल्पक) अथवा निर्माण लिपिक के रूप में लाइसेंस दिया हो;

(63) ''बाजार'' में शामिल है किसी भी नाम से जाना जाने वाला ऐसा कोई स्थान जहां लोग मांस, मछली, फल, सब्जी, पशुधन या नष्ट हो जाने वाले खाद्य पदार्थों या किसी अन्य पदार्थ की बिक्री के लिए एकत्र होते हों और जिसके लिए दुकानों या गोदामों या स्टॉलों का समूह हो तथा जो बाजार के रूप में नगरपालिका द्वारा घोषित एवं लाइसेंस प्रदत्त हो;

(64) ''महायोजना'' से अभिप्रेत है, एक व्यापक योजना जिसमें प्रस्तावित अवस्थान एवं सामान्य अभिन्यास प्रदर्शित हो–

(क) मुख्य मार्ग एवं परिवहन मार्ग;
(ख) आवासीय भाग;
(ग) व्यापार क्षेत्र;
(घ) औद्योगिक क्षेत्र;
(ङ) शैक्षिक संस्थायें;
(च) सार्वजनिक पार्क, खेल के मैदान एवं मनोरंजन के अन्य स्थान;
(छ) सरकारी एवं अर्द्धसरकारी भवन; तथा
(ज) कोई अन्य स्थान जो किसी विनिर्दिष्ट उपयोग के लिये हो;

(65) ''महानगर योजना समिति'' से संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिये विकास की योजना का प्रारूप तैयार करने वाली ऐसी समिति अभिप्रेत है जिसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 243यङ के अनुसरण में तथा इस अधिनियम की धारा–384 में उल्लिखित है;

(66) ''दूध'' में शामिल है क्रीम, मलाई उतारा हुआ

दूध, पृथक्कृत दूध और संघनित, विसंक्रमित,सुखाया हुआ या टोन्ड दूध;

(67) ''नगर आयुक्त'' से, सरकार द्वारा नगर निगम के संबंध में नियुक्त नगर निगम का नगर आयुक्त अभिप्रेत है;

(68) **"नगरपालिका" से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 243 Q के तहत् गठित एक स्वायत्तशासी संस्था"**

(69) ''नगरपालिका लेखा समिति'' से इस अधिनियम की धारा–124 के अधीन गठित नगरपालिका लेखा समिति अभिप्रेत है;

(70) ''नगरपालिका लेखा हस्तक'' से इस अधिनियम की धारा–113 के अधीन तैयार किया गया और अनुरक्षित नगरपालिका लेखा हस्तक अभिप्रेत है;

(71) ''नगरपालिका निधि'' से इस अधिनियम की धारा–99 में निर्दिष्ट नगरपालिका निधि अभिप्रेत है;

(72) ''अधिसूचना'' से शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(73) ''न्यूसेंस'' में शामिल है ऐसा कोई कार्य, लोप, स्थान या वस्तु जिससे दृष्टि, गंध या श्रवण को क्षति, जोखिम, क्षोभ होता हो या होने की संभावना हो या आराम या निद्रा में विघ्न पड़ता हो या पड़ने की संभावना हो या जो जीवन के लिए खतरनाक हो या होनेवाला हो या स्वास्थ्य या संपत्ति के लिए हानिकारक हो;

(74) ''अधिभोगी'' में शामिल है, ऐसा कोई व्यक्ति जो उस भूमि या भवन की बावत, जो उसके उपयोग में हो या ऐसी भूमि या भवन के अधिभोग के कारण क्षति के लिए उस भूमि या भवन के स्थायी किराए का या किराए के किसी अंश का तत्समय भुगतान कर रहा हो या भुगतान का दायी हो, और उसमें किराया मुक्त किराएदार भी शामिल है:

परन्तु यह कि अपनी ही भूमि या भवन में रह रहा या अन्यथा उपयोग कर रहा स्वामी उसका अधिभोगी माना जाएगा;

(75) ''घृणोत्पादक वस्तु'' से अभिप्रेत है रसोईघर या गोशाला का कचरा, गोबर, मैला, अपशिष्ट, सड़ा या सड़नशील पदार्थ या किसी प्रकार की ऐसी गंदगी जो कूड़ा–कचड़ा में सम्मिलित न किया गया हो;

(76) ''लोकायुक्त'' से अभिप्रेत है, एक प्राधिकार जो नगर पालिका में भ्रष्टाचार एवं कुशासन के सम्बन्ध में जांच तथा अन्वेषण करने के लिये गठित किया गया हो;

(77) ''स्वामी'' में शामिल है वह व्यक्ति, जो किसी भूमि या भवन या किसी भूमि या भवन के किसी भाग का किराया तत्समय चाहे अपनी ओर से या किसी व्यक्ति या सोसाइटी के लिए अथवा धार्मिक या दातव्य प्रयोजन के लिए एजेंट या न्यास के रूप में प्राप्त कर रहा हो या ऐसे रिसीवर के रूप में ऐसा किराया प्राप्त करता, यदि वह भूमि या भवन या उस भूमि या भवन का कोई भाग किराएदार को किराए पर दिया गया होता; तथा इसमें वह जो जानवर, बरतन या नाव आदि के संदर्भ में जो तत्समय उसके प्रभार में हो, शामिल है;

(78) ''चबूतरा'' से अभिप्रेत है ऐसा कोई ढॉचा, जो किसी गली या खुली नाली पर हो या उसको आच्छादित करता हो या उस पर निकला हुआ हो और इसमें ऐसी गली या नाली के ऊपर किसी ऊँचाई पर बाहर की ओर निकला हुआ छज्जा या भवन का अन्य विस्तार शामिल है;

(79) ''जनसंख्या'' से पिछली जनगणना, जिसके सुसंगत आंकड़ें प्रकाशित कर दिये गए हों, में अभिनिश्चित जनसंख्या अभिप्रेत है;

(80) ''परिसर'' से अभिप्रेत है कोई भूमि या भवन या किसी भवन का भाग या झोपड़ी या किसी झोपड़ी का भाग, और इसमें शामिल है–

(क) बागीचा, मैदान, उपगृह, यदि कोई हो, जो उससे सटा हुआ हो; और

(ख) किसी भवन या भवन के भाग से या झोपड़ी या झोपड़ी के भाग से लगा

जुड़नार या स्थावर पदार्थ जो उसके अधिक लाभकारी उपयोग के निमित्त हो;

(81) ''विहित'' से अभिप्रेत है सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(82) ''सार्वजनिक स्थान'' से ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जो निजी सम्पत्ति न हो और जनता के उपयोग के लिये खुला हो, चाहे वह स्थान नगरपालिका में निहित हो या नहीं;

(83) ''सार्वजनिक प्रतिभूतियाँ'' से तात्पर्य है–

(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ,

(ख) प्रतिभूतियाँ, स्टॉक, ऋणपत्र या अंशक जिन पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ने ब्याज संरक्षित किया हो,

(ग) धन के ऋणपत्र या अन्य प्रतिभूतियाँ, जिन्हें किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उनकी ओर से भारतीय गणतंत्र के किसी भाग में तत्समय प्रचलित किसी विधायन द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके जारी किया गया हो,

(घ) प्रतिभूतियाँ, जो किसी ऐसी आज्ञा द्वारा स्पष्टतः प्राधिकृत की गयी हों जो सरकार एतदर्थ दे;

(84) ''लोक सेवा आयोग'' से तात्पर्य भारत के संविधान के अनुच्छेद–315 के अधीन गठित झारखण्ड लोकसेवा आयोग से है;

(85) ''सार्वजनिक पथ'' से अभिप्रेत है कोई पथ, सड़क, बीथिका, गली, पगडण्डी, रास्ता, पथिका, चौराहा या प्रांगण, चाहे वह खुली सड़क हो अथवा न हो, और जिस पर जन सामान्य को आने–जाने का अधिकार हो, तथा इसमें शामिल है–

(क) किसी सार्वजनिक नौघाट के लिए पहुंच या प्रवेश मार्ग,

(ख) किसी सार्वजनिक पुल या लचका पर

बना रास्ता,

(ग) किसी ऐसे पथ, सार्वजनिक पुल या लचका से जुड़ा फुटपाथ,

(घ) सार्वजनिक पथों को जोड़ने वाला रास्ता, और

(ङ) ऐसे किसी पथ, पुल या लचका से जुड़ी नालियां और जहां ऐसे पथ से जुड़ी कोई नाली न हो, वहाँ जबतक कि कोई विरूद्ध बात दर्शाइ न गई हो, उसमें उन परिसरों की चहारदीवारी, बाड़ा या खम्भा तक की वह भूमि जो उस पथ से सटी हो या जहां पथ–रेखा नियत हो वहां ऐसी पथ–रेखा तक की भूमि;

(86) ''नियम'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम;

(87) ''अनुसूचित जाति'' से तात्पर्य है ऐसी जातियाँ, मूलवंश या जनजातियाँ अथवा जातियाँ, मूलवंशों या जनजातियों के भाग या समूह जो भारत के संविधान के अनुच्छेद–341 के अधीन अनुसूचित जाति अधिसूचित किए गए हों;

(88) ''अनुसूचित जनजाति'' से तात्पर्य है ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनके समूह जो भारत के संविधान के अनुच्छेद–342 के अधीन अनुसूचित जनजाति अधिसूचित किए गए हों;

(89) ''मल जल'' से तात्पर्य है विष्ठा और नाबदानों, शौचालयों, संडासों, मूत्रालयों, मलकूपों अथवा नालियों की अन्य वस्तुएँ और, इसमें सभी प्रकार के कारखानों से निकले व्यापारिक वहिःस्त्राव और निस्सरण शामिल है;

(90) ''बूचड़खाना'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के मवेशी, भेड़, बकरियों, मेमने या सुअर के मांस को गोस्त के रूप में बिक्री करने हेतु उनका बध करने के लिए प्रयुक्त कोई स्थान;

(91) ''लघुतर शहरी क्षेत्र'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा–8 के अधीन लघुतर शहरी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत नगरपालिका क्षेत्र;

(92) **"राज्य निर्वाचन आयोग" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट (243 K) सहपठित 243 य क (243 ZA) के तहत उल्लिखित राज्य निर्वाचन आयोग"।**

(93) ''पथ'' का तात्पर्य है सार्वजनिक गली या एक निजी गली और इसमें शामिल है कोई राजमार्ग, लचक पथ, पुल, मार्गसेतु, मेहराब, पथ, गली, पगडंडी, उपमार्ग, आंगन, सँकरी–गली, घुड़सवारी का मार्ग या रास्ता–चाहे वह सार्वजनिक मार्ग हो या न हो, जिसके ऊपर जन–साधारण के आने–जाने या प्रवेश का अधिकार हो या जिसके ऊपर जन–साधारण लगातार बीस वर्षों से आते–जाते अथवा प्रवेश करते रहे हों; और यदि किसी सड़क में पगडंडी और वाहन मार्ग दोनों ही हों तो सड़क के अन्तर्गत दोनों ही होंगे;

(94) ''पथ संरेखन'' से तात्पर्य है पथ और उस भूमि के बीच की विभाजक रेखा जो उस पथ से सटी हो और उस पथ में हो या उसका ही भाग हो;

(95) ''व्यापारिक या व्यापार वहिस्राव'' से तात्पर्य है कोई तरल पदार्थ, चाहे उसमें अन्य पदार्थों के कण घुले–मिले हों, या न मिले हों, और जो पूर्णतः या अंशतः किसी व्यापारिक परिसर में किये जाने वाले व्यापार या उद्योग चलाने से उत्पादित होती हो, और किसी व्यापारिक परिसर के सम्बन्ध में इसका तात्पर्य है उपर्युक्त प्रकार का कोई तरल पदार्थ जो उक्त परिसर में किये जाने वाले व्यापार या उद्योग से उत्पादित होता हो, किन्तु इसमें घरेलू मल जल शामिल नहीं है;

(96) ''वार्ड या कक्ष'' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा–15 के अधीन विभाजित नगर पालिका के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से है;

(97) ''वार्ड / कक्ष समिति'' से तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा–34 के अधीन गठित वार्ड समिति से है;

(98) ''जलमार्ग'' में शामिल है कोई नदी, सोता अथवा गुल, चाहे वह प्राकृतिक हो अथवा कृत्रिम;

(99) ''वर्ष'' से तात्पर्य है अप्रैल के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाला वित्तीय वर्ष;

(100) ''क्षेत्रीय (जोनल) समिति'' से तात्पर्य है इस अधिनियम की धारा–49 के अधीन नगरपालिका में गठित जोनल समिति।

भाग- II
पालिका का गठन

अध्याय-2
नगरपालिका क्षेत्रों का गठन एवं नगरपालिकाओं का वर्गीकरण

3. नगरपालिका का क्षेत्र गठित करने के आशय की घोषणा

(1) राज्य सरकार यथोचित् जॉच के पश्चात तथा किसी स्थानीय क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या का घनत्व, ऐसे क्षेत्र में गैर–कृषि कार्यों में सेवा–योजन का प्रतिशत, ऐसे क्षेत्र के आर्थिक महत्व तथा यथाविहित अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र को वृहत्तर शहरी क्षेत्र, लघुतर शहरी क्षेत्र या संक्रमणशील क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किए जाने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगीः

परन्तु स्थानीय क्षेत्र जिसमें बाजार सुविधा की उपलब्धता, स्थापित उद्योग अथवा उद्योग, वाणिज्य या शिक्षा को आकर्षित करने की संभावना, स्वास्थ्य लाभ अथवा आर्थिक एवं औद्योगिक वृद्धि के लिए अन्य ऐसी आधारभूत सुविधाओं जैसे महत्व तथा शहरी विशेषतायें प्राप्त कर लिया हो, को भी ध्यान में रखा जायेगा।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र को घोषित करेगी–

(अ) वृहत्तर शहरी क्षेत्र को ''नगर निगम;

(ब) लघुतर शहरी क्षेत्र को '' नगर परिषद'' तथा

(स) संक्रमणशील क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र

से शहरी क्षेत्र के रूप में संक्रमणशील है, को ''नगर पंचायत''।

(3) उपधारा (1) में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, पृथक शर्तें अवधारित करते हुए, किसी पहाड़ी क्षेत्र, तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल या मण्डी को नगर पालिका क्षेत्र के रूप में गठित कर सकेगी।

4. घोषणा का प्रकाशन

(1) धारा–3 के अधीन नगरपालिका क्षेत्र के गठन की आशयित अधिसूचना, शासकीय राजपत्र तथा कम से कम दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी जिनमें से एक समाचार पत्र संबंधित क्षेत्र की जनभाषा में होगा जो वहॉ के निवासियों के लिए बोधगम्य हो।

(2) अधिसूचना की एक प्रति जिले के उपायुक्त के कार्यालय के सहजदृश्य भाग में तथा किन्हीं अन्य स्थलों पर जहॉ सरकार निर्देशित करे, चिपकाई जायेगी।

(3) अधिसूचना की घोषणा या तो संबंधित स्थानीय क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यन्त्र (माइक) द्वारा या सरकार द्वारा विनिश्चित किसी अन्य प्रचार माध्यम से की जायेगी।

5. आपत्तियों पर विचार

(1) धारा–4 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात्, कोई व्यक्ति जो संबंधित स्थानीय क्षेत्र में निवास करता हो, जिसके संबंध में ऐसी कोई अधिसूचना प्रकाशित की गई है या कोई नगर पालिका या पंचायत, जो इस प्रकार की किसी अधिसूचना से प्रभावित हुई हो, राज्य सरकार को ऐसी अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से तीस दिन के भीतर, अपनी आपत्ति लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है।

(2) अग्रिम कार्यवाही से पूर्व राज्य सरकार ऐसी सभी आपत्तियों पर विचार करेगी।

6. नगर पालिका का गठन

धारा–4 के अधीन अधिसूचना की प्रकाशन तिथि से 30 दिनों के अवसान तथा इस संबंध में प्रस्तुत की गई आपत्तियों पर विचारोपरांत, राज्य सरकार एक अधिसूचना द्वारा, गठित कर सकती है–

(1) ऐसे वृहत्तर शहरी क्षेत्र को नगर निगम के रूप में;
(2) ऐसे लघुतर शहरी क्षेत्र को नगर परिषद के रूप में; तथा
(3) ऐसा क्षेत्र जो एक ग्रामीण क्षेत्र से एक शहरी क्षेत्र में संक्रमणशील हो, को नगर पंचायत के रूप में।

7. नगरपालिका का निगमन

(1) धारा (6) के अधीन गठित नगरपालिका, शाश्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य मुहर वाली निगमित निकाय होगी, और इस अधिनियम या अन्य विधि के द्वारा अधिरोपित निषेध या योग्यता के अधीन रहते हुए, अपने निगमित निकाय के नाम से वाद चला सकेगी या उसके नाम से वाद लाया जा सकेगा, संविदा कर सकेगी तथा इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी कार्य करेगी।

(2) नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के समस्त कृत्य, ऐसी नगरपालिकाओं के नाम से किये जायेंगे।

(3) नगरपालिका को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए नगरपालिका को सम्पत्ति अधिग्रहण करने, रखने और उसे निपटाने का अधिकार होगा।

8. नगर पालिका क्षेत्रों का वर्गीकरण।

"इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ऐसे अंतिम पूर्ववर्त्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या जिसके सुसंगत ऑकड़े प्रकाशित कर दिए गए हों, के आधार पर किसी नगरपालिका क्षेत्र को वर्गीकृत कर सकती है"।

(1) एक वृहत्तर शहरी क्षेत्र, नगर निगम के रूप में, यदि संबंधित स्थानीय निकाय क्षेत्र की जनसंख्या एक लाख पचास हजार तथा उससे अधिक हो;

(2) एक लघुतर नगरीय क्षेत्र, नगर परिषद के रूप में, यदि संबंधित स्थानीय निकाय क्षेत्र की जनसंख्या **"चालीस हजार"** से अधिक तथा एक लाख पचास हजार से कम हो:

परन्तु नगर परिषद इस प्रकार वर्गीकृत होगी—

(i) वर्ग 'क' की नगर परिषद, यदि स्थानीय

निकाय क्षेत्र की जनसंख्या, एक लाख से अधिक और एक लाख पचास हजार से कम हो, और

(ii) वर्ग 'ख' की नगर परिषद, यदि स्थानीय निकाय क्षेत्र की जनसंख्या चालीस हजार से अधिक और एक लाख से कम हो; तथा

(3) संक्रमणशील क्षेत्र, नगर पंचायत के रूप में, यदि स्थानीय निकाय क्षेत्र की जनसंख्या **"बारह हजार"** से अधिक और **"चालीस हजार"** से कम होः

परन्तु राज्य सरकार किसी पहाड़ी क्षेत्र, तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल अथवा मण्डी कस्बे में नगर पालिका क्षेत्र के निमित्त प्रत्येक वर्ग की नगर पालिका के लिए जनसंख्या का पृथक आकार अधिसूचना द्वारा सुनिश्चित कर सकती हैः

परन्तु यह भी कि ऐसे किसी स्थानीय क्षेत्र के आर्थिक महत्व तथा अन्य कारकों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार जैसा उपयुक्त समझे और अपने विवेकानुसार उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट जनसंख्या के इतर अधिसूचना द्वारा नगर पंचायत गठित कर सकती है।

9. नगरपालिका क्षेत्र को समाप्त करने या उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति

राज्य सरकार, अधिसचूना द्वारा—

(1) इस अधिनियम के प्रवर्तन से किसी नगरपालिका क्षेत्र या उसके भाग को हटा सकेगी, या

(2) नगरपालिका क्षेत्र में शामिल तथा अधिसूचना में परिभाषित किसी स्थानीय क्षेत्र को अपवर्जित कर सकेगी, या

(3) नगरपालिका क्षेत्र से संलग्न तथा अधिसूचना में परिभाषित किसी स्थानीय क्षेत्र को उस नगरपालिका क्षेत्र में शामिल कर सकेगी, या

(4) किसी नगरपालिका क्षेत्र को दो या उससे अधिक नगरपालिका क्षेत्रों में विभाजित कर सकेगी, या

(5) दो या उससे अधिक नगरपालिका क्षेत्रों को, एक नगरपालिका क्षेत्र के रूप में गठन के लिए, मिला सकेगी, या

(6) दो या दो से अधिक संलग्न नगरपालिका क्षेत्रों की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगीः

परन्तु यह कि इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका क्षेत्र के गठन के लिए विनिर्धारित प्रक्रिया का ऐसे हरेक मामले में, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अनुपालन किया जाएगाः

"परन्तु यह और कि राज्य सरकार द्वारा, ऐसी किसी अधिसूचना से प्रभावित नगरपालिका या प्रभावित पंचायत की राय अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट समय के भीतर माँगी जाएगी और अंतिम घोषणा किए जाने के पूर्व, राज्य सरकार यथा उपर्युक्त नगरपालिका तथा पंचायत की राय पर विचार करेगी"।

परन्तु यह और भी कि जहाँ नगरपालिका क्षेत्र का कोई भाग या पड़ोस का कोई क्षेत्र छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय कानून संख्या–41) में यथा परिभाषित, छावनी हो या छावनी का भाग हो, वहाँ ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी।

10. किसी विशिष्ट नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय निवास गृह, विनिर्माणी (कारखाना) आदि को शामिल करने की शक्ति

जहाँ कोई निवास गृह, विनिर्माणी (कारखाना), गोदाम या उद्योग या कारोबार स्थल दो या दो से अधिक लगे हुए नगरपालिका क्षेत्रों की सीमाओं के अन्तर्गत अवस्थित हो वहां राज्य सरकार, इस अधिनियम में अन्य स्थान पर अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिसूचना द्वारा ऐसे निवास गृह, विनिर्माणी (कारखाना), गोदाम या उद्योग या कारोबार स्थल को किसी एक नगरपालिका क्षेत्र में घोषित कर सकेगी, और वह इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उसमें सम्मिलित माना जाएगा।

11. परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निस्तारण

(1) जब कोई स्थानीय क्षेत्र, जो किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार की अधिकार सीमा में आता हो, नगर पालिका के रूप में गठित या नगर पालिका में समाहित किया जाये तो सरकार, जैसा उचित समझे स्थानीय क्षेत्र में ऐसे स्थानीय प्राधिकार की परिसम्पत्तियों एवं संस्थानों को या तो ऐसी नगर पालिका में हस्तान्तरित करने अथवा अन्यथा निस्तारित करने और ऐसी परिसम्पत्तियों या संस्थानों से संबंधित ऐसे स्थानीय प्राधिकार के

दायित्वों, यदि कोई हो, से उन्मुक्त करने हेतु आदेश पारित कर सकेगी।

(2) जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका से वर्जित किया गया हो एवं किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया हो, तो सरकार जैसा उचित समझे, उस स्थानीय क्षेत्र में नगर पालिका की परिसम्पत्तियों अथवा संस्थानों को या तो स्थानीय प्राधिकार को हस्तांतरित करने या अन्यथा निस्तारित करने और ऐसी परिसम्पत्तियों या संस्थानों से संबंधित नगरपालिका के दायित्वों, यदि कोई हों, से उन्मुक्त करने हेतु आदेश पारित कर सकेगी।

12. नगर पालिका क्षेत्र को अधिनियम के ऐसे उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देने की शक्ति, जो उसके लिए अनुपयुक्त हो

(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा तथा अभिलिखित कारणों से, नगर पालिका क्षेत्रों को इस अधिनियम के उन उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी जो उसके लिए अनुपयुक्त समझे जॉय, और तत्पश्चात् उक्त उपबन्ध ऐसे नगर पालिका क्षेत्रों पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक अधिसूचना द्वारा उन उपबन्धों को लागू न कर दिया जाय।

(2) जब तक उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना प्रवृत्त रहेगी तक तक राज्य सरकार वैसे उपबन्धों जिनके प्रवर्तन से उन नगरपालिका क्षेत्रों को यथा उपर्युक्त रूप में छूट दी गयी हो, के अंतर्गत आने वाले किसी विषय के बाबत इस अधिनियम के उपबन्धों के संगत नियम बना सकेगी।

13. नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत का पुनर्गठन

(1) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि से विभिन्न अधिनियमों के सुसंगत उपबन्धों के अधीन पूर्व गठित नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत इस अधिनियम के अधीन गठित एवं निगमित समझे जायेंगे तथा अपने क्षेत्रों में अपने नामों के साथ, जहॉ जैसा हो, नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत घोषित किये जायेंगे।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित अधिनियमों के अधीन ऐसी नगर पालिकाओं में कोई भी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, कर, योजना, लाइसेंस, अनुज्ञा, नियम, विनियम अथवा प्रपत्र, जो इस अधिनियम के जारी होने के ठीक पहले लागू थे पूर्ववत् प्रभावी बने रहेंगे और तब तक अधिनियम के

अधीन निर्मित, जारी एवं लागू समझे जायेंगे जब तक अधिनियम द्वारा निर्मित, जारी एवं लागू कोई नियुक्ति, अधिसूचना, कर, योजना, लाइसेंस, अनुज्ञा, नियम, विनियम अथवा प्रपत्र द्वारा इसे अवक्रमित न कर दिया जाय।

14. जनगणना रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद सरकार द्वारा समीक्षा

(1) **"राज्य सरकार, अंतिम पूर्ववर्त्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हों, के प्रकाशन के एक वर्ष के भीतर वर्त्तमान नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पंचायत के निकटस्थ शहरी क्षेत्रों एवं उनके अव्यवस्थित विस्तार, जहाँ जैसा हो, को ध्यान में रखते हुए वर्त्तमान नगरपालिकाओं की समीक्षा करेगी और आवश्यकतानुसार उनका उच्चीकरण या पुनर्गठन करेगी"।**

(2) **"राज्य सरकार, अंतिम पूर्ववर्त्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हों, के पश्चात् पंचायतों को नगरपंचायतों में परिवर्त्तन करने पर भी विचार कर सकेगी;**

अध्याय-3
परिषद का गठन

15. परिषद

(1) प्रत्येक नगरपालिका के लिए नगरपालिका पर प्राधिकार रखने के लिए परिषद नाम से सदस्यों का एक निकाय गठित किया जायेगा।

(2) परिषद में शामिल होंगे–

(क) ऐसी संख्या में निर्वाचित पार्षद, जैसा इस अधिनियम की धारा–17 में विनिर्दिष्ट नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड हों:

' **परंतु यह कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा पार्षदों की संख्या का निर्धारण अंतिम पूर्ववर्त्ती जनगणना जिसके सुसंगत ऑकड़े प्रकाशित हो चुके हों, के आधार पर अवधारित करेगी"।**

(ख) खंड (क) मे विनिर्दिष्ट निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित परिषद के सदस्य होंगे–

(प) राज्य विधान मण्डल का प्रत्येक ऐसा सदस्य, जो उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हो, जो पूर्णतः या अंशतः उस नगरपालिका क्षेत्र में पड़ता हो,

(पप) लोकसभा का प्रत्येक ऐसा सदस्य, जो उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हो, जो पूर्णतः या अंशतः उस नगरपालिका क्षेत्र में पड़ता हो,

(पपप) **"राज्य सभा का प्रत्येक ऐसा सदस्य, जो संबंधित नगरपालिका में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हो।"**

(ग) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट पार्षदों द्वारा नगरपालिका प्रशासन में विशिष्ट ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति, नगर निगम की दशा में तीन, नगर परिषद की दशा में दो तथा नगर पंचायत की दशा में एक, सहयोजित किये जायेंगेः

परन्तु यह कि नगर निगम की दशा में सहयोजित सदस्यों में से दो, और नगर परिषद की दशा में एक महिला होगीः

परन्तु यह भी कि खण्ड (ग) के अधीन सहयोजित सदस्य परिषद की बैठकों में भाग लेंगे किन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा;

(घ) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट पार्षदों द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों से, नगर निगम की दशा में तीन, नगर परिषद की दशा में दो, नगर पंचायत की दशा में एक व्यक्ति सहयोजित होंगेः

परन्तु यह कि सहयोजित सदस्यों में से, नगर निगम की दशा में दो, और नगर परिषद की दशा में एक महिला होगीः

परंतु यह भी कि अल्पसंख्यक वर्ग के संबंधित व्यक्तियों को सहयोजित करते समय ऐसे अल्पसंख्यक वर्गों के व्यक्ति को

प्राथमिकता दी जायेगी जिनका परिषद में प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा नहीं हो:

परन्तु यह और भी कि खण्ड (ग) के अधीन सहयोजित सदस्य परिषद की बैठकों मे भाग लेंगे, परंतु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

16. परिषद का गठन

(1) धारा–15 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट सभी स्थान प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जायेंगे, और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया जायेगा जिन्हें वार्ड कहा जायेगा।

(2) (क) प्रत्येक परिषद में सदस्यों के कुल स्थानों का पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किंतु इससे अनधिक स्थान निम्न के लिए आरक्षित किये जायेंगे–

(i) अनुसूचित जाति,
(ii) अनुसूचित जनजाति,
(iii) पिछड़े वर्ग, और
(iv) महिलायें;

प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए इस प्रकार आरक्षित स्थानों का अनुपात उस नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचनों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या में यथाशक्य निकटतम उसी अनुपात में होगा जो उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है, और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका में विभिन्न वार्डों को चक्रानुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में **संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा यथा** विहित रीति से आवंटित किये जायेंगे;

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के पश्चात् शेष बचे स्थानों में पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण की कुल मिलाकर पचास

प्रतिशत की अधिसीमा के अन्दर होगी, तथा ऐसे स्थान उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम में **संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा** नगरपालिका के विभिन्न वार्डों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में **यथा** विहित रीति से आवंटित किये जायेंगे;

(ख) खण्ड (क) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किंतु उससे अनधिक स्थान यथा स्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जायेंगे;

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो के लिए जो स्थान आरक्षित नही ंकिये गये हैं, उनमें से पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किंतु उससे अनधिक स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे;

(घ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गो तथा अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित ऐसे स्थान नगरपालिका में विभिन्न वार्डों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में तथा **संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा** यथा विहित रीति से चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे;

स्पष्टीकरण— शंकाओं के निराकरण हेतु एतद्द्वारा घोषणा की जाती है कि इस उपधारा के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं हेतु **स्थानों** के आरक्षण के प्रयोजनार्थ चक्रानुक्रम सिद्वान्त इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात प्रथम निर्वाचन से प्रारम्भ होगाः

परन्तु यह कि राज्य सरकार उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन **स्थानों** के आरक्षण से संबंधित प्रकरण प्रत्येक दस वर्षों पर समीक्षा करेगीः

परन्तु यह भी कि उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन **स्थानों** का आरक्षण भारत के

संविधान के अनुच्छेद 334 "**सहपठित अनुच्छेद–243 T (5)**" में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर प्रभावहीन हो जायेगा।

(3) धारा–15 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन निर्वाचित प्रत्येक सदस्य को परिषद की बैठकों में मत देने का अधिकार होगा।

(4) यदि पहले ही भंग न कर दी जाये तो परिषद आम निर्वाचन के बाद अपनी पहली बैठक **के लिए नियत तिथि** से पांच वर्षो तक रहेगी, उससे आगे नहीं।

(5) परिषद का गठन किए जाने के लिए निर्वाचन यथास्थिति–

(क) उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व, या

(ख) भंग किए जाने की तारीख से छः माह की अवधि के अवसान के पूर्व पूरा कर लिया जाएगाः

परंतु यह कि जहां भंग परिषद यदि भंग नहीं किए जाने पर छः माह से न्यून अवधि तक बनी रहती तो ऐसी अवधि के लिए परिषद का गठन करने के लिए निर्वाचन कराना आवश्यक नही होगा।

(6) उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व ऐसे भंग किए जाने पर गठित परिषद उतनी ही अवधि तक बनी रहेगी जितनी अवधि तक वह भंग परिषद उपधारा (4) के अधीन बनी रहती यदि उसे इस तरह भंग नहीं किया गया होता।

(7) नवगठित नगरपालिका क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र के नगरपालिका क्षेत्र गठित किए जाने के ठीक पूर्व उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाला स्थानीय प्राधिकार ऐसे समय तक, जो धारा–6 के अधीन अधिसूचना जारी किए जाने के छः माह से अनधिक होगी, जो निर्वाचन कराने के लिए आवश्यक हो, उस पर अपनी अधिकारिता बनाए रखेगा और अपने कृत्यों को करता रहेगा।

(8) यदि, किसी कारण से, उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट

पांच वर्षो की अवधि के अवसान के पूर्व किसी परिषद का आम निर्वाचन कराना संभव न हो, तो उक्त अवधि के अवसान पर परिषद भंग हो जाएगी, और इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नगरपालिका प्राधिकारियों में निहित सभी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग या संपादन, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा जिसे या जिन्हे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रशासक या प्रशासकों का परिषद के रूप में नियुक्त करे।

17. पार्षदों का निर्वाचन

(1) प्रत्येक परिषद ऐसी संख्या में निर्वाचित पार्षदों से गठित होगी जितना राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय। पार्षदों की संख्या का निर्धारण अन्तिम **पूर्ववर्त्ती** जनगणना जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके हों, की जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा।

(2) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन निर्वाचक सूची, विभिन्न श्रेणियों के लिए स्थानों का आरक्षण, स्थानों का चक्रानुक्रम तथा पार्षदों के निर्वाचन का संचालन भारत के संविधान के अनुच्छेद–243ट सपठित अनुच्छेद–243यक के अधीन गठित राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

18. पार्षदों की अयोग्यता

(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति निर्वाचन या निर्वाचन के बाद पार्षद के रूप में पद ग्रहण करने के लिए अयोग्य होगा, यदि ऐसा व्यक्ति–

(क) भारत का नागरिक नहीं हो,

(ख) राज्य विधान सभा के निर्वाचन के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या के अधीन अयोग्य होः

परंतु यह कि कोई व्यक्ति यदि इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो तो वह इस आधार पर कि वह पच्चीस वर्षो से कम आयु का है, अयोग्य नहीं होगा,

(ग) केन्द्र या राज्य सरकार या किसी

स्थानीय प्राधिकार की सेवा में हो,

(घ) किसी ऐसे संस्थान में सेवारत हो जिसे केन्द्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से सहायता मिलती हो,

(ङ) किसी सक्षम न्यायालय से न्याय निर्णीत विकृतचित्त हो,

(च) दीवालिया अधिनिर्णीत होने हेतु आवेदन किया हो अथवा अधिनिर्णीत किया गया हो,

(छ) केन्द्र या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार की सेवा से अवचार के लिए पदच्युत किया गया हो एवं लोक सेवा में सेवा–योजन हेतु अयोग्य घोषित किया गया हो,

(ज) भारत के भीतर या बाहर, राजनीतिक अपराध से भिन्न किसी अपराध के लिए, किसी दण्ड न्यायालय द्वारा छः महीने से अधिक अवधि के कारावास का दंडादेश दिया गया हो या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–109 या धारा–110के अधीन अच्छे व्यवहार के लिए जमानत देने का आदेश दिया गया हो और ऐसा दंडादेश या आदेश बाद में उलट नहीं दिया गया हो, अथवा किसी आपराधिक वाद का अभियुक्त होने के कारण छः माह से अधिक समय से फरार हो,

(झ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकार का सदस्य होने के अयोग्य हो,

(ञ) नगरपालिका के अधीन वेतनभागी हो या लाभ का पद धारण करता हो:

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति नगर पालिका के अधीन लाभ का पद, केवल नगर पालिका का महापौर या अध्यक्ष या पार्षद होने के कारण, धारण करता नहीं

समझा जायेगा।

(ट) भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया होः
परंतु यह कि भ्रष्ट आचरण का दोषी पाए जाने पर आम चुनाव के छः वर्षो के बाद अयोग्यता समाप्त हो जायेगी,

(ठ) जिस वर्ष में निर्वाचन हुआ हो उसके ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उस पर नगरपालिका के बकाए सभी करों का उसने भुगतान नहीं किया हो,

(ड) यदि वह अपने कर्तव्यों एवं कृत्यों को करने से इंकार करता हो या जानबूझकर उपेक्षा करता हो अथवा उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता हो, अथवा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार का दोषी पाया जाय अथवा अपने कर्तव्यों के निष्पादन में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो;

(ढ) अगर उसके दो से अधिक जीवित संतान हैंः
परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रवृत्त

होने के एक वर्ष की अवधि की समाप्ति तक या पर अगर किसी व्यक्ति को दो से अधिक संतान हैं, तो वह अयोग्य नहीं होगा,

(ण) यदि वह बैठकों में परिषद से पूर्व अनुमति लिये बिना नगरपालिका की लगातार तीन बैठकों या अधिवेशनों से अनुपस्थित रहे।

(2) यदि किसी स्तर पर, ऐसा कोई प्रश्न उठे कि नगरपालिका का कोई सदस्य निर्वाचन के पूर्व या निर्वाचित होने के पश्चात् उपधारा (1) में, उल्लिखित निरर्हताओं के अध्यधीन है, तो प्रश्न को राज्य निर्वाचन आयोग को विनिश्चय के लिए सुपुर्द किया जायेगा। निरर्हता का मामला राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति या प्राधिकार द्वारा परिवाद, आवेदन या सूचना के रूप में लाया जा सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग स्वयं भी ऐसे मामलों का संज्ञान ले सकेगा और प्रभावित पक्षों को सुनने का पर्याप्त अवसर देते हुए यथाशीघ्र ऐसे मामलों का विनिश्चय करेगा।

(3) **"यदि कोई व्यक्ति जो किसी नगरपालिका का सदस्य चुना गया हो, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का सदस्य हों या हो जाए या ग्राम पंचायत का सदस्य या मुखिया या पंचायत समिति का सदस्य या जिला परिषद का सदस्य या नगर निगम का सदस्य हो या हो जाए तो लोक सभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य या ग्राम पंचायत का सदस्य या मुखिया या पंचायत समिति का सदस्य या जिला परिषद का सदस्य या नगर निगम का सदस्य की पदावधि प्रारंभ होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर नगरपालिका में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, यदि उसने पहले ही, यथास्थिति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या नगर निगम का अपना पद न त्याग दिया हो"।**

19. पार्षदों द्वारा ली जाने वाली सत्यनिषठा की शपथ

(1) भारतीय शपथ अधिनियम–1873 में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक व्यक्ति, जो पार्षद के रूप में निर्वाचित होगा अपना पद ग्रहण करने के पूर्व, नगर निगम की दशा में प्रमण्डलीय आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी, या नगर परिषद या नगर पंचायत की दशा में उपायुक्त या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी, के समक्ष भारत के संविधान के प्रति निष्ठा प्रकट करने का प्रतिज्ञान निम्नलिखित प्रारूप में लेगा, अर्थात्–

शपथ निम्नलिखित रूप में होगी–

''मै................जो..................नगरपालिका क्षेत्र का पार्षद निर्वाचित हुआ हूॅ, ईश्वर की शपथ लेता हूॅ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूॅ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूॅगा, कि मै भारत की सार्वभौमिकता एवं सत्यनिष्ठा को अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।''

(2) कोई व्यक्ति, पार्षद निर्वाचित होने के बाद, जिस तिथि से उसका कार्यकाल प्रारम्भ हो उसके तीन महीने के अन्दर उपधारा (1) के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान लेने में असफल रहे तो वह अपने पद पर नहीं रह जाएगा और उसका स्थान रिक्त माना जायेगाः

परंतु यह कि राज्य सरकार प्रत्येक मामले या मामलों की कोटि में किसी कारण से पूर्वकथित तीन महीने की अवधि को, इतनी अवधि तक, जो उचित समझे, अभिलिखित कर बढ़ा सकती है।

20. नगर पालिका पार्षदों का कार्यकाल

"धारा–16 की उपधारा (5) या उपधारा (6), यथास्थिति, के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए किसी पार्षद का कार्यकाल धारा–73 के अधीन नगरपालिका की प्रथम बैठक हेतु नियत की गई तिथि से पाँच वर्षों तक की अवधि के लिए होगा या आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए पार्षद के मामले में संबंधित निकाय के बचे हुए कार्यकाल तक होगा, बशर्ते कि–"

(क) नगरपालिका समय से पूर्व विघटित न हो जाए, या

(ख) वह अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप से महापौर को सम्बोधित करते हुए नोटिस द्वारा अपने पद से इस्तीफा न दे दे, और तब उसका पद नोटिस की तिथि से रिक्त हो जाएगा, या

(ग) राज्य में नगरपालिका चुनावों से संबंधित किसी विधि के उपबंधो के अध्यधीन उसका निर्वाचन न रद्द हुआ हो या न ही रद्द घोषित हो, या

(घ) जिस वार्ड से वह निर्वाचित हुआ हो उस पूरे वार्ड को इस अधिनियम के प्रचालन

से धारा–9 की उपधारा (1) के अधीन हटा दिया गया हो।

21. पार्षद की वापसी

(1) प्रत्येक पार्षद, यदि वह इस धारा के उपधारा (3) से उपधारा (8) तक विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार वापस बुला लिया जाता है, तत्पश्चात् अपना पद रिक्त कर दिया माना जायेगा।

(2) वापसी की ऐसी प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं होगी–

(क) जिस तिथि से पार्षद निर्वाचित होता है और अपना पद संभालता है, उसके एक वर्ष की अवधि के भीतर, या

(ख) यदि शेष कार्यकाल छः माह से कम है।

(3) वापस बुलाने की एक नोटिस, नोटिस की तिथि पर वार्ड के निर्वाचकों के बहुमत द्वारा, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को दी जायेगी।

(4) उपधारा (3) में उल्लिखित नोटिस की प्राप्ति पर नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी अनुमोदन के लिए मामले को परिषद की अगली बैठक में रखेगा। प्रस्ताव का अनुमोदन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कुल सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून द्वारा वह समर्थित न हो।

(5) तत्पश्चात् नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी वापसी का प्रस्ताव परिषद के अनुमोदन के साथ उस जिले के उपायुक्त को प्रस्तुत करेगा।

(6) उपायुक्त, उपधारा (5) के अधीन प्रस्ताव की प्राप्ति पर, स्वयं आश्वस्त होने पर, और सत्यापित करके कि वापस बुलाने की सूचना नोटिस की तिथि पर वार्ड के कुल निर्वाचकों के बहुमत द्वारा हस्ताक्षरित तथा परिषद् के कुल पार्षदों की दो तिहाई से अन्यून संख्या द्वारा अनुमोदित है, प्रस्ताव को राज्य सरकार को भेज देगा, और तदुपरान्त राज्य सरकार अपनी अनुशंसा के साथ, राज्य निर्वाचन आयोग को संदर्भ कर देगी।

(7) उपधारा (6) के अधीन संदर्भ की प्राप्ति पर राज्य निर्वाचन आयोग वापस बुलाने के प्रस्ताव पर यथा विहित रीति से मतदान की व्यवस्था करेगा।

(8) उपधारा (7) में उल्लिखित मतदान द्वारा जब पार्षद वापस बुला लिया जाय, वह पार्षद नहीं रह जायेगा।

(9) किसी पार्षद की वापसी की प्रक्रिया उसके कार्यकाल में एक ही बार प्रारम्भ की जा सकेगी ।

22. पार्षदों के पारिश्रमिक एवं भत्ते

महापौर, उपमहापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद ऐसे पारिश्रमिक और भत्ते प्राप्त करेंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय।

अध्याय-4
नगरपालिका प्राधिकारी

23. नगर पालिका प्राधिकारी

(1) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नगरपालिका प्राधिकारी होंगे—

(क) वृहत्तर शहरी क्षेत्र, अर्थात् नगर निगम के मामले में,—
- (i) नगर निगम,
- (ii) स्थायी समिति,
- (iii) महापौर,
- (iv) नगर आयुक्त,
- (v) लोक परिवहन या जलापूर्ति या अन्य लोकोपयोगी सेवाओं का कार्य स्थापित करने या अधिग्रहण करने वाले नगर निगम का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यपालक पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक;

(ख) लघुतर शहरी क्षेत्र, अर्थात् नगर परिषद के मामले में,—
- (i) नगर परिषद,
- (ii) स्थायी समिति,
- (iii) अध्यक्ष, और
- (iv) कार्यपालक पदाधिकारी;

(ग) संक्रमणशील क्षेत्र, अर्थात् नगरपंचायत के मामले में,–
- (i) नगर पंचायत,
- (ii) स्थायी समिति,
- (iii) अध्यक्ष, और
- (iv) कार्यपालक पदाधिकारी।

(2) नगरपालिका के पीठासीन पदाधिकारी होंगे–
(क) नगर निगम के मामले में, महापौर,
(ख) नगर परिषद के मामले में, अध्यक्ष, एवं
(ग) नगर पंचायत के मामले में, अध्यक्ष।

24. नगर पालिका के स्थायी समिति का गठन

(1) प्रत्येक नगरपालिका में एक स्थायी समिति होगी।

(2) स्थायी समिति में शमिल होंगे–
(क) नगर निगम के मामले में, महापौर, उपमहापौर एवं इस अधिनियम की धारा–49 के अधीन स्थापित क्षेत्रीय समितियों के अध्यक्ष;
(ख) नगर परिषद के मामले में, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं परिषद द्वारा निर्वाचित पाँच अन्य पार्षद;
(ग) नगर पंचायत के मामले में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं परिषद द्वारा निर्वाचित तीन अन्य पार्षद ।

(3) महापौर और अध्यक्ष, यथा स्थिति, स्थायी समिति का पीठासीन पदाधिकारी होगा।

(4) स्थायी समिति के कार्य–संचालन की विधि वैसी होगी जैसा विहित किया जाय।

(5) स्थायी समिति सामूहिक रूप से, यथा स्थिति, नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत के प्रति उत्तरदायी होगी।

(6) स्थायी समिति के सदस्यों की पदावधि पार्षदों की पदावधि की सह–विस्तारी होगी।

25. स्थायी समिति

स्थायी समिति इस अधिनियम द्वारा विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग व कृत्यों का संपादन करेगी।

के कृत्य एवं शक्तियां

26. महापौर और अध्यक्ष का निर्वाचन

(1) महापौर तथा अध्यक्ष नगरपालिका क्षेत्र के समस्त निर्वाचकों द्वारा निर्वाचित किए जायेंगे।

(2) पार्षदों के निर्वाचन/अयोग्यता/वापसी से संबंधित इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित महापौर तथा अध्यक्ष के निर्वाचन/अयोग्यता/वापसी के संबंध में लागू होंगे।

(3) यदि किसी सामान्य निर्वाचन में कोई व्यक्ति महापौर या अध्यक्ष तथा पार्षद दोनों के लिए निर्वाचित होता है, वह महापौर या अध्यक्ष निर्वाचित होने की तिथि से पार्षद नहीं रह जायेगा।

(4) महापौर या अध्यक्ष गोपनीयता की शपथ लेने के बाद अपने पद को ग्रहण करेंगे।

(5) महापौर तथा अध्यक्ष की पदावधि परिषद की पदावधि की सह–विस्तारी होगी।

27. महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण

(1) नगरपालिकाओं में महापौर और अध्यक्ष के पद निम्नलिखित रीति से आरक्षित होंगे।

(2) (क) राज्य के अन्तर्गत यथास्थिति महापौर और अध्यक्ष के कुल पदों के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक **पद** निम्न के लिए आरक्षित किये जायेंगे–

- (i) अनुसूचित जाति,
- (ii) अनुसूचित जनजाति,
- (iii) पिछड़े वर्ग, और
- (iv) महिलाएं;

(ख) राज्य के अन्तर्गत महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या राज्य में महापौर और अध्यक्ष पदों की कुल संख्या के यथाशक्य वही होगी जो अनुपात राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित

जनजातियों की जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या में है; और ऐसे **पद** चक्रानुक्रम में भिन्न–भिन्न नगरपालिकाओं को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा **यथा** विहित रीति से आवंटित किये जायेंगे;

(ग) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए महापौर और अध्यक्ष के पदों के आरक्षण के पश्चात् पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कुल मिलाकर पचास प्रतिशत की अधिसीमा के अन्दर होगी; तथा ऐसे **पद** शेष नगर पालिकाओं में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चक्रानुक्रम में **यथा** विहित रीति से आवंटित किये जायेंगे;

(घ) खंड (क) के अधीन आरक्षित **पदों** की कुल संख्या के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक **पद** यथा स्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेगें;

(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए जो **पद** आरक्षित नहीं किये गये हैं, उनमें से पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक **पद** महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे;

(च) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित ऐसे समस्त **पद** राज्य में भिन्न–भिन्न नगरपालिकाओं को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण में यथा विहित रीति से चक्रानुक्रम से आवंटित किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण– शंकाओं के निराकरण हेतु एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि इस उपधारा के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,

पिछड़ी जाति तथा महिलाओं के लिये पदों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ चक्रानुक्रम सिद्धांत इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् हुए प्रथम निर्वाचन से प्रारंभ होगा।

(3) उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन पदों के आरक्षण से संबंधित प्रकरण पर राज्य सरकार प्रत्येक दस वर्ष पर समीक्षा करेगी।

(4) उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन **पदों** का आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद–334 **सह पठित अनुच्छेद–243 T (5)** में विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाने पर प्रभावी नहीं रहेगा।

28. उपमहापौर और उपाध्यक्ष का निर्वाचन

परिषद की बैठक में यथा विहित प्रक्रिया के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में निर्वाचित पार्षद अपने में से एक उप महापौर अथवा उपाध्यक्ष यथास्थिति का निर्वाचन करेंगे जो गोपनीयता की शपथ लेने के पश्चात् अपने पद को ग्रहण करेगा।

29. महापौर, अध्यक्ष, उपमहापौरऔर उपाध्यक्ष द्वारा ली जाने वाली गोपनीयता की शपथ

(1) महापौर, अध्यक्ष, उपमहापौर, और उपाध्यक्ष निम्नलिखित रूप में गोपनीयता की शपथ लेने के बाद कार्यग्रहण करेंगे–

''मैं ....नगर क्षेत्र में .... निर्वाचित हो कर...................ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय मेरे विचार के लिए लाया जायेगा पीठासीन पदाधिकारी के रूप में मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाय जबकि अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।''

(2) गोपनीयता की शपथ निम्न से दिलाई जायेगी–

(क) महापौर की दशा में, प्रमण्डल–आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा,

(ख) अध्यक्ष की दशा में उपायुक्त या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा,

(ग) उपमहापौर की दशा में महापौर द्वारा, और

(घ) उपाध्यक्ष की दशा में अध्यक्ष द्वारा।

30\. महापौर, अध्यक्ष, उपमहापौरऔर उपाध्यक्ष के पद की समाप्ति

(1) महापौर या अध्यक्ष अपने पद से उपायुक्त को सम्बोधित **लिखित एवं स्वहस्ताक्षरित** आवेदन द्वारा त्याग–पत्र दे सकेगा।

(2) उप महापौर या उपाध्यक्ष, महापौर या अध्यक्ष को यथास्थिति सम्बोधित **लिखित एवं स्वहस्ताक्षरित** आवेदन द्वारा त्याग–पत्र दे सकेगा।

(3) उपधारा (1) एवं उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक त्याग–पत्र, ऐसा त्याग–पत्र दिये जाने के सात दिनों की समाप्ति पर प्रभावी हो जायेगा, बशर्ते कि उक्त **पन्द्रह दिनों** के भीतर **यथास्थिति उपायुक्त या महापौर या अध्यक्ष** को सम्बोधित अपने ऐसे **लिखित एवं स्वहस्ताक्षरित** त्याग–पत्र को वह वापस न ले ले।

(4) उपमहापौर या उपाध्यक्ष यथास्थिति यदि पार्षद नहीं रहता है तो इस रूप में अपने पद पर नहीं रहेगा।

(5) निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के एक–तिहाई से अन्यून सदस्यों द्वारा लिखित अध्यपेक्षा किए जाने पर विहित रीति से इस प्रयोजनार्थ बुलाई गयी विशेष बैठक मे पार्षदों की संपूर्ण संख्या के बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उपमहापौर और उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकेगा, और अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया वही होगी जो विहित की जायः

परन्तु यह कि पद ग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगाः

परन्तु यह और कि पहला अविश्वास प्रस्ताव लाने के दो वर्ष के भीतर पुनः अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगाः

परन्तु यह भी कि पदावधि के शेष छः माह की अवधि के भीतर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा।

31\. महापौर और

महापौर और अध्यक्ष इस अधिनियम से संबंधित कार्य संचालन अथवा इसके द्वारा अधिकृत किसी

अध्यक्ष की शक्तियां

आदेश को करने के प्रयोजनार्थ इस अधिनियम द्वारा निहित शक्तियों का प्रयोग करेगाः

परन्तु यह कि महापौर तथा अध्यक्ष ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा जो परिषद द्वारा प्रयोग की जानी निर्देशित हो, और परिषद के किसी संकल्प के असंगत कार्य नहीं करेगा।

32. उपमहापौर और उपाध्यक्ष की शक्तियां

(1) उपमहापौर/उपाध्यक्ष, महापौर/अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जब, –

(क) महापौर/अध्यक्ष का पद मृत्यु, त्याग–पत्र दिये जाने, हटाए जाने या अन्यथा किसी कारण से रिक्त हो, या

(ख) महापौर/अध्यक्ष छुट्टी, बीमारी या अन्य कारण से अस्थायी रूप में अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करने, कार्यों का सम्पादन करने या कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो।

(2) उपमहापौर/उपाध्यक्ष किसी भी समय ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग, ऐसे अन्य कार्यों का संपादन, तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रत्यायोजित की जाएः

परन्तु यह कि प्रत्यायोजन प्राधिकार के अधीन उपमहापौर तथा उपाध्यक्ष द्वारा किया गया कोई कार्य ऐसे प्रत्यायोजन की कमी या दोष के कारण अमान्य नहीं होगा यदि वह महापौर या अध्यक्ष की व्यक्त या अंतर्निहित सहमति पर किया गया हो।

33. शक्तियों और कार्यों का प्रत्यायोजन

(1) नगरपालिका, संकल्प द्वारा, संकल्प में यथा विनिर्दिष्ट शर्तो के अध्यधीन, अपनी किन्ही शक्तियों, या कार्यों को स्थायी समिति को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(2) स्थायी समिति, लिखित आदेश द्वारा, आदेश में यथा विनिर्दिष्ट शर्तो के अध्यधीन, अपनी किन्हीं शक्तियों या कार्यों को नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को प्रत्यायोजित कर

सकेगी।

(3) इस पक्ष में किये गये ऐसे स्थायी आदेशों के अध्यधीन—

(क) महापौर और अध्यक्ष, आदेश द्वारा, आदेश में यथाविनिर्दिष्ट शर्तो के अध्यधीन, अपनी किन्हीं शक्तियों या कार्यों को उपमहापौर या उपाध्यक्ष को प्रत्यायोजित कर सकेगा;

(ख) नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, आदेश द्वारा, आदेश में यथाविनिर्दिष्ट शर्तो के अध्यधीन अपनी किन्हीं शक्तियों और कार्यों को नगरपालिका के किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

अध्याय-5
वार्ड समितियों, क्षेत्र सभाओं एवं अन्य समितियों का गठन

34. वार्ड समितियों का गठन

(1) परिषद के निर्वाचन के दो महीनों के भीतर नगरपालिका के प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड समिति गठित की जायेगी।

(2) प्रत्येक वार्ड समिति में शामिल होंगे—

(क) नगरपालिका वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला पार्षद, जो वार्ड समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) वार्ड में स्थित क्षेत्रों के क्षेत्र सभा प्रतिनिधि;

(ग) वार्ड से सिविल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने वाले दस से अनधिक, परिषद द्वारा यथा विहित रीति से नामित व्यक्तिः

परंतु यह कि यदि वार्ड की जनसंख्या पांच हजार से अधिक नहीं है तो प्रथम दो हजार की जनसंख्या पर ऐसे सदस्यों की संख्या चार होगी और उसके पश्चात् प्रत्येक दो हजार की आबादी अथवा उसके भाग के लिए एक अतिरिक्त सदस्य होगाः

परंतु यह और कि खण्ड (ग) अधीन नामित सदस्यों में कम से कम एक तिहाई सदस्य वार्ड

में पंजीकृत कल्याण संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों से होंगे:

परन्तु यह भी कि खण्ड (ग) के अधीन नामित सदस्यों में पचास प्रतिशत से अन्यून महिलायें होंगी।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजन के लिए ''सिविल सोसाइटी'' से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित, गठित या पंजीकृत तथा सामाजिक कल्याण में कार्यरत कोई गैर सरकारी संगठन या व्यक्तियों की संस्था अभिप्रेत है, और इसमें कोई समुदाय आधारित संगठन, वृत्तिक संस्था और नागरिक, स्वास्थ्य, शैक्षिक, सामाजिक या सांस्कृतिक निकाय या कोई व्यापार या औद्योगिक संगठन और ऐसे अन्य संघ या निकाय, जैसा राज्य सरकार विहित करे, शामिल होंगे।

(3) कोई व्यक्ति उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन वार्ड समिति का सदस्य नामित किए जाने के लिए या सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अनर्ह होगा, यदि इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन वह नगरपालिका के पार्षद के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिए अनर्ह हो।

(4) वार्ड समिति का अध्यक्ष नगरपालिका के कार्यो से सम्बद्व किसी सरकारी विभाग के पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, उस विभाग से संबंधित समस्याओं के संबंध में भाग लेने के लिए विशिष्ट आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकता है:

परंतु यह कि वार्ड समिति का अध्यक्ष सिविल सोसाइटी, जिसका वार्ड सभा में प्रतिनिधित्व न हो के किसी प्रतिनिधि को समिति की बैठकों एवं विचार–विमर्श में भाग लेने हेतु आमंत्रित कर सकता है।

(5) नगर आयुक्त अथवा कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नामित कोई पदाधिकारी वार्ड समिति का सचिव होगा। सचिव, वार्ड समिति की बैठकों की कार्यवाही का सम्पूर्ण कार्यवृत्त रखेगा और प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त की एक प्रति समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ, बैठक के

दस दिन के भीतर नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को प्रेषित करेगा।

(6) वार्ड समिति की समयावधि परिषद की समयावधि की सह–विस्तारी होगी।

(7) वार्ड समिति की बैठकों में कारोबार का संचालन यथाविहित रीति के अनुसार होगा।

35. वार्ड समिति के कृत्य

वार्ड समिति, वार्ड में निम्न कृत्यों का निर्वहन करेगीः

(i) पर्यवेक्षण

(क) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन,

(ख) सफाई कार्य,

(ग) जलापूर्ति का वितरण,

(घ) पार्क, क्रीड़ांगन एवं बाजार स्थलों का अनुरक्षण,

(ङ) मार्ग प्रकाश का रख–रखाव, सड़कों की मरम्मत, तथा

(च) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों एवं विकास योजनाओं का क्रियान्वयन;

(ii) नगरपालिका के नियंत्रण वाले स्कूलों, औषधालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों आदि की मानीटरिंग;

(iii) विकास योजनाओं को तैयार करने में सहायता;

(iv) जनता के विभिन्न समूहों के बीच सौहार्द एवं एकता बनाने हेतु प्रोत्साहित करना;

(v) कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और सामान या धन के रूप में दान संघटित करना;

(vi) विकास एवं कल्याण योजनाओं के कियान्वयन में लाभार्थियों को चिन्हित करने में सहायता प्रदान करना;

(vii) कला एवं सांस्कृतिक तथा क्रीड़ा एवं खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहन;

(viii) नगरपालिका की विकास परक गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक स्वैच्छिक गतिविधियों में जन सहभागिता सुनिश्चित करना;

(ix) नगरपालिका को देय कर, शुल्क तथा अन्य धनराशि की वसूली में मदद देना;

(x) अन्य कृत्य, जैसा विहित किया जाये।

36. वार्ड समिति के अधिकार

(1) वार्ड समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को वार्ड से संबंधित किसी भी मामले में नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी से सूचना मांगने का अधिकार होगा।

(2) प्रत्येक वार्ड समिति को अधिकार होगा —

(क) नगरपालिका के मास्टर प्लान एवं विकास योजनाओं के संबंध में सूचना प्राप्त करना,

(ख) वार्ड से संबंधित किसी मामले में नगर आयुक्त अथवा कार्यपालक पदाधिकारी से सूचना प्राप्त करना,

(ग) नगरपालिका के बजट एवं वार्ड संबंधी राजस्व के मामलों में सूचना प्राप्त करना, तथा

(घ) वार्ड के अन्तर्गत भूमि के उपयोग एवं क्षेत्रीय विनियमन में परामर्श लिया जाना।

37. निधियों का आवंटन

(1) नगरपालिका अपने अनुरक्षण उपबन्ध के अन्तर्गत उद्दिष्ट बजट से बीस प्रतिशत धनराशि वार्ड समितियों को, जलापूर्ति, सफाई, नालियों, मार्ग प्रकाश, पार्क, बाजार आदि सेवाओं हेतु आवंटित करेगी।

(2) नागरिक सेवाओं के अनुरक्षण हेतु वार्ड समितियों को धनराशि का आवंटन एवं उसका उपयोग सरकार द्वारा विहित रीति में किया जायेगा।

38. उप—समितियों की नियुक्ति

वार्ड समिति, समय—समय पर, जैसा उचित समझे, उपसमितियों की नियुक्ति कर सकेगी, और वार्ड समिति को सौंपे गये कार्यों के सम्बन्ध में राय देने या जांच करने हेतु ऐसी उपसमितियों को मामला संदर्भित कर सकेगी।

39. वार्ड सभा

(1) ऐसी नगरपालिका के मामले में, जिसकी जनसंख्या एक लाख से कम हो, वहां प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड सभा गठित की जायेगी जिसके सदस्य उस वार्ड से संबंधित निर्वाचन सूची में दर्ज सभी निर्वाचक होंगे।

(2) वार्ड सभा अपने वार्ड से संबंधित कृत्यों का सम्पादन एवं दायित्वों का निर्वहन करेगी जो क्षेत्र सभा, धारा—45 के अधीन अपने क्षेत्र के लिए

करती है।

;3द्ध हर वार्ड सभा बैठक प्रत्येक दो महीनों में एक बार होगी और बैठक के कारोबार का संचालन ऐसी प्रक्रिया के अनुसार होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा नियमों में विहित किया जाय।

40. क्षेत्रों का निर्धारण

एक लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका के मामले में राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्धारित करेगी–

(क) क्षेत्र (एरिया) जिसमें प्रत्येक वार्ड विभाजित किया जायेगा, तथा

(ख) यथा संभव दो या दो से अधिक किंतु पॉच से अनधिक समीपवर्ती मतदान केन्द्र वाले क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र में रखा जा सकेगा।

41. क्षेत्र सभा प्रतिनिधि

प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र सभा प्रतिनिधि होगा जो परिषद द्वारा नामित किया जायेगा।

42. क्षेत्र सभा प्रतिनिधि होने के अर्हताएं

क्षेत्र में पंजीकृत कोई भी मतदाता क्षेत्र सभा प्रतिनिधि के रूप में विचार हेतु परिषद के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, यदि वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन राज्य विधान सभा अथवा इस अधिनियम के अधीन पार्षद निर्वाचित होने के लिए अनर्ह न हो।

43. क्षेत्र सभा प्रतिनिधि का नामांकन

परिषद आवेदकों में से एक को क्षेत्र सभा प्रतिनिधि नामित करेगी और नामांकन की रीति वही होगी, जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय।

44. क्षेत्र सभा प्रतिनिधि की पदावधि

क्षेत्र सभा प्रतिनिधि अपने पद को परिषद के कार्यकाल के समंतक धारण करेगा।

45. क्षेत्र (एरिया) सभा

;1द्ध क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर धारा–40 के अधीन नियत प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र (एरिया) सभा गठित की जायेगी।

;2द्ध क्षेत्र (एरिया) सभा निम्न कृत्यों का सम्पादन तथा कर्तव्यों का निवर्हन करेगी, अर्थात्–

(क) राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा नियत मापदण्ड के आधार पर लाभार्थी–परक योजनाओं के लिए क्षेत्र के भीतर योग्य व्यक्तियों की पहचान करना,

(ख) राज्य/केन्द्र सरकारों से कल्याणकारी सहायता यथा पेंशन एवं सब्सिडी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की योग्यता सत्यापित करना;

(ग) क्षेत्र के भीतर मार्ग प्रकाश, सार्वजनिक जलकल, सामुदायिक/सार्वजनिक सफाई इकाई तथा अन्य सार्वजनिक सुख–सुविधाओं हेतु स्थल सुझाना,

(घ) क्षेत्र के भीतर जलापूर्ति एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्थाओं में कमियों की पहचान करना और सुधार के साधन सुझाना,

(ङ) शहरी सार्वजनिक स्वास्थ्य, विशेषकर रोगों की रोकथाम, परिवार कल्याण केन्द्रों की गतिविधियों में सहायता करना और महामारी तथा प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं को तुरन्त सूचित करना;

(च) लोकहित के मामले यथा साफ–सफाई, पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण की रोकथाम के मामलों पर जागरूक करना,

(छ) क्षेत्र में लोगों के विभिन्न समूहों के बीच सौहार्द एवं एकता प्रोन्नत करना,

(ज) क्षेत्र के लोगों की प्रतिभा को उजागर करने हेतु सांस्कृतिक पर्व, खेलकूद समारोह आदि आयोजित करना, और

(झ) ऐसे अन्य कृत्य एवं कर्तव्य जो नगरपालिका द्वारा समय–समय पर क्षेत्र (एरिया) सभा को सौंपे जाय।

;3द्ध प्रत्येक क्षेत्र सभा की दो महीने में एक बार बैठक होगी और बैठक में कार्य संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा नियमों में राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय।

अन्य समितियाँ

46. विषय समिति ;1द्ध नगर निगम अथवा 'ए' श्रेणी की नगर परिषद द्वारा समय–समय पर निर्वाचित पार्षदों को

मिलाकर निम्नलिखित मामलों पर विचार करने के लिए विषय समितियों का गठन किया जा सकेगा, अर्थात्–

(क) जलापूर्ति,
(ख) जल निकास तथा जल–मल निकास,
(ग) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन,
(घ) नगरीय पर्यावरण प्रबन्धन एवं भूमि उपयोग पर नियंत्रण,
(ड.) गरीबी तथा मलिन बस्ती संबंधी सेवाएं,
(च) शिक्षा एवं स्वास्थ्य, तथा
(छ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओ एवं बच्चों का कल्याण।

;2द्ध प्रत्येक विषय समिति में शामिल होंगे–
(क) नगर निगम की विषय समिति की दशा में सात सदस्य, और
(ख) 'ए' श्रेणी की नगर परिषद की विषय समिति की दशा में पॉच सदस्य।

;3द्ध विषय समिति के गठन एवं कार्य संचालन की रीति ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाय।

;4द्ध विषय समिति का कार्यकाल दो वर्ष होगा।

;5द्ध विषय समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन उसके सदस्यों द्वारा अपने में से विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से किया जायेगाः

परन्तु यह कि कोई सदस्य दो बार से अधिक अध्यक्ष निर्वाचित किए जाने का पात्र नहीं होगा।

;6द्ध प्रत्येक विषय समिति विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग एवं कृत्यों का निर्वहन करेगी।

;7द्ध विषय समिति की संस्तुतियॉ स्थायी समिति को उसके विचारार्थ सौंपी जायेंगी।

47. तदर्थ समिति

;1द्ध नगर निगम या नगरपालिका परिषद की स्थायी समिति, समय–समय पर, ऐसे कृत्यों के निर्वहन

या ऐसी जॉच या ऐसा अध्ययन जिसमें उस पर प्रतिवेदन देना शामिल हो, संपादित करने, जैसा कि इस पक्ष में पारित संकल्प में विनिर्दिष्ट किया जाय, हेतु एक तदर्थ समिति की नियुक्ति कर सकती है।

;2द्ध कोई व्यक्ति, जो सदस्य नहीं है, किन्तु तदर्थ समिति के प्रयोजन के लिए विशेष योग्यताएं रखता हो, सदस्य के रूप में उसे संबद्ध किया जा सकेगा।

;3द्ध तदर्थ समिति के कार्यो के संचालन की रीति ऐसी होगी जैसा स्थायी समिति द्वारा निर्धारित किया जाय।

48. संयुक्त समिति

;1द्ध राज्य सरकार, यदि ऐसा करना आवश्यक समझे, एक से अधिक नगरपालिकाओं अथवा एक या अधिक नगरपालिकाओं सहित स्थानीय प्राधिकार या स्थानीय प्राधिकारों का ऐसे किसी उद्देश्य के लिए जिसमें वे संयुक्त हित रखते हों या ऐसी शक्ति या कृत्य के प्रतिनिधायन जिसमें संयुक्त कार्यवाही आवश्यक हो, एक संयुक्त समिति का गठन कर सकेगी।

;2द्ध संयुक्त समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे—

(क) प्रत्येक संघटक नगरपालिका एवं स्थानीय प्राधिकार से दो निर्वाचित सदस्य;

(ख) राज्य सरकार के संबंधित विभागों एवं राज्य सरकार के अधीन संबंधित सांविधिक प्राधिकारों में से प्रत्येक से एक नामित सदस्य;

(ग) राज्य सरकार द्वारा एक या एक से अधिक नामित विशेषज्ञ; और

(घ) नगरीय प्रशासन का निदेशक अथवा उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त समिति के संयोजक के रूप में कार्य करेगा।

;3द्ध संयुक्त समिति द्वारा कार्य संपादन एवं प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा विहित किया जाय।

49\. क्षेत्रीय (जोनल) समिति

;1द्ध सरकार, अधिसूचना द्वारा, नगर निगम के अन्तर्गत, ऐसी संख्या में वार्डो के क्षेत्रों को शामिल करके ऐसी संख्या में, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, जोनल समितियॉ गठित करेगी तथा प्रत्येक जोनल समिति में पॉच से अन्यून आपस में सटे वार्ड शामिल होंगे। जोनल समिति की शक्तियाँ एवं कृत्य ऐसे होंगे, जैसा सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

;2द्ध प्रत्येक जोनल समिति में, जोनल समिति में शामिल वार्डो के समस्त निर्वाचित पार्षद शामिल होंगे।

;3द्ध प्रत्येक जोनल समिति का उसके क्षेत्र की सीमाओं के अन्दर अवस्थित एक पृथक कार्यालय होगा।

;4द्ध प्रत्येक जोनल समिति के कार्यालय के कर्मचारी, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत मानकों के अनुसार होंगे।

;5द्ध जोनल समिति, इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल नगर निगम के समंतक होगा।

;6द्ध जोनल समिति, सामान्य रूप से महापौर के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में रहते हुए, जोन की स्थानीय सीमाओं के भीतर नगर निगम के जलापूर्ति का उपबंध, जलमल निकास एवं जल निकास, वर्षा या अन्य कारणों से सड़कों या सार्वजनिक स्थलों पर या अन्य कारणों से जमा हुए जल को हटाना, ठोस अपशिष्ट को एकत्र करना व हटाना, विसंक्रमण स्वास्थ्य, प्रतिरक्षण सेवायें एवं बस्ती सेवाओं का उपबंध, प्रकाश व्यवस्था, छोटी सड़कों की मरम्मत, पार्को, नालियों एवं गड्ढों का रखरखाव तथा नगर निगम के अन्य कृत्य जैसा नगर निगम समय–समय पर विनियमों द्वारा नियत करे, निर्वहन करेगी।

;7द्ध नगर निगम के पदाधिकारी एवं कर्मचारी जो उपरोक्त कार्यों के निर्वहन के लिए किसी जोन को सौपे गए हों, ऐसे आदेशों का, जो इस निमित्त जोनल समिति द्वारा समय–समय पर जारी किये जॉय, पालन करेंगे।

;8द्ध नगर आयुक्त द्वारा नामित एक अधिकारी जोनल समिति के संयोजक के रूप में कार्य करेगा।

;9द्ध जोनल समिति उपधारा (6) में उल्लिखित सेवाओं के अनुरक्षण पर नगर निगम द्वारा बजट में आंवटित धनराशि का व्यय करेगी।

;10द्ध जोनल समिति तीन महीनों में कम से कम एक बार या बार–बार जैसा इसके कार्य निष्पादन हेतु आवश्यक हो, बैठक करेगी।

50. नगर पालिका परिषदों का राज्य चैम्बर

;1द्ध राज्य की समस्त नगरपालिकाएं **राज्य सरकार के अनुमोदन प्राप्त कर** अपना एक संघ बना सकती हैं जिसे ''स्टेट चैम्बर ऑफ म्यूनिसिपल कौंसिल्स'' (राज्य की नगरपालिकाओं का सदन) कहा जाएगा।

;2द्ध उपधारा (1) के अधीन गठित चैम्बर के कृत्य **नगरीय प्रशासन में सुधार हेतु सरकार एवं** नगरपालिकाओं को सलाह देना, एवं ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किये जाएँ, होंगे।

51. स्टेट चैम्बर ऑफ म्यूनिसिपल कौंसिल्स'' के विनियम

निम्नलिखित मामले राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन विनियमित किए जा सकेंगे–

(क) चैम्बर का संविधान, उद्देश्य एवं अभीष्ट,
(ख) चैम्बर के वित्त का प्रबंधन एवं नियंत्रण, तथा
(ग) ऐसे **सभी** अन्य मामले जो **राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाये।**

अध्याय-6
जन साधारण को सूचना का प्रकटीकरण

52. प्रकटीकरण के सम्बन्ध में नगर पालिका

;1द्ध प्रत्येक नगरपालिका,–

(क) अपने समस्त अभिलेखों को ऐसे तरीके व प्रारूप में वर्गीकृत एवं सूचीबद्व करके, जो इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका प्राधिकारी को वांछित

की बाध्यता

सूचना को नियमित अन्तराल पर जनता को प्रकट करने की सुविधा प्रदान करे, अनुरक्षित करेगी;

(ख) सुनिश्चित करेगी कि सभी अभिलेख, युक्तियुक्त समय में जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि से दो माह से अनधिक हो, संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत हो जाए और नेटवक्र से जुड़ जाये, जिससे ऐसे अभिलेख तक पहुंच की सुविधा उपलब्ध हो सके।

;2द्ध नगरपालिका निम्नलिखित सूचना प्रकट करेगी, जैसे—

(क) नगरपालिका के विवरण;

(ख) नगर परिषद, समितियॉ और अन्य निकाय, जिन्हें किसी भी नाम से जाना जाये, जो नगरपालिका की शक्तियों का प्रयोग, और कार्यों का सम्पादन या उसको सलाह देने के उद्‌देश्य से गठित की गई हों, के गठन को दिखाते हुए कथन;

(ग) नगर परिषद, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं या नहीं का कथन;

(घ) नगर परिषद, समितियों और अन्य निकायों की बैठकों के कार्यवृत्त;

(ङ) अपने पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की निदेशिका;

(च) नगरपालिका के किसी क्रियाकलाप के लिए छूट, परमिट का प्राधिकार मंजूर करने वाले पदाधिकारियों का विवरण;

(छ) त्रैमासिक आधार पर, नकदी प्रवाह, सांविधिक संपरीक्षित तुलन पत्र, वित्तीय—विवरण, आय और व्यय, प्राप्ति और भुगतान, प्रत्येक त्रैमासिक की समाप्ति के दो माह के भीतर; और पूरे वित्तीय वर्ष के लिए, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दो माह के अन्दर;

(ज) नगरपालिका द्वारा प्रदत्त प्रत्येक सेवा और प्रत्येक सेवा का स्तर दिखाते हुए कथन;

(झ) प्रत्येक वार्ड के लिए प्रावधानों यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, नगरपालिका का वार्षिक बजट;

(ञ) सभी योजनाओं का विवरण; और वर्ष के दौरान प्रमुख सेवाओं और क्रिया–कलापों पर प्रस्तावित व्यय के साथ प्रमुख सेवाओं और क्रिया–कलापों पर वास्तविक व्यय;

(ट) प्रमुख सेवाओं और क्रिया–कलापों में आवंटित धनराशि को शामिल करते हुए सब्सिडी कार्यक्रमों का विवरण; और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के चयन का आधार;

(ठ) नगर पालिका के विकास से संबंधित महानगर योजना, शहरी विकास योजना, या कोई अन्य योजना का विवरण;

(ड) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रमुख कार्यो का विवरण, जिसमें लागत, आरम्भ एवं पूर्ण होने का समय और कार्यदायी संस्था का विवरण शामिल हो;

(ढ) पूर्व वर्ष में निम्न प्रकार से हुई आय का विवरण–

(i) करों, ड्यूटी, उपकर, अधिभार, सम्पत्तियो से किराया, अनुज्ञप्तियों और अनुमतियों से शुल्क,

(ii) राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित करों का नगरपालिका को हस्तांतरित अंश,

(iii) राज्य / केन्द्र सरकारों या अन्य अभिकरणों द्वारा कार्यक्रमों, परियोजनाओं और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दिये गये अनुदान और उपयोगिता की प्रकृति एवं सीमा,

(iv) लोक या गैर सरकारी अभिकरणों से अंशदान या दान द्वारा उद्ग्रहीत धनराशि और उसकी उपयोगिता की प्रकृति एवं सीमा;

(ण) वसूल न किये गये करों, महसूलों, उपकरों और अधिभार, सम्पत्तियों से किराया, अनुज्ञप्तियों और अनुमतियों से शुल्क का विवरण और वसूल न होने के

कारण;

(त) ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये।

53. जन–प्रकटीकरण के सम्बन्ध में वार्ड समिति की बाध्यता

;1द्ध वार्ड समिति अपने वित्तीय लेन–देन का त्रैमासिक प्रतिवेदन तैयार करेगी।

;2द्ध वार्ड समिति का प्रतिवेदन लोक संवीक्षा के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।

54. प्रकटीकरण का तरीका

;1द्ध प्रकटीकरण के तरीके में शामिल होंगे –

(क) क्षेत्रीय, हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में समाचार–पत्र,

(ख) इन्टरनेट और वेबसाइट,

(ग) नगरपालिका, जोनल और वार्ड कार्यालयों के सूचना पट्ट,

(घ) स्थानीय प्रसार भारती, स्थानीय केबल और अन्य टी0वी0 चैनल या किसी अन्य ढंग से, जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय, प्रसारण।

;2द्ध सूचना उस भाषा में प्रकट की जायेगी जिसमें वह नगरपालिका के पास उपलब्ध हो।

अध्याय-7
नगरपालिका का संगठनात्मक ढांचा
नगरपालिका के सांविधिक पदाधिकारी

55. नगर पालिका के पदाधिकारी

;1द्ध धारा–60 के उपबंधों के अध्यधीन तथा जैसा राज्य सरकार विहित करे, नगरपालिका में पदाधिकारियों के निम्नलिखित पद होंगे–

(क) नगर निगम के मामले में,–

(i) नगर आयुक्त, भारतीय प्रशासनिक सेवा या झारखंड प्रशासनिक सेवा का एक अधिकारी,

(ii) मुख्य वित्त पदाधिकारी/मुख्य लेखा पदाधिकारी, महालेखाकार या सरकार के

वित्त या लेखा विभाग का वरिष्ठ पदाधिकारी,

(iii) नगर पालिका आंतरिक संपरीक्षक (अंकेक्षक),

(iv) मुख्य नगर अभियंता,

(v) **मुख्य नगर निवेशक एवं नगर वास्तुविद।**

(vi) मुख्य नगर स्वास्थ्य पदाधिकारी,

(vii) मुख्य पर्यावरणीय– अभियंता (ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए),

(viii) मुख्य सूचना एवं प्रौद्योगिकी पदाधिकारी,

(ix) नगर विधि पदाधिकारी,

(x) नगर पालिका सचिव,

(xi) ऐसी संख्या में अपर नगर आयुक्त,

(xii) ऐसी संख्या में उप/सहायक नगर आयुक्त, और

(xiii) ऐसे अन्य पदाधिकारी जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय;

(ख) नगर परिषद अथवा नगर पंचायत के मामले में,–

(i) कार्यपालक पदाधिकारी,

(ii) नगर वित्त पदाधिकारी/नगर लेखा पदाधिकारी,

(iii) नगर अभियंता,

(iv) नगर स्वास्थ्य पदाधिकारी,

(v) पर्यावरणीय अभियंता (ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए),

(vi) सूचना एवं प्रौद्योगिकी पदाधिकारी,

(vii) नगर पालिका सचिव, और

(viii) ऐसे अन्य पदाधिकारी जैसा राज्य सरकार विहित करेः

परन्तु यह कि राज्य सरकार पूर्वोक्त पदाधिकारियों के पदों की संख्या कम या अधिक कर सकेगी।

;2द्ध उपधारा (1) में उल्लिखित पदाधिकारियों की नियुक्ति या तो नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर ऐसी अवधि के लिए की जायेगी, जैसा राज्य सरकार विहित करे।

;3द्ध एक से अधिक नगरपालिकाओं की स्थायी समितियों के अनुरोध पर राज्य सरकार, आदेश द्वारा ऐसी शर्त एवं बंधेज पर, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसी नगरपालिकाओं द्वारा उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट पदाधिकारियों की सेवा

में हिस्सेदारी का उपबंध कर सकेगी।

;4द्ध उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन, उपधारा (1) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों की नियुक्ति निम्नवत् की जायेगी—

(क) राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से की जायेगी, जो सरकार की सेवा में हों, या रहे हों:

परन्तु यह कि पूर्वोक्त पदों पर नियुक्ति ऐसी शर्त एवं बंधेज पर और प्रथमतः पाँच वर्षों से अनधिक अवधि के लिए की जायेगी, जैसा कि राज्य सरकार अवधारित करे:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार स्थायी समिति के परामर्श से नियुक्ति की अवधि समय—समय पर बढ़ा सकेगी;

(ख) साठ वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति नगरपालिका में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह कि यह उपबंध संविदा के आधार पर किए जाने वाली नियुक्तियों पर लागू नहीं होगा।

;5द्ध जब तक धारा—62 की उपधारा (1) के अधीन राज्य की सामान्य नगरपालिका सेवा के संवर्ग गठित न किये जायें, स्थायी समिति यह अवधारित कर सकेगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों के कौन से पद नगर निगम या नगर परिषद अथवा नगर पंचायत के लिए आवश्यक हैं, और ऐसे पदाधिकारियों के पदों के सृजन और नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा कर सकेगी।

;6द्ध राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों के भर्ती का ढंग और इसके लिए अपेक्षित अर्हता तथा उनके आचरण, एवं अनुशासन सहित सेवा की शर्ते एवं बंधेज ऐसी होगी, जैसा कि विहित किया जाय।

;7द्ध उपधारा (1) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों को नियतकालिक प्रशिक्षण दिया जायेगा।

;8द्ध इस धारा के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति किसी समय समाप्त कर सकेगीः

परन्तु यह कि ऐसे किसी पदाधिकारी के मामले में यदि **वोर्ड** ऐसा विनिश्चय करे, तो राज्य सरकार **से** ऐसे पदाधिकारी **को हटाने हेतु अनुशंसा कर सकेगी।**

;9द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी परिषद और समितियों के संकल्पों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा, और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्य संपादित करेगा जैसा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियमों में उपबंधित हो।

;10द्ध उपधारा (2) अथवा उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन समिति यथास्थिति की अनुशंसा के बिना किसी व्यक्ति की नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

नगरपालिका स्थापना एवं पदों की सूची

56. नगर पालिका स्थापना एवं पदों की सूची

;1द्ध धारा–55 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट पदों से भिन्न नगरपालिका के पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के पदों से नगरपालिका स्थापना संस्थित होगी।

;2द्ध उपधारा (1) में उल्लिखित पदाधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के पद राज्य सरकार द्वारा यथाविहित विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किए जायेंगे।

;3द्ध राज्य सरकार, परिषद की अनुशंसा पर, नगर पालिका के पदाधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के पदों को स्वीकृत करेगी।

;4द्ध नगरपालिका अपने अधिष्ठान के पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के पदों की सूची, जो स्थापना सूची कहलायेगी, तैयार कर इसका अनुरक्षण करेगी, तथा ऐसी स्थापना सूची में पदनाम और प्रत्येक वर्ग के अधीन पदों की संख्या सम्मिलित होगी।

;5द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, प्रत्येक वर्ष स्थापना सूची, ऐसे परिवर्तनों के प्रस्ताव सहित जैसा वह आवश्यक समझे, स्थायी समिति के विचारार्थ उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा।

;6द्ध स्थायी समिति, परिवर्तन हेतु प्रस्ताव यदि कोई हो, सहित स्थापना सूची पर विचारोपरान्त इसे अपनी अनुशंसा के साथ, बजट प्राक्कलन पेश किये जाने के पूर्व परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।

;7द्ध परिषद द्वारा अनुमोदित होने पर स्थापना सूची पदों की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

;8द्ध स्थायी समिति सेवा की आकस्मिकता की दशा में कोई पद, जो स्थापना सूची में शामिल न हो, छः माह से अनधिक अवधि के लिए स्वीकृत कर सकेगी।

;9द्ध नगरपालिका के पदाधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति यथास्थिति लोक सेवा आयोग अथवा कर्मचारी चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

;10द्ध नगरपालिका के पदाधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को समय–समय पर प्रशिक्षण दिलाया जायेगा।

;11द्ध इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, स्थायी समिति नगरपालिका के उपधारा

(1) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के पदों के विरूद्ध संविदा के आधार पर पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को काम पर लगाने का विनिश्चय कर सकेगी।

;12द्ध इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, और उसके लिए बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार नगरपालिका के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी को दूसरे नगरपालिका में स्थानान्तरित करने की शक्ति रखेगी।

57. नियुक्ति प्राधिकारी

इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, नगरपालिका स्थापना के पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के पदों का नियुक्ति प्राधिकारी ऐसा होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय।

58. पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते

;1द्ध धारा—55 में निर्दिष्ट पदाधिकारियों समेत नगरपालिका के सभी पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी नगरपालिका निधि से वेतन एवं भत्ते प्राप्त करेंगे।

;2द्ध नगरपालिका अपने पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के लिए पेंशन, उपादान, भविष्य निधि, उत्प्रेरण,लाभांश, इनाम या शास्ति राज्य सरकार द्वारा यथाविहित नियमों, मानकों, पैमानों एवं शर्तों के अनुसार उपबंधित कर सकेगी।

59. छुट्टी तथा सेवा की अन्य शर्तें

नगरपालिका के सभी पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी छुट्टी तथा अन्य लाभ अथवा बाध्यता सहित ऐसी सेवा शर्तों, जो इस अधिनियम में विशेष रूप से उपबंधित न हो, के अध्यधीन होंगे, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय।

60. नगर पालिकाओं के लिए राज्य सरकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति

इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार ऐसी अर्हता वाले, जैसा कि इसके द्वारा अवधारित किया जाय, किसी पदाधिकारी की नियुक्ति नगर परिषद या नगर पंचायत हेतु धारा—55 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यपालक पदाधिकारी, नगरपालिका वित्त पदाधिकारी, नगर अभियंता अथवा नगर स्वास्थ्य पदाधिकारी के रूप में अथवा ऐसे पदनाम के साथ जैसा कि राज्य सरकार आवश्यक समझे,

ऐसी रीति से तथा सेवा की ऐसी शर्त्त एवं बंधेज के आधार पर नियुक्ति कर सकेगी, जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त अवधारित करे। ऐसे किसी पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ता मद में व्यय का वहन नगर पालिका निधि द्वारा किया जायेगाः

परन्तु यह कि इस प्रकार नियुक्त पदाधिकारी राज्य सरकार द्वारा स्वप्रेरणा से या यदि इस प्रयोजनार्थ आहूत बैठक में तत्समय पद धारण करनेवाले पार्षदों की कुल संख्या के दो तिहाई बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित हो, वापस लिया जा सकेगा।

नगरपालिका स्थापना अंकेक्षण (संपरीक्षण) आयोग

61. नगरपालिका स्थापना अंकेक्षण आयोग

;1द्ध राज्य सरकार, नगरपालिकाओं के स्थापना की समीक्षा करने के लिए, दस वर्षों में एक बार, नगरपालिका स्थापना अंकेक्षण आयोग का गठन कर सकेगी।

;2द्ध आयोग में शामिल होंगे—

(क) एक अध्यक्ष, जो राज्य सरकार के सचिव से अनिम्न कोटि का भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो या कार्मिक प्रबन्धन में पन्द्रह वर्ष से अन्यून अनुभव रखनेवाला विशेषज्ञ हो,
(ख) राज्य सरकार में मुख्य अभियन्ता की कोटि का एक अभियंता, जो कार्यरत हो या सेवामुक्त हो,
(ग) पन्द्रह वर्ष के अनुभव वाला चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या वित्तीय प्रबन्धन में पन्द्रह वर्ष से अन्यून अनुभव रखने वाला व्यक्ति,
(घ) उप नगर आयुक्त से अनिम्न कोटि का एक पदाधिकारी या नगरीय प्रशासन में पन्द्रह वर्ष से अन्यून अनुभव रखने वाला समान स्तर का पदाधिकारी, और
(ड.) लोक प्रशासन में पन्द्रह वर्ष से अन्यून अनुभव रखने वाला एक अन्य व्यक्ति।

;3द्ध आयोग, नगरपालिकाओं के विभिन्न स्तरों पर भिन्न—भिन्न कार्य करने के लिए मानव संसाधन

का मानक एवं स्तर तय करने के लिए आवश्यक अध्ययन कर सकेगा।

;4द्ध राज्य सरकार, नियम द्वारा, नगर पालिका स्थापना अंकेक्षण आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्तों और सेवा की दशाएं उपबंधित कर सकेगी।

नगरपालिका सेवा संवर्ग

62. सामान्य नगरपालिका सेवा संवर्ग, नियुक्ति आदि

;1द्ध राज्य सरकार, धारा–56 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट नगरपालिका के पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के लिए सामान्य नगरपालिका संवर्गों, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय, का गठन करेगी।

;2द्ध नगरीय प्रशासन का निदेशक सामान्य नगरपालिका सेवा संवर्ग के सभी पदाधिकारियों का नियुक्ति प्राधिकारी होगा तथा उसे ऐसे पदाधिकारियों या कर्मचारियों को एक नगरपालिका से दूसरे नगरपालिका में स्थानान्तरण करने का अधिकार होगा।

नगरपालिका लोकपाल

63. नगर पालिका लोकपाल की नियुक्ति और कार्यकाल

;1द्ध धारा–64 में उपबंधित कृत्यों के निष्पादन हेतु, राज्य सरकार, नगरपालिका लोकपाल नाम से ज्ञात एक या अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति, सरकार द्वारा इस उद्देश्य से गठित तीन सदस्यों की चयन समिति की अनुशंसा पर कर सकेगी। **अथवा राज्य सरकार यदि आवश्यक समक्षे तो इन कृत्यों को राज्य लोकायुक्त को सौप सकेगी।**

;2द्ध उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट चयन समिति में शामिल होंगे–

(क) राज्य सरकार का मुख्य सचिव,

(ख) राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित राज्य लोक सेवा आयोग का एक सदस्य,

(ग) लोक प्रशासन में बीस वर्ष से अन्यून अनुभव वाला ख्यातिलब्ध एक व्यक्ति।

;3द्ध नगर पालिका लोकपाल की नियुक्ति के लिए

किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु पचपन वर्ष होगी।

;4द्ध नगर पालिका लोकपाल की नियुक्ति तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए की जायेगीः

परन्तु यह कि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट चयन समिति की अनुशंसा के अधीन, नगर पालिका लोकपाल की पदावधि पैंसठ वर्ष की आयु सीमा के अध्यधीन रहते हुए दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ायी जा सकेगी।

;5द्ध राज्य सरकार समाधान हो जाने पर, लोकहित में या अक्षमता के कारण जब ऐसा करना आवश्यक हो, कारणों को अभिलिखित करते हुए और तीन माह की सूचना देकर या उपर्युक्त सूचना के स्थान पर तीन माह का एकमुश्त पारिश्रमिक देकर, पद से हटा सकेगी।

64. नगर पालिका लोकपाल की शक्तियां और कृत्य

नगर पालिका लोकपाल के निम्नलिखित कार्य और शक्तियां होंगी—

(i) किसी भी व्यक्ति द्वारा नगरपालिका की सेवाओं से सम्बन्धित शिकायतों को प्राप्त करना,

(ii) उपर्युक्त शिकायतों पर विचार करना, और नगरपालिका तथा व्यथित पक्षकार के बीच समझौता या सुलह द्वारा इस निमित्त अधिनिर्णय पारित करके संतोषप्रद ढंग से निपटारा सुसाध्य करना,

(iii) पदाधिकारियों, महापौर, उपमहापौर, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और पार्षदों के पदीय भ्रष्टाचार की शिकायतों की जॉच पड़ताल करना, और

(iv) नगरपालिकाओं के मध्य या नगरपालिका और उसकी जनता के मध्य उपजे विवादों का मध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या 25, वर्ष 1996) के उपबन्धों के अनुसार मध्यस्थम द्वारा, विरोधी दलों के बीच सम्मत समाधान करना।

65\. क्षेत्रीय अधिकारिता

;1द्ध राज्य सरकार नगर पालिका लोकपाल के प्राधिकार की क्षेत्रीय सीमा के विस्तार को विनिश्चित करेगी।

;2द्ध (क) नगर पालिका लोकपाल का कार्यालय ऐसे स्थान पर अवस्थित होगा जैसा राज्य सरकार विहित करे,

(ख) नगर पालिका लोकपाल, शिकायतों का शीघ्र निस्तारण या मध्यस्थम कार्यवाही का संचालन करने हेतु, अपने क्षेत्राधिकार की सीमा में, जैसा वह आवश्यक समझे, किसी स्थान में बैठक कर सकेगा।

66\. अर्हतायें, पारिश्रमिक, और कार्यालय

;1द्ध नगर पालिका लोकपाल ख्यातिलब्ध व्यक्ति होगा और लोक सेवाओं या लोक प्रशासन या नगरपालिका प्रशासन या प्रबन्धन का अनुभव युक्त होगा, और यदि ऐसा व्यक्ति लोकसेवक हो, वह राज्य सरकार में सचिव की कोटि से अन्यून या राज्य में क्षेत्राधिकार रखने वाला जिला न्यायाधीश होगा।

;2द्ध नगर पालिका लोकपाल को देय पारिश्रमिक और अन्य सुविधाएं वैसी होगी जैसा राज्य सरकार समय—समय पर विहित करे।

;3द्ध नगर पालिका लोकपाल को आवश्यक पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से पूरित एक कार्यालय उपलब्ध कराया जायेगा।

;4द्ध नगर पालिका लोकपाल अपने कार्यालय पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण की सामान्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसके कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी होगा।

;5द्ध नगर पालिका लोकपाल, राज्य सरकार के परामर्श से अपने कार्यालय के लिए वार्षिक बजट तैयार करेगा और बजट में उपबंधित आवंटन से अपने कार्यालय हेतु खर्च करने की शक्ति रखेगा।

67\. समीक्षा

नगरपालिका लोकपाल के आदेश/निर्णय से

	प्राधिकार	**व्यथित पक्षकार उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा।**
68.	प्रचार	राज्य सरकार और नगरपालिका जनता की सूचना के लिए इस अधिनियम के अधीन नगर पालिका लोकपाल की नियुक्ति का पर्याप्त प्रचार प्रसार करेगी।
69.	नियमों को बनाने की शक्ति	राज्य सरकार, नगर पालिका लोकपाल के परामर्श से निम्नलिखित विषयों पर नियम बना सकती है—

(i) शिकायतों/व्यथाओं को दाखिल करने का आधार एवं प्रक्रिया,

(ii) व्यथाओं को दूर करने की प्रक्रिया,

(iii) शिकायतों का समझौतों द्वारा निपटारा,

(iv) नगर पालिका लोकपाल द्वारा अधिनिर्णय,

(v) शिकायतों को नामंजूर करना,

(vi) समीक्षा प्राधिकार के सम्मुख कार्यवाही,

(vii) मध्यस्थ के रूप में नगर पालिका लोकपाल की शक्तियों और कार्य की प्रक्रिया, तथा अधिनिर्णय की अधिसूचना एवं लागू करना, तथा

(viii) कोई अन्य विषय जो नियमों द्वारा उपबंधित करना अपेक्षित हो।

अध्याय—8
नगर पालिकाओं का कार्यक्षेत्र

70. नगर पालिका के कृत्य — ;1द्ध प्रत्येक नगरपालिका स्वयं या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से निम्नलिखित कार्यो और सेवाओं को उपलब्ध कराने का प्रबंध करेगी—

(क) मुख्य कार्य—

(i) नगरीय योजना जिसके अन्तर्गत नगर योजना भी है,

(ii) भूमि उपयोग का विनियमन, जिसमें सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण से बचाना भी है, और भवन निर्माण विनियमन,

(iii) आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाना,

(iv) पैदल पथ को सम्मिलित करते हुए सड़कें, और पैदल यात्रियों के लिए सड़क पार करने की सुविधाएं एवं पुल,

(v) घरेलू, औद्योगिक एव वाणिज्यिक उपयोग के लिए जल आपूर्ति,

(vi) सार्वजनिक स्वास्थ्य, वर्षा जल नाली सहित स्वच्छता, सफाई व्यवस्था तथा ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबन्धन,

(vii) अग्निशमन सेवाएं,

(viii) नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि तथा पर्यावरणीय स्वास्थ्य का अनुरक्षण,

(ix) समाज के दुर्बल वर्गो, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, के हितों की रक्षा,

(x) मलिन बस्ती सुधार और प्रोन्नयन, जिसमें मूलभूत सुविधाओं का उपबन्ध शामिल है,

(xi) नगरीय निर्धनता उन्मूलन,

(xii) नगरीय सुख–सुविधाओं और अन्य सुविधाओं जैसे पार्क, बागीचा, खेल के मैदान, सार्वजनिक बाजार, नहाने व धोने के घाट, यात्रियों के लिए प्रतीक्षा शेड का प्रावधान और अनुरक्षण,

(xiii) सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौन्दर्यपरक आयामों का प्रोन्नयन,

(xiv) शव गाड़ने एवं जलाने के स्थलों, कब्रिस्तान, श्मशान और विद्युत शवदाहगृह की स्थापना एवं अनुरक्षण,

(xv) कांजीहाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण,

(xvi) जन्म–मरण सांख्यिकी, जिसके अन्तर्गत जन्म, मृत्यु एवं विवाहों का पंजीकरण भी है, का संग्रहण एवं अद्यतन,

(xvii) जन सुविधाओं, जिसके अन्तर्गत मार्ग प्रकाश, वाहनों के लिए पार्किंग स्थल,

बस अड्डा तथा सार्वजनिक स्थल पर शौचालय जैसी जन सुविधा की व्यवस्था और अनुरक्षण,

(xviii) बूचड़खाना एवं टैनरी तथा मांस, मछली और अन्य नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों आदि के विक्रय का विनियमन;

(ख) सामान्य कार्य—

(i) स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को संगठित करना और समस्त विकास कार्यो में सामुदायिक सहभागिता की अभिवृद्धि,

(ii) बचत के लिए अभियान चलाना,

(iii) सामाजिक बुराइयों यथा शराबखोरी, मादक पदार्थो का उपयोग, दहेज तथा महिलाओं एवं बच्चों से दुर्व्यवहार के विरूद्व जागरूकता पैदा करना,

(iv) दुर्बल वर्गो में कानूनी जागरूकता अभियान चलाना; वित्तीय अपराधों के विरूद्व अभियान, नागरिक कर्तव्यों का पालन तथा सामुदायिक सौहार्द की अभिवृद्धि,

(v) सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था,

(vi) प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत कार्यों का आयोजन, तथा राहत केन्द्रों जैसे अस्पताल, डिस्पेन्सरी, आश्रयगृह, बचाव घर, मातृत्व गृह तथा बाल कल्याण केन्द्रों आदि का अनुरक्षण,

(vii) स्थानीय संसाधनों को नकदी या वस्तु रूप में संघटित करना,

(viii) नागरिक कल्याण संघों, पड़ोसी समूहों एवं समितियों और निर्धनों पर केन्द्रित स्वयं सहायता समूहों को संगठित और अभिवृद्धि करना,

(ix) सार्वजनिक हित की सूचना का प्रकटन तथा वितरण,

(x) सार्वजनिक सम्पत्तियों का अनुरक्षण,

(xi) खतरनाक और आपत्तिजनक उद्योगों एवं व्यवसायों को अनुज्ञप्ति निर्गत करना,

(xii) घरेलू पालतू जानवरों के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना, और आवारा

कुत्तों **पर नियंत्रण**,

(xiii) जलनिकायों का संरक्षण एवं परिरक्षण,

(xiv) ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवनों का संरक्षण एवं परिरक्षण,

(xv) ऊर्जा संरक्षण की अभिवृद्धि तथा जलवायु परिवर्तन पर जागरूकता पैदा करना,

(xvi) नगरपालिका के कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी तथा ई–गवर्नेन्स के प्रयोग बढ़ाना;

(ग) क्षेत्रवार (सेक्टर) कृत्य–

(i) नगरीय नियोजन जिसमें नगर नियोजन शामिल है

(क) मानव वास हेतु नये क्षेत्रों का नियोजित विकास, सीमा या सीमा में किसी बदलाव को दर्शाते सीमा चिन्हों का निर्माण और अनुरक्षण,

(ख) फौव्वारे बनाकर, मनोरंजन क्षेत्रों का प्रावधान कर, नदी किनारों को सुधार कर और भू–दृश्य निर्माण कर, नगर पालिका क्षेत्र के सुन्दरीकरण के साधन,

(ग) नगर पालिका क्षेत्र की विकास योजनाओं और कार्यक्रमों को जिला या आंचलिक विकास योजना के साथ समन्वय,

(घ) नगर पालिका में भूमियों के उपयुक्त नक्शे, आंकड़े ओर अभिलेखों तथा ऐसी भूमियों की समय–समय पर किये जाने वाले उपयोगों को तैयार करना और अद्यतन रखना;

(ii) पर्यावरण तथा सामाजिक वानिकी

(क) पर्यावरणीय जागरूकता के लिए अभियान चलाना,

(ख) उसके प्रोन्नयन हेतु स्थानीय कार्य को प्रोत्साहित करना, वृक्षों को लगाना, आदि,

(ग) बेकार (ऊसर) भूमि को सुधारना, सामाजिक वानिकी की अभिवृद्धि

तथा खुले स्थानों का अनुरक्षण,

(घ) पौध–घरों की स्थापना एवं अनुरक्षण, हरियाली की अभिवृद्धि;

(iii) लघु उद्यम

(क) हस्तशिल्प की अभिवृद्धि,

(ख) औद्योगिक क्षेत्र में स्व–रोजगार योजनाओं का निरूपण एवं क्रियान्वयन,

(ग) उद्यम विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन;

(iv) आवास

(क) गृह विहीनों की पहचान, गृह स्थल एवं गृहों का उपबन्ध, आश्रय नवीनीकरण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन,

(ख) आवास हेतु आवश्यक निधि को संघटित करना;

(v) शिक्षा और संस्कृति

(क) पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च माध्यमिक और तकनीकी स्कूलों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन, और साक्षरता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन,

(ख) नागरिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सामाजिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा की अभिवृद्धि,

(ग) सांस्कृतिक गतिविधियों, जिसमें संगीत, भौतिक शिक्षा, खेलकूद और थियेटर शामिल हैं तथा इनके लिए अवस्थापना की अभिवृद्धि करना,

(घ) नगरीय जीवन में विज्ञान एवं तकनीकी को बढ़ाना,

(ङ) कलावीथिका और वानस्पतिक अथवा प्राणि विज्ञान संग्रहों को संगठित करना, स्थापना करना और अनुरक्षण करना,

(च) नगरपालिका कार्यालय और समस्त सार्वजनिक धरोहर तथा ऐतिहासिक, कलात्मक और अन्य

महत्व के स्थानों का अनुरक्षण,

(छ) प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पारितोषिक देना, विख्यात व्यक्तियों के निधन पर शोक व्यक्त करना,

(ञ) मेलों, त्यौहारों, औद्योगिक एवं स्वास्थ्य प्रदर्शनियों का आयोजन एवं विनियमन;

(vi) सार्वजनिक निर्माण

नगर पालिका के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और प्रमुख जिला मार्गों को छोड़कर सड़कों का निर्माण और अनुरक्षण, सरकार से स्थानान्तरित संस्थानों सहित संस्थानों हेतु भवनों का निर्माण एवं अनुरक्षण;

(vii) लोक स्वास्थ्य एवं सफाई

(क) औषधि के समस्त पद्धतियों में डिस्पेंसरी, प्राथमिक एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों, बालकल्याण केन्द्रों तथा मातृसुरक्षा गृहों का संचालन,

(ख) रोगों के विरूद्ध सुधारात्मक और अन्य निरोधक साधनों का आयोजन,

(ग) परिवार कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन,

(घ) संक्रामक रोगों के उन्मूलन हेतु सम्पूर्ण टीकाकरण आयोजित करना,

(ङ) अस्वास्थ्यकर मुहल्लों का सुधार, हानिकर पौधों को हटाना और समस्त कंटकों का नाश करना,

(च) समस्त सार्वजनिक तालाबों का अनुरक्षण और सभी तालाबों, कुओं तथा जलापूर्ति के अन्य स्रोतों की पुनः खुदाई, मरम्मत एवं रखरखाव का विनियमन और गैर घरेलू उपयोगों हेतु बिना छने जलापूर्ति

का उपबन्ध करना,

(छ) सार्वजनिक टीकाकरण, रोग निरोधी टीकाकरण, रोगवाहकों पर नियंत्रण,

(ज) एम्बुलेंस सेवा का अनुरक्षण,

(झ) भाषण, संगोष्ठी और सभा आयोजित करके सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामान्य स्वास्थ्य के प्रति नागरिक चेतना को बढ़ाना,

(ञ) खाद्य अपमिश्रण को रोकना और भोजनालयों का नियंत्रण,

(ट) रोगों के रोकथाम और नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय तथा राज्य योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन;

(viii) सामाजिक कल्याण

(क) आंगनबाड़ी और अक्षम, निस्सहायों आदि के कल्याण के लिए संस्थानों का संचालन,

(ख) अकिंचनों, विधवाओं, अक्षमों के लिए पेंशन स्वीकृत करना और बॉटना, बेरोजगारी भत्ता बॉटना, और गरीबों में सामूहिक बीमा का क्रियान्वयन,

(ग) सफाईकारों और उनके परिवार की मुक्ति तथा पुनर्वास के लिए कार्यक्रमों का क्रियान्वयन,

(घ) सामाजिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण सूचनाओं के वितरण हेतु अभियान,

(ङ) खतरनाक भवनों और स्थानों, सड़कों, पुलों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर या में बाधाओं एवं प्रक्षेप को हटाना या सुरक्षित करना;

(ix) गरीबी उन्मूलन

(क) कौशल विकास और गरीबों, विशेषकर महिलाओं के लिए

स्वरोजगार एवं सामूहिक रोजगार की योजनाओं का क्रियान्वयन,

(ख) गरीबों को लगातार लाभ देने वाले सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन;

(x) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का विकास

(क) स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान और ट्राइबल सब–प्लान के अधीन लाभार्थी परक योजनाओं का क्रियान्वयन, आवासीय केन्द्रों में मूलभूत सुविधाओं का उपबन्ध, और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को वित्तीय सहायता,

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु नर्सरी स्कूलों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन;

(xi) सार्वजनिक वितरण प्रणाली

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विरूद्ध शिकायतों का परीक्षण और सुधारात्मक उपायों का पता लगाना और क्रियान्वयन करना,

(ख) बॉट एवं माप से संबंधित अपराधों के विरूद्ध अभियान चलाना,

(ग) दुकानों और अन्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सामान्य पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन देना;

(xii) प्राकृतिक आपदा राहत

राहत केन्द्रों का अनुरक्षण और राहत गतिविधियों यथा अस्पतालों, डिस्पेंसरी, शरणस्थली, बचाव गृह, मातृगृह तथा बाल कल्याण केन्द्र, शवदाह कब्रिस्तान आदि का प्रबन्ध।

;2द्ध नगरपालिका, उपरोक्त कार्यो को सम्पादित करने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना की योजना, निर्माण, संचालन, अनुरक्षण, प्रबन्धन, स्वयं या निजी–सार्वजनिक सहभागिता के आधार पर या किसी अभिकरण के माध्यम से किसी छूट करार

पर, कर सकती है।

;3द्ध सरकार, नगरपालिका को उपरोक्त कार्यो में से किसी कार्य को करने के लिए निर्देशित कर सकती है, यदि ऐसा कार्य नगरपालिका द्वारा नहीं किया जा रहा है या स्थगित कर दिया गया है।

71. सरकार द्वारा सौंपे गए अतिरिक्त कार्य

;1द्ध नगरपालिका केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की वित्तीय सहमति और अनुमोदन से यथास्थिति ऐसे कार्य को हाथ में ले सकती है जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्य–क्षेत्र में आता है, और ऐसे कार्यों में प्राथमिक शिक्षा, आरोग्यकर स्वास्थ्य, नगरीय परिवहन, ऊर्जा की आपूर्ति, अग्नि से रोकथाम और बचाव तथा नगरीय गरीबी निवारण हो सकते हैं।

;2द्ध नगरपालिका राज्य सरकार के आदेशों के अध्यधीन, संबंधित समस्त या ऐसे कृत्य भी निष्पादित कर सकती है–

(i) नगर विकास जिसमें वाणिज्यिक अवस्थापना का विकास शामिल है,
(ii) सार्वजनिक कल्याण जिसमें सामुदायिक संबंध भी है, और
(iii) ऐसे अन्य कृत्य, जो सौंपे जॉय।

72. नगरपालिका निधि पर प्रथम प्रभार

नगरपालिका निधि पर प्रथम प्रभार नगरपालिका के मुख्य कार्यो का सफलतापूर्वक निर्वहन करने के पश्चात्, नगरपालिका अपने प्रबन्धकीय, तकनीकी एवं वित्तीय क्षमताओं के अध्यधीन धारा–70 में उल्लिखित सामान्य कृत्यों या सेक्टर वार कृत्यों में से किसी कार्य को निष्पादित, या निष्पादन को बढ़ाने के लिए हाथ में ले सकती है।

अध्याय–9
नगरपालिका द्वारा कार्य का संचालन

73. नगर पालिका की प्रथम बैठक

;1द्ध पार्षदों के आम चुनाव के बाद नगर पालिका की प्रथम बैठक, राज्य के नगर पालिका निर्वाचनों से संबंधित उपबंधों के अधीन निर्वाचित पार्षदों का नाम **जिला गजट** में प्रकाशित होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर, आहूत की जाएगी **और यह भी कि उक्त बैठक की तिथि संविधान के**

अनुच्छेद– 243 U (1) के प्रावधानों के तहत यथाशक्य नियत तिथि मानी जाएगी।

;2द्ध बैठक के लिए सात दिन की सूचना दी जाएगी।

;3द्ध नगर निगम के मामले में बैठक, प्रमण्डलीय आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा आहूत की जाएगी।

;4द्ध नगर परिषद या नगर पंचायत के मामले में बैठक, उपायुक्त या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा आहूत की जायेगी।

74. सामान्य बैठकें

;1द्ध नगरपालिका अपने कार्य के संचालन हेतु प्रत्येक माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

;2द्ध महापौर या अध्यक्ष, यथास्थिति, जब भी वह उपयुक्त समझे, और पार्षदों के पांचवें (1ध्5) भाग से अन्यून द्वारा लिखित रूप में अध्यपेक्षा करने पर, नगर पालिका की बैठक बुलाएगा।

75. बैठक की सूचना तथा कार्यों की सूची

नगरपालिका की प्रत्येक बैठक में, सिवाय स्थगित बैठक के, किये जानेवाले कार्यों की सूची रजिस्ट्रीकृत पते पर, ऐसी बैठक के लिए नियत समय से कम से कम बहत्तर घंटे पूर्व प्रत्येक पार्षद को भेजी जायेगी, तथा जिस कार्य की सूचना दी गई हो उससे भिन्न कोई कार्य बैठक में न तो लाया जायेगा और न निष्पादित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनार्थ ''रजिस्ट्रीकृत पता'' नगरपालिका सचिव द्वारा संधारित किये जानेवाले पार्षदों के पता रजिस्टर में तत्समय दर्ज पता होगा।

76. आपाती कार्य

महापौर या अध्यक्ष की अनुमति से कोई आपाती कार्य बैठक में लाया और निष्पादित किया जा सकेगाः

परन्तु यह कि कोई पार्षद किसी प्रस्ताव की सूचना नगरपालिका सचिव को भेज या दे सकेगा,

ताकि वह बैठक के लिए नियत समय से कम–से–कम अड़तालिस घंटे पूर्व उसे प्राप्त हो जाय, तथा नगरपालिका सचिव सभी संभव साधनों सहित, ऐसे प्रस्ताव को प्रत्येक पार्षद के बीच प्रचारित करने के लिए ऐसी रीति से कदम उठाएगा, जैसा वह उपयुक्त समझेः

परन्तु यह और कि ऐसा कोई कार्य, जो नगरपालिका के कार्य से सुसंगत न हो, नगरपालिका के समक्ष नहीं लाया जायेगा।

77. नगर पालिका की बैठक में कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति तथा प्रश्नों के विनिश्चयन की पद्धति

;1द्ध नगरपालिका की बैठक में कार्य संचालन हेतु आवश्यक कोरम निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या का पांचवां (1ध्5) भाग होगा।

;2द्ध यदि नगरपालिका की बैठक में किसी समय गणपूर्ति न हो, तो ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह बैठक को या तो स्थगित कर दे या निलंबित रखे, जब तक गणपूर्ति की पूर्ति न हो जाय।

;3द्ध जहाँ उपधारा (2) के अधीन बैठक स्थगित की गई हो तो ऐसा कार्य जो ऐसी बैठक में लाया जाता और पहले लाया गया, स्थगित बैठक में निष्पादित किया जायेगा, और ऐसी स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

;4द्ध नगरपालिका की बैठक में विनिश्चय के लिए अपेक्षित इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय सभी मामलों का अवधारण, उपस्थित एवं मतदान करनेवाले पार्षदों के बहुमत से किया जायेगा।

;5द्ध मतदान हाथ उठाकर किया जायेगा, बशर्ते कि नगरपालिका ऐसे विनियमों के अध्यधीन, जैसा उसके द्वारा बनाया जाय, यह प्रस्ताव पारित करे कि किसी प्रश्न या प्रश्नवर्ग का विनिश्चय गुप्त मतदान द्वारा किया जायेगा।

;6द्ध नगरपालिका की किसी बैठक में, जहां इसके समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान होता हो, उपस्थित सभी पार्षदों का मत, जो मतदान करने

के इच्छुक हों, ऐसी बैठक में पीठासीन पदाधिकारी के निदेशाधीन लिया जायेगा, जो ऐसे प्रस्ताव को ऐसे मतदान के परिणाम के अनुसार, यथा स्थिति, पारित या गिर गया, घोषित करेगा।

;7द्ध नगरपालिका की किसी बैठक में, जब तक कि वर्तमान पार्षदों के कम से कम दसवाँ (1ध10) भाग द्वारा मतदान की मांग न की जाय, ऐसी बैठक में पीठासीन पदाधिकारी द्वारा यह घोषणा कि ऐसी बैठक में कोई प्रस्ताव पारित हुआ है या गिर गया है, तथा ऐसी बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त में इस आशय की प्रविष्टि, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, इस तथ्य का निश्चायक प्रमाण होगा कि ऐसा प्रस्ताव पारित हो गया है या गिर गया है।

78. नगर पालिका की बैठक का पीठासीन पदाधिकारी

;1द्ध महापौर या अध्यक्ष नगरपालिका की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा, और उसकी अनुपस्थिति में उप महापौर या उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा।

;2द्ध यदि महापौर या अध्यक्ष और उप महापौर या उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों, और यदि कोरम पूरा हो तो उपस्थित पार्षदों में से एक को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुना जा सकेगा।

;3द्ध नगरपालिका के महापौर या अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को, निर्णायक मत का अधिकार होगा और वह इसका प्रयोग मत बराबर होने के समस्त मामलों में कर सकेगा।

79. नगर पालिका की बैठक में व्यवस्था बनाये रखना तथा पार्षदों की वापसी और निलंबन

;1द्ध नगरपालिका की बैठक का पीठासीन पदाधिकारी व्यवस्था बनाये रखेगा, और ऐसी व्यवस्था बनाये रखने के प्रयोजनार्थ उसे सभी अपेक्षित शक्ति प्राप्त होगी।

;2द्ध बैठक का पीठासीन पदाधिकारी ऐसे किसी पार्षद को, जिसका आचरण उसकी राय में **आपत्तिजनक** है, बैठक से तत्काल निकल जाने का निदेश दे सकेगा, तथा इस प्रकार निदेशित प्रत्येक पार्षद तत्काल ऐसा करेगा और बैठक के शेष भाग से अनुपस्थित रहेगा।

;3द्ध

यदि किसी पार्षद को दूसरी बार निकल जाने का आदेश दिया जाय तो पीठासीन पदाधिकारी ऐसे पार्षद को इस उपधारा के अधीन की जानेवाली कार्रवाई से सावधान करेगा, तथा तत्पश्चात् यदि आवश्यक हो, ऐसे पार्षद को साठ दिनों से अनधिक किसी अवधि के लिए नगरपालिका की बैठकों में भाग लेने से निलंबित कर सकेगा, और इस प्रकार निलंबित पार्षद तदनुसार अनुपस्थित रहेगाः

परन्तु यह कि महापौर या अध्यक्ष किसी समय यह विनिश्चय कर सकेगा कि ऐसा निलंबन समाप्त कर दिया जायः

परन्तु यह और कि कोई पार्षद जब तक उसे नगरपालिका की बैठक में शामिल होने से रोका गया हो तब तक नगरपालिका की किसी समिति की किसी बैठक में भाग नहीं लेगा।

;4द्ध किसी बैठक में भारी अव्यवस्था उत्पन्न होने और पार्षदों द्वारा पीठासीन पदाधिकारी के आदेशों की अवहेलना की स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट दिनांक तक बैठक को स्थगित कर सकेगा।

80. नगर पालिका के साथ किसी संविदा आदि में आर्थिक हित रखने वाला पार्षद

;1द्ध यदि कोई पार्षद नगरपालिका के अधीन सेवायोजन सहित या रहित किसी संविदा या प्रस्तावित संविदा में अथवा नगरपालिका से संबद्ध अन्य मामले में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आर्थिक हित रखता हो तथा वह नगरपालिका या इसकी किसी समिति की किसी ऐसी बैठक में उपस्थित हो, जिसमें ऐसी संविदा या नियोजन या अन्य मामला विचार का विषय हो, ऐसी बैठक आरंभ होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र ऐसी संविदा या नियोजन या अन्य मामले से संबद्ध तथ्य को उजागर करेगा, और ऐसी संविदा या नियोजन या अन्य मामले से संबद्ध किसी प्रश्न पर विचार विमर्श में या इसपर मतदान में भाग नहीं लेगाः

परन्तु यह कि इस धारा के उपबंध ऐसे किसी पार्षद पर लागू नहीं होंगे जिनका करदाता

अथवा नगरपालिका क्षेत्र के निवासी या जल उपभोक्ता के रूप में नागरिक सेवा से संबद्ध किसी मामले में कोई हित हो।

;2द्ध इस धारा के प्रयोजनार्थ, किसी पार्षद को किसी संविदा या नियोजन या अन्य मामले में अप्रत्यक्ष या आर्थिक हित रखनेवाला समझा जायेगा, यदि वह या उसके द्वारा नामित व्यक्ति किसी ऐसी कंपनी या अन्य निकाय का सदस्य हो, जिसके साथ संविदा की गयी हो या किये जाने के लिए प्रस्तावित हो अथवा जिसका सेवायोजन अथवा विचाराधीन अन्य मामले में कोई प्रत्यक्ष आर्थिक हित हो, अथवा यदि वह किसी ऐसे फर्म का पार्टनर है या किसी व्यक्ति के अधीन सेवायोजन में हो, जिसके साथ संविदा की गयी हो या किये जाने के लिए प्रस्तावित हो या ऐसी फर्म या व्यक्ति का सेवायोजन या विचाराधीन अन्य मामले में प्रत्यक्ष आर्थिक हित होः

परन्तु यह कि–

(क) इस उपधारा के उपबंध किसी ऐसे पार्षद पर लागू नहीं होंगे जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी लोक संस्था अथवा संगठन का सदस्य हो अथवा इसके अधीन सेवायोजन में हो, और

(ख) कोई पार्षद किसी कंपनी या अन्य निकाय की सदस्यता के कारण ऐसी कंपनी या अन्य निकाय में कोई आर्थिक हित वाला नहीं माना जायेगा यदि ऐसी कंपनी अथवा अन्य निकाय के किसी अंश या स्टॉक में उसका कोई लाभकारी हित न हो।

;3द्ध ऐसे किसी पार्षद के मामले में जो विवाहित हो और अपनी पति/पत्नी के साथ रहता हो, इस धारा के प्रयोजनार्थ एक का हित दूसरे का हित समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा और धारा–81 के प्रयोजनार्थ ''कंपनी'' से अभिप्रेत होगा कोई

निगमित निकाय, और इसमें कोई फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य संघ सम्मिलित होगा।

81. आर्थिक हित का प्रकटीकरण

;1द्ध कोई पार्षद नगरपालिका सचिव को इस आशय की सूचना दे सकेगा कि वह अथवा उसकी पत्नी किसी कंपनी का सदस्य है अथवा किसी फर्म में भागीदार है अथवा किसी व्यक्ति के अधीन सेवायोजन में है, तथा ऐसी कंपनी या फर्म या व्यक्ति के साथ यदि कोई संविदा की गयी हो या किया जाना प्रस्तावित हो तो ऐसी सूचना, जबतक यह वापस न ले ली जाय, ऐसी संविदा अथवा प्रस्तावित संविदा में उसके हित का पर्याप्त प्रकटीकरण माना जायेगा, जो सूचना की तारीख के पश्चात् नगरपालिका की बैठक में विचार का विषय हो सकेगा।

;2द्ध नगरपालिका सचिव इस प्रयोजनार्थ संधारित की जानेवाली बही में धारा—80 की उपधारा (1) के अधीन किये गये प्रकटीकरण तथा इस धारा की उपधारा (1) के अधीन दी गयी किसी सूचना का विवरण अभिलिखित करेगा तथा यह बही किसी पार्षद द्वारा निरीक्षण के लिए कार्यालय अवधि के दौरान खुली रहेगी।

82. नगरपालिका तथा समिति आदि की बैठक में शामिल होने के लिए नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारियों के अधिकार

नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी अथवा इस निमित्त उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत नगरपालिका का कोई अन्य पदाधिकारी नगरपालिका या उसकी किसी समिति की बैठक में भाग ले सकेगा।

83. पार्षदों

;1द्ध उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन कोई पार्षद

के प्रश्न पूछने का अधिकार

परिषद या/और स्थायी समिति से नगरपालिका प्रशासन या नगरपालिका अभिशासन से संबद्ध किसी विषय पर प्रश्न पूछ सकेगा, तथा ऐसे सभी प्रश्न स्थायी समिति को संबोधित किये जायेंगे और उनका उत्तर या तो महापौर या अध्यक्ष या स्थायी समिति के किसी सदस्य द्वारा दिया जायेगा।

;2द्ध प्रश्न पूछने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों से संचालित होगा, अर्थात्–

(क) प्रश्न विनिर्दिष्ट करते हुए कम से कम सात कार्य दिवस की लिखित सूचना नगरपालिका सचिव को दी जायेगी;

(ख) किसी प्रश्न में –

(i) कोई नाम या ऐसा वक्तव्य नहीं दिया जायेगा जो इसे बोधगम्य बनाने के लिए सही रूप में आवश्यक न हो,

(ii) तर्क, व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति, आरोप, विशेषण या निन्दात्मक वक्तव्य अन्तर्विष्ट नहीं होंगे,

(iii) राय की अभिव्यक्ति अथवा काल्पनिक समस्या के निराकरण की मांग नहीं करेगा,

(iv) सिवाय अपने पदीय या सार्वजनिक हैसियत के किसी व्यक्ति के चरित्र या आचरण के संबंध में पूछताछ नहीं की जायेगी,

(v) ऐसा कोई संबद्ध मामला नहीं होगा जो मुख्य रूप से नगरपालिका का विषय न हो,

(vi) निजी चरित्र का कोई आरोप नहीं लगाया जायेगा या अन्तर्निहित नहीं होगा,

(vii) नीति विषयक इतने बड़े मामले नहीं उठाये जायेंगें जिन्हें किसी प्रश्न के उत्तर की सीमा के भीतर निपटाया नहीं जा सके,

(viii) ऐसे प्रश्नों को दृढ़तापूर्वक दुहराया नहीं जायेगा जिनका उत्तर पहले दे दिया गया हो अथवा जिनका उत्तर देने से इन्कार किया गया हो,

(ix) सतही विषयों पर जानकारी की मांग

नहीं की जायेगी,

(x) विगत पूर्ववृत्त से संबद्ध मामलों पर कोई जानकारी नहीं मांगी जायेगी,

(xi) सुलभ अभिलेख अथवा साधारण संदर्भ कृत्य में बताई गयी जानकारी की मांग नहीं की जायेगी,

(xii) ऐसी निकायों अथवा व्यक्तियों के नियंत्रणाधीन जो नगरपालिका के प्रति उत्तरदायी न हों, मामले नहीं उठाये जायेंगे, अथवा

(xiii) कोई मामला, जो न्यायालय के न्याय–निर्णय के अधीन है, से संबद्ध कोई जानकारी नहीं मांगी जायेगी।

;3द्ध पीठासीन पदाधिकारी किसी प्रश्न को, जो उसके विचार में उपधारा (2) के उपबंध के उल्लंघन में हो, अस्वीकृत कर देगा।

;4द्ध यदि ऐसा संदेह उत्पन्न हो कि कोई प्रश्न उपधारा (2) के उपबंधों के उल्लंघन में है या नहीं, तो इस मामले का विनिश्चय पीठासीन पदाधिकारी द्वारा होगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

;5द्ध महापौर या अध्यक्ष या स्थायी समिति का कोई सदस्य जानकारी की मांग करते हुए ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होगा, जो उसे अथवा स्थायी समिति को विश्वास में संसूचित किया गया हो अथवा उसकी राय में लोकहित में जिसका उत्तर न दिया जा सकता हो।

;6द्ध जब तक बैठक के पीठासीन पदाधिकारी द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाय, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नगरपालिका की बैठक में दिया जायेगा।

84. अत्यावश्यक लोक मामलों पर विचार–विमर्श

;1द्ध कोई पार्षद, अत्यावश्यक लोक महत्व के किसी विषय पर विचार–विमर्श करने हेतु नगरपालिका सचिव को सूचना दे सकेगा, जिसमें उठाए जाने वाले विषय का स्पष्ट उल्लेख रहेगा।

;2द्ध ऐसी सूचना, जिस पर कम से कम दो पार्षदों के हस्ताक्षर होंगे, नगरपालिका सचिव को ऐसी तारीख से कम से कम चौबीस घंटे पहले दी जाएगी, जिस तारीख को ऐसा विचार—विमर्श होना हो, तथा नगरपालिका सचिव इसे तत्काल महापौर या अध्यक्ष, यथास्थिति, के समक्ष प्रस्तुत करेगा और पार्षदों के बीच सूचना ऐसी रीति से परिचारित करायेगा, जैसा वह उचित समझे।

;3द्ध महापौर या अध्यक्ष, ऐसी सूचना, जो उसे पर्याप्त लोक महत्व की प्रतीत हो, विचार—विमर्श के लिए स्वीकार कर सकेगा, और वह विचार—विमर्श हेतु उतना समय देगा जितना वह उपयुक्त समझे।

;4द्ध ऐसे विचार—विमर्श पर कोई औपचारिक संकल्प या मतदान नहीं होगा।

85. स्थायी समिति से विवरण की मांग

;1द्ध कोई पार्षद, नगरपालिका प्रशासन से सम्बद्ध किसी अत्यावश्यक मामले पर किसी दिन नगरपालिका की बैठक आरंभ होने के एक घंटा पूर्व नगरपालिका सचिव को सूचना देकर स्थायी समिति से विवरण की मांग कर सकेगा।

;2द्ध महापौर या अध्यक्ष, अथवा स्थायी समिति का कोई सदस्य, उसी दिन या तो संक्षिप्त कथन देगा या ऐसा वक्तव्य देने के लिए तिथि नियत कर सकेगा।

;3द्ध एक ही बैठक में दो से अधिक ऐसे मामले नहीं उठाये जायेंगे और दो से अधिक ऐसे मामलों को उठाने की स्थिति में ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी जो महापौर या अध्यक्ष की राय में अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण हों।

;4द्ध ऐसा विवरण दिये जाने के समय कोई वाद—विवाद नहीं होगा।

कार्यवृत्त और कार्यवाही

86. कार्यवृत्त और कार्यवाहि

नगरपालिका तथा नगरपालिका समितियों की प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त जिसमें ऐसी बैठक में उपस्थित पार्षदों के नाम अभिलिखित करते हुए,

यों का संधारण — ऐसी बैठक की कार्यवाही तैयार की जायेगी तथा उसे पंजी में दर्ज कर नगर पालिका सचिव द्वारा इस प्रयोजनार्थ रखा जायेगा, और, यथास्थिति नगरपालिका या समितियों की अगली बैठक में इसे प्रस्तुत किया जायेगा, तथा ऐसी बैठक के पीठासीन पदाधिकारी द्वारा उसे हस्ताक्षरित किया जायेगा।

87. कार्यवृत्त का परिचालन एवं निरीक्षण — नगरपालिका और समितियों की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त **सात दिनों के अन्दर** पीठासीन पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर **किया जाऐगा, तत् पश्चात्,** सभी पार्षदों को सात दिन के भीतर परिचालित किया जायेगा, और सभी यथोचित समयों पर किसी पार्षद द्वारा निःशुल्क और अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे शुल्क के भुगतान पर जैसा कि नगरपालिका द्वारा निर्धारित किया जाय, नगरपालिका कार्यालय में उपलब्ध रहेगा।

88. राज्य सरकार को कार्यवृत्त का प्रेषण — ;1द्ध नगरपालिका सचिव नगरपालिका अथवा उसकी समितियों की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त की एक प्रति हस्ताक्षर होने के सात दिन के भीतर राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

;2द्ध राज्य सरकार किसी मामले में नगरपालिका अथवा नगरपालिका समितियों के समक्ष प्रस्तुत किए गए सम्पूर्ण या किसी कागज—पत्र की एक प्रति या सभी प्रतियों की मांग कर सकेगी और तत्पश्चात् नगरपालिका सचिव राज्य सरकार को ऐसे कागज—पत्र या कागज—पत्रों की एक प्रति या प्रतियां प्रेषित करेगा।

89. नगरपालिका के कार्य संचालन से सम्बद्ध नियम — राज्य सरकार नियमों द्वारा, नगरपालिका अथवा उसकी समितियों के कार्य संचालन से सम्बद्ध ऐसे मामलों, जिनका उपबंध इस अधिनियम में नहीं किया गया है, जैसा वह आवश्यक समझे, कर सकेगी।

विधि मान्यता

90. कार्य एवं कार्यवाही की विधिमान्यता — ;1द्ध नगरपालिका अथवा इसकी किसी समिति के किसी कार्य अथवा कार्यवाही को निम्नलिखित आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा—

(क) नगरपालिका अथवा नगरपालिका की किसी समिति के गठन में आरम्भिक

अथवा पश्चातवर्ती कमी या त्रुटि या विद्यमान रिक्ति, अथवा

(ख) अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए किसी पार्षद द्वारा किसी कार्यवाही में मतदान करने या भाग लेने, अथवा

(ग) ऐसे किसी मामले, जिससे ऐसी त्रुटि या अनियमितता संबंद्ध हो, के गुणागुण को प्रभावित न करनेवाली त्रृटि या अनियमितता।

;2द्ध नगरपालिका अथवा नगरपालिका की किसी समिति की प्रत्येक बैठक, जिसकी कार्यवाही के कार्यवृत्त पर धारा–86 के अधीन सम्यक् रूप से हस्ताक्षर किए गए हों, सम्यक् रूप से आहूत की गयी तथा किसी त्रुटि या अनियमितता से मुक्त मानी जायेगी।

अघ्याय–10
नियंत्रक प्राधिकारी एवं उनकी शक्तियाँ
निदेश तथा नियंत्रण

91. अभिलेख आदि की मांग करने की राज्य सरकार की शक्ति

राज्य सरकार किसी समय किसी नगरपालिका प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकेगी–

(i) कोई अभिलेख, पत्राचार, योजना अथवा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने,

(ii) कोई विवरणी, योजना, प्राक्कलन, लेखा के विवरण अथवा आंकड़ें प्रस्तुत करने, और

(iii) कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करने अथवा प्राप्त करने की

और तत्पश्चात् नगरपालिका प्राधिकारी, बिना किसी युक्तियुक्त विलम्ब के अनुपालन करेगा और प्रस्तुत करेगा।

92. निरीक्षण अथवा जांच करने और प्रतिवेदन देने हेतु

राज्य सरकार अपने किसी पदाधिकारी को नगरपालिका के किसी विभाग, कार्यालय, सेवा, कार्य या संपत्ति के निरीक्षण या परीक्षण करने, और इस पर प्रतिवेदन देने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगी, तथा ऐसा पदाधिकारी, ऐसे निरीक्षण या परीक्षण के प्रयोजनार्थ धारा–91 के अधीन

पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति

राज्य सरकार की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

93. नगरपालिका पदाधिकारी से कार्रवाई करने की अपेक्षा करने तथा निर्देश देने की राज्य सरकार की शक्ति

;1द्ध यदि धारा—91 के अधीन अपेक्षित अभिलेख अथवा धारा—92 के अधीन प्रतिवेदन अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किसी जानकारी पर विचारोपरान्त और यदि राज्य सरकार इस राय की हो कि—

(क) किसी नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा की गयी कोई कार्रवाई अविधिपूर्ण या अनियमित है अथवा इस अधिनियम के अधीन या इसके द्वारा ऐसे प्राधिकारी पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का निष्पादन नहीं किया गया है अथवा इसका निष्पादन त्रृटिपूर्ण, अपर्याप्त या अनुपयुक्त रीति से किया गया है, अथवा

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी कृत्य के निष्पादनार्थ पर्याप्त वित्तीय उपबंध नहीं किया गया है;

तो राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे नगरपालिका प्राधिकारी से ऐसी अविधिपूर्ण या अनियमित कार्रवाई को नियमित करने अथवा ऐसे कर्तव्य के निष्पादन करने की अपेक्षा करने या ऐसे प्राधिकारी को ऐसी अविधिपूर्ण या अनियमित कार्रवाई करने से रोकने अथवा ऐसे प्राधिकारी को राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप में ऐसी अवधि के भीतर जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे कर्तव्य या कृत्य के समुचित निष्पादनार्थ यथास्थिति प्रबंध करने या वित्तीय उपबंध करने का निदेश दे सकेगीः

परन्तु यह कि राज्य सरकार, जब तक कि इसकी राय में ऐसे आदेश का तत्काल पालन आवश्यक न हो, इस धारा के अधीन आदेश देने के पूर्व ऐसे नगरपालिका प्राधिकारी को ऐसी अवधि के भीतर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय लिखित रूप में कारण बताने का अवसर देगी कि ऐसा आदेश क्यों नहीं दिया

जाय।

;2द्ध यदि उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय में कोई कार्यवाही नहीं की गयी हो या उस धारा के परंतुक के अधीन कोई कारण नहीं प्रस्तुत किया गया हो या यदि बताया गया कारण राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप में न हो, तो, राज्य सरकार ऐसी कार्यवाही करने का प्रबंध कर सकेगी और यह निदेश दे सकेगी कि इससे सम्बद्व सभी व्यय की अदाएगी नगर पालिका निधि से की जायगी।

;3द्ध उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी अवधि के लिए जिसे वह उचित समझे किसी उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त करे जो राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्गत निर्देशों के अध्यधीन उपधारा (1) के अधीन आदेश के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक नगरपालिका प्राधिकारियों की सभी या किसी शक्ति और कृत्य का प्रयोग या निष्पादन करेगा।

;4द्ध इस अधिनियम में किसी और बात के होते हुए भी, राज्य सरकार नगर पालिका को ऐसे निर्देश, जो इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ठीक समझे, निर्गत कर सकेगी।

94. राज्य सरकार की संकल्पों को रद्द या निलंबित करने की शक्ति

;1द्ध राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के प्रतिवेदन पर परिषद के या नगर पालिका की किसी समिति के किसी संकल्प को रद्द कर सकेगी यदि राज्य सरकार के मत में ऐसा संकल्प विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति के अतिक्रमण में पारित किया गया हो अथवा जिसके कारण नगर पालिका को वित्तीय हानि होना संभाव्य हो:

परंतु यह कि सरकार इस उपधारा के अधीन कार्यवाही से पूर्व परिषद को स्पष्टीकरण का अवसर प्रदान करेगी।

;2द्ध यदि सरकार की राय में तत्काल कार्यवाही आवश्यक हो, तो संकल्प को उपधारा (1) के अधीन लम्बित कार्यवाही तक निलम्बित कर सकेगी।

95\. महापौर, और अध्यक्ष को हटाने की राज्य सरकार की शक्ति

;1द्ध यदि राज्य सरकार के मत में, महापौर और अध्यक्ष परिषद की लगातार तीन से अधिक बैठकों में बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहने अथवा जानबूझकर इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों एवं कर्त्तव्यों को करने से उपेक्षा करने या इन्कार करने अथवा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में कदाचार का दोषी पाये जाने या अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में शारीरिक या मानसिक तौर पर अक्षम होने या किसी आपराधिक मामले का अभियुक्त होने के चलते छह माह से अधिक फरार होने का दोषी हो तो राज्य सरकार महापौर और अध्यक्ष को स्पष्टीकरण हेतु समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त आदेश द्वारा उसे पद से हटा सकेगी।

;2द्ध इस प्रकार हटाया गया महापौर और अध्यक्ष शेष पदावधि के दौरान महापौर और अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।

96\. नगर पालिका को भंग करने की राज्य सरकार की शक्ति

;1द्ध राज्य सरकार की राय में यदि परिषद ने इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या इसके अधीन अधिरोपित कर्तव्य के निर्वहन अथवा कृत्यों के निष्पादन में अपनी अक्षमता प्रदर्शित की हो या इसमें लगातार चूक की हो, अथवा अपनी शक्ति का अतिक्रमण या दुरूपयोग किया हो अथवा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्य करने के अयोग्य हो, तो राज्य सरकार उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा और इसके कारण का उल्लेख करते हुए परिषद को, यथा स्थिति, अक्षम अथवा व्यतिक्रमी अथवा अपनी शक्ति का अतिक्रमण या दुरूपयोग करनेवाला घोषित कर सकेगी, तथा इसे ऐसी अवधि तक, जो छह माह से अधिक न हो, और ऐसी तारीख से, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, भंग कर सकेगी।

;2द्ध उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश करने के पूर्व, राज्य सरकार द्वारा परिषद को ऐसे अवधि के भीतर, जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट की जाय प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए, सूचना दी जायेगी।

;3द्ध उपधारा (1) के अधीन आदेश करने से पूर्व महापौर या अध्यक्ष को भी सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

;4द्ध इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन विघटन के आदेश की तिथि से—

(क) इस अधिनियम के अधीन गठित स्थायी समिति और नगरपालिका के किसी समिति के सदस्यों सहित सभी पार्षद, महापौर या अध्यक्ष और उप महापौर या उपाध्यक्ष अपने पद रिक्त कर देंगे, और

(ख) सभी शक्ति एवं कर्तव्य, जिनका प्रयोग या निष्पादन, स्थायी समिति अथवा नगरपालिका की किसी समिति के सदस्यों या महापौर या अध्यक्ष द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों अथवा इसके अधीन बनाए गये नियम या विनियमों के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किया जाय, का प्रयोग या निष्पादन तदुपरान्त ऐसे निदेश के अधीन, जैसा कि राज्य सरकार समय—समय पर दे, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करेः

परन्तु यह कि जब राज्य सरकार किसी शक्ति के प्रयोग या कर्तव्य के निष्पादन के लिए एक से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करे, तो वह आदेश द्वारा और ऐसी रीति से जैसा कि वह उपयुक्त समझे, इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों के बीच ऐसी शक्ति और कर्तव्य आवंटित कर सकेगीः

परन्तु यह और कि राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का पारिश्रमिक नियत करेगी और यह निदेश दे सकेगी कि प्रत्येक मामले में ऐसे पारिश्रमिक का भुगतान नगरपालिका निधि से किया जायेगा।

;5द्ध शंकाओं के निवारण हेतु, एतद्द्वारा घोषणा की जाती है कि धारा—95 की उपधारा (1) के अधीन

विघटन के आदेश से निगमित निकाय के रूप में नगरपालिका के विघटन पर किसी भी रूप में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या नगरपालिका का विघटन विवक्षित नहीं होगा।

भाग—ппп

नगरपालिकाओं का वित्तीय प्रबन्धन

अध्याय—11

वित्त आयोग और वित्तीय सहायता

97. राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन

भारत के संविधान के अनुच्छेद—243म सपठित अनुच्छेद—243झ के अधीन गठित राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार निर्धारित करेगी—

(क) नगरपालिकाओं को करों, महसूलों, पथकर (टोल) एवं शुल्कों के शुद्ध आगम का अन्तरण,

(ख) नगरपालिकाओं को कर, महसूल, पथकर (टोल) और शुल्क का समनुदेशन (आवंटन),

(ग) राज्य की संचित निधि से नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान की स्वीकृति, और

(घ) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए अन्य अपेक्षित उपाय।

98. राज्य सरकार से वित्तीय सहायता

;1द्ध राज्य सरकार, समय—समय पर शर्तों सहित या बिना शर्तों के नगरपालिका को अनुदान या वित्तीय सहायता दे सकेगी, जिसपर ऐसे अनुदान या वित्तीय सहायता का उपयोजन किया जायेगा।

;2द्ध राज्य सरकार, ऐसे अनुदान या सहायता देने के लिए ऐसी व्यवस्था बना सकेगी, जिसमें ऐसे अनुदान या सहायता की विमुक्ति की शर्ते शामिल होंगी, और इसमें इस उद्देश्य के लिए विभिन्न श्रेणियों में नगरपालिकाओं का विभाजन उपबंधित होगा।

;3द्ध राज्य सरकार, नगरपालिका की वार्षिक योजना में सम्मिलित किसी योजना के क्रियान्वयन के लिए पूर्ण या आंशिक अनुदान दे सकेगी।

;4द्ध राज्य सरकार, राज्य में नगरीय विकास योजनाओं के वित्त पोषण हेतु एक झारखंड नगरीय विकास

निधि स्थापित करने हेतु, एक प्राधिकार जैसा विहित किया जाय, गठित कर सकेगी

अध्याय—12
नगरपालिका निधि

99. नगरपालिका निधि

;1द्ध नगरपालिका निधि नाम की एक निधि होगी, जो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ नगरपालिका द्वारा न्यास के अधीन धारित की जायेगी, तथा इस अधिनियम के अधीन वसूल किए गए अथवा वसूलनीय सभी धन और नगरपालिका द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी धन उसमें जमा किए जाएंगे।

;2द्ध ऐसे निदेश के अध्यधीन, जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त निर्गत करे और धारा—8 के अधीन नगरपालिका क्षेत्रों के वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए, नगरपालिका की प्राप्ति और व्यय, ऐसे सामान्य लेखा शीर्षो के अधीन जिनमें जलापूर्ति, नाली और मल जल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क विकास एवं अनुरक्षण, मलिन बस्ती सेवा, वाणिज्यिक परियोजना और अन्य लेखा शीर्ष जो विनिर्दिष्ट किये जायें सहित और सामान्य लेखा शीर्षों के अधीन, ऐसी रीति से और ऐसे प्रपत्र में रखे जाएंगे, जैसा विहित किया जाए, ताकि इस अधिनियम के अधीन उपभोग प्रभार और किसी आर्थिक सहायता (सब्सिडी) प्रतिवेदन की तैयारी को सुगम बनाया जा सके।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनार्थ ''वाणिज्यिक परियोजनाओं'' में नगरपालिका बाजार, बाजार विकास परियोजना, संपत्ति विकास परियोजना और वाणिज्यिक स्वरूप की ऐसी अन्य परियोजनाएं, जैसा नगरपालिका द्वारा समय—समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, सम्मिलित होंगी।

;3द्ध उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रत्येक लेखा शीर्ष, राजस्व लेखा और पूँजी लेखा में विभाजित किया जायेगा तथा प्राप्ति और व्यय की सभी मदों को यथास्थिति ऐसे राजस्व लेखा अथवा पूँजी लेखा के अधीन समुचित रीति से रखा जाएगा।

100. नगर पालिका

नगरपालिका निधि में समय—समय पर जमा किए गए धन का उपयोजन इस अधिनियम तथा इसके

निधि का उपयोजन

अधीन बनाए गए नियम एवं विनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक सभी राशि, प्रभार एवं लागत के भुगतान और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नगरपालिका निधि से भुगतेय सभी राशियों के भुगतान के लिए किया जाएगा।

101. **नगर पालिका निधि से भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक कि वह बजट अनुदान में सम्मिलित न हो**

इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी प्रकार की कटौती या अंतरण के होते हुए भी, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को नगरपालिका निधि से किसी राशि के भुगतान अथवा व्यय मूलक कोई भी संविदा करने का अधिकार तब तक नहीं होगा जबतक कि ऐसा व्यय वर्तमान बजट से आच्छादित न हो तथा इसके लिए आय व्ययक में निधि उपलब्ध नहीं होः

परन्तु यह कि निम्नलिखित मामलों में किसी भुगतान पर यह धारा लागू नहीं होगी –

(क) कर एवं अन्य राशि की वापसी, जो इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत की जाए,

(ख) ठेकेदारों या अन्य व्यक्तियों की जमा राशि और नगरपालिका द्वारा संग्रहीत अथवा भूलवश नगरपालिका निधि में जमा की गयी सभी राशि का पुनर्भुगतान,

(ग) लोक हित में राज्य सरकार द्वारा अत्यावश्यक रूप से अपेक्षित कार्यों के लिए अस्थायी भुगतान,

(घ) खतरनाक बीमारियों, प्राकृतिक अथवा प्रौद्योगिकीय आपदाओं के प्रकोप अथवा किसी अन्य आपात् स्थिति में किए गए विशेष उपायों के लिए नगरपालिका द्वारा उपगत व्यय,

(ङ) इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियम अथवा विनियम के अधीन प्रतिकर के रूप में देय राशि,

(च) भुगतेय धनराशि–

(i) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित कार्रवाई करने में नगरपालिका की विफलता पर राज्य सरकार के आदेश के अधीन, अथवा

(ii) नगरपालिका के विरूद्ध किसी सिविल या फौजदारी न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन, अथवा

(iii) किसी दावा, वाद या अन्य विधिक कार्यवाही के समझौता के अधीन, अथवा

(iv) नगरपालिका की संपत्ति या मानव जीवन के लिए अचानक आशंका या खतरे के निवारण के लिए किसी नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा की गयी तत्काल कार्रवाई के लिए उपगत लागत, और

(v) अन्य ऐसा मामला, जो विनियमों द्वारा विनिश्चित किया जायः

परन्तु यह कि नगर निगमों की दशा में **बीस लाख** रूपये से अनधिक, नगर परिषदों में **दस लाख** रूपये से अनधिक तथा नगर पंचायतों में **पाँच लाख** रूपये से अनधिक की संविदा नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा की जायेगीः

परन्तु यह और कि यथा स्थिति नगर निगमों की दशा में **बीस लाख** रूपये से अधिक किन्तु **पच्चास लाख** से अनधिक, नगर परिषदों में **दस लाख** रूपये से अधिक किंतु **पच्चीस लाख** से अनधिक, तथा नगर पंचायतों में **पाँच लाख** रूपये से अधिक किंतु **दस लाख** से अनधिक के व्यय की कोई संविदा नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वह स्थायी समिति से स्वीकृत न होः

परंतु यह भी कि नगर निगमों की दशा में **पच्चास लाख** रूपये से अधिक, नगर परिषदों की दशा में **पच्चीस लाख** रूपये से अधिक या नगर पंचायतों की दशा में **दस लाख** रूपये से अधिक व्यय की संविदा नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक यथास्थिति नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत द्वारा स्वीकृत न होः

परंतु यह और भी कि व्यय की अधिकतम सीमा समय–समय पर नगर पालिका द्वारा प्राक्कलन की लागत में संशोधन आदि को देखते

हुए संशोधित की जा सकेगी।

102. ऐसी प्रक्रिया जब बजट अनुदान के अन्तर्गत न आनेवाले धन का भुगतान किया जाय

जब कभी धारा—101 के प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट किसी मामले में किसी राशि का भुगतान किया जाय, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी ऐसे भुगतान की परिस्थितियों की तत्काल संसूचना स्थायी समिति को देगा, तथा स्थायी समिति उस पर इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसी कार्रवाई कर सकेगी अथवा नगरपालिका को ऐसी कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा कर सकेगी, जो उसे ऐसे भुगतान की रकम सम्मिलित करने के लिए व्यवहार्य और समीचीन प्रतीत हो।

103. लोकहित में अत्यावश्यक रूप से अपेक्षित कार्यों के लिए नगर पालिका निधि से अस्थायी भुगतान

;1द्व राज्य सरकार द्वारा लिखित रूप में अध्यपेक्षा किये जाने पर, स्थायी समिति किसी भी समय नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी से लोक हित में अत्यावश्यक रूप से अपेक्षित और राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित किसी कार्य के निष्पादन और इस प्रयोजनार्थ नगरपालिका निधि से ऐसे कार्य के लिए भुगतान की अपेक्षा कर सकेगी, जहाँ तक नगरपालिका के नियमित कार्य में अनावश्यक रूप से व्यवधान पहुँचाए बिना ऐसा भुगतान किया जा सके।

;2द्व इस प्रकार निष्पादित किए गए सभी कार्यों की लागत तथा ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए आनुपातिक स्थापना प्रभार का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और उसे नगरपालिका निधि में जमा किया जाएगा।

;3द्व उपधारा (1) के अधीन अध्यपेक्षा की प्राप्ति पर स्थायी समिति उक्त अध्यपेक्षा के अनुपालन में उठाए गए कदम से सम्बद्ध प्रतिवेदन सहित इसकी एक प्रति तत्काल परिषद को प्रेषित करेगी।

104. नगर पालिका की सीमा से परे व्यय उपगत

इस अध्याय में अन्यत्र अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नगरपालिका राज्य सरकार के अनुमोदन से, अपने क्षेत्र की सीमा से बाहर इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु अपने मुख्य कार्य से सम्बद्ध भौतिक आस्तियों के सृजन तथा इनके संधारण के लिए उपगत किए

	करने की शक्ति		जानेवाले व्यय को प्राधिकृत कर सकेगी।
105.	विशिष्ट प्रयोजन के लिए निधि का अनन्य उपयोग	;1द्ध	इस अध्याय में अन्यत्र अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, आदेश द्वारा, नगर पालिका से नगरपालिका निधि के एक भाग, अथवा विशिष्ट अनुदान अथवा इसके किसी भाग, अथवा किसी लेखा शीर्ष के अधीन प्राप्ति का कोई मद या इसका कोई प्रतिशत अथवा इस अधिनियम या इसके अधीन नगरपालिका को सौंपे गए कर, शुल्क एवं जुर्माना से भिन्न इसके द्वारा प्राप्य कर का कोई अंश मिलाकर एक आवर्ती निधि स्थापित करने की अपेक्षा कर सकेगी जिसका उपयोग अनन्य रूप से नगरपालिका के कृत्यों से सम्बद्ध ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, और नगरपालिका का यह कर्तव्य होगा कि वह तदनुसार कार्रवाई करे।
		;2द्ध	प्रत्येक नगरपालिका, मलिन बस्तियों में रहने वालों को शामिल करते हुए, शहरी गरीबों को मूलभूत सुविधाओं की प्रदायता के प्रयोजनार्थ, 'बेसिक सर्विसेज टू दि अरबन पुअर फॅड' नाम से अलग एक निधि की स्थापना करेगी।
			स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनार्थ ''बेसिक सर्विसेज (मूलभूत सुविधायें)'' में जलापूर्ति, नाली, मलजल निकास, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, ठोस कूड़ा प्रबन्धन, योजक मार्ग, मार्ग प्रकाश, सार्वजनिक पार्क एवं खेल का मैदान, सामुदायिक एवं आजीविका केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा केन्द्र, गरीबों के लिए 'वहनीय' आवास, और नगरपालिका द्वारा नियत अन्य सेवायें शामिल होंगी, परन्तु इसमें, गरीबों के लिए मूलभूत सेवाओं की प्रदायता में प्रत्यक्षतः और विशिष्ट रूप से वेतन एवं मजदूरी पर उपगत व्यय के अलावा, वेतन एवं मजदूरी को शामिल करते हुए, स्थापना पर व्यय शामिल नहीं होगा।
		;3द्ध	वार्षिक आधार पर, नगरपालिका के बजट का न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत चिन्हित किया जायेगा, और उपधारा (2) के अधीन गठित निधि में जमा

किया जायेगा। निधि हेतु आवंटन, नगरपालिका बजट के निम्न स्रोतों से किया जायेगा,—

(क) नगरपालिका के निजी राजस्व स्रोत, यथा कर, शुल्क, उपभोक्ता शुल्क तथा किराया आदि,

(ख) अभ्यर्पित राजस्व,

(ग) केन्द्रीय एवं राज्य वित्त आयोगों से आवंटन, और अन्य अंतर्शासकीय अंतरण,

(घ) नकद या वस्तु में अंशदान, गरीबों की सेवाओं के लिए व्यक्तिगत, संगठनों एवं दाताओं से उपहार,

(ङ) बाह्य सहायतित परियोजनाओं से अनुदान,

(च) नगरपालिका परिसम्पत्तियों का विक्रय,

(छ) राज्य सरकार द्वारा नियत अन्य स्रोत।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनार्थ केवल मलिन बस्तियों के विकास के लिए नगरपालिका द्वारा प्राप्त किया गया कोई अनुदान या अंशदान, चाहे जिस नाम से जाना जाय, चिन्हित निधि का भाग नहीं होगा।

;4द्ध नगरपालिका, प्रत्येक वर्ष, नगरपालिका बजट के साथ पी—बजट नाम से एक अलग बजट तैयार करेगी, जिसमें उपधारा (2) के अधीन सृजित निधि के आय एवं व्यय का विस्तृत विवरण दिया जायेगा।

;5द्ध उपधारा (2) में सृजित निधि अकालातीत प्रकृति की होगी। वार्षिक आवंटन के पूर्ण उपयोग न होने की दशा में, अवषेष, नगरपालिका निधि में अंतरित नहीं होगा, बल्कि अगले वर्ष में उपयोग हेतु लाया जायेगा। अगले वर्ष में निधि का आवंटन अलग से विचारित होगा, और पिछले वर्ष के खर्च न की गयी राशि से कम नहीं किया जायेगा।

;6द्ध नगरपालिका, 'बेसिक सर्विसेज टू दि अर्बन पुअर' नाम से अलग खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोलेगी, जिसमें उपधारा (2) के अधीन चिन्हित निधियों को आवधिक जमा किया जायेगा, और सुनिश्चित किया जायेगा कि वार्षिक आवंटन नगर पालिका बजट के आवंटन के बराबर हो।

;7द्ध नगरपालिका, इस विशिष्ट निधि लेखा के परिचालन हेतु, धारा—113 में उल्लिखित नगरपालिका लेखा हस्तक में निर्दिष्ट लेखा शीर्षकों के विवरणों के साथ अलग लेखा की पुस्तकें संधारित करेगी।

106. लेखा का संचालन

इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन नगरपालिका निधि से भुगतान ऐसी रीति से किया जाएगा, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाय, तथा धारा—99 में उल्लिखित लेखा शीर्षों का संचालन नगरपालिका के ऐसे पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा जो विनियम के माध्यम से नगरपालिका द्वारा प्राधिकृत किए जाए।

107. अधिशेष धन का निवेश

;1द्ध नगरपालिका निधि की किसी लेखा शीर्ष में जमा अतिरिक्त धन, जो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ तत्काल या निकट भविष्य में उपयोजन हेतु अपेक्षित न हो, उसे नगरपालिका द्वारा नगरपालिका निधि के किसी अन्य लेखा शीर्ष में पूर्णतः या आंशिक रूप से ऐसे विनियम के अनुसार जैसा कि इस निमित्त बनाया जाय, स्थानान्तरित किया जायेगाः

परन्तु यह कि ऐसा कोई धन किसी लेखा शीर्ष से किसी अन्य लेखा शीर्ष में नगरपालिका के पूर्व अनुमोदन के बिना स्थायी रूप से अन्तरित नहीं किया जायेगाः

परन्तु यह और कि नगरपालिका निधि के वाणिज्यिक परियोजना लेखा में जमा ऐसा अतिरिक्त धन नगरपालिका निधि के सामान्य लेखा में अन्तरित नहीं किया जाएगा।

;2द्ध ऐसा अतिरिक्त धन जो उपधारा (1) के अधीन अन्तरित नहीं किया गया हो, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित लोक प्रतिभूतियों अथवा लघु बचत योजनाओं में निवेश किया जा सकेगा अथवा ब्याज सहित ऐसे अनुसूचित बैंक में जमा किया जा सकेगा जैसा कि स्थायी समिति द्वारा अवधारित किया जाय।

;3द्ध यथा पूर्वोक्त निवेश से उद्भूत लाभ या हानि,

यदि कोई हो, यथा स्थिति उस लेखे में जमा या विकलित किया जाएगा जिससे ऐसा लाभ या हानि सम्बद्ध हो।

अध्याय—13
बजट प्राक्कलन

108. नगर पालिका के बजट प्राक्कलन को तैयार करना

;1द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी आगामी वर्ष के लिए नगरपालिका अनुसूची सहित प्रत्येक वर्ष बजट प्राक्कलन तैयार करेगा, तथा ऐसा बजट प्राक्कलन नगरपालिका के आय और व्यय का प्राक्कलन होगा।

;2द्ध धारा—99 की उपधारा (2), और धारा—105 की उपधारा (4) और (5) के उपबंधों के अध्यधीन, बजट प्राक्कलन में विभिन्न लेखा शीर्षों के अधीन प्राप्त और उपगत किए जानेवाले नगरपालिका के आय और व्यय, को पृथक् रूप से दर्शाया जाएगा।

;3द्ध बजट प्राक्कलन में ऐसी दरें दर्शायी जाएंगी जिन पर विभिन्न कर, अधिभार, उपकर और शुल्क नगरपालिका द्वारा आगामी वर्ष उद्गृहीत किए जाएंगे।

;4द्ध बजट प्राक्कलन में आगामी वर्ष के दौरान ऋण के रूप में उगाही किए जानेवाले धन की राशि दर्शायी जाएगी।

;5द्ध महापौर या अध्यक्ष प्रत्येक वर्ष पन्द्रह फरवरी के पूर्व बजट प्राक्कलन स्थायी समिति के समक्ष पेश करेगा।

;6द्ध बजट प्राक्कलन ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से तैयार किया जायेगा, प्रस्तुत किया जाएगा और अंगीकार किया जाएगा तथा ऐसे मामलों का उपबंध करेगा जैसा कि विहित किया जाय।

;7द्ध धारा—117 की उपधारा (1) तथा धारा—131 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक विवरण के साथ धारा—107 की उपधारा (1) तथा धारा—329 की उपधारा (2) के अधीन तैयार किए

गए प्रतिवेदन को बजट प्राक्कलन के साथ संलग्न किया जायेगा।

109. रियायती दर पर उपलब्ध करायी गयी सेवाओं पर प्रतिवेदन

;1द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, बजट प्राक्कलन तैयार करते समय इसके साथ एक प्रतिवेदन, यह उपदर्शित करते हुए कि क्या निम्नलिखित सेवाएं रियायती दर पर उपलब्ध करायी जा रही हैं, और, यदि ऐसा है, तो सब्सिडी का परिमाण, इसके कारण, स्रोत जिससे सब्सिडी दी जा रही है और स्थानीय जनसंख्या का वर्ग या कोटि जो ऐसी सब्सिडी के लाभार्थी हो, संलग्न करेगा, अर्थात्–

(क) जलापूर्ति और मल–जल का निपटाव,
(ख) ठोस अपशिष्टों का अपमार्जन, परिवहन और निपटाव,
(ग) सार्वजनिक परिवहन, और
(घ) कोई अन्य सेवा जिसे नगर पालिका या सरकार समय–समय पर निश्चित करे।

स्पष्टीकरण– कोई सेवा रियायती दर पर उपलब्ध करायी जा रही मानी जाएगी यदि आस्तियों की संक्रिया एवं संधारण पर व्यय और इसके मूल्य ह्रास हेतु पर्याप्त उपबंध, ऋण शोधन सहित इसकी कुल लागत उपलब्ध करायी गयी सेवा से सम्बद्ध आय से अधिक हो।

;2द्ध स्थायी समिति उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन की जांच करेगी और इसे अपनी अनुशंसा सहित, यदि कोई हो, परिषद के समक्ष **उस वित्तीय वर्ष के 1 मार्च तक** प्रस्तुत करेगी।

110. नगर पालिका के बजट प्राक्कलन की मंजूरी

;1द्ध परिषद, बजट प्राक्कलन और इस पर स्थायी समिति की अनुशंसा, यदि कोई हो, पर विचार करेगी, तथा प्रत्येक वर्ष पन्द्रह मार्च तक, ऐसे परिवर्तनों के साथ, जैसा वह आवश्यक समझे, आगामी वर्ष हेतु बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी, और इस प्रकार अंगीकृत बजट प्राक्कलन अग्रसारित करेगी –

(क) नगर निगम के मामले में, राज्य सरकार को, और

(ख) नगर परिषद और नगर पंचायत के मामले में, नगरीय प्रशासन के निदेशक को।

;2द्ध उपधारा (1) के अधीन यथा स्थिति राज्य सरकार अथवा नगरीय प्रशासन के निदेशक द्वारा प्राप्त बजट प्राक्कलन, राज्य सरकार के अनुदान से सम्बद्ध उपबंधों में परिवर्तन के साथ अथवा बिना परिवर्तन के, उस वर्ष के मार्च की इकत्तीस तारीख के पूर्व नगरपालिका को लौटा दिया जायेगा।

111. बजट अनुदान में परिवर्तन करने की शक्ति

परिषद, स्थायी समिति की अनुशंसा पर वर्ष के दौरान समय–समय पर–

(क) किसी शीर्ष के अधीन किसी बजट अनुदान की राशि में वृद्धि कर सकेगी,

(ख) वर्ष के दौरान उद्भूत किसी विशेष अथवा अकल्पित आवश्यकता को पूरा करने के प्रयोजनार्थ अतिरिक्त बजट प्राक्कलन तैयार कर सकेगी,

(ग) एक शीर्ष के अधीन किसी बजट अनुदान की राशि या इसका कोई भाग अन्य किसी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की राशि में अन्तरित कर सकेगी, अथवा

(घ) किसी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की राशि कम कर सकेगी।

अध्याय–14
लेखा और संपरीक्षा

112. लेखा का संधारण

नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी नगरपालिका के आय–व्यय संबंधी लेखा की दोहरी प्रणाली (एक्रुअल बेस्ड डबल इंट्री) के माध्यम से तैयार करेगा और इसका संधारण ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से करेगा, जैसा कि विहित किया जाय।

113. नगरपालिका का लेखा हस्तक का तैयार करना

राज्य सरकार एक हस्तक (मैनुअल) तैयार कर इसका संधारण करेगी जो नगरपालिका लेखा हस्तक कहलाएगी, जिसमें नगरपालिका मामलों से सम्बद्ध सभी वित्तीय मामले और प्रक्रियाएं अन्तर्विष्ट होंगी।

114. वित्तीय विवरण

;1द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर एक वित्तीय

विवरण तैयार कराएगा जिसमें नगरपालिका लेखा के मद्दे पूर्ववर्ती वर्ष का आय–व्यय लेखा तथा प्राप्तियां एवं अदायगी अन्तर्विष्ट होंगी।

;2द्ध वित्तीय विवरण का प्रारूप तथा वित्तीय विवरण तैयार करने की रीति वैसी होगी, जैसा विहित की जाय।

115.	तुलन–पत्र (बैलेंस शीट)	;1द्ध	नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी वर्ष की समाप्ति से चार माह के भीतर पूर्ववर्ती वर्ष के लिए नगरपालिका की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों से संबंधित एक तुलन–पत्र तैयार कराएगा।
		;2द्ध	तुलन –पत्र का प्रारूप तथा तुलन–पत्र तैयार करने की रीति, वैसी होगी, जैसा विहित की जाय।
116.	लेखा संपरीक्षक को वित्तीय विवरण और तुलन–पत्र प्रस्तुत करना		धारा–114 के अधीन तैयार किया गया वित्तीय विवरण तथा धारा–115 के अधीन तैयार की गयी आस्तियों एवं दायित्वों का तुलन–पत्र, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जो जांचोपरांत अंगीकार करेगी और उन्हें राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त लेखा संपरीक्षक के पास भेज देगी।
117.	लेखा संपरीक्षक/अंकेक्षक की शक्ति	;1द्ध	विशेष निधि लेखा, यदि कोई हो, सहित वित्तीय विवरण में अन्तर्विष्ट नगरपालिका लेखा और तुलन–पत्र का परीक्षण और संपरीक्षा, निदेशक स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षा अथवा उसके समकक्ष पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त तैयार की गयी वृत्तिक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की नामसूची में से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लेखा संपरीक्षक द्वारा की जाएगी।
		;2द्ध	भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नगरपालिकाओं के सम्यक् लेखा संधारण एवं लेखा परीक्षण पर तकनीकी मार्ग दर्शक सिद्धांत एवं पर्यवेक्षण (टी.जी.एस.) का उपबन्ध करेगा,–
			स्पष्टीकरण– भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नगरपालिकाओं पर तकनीकी मार्ग

दर्शक सिद्धांत एवं पर्यवेक्षण में लेखा संधारण, लेखा संपरीक्षण मानक, प्रमाणक का मार्ग दर्शक, क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण, लेखा पर टिप्पणी और प्रतिनिधि नमूना स्वरूप चुनी गयी नगरपालिकाओं के टेस्ट आडिट से संबंधित मार्ग दर्शक उपबंधित होंगे।

(क) भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नगरपालिकाओं की स्थायी समिति के समक्ष रखे जाने वाला तकनीकी मार्ग दर्शक सिद्धांत एवं पर्यवेक्षण (टी.जी.एस.) और टेस्ट आडिट के आधार पर एक वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार करेगा, और

(ख) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा तैयार किया गया वार्षिक तकनीकी प्रतिवेदन स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के निदेशक द्वारा तैयार किये गये वार्षिक प्रतिवेदन के साथ राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जायेगा।

;3द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी लेखा संपरीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को ऐसे और लेखा प्रस्तुत करेगा, जैसा अपेक्षा की जाय।

;4द्ध उपधारा (1) के अधीन नियुक्त लेखा संपरीक्षक (अंकेक्षक),—

(क) लिखित सूचना द्वारा अपने समक्ष अथवा अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी के समक्ष कोई ऐसा अभिलेख प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा जिसे वह लेखा संपरीक्षा के समुचित संचालनार्थ आवश्यक समझे,

(ख) लिखित सूचना द्वारा किसी दस्तावेज, रोकड़ अथवा सामग्री के लिए उत्तरदायी अथवा अभिरक्षा अथवा नियंत्रण वाले किसी व्यक्ति से अपने समक्ष अथवा अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकेगा,

(ग) अपने समक्ष अथवा अपने अधीनस्थ

किसी पदाधिकारी के समक्ष इस प्रकार उपस्थित हो रहे किसी व्यक्ति से ऐसे दस्तावेज, रोकड़ अथवा सामग्री के संबंध में घोषणा करने अथवा घोषणा पर हस्ताक्षर करने अथवा किसी प्रश्न का उत्तर देने या कोई विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, और

(घ) लेखा की जांच के दौरान सामग्रियों के किसी भण्डार (स्टॉक) का भौतिक सत्यापन करा सकेगा।

;5द्ध लेखा संपरीक्षक अथवा उसका अधीनस्थ पदाधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल लेखा के किसी मद की रिपोर्ट स्थायी समिति या परिषद, यथास्थिति, को कर सकेगा।

;6द्ध स्थायी समिति या परिषद, लेखा संपरीक्षक के प्रतिवेदन के साथ भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के टेस्ट आडिट प्रतिवेदन पर यथाशक्य शीघ्र विचार करेगी और आवश्यक होने पर इस पर तत्परता से कार्रवाई करेगी तथा आवश्यक होने पर अवैध भुगतान करने वाले या ऐसा प्राधिकृत करनेवाले व्यक्ति पर अवैध भुगतान की रकम अधिभारित करेगी, तथा ऐसे व्यक्ति की उपेक्षा या कदाचार के कारण उपगत राशि में किसी कमी अथवा हानि अथवा ऐसी किसी राशि के लिए जिसे लेखे में दर्ज किया जाना चाहिए था, लेकिन जिसे दर्ज न किया गया हो, के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को अधिभारित करेगा और ऐसे प्रत्येक मामले में ऐसे व्यक्ति से देय राशि को प्रमाणित करेगाः

परन्तु यह कि प्रमाणित रकम के भुगतान आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति राज्य सरकार को अपील कर सकेगा जिसका विनिश्चय ऐसी अपील पर अन्तिम होगा।

;7द्ध ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी संपरीक्षक अथवा उसके अधीनस्थ किसी पदाधिकारी द्वारा की गयी अध्यपेक्षा की जान बूझकर अवहेलना करे अथवा अनुपालन करने से इन्कार करे तो वह किसी न्यायालय द्वारा दोष–सिद्धि के पश्चात अध्यपेक्षा

में सम्मिलित प्रत्येक मद की बाबत दो हजार रूपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।

118. संपरीक्षा प्रतिवेदन

;1द्ध संपरीक्षक, नगरपालिका के लेखा की संपरीक्षा की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र किन्तु प्रत्येक वर्ष सितम्बर की तीस तारीख तक, संपरीक्षित एवं जॉचे गए लेखा पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा, और उसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के टेस्ट आडिट प्रतिवेदन सहित नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को भेजेगा।

;2द्ध संपरीक्षक ऐसे प्रतिवेदन में निम्नलिखित–

(क) ऐसा प्रत्येक भुगतान जो संपरीक्षक को विधि के प्रतिकूल प्रतीत हो,

(ख) किसी कमी अथवा हानि का लेखा, जो किसी व्यक्ति की घोर अवहेलना अथवा कदाचार के कारण हुई प्रतीत हो,

(ग) किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किसी रकम का लेखा जिसे लेखा में सम्मिलित किया जाना चाहिए था लेकिन जिसे शामिल नहीं किया गया हो, और

(घ) लेखा में कोई अन्य तात्विक अनौचित्य या अनियमितता,

को दर्शाते हुए एक विवरण सम्मिलित करेगा।

119. परिषद के समक्ष संपरीक्षित लेखा पेश करना

;1द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, संपरीक्षित वित्तीय विवरण, तुलन–पत्र, एवं संपरीक्षक का प्रतिवेदन और उस पर अपनी टिप्पणी के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टेस्ट आडिट रिपोर्ट, स्थायी समिति के समक्ष पेश करेगा, जो जांचोपरांत अपनी टिप्पणी के साथ, यदि कोई हो, परिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

;2द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी संपरीक्षक के प्रतिवेदन में बतलायी गयी त्रुटि को दूर करेगा।

120. संपरीक्षित खातों की प्रस्तुति

;1द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, परिषद द्वारा वित्तीय विवरण, तुलन–पत्र और भारत के नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक के सांकेतिक संपरीक्षा प्रतिवेदन के साथ संपरीक्षक का प्रतिवेदन अंगीकार किए जाने के पश्चात् नगरपालिका द्वारा उस पर की गयी कार्रवाई के प्रतिवेदन के साथ उन्हें राज्य सरकार को

अग्रसारित करेगा और उसकी प्रतियॉ संपरीक्षक एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी भेजेगा।

;2द्ध यदि संपरीक्षक और नगरपालिका के बीच कोई मतभेद हो अथवा यदि नगरपालिका युक्तियुक्त अवधि के भीतर संपरीक्षक के प्रतिवेदन में उल्लिखित त्रुटियों अथवा अनियमितताओं को दूर न करे, तो संपरीक्षक मामला राज्य सरकार को संदर्भित करेगा जिसका विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

121. संपरीक्षा प्रतिवेदन पर आदेश लागू करने की राज्य सरकार की शक्ति

इस अध्याय के अधीन राज्य सरकार द्वारा दिए गए किसी आदेश का यदि अनुपालन न किया जाय, तो आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार के लिए ऐसा कदम उठाना जैसा वह उपयुक्त समझे और उस पर होने वाला सभी व्यय नगरपालिका निधि से चुकाये जाने संबंधी निदेश देना विधिमान्य होगा।

122. विशेष संपरीक्षा

वार्षिक लेखा की संपरीक्षा के अतिरिक्त, राज्य सरकार अथवा नगरपालिका, यदि उपयुक्त समझे, किसी विशिष्ट मद अथवा मदावलियों जिनकी पूर्ण जांच वांछित हो, से सम्बद्ध विशेष संपरीक्षा के संचालनार्थ एक संपरीक्षक को नियुक्त कर सकेगी, और संपरीक्षा से संबंधित प्रक्रिया आवश्यक परिवर्तन सहित ऐसी विशेष संपरीक्षा पर लागू होगी।

123. आन्तरिक और सामाजिक संपरीक्षा

राज्य सरकार अथवा नगरपालिका, अपने दैनन्दिन लेखा की आन्तरिक और सामाजिक संपरीक्षा का उपबंध विहित रीति से कर सकेगी।

124. नगर पालिका लेखा समिति

;1द्ध नगर निगम तथा नगर परिषद, प्रत्येक वर्ष अपनी पहली बैठक में अथवा इसके पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र किसी बैठक में एक नगरपालिका लेखा समिति का गठन करेगी।

;2द्ध नगरपालिका लेखा समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे –

(क) उतने सदस्य, जो तीन से कम और पन्द्रह से अधिक नहीं होंगे, जितना

राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नगरपालिका हेतु निर्धारित करे, परिषद द्वारा निर्वाचित पार्षदों में से जो स्थायी समिति के सदस्य नहीं हों, नामित किए जाएंगे, और

(ख) उतने व्यक्ति, जो नगरपालिका के पार्षद, पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी न हों तथा जिन्हें वित्तीय मामले का ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त हो, और जिनकी संख्या दो से अधिक न हो नगरपालिका द्वारा नाम–निर्दिष्ट किए जायेंगेः

परन्तु यह कि खण्ड (ख) के अधीन नाम–निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगरपालिका लेखा समिति की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा।

;3द्ध नगरपालिका लेखा समिति के सदस्य अपने में से एक सदस्य को इसका अध्यक्ष चुनेंगे।

;4द्ध इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन, नगरपालिका लेखा समिति के सदस्य नई समिति का गठन होने तक पद पर बने रहेंगे।

;5द्ध अध्यक्ष अथवा किसी अन्य सदस्य के त्यागपत्र देने के कारण नगरपालिका लेखा समिति में उत्पन्न किसी रिक्ति को उपधारा (2) तथा (3) के अनुसार भरा जायेगा।

;6द्ध इस अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अधीन निर्मित नियमों तथा विनियमों के अधीन रहते हुए, नगरपालिका लेखा समिति का कर्त्तव्य होगा –

(क) नगरपालिका द्वारा अपने व्यय के लिए प्रदत्त धनराशि के विनियोजन को दर्शाते हुए नगरपालिका की लेखा तथा नगरपालिका की वार्षिक वित्तीय लेखा का परीक्षण करना,

(ख) धारा–117 के अधीन नियुक्त संपरीक्षक द्वारा प्रस्तुत नगरपालिका के लेखा पर प्रतिवेदन का परीक्षण एवं जांच करना, और स्वयं को इस बात से संतुष्ट करना कि लेखा में निर्दिष्ट धनराशि जो संवितरित की गई थी तथा जिसे जिन सेवाओं अथवा प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराया गया था उनके अनुरूप उनका

व्यय किया गया और ऐसा व्यय नियंत्रक पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त कर किया गया,

(ग) ऐसे परीक्षण एवं जांच पर प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष तथा समय–समय पर स्थायी समिति को देना,

(घ) ऐसे मामलों में जब राज्य सरकार अथवा नगरपालिका द्वारा किसी नगरपालिका की किसी प्राप्ति या व्यय अथवा नगरपालिका के भण्डार और संचय का परीक्षण अथवा नगरपालिका की सम्पत्तियों जिनमें भू–सम्पदा एवं भवन सम्मिलित हैं, की तालिका की जॉच करना, और

(ङ) ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना, जो विहित किया जाय।

;7द्ध नगरपालिका लेखा समिति किसी भी लेखा पंजी अथवा अभिलेख की माँग कर सकती है, जो इसके कार्य के लिए आवश्यक हो और नगरपालिका के ऐसे पदाधिकारियों को बुला सकती है जो इसके कार्य से संबंधित किसी मामले पर स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक हो।

;8द्ध नगरपालिका लेखा समिति के कार्य–सम्पादन की रीति ऐसी होगी जैसा विनियम द्वारा नियत की जाय।

अध्याय–15
नगरपालिका सम्पत्ति

125. सम्पत्ति के अर्जन तथा धारण की शक्ति

इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, नगरपालिका को उपहार, क्रय अथवा अन्य तरीकों से चल और अचल सम्पत्तियों अथवा हितों को, चाहे वह नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत अथवा इसके बाहर हो, अर्जित करने का अधिकार होगा।

126 सम्पत्ति

किसी अन्य विधि में तत्समय लागू बातों के रहते

. का निहित होना

हुए भी, नगर पालिका की सीमा के भीतर निम्नांकित श्रेणियों की चल–अचल सम्पत्तियाँ, तथा उनमें सभी प्रकार के हित जिस भी प्रकृति या प्रकार के हों, नगरपालिका में निहित होंगी,–

(क) सार्वजनिक भूमि, जो किसी सरकारी विभाग अथवा सांविधिक निकाय की न हो;

(ख) सार्वजनिक जलाशय, सरिताएं, जलागार एवं कूप;

(ग) सार्वजनिक बाजार तथा वधशालाएं;

(घ) सार्वजनिक नाली तथा मोरी, जलवाह, सुरंग, पुलिया तथा नहर, जो किसी गली में, के पार्श्व में या नीचे स्थित हो;

(ड़) सरकारी मार्ग एवं खड़ंजा तथा उन पर पत्थर तथा अन्य सामग्रियॉं, और उन मार्ग और खड़ंजों पर अवस्थित वृक्ष भी, जो किसी निजी व्यक्ति की सम्पदा न हों;

(च) सार्वजनिक पार्क तथा उद्यान, जिनमें चौक और सार्वजनिक खुली जगहें सम्मिलित हैं;

(छ) नदियों अथवा सरिताओं अथवा जलाशयों पर सार्वजनिक घाट;

(ज) सार्वजनिक दीप, दीप–स्तम्भ और उनसे जुड़े या संबंधित सभी उपकरण;

(झ) शवों के निस्तारण हेतु सार्वजनिक स्थल, जिनमें किसी विशेष नियम द्वारा शासित स्थल शामिल नहीं है;

(ञ) सार्वजनिक गली या स्थान में एकत्र किये गये सभी ठोस कचरे, जिनमें मृत पशु–पक्षी शामिल हैं; और

(ट) लावारिस जानवर, जो किसी निजी व्यक्ति के नहीं हों।

(ठ) नगरपालिका क्षेत्र में अवस्थित सभी प्रकार के सैरात

127. अनुबंध, विनिमय, पट्टा, अनुदान इत्यादि के माध्यम से नगर

;1द्ध नगरपालिका इसके द्वारा अनुमोदित शर्त्तों एवं स्थितियों के अनुरूप अनुबंध द्वारा अधिगृहीत कर सकेगी–

(क) कोई अचल सम्पत्ति, और

(ख) अचल सम्पत्ति को प्रभावित करने वाला कोई भोगाधिकार।

;2द्ध नगरपालिका स्वानुमोदित शर्त्तों एवं स्थितियों के

	पालिका द्वारा सम्पत्ति का अधिग्रहणा		अनुरूप विनिमय द्वारा किसी भी सम्पत्ति का अधिग्रहण कर सकती है।
		;3द्ध	नगरपालिका स्वानुमोदित शर्त्तों और स्थितियों पर किसी अचल सम्पत्ति को किराया या पट्टा पर ले सकती है।
		;4द्ध	नगरपालिका अपने कर्तव्य निष्पादन के हितार्थ दाताओं द्वारा किसी भी अनुदान अथवा समर्पण, जो किसी आय अथवा किसी चल या अचल सम्पत्ति के रूप में हो, को प्राप्त कर सकती है।
		;5द्ध	दातव्य और धार्मिक न्यास अधिनियम, 1920 अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन सृजित किसी न्यास का लाभार्थी होना नगरपालिका के लिए विधि संगत होगा।
128.	अनिवार्य भू–अर्जन	;1द्ध	नगरपालिका क्षेत्र सीमा के भीतर अथवा बाहर कोई भूखण्ड अथवा नगरपालिका में निहित किसी अचल सम्पत्ति को प्रभावित करने वाला भोगाधिकार, यदि इस अधिनियम के अधीन लोकहित में आवश्यक है, तो राज्य सरकार नगर पालिका के अनुरोध पर भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन ऐसे भूखण्ड अथवा भोगाधिकार के अधिग्रहण की दिशा में कार्रवाई शुरू कर सकती है।
		;2द्ध	भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन भूखण्ड अर्जन से संबंधित समस्त शुल्क राज्य सरकार को अदा करने के लिए नगरपालिका बाध्य होगी।
		;3द्ध	भू–समुच्यय की अन्य विधियों, जिनमें परिवर्तनीय विकासाधिकार का उपयोग सम्मिलित है, का नगरपालिका द्वारा उपयोग किया जा सकता है।
129.	गलियों की पार्श्ववर्ती भूमि के अधिग्रहणा के लिए विशेष उपबंध		जब कभी नगरपालिका, राज्य सरकार से, किसी विद्यमान गली को चौड़ा करने अथवा संवारने के लिए, किसी भूखण्ड के अधिग्रहण का अनुरोध करती है, तब नगरपालिका के लिए राज्य सरकार से ऐसी अतिरिक्त भूमि जो किसी नई गली या विद्यमान गली के पार्श्ववर्ती भूखण्ड जो गली के किसी ओर निर्मित किये जाने वाले भवन का स्थल हो अधिगृहीत करने का अनुरोध करना विधिसंगत होगा, तथा ऐसा अतिरिक्त भूखण्ड इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए वांछित समझा जायेगा।

130. सम्पत्ति का व्ययन

नगरपालिका के अधीनस्थ कोई सम्पत्ति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इसके आगे उपबंधित रीति से निष्पादित की जा सकेगी, यथा—

(क) स्थायी समिति नगरपालिका की किसी चल सम्पत्ति को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच सकती है, अथवा पट्टा पर दे सकती है, अथवा अन्य तरीके से व्ययित कर सकती है, तथा नगर पालिका की चल या अचल सम्पत्ति को पट्टे पर दे सकती है या किराये पर दे सकती है अथवा इस अधिनियम के उद्देश्यों को अग्रसर करने हेतु नियुक्त विकासकर्ता को उसे पट्टा पर देने या सार्वजनिक निजी भागीदारी के किसी छूट समझौते के अन्तर्गत निष्पादित करने हेतु अधिकृत कर सकती है;

(ख) नगर पालिका, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से अपनी किसी अचल सम्पत्ति को जो इस अधिनियम को लागू करने के प्रयोजनार्थ वांछित न हो, महत्वपूर्ण प्रतिफल के लिए बेच सकती है अथवा किसी अन्य तरीके से स्थानान्तरित कर सकती है, और

(ग) नगरपालिका धारा—126 के फलस्वरूप निहित अपनी किसी अचल सम्पत्ति को स्थानान्तरित नहीं करेगी, बल्कि इस अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अनुरूप उनका अनुरक्षण, नियंत्रण तथा विनियमन करेगी:

परन्तु यह कि नगरपालिका द्वारा कारणों का लिखित उल्लेख करते हुए अनुरोध किये जाने पर राज्य सरकार लोकहित में नगरपालिका को ऐसी अचल सम्पत्ति के निष्पादन के लिए प्राधिकृत कर सकती है।

स्पष्टीकरण— किसी अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ''महत्वपूर्ण प्रतिफल'' का अर्थ ऐसे अचल सम्पत्ति के बेचने या अन्य प्रकार से स्थानान्तरण के बदले दिये गये धन या सम्पत्ति के रूप में कोई यथेष्ट मूल्य होगा।

131. नगरपालिका की

;1द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी नगरपालिका की समस्त अचल सम्पत्तियों,

सम्पत्ति—सूची जिसका नगरपालिका स्वामी है या वह उसमें निहित है अथवा जो उसे सरकार के न्यास के रूप में प्राप्त है का एक रजिस्टर एवं नक्शा संधारित करेगा, तथा नगरपालिका की समस्त चल सम्पत्तियों का एक रजिस्टर (पंजी) अनुरक्षित करेगा।

;2द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी अचल सम्पत्ति की किसी सूची के मामले में, एक वार्षिक विवरण जिसमें परिवर्तन, यदि कोई हो, चिन्हित करते हुए तैयार करेगा, और उसे स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसके अनुमोदन के उपरान्त परिषद को प्रस्तुत करेगा।

अध्याय—16
उधार

132. व्यापक ऋण परिसीमन नीति — राज्य सरकार एक व्यापक ऋण—परिसीमन नीति की विरचना करेगी, जो नगरपालिका द्वारा उगाहे जाने वाले ऋणों के मामलों में, जिसमें अल्पकालिक ऋण भी सम्मिलित होंगे, लागू होगी। इसमें अन्य बातों के साथ नगरपालिका द्वारा ऋणों की उगाही को शासित करने वाले सामान्य सिद्धान्त, ऋणों की सीमा, जो कोई नगर पालिका अपनी वित्तीय क्षमता के अनुरूप उगाह सके, तथा ऐसे ऋणों पर भुगतान किये जाने वाले ब्याज की दर और शर्त्तें और स्थितियॉं, जिनमें उसके पुनर्भुगतान की अवधि भी शामिल होगी, निर्धारित की जायेगी।

133. नगरपालिका को ऋण लेने की शक्ति — ;1द्ध नगरपालिका अपनी बैठक में इस निमित्त पारित एक संकल्प द्वारा धारा—132 के अधीन विरचित व्यापक ऋण—परिसीमन नीति द्वारा निश्चित की गयी सीमा के अन्तर्गत समय—समय पर ऋण—पत्रों को जारी करके अथवा अन्यथा, सम्पत्ति—कर, या समस्त कर या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कर, अधिभार, उपकरों तथा शुल्कों और बकायों अथवा इस अधिनियम के अधीन सम्पत्ति कर तथा अन्य करों, अधिभारों, उपकरों तथा शुल्कों और बकायों दोनों, अथवा राज्य सरकार की प्रत्याभूति पर निम्नांकित उद्देश्यों के लिए कोई भी राशि ऋण के रूप में उगाह

सकेगी—

(क) इस अधिनियम के अधीन निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन, अथवा
(ख) इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भूखण्डों और भवनों का अर्जन, अथवा
(ग) राज्य सरकार की किसी बकाया ऋण राशि की अदायगी, अथवा
(घ) इस अधिनियम के अधीन लिये गये ऋण की अदायगी, अथवा
(ङ) इस अधिनियम के अधीन उन लोकोपयोगी सुविधाओं का अर्जन जिसका उपबंध करने के लिए नगरपालिका प्राधिकृत हो, अथवा
(च) इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक वाहनों, रेल इंजनों, ब्वायलरों तथा मशीनों का क्रय, अथवा

(छ) नगर पालिका, किसी अन्य प्रयोजन, जिसके लिए वह इस अधिनियम या तत्समय लागू किसी अन्य विधि द्वारा या के अधीन उधार लेने के लिए प्राधिकृत होः

परन्तु यह कि कोई भी उगाहे जाने वाला प्रस्तावित ऋण जो उपरिलिखित व्यापक ऋण परिसीमन नीति द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक हो, उसके उद्देश्य, प्रमात्रा, ब्याज दर तथा अदायगी की अवधि और अन्य शर्त्तें और स्थितियॉ, यदि कोई हो, के संदर्भ में राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होगीः

परन्तु यह और कि उपरिलिखित ऋणों के अतिरिक्त नगरपालिका राज्य सरकार अथवा किसी सांविधिक निकाय अथवा किसी सार्वजनिक सेक्टर निगम से भी ऋण ले सकती है।

;2द्ध उपधारा (1) के अधीन जब कोई ऋण लिया गया हो,—
(क) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना उस ऋण की राशि का कोई अंश उस कार्य के अतिरिक्त, जिसके लिए ऋण

की उगाही की गई है, खर्च नहीं की जायेगी, अथवा

(ख) किन्हीं उद्देश्यों के लिए उगाहे गये किसी ऋण का कोई अंश नगरपालिका के किसी अन्य पदाधिकारी या कर्मचारी के वेतन और भत्तों के भुगतान में नहीं लगाया जायेगा, उनको छोड़कर जो विशेष रूप से उसी प्रयोजन में योजित हैं, जिसके लिए ऋण की उगाही की गई है।

स्पष्टीकरण— उपधारा (1) में अभिव्यक्ति ''इस अधिनियम के अधीन बकाया'' उपधारा के खण्ड (ङ) के प्रयोजन के लिए इस खण्ड में उल्लिखित संबंधित जनोपयोगी सेवाओं से प्राप्त आय सम्मिलित समझी जायेगी।

134. बैंक में जमा खाता खोलने हेतु नगरपालिका की शक्ति

धारा—133 में सन्निहित किसी बात के होते हुए भी, उस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा ऋण उगाही की स्वीकृति प्राप्त होने पर, ऋण उगाही करने की बजाय नगरपालिका राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित शर्त्तों के अनुरूप किसी अनुसूचित बैंक से ब्याज सहित नकद साख ले सकेगी और ऐसे ऋण या उसके भाग को नगर पालिका के नाम से नकद लेखा खाता में रखेगी, तथा राज्य सरकार के अनुमोदन से नगरपालिका अपने में निहित सभी या किसी भी सम्पत्ति को ऐसी धनराशि या अग्रिम की गई धनराशि की अदायगी के लिए बंधक रख सकती है।

135. अल्पकालीन ऋण उगाहने की नगरपालिका की शक्ति

इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी नगरपालिका धारा—132 के अधीन विरचित व्यापक ऋण परिसीमन नीति द्वारा नियत सीमा के भीतर, समय—समय पर किसी भी अनुसूचित बैंक से अल्पकालिक ऋण, जिसकी अदायगी ऐसी अवधि में, जो बारह महीने से अनधिक हो, करनी हो, ऋण प्राप्ति का उद्देश्य धारा—133 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट उद्देश्यों से भिन्न हो और ऐसी शर्त्तों तथा ऋण अदायगी की ऐसी जमानत प्रस्तुत करने पर, जैसा राज्य सरकार अनुमोदित करे, ऋण प्राप्त कर सकती है।

136. निक्षेप निधि की

नगरपालिका धारा—133 के अधीन उगाहे गये प्रत्येक ऋण के संदर्भ में ऋण अदायगी के लिए

स्थापना — अथवा जारी किये गये ऋण–पत्रों के लिए एक निक्षेप निधि स्थापित करेगी, तथा प्रत्येक वर्ष इस निक्षेप निधि में इतनी राशि जमा करेगी जो निर्धारित अवधि के भीतर लिए गए ऋण अथवा जारी किये गये ऋण–पत्रों की अदायगी के लिए पर्याप्त हो।

137. निक्षेप निधि का उपयोजन — निक्षेप निधि अथवा उसके किसी अंश का उपयोग उस ऋण अथवा ऋणांश के उन्मोचन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए यह निधि निर्मित की गई थी, तथा यह ऋण अथवा इसका कोई अंश जब तक सम्पूर्णतः उन्मोचित नहीं हो जाता, तब तक ऐसी निधि का किसी अन्य प्रयोजनों में उपयोग निषिद्ध रहेगा।

138. निक्षेप निधि में भुगतान को बंद कर देने की शक्ति — धारा–136 के अधीन स्थापित निक्षेप निधि में यदि किसी समय साख की राशि जो किसी कर्ज की अदायगी के लिए सुरक्षित हो, ऐसी धनराशि हो, जो यदि धारा–133 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन स्वीकृत ब्याज दर से संग्रह होना अनुमत हो, तो यह कथित परन्तुक के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अवधि के अन्तर्गत ऋण का भुगतान करने के लिए पर्याप्त होगी, ऐसी निधि में बाद के भुगतानों को रोक दिया जा सकता है।

139. निक्षेप निधि की साख पर राशि का निवेश — ;1द्ध निक्षेप निधि में भुगतान की गई सभी राशियाँ जितना शीघ्र संभव हो स्थायी समिति द्वारा निवेशित की जायेंगी,–

(क) सरकारी जमानतों में, अथवा

(ख) केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा प्रतिभूत जमानतों में, अथवा

(ग) नगरपालिका द्वारा जारी ऋण–पत्रों में, अथवा

(घ) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसी अन्य सरकारी जमानतों में,

और ऋण–पत्र जारी करके अथवा अन्य विधियों द्वारा समय–समय पर उगाहे गए ऋणों की अदायगी के लिए नगरपालिका द्वारा रखी जायेगी।

;2द्ध उपधारा (1) के अधीन सभी लाभांश तथा निवेश के संबंध में प्राप्त सभी धनराशियाँ, प्राप्त होने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र निक्षेप निधि में जमा कर

दी जायेंगी, और उस उपधारा में निर्दिष्ट रीति से निवेशित की जायेंगी।

;3द्ध दो या उससे अधिक निक्षेप निधियों में साख द्वारा जमा राशि की स्थायी समिति के स्वविवेकाधिकार से एक सामान्य कोष के रूप में साथ–साथ निवेशित की जा सकेगी, और स्थायी समिति के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह ऐसे निवेशों में रखी प्रतिभूतियों को अनेक निक्षेप निधियों में निविधान कर दे।

;4द्ध उपधारा (1) के उपबंधों के अध्यधीन, इस धारा के अधीन कोई निवेश समय–समय पर परिवर्तित अथवा पक्षान्तरित किया जा सकेगा।

140. निवेश के लिए ऋण उगाहने हेतु ऋण–पत्रों के एक अंश को अपने अधीन रखने संबंधी नगर पालिकाओं की शक्ति

;1द्ध नगरपालिका निधि के किसी अंश को निवेशित करने के उद्देश्य से जिसमें नगरपालिका द्वारा ऋण–पत्रों को जारी करके ऋण उगाही द्वारा बनायी गयी निक्षेप निधि भी शामिल है, नगरपालिका व्यापक ऋण परिसीमन नीति जो धारा–132 के अधीन विरचित है, की सीमाओं के भीतर ऐसे ऋण–पत्रों के किसी अंश को आरक्षित और अलग कर सकती है अथवा नगरपालिका के पक्ष में निर्गत कर सकती है; बशर्ते कि उसकी मंशा ऋण–उगाही की अधिसूचित शर्तों के अनुरूप ऐसे ऋण–पत्रों को आरक्षित और अलग करने की हो।

;2द्ध उपधारा (1) के अधीन नगरपालिका द्वारा जारी किया गया किसी ऋण–पत्र का परिचालन निर्वापित नहीं होगा अथवा ऐसा ऋण–पत्र रद्द नहीं होगा अपितु सभी स्थितियों में प्रत्येक ऐसा ऋण–पत्र इस रूप में वैध रहेगा, मानो वह किसी व्यक्ति के नाम जारी किया गया हो।

;3द्ध स्थानान्तरण, आवंटन अथवा पृष्ठांकन के लिए नगरपलिका द्वारा किसी भी ऋण–पत्र की खरीद और इसके द्वारा जारी ऋण–पत्र न तो निर्वापित होगा और न रद्द होगा, तथा ऐसा प्रत्येक ऋण–पत्र उसी रूप में उसी सीमा तक वैध तथा विनिमेय होगा जिस रूप में किसी व्यक्ति को यह स्थानान्तरित, आवंटित अथवा पृष्ठांकित हुआ हो।

141 ऋण

धारा–133 के अधीन नगरपालिका द्वारा उगाहा

. अदायगी के तरीके

गया प्रत्येक ऋण, उस धारा के अधीन अनुमोदित समय के भीतर चुकता कर दिया जायेगा और ऋणों की यह चुकताई या तो धारा–136 के अधीन ऐसे ऋण के संबंध में स्थापित निक्षेप निधि से की जायेगी अथवा ऐसी निक्षेप निधि से अंशतः की जायेगी और यदि निक्षेप निधि में ऐसे ऋणों को उन्मोचित करने के लिए अपेक्षित राशि की कमी पड़ जाये तो धारा–133 के अधीन इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त ऋणों से अंशतः की जायेगी।

142. ऋण–पत्र का प्रपत्र और कार्यान्वयन

नगरपालिका द्वारा जारी सभी ऋण–पत्र ऐसे प्रपत्र में होंगे तथा इस रूप में परिवर्तनीय होंगे जैसा नगरपालिका विनियमों द्वारा निर्धारित करेगी, और ऐसे किसी ऋण–पत्र द्वारा सुरक्षित राशि के सन्दर्भ में मुकदमा चलाने का अधिकार धारक में तत्समय निहित होगा बिना किसी वरीयता के इस कारण से कि ऐसे कुछ ऋण–पत्र अन्य की तुलना में पूर्व की तिथि से निर्गत है।

143. वार्षिक विवरणी

;1द्ध प्रत्येक वर्ष के अन्त में नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा तथा उसे नगरपालिका को प्रस्तुत करेगा जिसमें उल्लिखित होगा,–

(क) वर्ष के दौरान धारा–136 के अधीन निक्षेप निधि अथवा निक्षेप निधियों में जमा की गई राशि,

(ख) वर्ष के दौरान किये गये अन्तिम निवेश की तिथि,

(ग) वर्ष के अन्त में नगरपालिका के अधीन जमानत राशि का पूर्ण योग, तथा

(घ) धारा–139 के अधीन ऋणों की अदायगी के उद्देश्य से प्रयुक्त कुल राशि का योग।

;2द्ध ऐसे प्रत्येक वार्षिक विवरण की एक प्रति नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

144. निक्षेप निधि की वार्षिक जाँच

;1द्ध इस अधिनियम के अधीन स्थापित सभी निक्षेप निधियों की वार्षिक जांच धारा–117 के अधीन नियुक्त संपरीक्षक द्वारा की जायेगी, और लेखा संपरीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी निक्षेप निधियों की नगद धनराशि तथा प्रतिभूतियों का मूल्य ऐसी निक्षेप निधियों की साख राशि के तुल्य हो, जो नियमित रूप से धारा–139 के अधीन निवेशित की गई है तथा ऐसे निवेशों से प्राप्त ब्याज नियमित रुप से अर्जन करती रही हो।

;2द्ध निक्षेप निधि की साख राशि, धारा–133 के अधीन ऐसी निक्षेप निधि में जमा की गई धनराशियों के आधार पर परिकलित की जायेगी।

;3द्ध निक्षेप निधि से संबंधित प्रतिभूतियों का मूल्य ऐसी प्रतिभूतियों का चालू मूल्य होगा, यदि ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णता के समय बराबरी पर अथवा उपरि मूल्य पर हो, इनकी पूर्णता के पूर्व क्षतिपूर्ति के लिए बकाया नहीं हो जाती और जिस मामले में इनका चालू मूल्य क्षतिपूर्ति मूल्य के रूप में लिया जायेगा, केवल नगरपालिका द्वारा जारी ऋण–पत्रों के मामलों को छोड़कर जो प्रत्यक्ष मूल्य के अनुरूप सतत् मूल्यांकित होगाः

परंतु यह कि नगरपालिका धारा–133 की उपधारा (1) के अधीन ऋण के पुनर्भुगतान के लिए ऐसे ऋणपत्रों की बिक्री के कारण होने वाली हानि की पूर्ति करेगी।

;4द्ध नगरपालिका तत्काल वह राशि निक्षेप निधि में जमा कर देगी जो राशि ऐसी निक्षेप निधि के संदर्भ में धारा–117 के अधीन नियुक्त लेखा संपरीक्षक द्वारा प्रमाणित की जायेगी, यदि ऐसी क्षति के पुनः समायोजन की विशेष स्वीकृति राज्य सरकार दे देती है।

;5द्ध यदि निक्षेप निधि की साख पर नकद राशि एवं

प्रतिभूतियों का मूल्य, ऐसी धनराशि से अधिक हो, जो निक्षेप निधि की साख पर होना चाहिए, तो धारा–117 के अधीन नियुक्त लेखा संपरीक्षक ऐसी अधिक राशि को प्रमाणित करेगा, और उसके पश्चात् नगरपालिका उस अधिक राशि को नगरपालिका निधि के सामान्य खाते में अन्तरित कर देगी।

;6द्ध यदि उपधारा (4) अथवा उपधारा (5) के अधीन उल्लिखित प्रमाण–पत्र में प्रविष्ट किसी भी कमी या अधिकता की यथार्थता के संदर्भ में कोई विवाद उठ खड़ा होता है, तो नगरपालिका यथास्थिति ऐसी क्षति का भुगतान कर अथवा ऐसी अधिकता को स्थानान्तरित कर मामले को राज्य सरकार को प्रेषित कर देगी जिस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा।

145. राज्य सरकार से धन उधार लेने की नगर पालिका की शक्ति एवं ऐसे धन की वसूली के लिए नगर पालिका निधि की जब्ती

;1द्ध नगरपालिका इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों और स्थितियों के अनुरूप, राज्य सरकार से ऋण के रूप में धन ले सकती है।

;2द्ध यदि नगरपालिका द्वारा, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व या उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार से ऋण के रूप में ली गई किसी धनराशि का पुनर्भुगतान नहीं किया जाता है अथवा इसके संबंध में देय कोई ब्याज ऐसे उधार की शर्तो एवं दशाओं के अनुसार कोई चुकता नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकार नगरपालिका निधि अथवा उसके किसी अंश को जब्त कर सकती है।

;3द्ध ऐसी जब्ती के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त कोई पदाधिकारी जब्त नगरपालिका निधि अथवा उसके किसी अंश को, इस रूप में संचालित करेगा जैसा वह उचित समझे, और वह इससे सम्बद्ध वैसे सारे कार्य करेगा जिसे कोई नगरपालिका प्राधिकारी अथवा कोई पदाधिकारी अथवा नगरपालिका का कोई अन्य कर्मचारी इस अधिनियम के अधीन करता, यदि ऐसी जब्ती नहीं होती, और ऐसी नगरपालिका निधि अथवा उसके किसी अंश का उपयोग, यथास्थिति, ऐसे उधार के निमित्त मूलधन एवं सूद राशि के बकाया के भुगतान तथा इस

जब्ती के कारण हुए व्यय तथा अनुवर्त्ती कार्यवाहियों पर करेगाः

परंतु यह कि ऐसी जब्ती तत्काल प्रभावी किसी विधि के अधीन पूर्व में अधिरोपित नगरपालिका निधि से किसी ऋण की वसूली को दुष्प्रभावी और क्षति नहीं करेगी, तथा ऐसा सभी पूर्ववर्त्ती ऋण नगरपालिका निधि से राज्य सरकार से उधार ली गई धनराशि के भुगतान के पूर्व भुगतेय होगी।

146. नगरीय अवसंरचना के विकास के लिए नगर पालिका बंधपत्र जारी किया जाना और नगरपालिका की परिसम्पत्तियों का जमानत के रूप में बंधक रखना

;1द्ध केन्द्र सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित किये गये निर्देशों एवं प्रक्रियाओं के अध्यधीन, तथा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नगरपालिका नगरीय अवसंरचना के विकास की परियोजनाओं के वित्त—पोषण हेतु कर—मुक्त नगरपालिका बन्धपत्र (बॉण्ड) जारी कर सकेगी।

;2द्ध नगरपालिका, नगरीय अवसंरचना विकास के लिए जारी किए गए नगरपालिका बंध—पत्रों की जमानत के रूप में अपनी चल एवं अचल परिसम्पत्तियॉ, भूमि, भवन एवं कर राजस्व को विशेष निलम्ब लेखा में बंधक (गिरवी) कर सकेगी।

147. नगरपालिका बंधपत्र की साख दर

;1द्ध नगरपालिका, बंधपत्र के माध्यम से निधि उगाहने के प्रयोजन से जब अपेक्षित हो, इस निमित्त केन्द्र सरकार द्वारा विधिवत् अनुमोदित किसी साख दर अभिकरण द्वारा नगरपालिका की साख—दर प्राप्त करने की व्यवस्था करेगी।

;2द्ध नगरपालिका ऐसे साख—दर अभिकरण को हर अपेक्षित सूचनाएँ उपलब्ध करायेगी।

148. ऋण सेवा सुरक्षित निधि

नगरपालिका अपने अतिरिक्त राजस्व द्वारा अथवा नगरपालिका बंधपत्रों की आय से प्राप्त पूंजी द्वारा मूलधन अथवा सूद के भुगतान करने हेतु दो वर्षो से अनधिक अवधि के लिए एक ऋण सेवा

सुरक्षित निधि स्थापित कर सकेगी।

149. भविष्य ऋण द्वारा ऋणभार की सीमा — जब और जहां अपेक्षित हो, नगरपालिका, बंधपत्रों को जारी करने के उद्देश्य से अपने भविष्य ऋणभार को एक उपयुक्त ऋण सेवा क्षेत्रानुपात जो इसके भविष्य नगद प्रवाह वहिर्वेशन के न्यूनतम अनुपात में हो, सीमित कर सकती है।

150. नगर पालिका बंधपत्रों द्वारा आय का उपयोग — नगरपालिका, बंधपत्र द्वारा प्राप्त आय का उपयोग जलापूर्ति, जल–मल व्यवस्था, नाली, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बाजार, सड़क, पुल, नगरीय यातायात के क्षेत्र में नगरीय अवसंरचना के विकास हेतु पूंजी निवेश के रूप में, और नगरपालिका प्रशासन की मौजूदा पद्धति की दक्षता को बढ़ाने और सुधार करने, तथा उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नगरपालिका बंधपत्रों अथवा अन्य उपायों से पूर्व में उगाहे गए ऋणों के पुनः भुगतान के लिए करेगी।

भाग– प्ट
नगरपालिका राजस्व
अध्याय–17
आन्तरिक राजस्व के स्रोत

151. नगरपालिका के आन्तरिक राजस्व — नगरपालिका के आन्तरिक राजस्व में निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त आय सम्मिलित होगी,–

(क) नगरपालिका द्वारा उगाहे गये कर,
(ख) नागरिक सेवाओं के लिए उपबंधित उपभोक्ता शुल्कों की उगाही, और
(ग) विनियामक तथा अन्य वैधानिक कृत्यों के निष्पादनार्थ शुल्क एवं अर्थ दण्ड की उगाही।

152. कर उगाही की शक्ति — ;1द्ध इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए नगरपालिका को निम्नांकित करों के उद्ग्रहण की शक्ति होगी,–

(क) भूमि एवं भवनों पर सम्पत्ति कर,
(ख) रिक्त भूमि पर कर,
(ग) भूमियों एवं भवनों के स्थानान्तरण पर

अधिभार,

(घ) किसी गैर आवासीय भवन में पार्किंग स्थल के अभाव पर कर,

(ङ) जल कर,

(च) अग्नि कर,

(छ) समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से इतर विज्ञापनों पर कर,

(ज) मनोरंजन कर पर अधिभार,

(झ) नगरपालिका क्षेत्र में विद्युत उपभोग पर अधिभार,

(ञ) सभा कर,

(ट) तीर्थयात्रियों तथा पर्यटकों पर कर,

(ठ) मार्ग (पथ) कर—

(i) सड़कों, पुलों, तथा नौघाट एवं नौगम्य जलमार्ग पर, और

(ii) किसी सार्वजनिक सड़क पर चलाये जाने वाले मोटरवाहन अधिनियम, 1988 के अर्थान्तर्गत भारी ट्रक जो भारी मालवाहक वाहन होगा तथा बसें जो यात्री वाही भारी मोटर वाहन होगा, पर।

(ड) वृत्ति एवं व्यवसाय (पेशा) पर करः

परन्तु यह कि जहाँ पेशा कर वेतन भोगी कर्मचारियों से वसूल किया जाना हो, नियोक्ता स्रोत पर इसकी कटौती कर नगर पालिका को सीधा भुगतान कर सकेगा।

;2द्ध नगरपालिका, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के अध्यधीन, इस अधिनियम के अधीन अपने दायित्वों के निर्वहन एवं अपने कार्यों के निष्पादन के लिए राजस्व बढाने हेतु, ऐसे किसी भी कर की उगाही कर सकेगी, जिसे भारत के संविधान के अधीन राज्य विधायिका को उगाहने का अधिकार है।

;3द्ध इस अधिनियम के अधीन करों की उगाही, निर्धारण तथा वसूली इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गए नियम और विनियमों के उपबंधों के अनुरूप होगीः

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति स्व—कर निर्धारण कर सकेगा और इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों एवं विनियमों के अनुसार किसी उद्ग्रहण या दर का भुगतान कर सकेगाः

परन्तु यह और कि ऐसे स्व–कर निर्धारण में यदि कोई भिन्नता या अवनिर्धारण पाया जाता है तो ऐसा व्यक्ति अन्तरीय राशि तथा ऐसी अन्तरीय राशि के पचास प्रतिशत से अन्यून और सौ प्रतिशत तक के जुर्माना के भुगतान का दायी होगा।

;4द्ध नगरपालिका क्षेत्र में सम्पत्तियों (होल्डिंगों) का वर्गीकरण नगरपालिका द्वारा निम्नलिखित मानदण्डों पर किया जायेगा–

(क) होल्डिंगों (धृतियों) की अवस्थिति–

(i) प्रधान मुख्य सड़क पर होल्डिंग,

(ii) मुख्य सड़क पर होल्डिंग,

(iii) उपखण्ड ;पद्ध तथा ;पपद्ध से भिन्न अन्य होल्डिंग;

(ख) होल्डिंग का उपयोग–

(i) पूर्णतः आवासीय,

(ii) पूर्णतः वाणिज्यिक,जैसे दुकानें, होटल, लॉज, रेस्टोरेंट, भंडारागार, तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान,

(iii) पूर्णतः औद्योगिक, जैसे कारखाना, मिल, कार्यशाला तथा अन्य विनिर्माणी इकाइयां,

(iv) उपखण्ड ;पद्ध ;पपद्ध एवं ;पपपद्ध से भिन्न अन्य सभी होल्डिंग;

(ग) निर्माण का प्रकार–

(i) आर.सी.सी. / आर.बी. छत वाला पक्का भवन,

(ii) एस्बेस्टस / नालीदार (कौरोगेटेड) चादर की छत वाला पक्का भवन,

(iii) अन्य सभी भवन जो उपखण्ड ;पद्ध और ;पपद्ध के अन्तर्गत नहीं आते हों।

;5द्ध राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन नगरपालिका इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ समय–समय पर प्रधान मुख्य सड़क तथा मुख्य सड़कों की सूची प्रकाशित कर सकेगी तथा, यदि आवश्यकता हो सूची, को उपान्तरित कर सकेगी।

;6द्ध होल्डिंग के वार्षिक किराया मूल्य की संगणना के प्रयोजनार्थ, फर्श क्षेत्रफल की माप निम्नलिखित रूप में संगणित की जायेगी–

(i) कमरा– भीतरी लम्बाई–चौड़ाई की पूर्ण माप,

(ii) आच्छादित बरामदा—भीतरी लम्बाई—चौड़ाई की पूर्ण माप,
(iii) छज्जा/गलियारा, रसोईघर और भंडार घर—भीतरी लम्बाई—चौड़ाई के पचास प्रतिशत की माप,
(iv) गैराज—भीतरी लम्बाई—चौड़ाई की एक—चौथाई की माप,
(v) स्नानघर, शौचालय, बरसाती और सीढ़ी वाला क्षेत्र फर्श क्षेत्रफल का भाग नहीं होगा।

;7द्ध (क) होल्डिंग की अवस्थिति, उपयोग एवं निर्माण के प्रकार को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका द्वारा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से प्रति वर्गफुट किराया मूल्य की दर नियत की जायेगी,

(ख) वार्षिक किराया मूल्य का रूपान्तरण फर्श क्षेत्र तथा खण्ड (क) के अधीन नियत किराया मूल्य के गुणन के रूप में किया जायेगा,

(ग) विभिन्न वर्गों के होल्डिंग के लिए फर्श क्षेत्र का प्रति वर्गफुट किराया मूल्य, नगरपालिका द्वारा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से समय—समय पर प्रकाशित किया जायेगा।

;8द्ध राज्य सरकार द्वारा विहित दरों पर निम्नलिखित करों का निर्धारण वार्षिक किराया मूल्य के आधार पर किया जायेगा—
(i) होल्डिंग कर,
(ii) जल कर,
(iii) शौचालय कर,
(iv) भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी अन्य विषय पर कर ऐसे दर पर, जैसा विहित किया जाय।

;9द्ध नगरपालिका राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से वार्षिक किराया मूल्य पर कर की दर को पॉच वर्ष या इसके पूर्व पुनरीक्षित करेगी।

;10द्ध इस धारा को लागू करने में यदि कोई कठिनाई होती है या नगर पालिका इस धारा के उपबंधों के अनुपालन में असफल रहती है, तो राज्य सरकार कोई निदेश दे सकती है।

153. झारखण्ड ;1द्ध झारखण्ड सम्पत्ति कर परिषद की रचना—
(क) परिषद में अध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे,

सम्पत्ति कर परिषद

(ख) अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो सचिव, जिसमें पदेन सचिव भी है, स्तर से **अन्यून** स्तर का राज्य सरकार का कोई पदाधिकारी हो या रहा हो,

(ग) अन्य सदस्यों में नगरीय प्रशासन, सम्पत्तियों के मूल्यांकन, लेखा, विधि, अभियंत्रण तथा नगरीय नियोजन के क्षेत्रों में ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले शामिल होंगे, जैसा राज्य सरकार नियत करे,

(घ) परिषद के अध्यक्ष एवं सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे तथा वेतन एवं भत्तों सहित उनकी सेवा की शर्तें और बंधेज ऐसे होंगे, जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय,

(ङ) परिषद का एक सचिव होगा जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होगा।

;2द्ध अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार एक व्यक्ति को अध्यक्ष एवं दूसरों को सदस्य नियुक्त करेगी।

;3द्ध परिषद के कृत्य—

(क) राज्य में सभी नगरपालिकाओं की समस्त सम्पत्तियों का **परिगणना** करना या करवाना और आंकड़ा आधार विकसित करना,

(ख) सम्पत्ति कर प्रणाली का पुनर्विलोकन करना और सम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु समुचित आधार सुझाना,

(ग) सम्पत्तियों के मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया परिकल्पित तथा प्रतिपादित करना,

(घ) राज्य की नगरपालिकाओं में केन्द्र, राज्य या नगरपालिका सम्पत्तियों एवं छूट प्रदान सम्पत्तियों सहित सम्पूर्ण सम्पत्तियों का मूल्यांकन करना या करवाना,

(ङ) नियतकालिक संशोधन हेतु प्रणाली (रूप) अनुशंसित करना,

(च) सम्पत्ति/**होल्डिग** कर विवादों एवं अपीलों का अधिनिर्णय करना,

(छ) सम्पत्तियों के मूल्यांकन में गुणवत्ता सुनिश्चित करना,

(ज) मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और स्पष्ट तुलना हेतु मूल्यांकनों का प्रकटीकरण सरल करना,

(झ) सरकार के शासकीय राजपत्र में वार्षिक कार्य—योजना को प्रकाशित करना,

(ञ) नगरपालिका के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण की, जैसा राज्य सरकार निदेशित करे या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए परिषद द्वारा आवश्यक समझा जाय, स्वयं या किसी संस्थान के माध्यम से व्यवस्था करना,

(ट) मूल्यांकन के क्षेत्र में ऐसे अन्य कृत्यों जिसमें भूमि तथा भवनों के मूल्यांकन में विशेषज्ञता का विकास शामिल है, का निष्पादन करना, और

(ठ) नगरपालिका को सम्पत्तियों के मूल्यांकन पर ऐसा परामर्श, जैसा राज्य सरकार समय—समय पर अपेक्षा करे या इस अधिनियम के उद्देश्यों हेतु परिषद आवश्यक समझे, देना।

;4द्ध नियम बनाने की शक्ति—

(क) इस धारा के प्रयोजनों को लागू करने हेतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी,

(ख) विशेषकर, और पूर्वोक्त शक्तियों की सामान्यता के पूर्वाग्रह के बिना, राज्य सरकार परिषद के संगठन, परिषद की बैठकों, परिषद के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से संबंधित मामले, कार्य की प्रक्रिया और ऐसे अन्य मामलों के संबंध में नियम बना सकेगी; ऐसे नियम सभी या किसी मामले के लिए जो विहित किया जाना अपेक्षित हो या है, उपबंधित होंगे।

(ग) राज्य सरकार द्वारा बनाये गये सभी नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जायेंगे।

;5द्ध विनियम बनाने की शक्ति—

(क) परिषद, इस अधिनियम के प्रयोजनों को लागू करने हेतु, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गए नियमों के उपबंधों के सुसंगत विनियम बना सकेगी,

(ख) राज्य सरकार ऐसा अनुमोदन करते समय ऐसी वृद्धि, परिवर्तन और सुधार कर सकेगी, जैसा वह उचित समझेः

परन्तु यह कि ऐसे परिवर्धन, परिवर्तन या सुधार करने से पूर्व राज्य सरकार परिषद को उस पर अपनी राय, दो माह से अनधिक अवधि के भीतर, जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, व्यक्त करने का अवसर देगी,

(ग) परिषद द्वारा बनाये गए और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित समस्त विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जायेंगे।

;6द्ध वार्षिक रिपोर्ट—

परिषद वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों का एक वार्षिक प्रतिवेदन ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय, तैयार करेगी, और राज्य सरकार रिपोर्ट को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

154. उपभोक्ता शुल्कों की उगाही की शक्ति

नगरपालिका निम्न के लिए उपभोक्ता शुल्कों की उगाही करेगी—

(i) जलापूर्ति, जल निकास एवं मल निकास की व्यवस्था,
(ii) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन,
(iii) विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न अवधियों के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों की पार्किंग,
(iv) सार्वजनिक पथों पर किसी भी प्रकार के निर्माण, फेरबदल, मरम्मत अथवा ध्वंस करने के कार्य के लिए सामग्री अथवा कूड़ाकरकट का अम्बार लगाना, और
(v) नगरपालिका द्वारा प्रदत्त अन्य सेवाओं के लिए समय—समय पर विनियमों द्वारा निर्धारित किये गये दरों परः

परन्तु यह कि नगरपालिका नगर क्षेत्र में व्याप्त स्थिति के अनुरूप यथापूर्वोक्त उपभोक्ता शुल्कों की उगाही करने या उसे रोक देने का निर्णय ले सकेगीः

परन्तु यह और कि राज्य सरकार यथा पूर्वोक्त कोई उपभोक्ता शुल्क जो नगरपालिका द्वारा न लगाया गया हो या स्थगित किया गया हो, लगाने हेतु निदेश दे सकेगी।

155. शुल्क एवं जुर्माना

;1द्ध नगरपालिका को, इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन या द्वारा उसको दी गई विनियामक शक्तियों के

लगाने की शक्ति

प्रयोग में निम्नलिखित के लिए शुल्क एवं जुर्माना लगाने की शक्ति होगी –

(क) भवन योजना की मंजूरी और सम्पूरण प्रमाण–पत्र निर्गत करना;

(ख) भूमि एवं भवनों के विभिन्न गैर–आवासीय उपयोगों हेतु नगरपालिका अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) निर्गत करना;

(ग) निम्नलिखित की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस)–

(i) विभिन्न कोटियों के पेशेवर, जैसे नलसाज एवं सर्वेक्षक,

(ii) नलकूप धँसाना, मांस, मछली या कुक्कुट अथवा वस्तुओं की फेरी लगाने जैसे विभिन्न कार्य–कलाप,

(iii) विज्ञापनों के लिए प्रयुक्त स्थलों या निजी बाजार, बूचड़खाना, अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, कारखाना, भंडारगृह, गोदाम, माल–परिवहन डिपो, भोजनालय, आवासगृह, होटल, थियेटर, सिनेमा भवन तथा सार्वजनिक मनोरंजन के लिए प्रयुक्त परिसरों और अन्य गैर–आवासीय प्रयोजनों के स्थल,

(iv) पशुओं,

(v) ठेला अथवा गाड़ी अथवा वाहन, और

(vi) ऐसे अन्य क्रियाकलाप जिनके लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्ति या अनुमति अपेक्षित है; और

(घ) जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत करना।

;2द्ध नगर पालिका को न्यूसेंस फैलाने तथा इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना वसूलने की शक्ति होगी।

156. कर अथवा शुल्क पर अधिभार लगाना

नगरपालिका, नगर क्षेत्र के अन्तर्गत किसी कर या उपभोक्ता शुल्क या विद्युत उपभोग शुल्क पर ऐसी दर से अधिभार अधिरोपित कर सकेगी।

157. विकास प्रभार लगाने की शक्ति — नगरपालिका समय—समय पर विनियमों द्वारा अवधारित दर पर चौदह मीटर से अधिक ऊँचाई वाले किसी आवासीय भवन पर या किसी विशेष कोटि की गली में अवस्थित होने, इसके उपयोग विशिष्टता और स्वीकृत किए गए निर्मित क्षेत्र के आधार पर किसी गैर—आवासीय भवन पर विकास प्रभार लगा सकेगी।

158. किसी अन्य विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर आदि की वसूली — नगरपालिका, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा यथा प्राधिकृत होने पर उस विधि के अधीन लागू कोई कर, विकास प्रभार, उपकर या शुल्क अथवा उस विधि के अधीन भुगतान योग्य कोई बकाया उसके उपबंधों के अनुसार वसूल सकेगी।

159. समेकित कर अधिरोपित करने की शक्ति — ;1द्ध पूर्वगामी धाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी धारा—152 की उपधारा (1) में वर्णित किन्हीं दो या अधिक करों को अलग—अलग अधिरोपित करने अथवा तथाकथित करों में से एक या अधिक करों तथा जलनिकासी कर अथवा अधिभार, लगाने के बदले, स्थायी समिति के पूर्वानुमोदन से एक समेकित कर, ऐसे दर पर जैसा वह उचित समझे, नगरपालिका में अवस्थित होल्डिंगों के वार्षिक मूल्य पर निर्धारित, लगा सकेगी।

;2द्ध ऐसा समेकित कर धृति के स्वामियों और अधिभोगियों द्वारा उस अनुपात में जैसा नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी नियत करे, भुगतेय होगा।

160. एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा धारित होल्डिंग — जब कोई होल्डिंग दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा धारित हो अथवा दो या अधिक व्यक्तियों को किराये पर दी गई हो, जो इसके रख—रखाव एवं उस भाग के किराये के, जिसे वह धारित करते हों, अलग—अलग देनदार हों, नगरपालिका कर निर्धारण के प्रयोजन से या तो पूरे को एक होल्डिंग मान सकती है अथवा उसके स्वामी अथवा स्वामियों की लिखित सहमति से उक्त अंशों में से प्रत्येक को अलग—अलग अथवा दो या दो से अधिक अंशों को एक साथ मान सकती है अथवा प्रत्येक तल अथवा फ्लैट को पृथक होल्डिंग मान सकती है।

161. करों का — ;1द्ध कोई कर जिसका निर्धारण होल्डिंग के मूल्य पर

. भुगतान कौन करेगा

किया गया है, धारा–152 के उपबन्धों के अध्यधीन स्वामी, और उसकी अनुपस्थिति में होल्डिंग के अधिभोगी, द्वारा भुगतेय होगा।

;2द्ध कोई कर जिसका निर्धारण होल्डिंग के वार्षिक मूल्य के इतर आधार पर होता हो, नगरपालिका में होल्डिंग के वास्तविक अधिभोगी द्वारा भुगतेय होगा।

162. सम्पत्ति के हस्तांतरण पर ड्यूटी (महसूल)

;1द्ध राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में स्थावर (अचल) सम्पत्ति के हस्तातंरण पर महसूल उपधारा (2) में समाविष्ट उपबंधों के अनुसार अधिरोपित किया जा सकेगा।

;2द्ध राज्य सरकार द्वारा आदेश दिए जाने की स्थिति में झारखण्ड राज्य में लागू समय–समय पर यथापरिवर्धित भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899, (अधिनियम 2, वर्ष 1899) नगरपालिका क्षेत्र में स्थित जंगम (चल) संपत्ति की बिक्री और दान के लिखित, जिसका निष्पादन उस नगरपालिका में इस अधिनियम के उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख को या उसके पश्चात् हुआ हो, पर अधिरोपित किया जानेवाला स्टाम्प शुल्क इस तरह अवस्थित संपत्ति के मूल्यांक पर दो प्रतिशत की दर से बढ़ जायेगा। जंगम सम्पत्ति के भोग बंधक के मामले में लिखत (इन्स्ट्रूमेंट) द्वारा प्रतिभूत राशि, जिसका लिखत में होगा, पर दो प्रतिशत के हिसाब से बढ़ा दिया जायेगा।

;3द्ध अंतरण महसूल (ड्यूटी) लागू किये जाने पर–

(क) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम 2, वर्ष 1899) समय–समय पर यथा संशोधित की धारा– 27 इस प्रकार पढ़ी जायेगी, मानो उसके द्वारा विशेष रूप से अपेक्षा की गयी थी कि क्रमशः नगरपालिका सीमाओं के भीतर और उन सीमाओं के बाहर अवस्थित संपत्ति के बारे में उस धारा में निर्दिष्ट विवरण अलग–अलग उल्लेखित किया जाय, और

(ख) उक्त अधिनियम की धारा–64 समय–समय पर यथा संशोधित रूप में इस तरह पढ़ी जायेगी, मानो उसके द्वारा नगरपालिका और सरकार, दोनों का

संदर्भ होता है।

;4द्ध उपरोक्त अभिवृद्धि से संग्रहीत समस्त राशि, आकस्मिक व्यय, यदि कोई हो, की कटौती कर, यथाविहित समय पर नगरपालिका निधि के नामें जमा की जायेगी।

अध्याय—18
कर निर्धारण (करारोपण)

163. पृथक् अंशों में उपविभाजित होल्डिंग पर कर निर्धारण

;1द्ध यदि किसी होल्डिंग अथवा उसके अंश का स्वामित्व पृथक् अंशों में उपविभाजित हो, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी किसी सह—स्वामी के आवेदन पर ऐसे होल्डिंग या इसके अंश का कर निर्धारण निम्नांकित रीति से विभाजित कर सकेगा, यथा—

(क) यदि स्वामित्व पृथक आवंटन के बिना दो अथवा अधिक अंशों में उपविभाजित हो अथवा ऐसे उपविभाजन के फलस्वरूप ऐसे होल्डिंग या उसके अंश का अलग आवंटन हो, जो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हो तथा पृथक् रूप से उपयोग के योग्य न हो, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, यदि वह उचित समझे, निर्धारण का बंटवारा, अंश धारकों के बीच, उनसे सम्बद्ध अंश के मूल्य के आधार पर बिना किसी पृथक् संख्या दिये कर सकेगा;

(ख) यदि ऐसे उपविभाजन के फलस्वरूप, ऐसी होल्डिंग अथवा उसके अंश का पृथक् आवंटन हो और ऐसे आवंटन पूर्णतः स्वतंत्र रूप से और पृथक् उपयोग के योग्य हों, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, यदि वह उचित समझे, ऐसे अंशों का उन्हें पृथक्—पृथक् संख्या प्रदान करते हुए पृथक् निर्धारण कर सकेगा; और

(ग) यदि ऐसे होल्डिंग या उसके भाग के पृथक्कृत अंश, भवनों से संबंधित इस अधिनियम या एतद्धीन बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के उपबन्धों के अनुरूप, पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हों और

पृथक् उपयोग के लिये बनाये गये हों, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी उन्हें अलग संख्या प्रदान करते हुए पृथक् कर निर्धारण करेगा।

;2द्ध उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक प्रत्यावर्तन नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और धारा–167 के अधीन दाखिल आवेदन के फलाफल के अधीन उस तिमाही से लागू होगा, जिस तिमाही में वह आदेश पारित हुआ हो, लेकिन ऐसे प्रत्यावर्तन से यह, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नया कर निर्धारण या संशोधित निर्धारण सूची नहीं माना जायेगा।

164. एकीकृत धृतियों के मामलों में करारोपरण

;1द्ध यदि दो या अधिक संख्या वाले होल्डिंग या उनके भागों को एक या अधिक परिसर के रूप में एकीकृत किया जाये तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी इस अध्याय के प्रयोजनार्थ एक या अधिक संख्या प्रदान करते हुए यथास्थिति उन पर करारोपण करेगाः

परन्तु यह कि ऐसे परिसरों के एकीकरण पर करारोपण नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उसके स्वामी अथवा स्वामियों के आवेदन के बिना नहीं किया जायेगा।

;2द्ध सभी प्रत्यावर्तन नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और किसी अभ्यावेदन के फलाफल के अध्यधीन उस तिमाही से लागू होगा जिस तिमाही में वह आदेश पारित हुआ हो, लेकिन ऐसे प्रत्यावर्तन से नया कर निर्धारण या निर्धारण सूची संशोधित की गयी नहीं मानी जायेगी।

165. अत्यधिक कठिनाई वाले मामले में स्थायी समिति की शक्ति

जब कभी, परिस्थितिजन्य कारणों से किसी होल्डिंग पर लगाया गया कर, भुगतान करने वाले के लिए अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न करने वाला हो, तो स्थायी समिति नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की अनुशंसा पर उस होल्डिंग पर भुगतेय राशि में कमी कर सकेगी अथवा उसे माफ कर सकेगीः

परन्तु यह कि ऐसी कमी या माफी का प्रभाव, जब तक कि नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की अनुशंसा पर स्थायी समिति द्वारा नवीकृत नहीं किया जाए, एक वर्ष से अधिक के

लिए प्रभावी नहीं रहेगा।

166.	खाली धृतियों पर छूट अथवा समायोजन	;1द्ध	जब वर्ष में लगातार **नब्बे** अथवा अधिक दिनों तक कोई होल्डिंग खाली रहे **एवं** किराये के लिए अनुत्पादक हो तथा इस संबंध में नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को लिखित सूचना दी गयी हो, तो वह कर को माफ करेगा और यदि कर का भुगतान कर दिया गया हो, भविष्य की मांग के सापेक्ष समायोजित करेगा। माफी की धनराशि लिखित सूचना दिए जाने के दिन से ऐसे होल्डिंग के अनधिवासित रहने के दिनों के कर का आधा होगी।
		;2द्ध	इस धारा के अधीन राहत का दावा करने वाले पर ही तथ्यों को सिद्ध करने का भार होगा।
		;3द्ध	इस धारा के प्रयोजन के लिए अन्यथा खाली किन्तु रक्षक की उपस्थिति अथवा उपयोग में आने वाले फर्नीचरों के रखे जाने के कारण होल्डिंग को अधिवासित नहीं माना जाएगा।
		;4द्ध	इस धारा के प्रयोजन के लिए होल्डिंग को किराया उत्पादक माना जाएगा यदि ऐसे किरायेदार को दिया गया हो, जिसे उसमें रहने का निर्बाध अधिकार हो, भले ही वह उसमें रहता हो अथवा नहीं।
167.	पुनरीक्षण के लिए आवेदन	;1द्ध	यदि कोई व्यक्ति होल्डिंग पर निर्धारित कर राशि अथवा उसके मूल्यांकन अथवा होल्डिंग के निर्धारण अथवा जो होल्डिंग की अपनी अधिभोग का खण्डन अथवा करों की उसकी देयता पर आपत्ति करता है तो वह नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी को निर्धारण या निर्धारण धनराशि या मूल्यांकन को पुनरीक्षित करने या उसे निर्धारण अथवा कर से छूट देने हेतु आवेदन कर सकता है।
		;2द्ध	आपत्तियों के ऐसे सभी आवेदन लिखित रूप में किसी होल्डिंग के कर निर्धारण अथवा कर निर्धारण के लिए मूल्यांकन से संबंधित नोटिस तामील किये जाने के तीस दिनों के अन्दर दिए जायेंगेः परन्तु यह कि नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, यदि वह उचित समझे, उक्त तीस

दिनों की अवधि को साठ दिनों से अनधिक अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगा।

168.	आपत्तियों की नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जाँच	;1द्ध	ऐसी सभी आपत्तियाँ, इस प्रयोजन के लिए धारित पंजी में प्रविष्ट की जायेंगी, एवं इसकी प्राप्ति के उपरांत नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी अथवा इस हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा आपत्तिकर्त्ता को उसकी आपत्ति पर विचार करने की तिथि, समय एवं स्थान निर्दिष्ट करते हुए सूचना दी जायेगी।
		;2द्ध	ऐसे नियत समय एवं स्थान पर नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी अथवा इस हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा आपत्तिकर्त्ता अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में आपत्ति की सुनवाई की जायेगी। यदि आपत्तिकर्ता समुचित कारण के आधार पर जाँच स्थगित करने का आवेदन करता है तो जाँच स्थगित की जा सकेगी।
		;3द्ध	आपत्ति पर निर्णय हो जाने पर ऐसी आपत्ति पर पारित आदेश उक्त पंजी में अभिलिखित किया जायेगा और आपत्ति के फलाफल के अनुसार यदि आवश्यक हो, निर्धारण सूची में संशोधन किया जायेगा।
169.	**झारखण्ड सम्पत्तिकर परिषद के यहाँ अपील**	;1द्ध	कोई व्यक्ति, अपनी आपत्ति पर पारित आदेश से असंतुष्ट **होकर झारखण्ड सम्पत्तिकर परिषद के समक्ष अपील** कर सकेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।
		;2द्ध	ऐसी अपील **झारखण्ड सम्पत्तिकर परिषद** के समक्ष आदेश पारित होने के तीस दिनों के अन्दर प्रस्तुत की जायेगी और अपील के साथ आपत्ति पंजी से उद्धरण, जिसमें आपत्ति समाविष्ट हो, संलग्न की जायेगी और उसका निष्पादन **विहित** प्रक्रिया **से** किया जायेगा **अथवा** राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।
		;3द्ध	इस धारा के अधीन सभी अपीलों पर भारतीय परिमितता अधिनियम, 1908 के अपीलों से संबंधित उपबन्ध लागू होंगे।

;4द्ध इस धारा के अधीन कोई अपील स्वीकार नहीं होगी जब तक आपत्ति का निर्धारण पहले धारा–168 के अधीन न कर दिया गया हो।

;5द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी उक्त **झारखण्ड सम्पत्तिकर परिषद** न्यायालय के निर्णय को प्रभावी करेगा। किन्तु यदि अपील के अंतिम निर्णय द्वारा यह नियत होता है कि ऐसा कर या उसकी किश्त पूर्णतः या अंशतः नहीं लगाया जाना चाहिए था या उसकी वसूली नहीं की जानी चाहिए थी, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, ऐसे व्यक्ति को जिससे ऐसा कर या किश्त अधिरोपित या वसूल की गयी थी, अथवा अंतिम निर्णय के अनुसार समुचित ढ़ंग से अधिरोपणीय से अधिक धनराशि, यथास्थिति, वापस करेगा अथवा ऐसी अधिक धनराशि को भविष्य की किसी मांग के सापेक्ष समायोजित करेगा।

170. मूल्यांकन का अंतिम होना

इस अधिनियम के अधीन नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किया गया प्रत्येक मूल्यांकन धारा–168 एवं 169 के उपबंधों के अध्यधीन, अंतिम होगा।

अध्याय–19
समाचार–पत्रों के विज्ञापनों के अतिरिक्त अन्य विज्ञापनों पर कर एवं विज्ञापन स्थलों के लिए विज्ञप्ति शुल्क

171. नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना विज्ञापनों का निषेध

;1द्ध कोई भी व्यक्ति नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना नगरपालिका के क्षेत्र के भीतर कोई विज्ञापन किसी जमीन, भवन, दिवाल, टट्टी, फ्रेम, छतरी, ढाँचा, गाड़ी, निऑन अथवा आकाशीय चिन्ह के ऊपर या पर न लगायेगा, न प्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा और न रखेगा, न किसी स्थान में या किसी सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक स्थान से दिखाई पड़ने वाला कोई विज्ञापन लोकदृष्टि में चाहे वह किसी रीति से हो (इसमें सिनेमा के

माध्यम से प्रदर्शित कोई विज्ञापन भी शामिल है) प्रदर्शित नहीं करेगा।

;2द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी ऐसी अनुमति प्रदान नहीं करेगा, यदि–

(क) विज्ञापन के प्रयोजन हेतु किसी विशिष्ट स्थल के इस्तेमाल करने की अनुज्ञप्ति प्राप्त न की गई हो, या

(ख) विज्ञापन इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गए नियमों अथवा विनियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता हो, या

(ग) विज्ञापन के संदर्भ में बकाया कर, यदि कोई हो, का भुगतान नहीं किया गया हो।

;3द्ध कोई भी व्यक्ति नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना, रेडियो या टेलीविजन को छोड़कर, कोई विज्ञापन प्रसारित नहीं करेगा।

172. विज्ञापन के प्रयोजनार्थ स्थल के उपयोग की अनुज्ञप्ति

;1द्ध अनुज्ञप्ति के ऐसे निबंधन एवं शर्तों की अनुरूपता को छोड़कर जो नगरपालिका विनियमों द्वारा उपबंधित करे, कोई व्यक्ति मालिक, पट्टेदार, उपपट्टेदार, अधिभोगी या विज्ञापन अभिकर्ता होने के नाते किसी विज्ञापन प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ किसी भूमि, भवन या दीवाल के स्थल का उपयोग न तो करेगा और न करने की अनुमति देगा, अथवा उस पर कोई प्रचार–पटल, ढाँचा, स्तम्भ, छतरी, संरचना, वाहन, निऑन चिन्ह या आकाश चित्रण का परिनिर्माण नहीं करेगा या न परिनिर्माण किये जाने की अनुमति देगा।

;2द्ध विज्ञापन के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक व्यक्ति–

(क) जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व से किसी स्थल का उपयोग कर रहा हो, अथवा

(ख) जो किसी स्थल के उपयोग का आशयित हो, अथवा

(ग) जिसका स्थल के उपयोग की अनुज्ञप्ति समाप्त होने को हो,

इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के नब्बे दिनों के भीतर, नगरपालिका द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रारूप में अनुज्ञप्ति हेतु या अनुज्ञप्ति नवीकरण के लिए, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन करेगा।

;3द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी यथावश्यक निरीक्षणोंपरांत एवं आवेदन प्राप्त करने के तीस दिनों के भीतर, विनियमों द्वारा अवधारित शुल्क भुगतान करने पर यथास्थिति, अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा या उसका नवीकरण करेगा अथवा यथा स्थिति, अनुज्ञप्ति नामंजूर करेगा या रद्द करेगा।

;4द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की राय में यदि किसी विज्ञापन के लिए प्रस्तावित स्थल, जनसुरक्षा, यातायात संकट या सुरूचिपूर्ण रूपांकन के विचार से अनुपयुक्त हो, तो वह आवेदन प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अनुज्ञप्ति प्रदान करने से मना कर सकता है अथवा विद्यमान अनुज्ञप्ति का नवीकरण नामंजूर कर सकता है।

;5द्ध मेला, त्योहार, **सर्कस**, यात्रा, प्रदर्शनी, खेल–कूद अथवा सामाजिक अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे अस्थायी उपयोग को छोड़कर प्रत्येक अनुज्ञप्ति एक वर्ष की अवधि के लिए होगी।

;6द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी एक रजिस्टर संधारण करायेगा, जिसमें इस धारा के अधीन निर्गत की गयी अनुज्ञप्तियाँ विज्ञापन स्थल के विषय में अलग–अलग दर्ज की जायेंगी–

(क) सार्वजनिक या निजी गली या सार्वजनिक स्थल से लगे या पर परिनिर्मित दूरभाष, टेलीफोन,ट्राम, बिजली या अन्य खम्भा या पोल पर,

(ख) भूमि या भवन में, और

(ग) सिनेमा हॉल, थियेटर या अन्य सार्वजनिक आश्रय स्थलों में।

173. विज्ञापन पर कर

;1द्ध ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी भूमि, भवन, दीवार, प्रचार–पटल, ढाँचा, स्तम्भ, छतरी, संरचना, वाहन, निऑन चिन्ह, आकाश चित्रण पर या उस पर

किसी विज्ञापन का परिनिर्माण, प्रदर्शन नियत या प्रतिधारित करता है अथवा हवाई अड्डा या बन्दरगाह या रेलवे स्टेशन सहित नगरपालिका क्षेत्र में पड़ने वाले सार्वजनिक गली या स्थल से जन सामान्य को किसी विज्ञापन (इसमें चलचित्र यंत्र के माध्यम से प्रदर्शित विज्ञापन शामिल है) का प्रदर्शन करता है, तो प्रत्येक विज्ञापन जिसका इस प्रकार परिनिर्माण, प्रदर्शन, नियत, धारण या लोकदृष्टि में प्रदर्शन किया गया है, के लिए विनियमों द्वारा यथानिर्धारित दर पर परिगणित कर का भुगतान करेगा।

;2द्ध उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित विज्ञापन पर इस धारा के अधीन कोई कर उदगृहीत नहीं किया जाएगा—

(क) सार्वजनिक बैठक अथवा संसद या राज्य विधानमंडल या नगरपालिका या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार के निर्वाचन से संबंधित अथवा ऐसे निर्वाचन के संबंध में अभ्यर्थियों के लिए, अथवा

(ख) किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित, यदि विज्ञापन भवन में हो रहे किसी व्यापार, पेशा या कारोबार से संबंधित हो, अथवा

(ग) भूमि या भवन के भीतर चल रहे किसी व्यापार, पेशा या कारोबार के संबंध में प्रदर्शित विज्ञापन जो उस भूमि या भवन के ऊपर प्रदर्शित हो अथवा कोई बिक्री या ऐसी भूमि या भवन को किराये पर लगाने के लिए या उसमें किसी कार्य के लिए अथवा ऐसी भूमि या भवन पर या इसमें होने वाली किसी बिक्री, मनोरंजन या बैठक के लिए, अथवा

(घ) जिस पर विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है, उस भूमि या भवन के नाम अथवा ऐसी भूमि या भवन के स्वामी या अधिभोगी के नाम से संबंधित, अथवा

(ङ) किसी हवाई अड्डा, बन्दरगाह या रेलवे प्रशासन से संबंधित और ऐसे हवाई अड्डा, बन्दरगाह या रेलवे स्टेशन के

भीतर अथवा उसकी दीवार या अन्य सम्पत्ति पर प्रदर्शित, अथवा

(च) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार के किसी क्रियाकलाप से संबंधित।

;3द्ध इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय किसी विज्ञापन पर कर विनियमों द्वारा यथानिर्धारित किश्तों एवं रीति से अग्रिम रूप में भुगतेय होगा।

174. कतिपय मामलों में निरस्त किये जाने के लिए नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की अनुज्ञा

धारा—171 के अधीन कोई भी अनुज्ञा निरस्त कर दी जायेगी,—

(क) यदि विज्ञापन इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी विनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है, अथवा

(ख) यदि विज्ञापन या उसके किसी भाग में कोई प्रमुख सामग्री परिवर्तन नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की पूर्वानुज्ञा के बिना किया गया हो, अथवा

(ग) यदि विज्ञापन या उसका कोई भाग दुर्घटना से भिन्न किसी कारण से गिर जाता हो, अथवा

(घ) यदि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या नगरपालिका या किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा किसी कार्य के चलते विज्ञापन को स्थानान्तरित करना अपेक्षित हो।

175. कतिपय मामलों में निरस्त किये जानेवाले विज्ञापन के प्रयोजनार्थ स्थल उपयोग की अनुज्ञप्ति

धारा—171 के अधीन मंजूर कोई अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जाएगी,—

(क) यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के किसी निबंधन एवं शर्त्तों का उल्लंघन करता हो, अथवा

(ख) यदि भूमि, भवन, दीवार, प्रचार पटल, ढाँचा, स्तम्भ, छतरी, संरचना, वाहन, निऑन चिन्ह, आकाश चित्रण जिसपर विज्ञापन परिनिर्मित, प्रदर्शित, चिपकाया या प्रतिधारित किया गया हो, उसमें या उस पर कोई परिवर्द्धन या प्रत्यावर्तन किया गया हो, अथवा

(ग) यदि भूमि, भवन, दीवार, प्रचार—पटल, ढांचा, स्तम्भ, छतरी, संरचना, वाहन,

निऑन चिन्ह या आकाश चित्रण जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित, प्रदर्शित, नियत या प्रतिधारित किया गया है, ढहा दिया गया हो या नष्ट कर दिया गया हो।

176. उल्लंघन की स्थिति में उपधारणा

जहाँ इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गये विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक गली या सार्वजनिक स्थल पर जन सामान्य को दिखाने के लिए कोई विज्ञापन किसी भवन, दीवार, प्रचार—पटल, ढांचा, स्तम्भ, छतरी, संरचना, वाहन, निऑन चिन्ह या आकाश चित्रण पर या इसके ऊपर परिनिर्मित, प्रदर्शित, चिपकाया या प्रतिधारित किया गया है, जब तक यह प्रतिकूल साबित न हो जाए, यह उपधारित होगा कि उल्लंघन उस व्यक्ति या व्यक्तियों अथवा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के अभिकर्ताओं द्वारा किया गया है, जिसके निमित्त विज्ञापन तात्पर्यित है।

177. उल्लंघन की स्थिति में नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की शक्ति

यदि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन में कोई विज्ञापन परिनिर्मित, प्रदर्शित, चिपकाया या प्रतिधारित किया जाए, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी उस भूमि, भवन, दीवार, प्रचार पटल, ढांचा, स्तम्भ, छतरी, संरचना, वाहन, निऑन चिन्ह या आकाश चिन्ह के स्वामी या अधिभोगी से, जिसपर ऐसा विज्ञापन लगाया, प्रदर्शित, चिपकाया अथवा प्रतिधारित किया गया हो, ऐसा विज्ञापन हटाने, या उतार लेने की अपेक्षा करेगा, अथवा किसी भूमि, भवन अथवा अन्य सम्पत्ति में प्रवेश करेगा और विज्ञापन को गिरवा, हटा, उतरवा सकेगा या नष्ट या विकृत करवा सकेगा।

स्पष्टीकरण (1)— इस अध्याय में ''ढाँचा'' शब्द के अन्तर्गत किसी विज्ञापन अथवा विज्ञापन माध्यम के रूप में व्यवहृत पहिए पर कोई चलन्त पट्ट शामिल होगा।

स्पष्टीकरण (2)— इस अधिनियम के अधीन विज्ञापन पर किसी कर के संबंध में ''विज्ञापन'' शब्द का तात्पर्य कोई शब्द, अक्षर, मॉडल, आकाश चिन्ह, निऑन—चिन्ह, इश्तहार, सूचना, साधन या उपहार, चाहे वह प्रकाशित हो अथवा नहीं, और जो पूर्णतः अथवा अंशतः विज्ञापन, घोषणा या निर्देशन के प्रयोजनार्थ हो।

178. पोस्टर, तख्ती, आदि को हटाना

किसी भी अन्य कार्रवाई के होते हुए भी, जो किसी भूमि अथवा भवन, जिस पर कोई तख्ती, फ्रेम, इश्तहार, छतरी, रचना, वाहन, निऑन—चिन्ह या आकाश—चिन्ह को इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन में किसी विज्ञापन को लगाया गया हो अथवा किसी व्यक्ति के, जिसने ऐसी तख्ती, फ्रेम, इश्तहार, छतरी, रचना, गाड़ी, निऑन—चिन्ह या आकाश—चिन्ह बनाया हो, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी ऐसी तख्ती, फ्रेम, इश्तहार, छतरी, सूचना, गाड़ी, निऑन—चिन्ह या आकाश—चिन्ह के हटाने एवं भंडारण हेतु, ऐसे व्यक्ति से स्थायी समिति द्वारा समय—समय पर यथा निर्धारित शुल्क की वसूली कर सकेगा।

अध्याय—20

अन्य कर एवं महसूल (टोल)

179. पुलों पर कर

राज्य सरकार, नगरपालिका की सहमति से, नगरपालिका क्षेत्र में किसी पुल पर, शुल्क—फाटक बनवा सकेगी, जिस पर नगरपालिका द्वारा तब तक देख—रेख किया जाएगा जब तक कि राज्यसरकार का अन्यथा निदेश न हो। ऐसे प्रत्येक शुल्क—फाटक, वैसी देख—रेख के दौरान, नगरपालिका का शुल्क—फाटक समझा जाएगा तथा उससे हुए मुनाफा या उसके अंश को, राज्य सरकार एवं नगरपालिका के बीच हुई सहमति से, नगरपालिका कोष में जमा कर दिया जाएगा।

180. घाट को नगर पालिका

;1द्ध जहाँ किसी जल—मार्ग पर दो स्थानों के बीच से कोई जलयान चलाया जाता है और एक या दोनों स्थान किसी नगरपालिका में अवस्थित हों, तो

घाट के रूप में घोषणा

राज्य सरकार, संबंधित नगरपालिका के दृष्टिकोण पर विचार करने के बाद, ऐसे जलयान को नगरपालिका जलयान घोषित कर सकेगी, और उसके बाद, ऐसे जलयान के संचालन से प्राप्त मुनाफा नगरपालिका कोष में जमा किया जाएगा।

;2द्ध संबंधित नगरपालिका द्वारा किसी जलयान को नगरपालिका जलयान घोषित होने के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को होने वाली हानि के लिए उसे मुआवजा दिया जायेगा।

अध्याय—21
करों का भुगतान एवं वसूली
नगरपालिका द्वारा करों की वसूली

181. अधिनियम के अधीन करों की वसूली की रीति

इस अधिनियम में उपबंधित अन्यथा के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी कर को निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार एवं विनियमों द्वारा यथानिर्धारित तरीके से वसूल किया जा सकेगा,—

(क) बिल प्रस्तुत कर, या
(ख) मांग—पत्र तामील कर, या
(ग) बकायेदार की चल सम्पत्ति का आसेध और बिक्री कर, या
(घ) बकायेदार की अचल सम्पत्ति की कुर्की एवं बिक्री कर, या
(ङ) किसी भूमि या भवन के सम्पत्ति कर के मामले में, ऐसी भूमि या भवन के संबंध में बकाये किराये को जब्त कर, या
(च) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सार्वजनिक मांग के रूप में किसी बकाये की वसूली को विनियमित करने वाले सर्टिफिकेट, कुर्की आज्ञापत्र (डिस्ट्रेस वारंट) या देह बारंट (बॉडी वारंट) द्वारा, या
(छ) बकायेदार के नाम बैंक खाता और अन्य वित्तीय प्रपत्र (इन्स्ट्रुमेन्ट), चाहे एकल या संयुक्त धारित हो, की जब्ती और वसूली।

182. करों के भुगतान का समय एवं तरीका

;1द्ध इस अधिनियम में उपबंधित अन्यथा के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन लगाया गया कोई कर, ऐसी तिथि को, किश्तों की ऐसी संख्या में तथा ऐसे तरीके से, जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाय, भुगतेय होगा।

;2द्ध यदि किसी देय रकम को उपधारा (1) में निर्दिष्ट तिथि को या उसके पूर्व चुका दिया जाता है तो ऐसी रकम के पाँच प्रतिशत छूट की अनुमति दी जाएगी।

;3द्ध यदि किसी देय रकम को उपधारा (1) में निर्दिष्ट तिथि को या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो एक प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।

183. बिल की प्रस्तुति

;1द्ध जब कोई कर देय हो जाय, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी देय रकम का एक बिल भुगतान हेतु दायी व्यक्ति को देगाः

परन्तु यह कि ऐसा कोई बिल निम्नलिखित मामले में आवश्यक नहीं होगा–

(क) विज्ञापन पर कर,
(ख) पर्यटक एवं सभाओं पर कर, और
(ग) कोई महसूलः

परन्तु यह और कि किसी कर की वसूली के लिए बिल या माँग की नोटिस तैयार और प्रस्तुत करना तथा उसके पालन में कर संग्रहण के प्रयोजनार्थ, स्थायी समिति, नगरपालिका के अनुमोदन से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अभिकरण को अथवा किसी अन्य अभिकरण को ऐसी शर्त्तों एवं निबंधनों के अधीन जैसा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट हो, कार्य सौंप सकेगी।

स्पष्टीकरण (1)– इस धारा के अधीन बिल को प्रस्तुत किया गया समझा जाएगा यदि उसे डाक

प्रमाण—पत्र या कुरियर एजेन्सी अथवा इलेक्ट्रोनिक मेल द्वारा भुगतान करने वाले व्यक्ति को प्रेषित किया जाता है और, ऐसे मामले में, डाक भेजने की तिथि अथवा कुरियर एजेन्सी अथवा इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा दिए जाने की तिथि वैसे व्यक्ति को बिल प्रस्तुत किए जाने की तिथि समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण (2)— ''कुरियर एजेन्सी'' से अभिप्रेत होगा समय—संवेदी अभिलेख का हर दरवाजे पर सुपुर्दगी में लगी, और ऐसे अभिलेख को देने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की सेवा का उपयोग करने वाली, कोई एजेन्सी।

स्पष्टीकरण (3)— ''इलेक्ट्रॉनिक मेल'' में ई—मेल या अनुकृति प्रेषण (फेसीमाइल ट्रांसमिशन) शामिल होगा।

;2द्ध ऐसे प्रत्येक बिल में, कर का विवरण एवं अवधि, जिससे बिल संबंधित है, का उल्लेख करेगा।

184. कर के भुगतान एवं वसूली के संबंध में विनियम

;1द्ध नगरपालिका, अपने देय करों के भुगतान एवं वसूली सुनिश्चित करने के लिए विनियमों द्वारा उपबंधित करेगी—

(क) मांग—पत्र निर्गत करना, सूचना शुल्क लगाना, बिलम्ब से भुगतान के लिए यथा विनिर्दिष्ट दर पर सूद का अधिरोपण, तथा उसके लिए दण्ड की रकम,

(ख) कुर्की, जब्ती के लिए वारंट निर्गत करना, और देय कर की वसूली के लिए चल सम्पत्ति की बिक्री,

(ग) देय कर की वसूली के लिए अचल सम्पत्ति की जब्ती एवं बिक्री,

(घ) नगरपालिका क्षेत्र छोड़ने वाले व्यक्ति से देयों की वसूली,

(ङ) बकायेदार के नाम बैंक खाता तथा अन्य वित्तीय प्रपत्र (इन्स्ट्रुमेंट), चाहे एकल या

संयुक्त रूप से धारित हो, जब्त करने और वसूल करने हेतु वारंट निर्गत करना।

(च) देय की वसूली के लिए बॉडी वारंट निर्गत करना।

;2द्ध नगरपालिका करों व अन्य देयों का संग्रहण अधिसूचित बैकों, इलेक्ट्रोनिक संग्रहण केन्द्रों व अन्य माध्यम से करने हेतु विनियम बना सकेगी।

185. भूमि या भवन पर देय कर के हेतु अध्यासी द्वारा किराये के भुगतान की अपेक्षा

;1द्ध किसी अध्यासी से किसी भूमि या भवन पर सम्पत्ति कर की वसूली के प्रयोजनार्थ, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी तत्समय प्रवृत्त परिसर काश्तकारी से संबंधित किसी राज्य विधि या किसी अन्य विधि में किसी अन्य बातों के होते हुए भी, ऐसे अध्यासी को एक नोटिस तामील करेगा, जिसमें अध्यासी से अपेक्षा की जाएगी कि वह भूमि या भवन के संबंध में देय कोई किराया या होने वाले किराये का भुगतान नगरपालिका को इस सीमा तक कर दे जहां तक उक्त देय राशि के अंश का समाधान हो जिसके लिए उक्त धारा के अधीन वह दायी है।

;2द्ध ऐसी नोटिस, ऐसे किराये की जब्ती मानी जाएगी, जब तक देय राशि का अंश चुकता नहीं कर दिया जाता और समाधान नहीं हो जाता, तथा अध्यासी उस व्यक्ति के, जिसके नाम ऐसा किराया देय है, के खाते में राशि जमा करने का हकदार होगा जिसे उसे ऐसी नोटिस के आलोक में नगरपालिका को चुकानी हैः

परन्तु यह कि जिस व्यक्ति के नाम ऐसा किराया देय है, वह भूमि या भवन के कर का भुगतान करने के लिए मुख्यतः देनदार नहीं है, तो वह उस व्यक्ति से इसे वसूलने का हकदार होगा जो मुख्य रूप से ऐसे कर की राशि, जिसके लिए जमा का दावा किया गया है, के भुगतान करने का दायी है।

;3द्ध यदि कोई अध्यासी नगरपालिका को वैसा देय कर या देय होनेवाला, जो पूर्वोक्त के अनुसार

उसको तामील की गई नोटिस के अनुपालन में भुगतान करना था, का भुगतान करने में असफल रहता है तो ऐसे किराये की रकम इस अधिनियम के अधीन कर के बकाये के रूप में उससे नगरपालिका द्वारा वसूल की जा सकेगी।

186. जब भूमि या भवन का स्वामी अज्ञात हो या स्वामित्व विवादित हो, तब भूमि और भवन पर सम्पत्ति कर अथवा अन्य कोई कर या प्रभार की वसूली

;1द्ध यदि किसी भूमि या भवन के स्वामी से इस अधिनियम के अधीन वसूलनीय ऐसी भूमि या भवन पर कर या कोई अन्य कर, खर्च अथवा प्रभार संबंधी रकम इस अधिनियम के अधीन देय हो, और यदि ऐसी भूमि या भवन का स्वामी अज्ञात हो या उसका स्वामित्व विवादित हो, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी दो माह से अनधिक के अन्तराल पर ऐसे देयों और उसकी वसूली के लिए ऐसी भूमि और भवन की बिक्री की अधिसूचना दो बार प्रकाशित कर सकेगा और, ऐसी अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तिथि से एक माह से अनधिक अवधि की समाप्ति के उपरांत, जब तक कि वसूलनीय रकम का भुगतान न हो जाए, सार्वजनिक नीलामी द्वारा सबसे अधिक बोली लगाने वाले को ऐसी भूमि और भवन बेच सकेगा, जो बिक्री के समय खरीद रकम का पचीस प्रतिशत और उसकी शेष रकम ऐसी बिक्री के तीस दिनों के भीतर जमा करेगा। ऐसी अधिसूचना शासकीय राजपत्र और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी तथा सम्बद्ध भूमि या भवन पर प्रदर्शित की जायेगी।

;2द्ध यथा पूर्वोक्त नगरपालिका की देय रकम को घटाने के उपरांत अधिशेष बिक्री राशि, यदि कोई हो, नगरपालिका निधि में जमा कर दी जाएगी, और मांग किये जाने पर, उस व्यक्ति को, जो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी या सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समाधान होने तक उस पर अपना अधिकार स्थापित करता है, को दी जा सकेगी।

;3द्ध कोई भी व्यक्ति बिक्री पूरा होने के पहले किसी

समय देय रकम जमा कर सकेगा, उसके बाद बिक्री बंद कर दी जाएगी और ऐसा व्यक्ति, सक्षम क्षेत्राधिकार न्यायालय में आवेदन कर ऐसी भूमि या भवन में हितबद्ध लाभ रखनेवाले किसी व्यक्ति से ऐसी रकम वसूल कर सकेगा।

187. अभियोजित करने या मांग की सूचना तामील कराने की नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की शक्ति

;1द्ध जब किसी व्यक्ति से कोई राशि देय हो,—

(क) समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन से भिन्न किसी विज्ञापन के लिए देय कर के कारण, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन उगाहे जाने वाले किसी अन्य कर, शुल्क या प्रभार के कारण,

तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी ऐसी दशा में जबकि अभियोजन इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पड़ता हो, ऐसे व्यक्ति को अभियोजित कर सकेगा अथवा उस व्यक्ति पर मांग की सूचना ऐसे प्रपत्र में जो विनियम द्वारा विनिर्दिष्ट हो या ऐसे अन्य प्रपत्र में जो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी उपयुक्त समझे, तामील कराएगा।

;2द्ध ऐसी हर देय रकम की वसूली पर धारा—184 के उपबंध, यथावश्यक संशोधन के साथ, लागू होंगे।

188. अवसूलनीय देयों का निरसन

नगरपालिका, आदेश के द्वारा नगरपालिका बहियों से ऐसी किसी भी रकम को काट (मिटा) देगी जो सम्पति कर या किसी अन्य कर या किसी भी अन्य मद में देय हो और अवसूलनीय प्रतीत हो।

नगरपालिका को चुकाने के लिए प्रथमतः दायी व्यक्ति द्वारा भूमि या भवन कर की वसूली

189. भुगतान के लिए प्रथमतः दायी व्यक्ति द्वारा भूमि

;1द्ध इस अधिनियम में अन्यथा उपबंध के सिवाय व्यक्ति, जो किसी भूमि या भवन के संबंध में सम्पत्ति कर का भुगतान करने के लिए प्रथमतः दायी हो, वसूल सकेगा—

और भवन पर लगे सम्पत्ति कर का अंश विभाजन

(क) यदि उस भूमि या भवन का अध्यासी केवल एक व्यक्ति हो, तो ऐसे अध्यासी से चुकाये गये कर की आधी रकम, और यदि एक से अधिक अध्यासी हों, तो प्रत्येक अध्यासी से ऐसी रकम का आधा, जो स्वामी द्वारा चुकाई गयी कर की सम्पूर्ण रकम के उसी अनुपात में हो, जो उस अध्यासी के कब्जे की भूमि या भवन का मूल्य, ऐसी भूमि या भवन के सम्पूर्ण मूल्य के अनुपातिक होः

परन्तु यह कि यदि एक से अधिक अध्यासी हों, तो उक्त आधी रकम का अंश विभाजन कर

के हरेक अध्यासी से ऐसे अनुपात में रकम वसूल सकेगा, जो उसके कब्जे के हिस्से का वार्षिक मूल्य, ऐसी भूमि या भवन के कुल वार्षिक मूल्य के अनुपात के बराबर हो, और

(ख) किसी भूमि या भवन पर लगे सम्पत्ति कर पर अधिरोपित अधिभार की पूरी रकम, उक्त भूमि या भवन के अध्यासी ऐसे व्यक्ति से, जो उसका उपयोग वाणिज्यिक या गैर–आवासीय प्रयोजन से करता होः

परन्तु यह कि यदि अध्यासी एक से अधिक हों, तो सम्पति कर पर लगनेवाले अधिभार का अंश विभाजित कर सकेगा और, ऐसे प्रत्येक अध्यासी से उसी अनुपात में जैसा उसके द्वारा अध्यासित, अंश का ऐसी भूमि या भवन के सम्पूर्ण वार्षिक मूल्य में अनुपात हो, वसूल सकेगा।

;2द्ध उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन प्रथम बार किसी भूमि

या भवन के वार्षिक मूल्य के निर्धारण और उस पर निर्धारित सम्पत्ति कर के अधिरोपण के फलस्वरूप ऐसी भूमि या भवन के संबंध में भुगतेय कर की धनराशि में इस अध्याय के अधीन पूर्व में भुगतेय कर की राशि से वृद्धि हुई हो, तो सम्पत्ति कर चुकाने के लिए प्रथमतः दायी व्यक्ति अध्यासी या अध्यासियों से ऐसी वृद्धि के कारण होनेवाले अन्तर की रकम वसूल सकेगा।

190. वसूली का तरीका

यदि किसी भूमि या भवन पर सम्पत्ति कर या अधिभार चुकाने के लिए प्रथमतः दायी व्यक्ति उस भूमि या भवन के अध्यासी से ऐसे सम्पत्ति कर या उस पर अधिभार का कोई अंश वसूलने का हकदार हो, तो उसकी वसूली के लिए वह वही अधिकार और राहत रखेगा जैसे सम्पत्ति कर का अंश या उस पर अधिकार ऐसे अध्यासी द्वारा भुगतेय किराया हो।

अध्याय—22
वाणिज्यिक परियोजनाएँ

191. वाणिज्यिक परियोजनाएं और उनसे प्राप्तियां

नगरपालिका स्वयं अथवा सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के किसी अभिकरण द्वारा अथवा सार्वजनिक—निजी साझेदारी के अधीन वाणिज्यिक अवसंरचना परियोजनाऐं, जिनके अन्तर्गत जिला केन्द्र, सामुदायिक तथा पड़ोसी क्रय—विक्रय केन्द्र, औद्योगिक परिसर, बस या ट्रक पड़ाव, वाणिज्यिक परिसर सहित पर्यटक निवास तथा वाणिज्यिक आधार पर अन्यान्य प्रकार की सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना को सम्मिलित करते हुए वाणिज्यिक परियोजनाओं का नियोजन, निर्माण, संचालन, अनुरक्षण या प्रबंधन कर सकेगी।

भाग—ट
शहरी पर्यावरणीय अवसंरचना और सेवाएँ
अध्याय—23

निजी क्षेत्र साझेदारी करार करना और अन्य अभिकरणों को सौपना

192. **नगरपालिका द्वारा या अन्य अभिकरण द्वारा परियोजनाएं हाथ में लेना**

इस अधिनियम में अन्यत्र किसी बात के होते हुए भी, किन्तु नगरपालिका की अवसंरचना और सेवाओं के नियोजन, विकास, परिचालन, अनुरक्षण और प्रबंधन से सम्बद्ध राज्य के किसी विधि के उपबंधों के अध्यधीन, नगरपालिका धारा–70, धारा–71 और धारा–72 में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के क्रम में निम्नलिखित कार्य कर सकेगी–

(क) नगरीय पर्यावरणीय अवसंरचना तथा सेवाओं की आपूर्ति कराने के लिए नगर पालिका की किसी परियोजना के लिए, भले ही उसकी लागत कुछ भी हो, के वित्त पोषण, निर्माण, परिचालन तथा अनुरक्षण हेतु सार्वजनिक निजी सहभागिता को प्रोत्साहित करना,

(ख) पर्यावरणीय अवसंरचना या सेवाओं से सम्बद्ध किसी परियोजना को सार्वजनिक–निजी सहभागिता करार के आधार पर लेने पर विचार करना और अनुमोदित करना, और

(ग) नगरीय पर्यावरणीय अवसंरचना या सेवाओं से सम्बद्ध किसी परियोजना का किसी संस्था या सरकारी अभिकरण या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन गठित किसी अभिकरण द्वारा अथवा किसी अभिकरण के साथ संयुक्त रूप से हाथ में लिए जाने का विवेचन और अनुमोदन करना।

193. **निजी क्षेत्र सहभागिता करार के प्रकार**

;1द्ध निजी क्षेत्र साझेदारी करार वैसा होगा जैसा विहित किया जाय।

;2द्ध इस धारा के पूर्ववर्ती उपबंधों की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, ऐसे करार में

निम्नलिखित शामिल होंगे—
(क) निर्माण —परिचालन—हस्तांतरण करार,
(ख) पट्टा करार,
(ग) प्रबंधन करार,
(घ) सेवा करार,
(ङ) छूट (कन्सेसन) करार, और
(च) उपरोक्त करारों का कोई अन्य प्रकार।

194. नगरपालिका या अन्य अभिकरण के निर्दिष्ट कृत्य ;1द्ध जलापूर्ति, जल—निकासी, मल—निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, संचार व्यवस्था एवं अभिकरण और वाणिज्यिक अवसंरचना से सम्बद्ध नगरीय पर्यावरणीय अवसंरचना एवं सेवाओं के उपबंध में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए नगरपालिका, जहां भी लोक हित में उचित समझे—
(क) अपने किसी दायित्व का निर्वहन स्वयं कर सकेगी, या
(ख) किसी निजी क्षेत्र से साझेदारी करार कर सकेगी।

अध्याय—24
जलापूर्ति

समान्य

195. परिभाषाएं ;1द्ध इस अध्याय में, जहां प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
''संचार नल'' से अभिप्रेत है,—

(क) जहां जलापूर्ति पाने वाला परिसर मुख्य सड़क से सटा हो जिसमें मेन पड़ा हो और सेवा—नल सड़क से सटे किसी भवन की बाहरी दीवार से न होकर सीधे उस परिसर में जाता हो, और उस परिसर में उस सेवा—नल में लगा स्टाप कॉक उस सड़क की सीमा से उतना नजदीक हो जितना व्यावहारिक रूप से समुचित हो, वहां

सेवा—नल का उतना भाग जितना मेन और कुंजी के बीच पड़ता है, और

(ख) अन्य मामले में, नल का उतना भाग जितना मेन और सड़क, जिसमें मेन पड़ा हो, की सीमा के बीच पड़ता हो, और उसमें शामिल सेवा—नल और मेन की जोड़ पर लगा फेरूल इसमें शामिल हो, तथा इसमें अन्य शामिल हैं—

(i) जहां संचार नल कुंजी पर समाप्त होता हो, ऐसी कुंजी, और

(ii) कोई कुंजी जो संचार नल के छोर और मेन के बीच लगी हो;

;2द्ध ''मेन'' से अभिप्रेत है वह नल जो नगरपालिका या राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकार द्वारा सामान्य जलापूर्ति के लिए, न कि किसी खास उपभोक्ता को आपूर्ति करने के लिए बैठाया गया हो, और कोई उपकरण, जो ऐसे कनेक्शन लगाने में प्रयुक्त हो, शामिल है;

;3द्ध ''सेवा—नल'' से अभिप्रेत है मेन से किसी परिसर को जल की आपूर्ति करने के लिए लगे नल का उतना भाग, जिस पर मेन से निकले जल का दवाब पड़ता है अथवा पड़ता यदि कोई टैप बंद न किया गया हो;

;4द्ध ''आपूर्ति—नल'' से अभिप्रेत है कोई सेवा—नल जो संचार—नल नहीं है;

;5द्ध ''ट्रँक मेन'' से अभिप्रेत है वह मेन जो आपूर्ति के स्रोत से फिल्टर या संचय कुण्ड तक अथवा एक फिल्टर या संचय कुण्ड से दूसरे फिल्टर या संचय कुण्ड तक जल पहुंचाने के लिए, अथवा आपूर्ति की परिसीमा के किसी एक भाग से ऐसे परिसीमा के दूसरे भाग तक थोक मात्रा में पानी पहुंचाने के लिए, अथवा थोक मात्रा में पानी लेने या देने के लिए निर्मित हो;

;6द्ध ''वाटर फिटिंग्स (जल जुड़नार)'' के अन्तर्गत है नल (मेन को छोड़कर), टोंटी, कॉक, वाल्व, फेरूल, मीटर सिस्टर्न, वाथ तथा ऐसे अन्य उपकरण जो जल की आपूर्ति और उपभोग में प्रयुक्त होते हैं।

जलापूर्ति संबंधी कृत्य

196. जलापूर्ति करना नगरपालिका का कर्तव्य

नगरपालिका का कर्तव्य होगा कि वह समय—समय पर स्वयं या किसी अन्य अभिकरण द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई करे—

(क) नगर क्षेत्र के भीतर यथेष्ट एवं स्वास्थ्यकर जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना,

(ख) नगरपालिका क्षेत्र के ऐसे प्रत्येक भाग में जहां घर हो वहाँ के निवासियों के घरेलू प्रयोजनों के लिए आरोग्यकर जल की आपूर्ति की व्यवस्था करना या कराना, तथा ऐसे नल को ऐसे स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था करना, जिससे कि उन घरों में उचित खर्च पर उस नल से कनेक्शन लगाया जा सके; परन्तु नगरपालिका से ऐसा कुछ भी करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी जो उचित खर्च पर करना व्यवहार्य नहीं हो, और न यह अपेक्षा की जाएगी कि वह नगरपालिका क्षेत्र के ऐसे भाग में जलापूर्ति की व्यवस्था करे जहां वैसे स्थल या स्थलों पर वैसी आपूर्ति पहले से ही उपलब्ध हो, और

(ग) नगरपालिका क्षेत्र के प्रत्येक भाग में, जहां घर हों उचित खर्च पर नल द्वारा जलापूर्ति संभव नहीं हो, तथा जिसमें वर्तमान आपूर्ति की अपर्याप्तता या अस्वास्थ्यकारिता के कारण स्वास्थ्य पर खतरा हो, और सार्वजनिक आपूर्ति अपेक्षित हो और उचित खर्च पर की जा सकती हो, वहाँ निवासियों के घरेलू

उपयोग के लिए नल से भिन्न किसी और तरीके से, जहां तक संभव हो, आरोग्यकर जल की आपूर्ति की व्यवस्था करना, और यह सुनिश्चित करना कि उस भाग के हर घर को ऐसा जल समुचित दूरी के भीतर उपलब्ध हो।

;2द्व यदि उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन प्रश्न उठे कि कोई काम उचित खर्च पर होना व्यवहार्य है या नहीं, अथवा किस स्थल या किन–किन स्थलों पर नल पहुंचाना आवश्यक है ताकि भवन उचित खर्च पर पानी का कनेक्शन ले सकें; अथवा यदि उक्त उपधारा के खण्ड (ग) के अधीन यह प्रश्न उठे कि उचित खर्च पर सार्वजनिक आपूर्ति की व्यवस्था की जाय या नहीं, तो ऐसे प्रश्नों का निर्णय नगरपालिका करेगी।

197. कनेक्शन वाले परिसरों में जल की आपूर्ति

;1द्व नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, किसी भवन के मालिक, पट्टेदार या अध्यासी द्वारा आवेदन किए जाने पर, स्वयं या किसी अन्य अभिकरण द्वारा, निकटतम मेन से उस भवन को घरेलू उपयोग के लिए उतनी मात्रा में जितनी उचित समझी जाए जलापूर्ति की व्यवस्था कर सकेगा,और जब कभी आवश्यक समझा जाए, किसी भी समय जलापूर्ति की मात्रा घटा सकेगाः

परन्तु यह कि नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी आवेदन प्राप्त करने का दायित्व लिखित आदेश द्वारा किसी अन्य अभिकरण को सौंप सकेगा।

;2द्व उपधारा (1) के अधीन होने वाली जलापूर्ति के लिए उस दर से भुगतान किया जाएगा, जो नगरपालिका समय–समय पर नियत करेः

परन्तु यह कि ऐसी दर में, जहॉ तक व्यवहार्य हो, जल संकर्म (वाटर वर्क्स) संबंधी प्रबंधन, परिचालन, अनुरक्षण, मूल्यह्रास, तथा ऋण

शोधन एवं अन्य प्रभार, और वितरण लागत, वितरण–हानि, यदि कोई हो, सहित, सभी आच्छादित होंगे।

;3द्ध घरेलू उपयोगों हेतु जलापूर्ति में ऐसी आपूर्ति शामिल नहीं मानी जाएगी जो,–

(क) संस्थागत भवन, सभागार भवन, व्यापार भवन, वाणिज्य भवन, औद्योगिक भवन, भण्डार भवन या खतरनाक भवन, जैसा धारा–425 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट हो, या ऐसे भवन का कोई भाग, जो उक्त धारा की उपधारा (2) के खण्ड (क) या, खण्ड (ख) के अर्थ में निवास भवन या शैक्षिक भवन के रूप में व्यवहृत से भिन्न हो, या

(ख) निर्माण के प्रयोजनार्थ, या

(ग) सड़कों और मार्गों के सिंचनार्थ, या

(घ) सिंचाई के प्रयोजनार्थ, या

(ङ) उद्यान, फुहारा, तरणताल या किसी सजावट या यांत्रिक प्रयोजनार्थ, या

(च) जहां मवेशी या गाड़ियाँ बिक्री या किराये के लिए रखी जाती हों, जानवरों या वाहनों को धोने के प्रयोजनार्थ।

198. गैर–घरेलू प्रयोजनार्थ जल की आपूर्ति

;1द्ध जब नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी या अन्य अभिकरण यथास्थिति लिखित में आवेदन प्राप्त करने पर कि अमुक प्रयोजनार्थ जलापूर्ति चाहिये और इतने जल की खपत का अन्दाज है, तब वह घरेलू प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजनार्थ विनियमों द्वारा यथा अवधारित शर्तों और बंधेजों पर, जिनमें जलापूर्ति के प्रत्याहरण की शर्त भी शामिल है, जल की आपूर्ति करेगा।

;2द्ध उपधारा (1) के अधीन की गई जलापूर्ति के लिए भुगतान उस दर से किया जाएगा जो नगरपालिका द्वारा समय–समय पर नियत किया जायः

परन्तु यह कि ऐसे दर में जहां तक व्यवहार्य होगा, जल संकर्म (वाटरवर्क्स) के प्रबंधन, परिचालन, अनुरक्षण, मूल्यह्रास, ऋणशोधन तथा अन्य प्रभार, और वितरण—हानि, यदि कोई हो, सहित, वितरण—लागत, सभी शामिल होंगे।

;3द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी ऐसी आपूर्ति को किसी भी समय प्रत्याहृत कर सकेगा यदि वह घरेलू प्रयोजनार्थ यथेष्ट आपूर्ति बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझे।

199. संचार—नल और जुड़नारों का उपबन्ध

;1द्ध धारा—197 या धारा—198 के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर सभी आवश्यक संचार—नलों और जुड़नारों की आपूर्ति नगरपालिका या अन्य अभिकरण द्वारा की जायेगी और ऐसे संचार—नलों और जुड़नारों को बिछाने और जोड़ने का कार्य नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी या अन्य अभिकरण, यथास्थिति, के आदेश के अधीन किया जाएगा।

;2द्ध ऐसे कनेक्शन तथा संचार—नल और जुड़नार का तथा ऐसे संचार—नलों तथा जुड़नारों को बिछाने और जोड़ने पर सारी लागत मालिक या आवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा भुगतान की जायेगी।

;3द्ध उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी किसी स्वामी या जलापूर्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसके समाधान के अनुरूप सभी संचार—नलों और जुड़नारों की व्यवस्था स्वयं करे, तथा अपने पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण में स्वामी या आवेदक की लागत पर ऐसे संचार—नलों और जुड़नारों के बिछाने तथा जोड़ने का कार्य करवाए।

;4द्ध जहां धारा—197 की उपधारा (2) के अर्थ में युक्तियुक्त लागत पर जलापूर्ति व्यवहार्य हो, वहां कनेक्शन लगाने तथा संचार—नल और जुड़नार नियत करने संबंधी कार्य उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति की तिथि से एक महीना के

भीतर पूरा किया जायेगा।

;5द्व कनेक्शन लगाने तथा संचार–नलों और जुड़नारों की आपूर्ति के लिए इस धारा के अधीन वसूली गयी लागत जलापूर्ति संबंधी कार्यो पर ही व्यय की जाएगी।

200. आम जल–कल (हाईड्रेन्ट), बम्बा (स्टैंड पोस्ट) तथा अन्य सुविधाओं के जरिये जलापूर्ति

;1द्व नगरपालिका आपवादिक स्थितियों में स्वयं या किसी अन्य अभिकरण द्वारा नगरपालिका क्षेत्र के भीतर जनता के लिये नाममात्र की लागत पर, जैसा राज्य सरकार समय–समय पर आवधारित करे, आरोग्यकर जल की आपूर्ति कर सकेगी, और एतदर्थ आम जल–कल, बम्बा या कोई अन्य सुविधा संरचना बैठा सकेगी।

;2द्व नगरपालिका किन्हीं कारणों से, जो अभिलिखित किये जॉय, आम जल–कलों, बम्बों या अन्य सुविधा संरचनाओं को बंद करने का आदेश दे सकेगी।

;3द्व नगरपालिका स्वयं या अन्य अभिकरण द्वारा, ऐसी शर्त्तों के अध्यधीन, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट हो, ऐसे आम जल–कलों, बम्बों या अन्य सुविधा संरचनाओं की सुरक्षा, अनुरक्षण और उपयोग की व्यवस्था कर सकेगी।

201. अग्निशमन जलकल का उपबंध

;1द्व नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी स्वयं या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से, ट्रँकमेन से भिन्न जलमेनों पर ऐसे उपयुक्त स्थानों पर नलमुख लगाएगा जहां से आग बुझाने के लिए जल की आपूर्ति सुविधापूर्वक की जा सके, तथा ऐसे नलमुख को दुरूस्त रखेगा, और समय–समय पर ऐसे प्रत्येक नलमुख का नवीकरण करता रहेगा।

;2द्व ऐसे हरेक नलमुख के समीपवर्ती दीवार, भवन या

अन्य संरचना पर ऐसे नलमुख की अवस्थिति की पहचान के लिए अक्षर, चिन्ह या चित्र सुदृश्य रूप से प्रदर्शित किये जायेंगे।

;3द्ध ऐसे किसी नलमुख से सम्बद्ध काम पूरा होते ही, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी या अन्य अभिकरण यथास्थिति उसकी चाभी उस निकटतम स्थान में, जहां सार्वजनिक दमकल रहता हो, तथा ऐसे अन्य स्थानों में भी जहां वह उसे आवश्यक प्रतीत हो, रख देगा।

;4द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी धारा–197 की उपधारा (3) के खंड (क) में यथा उल्लिखित भवन, जो ऐसी सड़क में या के पास अवस्थित हो, जिसमें ट्रँकमेन से भिन्न नल बिछा हो और जो आम जलकल को ढोने वाले पर्याप्त आयाम वाला हो, भवन के मालिक या अध्यासी के अनुरोध और खर्च पर, ऐसे भवन के इतना पास जितना सुविधाजनक हो, एक या अधिक अग्निशमन नलमुख बैठाएगा, उसे दुरूस्त रखेगा, और समय–समय पर उसका नवीकरण करता रहेगा।

;5द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी किसी भी व्यक्ति को आग बुझाने के लिए किसी ऐसे नल से जिस पर नलमुख लगा हो, निःशुल्क पानी लेने देगा।

202. नगर पालिका – क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र को जल की आपूर्ति

;1द्ध यदि नगरपालिका का युक्तियुक्त समाधान हो जाय कि नगरपालिका क्षेत्र के भीतर पर्याप्त जल उपलब्ध है, वह स्वयं या किसी अन्य अभिकरण द्वारा नगरपालिका क्षेत्र के बाहर के किसी स्थानीय प्राधिकार या व्यक्ति को जल की आपूर्ति कर सकेगी।

;2द्ध उपधारा (1) के अधीन जल की आपूर्ति ऐसे दर से की जाएगी जो उत्पादन तथा प्रदायता की लागत, जिसमें प्रबन्धन परिचालन, अनुरक्षण,

ऋण–शोधन, संयंत्र एवं मशीनों के मूल्यह्रास, वितरण हानि तथा अन्य प्रभारों पर लागत शामिल हो, से कम नहीं होगी, जैसा नगरपालिका समय–समय पर अवधारित करे।

जल संकर्म (वाटर वर्क्स) का नियोजन, निर्माण, परिचालन, अनुरक्षण एवं प्रबन्धन

203. सार्वजनिक पोखरे, भूमिगत जल आदि का नगर पालिका में निहित होना

सभी सार्वजनिक पोखरे, जलागार, हौज, कूप, नलकूप, कृत्रिम जल–प्रणाली, नाली, सुरंग, नल, टोंटी और अन्य जल संकर्म, चाहे वे नगरपालिका निधि के खर्च से रचे, डाले या निर्मित किये गये या अन्यथा, तथा उनसे संलग्न या उनके अंगीभूत सभी पुल, भवन, इंजिन, निर्माण सामग्री और वस्तुएँ, तथा ऐसे जलस्रोत से संलग्न, किन्तु निजी सम्पति से भिन्न तटभूमि, जो नगरपालिका–क्षेत्र के भीतर अवस्थित हो, सभी नगर पालिका में निहित होंगे।

204. भूमिगत जल के अधिकार का निहित होना

नगरपालिका क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले भूमिगत जल स्रोत संबंधी सारे अधिकार नगरपालिका में निहित होंगे।

205. जलापूर्ति के लिए काम करना

नगरपालिका क्षेत्र के भीतर सार्वजनिक या निजी उपयोग के लिए जल की समुचित और यथेष्ट आपूर्ति के प्रयोजनार्थ, नगरपालिका स्वयं या किसी अन्य अभिकरण द्वारा–

(क) नगरपालिका क्षेत्र के भीतर या बाहर यथावश्यक पोखरे, जलागार, इंजिन, नल, टोंटी और अन्य जल संकर्म बनवायेगी और उनका अनुरक्षण करेगी,

(ख) नगरपालिका क्षेत्र के भीतर या बाहर किसी जलसंकर्म, या जल संचित करने या लेने और ले जाने का अधिकार खरीद

सकेगी या पट्टे पर ले सकेगी, और

(ग) जल की आपूर्ति के लिए किसी व्यक्ति या प्राधिकार के साथ करार कर सकेगीः

परन्तु यह कि नगरपालिका, राज्य सरकार के अनुमोदन से, कोई जलसंकर्म विधि द्वारा गठित किसी निकाय को सौंप सकेगी या उसे अपने हाथ में ले लेगी, जिससे कि इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में आवश्यक या समीचीन कोई काम कर सके।

206. जलसंकर्म का प्रबंधन

अध्याय–23 के उपबंधों के अध्यधीन, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी स्वयं या किसी अन्य अभिकरण द्वारा या नगर पालिका क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व से स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे किसी पैरास्टेटल अभिकरण, के माध्यम से इस अधिनियम के प्रवृत्त हो जाने के तुंरत बाद यह सुनिश्चित करेगा कि जल संकर्म नगरपालिका के सीधे नियंत्रण एवं अधीक्षण में कार्य शुरू कर दे, किसी विपरीत अन्य उपबन्ध अथवा सरकार के आदेश के होते हुए भी, नगरपालिका से संबंधित जल संकर्म और सम्बद्ध सुविधाओं का प्रबन्धन करेगा और उन्हें अच्छी मरम्मत की दशा में अनुरक्षित और दक्ष दशा में रखेगा और समय–समय पर ऐसा समस्त कार्य कराएगा जो ऐसे जल संकर्म और सुविधाओं के सुधार के लिए आवश्यक या समीचीन हो।

207. घरेलू उपयोग के जल की शुद्धता

;1द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी स्वयं या किसी अन्य अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करेगा कि नगरपालिका के जिन जलसंकर्मों से जल घरेलू उपयोग के लिए आपूर्ति किया जाता है, उनका जल आरोग्यकर हो।

;2द्ध नगरपालिका या अन्य अभिकरण यथास्थिति, जब कभी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई सक्षम प्राधिकार ऐसी अपेक्षा करे, यह नियत करने

के लिए कि मानव उपयोग के लिए आपूर्ति किया जा रहा जल आरोग्यकर है या नहीं, जल की जांच कराएगी।

208. जल की बरबादी रोकना

;1द्ध कोई व्यक्ति, जिस परिसर को नगरपालिका या किसी अन्य अभिकरण द्वारा, यथास्थिति, जल आपूर्ति किया जाता हो, उसका अध्यासी होते हुए उपेक्षा या अपने वश की अन्य परिस्थितियों के कारण जल को बरबाद नहीं होने देगा, और अपने परिसर में जलापूर्ति के लिए लगे नलों, निर्माणों या जुड़नारों को इस तरह बिगड़ी हालत में नहीं रहने देगा, कि जल की बरबादी हो।

;2द्ध कोई भी व्यक्ति नगरपालिका के अपने या उसके नियंत्रण के किसी जलसंकर्म से अथवा ऐसे जल स्रोतों या नदियों जहाँ से ऐसा जल आपूर्ति होता है, अवैध रूप से न जल प्लावित करेगा, या न निकालेगा, न उसे दिशान्तरित करेगा, या न लेगा।

;3द्ध कोई भी व्यक्ति, नगरपालिका के अपने या उसके नियंत्रणाधीन किसी जल संकर्म से ट्रँक मेन्स या मेन्स या सेवा नल या आपूर्ति नल से मोटर लगाकर या ऐसी अन्य युक्ति से अवैध रूप से न जल निकालेगा, न दिशान्तरित करेगा, या न लेगा।

;4द्ध कोई व्यक्ति जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह वैसे जुर्माने से, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाय, जो दस हजार रूपये से अनधिक होगा, दायी होगा।

नलकूप और कूप

209. नलकूप बैठाने या कुआँ खोदने आदि का प्रतिषेध

;1द्ध इस उपबन्ध के संबंध में तत्समय लागू किसी विधि के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के बिना, नगरपालिका क्षेत्र के भीतर न नलकूप बैठाएगा, और न कुआँ, तालाब, डीप बोरिंग, चहबच्चा, कुण्ड या फुहारा खोदेगा या, न बनवायेगा।

;2द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी नगरपालिका द्वारा समय–समय पर यथा विनिर्दिष्ट शर्त्तों पर तथा वार्षिक शुल्क का भुगतान करने पर उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ ऐसी अनुमति दे सकेगा या अनुज्ञप्ति जारी कर सकेगा।

;3द्ध यदि उपधारा (1) में उल्लिखित कोई कार्य बिना किसी अनुमति के शुरू किया जाय या सम्पन्न किया जाय, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी,–

(क) स्वामी को या उस अन्य व्यक्ति को, जिसने वैसा किया हो, लिखित सूचना देकर उससे सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे कार्य को भरने या तोड़ने की, अपेक्षा कर सकेगा, और यदि भरने या गिराने का कार्य विनिर्दिष्ट समय के भीतर न किया जाय, तो काम करवा लेगा, और इस पर हुए खर्च को स्वामी या सूचना दिये जाने व्यक्ति से वसूलेगा, अथवा

(ख) उक्त संकर्म को ऐसी शर्त्तों और बंधेजों पर, जो स्थायी समिति लगाना उपयुक्त समझे, बनाये रखने की अनुमति दे सकेगा।

210. कुआँ भरने की अपेक्षा करने की शक्ति

जब कभी किसी नगरपालिका क्षेत्र में जलापूर्ति की व्यवस्था की जाए, नगरपालिका लिखित सूचना देकर ऐसे क्षेत्र के किसी परिसर में स्थित कुआँ, नलकूप, तालाब या अन्य जलाशय के स्वामी, पट्टेदार या अध्यासी को लिखित सूचना देकर उससे अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसे कुआँ, नलकूप, पोखरा या अन्य जलाशय को भर दे।

211. कुआँ, पोखरा आदि को पीने, पकाने, नहाने और धोने के प्रयोजनार्थ अलग करना

स्थायी समिति, ऐसे स्थानों पर, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, आदेश प्रकाशित करके, नगरपालिका में निहित किसी कुआँ, तालाब, फुहारा या जलधारा को या उसके किसी भाग को, अथवा स्वामी के साथ करार करके किसी निजी तालाब, कुआँ, फुहारा या जलधारा (सोता) या उसके किसी भाग को, ऐसे किसी अधिकार के अधीन रहते हुए जो स्वामी स्थायी समिति की सहमति से अपने पास रख ले, निम्नलिखित किन्हीं प्रयोजनों के लिए अलग कर सकेगी, अर्थात्—

(क) केवल पीने या रसोई पकाने या दोनों के लिए जलापूर्ति; या

(ख) स्नान के लिए; या

(ग) मवेशी या कपड़ा धोने के लिए; या

(घ) निवासियों के स्वास्थ्य, स्वच्छता या सुख—सुविधा के लिए;

और उसी तरह का आदेश जारी कर किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान में, जो इस प्रयोजन के लिए अलग नहीं हो, नहाना अथवा जानवरों या कपड़ों या अन्य वस्तुओं को धोना वर्जित कर सकेगी; अथवा ऐसे अन्य कार्य को, जिससे सार्वजनिक स्थान का जल गंदा हो जाय या उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाय, को वर्जित कर सकेगी, अथवा लोक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण की अभिवृद्धि हेतु तालाब, कुआँ, झरना या जलधारा के उपयोग को विनियमित करने के लिए वैकल्पिक सुविधाओं और शौचालयों की व्यवस्था करेगी।

जलापूर्ति मेन्स और नल

212. मेन्स, सेवा नल आदि बिछाने की

;1द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी स्वयं या किसी अन्य अभिकरण द्वारा नगरपालिका क्षेत्र के भीतर या बाहर मेन या कुंजियों और अन्य जुड़नारों के साथ वैसे सेवा नल जिसे परिसर में जल की आपूर्ति के लिए वह आवश्यक समझे,—

शक्ति

(क) किसी सड़क में, और

(ख) किसी भूमि, जो सड़क का हिस्सा नहीं हो, के प्रत्येक स्वामी या अध्यासी की सहमति से वैसी भूमि में, उस पर या उसके ऊपर,

और स्वयं या किसी अन्य अभिकरण द्वारा, समय–समय पर, उनका निरीक्षण, मरम्मत, परिवर्तन या नवीकरण कर सकेगा, अथवा किसी भी समय इस धारा के अधीन या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन बिछाये गये मेन या सेवा नलों को हटा सकेगा:

परन्तु यह कि इस उपधारा के प्रयोजनार्थ जहां अपेक्षित सहमति नहीं मिले, वहाँ नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी वैसा करने के अपने आशय की सूचना उस भूमि के स्वामी या अध्यासी को देकर, स्वयं या किसी अन्य अभिकरण द्वारा, यथास्थिति, मेन या सेवा नल, ऐसी सहमति के बिना ही, उस भूमि में या उस पर या उसके ऊपर बिछवा सकेगा।

;2द्ध जहाँ मेन या सेवा नल, सड़क के अंश से भिन्न किसी भूमि में, उस पर या उसके ऊपर, वैध रूप से बिछाया जा चुका है, वहाँ नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अभिकरण समय–समय पर, उस भूमि में प्रवेश कर सकेगा, और नल का निरीक्षण, मरम्मत, परिवर्तन या नवीकरण कर सकेगा, या उसके स्थान पर नया बिछा सकेगा, किन्तु ऐसा करते समय कुछ नुकसान हो तो प्रतिपूर्ति का भुगतान करेगा।

213. जल–नल बिछाने और शौचालय तथा

समय–समय पर विनियमों द्वारा निर्धारित शर्त्तों और बंधेजों के अधीन रहते हुए, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को प्रतिषेध करने की शक्ति होगी,–

मल—कुण्ड बनाने का प्रतिषेध

(क) जहां जल के प्रदूषित होने की सम्भावना हो, वहां जल का नल बिछाना, या
(ख) किसी कुऑं, तालाब, जल नल या सिस्टर्न के छः मीटर के अंदर शौचालय या मलकुण्ड का निर्माण, या
(ग) आपूर्ति के किसी प्रदूषित स्रोत से जल का उपयोग।

214. जलापूर्ति संबंधी शक्ति

नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, विनियमों द्वारा समय—समय पर यथा विनिर्दिष्ट शर्त्तों और बंधेजों के अधीन रहते हुए, अपेक्षा कर सकेगा—

(क) प्रत्येक भूमि या भवन के लिए अथवा भवन के प्रत्येक तल के लिए अलग—अलग आपूर्ति नल का उपबंध,
(ख) किसी भूमि या भवन का स्वामी या उस भूमि या भवन संबंधी कर चुकाने के लिए प्रथमतः दायी व्यक्ति, जिसमें घरेलू उपयोग के लिए आरोग्यकर जल की आपूर्ति नहीं हो या अपर्याप्त हो, नगरपालिका के मेन्स से आपूर्ति लेने; और
(ग) जहाँ, जलापूर्ति नगरपालिका द्वारा की जाती है, ऐसी भूमि या भवन का अध्यासी आपूर्ति नलों को ठीक हालत में रखे।

215. परिसरों की जलापूर्ति रोकने की शक्ति

;1द्ध इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, नगरपालिका के जलसंकर्म और उससे जलापूर्ति पाने वाले परिसर के बीच, निम्नलिखित स्थितियों में किसी का कनेक्शन काट सकेगा या आपूर्ति रोक सकेगा,—

(क) यदि व्यक्ति, जिसके परिसर को जलापूर्ति है, धारा—197 की उपधारा (2) अथवा धारा—199 की उपधारा (2) के अधीन भुगतेय कोई रकम देय होने पर चुकाने में

असफल रहे, या

(ख) यदि परिसर का स्वामी या अध्यासी, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी से ऐसा नहीं करने की अपेक्षा करने की लिखित सूचना पाने पर भी, जल का उपयोग करता रहे, अथवा इस अधिनियम तथा इसके अधीन बने विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए उसका उपयोग होने दे, या

(ग) यदि परिसर का अध्यासी धारा—197 की उपधारा (3) के उपबंधों का उल्लंघन करे, या

(घ) यदि परिसर का अध्यासी, इस अधिनियम या इसके अधीन बने विनियमों के अधीन निरीक्षण करने के लिए नगरपालिका के किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी, जो एतदर्थ विधिवत प्राधिकृत हो, को परिसर में प्रवेश न करने दे, या

(ङ) यदि परिसर का स्वामी या अध्यासी अपने मीटर को या नगरपालिका के किसी जलसंकर्म से जल पहुंचाने वाले नल या किसी पाइप को जानबूझकर या उपेक्षावश क्षतिग्रस्त करे, या

(च) यदि परिसर की जलापूर्ति से संलग्न कोई नल, टोंटी, निर्माण या जुड़नार, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जाँच किये जाने पर, इतना बिगड़ा पाया जाय कि जल की बर्बादी भारी मात्रा में हो रही हो, और उसकी राय में तुरंत रोकना आवश्यक हो, या

(छ) यदि परिसर का मानव—निवास हेतु उपयोग इस अधिनियम के अधीन निषिद्ध हो गया हो, या

(ज) यदि परिसर में अवस्थित कोई जलापूर्ति नल, जिसमें टोंटी या जलापूर्ति रोकने का उपयुक्त साधन लगा हुआ नहीं हो, या

(झ) यदि सेवा नल या जुड़नार से जल के रिसते रहने के कारण, सार्वजनिक सड़क को नुकसान होता हो, और तुरंत रोकना आवश्यक हो :

परन्तु यह कि,—

(i) खण्ड (छ) या खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी मामले में जलापूर्ति तब तक नहीं काटी या रोकी जाएगी जब तक कि कम से कम बहत्तर घंटे पूर्व इस आशय की लिखित सूचना परिसर के अध्यासी को न दे दी जाय, और

(ii) खण्ड (च) या खण्ड (झ) के मामले में, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, नलों, टोटियों, निर्माणों और जुड़नारों की आवश्यक मरम्मत करा सकेगा, और उसका खर्च परिसर के स्वामी या अध्यासी से वसूल सकेगा।

;2द्ध जलापूर्ति का कनेक्शन काटने का खर्च, यथास्थिति, परिसर का स्वामी या अध्यासी भुगतान करेगा, और वह ऐसे स्वामी या अध्यासी से इस अधिनियम के अधीन बकाये कर की भाँति वसूला जायेगा।

जलमीटर और प्रभार की वसूली

216. जल मीटर लगाने और प्रभार वसूलने की शक्ति

नगरपालिका,—

(क) विनियमों द्वारा निम्न के लिए शर्तें एवं बंधेज विनिर्दिष्ट कर सकेगी,—

(i) अपने द्वारा या किसी अभिकर्ता द्वारा या भूमि या भवन के स्वामी या अध्यासी द्वारा जल मीटर लगाने की व्यवस्था, और

(ii) जल मीटर द्वारा यथा अंकित जलापूर्ति के प्रभार की वसूली करना; और

(ख) ऐसे जल मीटरों के बारे में किसी कपट का पता लगाने और उसका निराकरण करने के लिए समुचित कार्रवाई।

217. जल संकर्मों के परिचालन और अनुरक्षण तथा बिल बनाने और प्रभार उद्ग्रहण का काम सौंपा जाना

नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, स्थायी समिति के पूर्व अनुमोदन से, नगरपालिका क्षेत्र में जल संकर्मों के परिचालन और अनुरक्षण का काम तथा बिल तैयार करने और जल प्रभार की वसूली का काम, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित, किसी अभिकरण को या किसी निजी अभिकरण को सौंप सकेगा।

जलापूर्ति से संबंधित अपराध

218. जलापूर्ति संबंधी अपराधों के लिए दायित्व

यदि, नगरपालिका के जल–संकर्म से संयोजित किसी परिसर में जलापूर्ति के बारे में, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया जाए, तो उक्त परिसर का स्वामी और अध्यासी संयुक्त रूप से और अलग–अलग भी उस अपराध के भागी होंगे।

अध्याय–25

जल निकास एवं मल निकास

जल निकास एवं मल निकास संबंधी कृत्य

219. जल निकास, मल निकास और मुहाने की व्यवस्था नगरपालिका का काम

नगरपालिका स्वयं या किसी अन्य अभिकरण द्वारा, नगरपालिका क्षेत्र के कारगर जल निकास और वर्षा जल तथा मल–जल के समुचित बहाव के लिए, नालों और प्रणालों (सीवरों) का, तथा सुरक्षित और कारगर मुहानों का, निर्माण और अनुरक्षण इस तरह करेगी कि न तो नगरपालिका क्षेत्र के किसी भी भाग में और न मुहाने के अगल–बगल कहीं भी जल जमाव के कारण या किसी और तरह दुःस्थिति उत्पन्न न होने पावेः

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रवर्तन से पहले जिस स्थान का उपयोग इस धारा में विनिर्दिष्ट किसी प्रयोजनार्थ नहीं किया गया हो, उसका प्रयोग उक्त प्रयोजनार्थ नहीं किया

जाएगा, किन्तु ऐसा उपयोग किया जा सकेगा,—

(क) भूमि उपयोग नियोजन संबंधी तत्समय प्रवृत्त राज्य की किसी विधि अथवा तत्संबंधी किसी अन्य विधि के अनुसरण में, या

(ख) ऐसे किसी विधि के अभाव में राज्य सरकार के अनुमोदन सेः

परन्तु यह और कि राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ यथानिर्धारित तिथि से कोई भी गंदा पानी किसी जल मार्ग में तभी गिराया जाएगा, जबकि उसका शोधन इस प्रकार हो जाए कि उस जलमार्ग के पानी की शुद्धता और गुणवत्ता पर उसका कुप्रभाव न पड़े।

220. मल—जल के निपटारे के साधन की व्यवस्था

मल—जल की प्राप्ति, शोधन, संचय, कीटनाशन, वितरण या अन्यथा निपटाव के प्रयोजनार्थ, नगरपालिका स्वयं या किसी अन्य अभिकरण द्वारा, नगरपालिका क्षेत्र के भीतर या बाहर, किसी संकर्म का निर्माण, परिचालन, अनुरक्षण, विकास और प्रबंधन की व्यवस्था कर सकेगी।

नालों एवं मल निकासी कार्यो के संबंध में नगरपालिका का मालिकाना अधिकार

221. सार्वजनिक नालों एवं मल निकासी संकर्मों का निहित होना

अध्याय—23 के उपबंधों के अध्यधीन,—

(क) सभी सार्वजनिक नालों, सार्वजनिक गली के भीतर एवं बगल के सभी नाला, तथा सभी मल निकासी संकर्म, नगरपालिका निधि अथवा अन्यथा से निर्मित या उसके द्वारा अधिगृहीत, तथा उससे सम्बद्ध सभी कार्य, सामग्री एवं वस्तुएँ, जो नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर या बाहर अवस्थित हों, नगरपालिका में निहित होंगी,

(ख) ऐसे किसी नाला अथवा मल निकास प्रणाली को बिछाने, निर्माण करने, विस्तृत करने, गहरा करने अथवा अन्यथा मरम्मत

करने या रख–रखाव करने के प्रयोजन से, उससे संबंधी उतनी अवमृदा जो ऐसे प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, को भी नगरपालिका में निहित समझा जायेगा, और

(ग) ऐसे परिसरों में या उसके ऊपर, जो नगरपालिका निधि से निर्मित, परिनिर्मित या स्थापित जल निकास संकर्मो से जुड़े सभी नालों, एवं संवातन निकास, पाईप तथा सभी उपकरण एवं जुड़नार, जो नगरपालिका के नहीं हों, चाहे—

(i) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व अथवा उसके बाद, तथा

(ii) ऐसे परिसरों के स्वामी या अधिभोगी के उपयोग के निमित्त हों अथवा नहीं हों,

जब तक नगरपालिका ने अन्यथा अवधारित न किया हो अथवा किसी समय अन्यथा अवधारित करे, नगरपालिका में निहित होंगे और उसमें हमेशा निहित समझे जाएँगे।

स्पष्टीकरण— सभी सार्वजनिक और अन्य नाला, जो नगरपालिका में निहित हो इस अधिनियम में इसके पश्चात् नगरपालिका नालों के रूप में उल्लिखित हैं।

222. जल निकासी एवं मल प्रणाल कार्यों को सांविधिक प्राधिकार को सौंपने अथवा उससे ग्रहण करने की शक्ति

नगरपालिका, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, और ऐसी शर्त्तों के अध्यधीन, जैसा नगरपालिका अवधारित करे, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी प्राधिकार को, कोई नाला अथवा मल निकास कार्य को प्रबन्धन एवं प्रशासन हेतु सौंप सकेगी अथवा उससे ग्रहण कर सकेगी।

नगरपालिका के नाले

223. नाला निर्माण की शक्ति

;1द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अभिकरण, नगरपालिका की किसी नाली को, किसी गली अथवा गली के रूप में अथवा इसके लिए आशयित किसी स्थान से होकर, या उसे पारकर या उसके नीचे अथवा तहखाना के नीचे से, या बाहर, मल जल के बहाव अथवा उसके वितरण के प्रयोजनार्थ, इसके स्वामी या अधिभोगी को युक्तियुक्त लिखित सूचना देने के पश्चात्, नगरपालिका क्षेत्र के भीतर अथवा बाहर, मल जल को निकालने या वितरित करने हेतु, नगरपालिका क्षेत्र के बाहर किसी भूमि में से, के भीतर से या के नीचे से ले जा सकेगा।

;2द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी, किसी वर्तमान नाली के स्थान पर कोई नई नाली का निर्माण कर सकेगा, अथवा इस प्रकार निर्मित किसी नगरपालिका की नाली की मरम्मत या उसमें परिवर्तन कर सकेगा।

224. मल जल एवं वर्षा जल का पृथकीकरण।

इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार, किसी परिसर के प्रभावकारी जल निकास के प्रयोजनार्थ, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी अथवा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अभिकरण, यह अपेक्षा करने के लिए सक्षम होगा कि मल जल, बदबूदार पदार्थ और प्रदूषित जल के लिए एक नाली और वर्षा जल या अप्रदूषित अवमृदा जल के लिए पूर्णतः पृथक् नाली, अथवा वर्षा जल एवं अप्रदूषित अवमृदा जल दोनों के लिए पृथक् नाली हो, जो नगरपालिका के नाला अथवा अन्य उपयुक्त स्थानों में अलग से जाकर खाली हो।

225. नालों का परिवर्तन,

ऐसी शर्त्तों एवं बंधेज के अध्यधीन जैसा कि विनियमों द्वारा समय—समय पर विनिर्दिष्ट

समापन, सफाई आदि

किया जाए, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अभिकरण,—

(क) नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी नगरपालिका की नाली का विस्तार अथवा उसका मार्ग परिवर्तन, उसे छोटा या घुमावदार या इसमें अन्यथा सुधार कर सकेगा,

(ख) ऐसे किसी नाले को तत्काल रोक, बंद या नष्ट कर सकेगा,

(ग) ऐसे नाले को प्रक्षालित, साफ और कचड़ा रहित कर सकेगा, और

(घ) नगरपालिका के किसी नाले अथवा नगरपालिका के नाले से मिलने वाले किसी नाले में ऐसा कोई पदार्थ, जिससे नाले को क्षति पहुंच सकती हो अथवा जिससे कचड़े के बहाव में बाधा उत्पन्न हो सकती हो, अथवा उसके कचड़े को ठिकाने लगाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े अथवा कोई रसायन, कूड़ा—करकट या द्रव, जो खतरनाक हो, अथवा जो परेशानी का कारण हो या जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, या कोई पेट्रोलियम पदार्थ फेंकने, जमा करने या परिवर्तित करने से रोक सकेगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्त ''पेट्रोलियम पदार्थ'' का वही अर्थ होगा, जैसा कि पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 में दिया गया है।

निजी गलियों की नालियों तथा परिसरों के जल—निकास

226. जल निकास संबंधी शक्ति

ऐसी शर्त्त एवं बंधेज के अध्यधीन जैसा कि विनियमों द्वारा समय—समय पर विनिर्दिष्ट की जाय, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई

अन्य अभिकरण,—

(क) नालायुक्त किसी परिसर के स्वामी या अधिभोगी अथवा किसी निजी नाला के स्वामी को, गंदे जल की निकासी के लिए, अपने नाला को नगरपालिका के नाला से जोड़ने की अनुमति दे सकेगा, अथवा

(ख) निजी नालायुक्त किसी परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी अथवा किसी निजी नाला के स्वामी द्वारा नगरपालिका के नाले के उपयोग को सीमित कर सकेगा, अथवा

(ग) किसी भूमि या भवन, जिसमें प्रभावकारी जल निकास की पर्याप्त व्यवस्था न हो, के स्वामी से नाला बनाने और ऐसे सभी उपकरण एवं साज—सामान उपबंध कराने की अपेक्षा कर सकेगा, जो ऐसे नाला विहीन भूमि या भवन के जल—निकास के लिए आवश्यक हो, अथवा

(घ) ऐसे परिसर समूह, जिसमें जल निकासी की व्यवस्था पृथक्करण की अपेक्षा सामूहिक रूप में आर्थिक किफायत या सुगमतापूर्वक की जा सकती हो, के स्वामियों से ऐसे परिसरों के जल निकास के लिए अपेक्षित जल निकास की संयुक्त कार्रवाई करने के अपने व्यय पर आरम्भ करने की अपेक्षा कर सकेगा, अथवा

(ङ) किसी भूमि या भवन के स्वामी से ऐसा निर्माण, मरम्मत या अन्य कार्य करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो ऐसी भूमि या भवन के कारगर जल निकास के लिए आवश्यक हो, अथवा

(च) ऐसे किसी व्यक्ति को, जो अपनी भूमि या भवन का जल निकास नगरपालिका के नाला में जोड़ने का इच्छुक हो ऐसे नाला, जो उसके स्वामित्व में नहीं है, का

उपयोग करने की अपेक्षा कर सकेगा अथवा ऐसे व्यक्ति को इसका संयुक्त स्वामी घोषित कर सकेगा।

227. परिसर, नाला के बिना परिनिर्मित न किये जाए

;1द्ध नगरपालिका क्षेत्र में कोई परिसर निर्मित या पुनर्निर्मित करना, अथवा ऐसे किसी परिसर को दखल करना, तब तक विधिमान्य न होगा, जब तक कि—

(क) ऐसे परिसर के प्रभावी अपवहन तंत्र के लिए नाला, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जैसा आवश्यक समझा जाय, ऐसे आकार, सामग्री और विवरण का तथा ऐसे सतह और ऐसे गिरावट के साथ निर्मित न हो;

(ख) ऐसे परिसरों पर ऐसे उपकरण एवं साज—सामान उपलब्ध कराये और लगाये नहीं गये हों जो गंदगी तथा अन्य प्रदूषित एवं बदबूदार पदार्थों को जमा करने तथा उन्हें ऐसे परिसरों से वहन करने और ऐसे परिसरों के नालों एवं उससे संबद्ध जुड़नार को पानी से अच्छी तरह साफ करने के प्रयोजनार्थ नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को आवश्यक प्रतीत हों।

;2द्ध इस प्रकार निर्मित नाला परिसरों से तीस मीटर से अनधिक दूरी पर स्थित नगरपालिका नाले में खाली होगा, किन्तु ऐसी दूरी के भीतर यदि कोई नगरपालिका नाला स्थित न हो, तो ऐसा नाला इस प्रयोजनार्थ नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट दूरी के भीतर स्थित हौद में गिरेगा।

228. नालियों आदि में वायु संचार के लिए

;1द्ध नगरपालिका, किसी नाली या हौद, जो नगर पालिका का हो अथवा किसी दूसरे व्यक्ति का हो, के वायु संचार के उद्देश्य से किसी भी परिसर में ऐसे उपकरण का निर्माण कर सकती

पाइप लगाना

है या, भवन के बाहर लगा सकती है या किसी पेड़ या ऐसे ही किसी भवन के किसी प्रक्षेप, जिसमें किसी छत की कंदरा भी सम्मिलित है, से ऐसी किरण पुंज या पाइप को ऊपर ले जाने के लिए या किसी भी भूमि के नीचे बिछा सकती है, जो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की राय में नाली या नाबदान के वायु संचार के उद्‌देश्य ऐसे संवातन किरण पुंज या पाइप को जोड़ना आवश्यक हो।

;2द्ध ऐसा किरण पुंज (शैफ्ट) या पाइप यथा विनिर्दिष्ट तरीके से निर्मित या लगाया या हटाया जाएगा।

;3द्ध यदि नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, किसी किरण पुंज या पाइप को, परिसर, भवन या पेड़, जिसके ऊपर या साथ, इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार किरण पुंज या पाइप निर्मित किया गया है या जोड़ा गया है, स्वामी द्वारा अपेक्षा करने पर हटाने से मना करे, तो भवन का स्वामी, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी का उत्तर प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर सक्षम न्यायालय में इसे हटाने के लिए आवेदन कर सकता है।

;4द्ध उपधारा (3) के अधीन प्राप्त आवेदन की सुनवाई एवं निस्तारण करने हेतु, सक्षम न्यायालय यथा विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, तथा सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा, और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

;5द्ध जब किसी भवन या भूमि का स्वामी, जिसकी उपधारा (1) के अधीन खुदाई की गयी है, खोली गयी है या अन्यथा प्रयोग की गयी है, वायु संचार हेतु आशयित नाली या मल हौद का स्वामी नहीं हो, तो जिसमें वायु संचार आशयित है, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, जहॉ तक व्यावहारिक हो, नगरपालिका निधि के

प्रभार पर, ऐसे भवन को पूर्व स्थिति में तथा ऐसी भूमि की भराई करके उसे सामान्य अच्छी स्थिति में लाएगा।

229. शौचघर एवं शौचालय का निर्माण

;1द्ध किसी परिसर में शौचघर या शौचालय का निर्माण, तत्समय प्रवृत्त नियमों या विनियमों से असंगत शर्तों के अनुसार, जैसा नगरपालिका विहित करे, कराना विधिपूर्ण नहीं होगा।

;2द्ध ऐसी किसी शर्त को विहित करने में, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, प्रत्येक मामले में यह अवधारित करेगा, कि—

(क) परिसर में शौचघर या शौचालय की सुविधा हो, या आंशिक रूप से एक की हो और आंशिक रूप से दूसरे की, और

(ख) शौचालय एवं शौचघर प्रत्येक की अवस्थिति या स्थिति क्या हो।

;3द्ध

यदि किसी परिसर में शौचघर या शौचालय का निर्माण उपधारा (1) के उल्लंघन में किया जाता है, तो नगर आयुक्त एवं कार्यपालक पदाधिकारी, ऐसे परिसर के स्वामी या अधिभोगी को दस दिन की नोटिस देकर, ऐसे जल बंद या शौचघर को बन्द कर सकेगा और उसे प्रत्यावर्तित या गिरवा सकेगा, तथा इस पर हुए व्यय का भुगतान ऐसे स्वामी, अध्यासी या अपराध करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

230. नवनिर्मित या पुनर्निर्मित भवन में जल बंद (शौचालय) और अन्य स्थान

;1द्ध किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण या रूपान्तरण, मानव निवास के लिए या इस हेतु अभिप्रेत अथवा जिसमें श्रमिक या कार्मिकों को कार्य पर लगाया जाना हो, शौचालय या शौच–स्थान और मूत्र–स्थल तथा नहाने अथवा कपड़ा धोने या बर्तन धोने के स्थान के बिना, जैसा नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी विहित करे, विधिपूर्ण नहीं होगा।

;2द्ध ऐसे स्थान को विहित करते समय नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, प्रत्येक मामले में निर्धारित कर सकेगा,–

(क) ऐसे स्थान या कार्य में शौच–स्थान की सुविधा हो या शौचालय की या आंशिक रूप से एक की और आंशिक रूप से दूसरे की हो,

(ख) प्रत्येक शौचालय, शौचघर, मूत्रालय या नहाने या धोने के स्थान की अवस्थिति, स्थिति, या उनकी संख्या क्या हो।

;3द्ध उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित स्थल के निर्धारण में, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, भवन के अध्यासियों द्वारा सेवायोजित घरेलू नौकरों के लिए पर्याप्त एवं समुचित शौचालय या शौचघर और नहाने के स्थानों के उपबंध की आवश्यकता को ध्यान में रखेगा।

231. जन सुविधाएं

नगरपालिका उचित एवं सुलभ स्थलों पर जल बंद, शौचघर और मूत्रालय तथा इस प्रकार की अन्य जन आवश्यकता की सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

व्यापार–बहिस्राव

232. व्यापार–बहिःस्राव से संबद्ध विशेष उपबंध

इस अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये विनियमों और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अध्यधीन, किसी व्यापार परिसर का अधिभोगी नगरपालिका के अनुमोदन से अथवा जहां तक इस अधिनियम या इसके अधीन

बनाये गये विनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अनुमन्य हो, बिना किसी ऐसे अनुमोदन के, ऐसे परिसरों से निकलने वाले व्यापार–बहिःस्राव को नगरपालिका नाला में बहा सकेगा।

233. व्यापार–बहिःस्राव के अपवहन तंत्र से संबद्ध विशेष उपबंध

इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये विनियम अथवा किसी प्रथा, रूढ़ि या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की राय में, कोई व्यापार परिसर में कारगर अपवहन तंत्र और व्यापार–बहिःस्राव के शोधन या उसके नाले का पर्याप्त साधन न हो, यद्यपि अन्यथा आपत्तिजनक न हो, नगरपालिका क्षेत्र के सामान्य अपवहन तंत्र के अनुकूल न हो, अथवा बहिःस्राव विनिर्दिष्ट शुद्धता का न हो, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, लिखित सूचना द्वारा, ऐसे परिसर के स्वामी या अध्यासी से,–

(क) व्यापार–बहिःस्राव ऐसी रीति से और ऐसे समय पर, ऐसे नालों से होकर और ऐसी शर्तों के अध्यधीन बहाने, जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, और सूचना में दी गयी रीति से भिन्न रीति के अनुसार व्यापार–बहिःस्राव गिराना स्थगित करने की अपेक्षा कर सकेगा,

(ख) नगरपालिका नाला में बहाने के पूर्व, व्यापार–बहिःस्राव को साफ करने तथा इसे साफ करने के लिए ऐसे उपकरण यंत्र, कल–पुर्जे एवं संयंत्र, जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट किये जाय, लगाने की अपेक्षा कर सकेगा,

(ग) ऐसी सामग्री, आकार–प्रकार और किस्म का नाला निर्मित करने, तथा इसे ऐसे स्तर और ऐसे संरेखन पर ऐसे अवपात एवं निकास सहित निर्मित, जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, करने

की अपेक्षा कर सकेगा और

(घ) किसी शुद्धीकरण संयंत्र, तथा विद्यमान नाले, यंत्र, संयंत्र, जुड़नार या नगरपालिका नाली अथवा गृह—नाली में प्रयुक्त सामग्री में परिवर्तन करने, मरम्मत करने या नवीकरण करने की अपेक्षा कर सकेगा।

अध्याय—26
जलापूर्ति, अपवहन तंत्र एवं मल निर्यास से संबंद्ध अन्य उपबंध

234. बिना अनुमति के मुख्य जल संकर्म, मेन्स और नालों से कनेक्शन नहीं जोड़ा जायेगा

नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना, कोई व्यक्ति, किसी भी प्रयोजन के लिए, किसी समय, नगरपालिका द्वारा निर्मित अथवा अनुरक्षित या इसमें निहित, जल संकर्म या मुख्य नाला या नाला से कोई कनेक्शन नहीं करेगा या करवाएगा।

235. बिना अनुमति के मुख्य जल नाले अथवा नगरपालिका नाले के ऊपर भवन, रेलमार्ग और निजी गली निर्मित नहीं किए जायेंगे

;1द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की अनुमति के बिना, किसी नगरपालिका नाला अथवा नगरपालिका द्वारा निर्मित या अनुरक्षित अथवा उसमें निहित, मुख्य जल नाला के ऊपर कोई भवन, दीवार, बाड़ा अथवा अन्य कोई संरचना, खड़ी नहीं की जायेगी, और कोई रेलमार्ग या निजी गली निर्मित नहीं की जायेगी।

;2द्ध यदि यथापूर्वोक्त अनुमति के बिना, किसी नाला या जल—संकर्म के ऊपर कोई भवन, दीवार, बाड़ा या अन्य संरचना खड़ी की जाय, अथवा कोई रेलमार्ग या निजी गली निर्मित की जाय, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, ऐसे उत्थापन या निर्माण को हटा सकेगा, या अन्यथा ऐसी रीति से, जैसा वह उपयुक्त समझे, निपट सकेगा।

;3द्ध उपधारा (2) के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी

द्वारा उपगत व्यय का भुगतान, निजी गली या भवन, बाड़ा, दीवार या अन्य संरचना, यथास्थिति, के स्वामी द्वारा अथवा रेल प्रशासन या उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा किया जायेगा, और यह इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में वसूलनीय होगा।

236. कतिपय मामलों में रेल प्रशासन को सूचित किया जाना — यदि, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, किसी रेलमार्ग के पार जलापूर्ति या जल—निर्यास से संबद्ध कोई पाइप या नाला बिछाना या ले जाना अथवा कोई अन्य कार्य कराना चाहे, तो वह रेल प्रशासन को सूचित करेगा, जो नगरपालिका की लागत पर इसे निष्पादित करेगा।

237. नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी तब तक भवन योजना को मंजूरी नहीं देगा जब तक जलापूर्ति आदि से संबद्ध योजना नियम और विनियम के अनुरूप न हो — नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को मंजूरी हेतु प्रस्तुत की गयी भवन—निर्माण योजना, परिसर के भीतर जलापूर्ति, जल—निर्यास, शौचालय, मूत्रालय और मल निर्यास से संबद्ध ऐसे नियम या विनियम और मल निर्यास, जैसा कि इस निमित्त बनाया जाय, के अनुरूप होगी, तथा कोई निर्माण योजना, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा, तब तक मंजूर नहीं की जायेगी जब तक कि यह इसके अनुरूप न हो।

238. भूमिगत मुख्य जल मेन्स, आपूर्ति नल, नाली आदि के नक्शे — धारा—411 के उपबंधों के अध्यधीन, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, नगरपालिका क्षेत्र में सभी परिसरों से जलापूर्ति मुख्य पाइप, आपूर्ति नल, नाली, नगरपालिका नाला, मल प्रणाली और उससे लगे हुए कनेक्शन से संबद्ध पूर्ण सर्वेक्षण नक्शा, आरेखण और विवरण संधारित करवाएगा।

239. कृत्रिम ;1द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी या तो

. जल प्रणाल (कुल्या), नाली आदि हेतु सम्पत्ति के प्रयोक्ता के अधिकार

स्वयं अथवा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य किसी एजेंसी के माध्यम से, किसी अचल सम्पत्ति को अधिगृहीत किये बिना, चाहे वह नगरपालिका क्षेत्र की सीमा के भीतर हो या बाहर, ऊपर, नीचे, बगल से या इससे होकर, कृत्रिम जलप्रणाल, नाली और मुख्य नाला, पाइप या नाली की लाइन बिछायेगा, और संधारित कर सकेगा, तथा ऐसे कृत्रिम जलप्रणाल, नाली या मुख्य नाला, पाइप या नाली के लाइन की जांच, मरम्मत, परिवर्तन या हटाने के प्रयोजनार्थ, ऐसा करने के अपने आशय की युक्तियुक्त सूचना देने के पश्चात्, ऐसी अचल सम्पत्ति पर प्रवेश कर सकेगा, जिसके ऊपर, नीचे, बगल या जिससे होकर कृत्रिम जलप्रणाल, नाली अथवा मुख्य नाला या पाइप या नाली की लाइन बिछायी गयी होः

परन्तु यह कि यथास्थिति, नगरपालिका या अन्य कोई एजेंसी, ऐसी सम्पत्ति में, जिसके ऊपर, नीचे, बगल या जिससे होकर, कोई कृत्रिम जल प्रणाली, नाली या मुख्य नाला, पाइप या नाली की लाइन बिछाये गयी हो, उपभोक्ता के अधिकार से भिन्न कोई अधिकार प्राप्त नहीं करेगी।

;2द्ध उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग, ऐसी किसी सम्पति के बावत नहीं किया जायेगा, जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार में निहित हो अथवा जो केन्द्र सरकार या रेल प्रशासन के नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन हो, सिवाय, यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा रेल प्रशासन की अनुमति के, और ऐसे विनियम के अनुसार, जैसा कि इस निमित्त बनाया जाएः

परन्तु यह कि नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, बिना ऐसी अनुमति के, ऐसे किसी विद्यमान कार्य की मरम्मत, नवीकरण अथवा संशोधन कर सकेगा, जिससे स्वरूप या स्थिति में

कोई परिवर्तन नहीं किया जाना हो, यदि ऐसी मरम्मत, नवीकरण या संशोधन निर्वाध गति से जलापूर्ति, जल निकास या मल–जल के निपटान को बनाये रखने के लिए अत्यावश्यक हो, और इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब स्वास्थ्य, मानव जीवन या सम्पत्ति के लिए हानिकारक हो।

;3द्ध इस धारा के अधीन, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए वह, अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी, यथासंभव, कम से कम क्षति और असुविधा पहुंचायेगी, और उसके द्वारा हुई क्षति और असुविधा के लिए पूरा प्रतिकर अदा करेगी।

240. अन्य व्यक्तियों की भूमि से होकर पाइप और नाला ले जाने की परिसर के स्वामी की शक्ति

;1द्ध यदि, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को, ऐसा प्रतीत हो, कि किसी परिसर को जलापूर्ति और उसके जल निकास का एकमात्र अथवा सर्वाधिक सुलभ साधन किसी दूसरे व्यक्ति की अचल सम्पत्ति के ऊपर, नीचे, बगल से या इससे होकर कोई पाइप या नाला बिछाना है, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, लिखित आदेश द्वारा ऐसे परिसर के स्वामी को ऐसी अचल सम्पत्ति के ऊपर, नीचे, बगल से या उससे होकर ऐसा पाइप या नाला लगाने या ले जाने के लिए प्राधिकृत कर सकेगाः

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश करने के पूर्व, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी अचल सम्पत्ति के स्वामी को ऐसी अवधि के भीतर, जैसा उसके द्वारा लिखित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, यह कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देगा कि ऐसा आदेश क्यों न दिया जायः

परन्तु यह और कि परिसर का स्वामी, ऐसी अचल सम्पत्ति में, जिसके ऊपर, नीचे, बगल से,

या इससे होकर कोई पाइप या नाला बिछाया या ले जाया जाता हो, उपभोगकर्ता के अधिकार से भिन्न कोई अधिकार अर्जित नहीं करेगा

;2द्ध उपधारा (1) के अधीन आदेश प्राप्त होने पर, परिसर का स्वामी, ऐसा करने के अपने आशय की युक्तियुक्त सूचना देने के पश्चात्, ऐसी अचल सम्पत्ति के ऊपर, नीचे, बगल से या इससे होकर कोई पाइप या नाला बिछाने अथवा ऐसे पाइप या नाला की मरम्मत के प्रयोजनार्थ, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच किसी समय अपने सहायकों एवं मजदूरों के साथ ऐसी अचल सम्पत्ति पर प्रवेश कर सकेगा।

;3द्ध इस धारा के अधीन कोई पाइप या नाली बिछाने अथवा ले जाने के क्रम में, ऐसी अचल सम्पत्ति को, यथासंभव कम से कम क्षति पहुंचायी जायेगी, तथा परिसर का स्वामी,—

(क) यथासंभव, न्यूनतम विलम्ब किये बिना, पाइप अथवा नाली को बिछावायेगा या ले जायेगा,

(ख) ऐसा पाइप या नाला बिछाने या ले जाने के प्रयोजनार्थ खोली गयी, तोड़ी गयी या हटायी गयी भूमि को, यथासंभव न्यूनतम विलम्ब किये बिना, अपनी लागत पर भरेगा, पुनः प्रतिष्ठित करेगा और अच्छा बनायेगा, और

(ग) ऐसी अचल सम्पत्ति के स्वामी और अन्य ऐसे व्यक्ति को, जिन्हें ऐसा पाइप या नाला बिछाने या ले जाने के कारण क्षति हुई हो, प्रतिकर अदा करेगा।

;4द्ध यदि ऐसी अचल सम्पत्ति का स्वामी, जिसके ऊपर, नीचे, बगल से या जिससे होकर कोई पाइप या नाली इस धारा के अधीन बिछाया या ले जाया गया हो, जब ऐसी अचल सम्पत्ति पर

कोई निर्माण न हुआ हो, जब ऐसी अचल सम्पत्ति पर भवन निर्मित करना चाहे, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, लिखित सूचना द्वारा, परिसर के स्वामी से पाइप या नाला को, ऐसी रीति से बंद करने, हटाने या मोड़ने की अपेक्षा करेगा, जैसा कि उसके द्वारा अनुमोदित किया जाय, तथा ऐसी अचल सम्पत्ति को भरने, पुनः प्रतिष्ठित करने और अच्छा करने की अपेक्षा करेगा, मानो पाइप या नाला ऐसी अचल सम्पत्ति के ऊपर, नीचे, बगल से या इससे होकर बिछाया या ले जाया न गया होः

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी, जब तक नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की राय में, प्रस्तावित भवन का निर्माण अथवा इसके निरापद उपयोग के लिए पाइप या नाला को बंद करना, हटाना या मोड़ना समीचीन न हो।

241. नाला या हौदी के संवातन हेतु **धरणी (साफ्ट)** आदि लगाने तथा नाली के परीक्षण करने की नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की शक्ति

;1द्ध ऐसी शर्त्त एवं बंधेज के अध्यधीन, जैसा कि विनियम द्वारा समय—समय पर विनिर्दिष्ट की जाय, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी या तो स्वयं या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी एजेंसी के माध्यम से,—

(क) किसी भूमि अथवा भवन पर या भवन के बाहर या किसी वृक्ष पर ऐसा **धरणी (साफ्ट)** या पाइप निर्मित करेगा या लगायेगा, जैसा उसे नाला या हौदी के संवातन के प्रयोजनार्थ आवश्यक प्रतीत हो, चाहे वह नाला या हौदी नगरपालिका में निहित हो या न हो, और

(ख) नगरपालिका क्षेत्र के भीतर, निजी नाला या हौदी की स्थिति, जिसके संबंध में ऐसा विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार हो कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या लोक कंटक युक्त है, की जांच जल के अन्दर दबाव से भिन्न किसी अन्य

रीति से, और यदि वह आवश्यक समझे, जमीन खोलकर, कर सकेगा।

242. दायी व्यक्ति को सूचना देने के पश्चात् कार्य निष्पादित कराने की नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की शक्ति

;1द्ध इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, जब किसी व्यक्ति से नगरपालिका क्षेत्र के भीतर जलापूर्ति, जल निकास एवं मल निर्यास संबंधी कोई कार्य निष्पादित करने की अपेक्षा की जाय, अथवा वह कार्य निष्पादित करने का दायी हो, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अधीन बनाये गये विनियम के अनुसार, ऐसी अवधि के भीतर, ऐसा कार्य निष्पादित करने का अवसर, ऐसे व्यक्ति को देने के पश्चात्, ऐसा कार्य निष्पादित करायेगा, जैसा इस प्रयोजनार्थ उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

;2द्ध ऐसे कार्य के निष्पादन में, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उपगत या उपगत होने वाला व्यय, ऐसे व्यक्ति द्वारा भुगतेय होगा, तथा ऐसे कार्य के अनुरक्षण अथवा ऐसे कार्य से उद्भूत सुख–सुविधाओं के उपभोग से संबद्ध, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उपगत व्यय का भुगतान, ऐसी सुख–सुविधाओं के उपभोग करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा।

;3द्ध उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यय की वसूली, दायी व्यक्ति या व्यक्तियों से, इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप में की जायेगी।

243. अनुज्ञप्तिधारी नलसाज द्वारा कार्य किया जाना

;1द्ध स्थायी समिति, ऐसी तकनीकी अर्हता, जैसा विनियम द्वारा निर्धारित की जाय, प्राप्त व्यक्ति को अनुज्ञप्तिधारी नलसाज के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति स्वीकृत कर सकेगी।

;2द्ध अनुज्ञप्तिधारी नलसाज से भिन्न कोई व्यक्ति अध्याय–24, अध्याय–25 और इस अध्याय में

वर्णित कोई कार्य निष्पादित नहीं करेगा, तथा कोई व्यक्ति, अनुज्ञप्तिधारी नलसाज के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा कार्य कराने की अनुमति नहीं देगाः

परंतु यह कि यदि नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की राय में, कार्य सतही प्रकृति का है, वह अनुज्ञप्तिधारी नलसाज के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति से कार्य कराये जाने की अनुमति लिखित में दे सकेगा।

;3द्ध नगरपालिका, विनियमों द्वारा निम्नलिखित का उपबंध करेगी—

(क) ऐसे अनुज्ञप्तिधारी नलसाजों की नियुक्ति की शर्त एवं बंधेज,
(ख) उनके कर्तव्य एवं दायित्व, तथा उनके कृत्यों के लिए दिशा निर्देश,

(ग) विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए उन्हें अदा किया जानेवाला शुल्क,
(घ) उनके कार्य के संबंध में किसी परिसर के स्वामी अथवा अध्यासी द्वारा की गयी शिकायतों की सुनवाई और निपटाव, और

(ङ) ऐसे किसी नलसाज द्वारा, ऐसे किसी विनियम के उल्लंघन के मामले में, ऐसी अनुज्ञप्ति का निलंबन अथवा रद्दीकरण, इसमें इस अधिनियम के अधीन अभियोजन शामिल है।

244. जल संकर्म, जल निकास एवं मल निर्यास प्रतिष्ठान

;1द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी अथवा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, किसी जल संकर्म, जल निकास एवं मल निर्यास में या ऊपर या संबद्ध किसी काम के निरीक्षण या मरम्मत या निष्पादन

तक पहुंचने की शक्ति

के प्रयोजनार्थ, युक्तियुक्त समय पर,—

(क) ऐसे जल संकर्म के सन्निकट या आसपास, नगरपालिका क्षेत्र के भीतर या बाहर, किसी भूमि पर, ऐसी भूमि चाहे जिस व्यक्ति में निहित हो, प्रवेश करेगा, और इससे होकर गुजरेगा, और

(ख) सभी आवश्यक सामग्री, यंत्र, एवं उपकरण, ऐसी किसी भूमि पर, और इससे होकर ले जायेगा।

;2द्ध इस धारा द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए, यथासंभव, कम से कम क्षति पहुंचायी जायेगी, तथा ऐसी शक्ति के प्रयोग में की जानेवाली किसी क्षति के लिए प्रतिकर का भुगतान, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी एजेंसी द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा, यदि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति ने क्षति पहुंचायी हो, किया जायेगा।

245. कतिपय कार्यों का प्रतिषेध और उसके लिये जुर्माना

;1द्ध कोई भी व्यक्ति,—

(क) नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी के प्राधिकार के अधीन कार्यरत किसी व्यक्ति को, संकर्म का रेखांकन करने अथवा इस हेतु भूमि में गड़े खम्भा या खूंटी या बल्ला को उखाड़ने या हटाने, या ऐसे कार्य को विकृत करने या नष्ट करने में जानबूझकर बाधा नहीं डालेगा, अथवा

(ख) नगरपालिका से संबंधित ताले, कॉक, वाल्व, पाइप, मीटर या अन्य कार्य या उपकरण जानबूझकर या लापरवाही से न ही तोड़ेगा, न ही क्षतिग्रस्त करेगा, न ही खोलेगा, न ही बंद करेगा या न ही अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा, अथवा

(ग) नगरपालिका के किसी जल संकर्म अथवा

जलमार्ग से, जिसके द्वारा ऐसा जल आपूर्ति किया जाता हो, जल लेने के लिए अविधिक ढंग से इसकी धारा में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अथवा न बहायेगा अथवा न निकालेगा अथवा इसमें दिशा परिवर्तन नहीं करेगा, अथवा

(घ) नगरपालिका के मल—जल के प्रवाह या प्रक्षालन में गैरकानूनी ढंग से बाधा नहीं डालेगा अथवा न बहायेगा अथवा न निकालेगा अथवा दिशा परिवर्तन नहीं करेगा अथवा नगरपालिका द्वारा अनुरक्षित विद्युत संचार मार्ग को भंग या क्षतिग्रस्त नहीं करेगा, अथवा

(ङ) किसी नगरपालिका नाली या मोरी में प्लास्टिक के थैले एवं डिब्बे सहित कोई पदार्थ अथवा डेयरी, खोबार और मुर्गीखाना के अपशिष्ट नहीं फेकेगा, अथवा

(च) अध्याय—24ए अध्याय—25 और इस अध्याय के अधीन, कर्त्तव्य के निर्वहन में नगरपालिका के किसी पदाधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी को बाधा नहीं डालेगा, अथवा किसी जल संकर्म या मल निर्यास के संबंध में उसके अधीन प्रविष्टि, निरीक्षण या जाँच करने के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराने से इन्कार नहीं करेगा या जानबूझकर लापरवाही नहीं बरतेगा, अथवा

(छ) किसी जल संकर्म में, या उसके ऊपर स्नान नहीं करेगा अथवा उसमें किसी पशु को नहीं धोयेगा या फेंकेगा या उसमें उसे दाखिल नहीं होने देगा अथवा किसी जलसंकर्म में कोई कूड़ा—करकट, गंदगी या कचड़ा नहीं फेंकेगा अथवा उसमें कोई वस्तु या कोई कपड़ा या ऊन, या किसी पशु का चमड़ा या खाल नहीं धोयेगा अथवा किसी हौदी या नाली या वाष्प इंजन या बॉयलर के जल को अथवा किसी प्रदूषित जल को किसी

जलसंकर्म में जाने नहीं देगा अथवा लाने नहीं देगा अथवा ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे जल संकर्म का जल प्रदूषित हो जाय या प्रदूषित हो जाने की संभावना हो।

;2द्ध यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन निषेधित कार्यो में लिप्त पाया जाता है, तो वह जुर्माने से जो एक हजार रूपये से अन्यून न हो, या जैसा विनियमों द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय, का दायी होगा।

;3द्ध उपधारा (1) के खंड (ख) की कोई बात, अपने परिसर में जलापूर्ति करने वाले सेवा पाइप पर लगी हुई स्टॉप कॉक को बंद करने वाले किसी उपभोक्ता पर तब लागू नहीं होगी, जब वह ऐसे किसी अन्य उपभोक्ता की, जिसकी आपूर्ति इससे प्रभावित होती हो, सहमति प्राप्त कर ले।

246. मीटर को क्षति पहुॅचाने पर जुर्माना

कोई व्यक्ति, जो जानबूझ कर या उपेक्षा से किसी मीटर या मीटर के किन्हीं जोड़ों को क्षति पहुॅचाता है, वह ऐसे जुर्माना, जो दस हजार रूपये से अनधिक हो, से दायी होगा।

247. मलनिर्यास प्रभार तथा मलनिर्यास उपकर

;1द्ध नगरपालिका, परिसर के स्वामियों पर, मुख्य मल निर्यास से ऐसे परिसर के कनेक्शन हेतु मल निर्यास प्रभार अधिरोपित करेगी, तथा इसकी राशि, यथा स्थिति, धारा–197 की उपधारा (2) अथवा धारा–198 की उपधारा (2) के अधीन जलापूर्त्ति हेतु प्रभार की आधी राशि से कम नहीं होगी, जैसा विनियम द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाए।

;2द्ध ऐसे किसी क्षेत्र में, जहां नगरपालिका द्वारा मोरी विछायी गयी हो, किसी परिसर के स्वामी ने मुख्य मल निर्यास से कनेक्शन न लिया हो, तो वह

उपधारा (1) के अधीन मल निर्यास प्रभार के रूप में प्रभार्य रकम की आधी रकम से अनधिक मल निर्यास उपकर अदा करने का दायी होगा, जैसा विनियम द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय।

;3द्ध जब स्वामी मल निर्यास प्रभार या मल निर्यास उपकर अदा करने में असफल रहे, यथास्थिति, मल निर्यास प्रभार या मल निर्यास उपकर, अध्यासी से वसूल किया जायेगा, तथा अध्यासी स्वामी से रकम वसूल करने का हकदार होगा।

;4द्ध मुख्य मल निर्यास से परिसर का कनेक्शन, परिसर के स्वामी द्वारा, इस निमित्त दिये गये, आवेदन की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर दे दिया जायेगा।

;5द्ध मुख्य मल निर्यास से परिसर को जोड़ने के लिए, स्वामी या अधिभोगी से, नगरपालिका द्वारा प्राप्त प्रभार, मल निर्यास प्रणाली से संबद्ध कार्यों पर ही खर्च किया जायेगा।

248. मल निर्यास कार्यों का संचालन और अनुरक्षण की सुपुर्दगी तथा मल निर्यास प्रभार का बिल तैयार करना एवं उद्ग्रहण

नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, स्थायी समिति के पूर्व अनुमोदन से, नगरपालिका क्षेत्र में, मल निर्यास प्रभार या मल निर्यास उपकर के बिल तैयार करने और उद्ग्रहण संबंधी कार्य, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, किसी एजेंसी या निजी एजेंसी को सौंप सकेगा।

249. त्रुटिपूर्ण, अपर्याप्त अथवा अनुपयुक्त जल

;1द्ध यदि, किसी समय, राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत हो, कि नगरपालिका द्वारा निष्पादित अथवा इसमें निहित किसी जल संकर्म अथवा जल निकास कार्य अथवा मल निर्यास कार्य का अनुरक्षण

संकर्म, जल निकास कार्य अथवा मल निर्यास कार्य पर नियंत्रण करने की राज्य सरकार की शक्ति

अथवा संचालन त्रुटिपूर्ण, अपर्याप्त अथवा अनुपयुक्त रीति से किया जा रहा है, तो राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा, नगरपालिका को आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, कारण बताने का निदेश दे सकेगी कि यथास्थिति, जल संकर्म, जल निकास या मल निर्यास कार्यों को इसके सभी संयंत्रों, पुरजों और साज–सामानों के साथ, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति अथवा राज्य सरकार की किसी एजेंसी या किसी प्राधिकार के नियंत्रण एवं प्रबंधन के अधीन क्यों नहीं सौंप दिया जाय, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय।

;2द्ध यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश में, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, राज्य सरकार को समाधानप्रद रूप में कारण नहीं बताया जाय अथवा बताया गया कारण तक्र संगत प्रतीत न हो, तो राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा, सभी संयंत्रों, पुरजों एवं साज–सामानों के साथ, यथास्थिति, जल संकर्म, जल निकास या मल निर्यास कार्य, ऐसी अवधि के लिए, जैसा कि वह नियत करे, ऐसे व्यक्ति या एजेन्सी या प्राधिकार के नियंत्रण एवं प्रबंधन में, ऐसी शर्त एवं बंधेज पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय, सौंप सकेगी।

;3द्ध उपधारा (2) के अधीन नियत अवधि के भीतर, यथास्थिति, ऐसे जल संकर्म, जल निकास अथवा मल निर्यास कार्य का पूर्ण नियंत्रण एवं प्रबंधन, इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति अथवा एजेंसी अथवा प्राधिकार में निहित होगा, जो ऐसे जल संकर्म, जल निकास अथवा मल निर्यास कार्य के अनुरक्षणार्थ, ऐसी स्थापना को नियुक्त करेगा, जैसा कि राज्य सरकार समय–समय पर निर्धारित करे, तथा ऐसी स्थापना में नगरपालिका के ऐसे कर्मचारी सम्मिलित होंगे, जिन्हें ऐसे जल संकर्म, जल निकास अथवा मल निर्यास कार्य के अनुरक्षण या संचालन के लिए योजित किया गया था अथवा योजित किये गये हों।

;4द्ध सभी सामग्री, उपकरण और भंडार की लागत

सहित, ऐसी स्थापना की लागत का भुगतान, नगरपालिका निधि से, ऐसी अवधि के भीतर किया जायेगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा नियत की जाय।

250. नगरपालिका जलापूर्ति, जल–निकास और मल जल संहिता

;1द्ध नगरपालिका एक संहिता तैयार कर इसका संधारण करेगी, जो नगरपालिका जलापूर्ति, जल निकास और मल जल संहिता कहलाएगी, इसमें ऐसे विनियम सम्मिलित होंगे, जो जल संकर्म, जलापूर्ति मेन्स, आपूर्ति नल, नाली, मल प्रणाल, शौचगृह एवं पेशाबखाना, हौदी, और तत्संबंधी उपकरणों के निर्माण, संधारण, मरम्मत और परिवर्तन के संबंद्ध में अध्याय–24 अथवा अध्याय–25 या इस अध्याय के अधीन अन्य सामान समय–समय पर बनाये जायें।

;2द्ध इस अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, ऐसे विनियमों में, यथास्थिति नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी अथवा किसी अन्य पदाधिकारी अथवा इस निमित्त इसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण द्वारा, परिसरों के निरीक्षण हेतु, उपबंध किया जायेगा।

अध्याय–27
ठोस अपशिष्ट तथा सफाई
ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन से संबद्ध कार्य

251. ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन एवं हथालन से संबद्ध नगर पालिका का कर्तव्य

नगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये नियमों को लागू करने तथा ऐसे ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन एवं हथालन को विनियमित करने तथा ऐसे ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटाव से संबद्ध बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए, उत्तरदायी होगी।

252. ठोस

इस अधिनियम में अन्यत्र अन्तर्विष्ट किसी बात के

. अपशिष्ट के प्रबंधन एवं हथालन का सौंपा जाना तथा प्रभारों का बिल तैयार करना और उनका संग्रहण

होते हुए भी, नगरपालिका द्वारा ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन और हथालन के प्रयोजनार्थ, तथा ऐसे ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटाव से संबद्ध बुनियादी सुविधा, यदि कोई हो, के विकास हेतु प्रभार अधिरोपित किया जाएगा, और उसका भुगतान, ऐसी दर पर, जैसा नगरपालिका समय–समय पर नियत करे, किया जायेगाः

परन्तु यह कि यथापूर्वोक्त प्रभार, यथासाध्य, ऐसा होगा जिसमें नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन, तथा उसके, संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटाव हेतु बुनियादी सुविधाओं, यदि कोई हो, के मद में लागत, तथा ऋण शोधन, संयंत्र एवं मशीनरी का मूल्य ह्रास की समस्त लागत, और अन्य प्रभार, सम्मिलित होंः

परन्तु यह और कि नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, स्थायी समिति के पूर्वानुमोदन से, ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटाव हेतु अवसंरचना का विकास, तथा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन एवं संचालन, पूर्वोक्त प्रभार के बिल की तैयारी, और उसके संग्रहण संबंधी कार्य, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन शासित किसी अभिकरण को अथवा किसी अन्य निजी अभिकरण को सौंप सकेगा।

253. नगर पालिका के कृत्य

नगरपालिका, स्वयं अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से,–

(क) किसी पद्धति, यथा सामुदायिक धानी संग्रहण, प्रति–गृह संग्रहण, और नियमित रूप से पूर्व सूचित समय एवं कार्यक्रम पर नगरपालिका के ठोस अपशिष्टों के संग्रहण का प्रबंध करेगी,

(ख) होटल, रेस्तराँ, कार्यालय परिसर और

वाणिज्यिक क्षेत्रों सहित मलिन बस्ती और आबाद क्षेत्रों से अपशिष्ट संग्रहण का उपाय करेगी,

(ग) खण्ड (क) एवं (ख) के अधीन इस प्रकार संग्रहीत सभी ठोस अपशिष्टों को प्रतिदिन नियमित अन्तराल पर निपटान करायेगी, और,

(घ) बूचड़खाना, मांस–मछली बाजार और सब्जी बाजार से प्राप्त जैव–अवक्रमणीय अपशिष्टों को पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकार्य रूप से उपयोग में लाने का प्रबंध करेगी।

254. ठोस अपशिष्ट नगर पालिका की सम्पत्ति

लोक आधान, डिपो तथा धारा–255 के अधीन उपबंधित या चिन्हित स्थानों में जमा किये गये सभी ठोस अपशिष्ट, तथा नगरपालिका के कर्मचारियों अथवा ठेकादारों अथवा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य किसी अभिकरण द्वारा संग्रह किये गये सभी ठोस अपशिष्ट, नगरपालिका की सम्पत्ति होगी।

255. ठोस अपशिष्टों के निपटाव और अंतिम रूप से निपटाव हेतु स्थान नियत किया जाना

नगरपालिका या तो स्वयं या अन्य किसी अभिकरण के माध्यम से, ठोस अपशिष्टों को नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत या बाहर, ऐसे स्थान या स्थानों पर, ऐसी तरह से, जैसा कि वह उपयुक्त समझे, निपटारा कराएगीः

परन्तु यह कि ऐसे किसी स्थान, जिसका उपयोग अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व, इस धारा में विनिर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया गया हो, का उपयोग सिवाय निम्नलिखित तरह के, नहीं किया जायेगा–

(क) विकास योजना और भूमि उपयोग नियंत्रण से संबद्ध राज्य की किसी विधि अथवा उससे संबद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुरूप, अथवा

(ख) किसी ऐसी विधि के अभाव में राज्य सरकार के

अनुमोदन से :

परन्तु यह और कि ठोस अपशिष्टों का अन्तिम रूप से निपटाव इस तरह से नहीं किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार अस्वीकृत करना उपयुक्त समझे।

ठोस अपशिष्ट का संग्रहण एवं हटाना

256. उत्पादन स्रोत पर ठोस अपशिष्टों को संग्रहीत करने हेतु परिसर के स्वामियों एवं अधिभोगियों के कर्त्तव्य

नगरपालिका क्षेत्र के सभी भूमियों एवं भवनों के स्वामियों एवं अधिभोगियों का कर्त्तव्य होगा,—

(क) परिसरों को नियमित रूप से साफ—सुथरा करवाना;

(ख) निम्न के लिए पृथक् आधान अथवा निपटाव बैग उपलब्ध कराना—

(i) कार्बनिक और जैव—अवक्रमणीय अपशिष्टों,

(ii) पुनर्चक्रीय अथवा गैर—जैव—अवक्रमणीय अपशिष्टों, और

(iii) घरेलू हानिकर अपशिष्टों,

ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट एक दूसरे से मिश्रित न हो सकें;

(ग) ऐसे आधानों को अच्छी हालत में रखना; और

(घ) कूड़ा—करकट, हानिकारक पदार्थ या बदबूदार पदार्थ, विष्ठा, गंदगी व्यापार जन्य कचड़ा, गोबर हड्डियाँ, राख, मृत पशुओं की लाश, मल—मूत्र, जैव—चिकित्सकीय अपशिष्ट तथा अन्य प्रदूषित और हानिकर पदार्थ सहित, ऐसी सभी अपशिष्टों को अपने—अपने परिसरों से संग्रहीत करवाकर, ऐसे समय और स्थानों पर, सामुदायिक कूड़ा—दान में, जैसा कि नगर आयुक्त या

कार्यपालक पदाधिकारी सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, रखवाना।

257. सहकारी आवास समिति, एपार्टमेंट स्वामी संघ आदि के कर्त्तव्य

सहकारी आवास समिति, एपार्टमेंट स्वामी संघ, आवासीय और गैर–आवासीय भवन परिसर, शैक्षिक भवन, संस्थानिक भवन, सभा भवन, व्यापार भवन, वाणिज्य भवन, औद्योगिक भवन, भंडारण भवन और हानिकर भवन के प्रबंधनों का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपने परिसरों में अपशिष्टों (पुनर्चक्रीय अपशिष्टों से भिन्न), हानिकर अपशिष्टों और गैर–चिकित्सकीय अपशिष्टों को तदुपरांत नगरपालिका द्वारा संग्रहण एवं निपटान हेतु, नगरपालिका द्वारा विनिर्दिष्ट आकार का सामुदायिक कूड़ा–दान अथवा निपटाव थैला, अस्थायी भंडारण के लिए उपलब्ध करायेः

परन्तु यह कि जहाँ घर–घर संग्रहण नहीं किया जाता हो, वहाँ पुनर्चक्रीय अपशिष्टों के भंडारण के लिए एक पृथक् सामुदायिक कूड़ादान उपलब्ध कराया जायगा।

258. प्रतिषेध

कोई व्यक्ति तथा किसी भूमि अथवा भवन का स्वामी या अध्यासी,–

(क) किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई ठोस अपशिष्ट न फेंकेगा और न जमा करेगा, अथवा

(ख) भवन निर्माण सामग्री को किसी लोकमार्ग, सार्वजनिक स्थान या खुले स्थान पर जमा नहीं करेगा, अथवा

(ग) सार्वजनिक स्थान पर किसी गन्दा पदार्थ को बहाने की अनुमति नहीं देगा, अथवा

(घ) मृत पशु की लाश अथवा इसके किसी भाग को, ऐसे किसी स्थान पर, जो इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध या चिन्हित नहीं किया

गया हो, जमा नहीं करेगा या अन्यथा ठिकाने नहीं लगायेगा।

259.	गलियों में किसी ठोस अपशिष्ट का ढेर लगाने या फेंकने के कारण दंड	;1द्ध	जो कोई, इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए किसी गली में अथवा सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा–कचरा का ढेर लगाता हो या कोई ठोस अपशिष्ट या मलबा जमा करता हो या फेंकता हो अथवा इसे जमा करवाता या फेंकता हो अथवा इसकी अनुमति देता हो या अपने परिसरों से कोई गंदगी निकलने देता हो, उसे तत्काल पॉच सौ रूपया से अन्यून जुर्माने से, जैसा कि विनियम द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय, दंडित किया जाएगा।
		;2द्ध	ऐसा तत्काल जुर्माना इस निमित्त नगरपालिका द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत स्वच्छता (सफाई) निरीक्षक के अनिम्न कोटि के पदाधिकारी द्वारा वसूल किया जा सकेगा।
260.	जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट		नगरपालिका का यह कर्तव्य होगा कि वह स्वयं अथवा इस निमित्त अपने द्वारा प्रधिकृत किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से, केन्द्र सरकार द्वारा जैव–चिकित्सकीय अपशिष्ट के संचालन को विनियमित करने हेतु बनाये गये नियमों के उपबधों, जिस सीमा तक नगर पालिका पर लागू हो, को कार्यान्वित करे।
261.	खतरनाक अपशिष्ट		नगरपालिका का यह कर्तव्य होगा कि वह स्वयं या इस निमित्त अपने द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु, खतरनाक अपशिष्टों का प्रबंधन और संचालन, उस सीमा तक विनियमित करे, जिस सीमा तक ऐसी नियमावली नगरपालिका पर लागू हो।

भाग- VI

अध्याय—28
राज्य नगरपालिका नियामक आयोग

262. परिभाषाएं

इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अध्यक्ष'' से राज्य आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ख) ''उच्च न्यायालय'' से राज्य का उच्च न्यायालय अभिप्रेत है;

(ग) ''सदस्य'' से राज्य आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष, और राज्य आयोग का सदस्य भी आता है;

(घ) ''राज्य आयोग'' से धारा—263 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य नगरपालिका **नियामक** आयोग अभिप्रेत है।

263. राज्य आयोग का निगमन एवं गठन

;1द्ध राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के छः माह के भीतर, अधिसूचना द्वारा, एक राज्य आयोग का गठन करेगी, जिसे झारखण्ड नगरपालिका नियामक आयोग के नाम से जाना जायेगा, जो इस अधिनियम द्वारा उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, तथा निर्दिष्ट कार्यों का सम्पादन करेगा।

;2द्ध राज्य आयोग, एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य मुद्रा होगी, और उसको जंगम व स्थावर दोनों सम्पत्तियों को अधिग्रहण करने, बनाए रखने व निस्तारण की शक्ति होगी, तथा संविदा करने तथा अपने नाम से वाद लाने या प्रतिरक्षा करने का अधिकार होगा।

;3द्ध राज्य आयोग का मुख्यालय वहां होगा, जहां राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

;4द्ध राज्य आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या **तीन** से अनधिक, उतनी होगी, जितनी राज्य

सरकार निर्धारित करे।

;5द्ध राज्य सरकार, अध्यक्ष की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से कर सकेगी, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हो अथवा मुख्य सचिव अथवा समकक्ष पद से सेवानिवृत हों ।

;6द्ध अन्य सदस्य नगर प्रबन्धन, वित्त, अभियंत्रण या विधि, जो विहित किया जाय, का विशिष्ट ज्ञान रखने वाले व्यक्ति होंगे।

;7द्ध अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा, धारा–264 के अधीन गठित चयन समिति की अनुशंसा पर, की जायेगी।

;8द्ध अध्यक्ष और अन्य सदस्य, कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा।

;9द्ध अध्यक्ष, नियामक आयोग का मुख्य कार्यपालक होगा।

264. राज्य सरकार द्वारा चयन समिति का गठन

;1द्ध राज्य सरकार अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन हेतु, एक त्रिसदस्यीय समिति का गठन करेगी, जिसमें एक सदस्य आधारभूत संरचना, वित अथवा नगरीय मामलों में कम से कम 15 वर्षों का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ होगा ।

;2द्ध किसी सदस्य का चयन, चयन समिति में किसी रिक्ति के कारण अवैध नहीं होगा।

;3द्ध राज्य सरकार, मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युति के कारण हुई रिक्ति उत्पन्न होने की दशा में, एक माह के भीतर, तथा किसी सदस्य की सेवानिवृत्ति अथवा पदावधि के अवसान के छः माह के पहले, रिक्ति को भरने के लिए, चयन समिति को संदर्भित करेगी।

;4द्ध चयन समिति, राज्य सरकार के संदर्भ के एक माह के भीतर, सदस्य के चयन को अंतिम रूप देगी।

;5द्ध राज्य सरकार के संदर्भ पर, चयन समिति सदस्य के पद पर प्रत्येक रिक्ति के विरूद्ध दो नामों का पैनल अनुशंसित करेगी।

;6द्ध सदस्य के रूप में नियुक्ति की अनुशंसा करने के पूर्व, चयन समिति यह सुनिश्चित करेगी कि अनुशंसित व्यक्ति का वित्तीय या कोई अन्य हित सदस्य के रूप में कार्य करने से पूर्वाग्रहित नहीं है।

265. अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की पदावधि, वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्ते

;1द्ध अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, पद ग्रहण की तिथि से पांच वर्ष तक पद धारण करेंगे, और पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे,:

परन्तु यह कि अध्यक्ष या अन्य सदस्य, पद धारण नहीं करेगा, यदि वह प्राप्त कर लिया हो —

(क) अध्यक्ष की दशा में, पैंसठ वर्ष की आयु, और

(ख) अन्य किसी भी सदस्य की दशा में, बासठ वर्ष की आयु।

;2द्ध अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को भुगतेय वेतन एवं भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें एवं दशायें वही होंगी, जो विहित की जायें।

;3द्ध अध्यक्ष या अन्य सदस्य के वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें अलाभकारी स्थिति में परिवर्तित नहीं की जायेंगी।

;4द्ध अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य, पदग्रहण के पूर्व, पद और गोपनीयता की शपथ, ऐसे प्रारूप और रीति में तथा ऐसे प्राधिकारी के समक्ष, जैसा

विहित किया जाय, ग्रहण करेगा।

;5द्ध उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष या अन्य सदस्य,—

(क) तीन माह से अन्यून की लिखित में सूचना राज्यपाल को देकर, अपने पद को त्याग सकेगा, या

(ख) धारा—266 के उपबन्धों के अनुसार पद से हटाए जा सकेगा।

;6द्ध अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, इस रूप में पद छोड़ने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन पुनः किसी सेवा के लिए निरर्ह होगा, और—

(क) ऐसे पद को त्यागने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक, कोई वाणिज्यिक पद स्वीकार नहीं करेगा; और

(ख) राज्य नियामक आयोग या किसी दूसरे राज्य द्वारा गठित किसी समान आयोग के समक्ष, किसी रूप में, किसी भी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नही करेगा।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के उद्देश्यों के लिए—

(1) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवायोजन के अन्तर्गत, भारत की सीमा के भीतर स्थित किसी भी अन्य प्राधिकार या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित कोई प्राधिकार या स्थानीय प्राधिकार या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या स्वामित्व का कोई निगम या सोसाइटी में सेवायोजन शामिल है;

(2) ''वाणिज्यिक सेवायोजन'' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य में कार्य कर रहे, केन्द्र या राज्य सरकार के किसी लोकोपयोगी निकाय में किसी रूप में या व्यावसायिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक, या आर्थिक कारोबार में सन्नद्ध किसी व्यक्ति के अभिकर्ता, और

इसमें सम्मिलित है कम्पनी का निदेशक या फर्म का भागीदार, और इसमें सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में स्वतंत्र या भागीदार के रूप में प्रैक्टिस करने वाला भी शामिल है।

266. अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदच्युति

;1द्ध उपधारा (3) के उपबन्धों के अध्यधीन, अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, राज्यपाल के निदेश पर, राज्यपाल द्वारा संदर्भ किये जाने पर उच्च न्यायालय की जांच ऐसी प्रक्रिया द्वारा जो इस निमित्त उच्च न्यायालय द्वारा विहित की जाये, से सिद्ध कदाचार के आधार पर, कि सदस्य को पदच्युत किया जाना चाहिए, हटाया जाएगा।

;2द्ध राज्यपाल, अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को, जिसके विषय में उपधारा (1) के अधीन उच्च न्यायालय को संदर्भ किया गया हो, और राज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर जब तक कोई आदेश पारित न किया जाय, निलम्बित कर सकेगा।

;3द्ध उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्यपाल, आदेश द्वारा, अध्यक्ष या किसी सदस्य को पदच्युत कर सकता है, यदि वह–

(क) निर्णीत दिवालिया हो, या

(ख) किसी ऐसे अपराध की दोषसिद्धि पर, जिसके संबंध में राज्य सरकार की राय हो कि नैतिक अवचार से सम्बन्धित है; या

(ग) सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो, या

(घ) ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो, जो सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए पूर्वाग्रह के रूप में प्रभावित करता हो, या

(ङ) पद का ऐसा दुरूपयोग किया हो, जो पद को धारण किये रहना लोकहित में

न हो।

;4द्ध उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष या अन्य सदस्य, खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) के आधार पर तब तक नहीं हटाया जा सकता है, जब तक राज्यपाल के संदर्भ पर उच्च न्यायालय द्वारा, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जैसा उच्च न्यायालय इस निमित्त विहित करे, जॉच करके यह प्रतिवेदित न किया जाय कि इस आधार पर सदस्य को हटा देना चाहिए।

267. राज्य नियामक आयोग के पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी वृंद

;1द्ध राज्य नियामक आयोग, एक सचिव की नियुक्ति करेगा, जो अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन रहते हुए, ऐसी शक्तियों का प्रयोग, और ऐसे कार्यों को सम्पन्न करेगा, जैसा राज्य नियामक आयोग विनियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

;2द्ध राज्य नियामक आयोग, राज्य सरकार के अनुमोदन से, अपने कार्यों को सम्पन्न करने हेतु, आवश्यक अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मियों की संख्या, प्रकृति और कोटि निश्चित कर सकेगा।

;3द्ध राज्य नियामक आयोग, राज्य सरकार के अनुमोदन से, राज्य नियामक आयोग के सचिव व अन्य पदाधिकारियों एवं कार्मिकों को देय वेतन व भत्ते, और सेवा की अन्य निबन्धन एवं शर्तें, विनियम बनाकर निर्धारित करेगा।

;4द्ध राज्य नियामक आयोग, इसके कार्यों में सहायता देने के लिए, सलाहकारों की नियुक्ति, ऐसे निबन्धन एवं शर्तों पर कर सकेगा जैसा राज्य नियामक आयोग, आदेश द्वारा, नियत करे।

268. राज्य नियामक आयोग के कृत्य

;1द्ध इस अधिनियम में अन्यत्र कहीं किसी बात के होते हुए भी, राज्य नियामक आयोग, निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, यथा—

(क) प्रत्येक नगरपालिका के लिए अलग–अलग दर का निर्धारण, जिस दर पर वे जलापूर्ति करेगी,

(ख) प्रत्येक नगरपालिका के लिए अलग–अलग मल निकास प्रभार का निर्धारण, जिस पर परिसरों के स्वामी मुख्य मल निकास से जोड़ेंगे,

(ग) प्रत्येक नगरपालिका के लिए अलग–अलग ठोस कूड़ा प्रबन्धन हेतु धनराशि दर का निर्धारण या सिद्धान्तों का प्रतिपादन,

(घ) प्रत्येक नगर पालिका के लिए अलग–अलग अन्य सेवाओं के लिए प्रभारों की दर का निर्धारण या सिद्धान्तों का प्रतिपादन,

(ङ) राज्य में नगरीय सेवाओं के उपबन्धों के लिए मानक तय करना, जिसमें ऐसे सेवाओं की गुणवत्ता, सततता और विश्वसनीयता से संबंधित मानक शामिल होंगे,

(च) नगरीय सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी के क्षेत्रों को सुझाना,

(छ) नागरिकों के साथ उचित व्यवहार को सुनिश्चित करना,

(ज) नगरपालिका सेवाओं के उपबन्ध में नगरपालिकाओं की गतिविधियों में प्रतियोगिता, दक्षता और मितव्ययिता को संवर्द्धित करना।

;2द्ध उपधारा (1) पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार राज्य नियामक आयोग को निम्नलिखित में से कोई भी कार्य, अधिसूचना द्वारा प्रदत्त कर सकती है, यथा–

(क) राज्य में नगरीय सेवाओं के उपबन्ध से संबंधित किसी विषय पर सहयोग एवं सलाह देना, तथा इस सम्बन्ध में राज्य नीतियों को प्रतिपादित करना,

(ख) राज्य में नगरीय सेवाओं के उपबन्ध से

सम्बन्धित सूचनाओं का एकत्रीकरण एवं अभिलिखित करना,

(ग) राज्य में नगरीय सेवाओं की मांग, और उसके उपयोग के आंकड़े एवं पूर्वानुमान एकत्र करना और प्रकाशित करना,

(घ) किसी नगरपालिका प्राधिकारी एवं नगरपालिका सेवाओं के आपूर्तिकर्ता, चाहे निजी या सार्वजनिक क्षेत्र का हो, के बीच उत्पन्न विवादों तथा भिन्नताओं पर निर्णयन करना या ऐसे प्रकरणों को विवाचन के लिए संदर्भित करना,

(ङ) पर्यावरण नियामक अभिकरणों के साथ समन्वय करना तथा नगरपालिका सेवाओं के लिए समुचित पर्यावरणीय विनियमन की प्रक्रिया और नीतियों को प्रस्तुत करना, और

(च) राज्य सरकार द्वारा राज्य नियामक आयोग को संदर्भित किसी अन्य मामलों में राज्य सरकार को सलाह एवं सहायता देना।

269. झारखण्ड राज्य नगर पालिका सलाहकार समिति

;1द्ध राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तिथि से, जैसा उक्त अधिसूचना में वह विनिर्दिष्ट करे, झारखण्ड राज्य नगरपालिका सलाहकार समिति नाम से एक समिति गठित कर सकेगी।

;2द्ध झारखण्ड राज्य नगरपालिका सलाहकार समिति, इक्कीस से अनधिक सदस्यों, जो वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, श्रम, नागरिक सेवाओं के उपभोक्ता, नगरपालिकाएं, गैर सरकारी संगठनों और अकादमिक तथा शोध संस्थानों के नगरीय मामलों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हों, से मिलकर बनेगी।

;3द्ध उपधारा (2) में संदर्भित सदस्यों में से एक सदस्य, झारखण्ड राज्य नगरपालिका सलाहकार समिति का अध्यक्ष होगा, तथा वह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित भी किया जायेगा।

270. राज्य नगरपालिका सलाहकार समिति के उद्देश्य एवं कृत्य

राज्य नगरपालिका सलाहकार समिति के उद्देश्य एवं कृत्य, राज्य नियामक आयोग को निम्नलिखित पर सलाह देना होगा,–

(क) नीति संबंधी प्रमुख प्रश्नों,

(ख) नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त की जानी वाली सेवाओं की गुणवत्ता, सततता और विस्तार संबंधी प्रकरणों,

(ग) नगरपालिका सेवाओं के उपभोक्ताओं का संरक्षण; और

(घ) नगरपालिका प्राधिकरियों द्वारा नगरपालिका सेवाओं के उपबन्धों में निष्पादन स्तर, दक्षता एवं मितव्ययिता में सुधार।

271. राज्य नियामक आयोग के समक्ष प्रतिनिधित्व

राज्य नियामक आयोग, किसी भी व्यक्ति, जिसे उचित समझे, को नगरपालिका सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों का इसके समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत करेगा।

272. कुछ वादों में उच्च न्यायालय को अपील

;1द्ध राज्य नियामक आयोग के किसी निर्णय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

;2द्ध पूर्वोक्त के सिवाय, राज्य नियामक आयोग के किसी आदेश या निर्णय के विरूद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण, किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं होगी।

;3द्ध इस धारा के अधीन अपील, राज्य नियामक आयोग के आदेश या निर्णय से व्यथित किसी व्यक्ति को ऐसे आदेश या निर्णय की तिथि की संसूचना से साठ दिन के भीतर की जायेगीः

परन्तु यह कि उच्च न्यायालय साठ दिन की अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील अनुज्ञात कर सकता है, यदि वह साठ दिन की अवधि के भीतर अपील न किए जाने के व्यथित व्यक्ति के कारणों से संतुष्ट हो।

273. राज्य नियामक आयोग द्वारा उपभोक्ता प्रभारों का नियतन

;1द्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, राज्य नियामक आयोग द्वारा इस अधिनियम और इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम व विनियमों के उपबंधो के अनुसार, धारा—268 में उल्लिखित उपभोक्ता प्रभारों की दरें निर्धारित की जायेंगी।

;2द्ध राज्य नियामक आयोग, प्रत्येक नगरपालिका के लिए अलग—अलग, पूर्वोक्त उपभोक्ता प्रभारों के निबन्धन एवं शर्तें, तथा दरों को, विनियम द्वारा निर्धारित करेगा, और ऐसा करने में, निम्नलिखित विचारों से दिशा—निर्देशित होगा, यथा—

(क) दर, नगरपालिका सेवाओं की पर्याप्त और सुधरते स्तर की दक्षता पर आपूर्ति की उत्तरोत्तर लागत को प्रतिबिम्बित कर,

(ख) दक्षता, संसाधनों का मितव्ययी प्रयोग, अच्छा निष्पादन, अधिकतम निवेश और अन्य मामले, जिसे राज्य नियामक आयोग उचित समझे, को प्रोत्साहित करने वाले कारक,

(ग) नगरपालिका सेवाओं के उपभोक्ताओं का हित सुरक्षित हो, साथ ही साथ, उपभोक्ता नगरपालिका सेवाओं का उपयोग करने के लिए युक्तियुक्त रीति से ऐसी सेवाओं के औसत लागत पर आधारित भुगतान करे, और

(घ) नगरपालिका की नागरिक सेवाओं का उत्पादन, वितरण और आपूर्ति, वाणिज्यिक आधार पर किया जाय।

;3द्ध राज्य नियामक आयोग, इस अधिनियम के अधीन, उपभोक्ता प्रभारों का निर्धारण करते समय, किसी भी नगरपालिका को अनुचित वरीयता नहीं देगा, परन्तु जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, राजस्व उत्पादन, आर्थिक महत्व और विभिन्न नगरपालिका क्षेत्रों की वास्तविक दशाओं तथा प्रबंधकीय, तकनीकी, वित्तीय एवं संगठनात्मक क्षमता के आधार पर, विभिन्न नगरपालिकाओं में विभेद कर सकता है।

;4द्ध यदि राज्य सरकार, नगरपालिका एवं उसके किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के किसी वर्ग को, राज्य नियामक आयोग द्वारा नियत उपभोक्ता प्रभारों की दरों में कोई सब्सिडी प्रदत्त करने की अपेक्षा करे, तो राज्य सरकार, ऐसी सब्सिडी के प्रदान करने से प्रभावित नगरपालिका या किसी अन्य अभिकरण को क्षतिपूर्ति का भुगतान, ऐसी रीति से करेगी, जैसा राज्य नियामक आयोग, राज्य सरकार द्वारा उपबन्धित सब्सिडी के कार्यान्वयन के लिए एक दशा के रूप मे निर्देशित करे।

;5द्ध जब राज्य नियामक आयोग, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट विचारों से विचलित हो, वह ऐसे विचलन का कारण अभिलिखित करेगा।

274. राज्य नियामक आयोग का बजट

राज्य नियामक आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ऐसे समय पर और ऐसे प्रारूप में, जैसा विहित किया जाय, राज्य नियामक आयोग की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों को दिखाते हुए, अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करेगा, और बजट को राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

275. राज्य नियामक आयोग का लेखा और संपरीक्षण

;1द्ध राज्य नियामक आयोग, समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख अनुरक्षित करेगा, तथा भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से लेखा का वार्षिक–विवरण, और ऐसे प्रारूप में, जैसा राज्य सरकार निर्धारित करे, तैयार करेगा।

।

;2द्ध राज्य नियामक आयोग का लेखा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अन्तराल पर, जैसा वह विहित करे, संपरीक्षा किया जायेगा, और ऐसी संपरीक्षा में उपगत कोई खर्च, राज्य नियामक आयोग द्वारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को देय होगा।

;3द्ध इस अधिनियम के अधीन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और उसके द्वारा नियुक्त राज्य नियामक आयोग के लेखा संपरीक्षा से सम्बन्धित किसी व्यक्ति को, ऐसे लेखा संपरीक्षा के विषय में, वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्रधिकार प्राप्त होगा, जो सामान्यतः, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को, राज्य सरकार के लेखा की संपरीक्षा के संबंध में प्राप्त होता है, तथा विशेषकर, पुस्तकों, लेखा, सम्बन्धित बाउचर एवं अन्य दस्तावेज और कागजों को प्रस्तुत करने की मांग करने एवं राज्य नियामक आयोग के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार रखेगा।

;4द्ध राज्य नियामक आयोग का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिप्रमाणित लेखा, उस पर संपरीक्षित प्रतिवेदन के साथ राज्य नियामक आयोग द्वारा राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष अग्रसारित किया जायेगा, और राज्य सरकार, जैसे ही यह प्राप्त हो, शीघ्रातिशीघ्र राज्य विधायिका के समक्ष रखेगी।

276. राज्य नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन

;1द्ध राज्य नियामक आयोग, ऐसे प्रारूप में एवं ऐसे समय पर, जैसा विहित किया जाय, पूर्व वर्ष के कार्यो का संक्षिप्त विवरण देते हुए, एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा, और प्रतिवेदन की प्रतियॉं राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

;2द्ध उपधारा (1) के अधीन प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति जैसे ही प्राप्त हो, शीघ्रातिशीघ्र, राज्य विधायिका के समक्ष पेश की जायेगी।

277.	राज्य नियामक आयोग में पारदर्शिता		राज्य नियामक आयोग, इस अधिनियम के अधीन, शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।
278.	राज्य सरकार द्वारा निर्देश	;1द्ध	अपने कृत्यों के निर्वहन में, राज्य नियामक आयोग, लोकहित से जुड़े नीतिगत मामलों में, राज्य सरकार द्वारा दिये गये लिखित दिशा—निर्देशों से निर्देशित होगा।
		;2द्ध	प्रश्न उठने पर कि कोई मामला लोकहित का है, या नहीं, उस पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।
279.	राज्य नियामक आयोग के समक्ष कार्यवाहियां		राज्य नियामक आयोग के समक्ष की सभी कार्यवाहियां, भारतीय दण्ड संहिता 1860 (अधिनियम संख्यांक 1860 का 45) की धारा—193 व धारा—228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाहियॉं समझी जायेंगी, और राज्य नियामक आयोग, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम संख्यांक 1974 का 2) की धारा—345 व धारा—346 के अर्थों में, सिविल न्यायालय समझा जायेगा।
280.	सद्भाव में की गयी कार्यवाही का संरक्षण		इस अध्याय के या इसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन, सद्भाव में किये गये अथवा करने के लिए आशयित, राज्य सरकार या राज्य नियामक आयोग या राज्य सरकार के किसी पदाधिकारी या राज्य नियामक आयोग के किसी सदस्य, पदाधिकारी या किसी कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही ग्राहय नहीं होगी।
281.	अधिनियम के अधीन दिये गये आदेश या		जो कोई, इस अध्याय के अधीन दिये गये किसी आदेश या निर्देश का ऐसे आदेश या निर्देश में, यथाविनिर्दिष्ट, समय के भीतर पालन करने में चूक करता है, या इस अध्याय के उपबंधों या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम

दिशा—निर्देश की अवहेलना करने पर सजा

का विरोध करता है, या विरोध करने का प्रयत्न करता है, या विरोध के लिए प्रेरित करता है, वह प्रत्येक अपराध के लिए कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो तीन माह तक का हो सकेगा, या जुर्माना जो पच्चीस हजार रूपये तक हो सकेगा, या दोनों से, और अपराध की निरन्तरता की स्थिति में, अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रथम अपराध के लिए दण्डित होने के पश्चात् प्रतिदिन एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

282. राज्य नियामक आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना के लिए दण्ड

;1द्ध किसी व्यक्ति द्वारा राज्य नियामक आयोग के समक्ष परिवाद दाखिल किये जाने पर या यदि राज्य नियामक आयोग संतुष्ट हो कि किसी व्यक्ति ने, राज्य नियामक आयोग द्वारा इस अध्याय या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन दिये गये किसी निर्देश का उल्लंघन किया है, तो राज्य नियामक आयोग, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे प्रकरण में, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, निर्देशित कर सकेगा कि इस अध्याय के अधीन दायी किसी अन्य दण्ड पर विपरीत प्रभाव न डालते हुए, ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में प्रत्येक उल्लंघन के लिए, पच्चीस हजार रूपये से अनधिक का जुर्माना, और उल्लंघन जारी रहने की दशा में, प्रथम उल्लंघन के पश्चात् उल्लंघन जारी रहने के दौरान अतिरिक्त जुर्माना, जो प्रतिदिन एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, का भुगतान करेगा।

;2द्ध इस धारा के अधीन भुगतेय धनराशि, यदि अदत्त रह जाती है, भू—राजस्व के बकाए की तरह वसूली जा सकेगी।

283. जब्त करने की शक्ति

राज्य नियामक आयोग या राज्य नियामक आयोग द्वारा इसी कार्य के लिए विशेषतः प्राधिकृत, राजपत्रित पदाधिकारी से अन्यून कोटि का कोई

पदाधिकारी, किसी भी भवन या स्थान में प्रवेश कर सकता है, जहाँ राज्य नियामक आयोग का विश्वास करने का कारण हो कि जाँच के विषय से सम्बन्धित कोई दस्तावेज प्राप्त होगा; और यथाशक्य दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा–100 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे किसी दस्तावेज को जब्त कर सकता है, या उसका सार ले सकता है, या उसकी नकल ले सकता है।

284. अपराधों का संज्ञान — कोई भी न्यायालय, इस अध्याय के अधीन, दण्डनीय अपराधों का संज्ञान, राज्य नियामक आयोग या राज्य नियामक आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में सम्यक् रूप से प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा, लिखित में, परिवाद पर, के सिवाय, नहीं लेगा।

285. विधियों में असंगतता — इस अध्याय में या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम में, या इस अध्याय के अधीन कोई लिखत या उसके अधीन बनाये गये नियम या विनियिम का प्रभाव नहीं होगा, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 से असंगत हो।

286. प्रत्यायोजन — राज्य नियामक आयोग, विशिष्ट या सामान्य लिखित आदेश द्वारा, या राज्य नियामक आयोग के किसी सदस्य या किसी पदाधिकारी, या किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसे शर्त के अध्यधीन, यदि कोई हो, जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, इस अध्याय के अधीन इसकी शक्तियाँ व कृत्य, जैसा आवश्यक समझे, धारा–268 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) अधीन विवादों के निर्णयन की शक्ति, और धारा–289 के अधीन विनियम बनाने की शक्ति के सिवाय, प्रत्यायोजित कर सकता है।

287. अधिभावी प्रभाव — धारा–285 में उपबन्धित के सिवाय, इस अध्याय के उपबंध का प्रभाव, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्निहित किसी उपबन्ध के असंगत, नहीं होगा।

288. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति

;1द्ध राज्य सरकार, इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

;2द्ध विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी विषयों या किन्हीं विषयों के लिए, उपबन्ध किया जा सकेगा, यथा–

(क) धारा–265 की उपधारा (2) के अधीन, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य निबन्धन एवं शर्ते;

(ख) वह प्रारूप व ढंग, जिसमें, तथा प्राधिकारी जिसके समक्ष, धारा–265 की उपधारा (4) के अधीन पद एव एवं गोपनीयता की शपथ ली जायेगी;

(ग) प्रारूप, जिसमें, तथा समय जब, राज्य नियामक आयोग धारा–274 के अधीन अपना बजट तैयार करेगा,

(घ) प्रारुप, जिसमें राज्य नियामक, आयोग धारा–275 की उपधारा (1) के अधीन लेखा का वार्षिक विवरण तैयार करेगा,

(ङ) प्रारूप, जिसमें व समय, जिसके भीतर, धारा–276 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा,

(च) कोई अन्य विषय, जो नियमों द्वारा विहित किये जाने के लिए अपेक्षित है या विहित किया जाए।

289. राज्य नियामक आयोग की विनियम बनाने की शक्ति

;1द्ध राज्य नियामक आयोग, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बनाये गये, इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के संगत, अधिसूचना द्वारा, विनियम बना सकता है।

;2द्ध विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी विषयों या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेगा, यथा

(क) धारा–267 की उपधारा (1) के अधीन

सचिव के कर्त्तव्य व शक्तियां;

(ख) धारा 267 की उपधारा (3) के अधीन सचिव, और अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य निबन्धन एवं शर्तें;

(ग) धारा 267 की उपधारा (4) के अधीन परामर्शदाता की नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें;

(घ) धारा 273 के अधीन उपभोक्ता प्रभार की दरें नियत करने का तरीका;

(ङ) कोई अन्य विषय, जो विनियमों द्वारा विहित किये जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए।

अध्याय–29
लोक मार्ग

290. भूतल परिवहन प्रणाली एवं उपसाधन

इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ,–

(क) भूतल परिवहन प्रणाली के अन्तर्गत गली, सड़क पगडंडी, पैदल मार्ग, पार्किंग क्षेत्र, परिवहन टर्मिनल, यात्री एवं माल दोनों के लिए, पुल, उपमार्ग, उपरिपुल, नाव एवं अन्तर्देशीय जलपरिवहन प्रणाली आएगा, और

(ख) परिवहन प्रणाली उपसाधन के अन्तर्गत यातायात अभियंत्रण स्कीम, मार्ग उपस्कर, मार्ग प्रकाश, पार्किंग भू–भाग एवं बस ठहराव आएगा।

291. नगर पालिका में लोकमार्ग का निहित होना

;1द्ध नगरपालिका क्षेत्र के सभी लोक मार्ग और पार्किंग क्षेत्र, जिसमें शामिल है मृदा, अवमृदा, पत्थर, अन्य सामग्री, उपनाला, पगडंडी, खड़ंजा, उपमार्ग और उपरिपुल और सभी निर्माण,उपकरण और वृक्ष तथा उसमें उपबंधित अन्य चीजें, नगरपालिका में निहित होंगे:

परन्तु यह कि नगरपालिका क्षेत्र का लोक मार्ग, जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के तुरन्त

पूर्व राज्य सरकार अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, किसी प्राधिकार में निहित था, जब तक इस निमित्त सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्णय लेने के लिए ऐसा निदेशित न किया जाए, नगरपालिका में निहित नहीं होगा।

;2द्ध राज्य सरकार, यथा अवधारित ऐसे निबंधन एवं शर्तो के अधीन, अधिसूचना द्वारा,–

(क) अपने किसी लोकमार्ग या पार्किंग क्षेत्र को किसी नगरपालिका को हस्तान्तरित कर सकेगी, या

(ख) किसी नगरपालिका से किसी लोकमार्ग या पार्किंग क्षेत्र को अपने अधिकार में ले सकेगी, या

(ग) ऐसे ग्रहण किए गये लोक मार्ग या पार्किंग क्षेत्र को, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, किसी प्राधिकार या किसी अन्य अभिकरण को, ऐसे लोकमार्ग या पार्किंग क्षेत्र को एक सीमित अवधि के लिए ऐसी नगरपालिका या राज्य सरकार या ऐसे प्राधिकार या अभिकरण, यथास्थिति, द्वारा उचित रख–रखाव एवं विकास हेतु हस्तान्तरित कर सकेगी।

;3द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, ऐसे प्रारूप में और, ऐसी रीति से, जैसा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, एक पंजी संधारित करेगा, और ऐसी पंजी में नगरपालिका या ऐसे प्राधिकार या अभिकरण में निहित सभी लोक मार्गो की पृथक् सूची रखी जाएगी।

;4द्ध नगरपालिका, सार्वजनिक विक्रय हेतु ऐसी पंजी की विषय वस्तु का प्रकाशन, ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से,जैसा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, करेगी।

292. लोक मार्ग आदि के संबंध में नगरपालिका के

;1द्ध नगरपालिका या कोई अन्य अभिकरण, यथास्थिति, इसमें निहित सभी लोक मार्ग, पार्किंग क्षेत्र, चौक, उप–मार्ग या उपरिपुल का विकास, अनुरक्षण, नियंत्रण और विनियमन का कार्य, इस अधिनियम के उपबंधों और इसके

कार्य — अधीन बनाये गये विनियमों के अनुरूप, करेगा।

;2द्ध नगरपालिका या अन्य कोई अभिकरण, यथास्थिति, समय—समय पर, इसमें निहित सभी लोक मार्गो को समतल, पक्का, खड़ंजा, नाली युक्त, परिवर्तित या मरम्मत करवायेगा, और ऐसे किसी मार्ग को चौड़ा, विस्तार या अन्यथा सुधार कर सकेगा, या उस मार्ग की मिट्टी का स्तर ऊपर उठाना, नीचा करना या उसमें परिवर्तन करने, या घेराबन्दी करना, और उसकी मरम्मत करना, तथा पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए उस पर रेलिंग लगाने का कार्य, कर सकेगा।

293. नये लोक मार्ग आदि बनाने की शक्ति — नगरपालिका या अन्य कोई अभिकरण, यथास्थिति, किसी समय निम्नलिखित कार्य कर सकेगी—

(क) नये लोक मार्ग का अभिन्यास या बनाना, या
(ख) पुल या उपमार्ग का निर्माण करना, या
(ग) किसी वर्तमान लोक मार्ग को घुमाना या दिशा परिवर्तन करना, या
(घ) इसके होते हुए भी कि इसके आसपास किसी मकान के निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, नगरपालिका क्षेत्र के किसी भाग में मार्ग या मार्गो की स्थिति और दिशा का अभिन्यास और नियत करना, या
(ङ) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसरण में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन शासित किसी प्राधिकार द्वारा, किसी स्कीम या किसी विकास या सुधार स्कीम के अधीन बनाये गये और सम्यक् रूप से निर्मित किसी मार्ग को सार्वजनिक मार्ग घोषित करना, या
(च) किसी निजी मार्ग को लोक मार्ग घोषित करना।

294. नये लोक मार्ग की — इस अध्याय के अधीन नव निर्मित या ऐसे घोषित किये गये किसी लोकमार्ग की चौड़ाई पगडंडी सहित दस मीटर से कम नहीं होगीः

न्यूनतम चौड़ाई

परन्तु यह कि कारणों को अभिलिखित करते हुए संक्रमणशील क्षेत्र की दशा में, ऐसी चौड़ाई कम की जा सकती है, परन्तु किसी भी स्थिति में चौड़ाई छः मीटर से कम नही होगी।

295. लोक मार्ग, लोक पार्किंग स्थल एवं परिवहन टर्मिनल के लिए भूमि एवं भवन का अधिग्रहण।

;1द्ध नगरपालिका, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, अधिग्रहण कर सकेगी—

(क) किसी लोक मार्ग, पार्किंग या परिवहन टर्मिनल, चौक, पार्क या बागीचा को खोलने, चौड़ा करने, विस्तार करने या अन्यथा विकसित करने,या कोई नया बनाने या मार्ग की नियमित रेखा को प्रवर्तित करने के प्रयोजनार्थ संरचना, उस पर बने भवन, यदि कोई हो, के साथ कोई भूमि,

(ख) यथा पूर्वोक्त किसी भूमि या भवन सहित, किसी संरचना के संबंध में यथा पूर्वोक्त लोक मार्ग नियमित सीमा रेखा या प्रदर्शित सीमा रेखा से वाह्य, ऐसी भूमि या भवन सहित संरचना जिसे नगरपालिका आवश्यक समझे, और

(ग) सार्वजनिक पार्किंग स्थल का आधार रखने या निर्माण करने के प्रयोजनार्थ कोई भूमि।

;2द्ध उपधारा (1) के अधीन जहाँ किसी भूमि या भवन सहित संरचना के अधिग्रहण की अपेक्षा की जाती है, और नगरपालिका इससे संतुष्ट है कि भूमि का शेष अंश भू—स्वामी के किसी लाभकारी उपयोग के लिए उपयुक्त या ठीक नहीं होगा, वह भूमि का ऐसा शेष अंश, जो अधिग्रहण करने पर नगरपालिका में निहित होगा, भू—स्वामी के अनुरोध पर अधिग्रहण करने के लिए अग्रसर होगी।

;3द्ध उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन, जहाँ किसी भूमि या भवन सहित किसी संरचना का अधिग्रहण वांछित है, ऐसे अधिग्रहण के लिए, इस अधिनियम में उपबंधित प्रक्रिया लागू होगी।

296. लोक मार्ग को स्थायी रूप से बन्द करना

;1द्ध नगरपालिका, इस अधिनियम के उपबंधों के पालन करने के प्रयोजनार्थ या लोकहित में, पूरे लोक मार्ग या उसके किसी भाग को स्थायी रूप से बन्द कर सकेगीः

परन्तु यह कि ऐसे लोक मार्ग बन्द करने के पूर्व, नगरपालिका विनियमों द्वारा, यथा उपबंधित रीति से प्रकाशित सूचना द्वारा, उक्त सूचना प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर, ऐसी बन्दी के संबंध में, ऐसी बन्दी से प्रभावित आवासियों को सुझाव या आपत्ति देने का अवसर प्रदान करेगी, और ऐसे सभी सुझाव या आपत्ति पर विचार करेगी।

;2द्ध जब उपधारा (1) के अधीन किसी लोक मार्ग या उसके भाग को स्थायी रूप से बन्द कर दिया जाय, ऐसे स्थल या उसके किसी अंश का निपटारा, इस रूप में किया जा सकेगा, जैसे कि वह भूमि नगरपालिका में निहित है।

297. लोक मार्ग को अस्थायी रूप से बन्द करना

नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, विकास और अनुरक्षण कार्य करने के लिए, पूरे लोक मार्ग या उसके किसी अंश को, अस्थायी रूप से बन्द कर सकेगा, और ऐसी बन्दी को पन्द्रह दिनों से अनधिक किसी अवधि के लिए, अन्य प्रयोजनों हेतु प्राधिकृत कर सकेगा।

298. पार्किंग प्रयोजनों के लिए लोक मार्ग को बन्द करना और पार्किंग शुल्क की उगाही करना

;1द्ध नगरपालिका, लोक मार्ग के किसी अंश को बन्द कर सकेगी, और इसे पार्किंग क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकेगी।

;2द्ध विभिन्न अवधि एवं दिन के विभिन्न समय के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए विभिन्न दर पर पार्किंग शुल्क की उगाही, उस दर पर की जा सकेगी, जो नगरपालिका, समय–समय पर, विनियम द्वारा, नियत करे।

299. मार्ग को लोक मार्ग घोषित करने की

;1द्ध यदि, किसी निजी मार्ग के समतल, खड़ंजा, पक्का, पत्थर लगाना, पताका, नाली, मोरी, जल निकासी, संरक्षण और प्रदीपन की व्यवस्था, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप की गई है, तो वह ऐसे मार्ग को, लोक मार्ग घोषित कर सकेगा या ऐसे निजी मार्ग

अपेक्षा करने का स्वामी का अधिकार

के बहुसंख्यक स्वामियों की मांग पर, ऐसे मार्ग को लोक मार्ग घोषित करेगा, और उसके बाद मार्ग नगरपालिका में निहित हो जाएगा।

;2द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, किसी भी समय किसी मार्ग या उसके किसी अंश, जिसका अनुरक्षण नगरपालिका द्वारा नहीं किया जा रहा हो, लेकिन उस मार्ग के समतल, खड़ंजा, पक्का, पताका, नाली, मोरी, जलनिकासी, संरक्षण और प्रदीपन की व्यवस्था उसकी संतुष्टि के अनुरूप किया गया हो, तो ऐसे मार्ग या उसके किसी अंश को, लोक मार्ग घोषित करने संबंधी आशय की सूचना दे सकता है, और जब तक ऐसी सूचना के तीस दिनों के भीतर ऐसे मार्ग या उसके किसी अंश के भू–स्वामी या अनेक भू–स्वामियों में से कोई एक नगरपालिका कार्यालय में इस आशय की आपत्ति दर्ज नहीं करता हो, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी ऐसे मार्ग या उसके किसी अंश में, लिखित रूप में, ऐसे मार्ग या उसके अंश में चिपकाकर, ऐसे मार्ग या उसके अंश को, यथास्थिति, नगरपालिका में निहित लोक मार्ग घोषित कर सकेगा।

यातायात अभियंतत्रण स्कीम, मार्ग उपस्कर, पार्किंग स्थल एवं बस ठहराव

300. यातायात अभियंत्रण स्कीम

नगरपालिका, स्वयं या इस निमित्त इसके द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी अभिकरण के माध्यम से, संस्पर्शी भूमि उपयोग और यातायात बहाव पद्धति को ध्यान में रखते हुए, जब आवश्यक हो, लोक सुरक्षा, सुविधा और यातायात, पैदल यातायात सहित, के द्रुत परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए, यातायात अभियंत्रण स्कीम को कार्यान्वित कर सकेगीः

परन्तु यह कि यातायात अभियंत्रण स्कीम विकलांग मित्रवत् होगी।

301. मार्ग उपस्कर

नगरपालिका, स्वयं या इस निमित्त इसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से,

और बस ठहराव

समय–समय पर, घेराबन्दी, रेलिंग, यातायात प्रकाश, यातायात संकेत, मार्ग चिह्नांकन, मध्य रेखा, बस ठहराव एवं स्थापित किए जाने वाले कोई अन्य विषय सहित, मार्ग उपस्कर के विभिन्न विषयों संबंधी कार्य करेगी, और इसका अनुरक्षण, इस रूप में करेगी, ताकि लोक सुरक्षा एवं सुविधा तथा यातायात, पैदल यातायात सहित, का सत्वर परिचालन सुनिश्चित हो सके।

302. मार्ग पर या में अवरोध से निषेध

कोई भी, किसी मार्ग पर या मार्ग में कोई दीवार न बनायेगा, न कोई अवरोध या प्रक्षेप खड़ा करेगा या न कोई अतिक्रमण करेगा।

303. मार्गों का सबके लिए खुलना

नगरपालिका में निहित या निहित होने वाला या उसके द्वारा अनुरक्षित सभी मार्ग सबके लिए खुले रहेंगे।

मार्ग प्रकाश

304. प्रदीपन के उपाय

;1द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, स्वयं या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से, निम्नलिखित करेगा–

(क) उसके द्वारा, यथाविनिर्दिष्ट, ऐसे लोक मार्ग एवं लोक स्थलों के उपयुक्त तरीके से प्रदीपन के उपाय,

(ख) प्रदीपन के प्रयोजनार्थ, यथावश्यक ऐसी संख्या में बत्ती, बत्ती के खंभे एवं अन्य उपकरण को प्राप्त करना, खड़ा करना एवं उसका अनुरक्षण करना, और

(ग) उपयुक्त साधनों द्वारा ऐसे बत्तियों का प्रदीपन करना।

;2द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी या अन्य कोई यथा प्राधिकृत अभिकरण, बत्ती लगाने के लिए किसी मकान के बाहरी भाग में ब्रेकेट, ऐसे तरीके से, जिससे कोई हानि या असुविधा न हो, लगा सकता है।

305. मार्ग की बत्तियों

;1द्ध कोई भी व्यक्ति, विधिक प्राधिकार के बिना, न ले जायेगा, न सायास तोड़ेगा, न फेंकेगा या न नष्ट

को हटाने आदि का निषेध

करेगा,—

(क) नगर पालिका में निहित कोई मार्ग की बत्ती, जो लोक मार्ग या नगर पालिका पार्क या किसी खुली जगह, बाजार या किसी भवन में लगी हो,

(ख) कोई बिजली का तार, जो ऐसी मार्ग बत्ती को जलाने के लिए लगा हो,

(ग) किसी मार्ग बत्ती या तार को ले जाने वाले, लटकाने वाले, अवलम्ब देने वाले, किसी प्रयुक्ति, पोस्ट, खम्भा, ध्वज, रोक, टेक, ब्रेकेट या अन्य युक्ति,

(घ) किसी मार्ग में, नगर पालिका में निहित कोई सम्पत्ति।

;2द्ध कोई व्यक्ति, ऐसे मार्ग प्रकाश की बत्तियों को सायास न बुझायेगा या न इसके किसी उपकरण को हानि पहुॅचायेगा।

306. दुर्घटनावश किसी मार्ग बत्ती को तोड़ने वाला व्यक्ति क्षतिपूर्ति करेगा

यदि, कोई व्यक्ति, लापरवाही या दुर्घटनावश, नगर पालिका में निहित किसी मार्ग बत्ती, जो लोकमार्ग, नगर पालिका बाजार, उद्यान, सार्वजनिक स्थल या भवन में लगी हो, या नगर पालिका में निहित कोई सम्पत्ति, जो किसी मार्ग में हो, को तोड़ता है या क्षतिग्रस्त करता है, वह आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निर्धारित जुर्माना के अतिरिक्त स्वयं के द्वारा किये गये नुकसान की मरम्मत पर होने वाले व्यय का भुगतान करेगा।

अध्याय—30
बाजार, व्यावसायिक अवसंरचना एवं बूचडखाना

307. नगरपालिका का बाजार,

नगरपालिका से संबंधित या द्वारा अनुरक्षित समस्त बाजार, बूचड़खाना एवं पशु—बाड़ा का नगरपालिका बाजार, नगरपालिका बूचड़खाना

बूचड़खाना तथा पशुओं के बाड़े

तथा नगरपालिका पशु बाड़ा के नाम से जाना जायेगा। अन्य सभी बाजार, बूचड़खाना और पशु बाड़ा को निजी समझा जायेगा।

308. नगरपालिका बाजारों, बूचड़खानों तथा पशु बाड़ों की स्थापना

;1द्ध नगर आयुक्त अथवा कार्यपालक पदाधिकारी, नगरपालिका द्वारा इस निमित्त अधिकृत किये जाने पर,—

(क) किसी नये नगरपालिका बाजार अथवा नये नगरपालिका पशु बाड़े की स्थापना के लिए या किसी मौजूदा नगरपालिका बाजार, नगरपालिका बूचड़खाना या नगरपालिका पशु बाड़े, यथास्थिति, के विस्तार अथवा सुधार के लिये, किसी भी भूमि अथवा भवन पर निर्माण कर सकेगा, को क्रय कर सकेगा, पट्टे पर ले सकेगा अथवा किसी तरह अधिग्रहीत कर सकेगा, और

(ख) समय—समय पर, ऐसे नगरपालिका बाजार, नगरपालिका बूचड़खानों एवं नगरपालिका पशु बाड़ों, तथा बिक्री स्थलों, दुकानों, शेड, बाड़े तथा अन्य भवनों अथवा सुविधाओं, जिनका वहां व्यवसाय या कारोबार में लगे व्यक्तियों अथवा वहॉं बार—बार आने वाले व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने हेतु, निर्माण एवं अनुरक्षण कर सकेगा, और ऐसे बाजारों में सामानों की बिक्री के अधिकार अथवा वहां दुकानों या स्टालों के उपयोग हेतु किराया, टोल एवं शुल्क ले सकेगा, तथा ऐसे बाजारों, भवनों या अन्य स्थानों में बेचे जाने वाले सामानों के वजन या माप करने हेतु, मशीनों, बॉट, कॉटा का उपबन्ध एवं अनुरक्षण कर सकेगा।

;2द्ध नगर आयुक्त अथवा कार्यपालक पदाधिकारी, स्थायी समिति की स्वीकृति से, ऐसा किराया, टोल तथा शुल्क की वसूली नगरपालिका कर्मचारियों के माध्यम से करा सकेगा या इस कार्य को ऐसे निबन्धन एवं शर्तों के अधीन, जैसा वह उचित समझे, किसी और को ठेके पर दे सकेगा।

;3द्ध नगर आयुक्त अथवा कार्यपालक पदाधिकारी, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा,—

(क) बिक्री हेतु वस्तुओं के प्रदर्शन के ऐसे अधिकार को रद्द या विलोपित कर सकेगा, तथा

(ख) ऐसे निरस्तीकरण या मना करने हेतु, बिना किसी प्रतिकर के भुगतान के किसी दुकान या स्टॉल के उपयोग की अनुमति मना कर सकेगा, यदि वह व्यक्ति, जिसे यह अधिकार दिया गया है–

(i) नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को पूर्व सूचना दिये बिना, अपनी दुकान अथवा स्टाल पन्द्रह दिनों की अवधि से अधिक तक बन्द रखे, अथवा

(ii) नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर नियत किये गये समयों पर वहॉ बिक्री के लिए सामान्यतः रखे जाने वाले सामानों की आपूर्ति जनता को करने में असफल रहे।

309. व्यावसायिक अवस्थापना या भूमि को पट्टे पर देना

;1द्ध नगरपालिका स्वयं या इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण द्वारा, जिला केन्द्र, पड़ोसी ‘शॉपिंग’ केन्द्र, ‘शॉपिंग माल’ एवं कार्यालय भवनों सहित व्यावसायिक अवस्थापना के निर्माण, संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबंधन की किसी स्कीम का, क्रियान्वयन कर सकेगी, तथा ऐसे व्यावसायिक अवसंरचना या उसके किसी भाग को किराये पर दे सकेगी, पट्टे पर दे सकेगी या सीधे बिक्री द्वारा निस्तारित कर सकेगी।

;2द्ध नगरपालिका, अपनी किसी भी भूमि अथवा सम्पत्ति को, यथा विहित निबन्धन एवं शर्तों के अधीन, पट्टे पर दे सकेगी।

310. बिक्री के लिए पशुओं के वध करने के स्थान

;1द्ध नगरपालिका स्वयं, या राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, नगरपालिका सीमा के भीतर स्थान नियत करेगी, और बिक्री के लिए पशुओं के वध हेतु, ऐसे स्थानों के उपयोग के लिए लाइसेंस स्वीकृत या वापस कर सकेगी।

;2द्ध यदि ऐसे परिसर नियत किए गए हों, तो कोई व्यक्ति किसी अन्य स्थल पर बिक्री हेतु किसी

पशु का वध नहीं करेगा।

;3द्ध कोई व्यक्ति जो, बिक्री के लिये नगरपालिका द्वारा नियत स्थान के अतिरिक्त कहीं अन्य पशुओं का वध करता है, वह दो हजार रूपये तक के जुर्माने के दण्ड का भागी होगा।

311. बाजारों को बन्द करना

इस निमित्त नगरपालिका द्वारा दिये गये ऐसे निर्देशों के अध्यधीन, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी अथवा कोई अन्य एजेन्सी, यथा स्थिति, सूचना देने के उपरान्त, सूचना में विनिर्दिष्ट तिथि से या पर, किसी भी नगरपालिका बाजारों, बूचड़खाना अथवा पशु बाड़े अथवा उसके किसी भाग को बंद कर सकेगा, और इस प्रकार बन्द किये गये नगरपालिका बाजार, बूचड़खाना या पशु–बाड़े के लिए अध्यासित परिसर को, नगरपालिका की सम्पत्ति के रूप में निपटाव किया जा सकेगा।

312. नगरपालिका बाजारों का उपयोग

;1द्ध कोई व्यक्ति, नगर आयुक्त अथवा कार्यपालक पदाधिकारी की, लिखित में, सामान्य या विशेष अनुमति के बिना, नगरपालिका सीमा के भीतर, किसी भी नगरपालिका बाजार में कोई वस्तु या पशु न तो बेचेगा अथवा न प्रदर्शित कर सकेगा।

;2द्ध किसी भी होटल अथवा खान–पान गृह में उपभोग हेतु, मांस या मछली के विक्रय पर, उपधारा (1) लागू नहीं होगी।

;3द्ध कोई व्यक्ति, जो, उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, दो सौ रूपये से अनधिक दण्ड का भागी होगा, तथा ऐसे उल्लंघन के लिए सजा के उपरान्त अपराध जारी रहने की दशा में, प्रतिदिन पचास रूपये से अनधिक की दर से अग्रेतर दण्ड का भागी होगा।

;4द्ध कोई व्यक्ति, जो, नगरपालिका बाजार या बूचड़खाने से बाहर निकल जाने के नगर आयुक्त अथवा कार्यपालक पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करे, अथवा एक बार निकाले जाने पर, नगरपालिका बाजार या बूचड़खाने में पुनः घुसे, दण्डित होने पर, दो हजार रूपये से अधिक जुर्माने का भागी होगा, तथा ऐसे अपराध के लिए

दण्डित होने के उपरान्त अपराध जारी रखने की दशा में, प्रतिदिन दो सौ रूपये से अनधिक अग्रेतर दण्ड का भागी होगा।

313. गैर लाइसेन्सी बाजार का उपयोग करने पर दण्ड

कोई व्यक्ति जो, किसी भूमि अथवा भवन का स्वामी हो, जानबूझ कर या प्रमादवश, नगर आयुक्त अथवा कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा धारा–308 के अधीन जारी लाइसेन्स के बिना, उसे बाजार के रूप में उपयोग की अनुमति देता है, वह पॉच सौ रूपये से अनधिक दण्ड का भागी होगा, तथा ऐसे अपराध के लिए दण्डित होने के उपरान्त अपराध जारी रखने की दशा में, प्रतिदिन एक सौ रूपये से अनधिक के अग्रेतर जुर्माने के दण्ड का भागी होगा।

314. गैर लाइसेन्सी स्थानों के बंद करने की शक्ति

नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, किसी भूमि, जिसे धारा–313 के अधीन दण्डित किया गया हो, को बाजार–स्थल के रूप में बंद करने का आदेश दे सकेगा, तथा तदुपरांत ऐसी भूमि को उस प्रकार उपयेाग में लाये जाने से रोक सकेगा, और प्रत्येक व्यक्ति जो, ऐसी भूमि पर जो बंद कर दी गई है, मानव उपभोग के लिए किसी सामग्री, जानवर तथा मॉस या मछली, मक्खन, घी, फल या सब्जियॉ बेचे या बेचने हेतु प्रदर्शित करे, पच्चीस रूपये से अनधिक दण्ड का भागी होगा।

315. बाजारों एवं बूचड़खानों हेतु विनियम बनाना

;1द्ध नगर आयुक्त अथवा कार्यपालक पदाधिकारी, स्थायी समिति की स्वीकृति से, समय–समय पर, ऐसे विनियम, जो इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या इसके अधीन बनाये गए तत्समय प्रभावी किसी विनियम के किसी उपबन्ध के असंगत न हों,–

(क) किसी भी बाजार–भवन, बाजार–स्थल, अथवा बूचड़खाना या उन तक पहुंचने के रास्तों में कण्टक या बाधा, प्रतिषिद्ध करने के लिए,
(ख) किसी बाजार अथवा बूचड़खाना के खोलने या खुले रखने के लिए दिवस एवं समय का निर्धारण करने के लिए,
(ग) प्रत्येक बाजार–भवन, बाजार–स्थल अथवा बूचड़खाने को साफ–स्वच्छ एवं

समुचित दशा में रखने हेतु, तथा वहां से कूड़ा—करकट हटवाने के लिए,

(घ) प्रत्येक बाजार—भवन, बाजार—स्थल अथवा बूचड़खाना को समुचित वायु संचालित बनाने, और वहां पर्याप्त जलापूर्ति का उपबन्ध करने की अपेक्षा करना,

(ङ) जनता द्वारा आने—जाने की सुविधा के लिए, बाजार—भवन अथवा बाजार—स्थल में दुकानों के बीच में पर्याप्त चौड़ाई के गलियारों की अपेक्षा करना।

;2द्ध कोई व्यक्ति जो, नगरपालिका सीमा के भीतर विक्रय हेतु पशुओं का वध, नगरपालिका द्वारा धारा—310 के अधीन निश्चित स्थल से भिन्न स्थान पर करता हो, दो हजार रूपये तक के जुर्माने का भागी होगा।

316. दुकानों से महसूल, किराया एवं शुल्क की उगाही

ऐसे विनियमों के अध्यधीन, जैसा समय—समय पर बनाया जाये, नगर आयुक्त अथवा कार्यपालक पदाधिकारी स्वयं अथवा किसी अन्य एजेन्सी के माध्यम से, यथास्थिति, नगरपालिका बाजार या नगरपालिका बूचड़खाना में अध्यासन करने या जन सुविधाओं के उपयोग हेतु, स्टालेज, किराया या शुल्क वसूल कर सकेगा।

317. होटल अथवा बासा (अतिथि गृह) के रूप में परिसरों का उपयोग

;1द्ध कोई भी व्यक्ति, नगरपालिका क्षेत्र में किसी परिसर का उपयोग, न स्वयं करेगा अथवा न करने की अनुमति देगा,—

(क) खान—पान गृह, चाय या काफी की दुकान, रेस्टोरेन्ट, भोजन कक्ष, जलपान गृह से रूप में या समान उद्देश्य हेतु,

(ख) मानव खाद्य या पेय पदार्थ के किसी सामग्री को व्यापार के प्रयोजनार्थ तैयार करने अथवा बिक्री हेतु, या

(ग) होटल या बासा के रूप में,

इस निमित्त बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति के शर्तो के अधीन या अनुसार के सिवाय।

;2द्ध नगर आयुक्त अथवा कार्यपालक पदाधिकारी,

उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने वाले, किसी परिसर में प्रवेश एवं जांच कर सकेगा, तथा ऐसे प्रयोजन हेतु, उपयोग में आने वाली किसी वस्तु, बर्तन—भॉड़े या उपकरणों या अन्य चीजों का निरीक्षण कर सकेगा, और लिखित नोटिस द्वारा, परिसर के स्वामी या परिसर के प्रभारी को, ऐसे व्यवसाय को साफ—सुथरा चलाने हेतु, नोटिस में विनिर्दिष्ट, ऐसे युक्तियुक्त उपाय करने, अथवा ऐसे प्रयोजन के लिए, परिसर के उपयोग को बन्द करने की, अपेक्षा कर सकेगा।

;3द्ध जो व्यक्ति, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उपबन्धों के उल्लंघन में किसी परिसर का उपयोग करे या करने की अनुमति दे, अथवा जो कोई नगर आयुक्त अथवा कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन जारी नोटिस पर अमल करने से इन्कार करे, वह दो हजार रूपये तक के जुर्माना के दण्ड का भागी होगा, तथा ऐसे अपराध के जारी रहने की दशा में, पचास रूपये प्रतिदिन के अग्रेतर दण्ड का भागी होगा।

318. दूध तथा अन्य उत्पादों का व्यवसाय

;1द्ध कोई भी व्यक्ति, नहीं करेगा,—

(क) मिठाइयों, दूध, मक्खन अथवा अन्य दुग्ध उत्पादों का व्यवसाय या व्यापार, अथवा आयातक अथवा विक्रेता, सौदा, बिक्री या व्यापारिक गतिविधियाँ, या
(ख) दुग्ध के भण्डारण या बिक्री हेतु उपयोग अथवा मक्खन या अन्य दुग्ध उत्पाद या मिठाई के भण्डारण या बेचने हेतु, किसी परिसर का व्यापारिक प्रयोजनों से उपयोग या उपयोग करने की अनुमति प्रदान करना,

इस निमित्त बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के अधीन, प्रदत्त लाइसेन्स की शर्तों के अधीन या अनुसार के सिवाय।

;2द्ध नगर आयुक्त अथवा कार्यपालक पदाधिकारी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु उपयोग में आने वाले किसी भी परिसर में, प्रवेश और निरीक्षण कर सकेगा, तथा ऐसे प्रयोजन के लिए

प्रयोग किये जाने वाली किन्हीं वस्तुओं, बर्तन–भाड़ों, उपकरणों अथवा अन्य चीजों का निरीक्षण कर सकेगा, और लिखित नोटिस के माध्यम से, परिसर के स्वामी या प्रभारी से ऐसे व्यापार को सफाई से संचालित करने हेतु नोटिस में विनिर्दिष्ट उपायों को करने अथवा ऐसे प्रयोजन के लिए परिसर का उपयोग समाप्त करने की अपेक्षा कर सकेगा।

;3द्ध जो कोई, उपधारा (1) के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी परिसर का स्वयं उपयोग करता है अथवा उपयोग करने की अनुमति देता है, या जो उपधारा (2) के अधीन, नगर आयुक्त अथवा कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जारी नोटिस का पालन करने से इन्कार करता है, दोषी पाये जाने पर जुर्माने से, जो पांच हजार रूपये तक हो सकता है, दण्ड का भागी होगा, तथा ऐसे अपराध के जारी रहने की दशा में, ऐसी अवधि में, जब अपराध जारी रहे, पचास रूपये तक के प्रतिदिन की दर से अग्रेतर दण्ड का भागी होगा।

319. दूध देने वाले तथा अन्य पशुओं को रखने हेतु परिसर का उपयोग

;1द्ध कोई व्यक्ति, नगरपालिका क्षेत्र में, किसी परिसर का उपयोग नहीं करेगा,–

(क) दूध देने वाले पशुओं की शाला के रूप में, अथवा

(ख) दुधारू पशु तथा मानव खाद्य के लिए अभिप्रेत पशुओं के अतिरिक्त घोड़ा, ऊँट, गधा आदि के थान या रखने के लिए,

इस निमित्त निर्मित विनियमों के उपबन्धों के अधीन प्रदत्त लाइसेंस के अधीन या अनुसार के सिवाय।

;2द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रयोजन के निमित्त उपयोग हो रहे परिसर में, प्रवेश एवं निरीक्षण कर सकेगा, तथा ऐसे परिसर में रखे गये किन्हीं जानवरों या परिसर में प्रयुक्त किन्हीं बरतनों या उपकरणों का निरीक्षण कर सकेगा, तथा लिखित नोटिस द्वारा, परिसर के स्वामी या प्रभारी से, ऐसे परिसर को समुचित हवादार बनाने, स्वच्छता या जल निकासी हेतु, या परिसर में रखे गए पशुओं

के लिए समुचित जलापूर्ति हेतु नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट युक्तियुक्त उपाय करने की अपेक्षा कर सकेगा, या परिसर के ऐसे प्रयोजन हेतु, उपयोग को बन्द करने की अपेक्षा कर सकेगा।

;3द्ध जो व्यक्ति, उपधारा (1) के उपबन्धों के उल्लंघन में, परिसर का उपयोग करे अथवा करने की अनुमति दे, अथवा जो कोई नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा, उपधारा (2) के अधीन जारी नोटिस के अनुपालन से इन्कार करे, दो हजार रूपये तक के जुर्माने का भागी होगा, और अपराध जारी रहने पर, प्रतिदिन पचास रूपये तक के अग्रेतर जुर्माने का दायी होगा।

320. दूध की आपूर्ति में सुधार के उपायों को करने की शक्ति

नगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्र के भीतर, दूध एवं दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति में सुधार के प्रयोजनार्थ,–

(क) नगरपालिका क्षेत्र के भीतर, चरागाह, दुग्धशाला, दुग्धशाला के कर्मचारियों एवं दुग्ध विक्रेताओं के आवास हेतु उपबन्ध एवं अलग से व्यवस्था कर सकेगी,

(ख) राज्य सरकार की स्वीकृति से, खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु, नगरपालिका सीमा से बाहर, भूमि का अर्जन कर सकेगी,

(ग) ऐसे चरागाह भूमि, दुग्धशालाओं और आवासों के उपयोग हेतु, इस निमित्त विनियमों द्वारा यथा निर्धारित शुल्क, प्रभारित कर सकेगी,

(घ) ऐसे निबन्धन एवं शर्तों के अध्यधीन, जैसा नगरपालिका अधिरोपित करना उचित समझे, नगर पालिका सीमा के अन्दर अथवा बाहर, निजी स्वामित्व वाले चरागाह या निजी दुग्धशाला की स्थापना, विस्तार, अनुरक्षण, उपकरण या साज सज्जा पर, ऐसे साधनों से, जैसा वह उपयुक्त समझे, आर्थिक सहायता दे सकेगी या पूँजी पर ब्याज के माध्यम से अपने अधिकार में ऐसी धनराशि से, जैसा वह उचित समझे, भुगतान की प्रतिभूति, दे सकेगी।

(ड.) नगरपालिका, स्वयं की अथवा किसी

निजी दुग्धशाला से दूध तथा दुग्ध उत्पादों की नगरपालिका सीमा में परिवहन के संबंध में या के लिए सुविधाओं को उपबंधित कर सकेगी या उसमें सहायता दे सकेगी, और

(च) नगर पालिका, स्वयं की अथवा अन्य दुग्धशालाओं से दूध तथा दूध के उत्पादों की बिक्री के लिये दुग्ध डिपो या गोदामों की स्थापना, सज्जा एवं अनुरक्षण कर सकेगी।

321. दुग्ध आपूर्ति में सुधार हेतु नियम बनाने की शक्ति

;1द्ध नगरपालिका, राज्य सरकार के अनुमोदन से, इस अधिनियम के सुसंगत विनियम बना सकती है—

(क) नगरपालिका के भीतर किसी भी स्थान का उपयोग दूध के व्यवसाय या व्यापार के प्रयोजनार्थ अथवा डेयरी के रूप अथवा दूध या दूध के उत्पादों की बिक्री के लिये, नगर आयुक्त अथवा कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस के अधीन के सिवाय, प्रतिबंधित करना,

(ख) दूध के व्यवसाय में लगे व्यक्तियों अथवा दूध एवं दूध के उत्पादों के विक्रेताओं के कब्जे के पशु शेड और डेयरी के निर्माण, लम्बाई—चौड़ाई, वायु संचालन, प्रकाश, सफाई—जल निकासी तथा जलपूर्ति को विनियमित एवं विहित करना और दुधारू पशुओं तथा दूध भण्डारों, दूध की दुकानों एवं ऐसे विक्रेता या दुग्धशाला के मालिक द्वारा दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए प्रयुक्त बर्तनों की सफाई सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण को उपबन्धित करना,

(ग) नगर आयुक्त अथवा कार्यपालक पदाधिकारी की अनुज्ञप्ति के बिना नगर पलिका की सीमाओं में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के प्रवेश पर रोक,

(घ) जब कभी कोई दुधारू गाय या भैंस किसी संक्रामक बीमारी से ग्रस्त हो जाय तो नगर आयुक्त अथवा कार्यपालक पदाधिकारी

द्वारा नोटिस जारी करने की अपेक्षा करना और दूध को संक्रमण एवं संदूषण से सुरक्षित रखने हेतु सावधानियों को विहित करना,

(ङ) नगर पालिका की सीमा के अन्दर दूध में मिलावट की रोकथाम के लिए सामान्य उपलब्ध करना।

;2द्ध जो कोई इस धारा के अधीन निर्मित विनियमों अथवा ऐसे विनियमों के अधीन प्रदत्त किसी अनुज्ञप्ति की किसी भी शर्त का उल्लंघन करे, ऐसे प्रत्येक अपराध के लिये दो हजार रूपये से अनधिक जुर्माने का दायी होगा।

322. बीमार पशुओं एवं मानव खाद्य हेतु अभिप्रेत मिलावटी वस्तुओं की बिक्री पर रोक

कोई भी व्यक्ति, मानव खाद्य हेतु अभिप्रेत किसी बीमार पशु की बिक्री नहीं करेगा, न ही बिक्री हेतु उसका प्रदर्शन करेगा, न ही उसकी फेरी लगायेगा या न उसे पालेगा; और न कोई व्यक्ति मानव उपभोग या चिकित्सा उपचार हेतु अभिप्रेत किसी खाद्य पदार्थ, पेय या दवा, जो मिलावटी हो या मानव उपयोग हेतु अनुपयुक्त हो, न बेचेगा, न बिक्री के लिए भण्डार करेगा, बेचने के लिए न प्रदर्शित करेगा या न फेरी लगायेगा अथवा न निर्मित करेगा।

323. उस स्थान पर जहां मक्खन, घी इत्यादि का निर्माण अथवा भंडारण होता है, अपमिश्रकों का निषेध

कोई व्यक्ति, किसी दुकान या स्थान में, जहां दूध इकट्ठा किया जाता हो, या जहां मक्खन, घी, गेहूं का आटा, सरसों का तेल, चाय, खाद्य तेल, खाद्य चर्बी, अथवा राज्य सरकार द्वारा, इस निमित्त अधिसूचित, कोई अन्य पदार्थ विनिर्मित होता हो, या रखा जाता हो, ऐसे घी, मक्खन, दूध, गेहूं का आटा, सरसों का तेल अथवा किसी अन्य वस्तु में मिलावट के लिये उपयोग किये जाने के अभिप्रेत किसी पदार्थ को न रखेगा अथवा न रखने की अनुमति देगा।

324. खाद्य पदार्थ एवं पेय की बिक्री के स्थानों का निरीक्षण

;1द्ध नगर आयुक्त अथवा कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा इस निमित्त अधिकृत नगरपालिका का कोई पदाधिकारी, किसी जानवर की बिक्री, मानव उपभोग के लिए अभिप्रेत खाद्य या पेय अथवा उसकी बिक्री हेतु तैयार, निर्मित या भण्डारण के लिए प्रयुक्त किसी बाजार, भवन, दुकान, स्टॉल

एवं अनिष्टकारी वस्तुओं एवं बर्तनों की जब्ती

या स्थान में प्रवेश और निरीक्षण कर सकेगा, और ऐसे किसी जानवर, खाद्य पदार्थ या पेय एवं ऐसे खाद्य या पेय के तैयार, निर्माण या रखने हेतु प्रयुक्त होने वाले बर्तन या भांड़ा का निरीक्षण तथा परीक्षण कर सकेगा।

;2द्ध यदि ऐसे पदाधिकारी को, ऐसा कोई पशु रोग ग्रस्त लगता है, अथवा ऐसा कोई खाद्य या पेय, उसे मानव उपभोग के लिए, अनुपयुक्त या अपमिश्रित लगता है, अथवा कोई ऐसा बर्तन या भांडा, ऐसे प्रकार या ऐसी दशा में है कि उसमें रखा कोई खाद्य या पेय मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो, तो वह ऐसे जानवर, खाद्य या पेय, बर्तन या भांड़ा को जब्त कर सकेगा, और हटा सकेगा।

;3द्ध प्राधिकृत पदाधिकारी, उपधारा (2) के अधीन जब्त किसी जानवर, खाद्य, पेय या बर्तन–भांड़ों को हटाने के बदले, वस्तुओं को ऐसी सुरक्षित अभिरक्षा में छोड़ेगा, जैसा नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, इस अध्याय में इसके बाद उपबंधित तरीके से निपटाने हेतु, निर्देशित करे; और कोई व्यक्ति, इसे ऐसे अभिरक्षा से नहीं हटायेगा या ऐसे रखे जाने के समय किसी प्रकार न हस्तक्षेप करेगा या न फेर बदल करेगा।

325. जब्त किये गये जानवरों एवं वस्तुओं का **निपटारा**

;1द्ध जब कोई जानवर, खाद्य पदार्थ, पेय अथवा बर्तन–भांड़ा, धारा 324 की उपधारा (2) के अधीन जब्त किया जाय, उसे जब्त करने वाले पदाधिकारी द्वारा, स्वामी अथवा व्यक्ति, जिसके पास से उन वस्तुओं को बरामद किया गया हो, की सहमति के बाद, **निपटारा** कर दिया जायेगा।

;2द्ध ऐसे जानवर, भोज्य पदार्थ, पेय अथवा बर्तन भांड़ों का उपधारा (1) के अधीन विनष्ट करने वाला पदाधिकारी, ऐसे **निपटारे** की सूचना नगर आयुक्त अथवा कार्यपालक पदाधिकारी को देगा।

;3द्ध यदि उपधारा (1) के अधीन जब्त किया गया कोई खाद्य पदार्थ अथवा पेय, नष्ट हो जाने वाला हो, तथा जब्त करने वाले पदाधिकारी के मत में, संक्रमित हो, या मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त

हो, तो नगर आयुक्त अथवा कार्यपालक पदाधिकारी की पूर्व अनुमति से, उपधारा (1) में उल्लिखित सहमति के बिना भी, **उसका निपटारा** किया जा सकता है।

;4द्ध उपधारा (1) या (3) के अधीन विनष्ट किये गये किसी जानवर अथवा वस्तु के संबंध में प्रतिपूर्ति या नुकसान का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

326. बाजारों तथा बूचड़खानों आदि से जल की निकासी

;1द्ध नगरपालिका की सीमाओं के अन्दर, किसी बाजार या मांस, घी, मक्खन, मछली अथवा साग–सब्जी की बिक्री हेतु कोई स्थान या किसी बूचड़खाना का स्वामी, अध्यासी या किसान, नालियों की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसा नगर आयुक्त अथवा कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा पर्याप्त समझा जाय, और यदि ऐसा करना नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किया जाना अपेक्षित किया जाय, तो समस्त फर्श और नालियों को पत्थर या पक्की ईंटों से बनवायेगा, और जलापूर्ति की ऐसी व्यवस्था करेगा, जो ऐसे बाजार, स्थान या बूचड़खाना को स्वच्छ एवं अच्छी दशा में रखने के लिए पर्याप्त हो।

;2द्ध ऐसे कोई स्वामी, अध्यासी अथवा किसान, जिसे नगर आयुक्त अथवा कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा लिखित में नोटिस दे दी गई हो कि ऐसा बाजार, स्थान या बूचड़खाना, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किन्हीं विशेष विवरणों में दोषपूर्ण है, और नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विनिर्दिष्ट दोष को सुधारने की अपेक्षा की गयी हो, उसमें चूक करता हो, दो सौ रूपये से अनधिक, और कमी के परिमार्जन हेतु नोटिस में दी गयी अवधि के अवसान के पश्चात्, प्रतिदिन पचास रूपये के अग्रेतर जुर्माना का दायी होगाः

परन्तु यह कि नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि तीस दिनों से अन्यून होगी।

327. बूचड़खानों आदि से संबंधित विनियम बनाने की

नगरपालिका, इस अधिनियम के सुसंगत विनियम बना सकती है,–

(i) किसी स्थान को बूचड़खाना या बाजार या मनुष्यों के उपभोग हेतु अभिप्रेत जानवरों, मांस या मछली की बिक्री के

शक्ति

लिए दुकान के रूप में, अथवा नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति के बिना या ऐसे प्रदत्त लाइसेंस की शर्तों के अनुसार के अन्यथा, मक्खन, घी, फल या साग—सब्जी बेचने के लिए उपयोग करने का प्रतिषेध,

(ii) उन शर्तों एवं परिस्थितियों, जिनके अन्तर्गत, और क्षेत्रों एवं स्थानों, जिनके संबंध में, ऐसे उपयोग हेतु लाइसेंस स्वीकृत, अस्वीकृत, निरस्त अथवा वापस लिया जा सकता है, को निर्धारित करना,

(iii) पूर्वोक्त के रूप में प्रयुक्त स्थान में कारोबार के संचालन को विनियमित करने एवं निरीक्षण हेतु उपबंधित करना, ताकि वहां स्वच्छता सुरक्षित हो या उससे उत्पन्न या उत्पन्न होने वाले हानिकर, घृणास्पद एवं खतरनाक प्रभाव को कम किया जा सके,

(iv) इस अधिनियम के अधीन गैर अनुज्ञप्ति प्राप्त या गैर अनुरक्षित स्थान या बूचड़खाना में वध किये गये किसी पशु, भेड़, बकरी अथवा सुअर के कच्चे मांस को (प्रसंस्कृत एवं परिरक्षित मांस को छोड़कर) नगरपालिका सीमा में बिक्री हेतु प्रवेश के लिये नियंत्रित एवं विनियमित करना,

(v) **नगर निकाय** के चरागाहों, दुग्धशालाओं एवं आवासों के उपयोग हेतु देय शुल्क का निर्धारण,

(vi) बिक्री हेतु विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों की बिक्री या निर्माण, तैयारी, भण्डारण या

बिक्री हेतु प्रदर्शन का विनियमन,

(vii) किसी विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तु के नगर पालिका क्षेत्र के भीतर परिवहन के तरीके और घंटों को विनियमित करना,

(viii) **नगर निकाय** के भीतर प्रयुक्त होने वाले बाँट एवं मापों के मानकों का निर्धारण, तथा उनके निरीक्षण हेतु उपबन्ध करना,

(ix) इस अध्याय के अधीन किसी लाइसेन्स को प्रदत्त करने हेतु शुल्क नियत करना।

भाग- VII
शहरी पर्यावरण प्रबंधन, सामुदायिक स्वाथ्य एवं लोक सुरक्षा

अध्याय–31
शहरी पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए स्थानीय कार्य–सूची

328. नगरपालिका द्वारा सेवाओं के स्तर का निर्देश–मानक तय करना

;1द्ध नगरपालिका क्षेत्र में शहरी अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, उत्पादकता, गरीबी और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच संयोजन को ध्यान में रखते हुए, नगरपालिका, निम्नलिखित हेतु पर्याप्त उपाय करेगी,–

(क) शहरी पर्यावरण का प्रबंधन,
(ख) सजीव एवं कार्यपरक पर्यावरण की गुणवत्ता माप,
(ग) प्रदूषण स्तर का अनुश्रवण, और
(घ) स्वास्थ्य जोखिम का निर्धारण।

;2द्ध उपधारा (1) के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, नगरपालिका यथावश्यक, या तो सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र के पेशेवर एजेन्सियों और समुदाय आधारित संगठनों को, निम्नलिखित कार्यों के लिए, शामिल करेगी–

(क) अतिसंवेदनशीलता (दोषपूर्णता) और

जोखिम निर्धारण के अध्ययनों का प्रतिपादन,

(ख) पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए शोध एवं प्रशिक्षण कार्यकलापों के माध्यम से संबंधित नगरपालिका या अन्य अभिकरणों की क्षमता में वृद्धि करना,

(ग) पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु रणनीति तथा कार्य–योजना तैयार करना, और उसके क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त संस्थागत ढॉचा स्थापित करना, और

(घ) पर्यावरणीय अवसंरचना सेवाओं का उपबंध एवं प्रबंध करना।

;3द्ध नगरपालिका, प्रत्येक वर्ष इकतीस मार्च से पूर्व, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जलापूर्ति, जलमल निस्तारण, सफाई, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन आदि के अगले वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त किए जाने वाले स्तर अधिसूचित करेगी। प्राप्त किए जाने वाला स्तर प्रत्येक वर्ष राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाएगा। इन स्तरों का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तल चिन्ह प्राप्त करना होगा।

;4द्ध नगरपालिका, समय–समय पर, उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की प्रदायता स्थिति की सावधिक समीक्षा करेगी।

329. शहरी पर्यावरणीय प्रबंधन से संबंधित कार्य और नगपालिका क्षेत्र के पर्यावरणीय स्थिति पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

;1द्ध नगरपालिका, स्वयं या अन्य किसी अभिकरण के माध्यम से, निम्नलिखित मामलों से संबंधित, कार्य करेगी–

(क) शुद्ध जल की आपूर्ति,
(ख) कम लागत वाली सफाई व्यवस्था,
(ग) ठोस अपशिष्ट का पर्यावरणीय प्रबंधन,
(घ) विषाक्त अपशिष्ट संग्रहण एवं निपटान,
(ङ) अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और पुनर्वापसी,
(च) नम भूमि का संरक्षण,
(छ) वायु प्रदूषण का नियंत्रण,
(ज) ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण,
(झ) नगरपालिका क्षेत्र में मवेशी एवं अन्य जानवरों का नियंत्रण,
(ञ) क्षेत्र सुधार और पुनर्वास,

(ट) शहरी कृषि एवं शहरी वानिकी का उन्नयन,
(ठ) पार्क, उद्यान एवं खुले स्थानों का विकास,
(ड) पर्यावरणीय शिक्षा के संबंध में सामुदायिक जागरूकता का उन्नयन, और
(ढ) ऐसे अन्य मामले, जो नगरपालिका आवश्यक समझे।

;2द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, नगरपालिका क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति के संबंध में एक प्रतिवेदन तैयार करेगा, और उसे बजट प्राक्कलन को पेश करते समय प्रस्तुत करेगा।

अध्याय—32
पर्यावरणीय स्वच्छता एवं सामुदायिक स्वाथ्य कर्त्तव्य एवं सामान्य शक्तियाँ

330. पर्यावरणीय स्वच्छता हेतु नगरपालिका के कर्त्तव्य

नगरपालिका या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण का कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित प्रत्येक मामले के संबंध में पर्याप्त उपाय करे, यथा—

(क) उपयुक्त पर्यावरणीय स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए, परिसर का निरीक्षण, पर्यवेक्षण, विनियमन एवं नियंत्रण,
(ख) सार्वजनिक स्नान एवं धुलाई का विनियमन,
(ग) लोक सुविधा का उपबंध एवं अनुरक्षण,
(घ) जानवरों का अनुज्ञप्तिकरण एवं भटके जानवरों का नियंत्रण,
(ङ) बूचड़ एवं बूचड़खानों का अनुज्ञप्तिकरण, और
(च) उपद्रवों का नियंत्रण।

331. नगर आयुक्त या कार्यपालक

ऐसे विनियमों के अध्यधीन, जो इस निमित्त बनाये जायें, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, स्वयं या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी

पदाधिकारी की शक्तियाँ

अन्य अभिकरण या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी के माध्यम से, निम्नलिखित कार्य कर सकेगा–

(क) किसी भवन या अन्य परिसरों की स्वच्छता की स्थिति को अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ उसका निरीक्षण,

(ख) किसी भूमि या भवन या उसके किसी भाग के स्वामी या अधिभोगी को इसकी सफाई करने की अपेक्षा करना, यदि स्वच्छता के कारणों से ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो,

(ग) किसी अस्वास्थ्यकर झोपड़ी एवं शेड तथा बेकिरायेदारी वाले परिसर, जो उसके सहवासी या पड़ोस के निवासियों के लिए बीमारी का खतरा पैदा कर सके, या किसी कारणवश सामुदायिक स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरनाक हो, के सुधार के लिए ऐसा आदेश जैसा वह आवश्यक समझे, निर्गत करना,

(घ) किसी भवन या भवन के किसी कमरा, जो मानव निवास के लिए उसे अनुपयुक्त प्रतीत होता हो, के रहने हेतु उपयोग को, सूचना द्वारा, स्वामी या अधिभोगी को प्रतिषेध करना,

(ङ) किसी कुँआ, डबरी, खाँई, टैंक, तालाब, गर्त या अनपवाह मैदान, सिस्टर्न या किसी अपशिष्ट कुण्ड या स्थिर जल, जो उसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या पड़ोस के लिए घृणास्पद प्रतीत हो, को भरने के लिए निदेश देना।

332. परिसर से कूड़ा–करकट इत्यादि का हटाना

;1द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, किसी भी भवन के अध्यासी से कूड़ा–करकट या घृणोत्पादक पदार्थ को हटाने के लिए संविदा कर सकेगा, और इस निमित्त शुल्क प्रभारित कर सकेगा।

;2द्ध जब किसी परिसर में भवन निर्माण हो रहा हो, या जब कोई परिसर, किसी विनिर्माण, व्यापार,

या व्यवसाय करने के लिए प्रयोग हो रहा हो, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी,—

(क) ऐसे परिसर के अध्यासी को, लिखित सूचना द्वारा, ऐसे निर्माण, विनिर्माण, व्यवसाय या व्यापार के दौरान कूड़ा—करकट एवं घृणोत्पादक पदार्थ को एकत्रित करने, और ऐसे समय पर ऐसी गाड़ियों या आधानों में, तथा ऐसे मार्ग से, जैसा नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा इस निमित्त उपबन्धित या नियुक्त स्थान पर हटाने का निर्देश दे सकेगा,

(ख) ऐसा करने के अपने आशय की सूचना, ऐसे अध्यासी को देने के पश्चात्, स्वयं ऐसे समस्त कूड़ा—करकट एवं घृणोत्पादक पदार्थ हटवायेगा; और ऐसे हटाने के लिए, ऐसे अध्यासी पर आवर्तिक शुल्क, जैसा वह सूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रभारित कर सकेगाः

परन्तु यह कि नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा खण्ड (क) के अधीन अपेक्षाओं को लागू, या खण्ड (ख) के अधीन, उसके द्वारा कोई कार्यवाही, तब तक नहीं की जा सकेगी, जब तक परिसर के अध्यासी को, ऐसे समय के भीतर, जो उसको दी गयी नोटिस में विनिर्दिष्ट हो, सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

333. सड़क से या नजदीक से घृणोत्पादक पदार्थों के न हटाये जाने पर दण्ड

कोई व्यक्ति, जो नगरपालिका में किसी लोक गली में या के नजदीक घर का अध्यासी होते हुए, चौबीस घंटे से अधिक, या विनियम द्वारा निर्धारित कम समय से अधिक, किसी समुचित आधान में के अन्यथा, कोई धूल, गंदा, विष्ठा, हड्डियां, राख, मैल या कोई हानिकारक या घृणोत्पादक पदार्थ, धूल, ऐसे घर में या पर, या बाहरी घर में, आंगन या ऐसे घर से जुड़े और अध्यासित जमीन पर रखता है या रखने की अनुमति देता है, अथवा ऐसे पात्र को मैले या

हानिकारक अवस्था में रखता हो, या उसकी समुचित सफाई के साधन अपनाने में उपेक्षा करे, वह जुर्माना, जो पांच हजार से अनधिक होगा, से दण्डित किया जायेगा।

334. गली या नाली में मल—जल, घृणोत्पादक पदार्थ या कूड़ा—करकट फेंकने या बहाने के लिए दण्ड

कोई व्यक्ति, जो नगरपालिका के भीतर—

;1द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की अनुमति के बिना, किसी गली पर सार्वजनिक स्थल पर, कोई मल—जल या घृणोत्पादक पदार्थ, अथवा किसी सीवर या नाली में कोई ईंटा, पत्थर या राख या कोई पदार्थ या द्रव्य गिराता है, फेंकता है, रखता है, अथवा गिरवाता है, फिंकवाता है या रखवाता है, जो या जिसके कारण, ऐसा सीवर या नाली अथवा उससे मिलती कोई नाली, बाधित हो सकती हो, अथवा

;2द्ध पानी या कोई मोरी, सीवर या मलहौद या घृणोत्पादक पदार्थ, उससे सम्बन्धित या उसके भूमि पर होते हुए, किसी गली पर भगवाता, बहवाता या फिंकवाता या रखवाता है या अनुमति देता है, अथवा किसी घृणोत्पादक पदार्थ को किसी गली में भगवाता, बहवाता, या फिंकवाता या रखवाता है या अनुमति देता है, अथवा किसी घृणोत्पादक पदार्थ को किसी जमीनी नाली में ऐसी रीति से भगवाता, बहवाता या फिंकवाता या रखवाता है, जिससे उपद्रव हो, अथवा

;3द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की अनुमति के बिना, किसी कारखाना, बेकरी, मद्यशाला, कार्यशाला या कार्य—स्थल का, या किसी भवन या स्थान से, जहां वाष्प, जल या यांत्रिक शक्ति का प्रयोग होता हो, कोई जल, वाष्प, या धुआँ या किसी द्रव को, जो नाला को विपरीत रूप से प्रभावित करता हो, किसी नाली में छोड़ता हो या छुड़वाता हो, अथवा मल—जल का निस्तारण, बिक्री या अन्यथा नाली के साथ—साथ करे, या जिससे उपद्रव पैदा होना संभावित हो, पांच हजार रूपये से अनधिक जुर्माने का दायी होगा।

335. उत्खनन को

;1द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, यथा विनिर्दिष्ट, नगरपालिका क्षेत्र के ऐसे अंश को

विनियमन करने की शक्ति

प्रभावित करने वाले सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रतिषेध कर सकेगा,—

(क) उससे मिट्टी लेने के प्रयोजनार्थ उत्खनन करना या उसमें कूड़ा—करकट या बदबूदार पदार्थ जमा करना, या

(ख) उसकी विशेष अनुमति के बिना, मल हौदी, टैंक, तालाब, कुआँ या गर्त खोदना।

;2द्ध ऐसे किसी आदेश के उल्लंघन में, कोई भी व्यक्ति, उपधारा (1) के खण्ड (क) में उल्लिखित कोई उत्खनन, या खण्ड (ख) में उल्लिखित कोई मल हौदी, टैंक, तालाब, कुआँ या गर्त नहीं खोदेगा।

;3द्ध यदि उपधारा (1) के अधीन आदेश के उल्लंघन में, ऐसा उत्खनन किया जाता है, या कोई ऐसी मल हौदी, टैंक, तालाब, कुआँ या गर्त खोदा जाता है, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, लिखित नोटिस द्वारा, भूमि, जिस पर ऐसा उत्खनन किया गया है, या ऐसी मल हौदी, टैंक, तालाब, कुआँ या गर्त खोदा गया है, के स्वामी या अध्यासी को, मिट्टी या उसके द्वारा अनुमोदित अन्य सामग्री से भरने का आदेश दे सकेगा।

336. पेड़, बाड़ा, आदि को सुव्यवस्थित करने के लिए आदेश देने की शक्ति

;1द्ध जो कोई, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की अनुमति के बिना, किसी सार्वजनिक भूमि पर खड़े किसी पेड़, या पौधे की शाखाओं या टहनी को छाँटे या काटे, अथवा ऐसे वृक्ष या पौधे के फल, फूल या पत्तियाँ तोड़े, अथवा उसे कोई हानि पहुँचाये, पाँच हजार रूपये तक के जुर्माना और दुबारा या पुनः उल्लंघन करने पर, दो हजार रूपये के जुर्माना, से दण्डनीय होगा।

;2द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, जैसा उचित समझे, लिखित में नोटिस द्वारा, नगरपालिका क्षेत्र में किसी भूमि, जिस पर पेड़, झाड़ी या बाड़ा उग रहा हो, के स्वामी या अध्यासी को ऐसे पेड़, झाड़ी या बाड़ा को छँटे दशा में रखने, तथा ऐसे पेड़, झाड़ी या बाड़ा को,

यदि वह किसी मार्ग पर यातायात को बाधित करता हो, या लोक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता हो, या किसी मार्ग पर लटकता हो, जिससे राहगीर को असुविधा या खतरा होता हो, को हटाने के लिए, अपेक्षा कर सकेगा।

;3द्ध यदि नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को ऐसा प्रतीत हो कि लोक सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वह बिना नोटिस के, यथा पूर्वोक्त भूमि से, ऐसे वृक्ष, झाड़ी या बाड़ा को हटवा सकता है, तथा उस पर होने वाला खर्च, ऐसी भूमि के स्वामी या अध्यासी द्वारा भुगतान किया जाएगा।

337. वृक्ष इत्यादि के काटने के दौरान गली की संरक्षा की अपेक्षा करने की शक्ति

;1द्ध कोई भी व्यक्ति, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की लिखित पूर्वानुमति के बिना, किसी वृक्ष को न काटेगा, या न किसी वृक्ष की डाली को काटेगा, या किसी भवन या उसके भाग को न निर्मित करेगा, न ढहायेगा, अथवा न भवन के बाहरी भाग में परिवर्तन या मरम्मत करायेगा, जहां ऐसा कार्य अवरोध, खतरा या क्षोभ या मार्ग का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति के लिए अवरोध, जोखिम या नाराजगी पैदा करने वाला हो।

;2द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, किसी समय सूचना द्वारा, अपेक्षा कर सकेगा कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी कार्य को करने वाला या करने का प्रस्ताव करने वाला कोई व्यक्ति, कार्य प्रारम्भ करने या जारी रखने से विरत रहे, जब तक कि वह सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच पर्याप्त प्रकाश के साथ ऐसे परदे या विज्ञापन पट्ट को रखे, लगाए और अनुरक्षित करे, जैसा सूचना में विनिर्दिष्ट या वर्णित किया जाय, और किसी समय, सूचना द्वारा, ऐसे कार्यों की प्रत्याशा या अनुपालन में निर्मित किसी सूचना पट्ट या परदा को सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, हटाने की अपेक्षा कर सकेगा।

;3द्ध जो कोई, उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या उपधारा (2) के अधीन सूचना की शर्तों के पालन में चूक करता है, वह जुर्माना, जो

पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा, तथा उल्लंघन या चूक जारी रहने की दशा में अग्रेतर जुर्माना, जो प्रतिदिन दो हजार रूपये तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा।

सार्वजनिक स्नान, धुलाई,जल टैंक आदि का विनियमन

338. सार्वजनिक स्नान आदि का विनियमन

;1द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, आदेश द्वारा,–

(क) जनता द्वारा स्नान अथवा प्रक्षालन हेतु, किसी नदी अथवा अन्य सार्वजनिक स्थान, जो नगरपालिका में निहित हो या न हो, के उपयोग को विनियमित कर सकेगा,

(ख) जनता द्वारा स्नान या प्रक्षालन हेतु, किसी झील, तालाब, कुण्ड, झरना, हौज, नलिका, स्तभ्भ–नल, नदी या कुआँ या नदी का कोई भाग, चाहे नगरपालिका में निहित हो या न हो, के उपयोग को प्रतिषेध कर सकेगा,

(ग) किसी पशु, वनस्पति अथवा खनिज पदार्थ को, जिससे इसका जल बदबूदार अथवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने की संभावना हो, किसी तालाब, कुण्ड, नदी, कुआँ या गढ्ढे में धोने को प्रतिषिद्ध कर सकेगा,

(घ) सांसर्गिक या संक्रामक रोग से पीड़ित किसी व्यक्ति को झील, तालाब, कुंड, झरना, हौज, नाली, स्तभ्भ–नल, नदी या कुआँ में स्नान करने से प्रतिषेध कर सकेगा,

(ङ) किसी व्यापार या विनिर्माण में लगे व्यक्ति को किसी झील, तालाब, कुआँ, नलिका या पानी रखने के अन्य स्थानों में, चाहे वह नगरपालिका में निहित हो या न हो, अथवा ऐसे व्यापार या विनिर्माण के दौरान उत्पन्न किसी प्रक्षालन संबंधी या अन्य पदार्थ को जाने वाले नल या नाली में गंदा जल प्रवाहित करने, अथवा ऐसे व्यापार या

विनिर्माण से संबद्ध, जान बूझकर ऐसा कोई कार्य करने से प्रतिषेध कर सकेगा, जिससे ऐसे जल के प्रदूषित या गंदा होने की संभावना हो,

(च) धोबियों को अपने पेशे के अनुसरण में वस्त्र धोने से, सूचना द्वारा प्रतिषेध कर सकेगा,सिवाय ऐसे स्थानों के जिन पर इस प्रयोजनार्थ अनुज्ञा दी जाए।

;2द्ध कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अधीन, किसी निर्देश के अनुपालन में चूक करता है, पांच हजार रूपये से अनधिक जुर्माना का दायी होगा।

339. जानवर या अन्य पदार्थ के निमज्जन द्वारा जल प्रदूषण का प्रतिषेध

;1द्ध कोई व्यक्ति,—

(क) कोई पशु, सब्जी या खनिज पदार्थ, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक या बदबूदार हो, किसी टंकी, जलाशय, कुआं, गर्त, या नाला में निमज्जित नहीं करेगा,

(ख) संक्रामक, संक्रमित या घृणित रोग से पीड़ित होते हुए, झील, तालाब, जलाशय, फव्वारा, जलकुण्ड, स्रोत, स्टैण्ड पाइप, सोता, कुआं या नदी के किसी भाग, नगरपालिका के सीमा या आने वाली धारा के तरफ सीमा से पांच किलोमीटर के भीतर, स्नान नहीं करेगा।

;2द्ध कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अधीन नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी के किसी आदेश का उल्लंघन करे, एक हजार रूपये से अनधिक जुर्माना का दायी होगा।

340. जलसरणी के प्रदूषण का प्रतिषेध

;1द्ध ऐसे विस्तार, ऐसे ढंग और ऐसी शर्तों के सिवाय, जैसा विहित किया जाय, कोई व्यक्ति,—

(क) किसी जलसरणी में न रखेगा, या न रखवायेगा, या न गिरवायेगा या न बहवायेगा या न ले जाने देगा या न जानबूझकर रखने या गिराने या बहाने या ले जाने की अनुमति देगा—

(i) कोई ठोस या द्रव मल—जल पदार्थ, या

(ii) किसी विनिर्माण प्रक्रिया से उत्पन्न कोई विषाक्त, हानिकारक या प्रदूषित द्रव, या

(ख) किसी जलसरणी में, किसी खदान या विनिर्माण प्रक्रिया से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट या कोई अन्य कूड़ा—करकट, या राख, या कोई अन्य बेकार या सड़ा ठोस पदार्थ, न रखेगा, या न रखवायेगा, या न गिरवायेगा या न ले जाने देगा या न जानबूझकर रखने या गिराने या बहाने या ले जाने की अनुमति देगा, अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के उसी समान अन्य कार्यों के साथ मिलकर, ऐसे जलसरणी के उचित बहाव में बाधा डाले या उसके जल को प्रदूषित करे,

(ग) किसी जलसरणी में या उसके पड़ोस में न्यूसेंस उत्पन्न करे।

;2द्ध जो कोई, उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, दोषसिद्धि पर, दस हजार रूपये से अनधिक जुर्माना, और अपराध की निरन्तरता की दशा में, पांच सौ रूपये से अनधिक प्रतिदिन अतिरिक्त जुर्माना, से दण्डनीय होगा।

341. तालाब से उत्पन्न होने वाले न्यूसेंस को हटाने की अपेक्षा करने की शक्ति

;1द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, सूचना द्वारा, किसी जमीन या भवन के स्वामी या अध्यासी से निजी कुआँ, टैंक, जलाशय, सिस्टर्न, हौदी, उत्खनन का गड्ढा, जो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को स्वास्थ्य के लिए खतरा या पड़ोसी के लिए घृणोत्पादक प्रतीत हो, को साफ करने, मरम्मत करने, ढंकने, पुनः उत्खनित करने, भरने या जल निकासी की अपेक्षा कर सकेगा।

;2द्ध कोई व्यक्ति, जो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उपधारा (1) में जारी आदेश का पालन करने में असफल रहता है, पांच हजार रूपये से अनधिक के जुर्माना, या ऐसी अपेक्षा के आठ दिन समाप्त हो जाने के बाद जब तक अपालन जारी रहता है, प्रतिदिन दो सौ रूपये से अनधिक अतिरिक्त जुर्माना, का दायी होगा।

342. पीने या पाकशालीय प्रयोजनों के लिए जल स्रोतों

नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, सूचना द्वारा, स्वामी या व्यक्ति, जिसके नियंत्रण में, निजी जलसरणी, झरना, टैंक, कुआं या अन्य स्थान, जिसका जल पीने या पाकशाला में प्रयोग होता हो या प्रयुक्त होना सम्भाव्य हो, को

	की सफाई करने की अपेक्षा करने की शक्ति		समय—समय पर गाद, कूड़ा या क्षयशील वनस्पतियों से साफ करने की अपेक्षा कर सकेगा, और उसे प्रदूषण से, ऐसी रीति से, जैसा नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को उपयुक्त प्रतीत हो, सुरक्षित रखने, और कुआँ की दशा में उसकी मरम्मत करने की अपेक्षा कर सकेगा।
343.	प्रदूषित जल का पीने या पाकशाला के प्रयोजनार्थ प्रतिषिद्ध करने की शक्ति	;1द्ध	यदि लोक स्वास्थ्य का निदेशक, जिले का सिविल सर्जन, नगर या अन्य स्वास्थ्य पदाधिकारी, जो इस निमित्त प्राधिकृत हो, प्रमाणित करे कि किसी जलसरणी, झरना, टैंक, कुआं या अन्य स्थान का जल पीने या पाकशाला के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त होता हो या होना संभावित हो, यदि उपयोग किया गया, खतरा उत्पन्न करेगा या रोग के फैलने का कारण बनेगा, और इसकी स्थिति या अन्य कारण से, ऐसा स्थान प्रदूषण से संरक्षित नहीं किया जा सकता, या यदि उसका स्वामी या व्यक्ति, जिसका उस पर नियंत्रण हो, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा धारा—342 के अधीन की गयी अपेक्षा का पालन करने से इंकार या उपेक्षा करता है, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी,— (क) लोक सूचना द्वारा, पीने या पाकशाला के प्रयोजन के लिए, सूचना में विनिर्दिष्ट समय तक, जल का उपयोग या हटाना प्रतिषिद्ध कर सकेगा, और जल के ऐसे प्रयोजन के लिए, हटाये जाने को निषेध करने के लिए ऐसा कदम उठायेगा, जैसा वह आवश्यक समझे, (ख) निजी कुआं की दशा में, स्वामी या व्यक्ति से, जिसके नियंत्रण में हो, उसे स्थायी रूप से बन्द करने या उपयुक्त पदार्थ से सील करने की अपेक्षा कर सकेगा।
		;2द्ध	कोई व्यक्ति, जो इस धारा के अधीन आदेश का पालन करने में असफल रहता है, जुर्माना से, जो पांच हजार रूपये से अनधिक होगा, दायी होगा।
344.	पीने के प्रयोग में आने वाले जल के		नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, किसी कुआं, टैंक, स्रोत, जलसरणी या अन्य स्थान, जहां से जल पीने या खाना पकाने के

निरीक्षण और रोगाणुनाशक करने की शक्ति — प्रयोजनार्थ लिया जाता हो, या लिया जाना संभाव्य हो, का सभी युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण कर सकेगा, और रोगाणुनाशक बना सकेगा; परन्तु, घर के भीतर अवस्थित कुआँ के निरीक्षण के पहले, युक्तियुक्त सूचना दी जायेगी।

सार्वजनिक सुविधाएँ

345. सार्वजनिक शौचालय और मूत्रालय

;1द्ध नगरपालिका, स्वयं अथवा किसी अभिकरण के माध्यम से, सार्वजनिक उपयोग के लिए, समुचित एवं सुविधाजनक स्थानों पर पर्याप्त संख्या में, सार्वजनिक शौचालयों एवं मूत्रालयों का उपबंध करेगी, और उनका अनुरक्षण करेगी।

;2द्ध ऐसे सार्वजनिक शौचालयों एवं मूत्रालयों का निर्माण, इस प्रकार किया जाएगा, जिससे पुरूष एवं महिला के लिए पृथक् रूप से उपबंध किया जा सके।

सामान्य उपबन्ध

346. उपद्रवों का प्रतिषेध

;1द्ध कोई भी व्यक्ति,—

(क) किसी सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर, कोई उपद्रव नहीं करेगा, अथवा

(ख) किसी भवन, स्मारक, खम्भा, दीवाल, चहारदिवारी, वृक्ष अथवा अन्य सार्वजनिक स्थान पर, कोई इश्तहार, सूचना या अन्य दस्तावेज, अप्राधिकृत रूप से नहीं चिपकायेगा, अथवा

(ग) किसी भवन, स्मारक, खम्भा, दीवाल, चहारदिवारी, वृक्ष अथवा अन्य सार्वजनिक स्थान को अप्राधिकृत रूप से नहीं मिटायगा या उन पर कुछ नहीं लिखेगा या अन्यथा कोई निशान नहीं लगाएगा, अथवा

(घ) सार्वजनिक स्थानों को गंदा नहीं करेगा, अथवा

(ङ) नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सूचना के माध्यम से इस निमित्त किए गए प्रतिषेध का उल्लंघन करते हुए, किसी मार्ग से, कोई कूड़ा–करकट, गंदगी या अन्य प्रदूषित एवं बदबूदार पदार्थ नहीं ले जाएगा, अथवा

(च) किसी शव को, ऐसे किसी स्थान पर, जिसके प्रयोजनार्थ अनुज्ञा न दी गई हो, न गाड़ेगा या न जलायेगा, या अन्यथा निस्तारित नहीं करेगा, अथवा

(छ) ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण आदेश, यदि कोई हो, का उल्लंघन करते हुए, लोक शांति या व्यवस्था को भंग नहीं करेगा, अथवा

(ज) वायु प्रदूषण नियंत्रण आदेश, यदि कोई हो, का उल्लंघन करते हुए, वायु प्रदूषण नहीं करेगा, अथवा

(झ) सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बिना, वाहन अथवा पैदल चलने वालों के आवागमन में बाधा नहीं डालेगा।

;2द्ध जहाँ नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी का यह मत हो कि किसी भूमि या भवन पर कोई उपद्रव है, वह लिखित सूचना द्वारा, ऐसे व्यक्ति से, जिसके कार्य, चूक अथवा मौनानुमति से उपद्रव उत्पन्न होता हो या जारी रहता हो, अथवा ऐसी भूमि या भवन के सभी स्वामियों, पट्टाधारियों या अधिभोगियों से ऐसा कदम उठाकर, ऐसी रीति से, और ऐसी अवधि के भीतर, जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उपद्रव दूर करने या इसे कम करने की अपेक्षा कर सकेगा।

;3द्ध जहाँ नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी का यह मत हो कि इस अधिनियम के उपबंध के उल्लंघन में, किसी भूमि अथवा भवन पर जारी किसी उपद्रव को हटाना आवश्यक है, वह कारणों को अभिलिखित करते हुए, ऐसे उपद्रव को तुरंत हटवायेगा।

;4द्ध कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, जो इस धारा के अधीन आदेश का पालन करने में असफल रहता है, पांच हजार रूपये से अनधिक जुर्माना का दायी होगा।

347. ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउड स्पीकर) का बजाना

जो कोई, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के उल्लंघन में, और नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की अनुमति के बिना, ध्वनि विस्तारक (लाउडस्पीकर) यंत्र को बजायेगा, जुर्माना से, जो दो हजार रूपये तक हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

348. अनुमति के बिना विज्ञापन—चिपकाना

;1द्ध जो कोई, स्वामी या अधिसेवी या कोई व्यक्ति, जो उस समय प्रभार में है, की सहमति के बिना, कोई पोस्टर, इश्तहार, सूचना, प्ले कार्ड, या अन्य कागज या विज्ञापन के अन्य साधन, किसी गली, भवन, दिवाल, वृक्ष, पट्ट, बाड़ या खम्भा पर चिपकाता है या चिपकवाता है, अथवा ऐसे भवन, दिवाल, वृक्ष, पट्ट, बाड़, या स्थान पर खड़िया या रंग या अन्य विधि से, चाहे जैसे लिखता है, खराब करता है, विकृत करता है या निशान लगाता है, जुर्माना से, जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

;2द्ध इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, सम्पत्ति, जिसके संबंध में अपराध किया गया आरोपित है, के स्वामी या अध्यासी या अन्य व्यक्ति, जो सम्पत्ति के प्रभार में हो, के परिवाद पर, उपधारा (1) के अधीन लगाये गये अपराध का संज्ञान ले सकता है।

349. दिशा पोस्ट, लैम्प पोस्ट इत्यादि को नुकसान पहुंचाना

जो कोई, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत हुए बिना, किसी सार्वजनिक स्थान पर, किसी दिशा—पोस्ट, गली का नाम, लैम्प—पोस्ट या लैम्प या नगर पालिका प्रकाश को बुझाएगा, जुर्माना से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा।

350. अशिष्ट या अश्लील चित्र या

;1द्ध जो कोई, किसी घर, भवन, दिवाल, होर्डिंग, फाटक, बाड़ा, खम्भा, पोस्ट, पट्ट, वृक्ष, सड़क या अन्य स्थान, जो कुछ भी, जो ऐसे व्यक्ति, जो

छपा हुआ या लिखित सामग्री

किसी गली, लोक राजमार्ग या पैदल मार्ग पर हो, या के जाते हुए, दृश्यमान हो, पर चिपकाता हो, उत्कीर्ण करता हो या मोमी कागज द्वारा लिखता हो, या और जो, कोई फिल्म या मुद्रित या लिखित पदार्थ, जो कि अशिष्ट या अश्लील प्रकृति का हो, किसी सार्वजनिक शौचालय या मूत्रालय पर चिपकाता हो या उत्कीर्ण करता हो या मोमी कागज द्वारा लिखता हो, या परिदत्त करे या परिदत्त करने का प्रयत्न करे, किसी रहने वाले को प्रदर्शित, या गली में, या से गुजरते हुए, किसी व्यक्ति को, लोक राजमार्ग, या पैदल–सड़क, या किसी घर के क्षेत्र में फेंके, या किसी घर के खिड़की या दुकान से लोकदृष्टि में प्रदर्शित करे, दोषसिद्धि पर, कारावास से, जो एक माह तक का हो सकेगा, या जुर्माना से, जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

;2द्ध जो कोई, ऐसा चित्र, मुद्रित या लिखित पदार्थ, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, किसी अन्य व्यक्ति को, इस आशय से देता या परिदत्त करता है कि वह उसको या उसमें से किन्हीं को या उससे अधिक, चिपकाए, उत्कीर्ण करे, मोम कागज द्वारा लिखे, परिदत्त करे, या, जैसा उल्लिखित हो, प्रदर्शित करे, दोषसिद्धि पर, कारावास से, जो तीन माह तक का हो सकेगा, या जुर्माना से, जो दो हजार तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

;3द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा परिवाद दाखिल की प्राप्ति पर, कोई आरक्षी पदाधिकारी, बिना वारण्ट के, किसी व्यक्ति को, जिसे नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, इस धारा के अधीन अपराध करते हुए पाए, गिरफ्तार कर सकता है।

351. वाष्प सीटी इत्यादि का प्रयोग

;1द्ध कोई व्यक्ति, किसी कारखाना या किसी अन्य स्थान में बिखरे कर्मकारों या योजित व्यक्तियों को बुलाने के उद्देश्य से, किसी सीटी, तुरही, या कोई अन्य यांत्रिक युक्ति, जो आक्रामक शोर उत्पन्न करता हो, या कोई भी व्यक्ति, किसी, ऐसे कारखाना या स्थान में, किसी इन्जिन का विसर्जन पाइप द्वारा, किसी युक्ति के माध्यम से,

जो उत्पन्न शोर को बढ़ाती हो, का प्रयोग, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना नहीं करेगा। अनुमति प्रदान करते समय, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, ऐसी शर्तें, जैसा वह उचित समझे, सीटी, तुरही या अन्य युक्ति के प्रयोग का समय प्रतिबंधित करते हुए, लगा सकता है।

;2द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, एक माह की सूचना देकर, उपधारा (1) के अधीन दी गयी अनुमति को वापस ले सकता है।

;3द्ध जो कोई, इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए कोई सीटी, तुरही या युक्ति लगाता है या प्रयोग करता है, दो हजार रूपये तक के जुर्माना से, और अपराध चालू रहने के दौरान, दो सौ रूपये से अनधिक प्रतिदिन के अग्रेतर जुर्माना से, दण्डित किया जायेगा।

352. विनियमन

नगरपालिका, नहाने एवं धोने के स्थान, सोता, नहर, तालाब और कुआं, और इन स्रोतों से जलापूर्ति के सम्बन्ध में इनके प्रयोग, और न्यूसेंस से निवारण के लिए, इस अधिनियम से संगत विनियम बना सकती है।

353. प्रदूषण का नियंत्रण

तत्समय प्रवृत्त वायु, जल या ध्वनि प्रदूषण से संबंधित किसी विधि के उपबन्धों के अध्यधीन, और इस निमित्त, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के अनुसार, नगरपालिका, ऐसी विधि के प्रवर्तन हेतु सक्षम प्राधिकार के रूप में कार्य कर सकेगी।

354. कुओं, तालाबों को सुरक्षित रखने की अपेक्षा करने की शक्ति

;1द्ध यदि, नगरपालिका क्षेत्र में कोई कुआं, तालाब, जलाशय, पूल, गड्ढा या खुदाई या कोई किनारा या पेड़, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की राय में आवश्यक अनुरक्षण, संरक्षण या घेराबंदी के अभाव में, जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हो, और न्यूसेंस हो, या पास से गुजरने वालों के लिए खतरनाक हो, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, लिखित नोटिस द्वारा, इसके स्वामी या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति से जो इसके स्वामी होने का दावा करता हो, या इनके चूक करने पर, इसके अध्यासी से, उसके मरम्मत, संरक्षण या घेराबंदी, जैसा वह आवश्यक समझे, करने की अपेक्षा करेगा, और यदि नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी के मत में संकट

सन्निकट है, तो वह आगे ऐसे कदम उठाएगा, जो वह ऐसे खतरे को दूर करने के लिए आवश्यक समझे।

;2द्ध यदि नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी ऐसा करना आवश्यक समझे, तो जनता की सुरक्षा के लिए ऐसी भूमि के स्वामी या अध्यासी के व्यय पर, समुचित विज्ञापन पट्ट या बाड़ा या संरक्षा के अन्य दूसरे उपाय करेगा।

;3द्ध कोई व्यक्ति, जो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उपधारा (1) या (2) के अधीन जारी की गई अध्यपेक्षा का पालन नहीं करता है, पांच हजार रूपये से अनधिक जुर्माना का दायी होगा, और ऐसी अध्यपेक्षा प्राप्त होने की तिथि से आठ दिन पश्चात् चूक (व्यतिक्रम) जारी रहने की अवधि में, दो सौ रूपये से अनधिक प्रतिदिन के अग्रेतर जुर्माना का भागी होगा।

355. उत्खनन, विस्फोटन, वृक्ष की कटाई अथवा भवन निर्माण कार्य

कोई भी व्यक्ति, उत्खनन, विस्फोटन, वृक्ष की कटाई अथवा भवन निर्माण कार्य, ऐसी रीति से नहीं करेगा, जिससे पास–पड़ोस से गुजरने वाले अथवा निवास करने वाले या कार्य करने वालों को कोई खतरा हो या खतरा होने की संभावना हो।

356. भूमि अथवा भवन के अनुचित उपयोग को रोकने की शक्ति

यदि, किसी नगरपालिका क्षेत्र के भीतर, कोई भूमि या भवन, इसके परित्यक्त या बेदखल रहने के कारण,–

(क) गंदी या अस्वास्थ्यकर अवस्था में हो, अथवा

(ख) शरण स्थल बन गया है–

;पद्ध निकम्मे एवं उपद्रवी व्यक्तियों का, या

;पपद्ध ऐसे व्यक्तियों के लिए, जिन्हें गुजर–बसर का कोई प्रत्यक्ष साधन न हो, अथवा जो अपना संतोषजनक वृतान्त नहीं दे पाता हो, अथवा

(ग) जिसका उपयोग जुआ खेलने या अनैतिक

प्रयोजनों के लिए किया जाता हो, अथवा

(घ) जिससे उपद्रव होने की संभावना हो,

तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, सम्यक् जॉचोपरान्त, लिखित सूचना द्वारा, ऐसी भूमि या भवन के स्वामी या स्वामी होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति अथवा पट्टाधारी या पट्टाधारी होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति से,–

(i) ऐसी भूमि या भवन प्राप्त करने, बन्द कर देने, साफ कराने या खाली कराने, अथवा

(ii) जुआ या अनैतिक प्रयोजनों के लिए ऐसी भूमि या भवन के उपयोग को रोकने, अथवा

(iii) ऐसी अवधि के भीतर, जैसा सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, न्यूसेन्स समाप्त करने,

और ऐसी सूचना की एक प्रति, यथास्थिति भवन के द्वार पर अथवा भूमि के किसी सुगोचर भाग पर, चिपका देगा।

357. प्रदूषक द्वारा भुगतान

नगरपालिका, विनियम द्वारा, ऐसे व्यक्तियों पर, जो इस अध्याय में विनिर्दिष्ट किसी प्रकार का प्रदूषण पैदा करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हों, अधिभार एवं अधिरोपित शास्ति की वसूली का उपबंध कर सकेगी।

अध्याय–33
संक्रमण की रोकथाम

358. भूमि के जल निकास को सुधारने की अपेक्षा करने की शक्ति

;1द्ध जब भी, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को ऐसा प्रतीत हो कि किसी भूमि का जल निकास उसके संतोषजनक नहीं है, तब नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, स्वामी से, ऐसी भूमि से दस दिन के भीतर नाली या निर्गम में जल निकासी की अपेक्षा करेगा।

;2½ यदि, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को यह प्रतीत हो कि कोई भूमि जल निकासी के अभाव की स्थिति में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या पड़ोस के लिए संतापकारी है, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, स्वामी या अधिभोगी या दोनों से, ऐसी भूमि से पन्द्रह दिन के भीतर जल निकासी की अपेक्षा कर सकेगा।

;3½ यदि इस धारा के अधीन प्रभावी जल निकास के प्रयोजनार्थ, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी का यह मत हो कि किसी भूमि का अधिग्रहण आवश्यक है, जो उस व्यक्ति की सम्पत्ति नहीं है जिससे उसकी भूमि से जल निकासी की अपेक्षा की जा रही है या किसी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना है, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, ऐसी भूमि उपलब्ध कराएगा तथा क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा। नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, ऐसी भूमि के स्वामी की लागत पर ऐसी भूमि को अधिग्रहीत करेगा और उपलब्ध करायेगा, तथा ऐसी क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा, जो निर्धारित की जाए, और उसकी वसूली स्वामी से करेगा।

359. मच्छरों के न्यूसेंस का उपशमन

यदि, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी के मत में,—

(क) कोई कुण्ड, खांई, खान, छिद्र, उत्खनन, टंकी, कुऑ, तालाब, नाली, जलसरणी या जल का कोई संग्रह, या

(ख) कोई कुण्ड या जल के लिए अन्य आधान, चाहे भवन के भीतर या बाहर हो, या

(ग) कोई भूमि, जिस पर जल जमा होता हो तथा, जो किसी भवन से, जो निवास गृह के रूप में प्रयुक्त होता हो, से एक सौ गज की दूरी पर अवस्थित हो,

मच्छरों के प्रजनन स्थल के रूप में होना संभाव्य है, या किसी अन्य लिहाज से न्यूसेंस है; तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, लिखित सूचना द्वारा, उसके स्वामी से, ऐसे तरीके तथा ऐसी सामग्री से भरने, ढँकने या

बहाने के लिए, या न्यूसेंस को हटाने या उपशमन करने की अपेक्षा कर सकेगा।

360. अध्यपेक्षा की अवज्ञा पर दण्ड

किसी भवन या भूमि का कोई स्वामी या अध्यासी, जो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जारी अध्यपेक्षा का पालन करने में असफल रहता है, ऐसी अध्यपेक्षा की प्राप्ति की तिथि से आठ दिनों के अवसान के बाद, पाँच हजार रूपये से अनधिक जुर्माना से, तथा व्यतिक्रम जारी रहने पर, प्रतिदिन दो सौ रूपये से अनधिक अग्रेतर जुर्माना का, दायी होगा।

361. नगरपालिका द्वारा घातक बीमारियों का निवारण और रोकथाम

;1द्ध नगरपालिका का यह कर्त्तव्य होगा कि वह नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी घातक बीमारी अथवा पशुओं के बीच महामारी को निवारित करने या फैलने से रोकने के लिए, ऐसा आवश्यक कदम उठाये, जैसा वह आवश्यक समझे।

;2द्ध कोई व्यक्ति, चाहे वह चिकित्सा व्यवसायी हो या अन्य,ऐसे किसी अन्य व्यक्ति, जिसे वह जानता हो, का प्रभारी अथवा उसका परिचर हो, अथवा ऐसा विश्वास करने का उसके पास कारण हो कि वह घातक बीमारी से ग्रस्त है, अथवा वह ऐसे किसी भवन का स्वामी, पट्टाधारी या अधिभोगी है, जिसमें उसकी जानकारी में कोई व्यक्ति ऐसे रोग से ग्रस्त है, ऐसी बीमारी की मौजूदगी की सूचना, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को देगा।

362. किसी स्थान का निरीक्षण करने और घातक बीमारी को फैलने से रोकने के लिए नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी

;1द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, रात या दिन में किसी भी समय, तथा सूचना देकर या बिना सूचना के, ऐसे किसी स्थान का निरीक्षण कर सकेगा, जिसमें किसी घातक बीमारी होने की रिपोर्ट हो या होने का संदेह हो, तथा इस बीमारी के ऐसे स्थान के बाहर फैलने से रोकने के लिए, ऐसा कदम उठाएगा, जैसा वह उपयुक्त समझे, तथा वह इसकी सूचना तत्काल राज्य सरकार, उपायुक्त और जिला में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठतम पदाधिकारी को देगा।

;2द्ध जब किसी घातक बीमारी से ग्रस्त कोई व्यक्ति,—

की शक्ति

(क) समुचित संवास या जगह के बिना पाया जाये, या

(ख) ऐसे किसी कमरे या घर में रह रहा हो, जिसका, वह न तो स्वामी हो, न ही जिसका किराया अदा करता हो, न तो ऐसे व्यक्ति के अतिथि या संबंधी के रूप में अध्यासित हो, जो उसका स्वामी हो या ऐसे कमरे या घर के लिए किराया अदा करता हो, या

(ग) किसी सराय, होटल, छात्रावास में रहते हुए पाया जाय, या

(घ) दो या दो से अधिक परिवारों के सदस्यों द्वारा अध्यासित परिसर में ठहरते हुए पाया जाए,

तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, किसी चिकित्सा पदाधिकारी की सलाह पर, ऐसे रोगी को, किसी ऐसे अस्पताल या स्थान पर, जहाँ ऐसे रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को चिकित्सकीय उपचार हेतु लिया जाता हो, ले जाएगा, और उसे ले जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।

363. संक्रमित स्थानों की सफाई, विसंक्रमित, क्षतिग्रस्त अथवा नियंत्रित करने की नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की शक्ति

;1द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, किसी भवन, झोपड़ी या शेड, जलस्रोत या आवास और भोजनालय को साफ या विसंक्रमित या ध्वस्त करायेगा, यदि उसके मत में ऐसी सफाई, विसंक्रमण या विध्वंस से किसी धातक बीमारी को निवारित या नियंत्रित किया जा सके, तथा आपात्काल की दशा में, वह ऐसी सफाई या ऐसा विसंक्रमण, नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा, ऐसे स्थान के स्वामी या अधिभोगी की लागत पर अथवा नगरपालिका की लागत पर करायेगा, यदि उसकी राय में, ऐसा स्वामी या अधिभोगी, गरीबी के कारण, लागत का भुगतान करने में असमर्थ हो।

;2द्ध जहाँ नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी का समाधान हो जाये कि किसी भवन, झोपड़ी या शेड या पोशाक या सामग्री का नाश किसी धातक बीमारी के निवारण के प्रयोजनार्थ तत्काल आवश्यक है, वह ऐसे भवन, झोपड़ी या शेड या

पोशाक या सामग्री को नष्ट करवा देगाः

परन्तु यह कि नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को, जिसे ऐसे भवन, झोपड़ी या शेड या पोशाक या सामग्री के नाश से भारी क्षति हुई हो, क्षतिपूर्ति अदा की जायेगी।

;3द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में है, लिखित आदेश द्वारा, यह निदेश देगा कि कोई नगरपालिका क्षेत्र में, ऐसा कोई आवास या स्थान, जहाँ खाद्य एवं पेय पदार्थ बेचे जाते हों, अथवा विक्रय हेतु तैयार, भण्डार या प्रदर्शित किये जाते हों, ठहरने का आवास या स्थान होने के नाते, जिसमें खतरनाक रोग का मामला स्थित है या हाल ही में घटित हुआ हो, ऐसी अवधि के लिए, जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, बंद कर दिया जायेगाः

परन्तु यह कि ऐसे आवास या स्थान को खुला घोषित किया जा सकेगा, यदि नगरपालिका स्वास्थ्य पदाधिकारी यह प्रमाणित करे कि इसे विसंक्रमित कर दिया गया है या संक्रमण से मुक्त है।

;4द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी या नगरपालिका द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, सभी युक्तियुक्त समयों पर किसी बाजार, भवन, दुकान, स्टॉल या स्थान पर, जो खाद्य वस्तु या पेय की बिक्री के लिए अथवा वधशाला के रूप में अथवा दवाओं की बिक्री के लिए, प्रयुक्त होता हो, प्रवेश कर सकेगा, और किसी खाद्य वस्तु, पेय, जानवर या दवा, जो वहां पाया जाय, का निरीक्षण एवं परीक्षण कर सकेगा, और यदि, वहां कोई खाद्य वस्तु या पेय, जानवर या दवा, जो व्यक्तियों के उपभोग हेतु अभिप्रेत हो, उसके लिए अनुपयुक्त प्रतीत हो, नोटिस द्वारा, ऐसे खाद्य, पेय, जानवर या दवा की बिक्री को, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के लिए, जैसा वह उपयुक्त समझे, प्रतिबंधित कर सकेगा।

;5द्ध यदि, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी

का यह मत हो कि नगरपालिका क्षेत्र में किसी कुआँ, तालाब या अन्य स्थान के जल से किसी बीमारी के फैलने की संभावना है, वह लिखित सूचना द्वारा, पीने के लिए ऐसा जल ले जाने या इसके इस्तेमाल को प्रतिषिद्ध कर सकेगा, तथा ऐसे कुआँ, तालाब या अन्य स्थान के स्वामी अथवा ऐसे व्यक्ति से, जिसके नियंत्रण में ऐसा कुआँ, तालाब या अन्य स्थान हो, नोटिस द्वारा, ऐसा कदम, जो ऐसे जल तक जनता के पहुँचने या इसके इस्तेमाल से रोकने के लिए अपेक्षित हो, उठाने की अपेक्षा करेगा, और ऐसा अन्य कदम उठायेगा, जैसा वह, ऐसी बीमारी के प्रकोप या फैलने से रोकने के लिए, समीचीन समझेः

परन्तु यह कि आपात् स्थिति में, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, सूचना सहित या बिना सूचना के, और किसी भी समय, ऐसे किसी कुआँ, तालाब या अन्य स्थान का, जिससे जल निकाला जाता हो या निकाले जाने की संभावना हो, किसी खतरनाक बीमारी को फैलने से रोकने के लिए, निरीक्षण कर विसंक्रमित कर सकेगा।

364. घातक रोग या महामारी के प्रकोप की स्थिति में विशेष व्यवस्था

;1द्ध किसी नगरपालिका क्षेत्र अथवा इसका कोई भाग, इसके निवासियों के बीच किसी खतरनाक रोग के प्रकोप से या पशुओं के बीच महामारी से प्रभावित हो या होने की आशंका होने की स्थिति में, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी का यदि यह मानना हो कि इस अधिनियम के अन्य उपबंध और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंध ऐसे रोग के प्रकोप के निवारण के प्रयोजनार्थ अपर्याप्त हैं, वह, नगरपालिका के पूर्व अनुमोदन से,—

(क) ऐसा विशेष उपाय कर सकेगा, और
(ख) सूचना द्वारा, जनता या जनता के किसी वर्ग या भाग द्वारा अनुपालन हेतु, ऐसा निदेश दे सकेगा, जैसा वह ऐसे रोग के प्रकोप के निवारणार्थ आवश्यक समझेः

परन्तु यह कि जहाँ, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी के

मत में तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो, वह ऐसे अनुमोदन के बिना ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, और ऐसी कार्रवाई की तत्काल रिपोर्ट नगरपालिका को करेगा।

;2द्ध ऐसा कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन सूचना में दिए गए निर्देश को भंग करे, वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा–188 के अधीन अपराध किया गया माना जायेगा।

365. विसंक्रमण के साधन

;1द्ध नगरपालिका, अपने विवेक से अथवा जब राज्य सरकार ऐसा निदेश दे,–

(क) सवारी, पोशाक, बिस्तर या अन्य सामग्री, जो संक्रमण के प्रभाव में हो, को विसंक्रमित करने के लिए, नगरपालिका क्षेत्र के भीतर आवश्यक परिसर एवं उपकरण सहित, समुचित स्थान उपलब्ध करा सकेगी, और

(ख) विसंक्रमण हेतु लाई गई सवारी, पोशाक, बिस्तर या अन्य सामग्री का विसंक्रमण या तो निःशुल्क या ऐसे प्रभार के भुगतान पर करा सकेगी, जैसा वह नियत करे।

;2द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, ऐसे स्थानों को अधिसूचित कर सकेगा, जहॉ ऐसी सवारी, पोशाक, बिस्तर या अन्य सामग्री, जिन्हें संक्रमित होने की आशंका हो, धोई जाएगी, तथा यदि वह ऐसा करे, तो कोई भी व्यक्ति ऐसी सवारी, पोशाक, बिस्तर या अन्य सामग्री, इस प्रकार अधिसूचित न किए गए किसी स्थान पर पूर्व विसंक्रमण के बिना, नहीं धोयेगा।

;3द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, ऐसी पोशाक, बिस्तर या अन्य सामग्री, जिसमें संक्रमण के होने की संभावना हो, नष्ट करने का निदेश दे सकेगा, तथा इस प्रकार नष्ट की गई पोशाक, बिस्तर या अन्य सामग्री के लिए ऐसा प्रतिकर दे सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

366. संक्रमित व्यक्तियों को ले जाने के लिए विशेष वाहन

;1द्ध ऐसे विनियम के अध्यधीन, जैसा इस निमित्त बनाया जाए, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, स्वयं या किसी अन्य एजेन्सी के माध्यम से, किसी घातक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को अथवा ऐसे रोग से मरने वाले व्यक्तियों की लाश को निःशुल्क ले जाने के लिए उपयुक्त वाहन उपलब्ध करायेगा, और इसका अनुरक्षण करेगा।

;2द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, स्वयं या किसी अन्य एजेन्सी के माध्यम से, ऐसे किसी सार्वजनिक वाहन के विसंक्रमण का उपबधं करेगा, जिससे किसी घातक रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति को अथवा ऐसे रोग से मरने वाले किसी व्यक्ति की लाश को ढोया गया हो।

367. प्रतिषेध

ऐसे विनियम के अध्यधीन, जैसा कि इस निमित्त बनाया जाये, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, प्रतिषिद्ध कर सकेगा—

(क) विसंक्रमित किए बिना, किसी संक्रमित भवन को किराये पर देना,

(ख) विसंक्रमित किए बिना, संक्रमित पदार्थो का विक्रय,

(ग) किसी धोबी या लॉण्ड्री द्वारा संक्रमित वस्त्रों की धुलाई, और

(घ) संक्रमित व्यक्तियों द्वारा भोजन बनाना और बेचना, अथवा वस्त्रों की धुलाई।

368. संक्रामक रोगों आदि के नियंत्रण के लिए विनियम

नगरपालिका, खतरनाक रोगों के नियंत्रण, अवरोध तथा निवारण के लिए, विनियमों को बना सकेगी, और विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति के प्रतिकूल प्रभाव के बिना, और जब राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो, निम्नलिखित मामलों में, विनियमों को बनाएगी—

(क) किसी खतरनाक रोग से ग्रसित या ऐसे किसी रोग के कारण आशंकित संक्रमण या संसर्ग वाले व्यक्तियों पर अवरोध, पृथकता या विलगन,

(ख) संक्रमण या छूत से जोखिम निजी वस्तुओं, माल, मकान या अन्य सम्पत्ति को हटाना, विसंक्रमित करना और नष्ट करना,

(ग) किसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित या संक्रमण या छूत के कारण किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित होने की सम्भावना वाले मरीजों को अस्पताल ले जाना और उपचार करना,

(घ) किसी खतरनाक बीमारी से मृत व्यक्तियों की लाश का त्वरित दाह या दफन,

(ङ) घर—घर भ्रमण और निरीक्षण,

(च) स्वच्छता, वायु संचार एव विसंक्रमण का प्रोन्नयन,

(छ) चाय बागान, फैक्टरी, मिल एवं कारखाना के स्वामियों एवं अध्यासियों तथा अन्य व्यक्तियों, जो, ऐसे किसी एक स्थान पर पचास से अन्यून योजित हों, खतरनाक बीमारियों से ग्रस्त हों, या ग्रस्त होने की सम्भावना वाले व्यक्तियों के संबंध में किसी घातक बीमारी के रोकथाम एवं अधिसूचना के संबंध में कर्त्तव्य,

(ज) उन माता—पिता या अभिभावकों के कर्त्तव्य, जिनके स्कूल जाने वाले बच्चे, जो किसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित हों या पीड़ित रह चुके हों, या संक्रमण या छूत से प्रभावित हों, तथा ऐसा व्यक्ति, जो स्कूल का प्रभारी हो, का ऐसे बच्चों के सबंध में कर्त्तव्य,

(झ) किसी जानवर या किसी जैव उत्प्रवाह से मनुष्य को रैबीज, ग्रंथि, गिलटी, प्लेग, यक्ष्मा, तन्तुकृमि या ऐसी कोई अन्य बीमारी, जिसका संक्रमण जानवरों या शव या किसी जैव उत्प्रवाह से

मनुष्य को होता है, को फैलने की रोकथाम,

(ट) मलेरिया को फैलने से रोकना एवं उन्मूलन, मच्छरों का विनाश, मच्छरों को बढ़ने, फैलने से रोकने की स्थितियों, का उपशमन,

(ठ) मक्खियों या अन्य कीटों से रोगों के फैलने की रोकथाम तथा इनका विनाश तथा इनके प्रजनन एवं बढ़ने की स्थितियों को हटाना और समाप्त करना,

(ड) कृत्तक या अन्य परोपजीवियों का विनाश और इनके आश्रय एवं वृद्वि की स्थितियों को हटाना और समाप्त करना,

(ढ) किसी वृत्ति या व्यवसाय या पेशे से होने वाली किसी खतरनाक बीमारी को फैलने से रोकना,

(ण) किसी कचरा, अपशिष्ट या अन्य पदार्थ या वस्तु, जो संक्रमण या छूत के लिए जोखिम भरी हो, का निस्तारण।

अध्याय—34
मृतकों का निस्तारण

369. मृतकों के निस्तारण। के सम्बन्ध में निषेधित कृत्य

;1द्ध कोई व्यक्ति, नहीं करेगा—

(क) किसी परिसर में शव को बिना जलाए, दफनाए या अन्य विधिपूर्वक निस्तारण के, मृत्यु के बाद इतने अधिक समय तक रखना कि अपदूषण (न्यूसेंस) उत्पन्न हो,

(ख) किसी शव या शव के भाग को, ऐसे शव या शव के भाग को शिष्टतापूर्वक ढँके बिना या सामुदायिक स्वास्थ्य को क्षति या संक्रमण को निवारित करने की पूर्वावधानी

के बिना, जैसा नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, नोटिस द्वारा समय—समय पर अपेक्षा करना उचित समझे, मार्ग से ले जाना,

(ग) कोई अन्य मार्ग उपलब्ध न होने के सिवाय, शव या शव के भाग को ऐसे मार्ग से ले जाना, जो शवों को ले जाने के लिए, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा, इस निमित्त जारी नोटिस द्वारा, निषेधित हो,

(घ) शव या शव के भाग को, जो विच्छेदन के उद्‌देश्य से रखा या प्रयुक्त किया गया हो, किसी बंद वाहन या आधान से अन्यथा, हटाना,

(ङ) शव या शव के भाग को वहन के दौरान बिना किसी आकस्मिक आवश्यकता के, किसी मार्ग पर या के समीप रखना या छोड़ना,

(च) किसी शव या शव के भाग को, किसी कब्र या तहखाने में या अन्यथा किसी प्रकार से ताबूत की सतह, या जहाँ ताबूत का प्रयोग नहीं हुआ है, शव या शव के भाग को भूमि की सतह से दो मीटर से कम नीचे रखवाना,

(छ) किसी कब्रगाह में, किसी अन्य कब्र या तहखाना से आधा मीटर से कम की दूरी पर, कोई कब्र या तहखाना बनाना या खोदना या बनवाना या खुदवाना,

(ज) किसी कब्रगाह में, ऐसी पंक्ति में, जो ऐसे उद्‌देश्य के लिए नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी के आदेश द्वारा या के अधीन, चिन्हित नहीं है, कोई कब्र या तहखाना बनाना या खोदना, या बनवाना

या खुदवाना,

(झ) नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की अनुमति के बिना, शव या शव के किसी भाग को दफनाने हेतु, पूर्व कब्जेवाली कब्र या तहखाने को पुनः खोलना,

(ञ) नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की अनुमति के बिना, किसी पूजा स्थान के चहारदीवारी के भीतर या किसी रास्ता, पोर्च, पोर्टिको, प्लिन्थ या बरामदा के नीचे, कोई कब्र या तहखाना बनाना या दफनाना,

(ट) नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की अनुमति के बिना, किसी शव को, ऐसे स्थान में दफनाना या अन्यथा निस्तारित करना, जो बन्द हो,

(ठ) ऐसे किसी स्थान पर, जो इस अध्याय के अधीन अनुमत नहीं है, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की अनुमति के बिना, कोई कब्र या तहखाना बनाना, खोदना या बनवाना या खुदवाना या किसी अन्य विधि से किसी शव को निस्तारण करना या निस्तारण को होने देना या अनुमति देना,

(ड) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम क्रमांक–2) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन के सिवाय, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की अनुमति के बिना, शव निस्तारण के स्थान से किसी शरीर का उत्खनन करना।

;2द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, विशेष मामलों में, ऐसे सामान्य या विशेष आदेश के अधीन, जैसा राज्य सरकार, समय–समय पर, इस निमित्त बनाये, उपधारा (1) के खण्ड (ञ) से (ड) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए विशेष मामलों में अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा।

;3द्ध उपधारा (1) के खण्ड (ञ) से (ड) के उपबंधों का कोई उल्लंघन, सिविल प्रक्रिया संहिता—1973 के अर्थान्तर्गत एक संज्ञेय अपराध माना जाएगा।

370. मृतकों के निस्तारणा के स्थानों का पंजीकरणा

;1द्ध ऐसे विनियमों के अध्यधीन, जो इस निमित्त बनाए जाएँ, प्रत्येक स्वामी या व्यक्ति, जिसके नियंत्रण में पहले से ही मृतकों के निस्तारण के लिए प्रयुक्त कोई स्थान है, किन्तु जो नगरपालिका या राज्य सरकार द्वारा ऐसे स्थान के प्रशासन के लिए नियुक्त किसी बोर्ड में न निहित हो या न स्वामित्व में हो, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को, ऐसे स्थान के पंजीकरण के लिए एक आवेदन पत्र, ऐसे विवरणों के साथ, जैसा नगरपालिका द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के तीन महीनों के भीतर, प्रस्तुत करेगा।

;2द्ध यदि नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, उपधारा (1) के अधीन आवेदन तथा विवरणों से संतुष्ट हो, वह ऐसी शर्तों और निबंधनों पर, जैसा विनियमों द्वारा विहित किया जाय, ऐसे स्थान को पंजीकृत कर सकेगा।

;3द्ध ऐसे भूमि उपयोग को नियंत्रित करने वाले राज्य विधि के उपबंधों के अध्यधीन, या नगरपालिका क्षेत्र में राज्य विधि में इस निमित्त उपबन्धों की अनुपस्थिति में, राज्य सरकार के अनुमोदन से, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, स्थायी समिति के अनुमोदन से, नगरपालिका क्षेत्र में मृतकों के निस्तारण के लिए उपयुक्त तथा सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराएगा।

;4द्ध कोई स्थान, जो पहले से ही मृतकों के निस्तारण के लिए विधिपूर्वक प्रयुक्त या पंजीकृत नहीं है, ऐसी भूमि के उपयोग को नियंत्रित करने वाली किसी राज्य विधि के उपबन्धों के समनुरूपता के बिना, या नगरपालिका क्षेत्र में, इस निमित्त राज्य विधि के उपबंधों की अनुपस्थिति में, राज्य सरकार के अनुमोदन के सिवाय, ऐसे निस्तारण के लिए नहीं खोली जाएगी।

371. अपंजीकृत

;1द्ध कोई शव, ऐसे स्थान, जो नगरपालिका के रजिस्टर में खुले तौर पर जलाने या दफनाने के

भू–क्षेत्र में जलाने या दफनाने का निषेध

लिए चढ़ा हो, या नगरपालिका द्वारा इस उद्‌देश्य से उपबन्ध कराया गया हो, के अन्यथा, जलाया या दफनाया नहीं जाएगा, किंतु नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, शव को अन्यत्र जलाने या दफनाने की विशेष अनुमति दे सकेगा।

;2द्ध जो कोई, नगरपालिका क्षेत्र के भीतर, ऐसी भूमि पर, जो जलाने या दफनाने के स्थान के रूप में पंजीकृत नहीं है, या जो नगरपालिका द्वारा इस उद्‌देश्य से उपलब्ध नहीं कराई गयी है, जानबूझ कर कोई शव जलाएगा, दफनाएगा या जलवाएगा, दफनवाएगा या ऐसा होना सहन करेगा, वह पॉच हजार रूपये से अनधिक जुर्माना का दायी होगा।

372. मृतक के धार्मिक मत के अनुसार शव को जलवाने या दफनवाने की शक्ति

किसी व्यक्ति की मृत्यु से चौबीस घंटे से अन्यून समय के अवसान के पश्चात, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, ऐसे व्यक्ति के शव को जलवाएगा या दफनवाएगा, और इस पर होने वाला व्यय, ऐसे व्यक्ति के उत्तराधिकारियों से ऋण जैसे वसूलनीय होगा, प्रत्येक मामले में शव को, जहां तक संभव हो, मृतक के धार्मिक मत की रीति से निस्तारित किया जाएगा।

373. मुफलिसों को निःशुल्क दफनाने की व्यवस्था की शक्ति

नगरपालिका, समय–समय पर नगरपालिका निधि से नगरपालिका क्षेत्र के भीतर **लावारिस शवों** को निःशुल्क जलाने तथा दफनाने की व्यवस्था करा सकेगी।

374. श्मशान स्थल पर ईंधन की दुकानों को अनुज्ञप्ति करने की शक्ति

;1द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, समय–समय पर, श्मशान भूमि पर ईंधन और अन्त्येष्टि में प्रयोग होने वाली अन्य सामग्रियों के विक्रय के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा, और यदि ऐसी अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है, ऐसी सामग्रियों की दर की माप विहित करेगा, और कोई व्यक्ति, जो अनुज्ञप्त नहीं हो, ऐसी किसी श्मशान भूमि से तीन सौ गज के भीतर, ऐसे किसी ईधन या अन्य सामग्रियों का विक्रय करेगा या विक्रय की

प्रस्थापना करेगा, पाँच हजार रूपये से अनधिक जुर्माना का भागी होगा।

;2द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, उचित और पर्याप्त कारण पर, जैसा वह ठीक समझे, ऐसी किसी अनुज्ञप्ति को वापस या रद्द कर सकेगा, और कोई व्यक्ति, जिसे ऐसी कोई अनुज्ञप्ति प्राप्त है, ऐसी किसी सामग्री की निश्चित दर से अधिक दर से कीमत वसूलता है, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी के विवेकाधीन, अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण का भागी होगा, और दो हजार रूपये से अनधिक जुर्माना का भी दायी होगा।

375. कब्रगाह या मृतक निस्तारणा को बंद करने की शक्ति

जहाँ नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी का मत हो कि कोई श्मशान स्थल या कब्रगाह या मृतक निस्तारण का स्थान पड़ोस के निवासी व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए संकटकारी या खतरनाक हो गया है, या किसी अन्य कारण से, स्थायी समिति के पूर्व अनुमोदन से, और लिखित नोटिस द्वारा, ऐसे श्मशान स्थल या कब्रगाह या मृतक निस्तारण स्थल के स्वामी, या ऐसे व्यक्ति से, जो ऐसे श्मशान स्थल या कब्रगाह या मृतक निस्तारण स्थल का प्रभारी हो, ऐसे श्मशान स्थल या कब्रगाह या मृतक निस्तारण को, ऐसी तिथि से, जैसा नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाए, बंद करने की अपेक्षा कर सकेगा।

376. मृत पशुओं का निस्तारणा

;1द्ध जब कोई पशु, जो किसी व्यक्ति के प्रभार में है, मर जाता है, ऐसा व्यक्ति ऐसी मृत्यु के चौबीस घंटे के भीतर, या तो,—

(क) मृत पशु के शव को, इस अधिनियम के अधीन चिन्हित या उपलब्ध कराए स्थान पर पशु के शव को अंतिम निस्तारण हेतु, ले जाएगा, या

(ख) मृत्यु की सूचना, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को देगा, जिससे वह पशु के शव को निस्तारित करवा सके।

;2द्ध उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन, मृत पशु के शव के निस्तारण के संबंध में, नगर आयुक्त या

कार्यपालक पदाधिकारी ऐसा शुल्क लगा सकेगा, जैसा नगरपालिका द्वारा, विनियमों द्वारा निर्धारित हो।

;3द्ध जब मृत पशु किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं हो, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, पशु के शव को तत्काल हटवाएगा या निस्तारित कराएगा।

;4द्ध कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अनुसरण में कार्य करने को बाध्य है, यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है, जुर्माना, जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा, से दण्डित होगा।

377. विनियमों को बनाने की शक्ति

नगरपालिका, श्मशान स्थल एवं कब्रगाह और शवों के निस्तारण स्थल के प्रबंधन तथा उपयोग को नियंत्रित करने हेतु, इस अधिनियम के संगत विनियम बना सकेगी।

अध्याय—35

नगरीय वानिकी, पार्क, बगीचे, पेड़ और खेल के मैदान

378. नगरपालिका योजनाएं क्रियान्वित करेगी

;1द्ध नगरपालिका, निम्न के लिए आवश्यक कदम उठाएगी,—

(क) नगरीय वानिकी की अभिवृद्धि,

(ख) सार्वजनिक पार्क बनाने, तथा बागीचे और पेड़ लगाना,

(ग) बच्चों और युवकों के लिए पार्क और खेल के मैदान,

(घ) मार्गों के किनारे बागीचों की व्यवस्था,

(ङ) पौधशालाओं को प्रोत्साहन, और

(च) पुष्प प्रदर्शनियों का आयोजन।

;2द्ध नगरपालिका, समय—समय पर, स्कूली बच्चों और युवकों में जीव—जंतुओं एवं वनस्पतियों की राष्ट्रीय

विरासत के प्रति जागरूकता विकसित करने के लिए कदम उठाएगी।

;3द्ध नगरपालिका, समय—समय पर, अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बागीचों, सार्वजनिक पार्को तथा अन्य खुली जगहों में वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाएगी, तथा वर्षा जल संचयन के लिए जन जागरूकता की अभिवृद्धि हेतु अभियान चला सकेगी।

भाग- VIII
विनियामक क्षेत्राधिकार

अध्याय—36
विकास योजनाएँ

379. जिला योजना समिति या महानगर योजना समिति में प्रतिनिधित्व

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 यघ और अनुच्छेद 243 यङ के उपबन्धों, तथा इनके अध्यधीन अधिनियमित राज्य विधि का ध्यान रखते हुए, नगरपालिका, जिला योजना समिति या महानगर योजना समिति, यथास्थिति, के निर्वाचन में भाग लेगी, और ऐसे सदस्य ऐसी समितियों में नगरपालिका के हितों का सक्रिय प्रतिनिधित्व करेंगे।

380. नगरपालिका द्वारा विकास योजनाओं का क्रियान्वयन

;1द्ध यथास्थिति, जिला योजना समिति या महानगर योजना समिति द्वारा तैयार किए गए विकास प्रारूप जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो, का ध्यान रखते हुए, नगर पालिका, ऐसी विकास योजना के ऐसे अवयवों का क्रियान्वयन करेगी, जो इसके अधिकार क्षेत्र से संबंधित हो, तथा ऐसे कार्य सम्पादित करेगी, जो इस निमित्त इसको सौंपे जायें।

;2द्ध इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता के पूर्वाग्रह के बिना, नगर पालिका, निम्न कार्य करेगी—

(क) अध्याय—37 के अधीन, सुधार हेतु योजनाओं को तैयार करना, और

(ख) जलापूर्ति, जल निकास और मल निकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़कों और परिवहन तंत्र के उपसाधन को शामिल करते हुए, अवसंरचना विकास की योजनाएं।

381. नगर पालिकाओं द्वारा विकास योजनाएं तैयार करना

;1द्ध प्रत्येक वार्ड समिति, प्रत्येक वर्ष, यथा विहित प्रारूप में, वार्ड के विकास के लिए, व्यय प्राक्कलन सहित, अगले वर्ष के लिए विकास योजना तैयार करेगी, जिसे वित्तीय वर्ष के तीन माह पूर्व बैठक में अंतिम रूप देने के बाद नगरपालिका को प्रस्तुत करेगीः

परंतु यह कि नगर निगम के मामले में, वार्ड समिति, विकास योजनाओं को तैयार करने के बाद, क्षेत्रीय समिति को प्रस्तुत करेगी, और क्षेत्रीय समिति अपने अधिकारिता वाले वार्डों की योजनाओं को समेकित करके संबंधित नगरपालिका को प्रस्तुत करेगी।

;2द्ध प्रत्येक नगरपालिका, प्रत्येक वर्ष यथा विहित प्रारूप में, वार्ड समितियों द्वारा इसको प्रस्तुत विकास योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, नगरपालिका क्षेत्र के लिए अगले वर्ष के लिए विकास योजना तैयार करेगी, और इसे निर्धारित तिथि के पूर्व, यथास्थिति जिला योजना समिति या महानगर योजना समिति को प्रस्तुत करेगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए ''विकास योजना'' का तात्पर्य एक विकास योजना से होगा जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और जीवन स्तर की स्थितियों के विकास से संबंधित विषय, जो भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची में वर्णित है, सहित विषय, जिसके लिए प्रशासनिक अधिकार इस अधिनियम या अन्य विधि में नगरपालिका में निहित है।

;3द्ध प्रत्येक नगरपालिका, अपने विकास के लिए एक परिप्रेक्ष्य पंचवर्षीय योजना तैयार करेगी, और इसे यथास्थिति जिला योजना समिति या महानगर योजना समिति को प्रस्तुत करेगी।

;4द्ध उपधारा (2) में उल्लिखित वार्षिक योजना तैयार

करते समय, नगरपालिका, ऐसे कार्यक्रमों पर, जो पूरी
नगरपालिका के लिए लाभकारी हों, जो अधिसंख्य वार्डों, या प्रत्येक वार्ड के लिए लाभकारी हो, इस क्रम में आधारित परियोजना को प्राथमिकता देगी।

;5द्ध नगरपालिका को विकास प्राधिकरणों द्वारा तैयार महानगर योजना के अध्यधीन विस्तृत नगर योजना तैयार करने तथा क्रियान्वयन करने का अधिकार होगा।

382. नगर पालिका को क्रियान्वयन हेतु 'स्कीम' सौंपना

;1द्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, ऐसी शर्तों के अधीन, जिसे लगाना वह उचित समझे, शासकीय राजपत्र में प्रकाशन द्वारा, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय सहित भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची में वर्णित विषयों से संबंधित स्कीम, जैसा वह उचित समझे, नगरपालिका को क्रियान्वयन हेतु सौंप सकती है।

;2द्ध जब राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन कोई 'स्कीम' नगरपालिका को सौंपे, वह उस नगरपालिका को ऐसी धनराशि एवं कार्मिक उपलब्ध करायेगी, जो नगरपालिका को स्कीम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हो।

383. जिला योजना समिति

;1द्ध राज्य सरकार, प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर जिले की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं द्वारा बनायी गयी योजनाओं को समेकित कर पूरे जिले के लिए एक ड्राफ्ट विकास योजना बनाने के लिए, एक जिला योजना समिति का गठन करेगी **जिसमें नगर निकायों के सदस्यों की संख्या एवं कृत इस प्रकार के होंगे, जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाएगा।**

;2द्ध समिति, जिले की पंचायतों एवं नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं को समेकित करेगी, और पूरे जिले के लिए एक प्रारूप विकास योजना तैयार करेगी, तथा जिला नियोजन से संबंधित अन्य ऐसे कार्य, जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में

अधिसूचना द्वारा, सौंपे जाएँ, करेगी।

;3द्ध समिति, प्रारूप विकास योजना तैयार करते समय,—

(क) के संबंध में ध्यान रखेगी—

(i) पंचायतों और नगरपालिकाओं के समान हित के मामले, जिनमें स्थानिक योजना, जल तथा अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों का बंटवारा, आधारभूत संरचना का समेकित विकास और पर्यावरण संरक्षण सम्मिलित हो, और

(ii) वित्तीय या अन्य उपलब्ध संसाधनों का प्रकार एवं मात्रा;

(ख) ऐसे संस्थाओं एवं सगठनों, जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, से परामर्श करेगी।

384. महानगर योजना समिति

;1द्ध राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, महानगर क्षेत्र के विकास के लिए एक ड्राफ्ट विकास योजना तैयार करते हुए, एक महानगर योजना समिति का गठन करेगी।

;2द्ध महानगर योजना समिति में इक्कीस सदस्य होंगे, जिनमें—

(क) चौदह, महानगर क्षेत्र में नगर पालिकाओं और पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों में से, उस क्षेत्र की नगर पालिकाओं और पंचायतों की आबादी के अनुपात में उनके द्वारा यथा विहित रीति से, निर्वाचित किए जायेंगे,

(ख) सात, राज्य सरकार द्वारा नामित किए जायेंगे, जिनमें,—

(i) एक स्थानीय प्रशासन अथवा लोक प्रशासन का अनुभव रखने वाला प्रख्यात व्यक्ति, होगा,

(ii) नगर नियोजन विभाग का वरिष्ठ नगर नियोजक स्तर से अन्यून एक पदाधिकारी, होगा,

(iii) मुख्य अभियंता स्तर से अन्यून श्रेणी का एक पदाधिकारी, होगा,

(iv) नगर विकास विभाग का प्रभारी

राज्य सरकार का सचिव, होगा।

;3द्ध उस जिले का उपायुक्त, जिस जिले में महानगर क्षेत्र हो, या जहाँ महानगर क्षेत्र में एक से अधिक जिले हों, राज्य सरकार द्वारा नामित, किसी एक जिले का उपायुक्त।

;4द्ध महानगर क्षेत्र के नगर निगम का महापौर, समिति का उपाध्यक्ष होगाः

परंतु यह कि महानगर क्षेत्र में जब एक से अधिक नगर निगम हों, एक महापौर, राज्य सरकार द्वारा चक्रानुक्रम में नामित किया जाएगा।

;5द्ध समिति का अध्यक्ष, राज्य सरकार के नगर विकास विभाग का प्रभारी मंत्री, होगा।

;6द्ध समिति का एक सचिव होगा, जो राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।

;7द्ध उपधारा (2) के खण्ड (क) में उल्लिखित सदस्य, राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा—निर्देशों, पर्यवेक्षण और नियंत्रण में निर्वाचित होंगे।

;8द्ध जहाँ सरकार का मत हो कि केन्द्र या राज्य सरकार और किसी संस्थान या संगठन का प्रतिनिधित्व समिति को सौंपें गए कार्यो के निर्वहन के लिए आवश्यक है, वह, संबंधित सरकार या संगठन या संस्थान के प्रतिनिधियों को आमंत्री के रूप में सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन के सीमित प्रयोजन हेतु, शामिल करने का उपबन्ध कर सकेगी।

;9द्ध समिति, पूरे महानगर क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना तैयार करेगी, तथा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर सौंपे गए महानगर क्षेत्र के नियोजन एवं समन्वय संबंधी कार्यो को करेगी।

;10द्ध समिति, प्रारूप विकास योजना तैयार करने में,—

(क) के संबंध में ध्यान रखेगी—

(i) महानगर क्षेत्र की नगर पालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार योजनाएं,

(ii) पंचायतों और नगर पालिकाओं के समान हित के मामले, जिनमें समन्वित स्थानिक योजना, जल तथा अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों का बंटवारा, आधारभूत संरचना का समेकित विकास और पर्यावरण संरक्षण सम्मिलित हो,

(iii) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण उद्देश्य एवं प्राथमिकताएं,

(iv) केन्द्र और राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा संभावित निवेश की प्रकृति और सीमा तथा अन्य उपलब्ध वित्तीय या अन्य स्रोत;

(ख) ऐसे संस्थानों और संगठनों से, जैसा राज्य सरकार, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, परामर्श करना।

;11द्ध महानगर योजना समिति द्वारा संस्तुत योजना, सचिव द्वारा, राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु अग्रसारित की जाएगी।

;12द्ध महानगर योजना समिति की बैठकों की प्रक्रिया, गणपूर्ति को सम्मिलित करते हुए, ऐसे नियमों से, जैसा विहित किया जाय, शासित होगी।

अध्याय—37
सुधार

385. संकुलित भवनों का हटाया जाना

;1द्ध यदि, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को ऐसा प्रतीत हो कि भवनों का कोई खंड, भवनों के अत्यधिक भीड़ या तंगी, बंदी या गलियों की खराब व्यवस्था, या समुचित नालियों और हवा की कमी या भवनों की सफाई में अव्यावहारिक या किन्हीं अन्य कारणों के चलते, जो लिखित में विनिर्दिष्ट हों, के कारण अस्वास्थ्यकर दशा में है, वह, भवन के ऐसे खंड का निरीक्षण मुख्य नगर स्वास्थ्य पदाधिकारी और मुख्य नगर अभियन्ता द्वारा करवायेगा, जो ऐसे खण्ड के भवनों के स्वामी तथा अधिवासियों और

अस्वास्थ्यकर दशा से प्रभावित भवनों के स्वामी तथा दखलदारों से सलाह करेंगे, और तदुपरांत, लिखित रूप में, भवनों के ऐसे खण्ड की स्वच्छता संबधी दशा पर, एक प्रतिवेदन, उसे प्रस्तुत करेंगे।

;2द्ध यदि, उपधारा (1) के अधीन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी समझता है कि भवनों के ऐसे खंड की सफाई की दशा, ऐसे भवनों के निवासियों अथवा पड़ोस को बीमारी का खतरा बन सकती है, अन्यथा सामुदायिक स्वास्थ को खतरा है, वह स्थायी समिति के अनुमोदन से, भवनों के ऐसे खण्ड की अस्वास्थ्यकर दशा को कम करने के लिए, ऐसे भवनों को, जो उसकी राय में, पूर्णतः या अंशतः हटाये जाने आवश्यक हों, को चिन्हित करेगा, तथा तदुपरांत ऐसे भवनों के स्वामी को, लिखित सूचना के माध्यम से, सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, उन्हें हटाने की अपेक्षा करेगाः

परन्तु यह कि सूचना निर्गत करने के पूर्व भवनों के स्वामियों को उपयुक्त अवसर, लिखित अथवा व्यक्तिगत रूप से कारण पृच्छा उपलब्ध कराने हेतु, दिया जायेगा कि क्यों न भवनों को हटा दिया जायः

परन्तु यह और कि नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, विधिक रूप में निर्मित ऐसे भवनों के हटाने पर, ऐसे किसी भवन के स्वामी को क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा।

;3द्ध यदि उपधारा (2) के अधीन, किसी भवन के स्वामी से ऐसा भवन हटाने की अपेक्षा करने वाली सूचना का अनुपालन न किया जाय, सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के समापन के पश्चात, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, स्वयं ऐसे भवनों को हटवा देगा, और भवन के स्वामी से, ऐसे हटाने पर हुए व्यय की वसूली, इस अधिनियम के अधीन कर के बकाये के रूप में, कर सकेगा।

386. मानव निवास

;1द्ध यदि, सूचना अपने पास होने पर, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी संतुष्ट हो कि कोई

हेतु अनुपयुक्त भवन के सुधार की अपेक्षा की शक्ति

भवन मानव निवास के लिए किसी भी तरह अनुपयुक्त है, तथा उसकी राय में भवन युक्तियुक्त व्यय किए बिना रहने योग्य नहीं है, वह भवन स्वामी को, विहित अवधि के भीतर, जो उसकी सूचना में विनिर्दिष्ट होगी, और वह अवधि तीस दिनों से कम नहीं होगी, भवन में अपेक्षित सुधार कार्य सम्पन्न करने हेतु नोटिस देगा, और उसमें बतायेगा कि उसकी राय में ऐसा कार्य भवन को मानव निवास के उपयुक्त बना देगा।

;2द्ध उपधारा (1) के अधीन भवन के स्वामी को सूचना देने के अतिरिक्त, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, सूचना की प्रति, भवन में हित रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति, चाहे वह पट्टाधारी या बंधकग्राही या अन्य व्यक्ति हो, को भी देगा।

;3द्ध यह नियत करते समय कि क्या समुचित व्यय कर किसी भवन को मानव निवास हेतु उपयुक्त बनाया जा सकता है, भवन को ऐसा उपयुक्त बनाने के लिए आवश्यक कार्यो पर आकलित लागत तथा कार्य पूर्ण हो जाने पर भवन का आंकलित मूल्य, को ध्यान में रखा जायेगा।

;4द्ध यदि उपधारा (1) के अधीन नोटिस के अनुसार भवन का स्वामी भवन में सुधार हेतु निर्माण कार्य पूरा नहीं करे, तो नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि बीत जाने के बाद, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, सूचना द्वारा, अपेक्षित निर्माण कार्य स्वयं पूरा करवायेगा, तथा इस संबंध में हुए व्यय को इस अधिनियम के अधीन कर के बकाये के रूप में, वसूल कर सकेगा।

;5द्ध जब कभी, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को यह प्रतीत हो कि कोई भवन असुरक्षित और परित्यक्त होने के कारण या ध्वंस हो जाने के कारण न्यूसेंस उत्पन्न कर रहा है या सांप या अन्य हिंसक जीवों का **आश्रय** बन गया है, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, ऐसे भवन के स्वामी या ऐसी भूमि, जिससे ऐसा भवन संलग्न है, के स्वामी को नोटिस देकर, इसको सुरक्षित करने या हटाने या ध्वंस को समतल, जैसी आवश्यकता हो, करने की अपेक्षा करेगा।

;6द्ध जब कभी ऐसी भूमि, जो निजी सम्पत्ति हो, जहां घनी वनस्पतियॉ या झाड़—झंखाड़ हो, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या वायु के सुगम प्रवाह के लिए अवरोधक हो, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, ऐसी भूमि के मालिक या अधिभोगी को नोटिस देकर, नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, ऐसी वनस्पतियों या झाड़—झंखाड़ को साफ करने और हटाने की अपेक्षा करेगा।

;7द्ध (क) नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, स्थायी समिति के अनुमोदन से, सामान्य आदेश द्वारा, पूर्व में प्राप्त विशेष अनुमति के बिना, मिट्टी या पत्थर निकालने के उद्देश्य से या कूड़ा—करकट या घृणोत्पादक सामग्री एकत्र करने या टंकी, गड्ढा तथा नाबदान खोदने या बनाने के लिए गड्ढा खोदने को, प्रतिषिद्व कर सकेगा,

(ख) यदि कोई व्यक्ति, जो इस उपधारा के खण्ड (क) के अधीन दिये गये आदेश का उल्लंघन करता है, दो हजार रूपये से अनधिक जुर्माना का दायी होगा।

;8द्ध यदि, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी का, स्थायी समिति के अनुमोदन से, यह मत हो कि किसी विशेष प्रकार की फसल की बुआई या किसी प्रकार की खाद का प्रयोग या भूमि की किसी विशिष्ट प्रकार की सिंचाई—

(क) नगर पालिका की सीमा में, किसी स्थान पर स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है अथवा ऐसे अभ्यासों को बढ़ाता है, जो पड़ोस में निवास करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो,

(ख) किसी स्थान में, नगर पालिका की सीमा के अंदर या बाहर, नगर पालिका की जलापूर्ति को प्रदूषित कर सकती हो या अन्यथा इसे पीने के अनुपयुक्त बनाना संभावित हो, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, तथा राज्य सरकार, नगर पालिका से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, सार्वजनिक सूचना के माध्यम से, ऐसी फसल उगाने , ऐसी खाद का प्रयोग करने या ऐसी

सिंचाई की विधि का प्रयोग करने पर रोक लगा सकेगी, या इस सबंध में ऐसी शर्त निर्धारित करेगी, जिससे इससे होने वाली हानि रोकी जा सकेः

परंतु यह कि यदि निषेधित कार्य सामान्य रूप से किसी कृषि कर्म में किसी समय पूर्ववर्ती पॉच वर्ष के दौरान किये जाता रहा हो, ऐसे समस्त व्यक्तियों को, जो इस निषेध से प्रभावित हुए हों, निर्धारित दर पर नगर पालिका निधि से क्षति–पूर्ति का भुगतान किया जायेगा।

387. मानव निवास के लिए अनुपयुक्त भवन को ढाहने की शक्ति

;1द्ध जब, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, अपने पास सूचना होने पर, सन्तुष्ट हो कि कोई भवन मानव निवास के लिए अनुपयुक्त है, तथा युक्तियुक्त खर्च करने पर उपयुक्त नहीं किया जा सकता, तो वह भवन के मालिक तथा उस भवन में कोई हित रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति, चाहे पट्टाधारी हो या गिरवीदार या अन्य, सूचना में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर, कारण बताने को कहेगा कि क्यों नहीं भवन को ढाहने का आदेश दिया जाय।

;2द्ध यदि उपधारा (1) के अधीन, भवन के स्वामी या कोई अन्य व्यक्ति, जिस पर नोटिस तामील किया गया हो, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष स्वयं प्रस्तुत हो, या और यह वचन दे कि वह नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर मानव निवास हेतु, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की इच्छा के अनुरूप, उस भवन से संबंधित सुधारात्मक निर्माण कार्य पूरा कर देगा, अथवा वह भवन मानव निवास के लिए तब तक उपयोग नहीं किया जायेगा, जब तक नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, भवन ऐसे निवास हेतु उपयुक्त हो गया, संतुष्ट न हो ले, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी भवन ढाहने का आदेश नहीं देगा।

;3द्ध यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट वैसा वचनबद्ध न दिया जाये, अथवा यदि कोई वचनबद्ध किया जाता है परन्तु सुधारात्मक निर्माण कार्य, जो उस वचनबद्ध से संबंधित है, निर्दिष्ट अवधि के भीतर

पूरा नहीं किया जाता हो, अथवा भवन को वचनबद्ध का उल्लंघन कर उपयोग किया जाता हो, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, आदेश में निर्दिष्ट अवधि, जो आदेश की तिथि से तीस दिन से अन्यून हो, के भीतर भवन खाली करने का आदेश देगा, और उस अवधि की समाप्ति के छः सप्ताह के भीतर भवन को ढहा देगा।

;4द्ध जब उपधारा (3) के अधीन भवन ढाहने का आदेश दिया गया हो, तो भवन का स्वामी या उस भवन में हित रखने वाला कोई व्यक्ति, उस भवन को आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ढाह देगा, और यदि भवन उस अवधि के भीतर ढहा नहीं दिया, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, उस भवन को ढाह देगा और उसकी सामग्रियों को बेच देगा।

;5द्ध यदि उपधारा (4) के प्रयोजनार्थ, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किये जाने वाला व्यय भवन के सामग्री की बिक्री से पूरा नहीं किया जा सके, तो शेष राशि, भवन के स्वामी या इसमें हित रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति से, इस अधिनियम के अधीन कर के बकाये के रूप में वसूल की जायेगी।

;6द्ध कोई व्यक्ति, जो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन जारी नोटिस के पालन में असफल रहता है, वह, दो हजार रूपये से अनधिक जुर्माना, तथा उस पर नोटिस के तामील होने के आठ दिन बीतने के दौरान व्यतिक्रम जारी रहने पर, दो सौ रूपये प्रतिदिन अग्रेतर जुर्माना, का दायी होगा।

;7द्ध इस धारा के प्रयोजनार्थ, यह नियत करने के लिए कि क्या भवन मानव निवास हेतु अनुपयुक्त है, उसकी स्थिति, निम्नलिखित कारकों पर निर्भर होगी, जैसे—

(क) मरम्मत,

(ख) स्थायित्व,

(ग) नमी से मुक्ति,

(घ) प्राकृतिक रोशनी एवं वायु,
(ङ) जलापूर्ति,
(च) नाली (जल निकास) एवं स्वच्छता सुविधाएँ, तथा
(छ) भंडारण, खाद्य पदार्थो की तैयारी एवं पकाना तथा कूड़ा–करकट, गन्दगी और दूषित चीजों के निस्तारण की व्यवस्था;

और भवन को मानव निवास हेतु अनुपयुक्त समझा जायेगा, यदि ऊपर बताये कारकों में एक या अधिक इतने दोषयुक्त हों कि उस भवन में उसी रूप में युक्तियुक्त रूप से रहना उचित नहीं है।

;8द्ध इस धारा के प्रयोजनार्थ, भवन में सुधारात्मक कार्य के लिए निम्नलिखित निर्माण में से एक या अधिक कार्य को शामिल किया जायेगा, जैसे–

(क) आवश्यक मरम्मत,
(ख) ढांचा परिवर्तन,
(ग) प्रकाश बिन्दु (स्थान) और जल टोंटी का उपबन्ध,
(घ) खुली या बंद नाली का निर्माण,
(ङ) शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था,
(च) अतिरिक्त या सुधारे गये उपस्कर और जुड़नार,
(छ) आंगन को खुला रखना या खड़ंजा बनवाना,
(ज) कूड़ा–करकट, गंदगी तथा अन्य दूषित चीजों और घृणित वस्तुओं को हटाने, तथा
(झ) नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी के मत में, अन्य कोई कार्य, जिसमें किसी भवन या उसके भाग को तोड़ना शामिल है, जो ऊपर बताये गये कार्यो को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो।

;9द्ध इस धारा के उपबन्ध उस क्षेत्र के किसी भवन पर नहीं लागू होगें, जो सुधार या स्वच्छता की दृष्टि से किसी राज्य नियम के अधीन मलिन बस्ती (स्लम क्षेत्र) घोषित हो।

388. परित्यक्त या खाली परिसर

यदि, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को यह प्रतीत होता है कि कोई भवन या ढाँचा, परित्यक्त या खाली पड़ा है, तथा उपद्रवी व्यक्तियों के समागम स्थल के रूप में बदल चुका है, या इसकी दशा के कारण पड़ोस की सुविधाओं के लिए गम्भीर रूप से हानिकर है, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, ऐसे भवन या ढाँचे के स्वामी को, यदि वह नगर पालिका की सीमा में निवासी के रूप में पाया जाता है, या किसी व्यक्ति को, जो ज्ञात हो, या स्वामी होने का दावा करता विश्वास किया जाता हो, यदि वह व्यक्ति नगर पालिका की सीमा में निवास करता है, को एक लिखित नोटिस देगा, तथा उसकी एक प्रतिलिपि उस भवन या ढाँचे के सहज दृश्य भाग में चस्पा करेगा, तथा ऐसे समस्त व्यक्तियों को, जो इस भवन या ढाँचे में कोई अधिकार या हित रखते हों, यह आदेश ग्रहण करने की अपेक्षा करेगा, जो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की राय में पूर्व स्थिति में हो जाने या पड़ोस की सुविधाओं को गंभीर रूप से प्रभावित करने से रोकने के लिए आवश्यक हो।

389. निचले भू–स्थलों का सुधार

;1द्ध यदि किन्हीं कारणों से, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि भवन निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल का स्तर इतना नीचे है कि ऐसा भवन अस्वास्थ्यकर बन सकता है या न्यूसेंस का स्रोत हो सकता है, तो वह, स्थल, जिस पर भवन निर्माण प्रस्तावित है, के स्वामी को, एक लिखित नोटिस देकर, नोटिस प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर कारण बताने को कहेगा कि क्यों न स्थल का सुधार, ऐसी अवधि में, जो नोटिस के दिनांक से छः माह से अन्यून हो, ऐसी सामग्री से तथा ऐसी ऊँचाई तक, जैसा नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी उचित समझे, किया जाय, और नोटिस में नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, उस लागत को भी विनिर्दिष्ट करेगा, जिस पर स्थल को, नगर पालिका के अभिकरण द्वारा, यदि स्वामी उस एजेंसी को लगाना चाहे, सुधारा या उठाया जा सकता है।

;2द्ध यदि पूर्वोक्त अवधि में नोटिस का प्रत्युत्तर नहीं

प्राप्त होता है, या स्वामी द्वारा दिया गया उत्तर अपर्याप्त प्रतीत होता है, या ठीक नहीं पाया जाता है, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, लिखित नोटिस द्वारा ऐसे स्वामी या अधिभोगी को निर्देशित कर सकेगा–

(क) स्थल का विनिर्दिष्ट अवधि में सुधार तथा ऊँचा करना, या

(ख) उक्त नोटिस की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, नगरपालिका अभिकरण द्वारा स्थल सुधार और ऊँचा करने हेतु प्रस्तावित लागत का भुगतान नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को किया जाना।

;3द्ध यदि स्वामी विनिर्दिष्ट समय में, विनिर्दिष्ट सामग्री से स्थल का सुधार करने और विनिर्दिष्ट ऊँचाई तक उठाने में असफल रहता है, या स्थल को उठाने एवं सुधार हेतु प्राक्कलित लागत का भुगतान नहीं किया है, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, कार्य शुरू करके पूरा करेगा, और लागत की वसूली स्वामी से की जायेगी।

390. दुर्गम स्थल पर भवन पुनर्निर्माण निषेध की शक्ति

;1द्ध यदि कोई भवन, ऐसा अवस्थित है जहाँ अग्निशमन वाहन की पहुँच नहीं है अथवा अग्निशमन वाहन को स्थल तक पहुँचने में अवरोध उत्पन्न करता है, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, भवन स्वामी को संबोधित लिखित नोटिस देकर, भवन के ऐसे भाग को ढहाने का आदेश देगा, जिससे अग्निशमन वाहन की स्थल तक पहुँच हो सके।

;2द्ध कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के उल्लंघन में किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण नहीं करेगा।

391. कुछ मामलों में किसी परिसर से भवन सामग्री को हटाना

यदि नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी परिसर में या इसके ऊपर पत्थर, धरन, भवन सामग्री या भवन सामग्री का मलबा ऐसी मात्रा या ढेर में रखा है या इकट्ठा किया गया है कि वह चूहे या हिंसक जानवरों के रहने का स्थान बन गया है, या उक्त परिसर के अध्यासियों या पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के लिए अन्यथा खतरा या न्यूसेंस का

स्रोत है, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, ऐसे परिसर के स्वामी या उसमें एकत्रित या रखे गये पदार्थों या मलवे के स्वामी को, लिखित नोटिस द्वारा, उसे हटाने या निस्तारित करने, या ऐसे साधन अपनाने, जो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी के मत में, न्यूसेंस को कम करने, या पुनः होने से रोकने के लिए, आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, की अपेक्षा कर सकेगा।

392. भवन का विसंक्रमण एवं सफाई

;1द्ध यदि नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी इस मत का हो, कि किसी भवन का स्वामी या अधिवासी, गंदगी या अस्वास्थ्यकर स्थितियों के कारण पीड़ित है, तो वह एक नोटिस देकर चौबीस घंटे के भीतर उसकी सफाई करने या अन्यथा सही स्थिति में रखने की अपेक्षा करेगा, और तदुपरांत उसे साफ और समुचित स्थिति में रखने के लिए, और यदि स्वच्छता की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो, तो किसी भी समय, नोटिस देकर, भवन के अध्यासी को, ऐसे भवन को चूने से पुताई करने या नोटिस में विनिर्दिष्ट तरीके से एवं विनिर्दिष्ट अवधि में, भवन को बाहर और भीतर से सफाई करने हेतु निर्देशित कर सकेगा।

;2द्ध यदि नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी इस मत का हो, कि किसी भवन या उसके किसी भाग से सफाई या गंदगी हटाने के बाद भी उसमें संक्रमण या बीमारी के रूकने की संभावना है, तो वह किसी भी समय नोटिस देकर, भवन के अध्यासी को, नोटिस में विनिर्दिष्ट तरीके से एवं विनिर्दिष्ट अवधि में, सफाई करने हेतु निर्देशित कर सकेगा।

393. क्षेत्र सुधार योजना

यदि नगरपालिका, अपने क्षेत्र के भीतर किसी निर्मित क्षेत्र के संबंध में जानकारी प्राप्ति के आधार पर संतुष्ट है कि–

(क) उस क्षेत्र के भवन उसमें त्रुटिपूर्ण मरम्मत या स्वच्छता की कमी के कारण मानव निवास की दृष्टि से अनुपयुक्त है, अथवा उसके खराब प्रबंधन या गली की संकीर्णता एवं गली की खराब व्यवस्था

या रोशनी, वायु, रोशनदान अथवा उचित जनसुविधाओं की कमी के कारण वहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक या हानिकारक है, या

(ख) बुरे अभिन्यास या लुप्त या अवांछनीय निवास घरों के कारण ऐसे क्षेत्र का नवीकरण आवश्यक है, या

(ग) आवागमन तथा यातायात सुविधाओं के नये या सुधरे साधनों को सृजित करने की आवश्यकता है, और इन कमियों को दूर करने के लिए सबसे संतोषजनक तरीका ऐसे क्षेत्र के लिए क्षेत्र सुधार योजना तैयार किया जाना है,

तो वह ऐसा करने के लिए संकल्प पारित कर सकती है।

स्पष्टीकरण— इस धारा तथा धारा—394 के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति 'निर्मित क्षेत्र' का अर्थ उस क्षेत्र से है जो स्थायी समिति के विचार से सघन रूप से निर्मित हो।

394. क्षेत्र सुधार योजना के अंतर्गत उपबंधित किए जाने वाले मामले

क्षेत्र सुधार योजना, निम्न में से सभी या किसी एक के लिए व्यवस्था करेगी, यथा—

(क) रिक्त या पूर्व से निर्मित भूमि के लिए, अभिन्यास या पुनः अभिन्यास बनाना,

(ख) नीची, दलदली या अस्वास्थ्यकर क्षेत्र को भरना या सुधार अथवा भूमि को बराबर करना,

(ग) योजना में सम्मिलित सम्पत्ति के स्वामियों को स्थलों का पुनर्वितरण,

(घ) भू—खंडों का पुनर्गठन,

(ङ) भवनों का निर्माण या पुनर्निर्माण,

(च) किसी भवन या किसी वर्ग के भवनों के निर्माण या पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगाना,

(छ) किसी भवन के चारो तरफ खुला स्थल व्यवस्थित किये जाने, विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्वीकृत भवनों के भू—खण्ड के लिए निर्मित क्षेत्र का प्रतिशत, संख्या, ऊँचाई तथा स्वरूप, भूखण्डों का उपविभाजन, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी क्षेत्र में

भूमि या भवन के आपत्तिजनक उपयोग पर रोक, पार्किंग स्थल, और किसी भवन के लिए भार लादने या उतारने के स्थान, तथा विज्ञापन संकेतों के संबंध में शर्तों एवं प्रतिबंधों का अधिरोपण करना,

(ज) मानव–निवास के लिए अनुपयुक्त भवनों या भवनों के भागों को बंद करना या ढाहना,

(झ) आपत्तिजनक भवनों या उनके भागों को ढाहना,

(ञ) नई गली या सड़क बनाना, तथा गली या सड़क को बंद करने तथा आवागमन के अन्य साधनों का निर्माण, दिक्परिवर्तन, विस्तार, बदलाव, सुधार,

(ट) गलियों की नियमित पंक्तियाँ और गलियों की नियमित पंक्तियों के अंतर्गत भवनों पर प्रतिबंध,

(ठ) पुलों या अन्य ढांचों का निर्माण, बदलाव तथा हटाना,

(ड) यातायात अभियंत्रण योजना, मार्ग प्रकाश, गली उपस्कर तथा अन्य सुविधाओं का उपबन्ध,

(ढ) जलापूर्ति, मल जल व्यवस्था, सतह या अवमृदा नाली तथा मल निकासी की व्यवस्था करना,

(ण) खुले स्थलों का उपबन्ध,

(त) ऐतिहासिक महत्व या राष्ट्रीय हित या प्राकृतिक सौन्दर्य के विषय तथा वास्तविक रूप में धार्मिक उद्देश्यों के लिए व्यवहृत भवनों की संरक्षा एवं सुरक्षा, और

(थ) कोई अन्य मामले, जो इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो, तथा जिसके लिए नगरपालिका की दृष्टि में, योजना से संबंधित क्षेत्र के सुधार के लिए उपबन्ध करना उचित हो।

395. नगरपालिका और राज्य सरकार को क्षेत्र सुधार योजना का

;1द्ध प्रत्येक क्षेत्र सुधार योजना, जैसे ही तैयार हो जाय, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नगरपालिका को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी, जिसे वह बिना संशोधन के या ऐसे संशोधन के साथ, जैसा वह आवश्यक समझे, स्वीकृत करेगी, अथवा योजना को नगर आयुक्त

प्रस्तुतीकरण
ा

या कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश देते हुए अस्वीकार करेगी कि बताये गये निर्देशों के आलोक में एक नई योजना तैयार करे।

;2द्ध उपधारा (1) के अधीन नगरपालिका द्वारा स्वीकृत कोई क्षेत्र सुधार योजना, जिसमें भूमि का अधिग्रहण और राज्य सरकार से कोई भी आर्थिक सहायता का उपबंध सन्निहित हो, तब तक मान्य नहीं होगी, जब तक राज्य सरकार द्वारा उसे अनुमोदित नहीं किया जाय।

396. पुनः आवास योजना

इस अध्याय के अधीन, किसी क्षेत्र के लिए कोई सुधार योजना तैयार करते समय, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, वैसे व्यक्तियों, जिसे क्षेत्र सुधार योजना के कार्यान्वयन द्वारा सम्भवतः हटाया जाने वाला हो, के लिए स्थान उपलब्ध करने के लिए भवनों के निर्माण, रख रखाव और प्रबंधन के लिए एक योजना (इस अधिनियम में इसके पश्चात् पुनः आवास योजना के रूप में संदर्भित) भी तैयार करेगा।

397. क्षेत्र सुधार योजना और पुनः आवास योजना को ढांचा योजना के साथ मिला देना

इस अध्याय के अधीन, कोई क्षेत्र सुधार योजना या पुनः आवास योजना, तब तक मान्य नहीं होगी, जब तक ऐसी योजना नगरपालिका क्षेत्र के लिए ढांचागत योजना, यदि कोई हो, के उपबंधों के समरूप न हो।

स्पष्टीकरण– ''ढांचागत योजना'' का अर्थ वैसी योजना से है जो उत्तरवर्ती स्थानीय योजना की तैयारी के लिए विस्तृत अनुकूल ढाँचा मुहैया कराती हो और क्षेत्रीय तत्व, यातायात जुड़ाव तथा रोजगार, आश्रय एवं पर्यावरण को ध्यान में रखती हो।

398. क्षेत्र सुधार योजना का कार्यान्वयन

इस अध्याय के अधीन तैयार किसी क्षेत्र सुधार योजना का कार्यान्वयन स्वयं नगरपालिका या वैसे व्यक्ति या प्राधिकार, जिसे अध्याय–23 के अधीन स्थायी समिति द्वारा चुना गया हो, द्वारा किया जायेगा।

399. क्षेत्र सुधार

इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, नगरपालिका, वैसे किसी भूमि या भवन का, जो

योजना के लिए भूमि और भवन को अधिग्रहणा करने की शक्ति

नगरपालिका क्षेत्र में अवस्थित हो या नहीं हो,निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए, अधिग्रहण कर सकती है–

(क) किसी घने (अति संकुल) या अस्वास्थ्यकर क्षेत्र को खोलने या नगरपालिका क्षेत्र के किसी भाग को अन्यथा विकसित करने, या

(ख) कामकाजी और गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्यकर निवास के निर्माण, या

(ग) नगरपालिका क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए किसी विकास योजना या स्कीम का कार्यान्वयन।

400. मलिन बस्ती की सीमाओं को परिभाषित और परिवर्तित करने की नगरपालिका की शक्ति

नगरपालिका, किसी मलिन बस्ती की वाह्य सीमाओं को परिभाषित कर सकेगी, और समय–समय पर उसमें परिवर्तन कर सकेगी।

401. मलिन बस्ती सुधार योजना

;1द्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नगरपालिका, राज्य सरकार के अनुमोदन से, मलिन बस्ती के पर्यावरण अथवा सामान्य सुधार को प्रभावी करने के प्रयोजनार्थ, सर्वेक्षण कर सकेगी एवं ऐसी सुधार योजना तैयार कर सकेगी, जैसा वह आवश्यक समझे, और ऐसी योजना की प्रति, यथाविहित रीति से, प्रकाशित कर सकेगी।

;2द्ध मलिन बस्ती सुधार योजना में, निम्नलिखित सभी मामलों अथवा किसी एक मामले का उपबंध किया जा सकेगा–

(क) जलापूर्ति, जिसमें नलकूपों को गाड़ने, जल पाइप बिछाने, उपरिटंकी का प्रतिस्थापन शामिल है,

(ख) जल निकास और मल–जल निकास, जिसमें किसी विद्यमान नाली अथवा

मुख्य मल–मोरी के साथ संयोजन अथवा नाली बिछाने या दिक्‌परिवर्तन शामिल है,

(ग) शुष्क (सेवा) शौचालयों को सेप्टिक टैंक शौचालयों में अथवा मुख्य मल–मोरी से जुड़े हुए जलवाह शौचालय में परिवर्तन,

(घ) शौचालयों और मूत्रालय में फ्लश की व्यवस्था,

(ङ) मलजल तथा कूड़ा करकट को हटाना,

(च) भूमि को ऊँचा, नीचा या समतल करना और पगडंडी एवं मार्गो में सुधार,

(छ) प्रकाश जिसमें केबल या शिरोपरिलाइन बिछाना शामिल है,

(ज) भूमि का अधिकार एवं आवास,

(झ) सामाजिक सुरक्षा,

(ञ) शिक्षा,

(ट) स्वास्थ्य,

(ठ) आजीविका,

(ड) ऐसे अन्य मामले, जो इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे जाएं।

;3द्ध किसी मलिन बस्ती सुधार योजना का अनुमोदन करते समय, राज्य सरकार, उपधारा (2) में निर्दिष्ट सभी मामलों या किसी मामले को प्रभावी करने वाले अभिकरणों अथवा प्राधिकारों के कार्यकलापों को ध्यान में रखेगी।

402. उपयोगकर्ता के अधिकार का अधिग्रहण

;1द्ध यदि किसी समय मलिन बस्ती के संबंध में किसी सुधार योजना को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ, किसी मलिन बस्ती में या उसके चारों ओर, किसी भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार को अधिगृहीत करना आवश्यक हो जाए, तो राज्य सरकार, नगरपालिका की इस निमित्त सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसा अधिकार अधिगृहीत करने के लिए अपने आशय की घोषणा कर सकेगी, और इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से सुझाव अथवा आपत्ति, ऐसे समय के भीतर, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, माँग सकेगी।

;2द्ध उपधारा (1) के अधीन प्राप्त प्रत्येक सुझाव अथवा आपत्ति पर सभी प्रभावित व्यक्तियों को व्यक्तिगत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात् नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सुनवाई की जाएगी।

;3द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, उपधारा (2) के अधीन सुनवाई के पश्चात्, और इस निमित्त ऐसी जाँच, जैसा वह आवश्यक समझे, करने के बाद, स्थायी समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

;4द्ध स्थायी समिति की राय पर विचार करने के पश्चात्, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि ऐसी भूमि में उपयोगकर्ता का अधिकार अधिगृहीत किया जाएगा।

;5द्ध उपधारा (4) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से, ऐसी भूमि में उपयोगकर्ता का अधिकार नगरपालिका में समस्त ऋण—भार से मुक्त निहित होगा।

403. मलिन बस्ती में निष्पादित किया जानेवाला कार्य

इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, पर्यावरण की सफाई के कारणों से किसी मलिन बस्ती में, निम्नलिखित कार्य कराएगा—

(क) मलिन बस्ती के भीतर जल पाइप बिछाने, उपरिटंकी के प्रतिस्थापन सहित नलकूपों को गाड़ना,

(ख) नालियाँ बिछाना या विद्यमान नालियों का दिशा परिवर्तन,

(ग) सेवा (शुष्क) शौचालयों को संयोजित शौचालयों या सेप्टिक टैंक में परिवर्तित करना,

(घ) शौचालयों एवं मूत्रालयों में फ्लशिंग व्यवस्था के अनुरक्षण के लिए आवश्यक अन्य साज सामान,

(ङ) मोरी से गाद और सेप्टिक टैंक से अवमल हटाना,

(च) शौचालयों अथवा सेप्टिक टैंकों से संबद्ध डेक अथवा बैठने वाला चबूतरा की सफाई सहित ठोस या तरल अपशिष्ट हटाना,

(छ) आंतरिक सड़कों का बिछाना,

(ज) मार्ग प्रकाश की व्यवस्था करना, और

(झ) खंड (क) से (च) में उल्लिखित किसी कार्य से संबंधित मरम्मत का कार्य।

404. नगरपालिका द्वारा महायोजना तैयार करने की अपेक्षा करने की सरकार की शक्ति

;1द्ध इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नगरपालिका से नियत तारीख के पूर्व नगरपालिका के संबंध में एक ड्राफ्ट महायोजना तैयार कर सरकार को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी।

;2द्ध महायोजना में, मुहल्ला, वार्ड, मार्ग और मार्गों के भाग, जो आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, सार्वजनिक तथा कृषि कार्यो के प्रयोजनों के लिए आरक्षित हों, शामिल होंगे।

;3द्ध महायोजना की स्वीकृति तथा उसमें संशोधन की रीति, ऐसी होगी, जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय।

;4द्ध राज्य सरकार, मुख्य नगर निवेशक या अन्य परामर्शी को महायोजना तैयार करने का निदेश दे सकेगी, यदि—

(क) विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या सरकार द्वारा बढ़ाई गई अवधि के भीतर, महायोजना तैयार नहीं की गयी हो, या

(ख) सरकार का किसी समय समाधान हो जाय कि नगरपालिका विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर महायोजना तैयार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई नहीं कर रही है, और

(ग) जहाँ इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार महायोजना तैयार की जानी हो।

;5द्ध महायोजना तैयार कर लेने के बाद, मुख्य नगर निवेशक, महायोजना सरकार को प्रस्तुत करेगा।

;6द्ध नगरपालिका के लिए महायोजना तैयार करने के संबंध में, इस धारा के अधीन हुआ समस्त व्यय, नगरपालिका द्वारा भुगतान किया जायेगा।

अध्याय–38
लोक मार्ग

सामान्य शक्ति

405. नगरपालिका का मार्ग तकनीकी समिति

;1द्ध नगरपालिका, एक नगरपालिका मार्ग तकनीकी समिति गठित करेगी, जिसमें निम्नलिखित निर्वाचित सदस्य होंगे, यथा–

(क) नगर निगम के मामले में, परिषद द्वारा चुने गए सात पार्षद,
(ख) वर्ग 'क' की नगर परिषद के मामले में, परिषद द्वारा निर्वाचित पांच पार्षद, और
(ग) वर्ग 'ख' की नगर परिषद या नगर पंचायत के मामले में, यथा स्थिति, परिषद द्वारा निर्वाचित तीन पार्षद।

;2द्ध उपधारा (1) में उल्लिखित सदस्यों के अतिरिक्त, नगरपालिका मार्ग तकनीकी समिति में अन्य पांच सदस्य होंगे, नामतः–

(क) नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, जो समिति का संयोजक होगा,
(ख) नगरपालिका अभियंता,

(ग) संबद्ध जिला के आरक्षी अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट, एक आरक्षी पदाधिकारी, और

(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन नगरपालिका के पदाधिकारियों अथवा राज्य सरकार के संबंधित विभाग अथवा किसी प्राधिकार के पदाधिकारियों में से, राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट किए जानेवाले, नगरपालिका क्षेत्र के लिए

अग्निशमन सेवा और विकास योजना को तैयार करने के लिए उत्तरदायी, दो पदाधिकारी।

;3द्ध नगरपालिका मार्ग तकनीकी समिति की अवधि उतनी ही होगी, जैसा महापौर या अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, और एक नयी नगरपालिका मार्ग तकनीकी समिति का गठन विद्यमान नगरपालिका मार्ग तकनीकी समिति की अवधि की समाप्ति के पूर्व किया जाएगा।

;4द्ध नगरपालिका मार्ग तकनीकी समिति की बैठक महीने में कम से कम एक बार होगी।

;5द्ध पैदल यात्री, सार्वजनिक सड़कों पर या सड़कों से बाहर, उपयुक्त एवं पर्याप्त पार्किंग सुविधा सहित वाहनों के शीघ्र, सुविधाजनक एवं सुरक्षित परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए, और को ध्यान में रखते हुए, नगरपालिका मार्ग तकनीकी समिति,—

(क) परिसरों तक युक्तियुक्त प्रवेश को सुनिश्चित करने और अनुरक्षित करने की वांछनीयता,

(ख) प्रभावित किसी क्षेत्र की सुविधाओं पर पड़ने वाले प्रभाव, और

(ग) नगरपालिका द्वारा इसे निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य सुसंगत मामले के संबंध में, निम्नलिखित मामलों में नगरपालिका को सहायता और परामर्श देगी—

(i) सार्वजनिक गलियों का वर्गीकरण और उसके चौड़ाई का विशेषीकरण,

(ii) गली की नियमित सीमा रेखा का निर्धारण,

(iii) सड़क के साथ लगी हुई भूमि को विनियमित करना,

(iv) यातायात व्यवस्था को विनियमित करना,

(v) गली के पास पार्किंग क्षेत्र को चिन्हित करना,

(vi) भूगर्भ उपयोग के लिए रास्ता के अधिकार का निर्धारण,

(vii) मार्ग उपस्कर की व्यवस्था,

(viii) बिजली तथा टेलीफोन के खंभों,

डाक–मंजूषा, टेलीफोन संयोजना मंजूषा, बस पड़ाव तथा दूध–बूथ जैसे गली में लगाए जाने वाले सामानों को प्राधिकृत जुड़नार उपलब्ध करना,

(ix) नयी सार्वजनिक गलियों का आवंटन,

(x) विद्यमान सार्वजनिक गलियों की स्थायी या अस्थायी बंदी,

(xi) निजी गलियों को सार्वजनिक गलियों के रूप में घोषित करना,

(xii) ऐसी कोई बात जो नगरपालिका द्वारा इसे निर्दिष्ट की जाए।

;6द्ध नगरपालिका मार्ग तकनीकी समिति, यथास्थिति संरचना योजना के समरूप या धारा–393 के अधीन क्षेत्र सुधार स्कीम या धारा–396 के अधीन पुनःआवास योजना के किसी विषय पर, अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, किसी सक्षम प्राधिकार द्वारा तैयार की गई किसी अन्य विकास एवं सुधार स्कीम पर, नगरपालिका को अनुशंसा करेगी, तथा उस मामले पर ऐसी योजना, प्रस्ताव, सर्वेक्षण, अध्ययन एवं समर्थन करने वाले तकनीकी आंकड़े को ध्यान में रखेगी, जो नगरपालिका अथवा किसी योजना या विकास प्राधिकार अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग अथवा ऐसे किसी सक्षम प्राधिकार के कब्जे में हो।

स्पष्टीकरण–'संरचना योजना' का वही अर्थ होगा जो धारा–397 के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में है।

;7द्ध नगरपालिका मार्ग तकनीकी समिति, नगरपालिका या किसी योजना अथवा विकास प्राधिकार या राज्य सरकार के किसी विभाग, या तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य विधि के अधीन, किसी अन्य प्राधिकार से, कोई अभिलेख, नक्शा या आंकड़ा की मांग कर सकेगी, और तदुपरान्त, ऐसे विभाग अथवा प्राधिकार का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी अध्यपेक्षाओं का पालन करे।

;8द्ध नगरपालिका, नगरपालिका मार्ग तकनीकी समिति

की अनुशंसाओं पर विचार करेगी, और उपधारा (6) में निर्दिष्ट योजनाओं, प्रस्तावों, सर्वेक्षणों, अध्ययनों तथा सहायक तकनीकी आंकड़ों, यदि कोई हो, को ध्यान में रख कर, ऐसा निर्णय लेगी, जैसा वह उचित समझे।

;9द्ध यदि कोई संदेह पैदा हो, कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी सक्षम प्राधिकार के किसी येाजना, स्कीम या कार्यक्रम के साथ उपधारा (8) के अधीन लिए गए निर्णयों में कोई विरोध है, तो प्रकरण को, राज्य सरकार के समझ प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

406. सार्वजनिक सड़कों का वर्गीकरण

;1द्ध स्थायी समिति, नगरपालिका क्षेत्र में सभी सार्वजनिक मार्गों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकरण करेगी—

(क) श्रेणी—ए मुख्य सड़क,
(ख) श्रेणी—पप. उप मुख्यसड़क,
(ग) श्रेणी—पपप. **सम्पर्क** सड़क,
(घ) श्रेणी—प्ट. स्थानीय सड़क, और
(ङ) श्रेणी—ट. पैदल पगडण्डी।

;2द्ध वर्गीकरण, उस विशिष्ट सार्वजनिक सड़क की बनावट तथा उस पर यातायात के स्वरूप तथा सघनता, उसकी वर्तमान चौड़ाई तथा समीपवर्ती भूमि उपयोग का सम्यक् ध्यान रखते हुए, किया जाएगाः

परन्तु यह कि ऐसी सार्वजनिक सड़कों के विभिन्न नाम, जो चालू यातायात गलियारा के अभिन्न अंग हो, किसी विशेष कोटि में उनके शामिल होने से वंचित नहीं होगा।

;3द्ध स्थायी समिति, समय—समय पर, सार्वजनिक सड़कों की विभिन्न कोटियों की न्यूनतम चौड़ाई, उनकी विद्यमान चौड़ाई पर विचार किए बिना, विनिर्दिष्ट करेगीः

परन्तु यह कि श्रेणी—प या श्रेणी—पप या श्रेणी—पपप या श्रेणी—प्ट में सम्मिलित किसी सार्वजनिक सड़क की न्यूनतम चौड़ाई, सीमावर्ती पगडण्डी, यदि हो, सहित, दस मीटर से कम नहीं होगी, और श्रेणी—ट में शामिल सार्वजनिक सड़कों की चौड़ाई छह मीटर से कम नहीं होगीः

परन्तु यह और कि यह न्यूनतम चौड़ाई, समय—समय पर स्थायी समिति द्वारा पुनरीक्षित की जा सकेगी।

;4द्ध सार्वजनिक सड़कों के विभिन्न कोटियों में वर्गीकरण को समय—समय पर पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

407. पगडण्डी का अनिवार्य उपबंध

;1द्ध नगरपालिका, युक्तियुक्त समय के भीतर तथा संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन, यह सुनिश्चित करेगी कि श्रेणी—ए श्रेणी—ए तथा श्रेणी—ए के अधीन आनेवाली सभी सार्वजनिक सड़कों के साथ पगडंडियाँ लगी हुई हों।

;2द्ध वर्तमान परिस्थितियों के होते हुए भी, स्थायी समिति, श्रेणी—ए श्रेणी—ए तथा श्रेणी—ए के अधीन, सार्वजनिक सड़कों से लगी पगडण्डियों के लिए अलग न्यूनतम चौड़ाई विनिर्दिष्ट करेगी, ताकि वह किसी भी मामले में दोनों तरफ डेढ़ मीटर से कम न हो:

परन्तु यह कि विभिन्न समीपवर्ती भूमि उपयेाग के कारण विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सार्वजनिक सड़क की प्रत्येक श्रेणी से लगी पगडण्डी के लिए एक से अधिक न्यूनतम चौड़ाई विनिर्दिष्ट की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि किसी सार्वजनिक सड़क की नियमित रेखा विहित अथवा पुनरीक्षित करते समय, यह अनुबद्ध किया जाएगा कि सड़क के लिए न्यूनतम चौड़ाई के विनिर्देशन का अनुपालन हो।

;3द्ध उपधारा (2) में निर्दिष्ट न्यूनतम चौड़ाई का पुनरीक्षण स्थायी समिति द्वारा किया जा सकेगा।

408. सड़कों तथा सार्वजनिक स्थलों का नामकरण तथा संख्यांकन

;1द्ध नगरपालिका,—

(क) किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान, जो इसमें निहित हो, का नाम तथा संख्या निर्धारण करेगी, जिसके द्वारा यह जाना जाएगा,

(ख) किसी भवन, दीवाल या स्थान पर या ऐसी सड़क के प्रत्येक छोर, अथवा प्रवेश के नजदीक या ऐसी सड़क के किसी सुगोचर भाग में वह नाम तथा संख्या

प्रदर्शित करेगी, जिसके द्वारा उसे जाना जाएगा, और

(ग) नगरपालिका में निहित किसी सार्वजनिक स्थल के नाम को समुचित आकार के बोर्ड पर रखा या रंगा जाएगा।

;2द्ध नगरपालिका, विनियम द्वारा, सड़क प्रणाली की क्रम परम्परा को ध्यान में रखते हुए, ऐसे मानदंड विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसके द्वारा सड़कों का नामकरण तथा संख्यांकन हो सकेगा।

;3द्ध कोई भी व्यक्ति, ऐसे किसी नाम या संख्या या उप संख्या को नष्ट नहीं करेगा, न हटायेगा, न विरूपित करेगा, या किसी तरह से क्षतिग्रस्त या परिवर्तित नहीं करेगा, और न नगरपालिका के आदेश द्वारा दिए गए अथवा पेन्ट किए गये नाम अथवा संख्या से भिन्न कुछ लिखेगा या पेन्ट करेगा।

409. अनन्य परिसर संख्या

;1द्ध नगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्र में पड़ने वाले प्रत्येक परिसर या उसके किसी भाग को, अनन्य परिसर संख्या समनुदेशित करेगी, और एक पंजी रखेगी, जिसमें हरेक ऐसे परिसर के लिए, ऐसा अनन्य परिसर संख्या अभिलिखित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा में, अभिव्यक्ति 'अनन्य परिसर संख्या' से अभिप्रेत होगी, निम्नलिखित तरीके से नगरपालिका द्वारा परिसर अथवा उसके किसी भाग को समनुदेशित की गयी संख्या, अर्थात्—

(क) पहले तीन अंक वार्ड संख्या दर्शाएंगे,
(ख) अगले तीन अंक गली संख्या दर्शाएंगे,
(ग) अगले चार अंक परिसर संख्या दर्शाएंगे,
(घ) अगले तीन अंक उप परिसर संख्या दर्शाएंगे,
(ङ) अगला एक अंक भवन उपयोग का संकेतांक, जैसे आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक या अन्य उपयोग, दर्शाएगा, और
(च) अंतिम एक अंक निर्माण के प्रकार का संकेतांक दर्शाएगा।

;2द्ध जब नगरपालिका के किसी वार्ड में, परिसर से संबंधित अनन्य परिसर संख्या निर्धारित कर दी गई हो, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, ऐसे अनन्य परिसर संख्या को यथा विहित रीति से अधिसूचित करेगा।

;3द्ध जब उपधारा (2) के अधीन किसी वार्ड में परिसर के संबंध में अनन्य परिसर संख्या अधिसूचित कर दी गई हो, तो नगरपालिका में, इस अधिनियम अथवा किसी अन्य राज्य विधि के अधीन, आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति से, किसी अनुज्ञा या लाइसेंस या किसी कर की अदायगी या किसी सेवा के लिए या किसी बकाया के भुगतान के लिए, या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जैसा विहित किया जाए, अपेक्षा की जाएगी, कि आवेदन करने वाला व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन विनिर्देषित अनन्य परिसर संख्या का उल्लेख अपने आवेदन में करेगा।

410. भूगर्भ उपयोग के लिए मार्गाधिकार

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 तथा इस धारा के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार द्वारा, यथा अधिसूचित, ऐसी अन्य विधियों के उपबंधों के अधीन, राज्य सरकार, नियम द्वारा, निम्नलिखित का उपबंध करेगी, यथा–

(क) विद्युत आपूर्ति, दूरभाष अथवा अन्य दूरसंचार सुविधाओं, गैस पाइप, जलापूर्ति, जल निकास तथा मल–जल निकासी, भूगर्भ रेल प्रणाली, पैदल उपयोग, शॉपिंग प्लाजा, गोदाम सुविधाएं एवं संयंत्र, तथा उससे संबंधित उपकरण सहित विभिन्न सार्वजनिक उपयोगों के लिए, नगरपालिका क्षेत्र में, सार्वजनिक तथा निजी सड़कों के अवमृदा में विशिष्ट मार्गाधिकार का नगरपालिका द्वारा मंजूरी,

(ख) पूर्वोक्त किसी अधिनियम अथवा किसी अन्य विधि के अधीन, कोई शुल्क अथवा प्रभार लगाना,

(ग) नगरपालिका को नक्शा, रेखा–चित्र तथा विवरण प्रदान करना, जिससे वह नगरपालिका क्षेत्र में भूगर्भ उपयोगिताओं

संबंधी संक्षिप्त अभिलेख को संकलित तथा अनुरक्षित कर सके,

(घ) इस संबंध में कार्य निष्पादन के लिए समय—सीमा निर्धारित करना, तथा ऐसे शर्तो को अधिरोपित करना, जैसा नगरपालिका उचित समझे, और

(ङ) कार्य में विलम्ब होने की स्थिति में, शास्ति अधिरोपित करना।

411. भू—गर्भ उपयोगिताओं का नक्शा

नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, नगरपालिका क्षेत्र में, सभी भूगर्भ उपयोगिताओं, सम्पूर्ण सर्वेक्षण नक्शों, रेखा चित्रों तथा विवरणों, एवं फायर हाइड्रेन्ट तथा मलजल मेनहोल के नक्शे, ऐसे प्रारूप में, और ऐसी रीति से रखेगा, जैसा कि विनियमों द्वारा उपबंधित किया जाए, और सूचना के अधिकार से संबंधित किसी विधि के उपबंधों का अनुपालन करते हुए, इसकी गोपनीयता सुनिश्चित करेगा।

412. कुछ प्रकार के यातायात के लिए सार्वजनिक गलियों के उपयोग को प्रतिषेध करने की शक्ति

;1द्ध नगर पालिका, लिखित सूचना द्वारा,—

(क) किसी सार्वजनिक गली या उसके किसी भाग में, स्थायी अथवा अस्थायी रूप से, वाहन यातायात को प्रतिषेध या विनियमित कर सकेगी, ताकि लोगों को किसी खतरा, रूकावट या असुविधा से रोका जा सके या किसी क्षेत्र में शांति बनायी जा सके,

(ख) किसी सार्वजनिक गली अथवा उसके किसी भाग के संबंध में, ऐसे भारी तथा वस्तुओं से लदे हुए किसी गाड़ी के, ऐसे प्रकार, निर्माण, भार, उत्सर्जन अथवा आकार के, आवागमन को प्रतिषेध कर सकेगी, जिससे सड़क अथवा उसके किसी निर्माण को क्षति पहुँचने की संभावना हो, या जन सुविधा को ध्यान में रखकर किसी वाहन पर प्रतिषेध, ऐसी शर्तो को छोड़कर, यथा समय, संवर्षण अथवा संचलन के तरीके, सड़क की रक्षा के लिए उपकरणों का प्रयोग, प्रकाश एवं उपकरणों की संख्या तथा अन्य सामान्य सावधानियां, और ऐसे शुल्क के भुगतान पर, जैसा नगरपालिका द्वारा सामान्यतः प्रत्येक

मामले में विशिष्टतः विनिर्दिष्ट किया जाए,

(ग) सभी समय या किसी विशेष समय के दौरान, किसी ऐसे यातायात वाली किसी विशेष सार्वजनिक सड़क से किसी परिसर में या से, यानीय यातायात के प्रवेश या ऐसे यानीय यातायात की निकासी को प्रतिषेध कर सकेगी।

;2द्ध उपधारा (1) के अधीन कोई भी सूचना, यदि ऐसी सूचना किसी विशेष सार्वजनिक सड़क पर लागू हो, उसे ऐसे सार्वजनिक गली के दोनों किनारों या उसके किसी भाग पर, जिस पर यह सूचना लागू हो, किसी सुगोचर स्थान पर चिपकायी जाएगी, तथा यदि ऐसी सूचना सभी सार्वजनिक सड़कों पर लागू हो, तो इसे विज्ञापित किया जाएगा।

;3द्ध उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, नगरपालिका लिखित सूचना द्वारा, घोषित कर सकेगी कि कोई पैदल रास्ता या उसका कोई भाग, साइकिल तथा पैदल यात्रा मार्ग के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।

;4द्ध उपधारा (3) में उल्लिखित सूचना, ऐसी सार्वजनिक सड़क या उसके किसी भाग के दोनों छोरों पर या उसके नजदीक किसी सुगोचर स्थान पर चिपकायी जाएगी, जिसपर उपधारा (3) के उपबंध लागू होते हों।

गलियों का नियमित पंक्ति

413. गली की नियमित सीमा रेखा को परिभाषित करना

;1द्ध नगरपालिका, पगडण्डी सहित विभिन्न कोटि की गलियों के लिये विनिर्दिष्ट न्यूनतम चौड़ाई को सम्यक् रूप से ध्यान में रखते हुए, किसी सार्वजनिक सड़क अथवा उसके किसी भाग के एक या दोनों किनारों पर, नियमित सीमा रेखा को, इस निमित्त बनाए गए विनियमों के अनुसार, परिभाषित कर सकेगी, और किसी ऐसी नियमित सीमा रेखा को, किसी अन्य समय पुनर्परिभाषित कर सकेगीः

परन्तु यह कि यथास्थिति, परिभाषित अथवा पुनर्परिभाषित करते समय, नगरपालिका, सूचना द्वारा, ऐसी सार्वजनिक गलियों से संलग्न परिसर में रहने वाले लोगों को, गली की सीमा रेखा के प्रस्तावित परिभाषित अथवा पुनर्परिभाषित करने के संबंध में अपने सुझाव तथा आपत्तियाँ दर्ज कराने हेतु, पर्याप्त अवसर उपलब्ध करायेगी, और, ऐसे सभी सुझावों तथा आपत्तियों पर, जो ऐसी सूचना के प्रकाशन की तिथि से एक महीने के भीतर की गई हो, विचार करेगीः

परन्तु यह और कि इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के तत्काल पूर्व, नगरपालिका क्षेत्र के किसी भाग में, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन लागू कोई सार्वजनिक गली संरेखण, इस उपधारा के अधीन, नगरपालिका द्वारा परिभाषित ऐसी सार्वजनिक गली की नियमित सीमा रेखा समझी जाएगी।

;2द्ध परिभाषित अथवा पुनर्परिभाषित रेखा, गली की नियमित रेखा कहलाएगी।

;3द्ध कोई भी व्यक्ति, किसी गली की नियमित रेखा के भीतर, कोई भवन अथवा इसका कोई भाग अथवा चहारदीवारी अथवा अन्य ढांचा, निर्मित या पुनर्निर्मित नहीं करेगा।

;4द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, एक रजिस्टर संधारित करेगा, जिसमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, जो इस निमित्त नगरपालिका द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, तथा इसमें उसके साथ संलग्न योजना सहित सभी सार्वजनिक गली प्रदर्शित की जायेंगी, जिनके बावत गली की नियमित रेखा परिभाषित अथवा पुनर्परिभाषित की गयी हो, और इसमें ऐसी अन्य विशिष्टियां भी अंतर्विष्ट होंगी, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

;5द्ध ऐसे सभी रजिस्टर, किसी व्यक्ति द्वारा, ऐसा शुल्क भुगतान करने के बाद, निरीक्षण हेतु खुला रहेगा, और इसका कोई उद्धरण, ऐसे प्रभार के भुगतान पर, जैसा नगरपालिका विनियम द्वारा निर्धारित करे, आपूरित किया जा सकेगा।

414. भवनों को नियमित सड़क रेखा से पीछे हटाना

;1द्ध यदि सार्वजनिक सड़क से संलग्न, किसी भवन का कोई भाग, उस सड़क की नियमित रेखा के भीतर हो, तो नगरपालिका, प्रस्तावित किये जाने पर,—

(क) ऐसे भवन की मरम्मत, पुनर्निर्माण या निर्माण करा सकेगी, अथवा ऐसे भवन को घन मीटर में उस परिमाण तक गिरा सकेगी, जो धरती की सतह के ऊपर इसके आधे भाग से अधिक हो; अथवा

(ख) ऐसे भवन के किसी भाग को, जो गली की नियमित रेखा के भीतर हो, ऐसे भवन को गली की नियमित रेखा तक पीछे लाने की अपेक्षा करने वाले परिवर्द्धन या पुनर्निर्माण, निर्माण, मरम्मत या परिवर्तन संबंधी आदेश द्वारा मरम्मत, हटाना, निर्माण या पुनर्निर्माण अथवा इसमें कोई परिवर्द्धन या संरचनात्मक परिवर्तन कर सकेगी।

;2द्ध जब सार्वजनिक सड़क की नियमित रेखा के भीतर, कोई भवन या उसका कोई भाग धराशायी हो जाय या जल जाय, अथवा नगरपालिका के किसी आदेश से या अन्यथा गिरा दिया जाय, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, नगरपालिका की ओर से, भूमि के उस भाग को, जो ऐसे भवन द्वारा घेरे में ली गयी सड़क की नियमित रेखा के बीच हो, तत्काल अपने कब्जे में ले लेगा, और यदि आवश्यक हो, उसे साफ करवा देगा।

;3द्ध इस धारा के अधीन अधिकार में ली गयी कोई भूमि, सार्वजनिक सड़क का एक भाग मानी जायेगी, और नगरपालिका में निहित होगी।

415. भवन को नियमित सड़क रेखा से अनिवार्यतः पीछे हटाना

;1द्ध जहाँ कोई भवन या उसका कोई भाग, किसी सार्वजनिक सड़क की नियमित रेखा के भीतर हो, और नगरपालिका की राय में, ऐसे भवन अथवा उसके किसी भाग को, ऐसी सड़क की नियमित रेखा के पीछे ले जाना आवश्यक हो, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, ऐसे भवन के

स्वामी को तामील की गयी सूचना के माध्यम से, उससे ऐसी अवधि के भीतर, जैसा सूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि क्यों नहीं ऐसा भवन या इसका कोई भाग, जो सड़क की नियमित रेखा के भीतर है, को गिरा दिया जाय, और नियमित रेखा के भीतर की भूमि नगरपालिका द्वारा अधिग्रहीत कर ली जाय।

;2द्ध यदि स्वामी, उपधारा (1) के अधीन, यथापेक्षित कारण बताने में विफल रहे, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, नगरपालिका के अनुमोदन से, ऐसी रीति से, जैसा विनियम में विनिर्दिष्ट की जाय, तामील की गयी दूसरी सूचना के माध्यम से, स्वामी से, ऐसी अवधि के भीतर, जैसा सूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, भवन या इसके किसी भाग को, जो सड़क की नियमित रेखा के भीतर है, गिरा देने की अपेक्षा करेगा।

;3द्ध यदि ऐसी अवधि के भीतर, भवन का स्वामी, भवन या उसके किसी भाग को न गिराये, जैसा कि उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित है, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी इसे गिरा देगा, और ऐसा करने में उपगत सभी व्यय का भुगतान स्वामी द्वारा किया जायेगा, और इसकी वसूली उससे इस अधिनियम के अधीन कर के बकाये के रूप में की जायेगी।

416. भवन को सड़क की नियमित रेखा से आगे ले जाना

नगरपालिका, ऐसी शर्तों पर, जैसा वह उपयुक्त समझे, किसी सार्वजनिक सड़क की नियमित रेखा में सुधार के प्रयोजनार्थ, किसी भवन को आगे ले जाने की अनुमति दे सकेगी, तथा इसके पुनर्निर्माण अथवा नये सिरे से निर्माण के मामले में, किसी भवन को आगे ले जाने की अपेक्षा कर सकेगी।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनार्थ, किसी सड़क से किसी परिसर को पृथक् करने वाली दीवाल को भवन माना जायेगा, तथा सड़क की नियमित रेखा से आगे किसी भवन को ले जाने के लिए इसे अनुमति या अपेक्षा सहित पर्याप्त अनुपालन माना जायगा, यदि ऐसे पदार्थ एवं विस्तार वाली दीवाल, जैसा नगरपालिका द्वारा अनुमोदित किया गया हो, का निर्माण ऐसी रेखा

पर किया गया हो।

417. सड़क की नियमित रेखा के भीतर खुली भूमि और प्लेटफार्म आदि द्वारा दखल की गयी भूमि का अधिग्रहण

यदि कोई भूमि, चाहे खुली या धिरी हुई हो और जो नगरपालिका में निहित न हो, और जो किसी भवन द्वारा घिरी हुई न हो, किसी सार्वजनिक सड़क की नियमित रेखा के भीतर हो, अथवा कोई प्लेटफार्म, बरामदा सीढ़ी, चहारदीवारी, घेरा या अन्य ढांचा, प्राधिकृत हो या न हो, जो किसी सार्वजनिक सड़क के निकट किसी भवन के बाहर हो, अथवा ऐसे प्लेटफार्म, बरामदा, सीढ़ी, चहारदीवारी, घेरा या अन्य ढांचा का कोई भाग, ऐसी सड़क की नियमित रेखा के भीतर हो, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, नगरपालिका के पूर्वानुमोदन से, और ऐसी भूमि या भवन के स्वामी को, ऐसा करने के अपने आशय के, कम से कम सात दिन की सूचना देकर, नियमित रेखा के भीतर संलग्न दीवाल, चहारदीवारी या बाड़ा, यदि कोई हो, सहित भूमि या ऐसा प्लेटफार्म, बरामदा, सीढ़ी, चहारदिवारी, घेरा, बाड़ा या अन्य ढांचा या इसका कोई भाग, नगरपालिका की ओर से कब्जा में ले लेगा, तथा आवश्यक होने पर, उसे साफ करा लेगा, और इस प्रकार अधिग्रहीत भूमि सार्वजनिक सड़क का भाग मानी जायेगी, और नगरपालिका में निहित होगीः

परन्तु यह कि जहां भूमि या भवन, राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा इसके किसी अभिकरण में निहित हो, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, इसे कब्जे में नहीं लेगा।

418. सड़क की नियमित रेखा के भीतर का भाग अधिग्रहण होने के पश्चात् भवन एवं भूमि के शेष भाग

;1द्ध जहां कोई भूमि या भवन, आंशिक रूप से सार्वजनिक सड़क की नियमित रेखा के भीतर हो, और नगरपालिका का यह समाधान हो जाय कि ऐसी रेखा के भीतर इसके भाग के काटने के पश्चात् शेष भूमि किसी लाभकारी उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होगी, तो वह स्वामी के अनुरोध पर, ऐसी रेखा के भीतर वाली भूमि के अतिरिक्त ऐसी भूमि को अधिग्रहीत कर सकेगी, तथा ऐसी अतिरिक्त भूमि सार्वजनिक सड़क का भाग मानी जायगी, और वह नगरपालिका में निहित होगी।

;2द्ध

का
अधिग्रहण

तत्पश्चात्, ऐसी अतिरिक्त भूमि का उपयोग धारा–416 के अधीन, भवन को आगे ले जाने के प्रयोजनार्थ अथवा ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग की जाएगी, जैसा नगरपालिका उपयुक्त समझे।

419. भवन आदि को पीछे या आगे करने के कतिपय मामलों में अदा किया जानेवाला प्रतिकर

;1द्ध नगरपालिका द्वारा धारा–414, धारा–415, धारा–417, या धारा–418 के उपबंधों के अधीन, सार्वजनिक सड़क हेतु अधिग्रहीत किसी भवन अथवा भूमि के स्वामी को, ऐसी क्षति के लिए, जो उसके भवन या भूमि के इस प्रकार अधिग्रहीत किये जाने के क्रम में हुई हो, और नगरपालिका द्वारा दिये गये आदेश के फलस्वरूप, ऐसे स्वामी द्वारा उपगत किसी व्यय के लिए, प्रतिकर का भुगतान करेगी।

;2द्ध धारा–416 के अधीन, किसी भवन को आगे करने के आदेश के फलस्वरूप, यदि ऐसे भवन के स्वामी को कोई हानि या क्षति होती हो, ऐसी हानि या क्षति के लिए, उसे नगरपालिका द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जायगा।

;3द्ध यदि अतिरिक्त भूमि, जो किसी ऐसे व्यक्ति के परिसर में सम्मिलित की जायगी, जिससे ऐसे भवन को आगे करने के लिए उपधारा (2) के अधीन अपेक्षा की गयी हो, या अनुमति दी गयी हो, नगरपालिका की हो, तो भवन को आगे करने का नगरपालिका का आदेश या उसकी अनुमति, उक्त भूमि के उक्त स्वामी के लिए पर्याप्त अभिहस्तांतरण होगी, तथा ऐसी अतिरिक्त भूमि के स्वामी द्वारा नगरपालिका को अदा की गयी कीमत और अभिहस्तांतरण के अन्य शर्त एवं बंधेज आदेश या अनुमति में दर्ज किये जायेंगे।

;4द्ध यदि, जब नगरपालिका, किसी भवन को आगे ले जाना अपेक्षित करे, भवन का स्वामी, नगरपालिका को अदा की जाने वाली नियत कीमत अथवा अभिहस्तांतरण के किसी शर्त या बंधेज से असंतुष्ट हो, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, उक्त शर्तें एवं बंधेज संसूचित किये जाने के पन्द्रह दिनों के भीतर, किसी समय, स्वामी के आवेदन करने पर, कीमत निर्धारित करने हेतु, अधिकारिता वाले जिला न्यायाधीश के न्यायालय में मामले को निर्दिष्ट करेगा, और उक्त

न्यायालय का विनिश्चय अंतिम होगा।

मार्गों पर अवरोध

420. केन्द्र अथवा राज्य सरकार से संबंधित सड़कों से संबद्ध विशेष उपबंध

;1द्ध यदि कोई राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग अथवा कोई सड़क, यथास्थिति केन्द्र सरकार या राज्य सरकार में निहित हो, तो—

(क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की मंजूरी के बिना, के सिवाय, नगरपालिका, ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग अथवा सड़क के संबंध में ऐसा कोई कार्य करने की अनुमति नहीं देगी, जिसका लिखित आदेश के बिना किया जाना, इस अधिनियम के उपबधों का उल्लंघन हो, और

(ख) यदि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय, तो नगरपालिका, इस अधिनियम या सड़क के संबंध में किसी विनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करेगी।

;2द्ध राज्य सरकार में निहित और नगरपालिका क्षेत्र से होकर जाने वाली सड़कों के मामले में, जहाँ तक उनके अस्थायी दखल की अनुमति और उस पर से अतिक्रमण हटाने का संबंध है, नगरपालिका का नियंत्रण होगा, किन्तु ऐसी सड़कों का अनुरक्षण राज्य सरकार में निहित होगा।

421. त्यौहारों के दौरान सड़कों पर अस्थायी निर्माण

;1द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, समारोहों एवं त्योहारों के अवसर पर किसी सार्वजनिक स्थान पर बूथ, पंडाल अथवा किसी अन्य ढॉचा के अस्थायी निर्माण की लिखित अनुमति, ऐसे शुल्क के भुगतान, और ऐसी शर्तों पर, जैसा नगरपालिका द्वारा विनियमों द्वारा नियत किया जाय, और ऐसी अवधि के लिए, दे सकेगा, जो अनुमति पत्र में उल्लिखित की जायः

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई अनुमति जिला के आरक्षी अधीक्षक अथवा नगरपालिका क्षेत्र पर अधिकारिता वाले समकक्ष श्रेणी के किसी आरक्षी पदाधिकारी से परामर्श किए बिना, नहीं दी जाएगी।

;2द्ध जिस व्यक्ति को ऐसी अनुमति दी गयी हो, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी के समाधानप्रद, ऐसी अवधि के भीतर, जैसा अनुमति पत्र में उल्लिखित हो, वह भूमि को भर देगा, और पहली स्थिति में बहाल करेगा।

422. परिसर या नाली, सड़क की मरम्मत या निर्माण के दौरान सावधानियाँ

ऐसे शर्त एवं बंधेज के अध्यधीन, जैसा विनियम द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, नगरपालिका में निहित किसी सार्वजनिक सड़क अथवा नगरपालिका नाली या किसी परिसर के निर्माण या मरम्मत के दौरान,—

(क) उसकी घेराबंदी और सुरक्षा करवाएगा,

(ख) सार्वजनिक सड़क अथवा संलग्न भवनों को प्रभावित करनेवाली दुर्घटना के विरूद्ध समुचित सावधानी बरतेगा,

(ग) उसकी लिखित अनुमति के बिना, किसी सार्वजनिक सड़क पर कोई निर्माण सामग्री जमा करने अथवा किसी मंच या किसी अस्थायी भवन के निर्माण को प्रतिषेध करेगा,

(घ) किसी सड़क को पूर्ण या आंशिक रूप से यातायात के लिए बंद करेगा,

(ङ) जब कभी आवश्यक हो, यातायात के लिए आवश्यक दिशा परिवर्तन का उपबंध करेगा,

(च) किसी सड़क या किसी नाली अथवा परिसर को उसके पूर्व अवस्था में लाना सुनिश्चित करेगा, और

(छ) ऐसे किसी स्थान की, जो उसकी राय में, ऐसे व्यक्तियों को, जो उस स्थान पर विधिक पहुँच रखते हों, या पड़ोसियों को किसी प्रकार की असुविधा हो या खतरा हो, मरम्मत कराएगा या उसकी घेराबंदी कराएगा, तथा इस मरम्मत कार्य की लागत की वसूली, ऐसे स्थान के स्वामी या अधिभोगी से करेगा।

423 गली

समय—समय पर विनियम द्वारा यथा उपबंधित

. विनियमन के संबंध में नगरपालिका की शक्ति

शर्त्तों के अध्यधीन, नगरपालिका,—

(क) किसी सार्वजनिक गली अथवा उसके किसी भाग में वाहनों के यातायात का निषेध अथवा विनियमन कर सकेगी, ताकि जनता को खतरा, बाधा या असुविधा को रोका जा सके, या मार्ग को क्षति से बचाया जा सके,

(ख) किसी परिसर में, किसी विशिष्ट सार्वजनिक गली से ऐसे वाहनों के यातायात को, किसी विशिष्ट अवधि के लिए अथवा पूरे समय के लिए, निषेध कर सकेगी,

(ग) किसी सार्वजनिक गली में, किसी उद्देश्य के लिए, किसी जानवर के बॉधने को निषेध कर सकेगी,

(घ) किसी गली में, किसी संरचना अथवा स्थावर पदार्थ, जो रूकावट का कारण हो सकता हो, के अधिष्ठापन का प्रतिषेध कर सकेगी,

(ङ) किसी गली में, सतह तल के दरवाजे, फाटक, सलाख और खिड़की के बाहर की ओर खुलने को निषेध कर सकेगी,

(च) किसी गली या नाली या किसी गली में खुले नहर के ऊपर, प्रक्षेप के निर्माण का निषेध कर सकेगी, और

(छ) इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत, किसी गली अथवा सार्वजनिक स्थल पर कोई अतिक्रमण, परिनिर्माण, संग्रहण अथवा फेरीदार को हटा सकेगी।

424. लोकोपयोग के लिए नगरपालिका की सम्पत्ति का यथास्थापन

;1द्ध यथा निर्धारित नियमों एवं शर्त्तों के अधीन, लोकोपयोगी निकाय द्वारा, नगरपालिका की गली, नाला, भूमि अथवा अन्य सम्पत्ति की अवमृदा का उपयोग, विद्युत आपूर्ति या दूरसंचार के लिए लाइन बिछाने के लिए, यदि किया जाता है, तो उस उपयोग के लिए नगरपालिका की सहमति लेनी होगी।

;2द्ध ऐसी सहमति प्रदान करते समय, नगरपालिका, ऐसे लोकोपयोगी निकाय से परामर्श कर, अवमृदा और उसके धरातल के यथास्थापन के लिए पूर्ण व्ययभार वहन करने का, इस आशय का वचन लेगी कि ऐसा यथास्थापन उसके व्यय पर इस

प्रकार किया जायेगा, जिससे उक्त सम्पत्ति को कार्य पूरा होने के बाद, उचित समय में, नगरपालिका की पूर्ण संतुष्टि तक उसकी मूल स्थिति में लाया जायेगा।

अध्याय—39

भवन

प्रक्रिया

425. परिभाषाएँ — इस अध्याय में, जब तक संदर्भ में अन्यथा उल्लिखित न हो, अभिव्यक्ति—

;1द्ध ''भवन का निर्माण'' से अभिप्रेत है—

(क) किसी स्थान पर कोई नया भवन निर्मित करना, चाहे उस पर पूर्व में निर्माण किया गया हो या नहीं,

(ख) पुनर्निर्माण करना—

(i) किसी भवन का, जिसकी कुर्सी के स्तर से ऊपर, घनाकार परिमाण के आधा से अधिक भाग गिरा दिया गया हो या जला दिया गया हो या क्षतिग्रस्त कर दिया गया हो, अथवा

(ii) किसी भवन का, जिसका कुर्सी के स्तर से ऊपर की बाहरी दीवाल के सतही क्षेत्र का आधे से अधिक भाग गिरा दिया गया हो, अथवा

(iii) किसी भवन—ढाँचे का, जिसका बाहरी दीवालों में खम्भा या बीम की आधी से अधिक संख्या ढाह दी गयी हो,

(ग) किसी भवन अथवा इसके किसी भाग को, रिहायशी घर में परिणत करना, जो मूल रूप से मानव निवास के लिए निर्मित नहीं किया गया हो, अथवा यदि उसे मूल रूप में मानव निवास हेतु निर्मित किया गया हो, बाद में उसे किसी अन्य प्रयोजन

के लिए नियत किया जाय,

(घ) केवल एक रिहायशी घर के रूप में निर्मित किसी रिहायशी घर को, एक से अधिक रिहायशी घर में परिणत करना,

(ङ) किसी ऐसे स्थान अथवा भवन को, किसी धार्मिक पूजा स्थल अथवा किसी पवित्र भवन में परिणत करना, जो ऐसे प्रयोजनार्थ मूल रूप में निर्मित न किये गया हो,

(च) ऐसे स्थान पर छत डालने या इसे आच्छादित करने से निर्मित संरचना की सीमा तक, दीवाल और भवन के बीच खुले स्थान पर छत डालना या इसे आच्छादित करना,

(छ) किसी भवन में, दो या दो से अधिक कोठरियों को, उससे अधिक या कम कोठरियों में परिणत करना,

(ज) किसी ऐसे भवन को, स्टॉल, दुकान, कार्यालय, भंडारागार या गोदाम, वर्कशॉप, कारखाना या गैरेज में परिणत करना, जो मूल रूप में इस रूप में उपयोग हेतु निर्मित नहीं किया गया हो, अथवा ऐसे उपयोग के लिए निर्मित किसी भवन को, उप विभाजन द्वारा उससे अधिकाधिक या कम ऐसे स्टॉल, दुकान, कार्यालय, भंडारागार या गोदाम, वर्कशॉप, कारखाना या गैरेज में परिणत करना,

(झ) किसी भवन को, जो मूल रूप में निर्मित किए जाने के समय, किसी भवन विनियम अथवा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि की सीमा से विधितः मुक्त रखा गया था, ऐसे भवन में परिणत करना, जिसे परिणत रूप में मूल रूप से ऐसे निर्मित किया जाता, तो वह ऐसे भवन विनियम के अध्यधीन होता,

(ञ) किसी ऐसे भवन को रिहायशी मकान में परिणत करना या इसे इस रूप में उसका उपयेाग करना, जिसे रिहायशी मकान के रूप में उपयोग करना बंद कर दिया गया हो अथवा रिहायशी मकान से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए नियत किया गया हो,

(ट) किसी भवन में कोई परिवर्द्धन करना, और

(ठ) किसी भवन की मुख्य सीढ़ी को हटाना या पुनर्निर्माण अथवा इसकी अवस्थिति में परिवर्तन करना,

(ड) जमीन या भवन पर मोबाइल टावर (चाहे जिस किसी नाम से उसे पुकारा जाता हो)।

;2द्ध 'दखलदारी'/'अध्यासन' अथवा 'उपयोग समूह' से अभिप्रेत है मुख्य दखलदारी जिसके लिए किसी भवन या भवन के किसी भाग का उपयोग किया गया हो या उपयोग करने का आशयित हो, तथा दखलदारी का वर्गीकरण, जब तक तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, किसी विकास योजना अथवा किसी अन्य सुधार स्कीम में अन्यथा उपवर्णित न हो, में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(क) आवासीय भवन, अर्थात् ऐसा कोई भवन, जिसमें भोजन बनाने अथवा भोजन करने अथवा दोनों की सुविधा के साथ या बिना सुविधा के, सामान्य आवासीय प्रयोजनार्थ शयन हेतु स्थान उपलब्ध किया गया हो, तथा ऐसे भवन में एक अथवा दो या बहुपरिवार निवास परिसर, आवासीय घर,छात्रावास, शयनागार, अपार्टमेंट और फ्लैट और निजी गैरेज शामिल है;

(ख) शैक्षिक भवन, अर्थात् वैसा भवन, जिसका उपयोग स्कूल, विद्यालय अथवा दिवा—देख—रेख के प्रयोजनार्थ होता हो, जो शैक्षिक सभाओं, शैक्षिक मनोरंजन और शिक्षा से सम्बद्ध अन्य प्रयोजन के लिये

होता हो;

(ग) संस्थागत भवन, अर्थात् ऐसा भवन अथवा इसका कोई भाग जिसमें अध्यासियों के लिए साधारणतः शयन स्थल उपलब्ध कराया जाय, तथा जिसका उपयोग चिकित्सकीय या अन्य उपचार या शारीरिक या मानसिक बीमारी, रोग या अशक्तता, शिशुओं की देख–रेख, स्वास्थ्योन्मुख अथवा वृद्ध व्यक्तियों की देखरेख और दाण्डिक या सुधारात्मक निरोध के प्रयोजनार्थ किया जाय, जिसमें रहने वालों की स्वतंत्रता प्रतिबंधित हो, और ऐसे भवनो में अस्पताल, क्लीनिक, औषधालय, आरोग्य निवास, अभिरक्षात्मक एवं दाण्डिक संस्थायें यथा जेल, कारागार, मानसिक चिकित्सालय और सुधार गृह शामिल होंगे;

(घ) सभा भवन, अर्थात् कोई भवन या ऐसा कोई भाग, जहां जन समूह आमोद–प्रमोद या मनोरंजन या सामाजिक, धार्मिक, देशभक्ति, नागरिक, यात्रा, खेल–कूद और ऐसे ही अन्य प्रयोजनों के लिए एकत्र होते हों, तथा ऐसे भवनों में थिएटर, चलचित्र गृह, ड्राइव इन थिएटर, सिटीहॉल, टाउन हॉल, सभागार, प्रदर्शनी हॉल, संग्रहालय, स्केटिंग हेतु बर्फ का मैदान, व्यायामशाला, रेस्तरां, भोजन गृह, होटल, बोर्डिंग हाउस, पूजा स्थल, नृत्य हॉल, क्लब रूम, जिमखाना, यात्री विश्राम गृह, वायु एवं अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवा टर्मिनल, मनोरंजन घाट और स्टेडियम सम्मिलित होंगे,

(ङ) कारोबार भवन, अर्थात् ऐसा भवन या उसका भाग, जो कारोबार के संव्यवहार के लिए अथवा लेखा एवं अभिलेख के संधारण अथवा ऐसे ही प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होता हो, तथा ऐसे भवनों में सार्वजनिक कारबार के संव्यवहार के मुख्य कार्य तथा लेखा बही एवं अभिलेख के लिए कार्यालय, बैंक, व्यावसायिक

स्थापना, कोर्ट हाउस और पुस्तकालय शामिल है, तथा इनमें कार्यालय के रूप में या कार्यलय के प्रयोजनार्थ पूर्णतः या मुख्य रूप से प्रयुक्त कार्यालय भवन (परिसर) भी सम्मिलित होंगे;

(च) वाणिज्य भवन, अर्थात् ऐसा भवन या उसका कोई भाग, जो थोक या खुदरा माल प्रदर्शन या विक्रय हेतु दुकान, स्टोर या बाजार के रूप में अथवा कार्यालय, भंडार या माल के विक्रय से आनुबंधिक सेवा सुविधा, जो उसी भवन में उपलब्ध हो, के लिए प्रयुक्त होता हो, तथा ऐसे भवन में थोक बिक्री व्यापार में पूर्ण या आंशिक रूप में संन्नद्ध स्थापना, विनिर्माता के थोक विक्रय निर्गम (संबद्ध भंडारण सुविधा सहित) भंडारागार और ट्रक परिवहन (ट्रक परिवहन, बुकिंग एजेंसी सहित) में संलग्न स्थापना सम्मिलित है;

(छ) औद्योगिक भवन, अर्थात् ऐसा कोई भवन या संरचना या इसका कोई भाग, जिसमें असेम्बली संयंत्र के सामान उत्पादन अथवा सभी प्रकार एवं गुणवाली सामग्री निर्मित, संग्रहीत या संसाधित की जाती हो, तथा ऐसे भवनों में प्रयोगशाला, विद्युत संयंत्र, स्मोक हाउस, तेल शोधक, गैस संयंत्र, मिल, दुग्धशाला, कारखाना, वर्कशॉप, आटोमोबाइल मरम्मत गैरिज और मुद्रणालय सम्मिलित है;

(ज) भंडारण भवन, अर्थात् ऐसा कोई भवन या इसका कोई भाग, जो मुख्य रूप से भंडारागारों की तरह मालों, सामग्री या पण्य वस्तु के भंडारण या सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता हो, तथा ऐसे भवनों में शीत गृह, भाड़ा डिपो, पारगमन शेड, भंडार गृह, सार्वजनिक गैरेज, विमानशाला, ट्रक टर्मिनल, अन्न उत्थापक, बखार, अस्तबल सम्मिलित है;

(झ) खतरनाक भवन, अर्थात् ऐसा भवन या

उसका कोई भाग, जिसका उपयोग ऐसे अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थों अथवा उत्पादों के भंडारण, संचालन, विनिर्माण या प्रसंस्करण के लिए किया जाता हो जो त्वरित गति से जल उठते हों अथवा जो भंडारण, संचालन, विनिर्माण या प्रसंस्करण के दौरान विषाक्त धुँआ या विस्फोट उत्पन्न करते हों अथवा जिनमें अत्यधिक क्षयकारी, जहरीला या हानिकारक क्षार, अम्ल या अन्य द्रव्य या रसायन जिनसे ज्वाला, धुंआ, विस्फोट या धूल मिश्रण उत्पन्न होते हों अथवा जिसके परिणामस्वरूप स्वतः ज्वलन वाले सूक्ष्म कणों में पदार्थ विभाजित हो जाता है, शामिल है।

;3द्ध 'परिवर्तन' से अभिप्रेत है, एक अधिभोग से दूसरे अधिभोग में परिवर्तन अथवा संरचनात्मक परिवर्तन, यथा किसी क्षेत्र या ऊँचाई में परिवर्द्धन अथवा भवन के किसी भाग को हटाना या संरचना में परिवर्तन, यथा किसी दीवाल, बँटवारा, स्तंभ, बीम, कड़ी, फर्श या अन्य सहयोग का निर्माण अथवा उन्हें काटना या हटाना अथवा प्रवेश या निर्गम के अपेक्षित साधनों में परिवर्तन या इसका बंद करना अथवा किसी जुड़नार या साज सज्जा में परिवर्तन।

;4द्ध 'योजना' से अभिप्रेत है, नगर पालिका द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार अनुज्ञप्त सर्वेक्षक अथवा नक्शानवीस अथवा अभियंता या वास्तुविद, जिसे इसके पश्चात् अनुज्ञप्त वास्तुविद कहा जायेगा, द्वारा तैयार की गयी योजना।

स्पष्टीकरण— खंड (2) के अधीन, अधिभोग के अनुसार किसी भवन के वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ,—

(क) 'किसी अधिभोग' में ऐसा सहायक अधिभोग सम्मिलित माना जायेगा, जो ऐसे अधिभोग पर आश्रित हो, और

;5द्ध (ख) मिश्रित अधिभोग वाले भवन से अभिप्रेत होगा ऐसा भवन, जिसमें एक से अधिक अधिभोग इसके विभिन्न भागों में उपस्थित हों।

;6द्ध

‘दुर्बल आय वर्ग’ से तात्पर्य है व्यक्तियों के ऐसे वर्ग से जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर आवास उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ

;7द्ध अधिसूचित किया जाये।

‘अल्प आय वर्ग’ से तात्पर्य है व्यक्तियों का ऐसा वर्ग, जिसे सरकार द्वारा समय–समय पर आवास उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ अधिसूचित किया जाये।

;8द्ध

‘समूह आवास’ से तात्पर्य है एक से अधिक आवासीय इकाई वाले भवन जिसके भूखंड का सामूहिक स्वामित्व हो (सहकारी समितियों एवं सार्वजनिक अभिकरण की दशा

;9द्ध में स्थानीय प्राधिकार अथवा आवास बोर्ड इत्यादि) एवं एक अभिकरण द्वारा निर्माण का दायित्व निर्वहन हो ।

‘पंगत भू–खण्ड विकास योजना’ से तात्पर्य है वह विकास जो अल्प आय वर्ग के लिए भूखण्ड पंगत आवास/पंगत आवास या समूह आवास जो समूहीय आकृति पर हो ।

‘आश्रय शुल्क’ से तात्पर्य है भूमि अथवा **फर्श** क्षेत्र, यथास्थिति, के आरक्षण के बदले अधिरोपित और संग्रहीत **शुल्क**, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर **निर्धारित हो और**

‘फर्श क्षेत्रफल अनुपात’ से तात्पर्य ऐसे अनुपात से है जो किसी भुखण्ड पर कुल निर्मित क्षेत्रफल को उक्त भुखण्ड का क्षेत्रफल से विभाजित करने पर प्राप्त हो।

एफ0ए0आर0त्र $\frac{\text{सभी तलों के कुल अच्छादित क्षेत्र}}{\text{भू–खण्ड क्षेत्र}}$ ग **100**

426. बिना मंजूरी के — कोई व्यक्ति, किसी नगरपालिका क्षेत्र में, किसी निर्माण या स्थापन या किसी भवन निर्माण का प्रारंभ या स्थायी महत्व की कोई संरचना या

निर्माण का प्रतिषेध — विद्यमान भवन का कोई रूपांतरण या बदलाव या अतिरिक्त निर्माण सहित, भवन निर्माण से संबंधित किसी कार्य का निष्पादन, भवन विनियमों के अनुरूपता के सिवाए या अलावा नहीं करेगा जबतक कि इसकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त नहीं हो जाती है।

427. भवन निर्माण योजना की स्वीकृति

;1द्व कोई व्यक्ति, किसी भवन या स्थायी स्वरूप की किसी संरचना का निर्माण या निर्माण का प्रारम्भ या भवन निर्माण से संबंधित किसी कार्य का निष्पादन या किसी विद्यमान भवन में रूपांतरण, परिवर्धन या परिवर्तन नहीं करेगा ।

;2द्व पॉच सौ वर्ग मीटर तक के भू–खण्ड पर प्रस्तावित व्यक्तिगत आवासीय भवन के नक्शे निकाय द्वारा अनुज्ञप्त वास्तुविद्/परास्नातक असैनिक अभियंता के द्वारा स्वीकृत किए जायेंगे । राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर प्रक्रिया का निर्धारण आवश्यकतानुसार किया जायेगा ।

;3द्व कंडिका–2 में वर्णित को छोड़कर शेष सभी प्रकार के भवनों के नक्शे पूर्व की भॉति निकाय द्वारा स्वीकृत किए जायेंगे ।

परंतु यह कि कोई अनुज्ञप्त वास्तुविद, किसी भवन योजना को अनुमोदित नहीं करेगा, जब तक वह राज्य सरकार या नगरपालिका द्वारा बनाए विनियमों के समनुरूप तथा महायोजना के अनुरूप न होः **एवं भवन विनियमों के अंतर्गत देय शुल्कों का भुगतान नगर निकायों को ड्राफ्ट के माध्यम से नहीं कर दिया जाता है।**

परंतु यह भी कि कोई अनुज्ञप्त वास्तुविद, जो भवन विनियमों के उल्लंघन या विचलन में तथा महाजोजना के प्रावधान के विपरित किसी भवन योजना को अनुमोदित कर देता है, तो वह एक लाख रूपये से अन्यून जुर्माना, या कारावास के दण्ड से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या दोनों से, जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये, दायी होगा।

;4द्व इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी,

राज्य सरकार द्वारा यथा विहित किये जाने पर, नगरपालिका भी, धारा 427(2) के मामले में, भवन योजना स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत होगी ।

;5द्ध

ऐसा कोई व्यक्ति, जो, कालोनी निर्माण करने वाले कर्ता की हैसियत से कोई कालोनी की स्थापना करने का आय रखता हो, अथवा भवन निर्माता की हैसियत से संनिर्माण करता हो या संनिर्माण करवाता हो, अथवा कोई सार्वजनिक अथवा सरकारी आवास संगठन, नगर पालिका और विकास
क्षेत्र के अंतर्गत कालोनी निर्माणकर्ता अथवा भवन निर्माता के रूप में कार्य करते हुए भवन या फ्लैट (अपार्टमेन्ट) के साथ भवन, विक्रय द्वारा या अन्यथा अन्तरण के प्रयोजन हेतु, संनिर्माण करता है या संनिर्मित करवाता है, कालोनियों का विकास, इस अधिनियम के उपबंधों और इस निमित्त बनाये गये नियमों एवं विनियमों के अध्यधीन रहते हुए तथा निम्नलिखित **शर्तों** पर करेगा :

(क) **शहरी** गरीबों के लिए भूमि का चिन्हांकन

(i) क्षेत्र विखंडित विकास योजना की योजनाएँ, जो दस हजार वर्ग मीटर से अधिक हो, में दुर्बल आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के सदस्यों को आवासीय योजना के अन्तर्गत सकल भू–क्षेत्र के दस प्रतिशत से अन्यून आरक्षण दिया जायेगा ।

परन्तु यह कि कुल भूमि का विस्तार चार हजार वर्ग मीटर और दस हजार वर्ग मीटर के बीच होने की दशा में दुर्बल आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के लिए, यथास्थिति, या भूमि आरक्षित की जायेगी या आश्रय शुल्क, जैसा सरकार द्वारा विहित किया जाय, संग्रहित की जायेगी ।

(ii) चार हजार वर्ग मीटर के नीचे के सभी आवासीय विन्यास भूमि को आरक्षण तथा आश्रय शुल्क से छूट दी जा सकेगी ।

(iii) दुर्बल आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के लिए भू–खण्ड का आकार क्रमशः तीस वर्ग मीटर से अन्यून एवं चालीस वर्ग मीटर से अन्यून तथा अड़तालीस वर्ग मीटर से अनधिक, जैसा सरकार विहित करे, होगा ।

(ख) समूह आवासीय विन्यास में **शहरी** गरीबों के लिए **फर्श** क्षेत्र अनुपात का चिन्हांकनः

(i) तीन हजार वर्ग मीटर से अधिक भू–खण्ड क्षेत्रफल वाले समस्त समूह आवासीय भवनों में पन्द्रह प्रतिशत से अन्यून अनुमान्य फर्श क्षेत्र अनुपात दुर्बल आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के लिए आवासीय इकाई के रूप में आरक्षित रहेगा ।

(ii) तीन हजार वर्ग मीटर से नीचे के क्षेत्रफल वाले भू–खण्ड पर समस्त समूह आवासीय भवनों को फर्श क्षेत्र के आरक्षण से छूट दी जा सकेगी ।

(iii) दुर्बल आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के लिए आरक्षित इकाई का आकार क्रमशः पच्चीस वर्ग मीटर का आन्तरिक क्षेत्र से अन्यून एवं अड़तालीस वर्ग मीटर के आन्तरिक क्षेत्र से अनधिक(वहन करने योग्य आवासीय मार्गदर्शिका के अनुसार), जैसा सरकार विहित करे, होगा ।

(ग) पात्र व्यक्तियों की पहचान और भूमि/भवन की लागत का नियतीकरण

(i) सरकार का कोई विभाग/अभिकरण, दुर्बल आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के लिए आरक्षित समस्त भूखण्डों या भवनों, यथास्थिति की सूची संधारित करेगा और अतिक्रमण से इसकी

सुरक्षा सुनिश्चित करेगा,

(ii) दुर्बल आय वर्ग और अल्प आय वर्ग के लिए भूखण्डों या भवनों के आवंटन के लिए पात्र व्यक्तियों के चयन और ऐसे भूखण्ड या भवनों की लागत के निर्धारण की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा सरकार द्वारा विहित किया जाये।

(ड़) विकास कर्ताओं को प्रोत्साहन

प्रत्येक विकासकर्ता, जो दुर्बल आय वर्ग और अल्प आय वर्ग के लिए आवास हेतु भूमि या **फर्श** क्षेत्र का उपबंध करे, प्रतिपरिदान द्वारा प्रोत्साहित किया जायेगा, जो ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा विहित किया जाये (यथा घनत्व मानक में छूट, भू—उपयोगिता में छूट, आवासीय भवन का आंशिक वाणिज्यिक उपयोग, उच्च फर्श क्षेत्रफल अनुपात, अन्तरणीय विकास अधिकार इत्यादि अथवा आर्थिक सहायता) ।

(च) गैर आवासीय विकास

सरकार उपयुक्त **शुल्क** आरोपित करने पर विचार करेगी यथा आश्रय निधि के लिए संसाधन जुटाने हेतु एक हजार वर्ग मीटर से अधिक समस्त गैर आवासीय भूमि विकास/भवनों पर प्रभाव **शुल्क**, जो **शहरी** गरीबों के लिए भूमि, आवास, मूलभूत सुविधायें इत्यादि के लिए उपबंध हेतु प्रयुक्त किया जायेगा।

(छ) आश्रय शुल्क का परिसीमन

इस प्रकार एकत्रित आश्रय शुल्क एक अलग लेखा में संधारित किया जायेगा और दुर्बल आय वर्ग और अल्प आय वर्ग भूमि के अधिग्रहण, भूमि का विकास और भवनों का निर्माण और ऐसे दूसरे तरीकों से आवास का उपबंध करने हेतु दिषानिर्देष के अनुसार प्रयुक्त किया जायेगा।

428. भवन विनियमों

कोई भवन या स्थायी प्रकृति का निर्माण, जो भवन विनियम से विचलन कर या उल्लंघन कर

के उल्लंघन में भवन का निर्माण

या भंग कर निर्मित किया गया हो, या निर्माण प्रारंभ किया गया हो, गिरा दिये जाने के योग्य होगाः

परन्तु यह कि भवन विनियम के उल्लंघन अथवा भंग या विचलन कर, किसी भवन या स्थायी प्रकृति की संरचना का निर्माण करने वाला या निर्माण शुरू करने का उत्तरदायी स्वामी या अध्यासी या कोई व्यक्ति, अग्रेतर दण्ड, कम से कम एक लाख रूपया, जो भवन या संरचना के आकार तथा विचलन की सीमा के अनुसार, दस लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा, के भुगतान का दायी होगाः

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन, शास्ति इस अधिनियम के अधीन उपबंधित किसी अन्य जुर्माना, जिसमें भवन विनियम के अधीन प्रशमन के लिए प्रावधानित जुर्माना शामिल है, के अतिरिक्त होगा।

429. अनुज्ञप्त वास्तुविद द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण योजना नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को प्रस्तुत किया जाना

;1द्ध प्रत्येक अनुज्ञप्त वास्तुविद पाँच सौ वर्ग मीटर तक के भू–खण्ड पर व्यक्तिगत भवन निर्माण योजना को स्वीकृत करता है, योजना स्वीकृत करने की तिथि से, पन्द्रह दिनों के भीतर, उसके द्वारा दी गयी स्वीकृति सहित, निर्माण योजना का विवरण, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

;2द्ध अनुज्ञप्त वास्तुविद द्वारा स्वीकृत भवन योजना की प्राप्ति पर, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, जांच एवं सत्यापन कर, तथा स्वयं को संतुष्ट कर सकेगा, कि भवन निर्माण योजना इस अधिनियम के अधीन भवन विनियम एवं अपेक्षित अन्य प्राचलों (पैरामीटर) के समरूप हो तथा गलत पाये जाने पर निकाय कभी भी संबंधित आवश्यक कार्रवाई कर सकता है जिसमें नक्शे की अस्वीकृति भी शामिल है ।

;3द्ध यदि नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, ऐसी जांच या सत्यापन से पाता है कि अनुज्ञप्त वास्तुविद द्वारा भवन या स्थायी प्रकृति के निर्माण की निर्माण योजना को इस अधिनियम के अधीन भवन विनियम **अग्निशमन मानको, महायोजना के**

मानको एवं अन्य प्राचलों के उल्लंघन, भंग अथवा विचलन कर स्वीकृति दी गई है, वह निर्माण कार्य को तुरंत रोक देगा, एवं भवन विनियम और अन्य प्राचलों के उल्लंघन, भंग या विचलन में बनाये गये, ऐसे भवन के निर्माण के लिए उत्तरदायी स्वामी, अध्यासी या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा, और अनुज्ञप्त वास्तुविद, जिसने ऐसे भवन निर्माण योजना को स्वीकृत किया है, के विरूद्ध भी कार्रवाई करना प्रारंभ करेगा।

430. अनुमत स्तर के अन्दर भवन निर्माण का विचलन

यदि कोई भवन या स्थायी प्रकृति की संरचना का निर्माण या निर्माण का प्रारम्भ, विधिवत स्वीकृत भवन निर्माण योजना के अनुमोदन के पश्चात् किया गया हो, स्वीकृत निर्माण योजना से अनुमत स्तर तक विचलित पाये जाने पर, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, इसके ढाहने के लिए आदेश नहीं देगाः

परन्तु यह कि नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, यथा स्थिति, इस अधिनियम या नियम या विनियम या भवन विनियम में विहित, ऐसे दण्ड या जुर्माना वसूलने की कार्रवाई करेगाः

परन्तु यह और कि अनुमत स्तर के अधीन का विचलन, अनुज्ञप्त वास्तुकार को दण्डित करने का आधार नहीं होगा।

431. निर्माण कार्य का नियतकालिक निरीक्षण

;1द्ध प्रत्येक अनुज्ञप्त वास्तुविद जिसने पाँच सौ वर्ग मीटर तक के भू–खण्ड पर व्यक्तिगत भवन निर्माण योजना को स्वीकृत किया है, उसके द्वारा स्वीकृत ऐसे भवन निर्माण या स्थायी प्रकृति की संरचना का नियत कालिक निरीक्षण करेगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय, और यदि वह संतुष्ट है कि भवन का निर्माण उसके द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण योजना के उल्लंघन या भंग में है, तो वह ऐसे उल्लंघन को नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को तुरन्त सूचित किए जाने की जिम्मेवारी संबंधित वास्तुविद् की होगी ।

;2द्ध स्वीकृत भवन निर्माण योजना के भंग या उल्लंघन में निर्माण की सूचना, अनुज्ञप्त वास्तुविद द्वारा प्राप्त होने पर, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, ऐसे भवन निर्माण को तत्काल रोक देगा या रूकवा देगा, और गलती करने वाले

व्यक्ति के विरूद्ध, निर्मित भवन या स्थायी महत्व की सरंचना के ढाहने सहित, ऐसी कार्यवाही करेगा, जो इस अधिनियम या नियम या भवन विनियम के अधीन अनुमत है।

;3द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी स्वतंत्र है कि वह स्वयं निरीक्षण करे या उसके द्वारा प्राधिकृत नगरपालिका के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी द्वारा निरीक्षण करवाये, और ऐसे निरीक्षण से, यदि वह संतुष्ट है कि भवन या संरचना स्वीकृत भवन योजना से या भवन विनियम या इस अधिनियम के अधीन अन्य प्राचलों के विचलन या भंग में किया जा रहा है, तो वह ऐसी कार्यवाही, जो इस अधिनियम, नियम और विनियम के अधीन अनुमत हो, करना शुरू करेगा।

432. अवसर प्रदान किये बिना कोई कार्रवाई न किया जाना

;1द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, स्वीकृत भवन निर्माण योजना को भंग कर या उल्लंघन कर या भवन विनियम अथवा इस अधिनियम के अधीन अन्य प्राचलों के किसी भंग या उल्लंघन में, किसी भवन या स्थायी प्रकृति की संरचना के निर्माण के लिए उत्तरदायी स्वामी, अध्यासी या किसी व्यक्ति के विरूद्ध, कोई विपरीत आदेश तब तक पारित नहीं करेगा, जब तक संबंधित व्यक्ति को नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा पारित किये जाने वाले ऐसे विपरीत आदेश के विरूद्ध सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।

;2द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, किसी अनुज्ञप्त वास्तुविद के विरूद्ध कोई विपरीत आदेश, उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, पारित नहीं करेगा।

;3द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, अपने द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाना लंबित रहने तक, स्वीकृत निर्माण योजना अथवा भवन विनियम और इस अधिनियम के अधीन अन्य प्राचलों के भंग या उल्लंघन में निर्मित, किसी भवन या स्थायी प्रकृति की संरचना के निर्माण कार्य को रोकने का आदेश पारित करने हेतु स्वतंत्र होगा।

433.	भवन निर्माण योजना की स्वीकृति को लंबित रखना		सभी भवन निर्माण योजना, जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिन या पूर्व, संबंधित विकास प्राधिकरणों के पास स्वीकृति हेतु लंबित हों, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि के प्रभाव से **उपर** विहित रीति से निष्पादित की जायेगी।
434.	भवन विनियमों का बनाया जाना	;1द्ध	राज्य सरकार, नगरपालिकाओं के लिए भवन विनियम बनाएगीः परन्तु यह कि राज्य सरकार, सभी नगरपालिकाओं के लिए एक भवन विनियम, या अलग—अलग नगरपालिकाओं के लिए अलग—अलग विनियम, बना सकेगी। नये भवन उपविधि संसूचित किए जाने तक पूर्व से लागू/प्रचलित भवन उपविधि लागू माने जायेंगे ।
		;2द्ध	राज्य सरकार द्वारा बनाया गया विनियम, शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।
		;3द्ध	राज्य सरकार द्वारा बनाये गये भवन विनियम में, ऐसा उपांतरण, परिवर्द्धन या परिवर्तन, जो ऐसी नगरपालिकाओं की विशिष्ट अपेक्षा के अनुकूल हो, करने के लिए नगरपालिकाएं स्वतंत्र होंगीः परन्तु यह कि नगरपालिका द्वारा भवन विनियम में किया गया ऐसा उपांतरण, परिवर्द्धन या परिवर्तन तब तक प्रवृत्त नहीं होगा, जब तक राज्य सरकार द्वारा उसे अनुमोदित न कर दिया जायः परन्तु यह और कि यदि राज्य सरकार, नगरपालिका से उपान्तरित भवन विनियम के प्राप्त होने की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर अपना निर्णय संसूचित नहीं करती है, तो नब्बे दिनों की समाप्ति के बाद यह माना जायेगा कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।
435.	नगरपालिका द्वारा अनुज्ञप्त वास्तुविदों की पंजी	;1द्ध	प्रत्येक नगरपलिका, ऐसे अनुज्ञप्त वास्तुविदों की एक पंजी संधारित करेगी, जो निर्माण के लिए पाँच सौ वर्ग मीटर तक के भू—खण्ड पर व्यक्तिगत आवासीय भवन योजना या वर्तमान भवन के परिवर्तन या परिवर्धन या रूपान्तरण को

संधारित करना

अनुमोदित करने वाले, प्राधिकृत अनुज्ञप्त वास्तुविद् माने जायेंगे।

;2द्ध नगरपालिका की पंजी में शामिल होने की इच्छा रखने वाला प्रत्येक अनुज्ञप्त वास्तुविद, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को, पांच हजार रूपया शुल्क के साथ, एक आवेदन करेगा।

;3द्ध नगर पालिका, एक वास्तुविद को अनुज्ञप्त करने के लिए योग्यताएं तथा अन्य अपेक्षाएं विहित करेगी।

;4द्ध ऐसा आवेदन करने पर, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, संतुष्ट होने पर कि आवेदक अनुज्ञप्त वास्तुविद के लिए योग्य है, नगर पालिका के अनुज्ञप्त वास्तुविदों की पंजी में उसका नाम दर्ज कराएगा।

;5द्ध प्रत्येक अनुज्ञप्त वास्तुविद, जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि को या पहले, किसी राज्य के विकास प्राधिकार के साथ निबंधित/सूचीबद्ध है, वह, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के छः माह तक के लिए, नगरपालिका का अनुज्ञप्त वास्तुविद समझा जायेगाः

परन्तु यह कि प्रत्येक वास्तुविद, जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि को या पूर्व, किसी विकास प्राधिकार के साथ निबंधित/सूचीबद्ध हो अथवा नहीं हो, छः माह के भीतर, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन करेगा, जिसमें चूक करने पर वह अनुज्ञप्त वास्तुविद नहीं रह पायेगा । निकाय सूचीबद्धता हेतु नोटिस बोर्ड तथा समाचार पत्रों के माध्यम से आम सूचना जारी करेगी ।

;6द्ध परन्तु यह और कि इस अधिनियम के प्रवृत्त्त होने के छः माह बाद, केवल ऐसे वास्तुविद ही भवन निर्माण योजना स्वीकृत करने के लिए पदवी धारक होंगे, जिनका नाम नगरपालिका के अनुज्ञप्त वास्तुविदों की पंजी में निबंधित हो।

अनुज्ञप्त वास्तुविद के अनुज्ञप्ति की वैद्यता दो

वर्षो के लिए के लिए होगी जिसके पश्चात पुनः इस धारा के कण्डिका (2) में यथा निर्धारित शुल्क देकर अनुज्ञप्ति नवीकरण करा सकेगा।

436. कतिपय मामलों में भवन को ढहाने तथा कार्य को रोकने का आदेश तथा अपील

;1द्ध जब किसी भवन का निर्माण अथवा किसी कार्य का क्रियान्वयन, प्रारंभ किया गया है, या जारी रखा गया है, या धारा–427 में विनिर्दिष्ट स्वीकृति के बिना या उसके प्रतिकूल अथवा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन में, पूरा कर लिया गया हो, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त, ऐसा आदेश दे सकेगा कि आदेश में यथाविनिर्दिष्ट, वह व्यक्ति, जिसने यह निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया है या जारी रखा है या पूरा कराया है, कारणों का विवरण देते हुए, ढहाने के आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से पाँच दिनों से अन्यून तथा पन्द्रह दिनों से अनधिक अवधि के भीतर, ऐसे निर्माण अथवा कार्य को ढाह देः

परन्तु यह कि ढाहने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा, जब तक कि ऐसे व्यक्ति का नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा यथोचित समझी गयी रीति से तामील कराई गई नोटिस के जरिये, कारण पृच्छा का अवसर न दिया जाए कि ऐसा आदेश क्यों नहीं दिया जायः

परन्तु यह और कि जहाँ किसी भवन का निर्माण या किसी कार्य का क्रियान्वयन पूरा नहीं हुआ हो, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, उसी आदेश द्वारा या पृथक् आदेश द्वारा, प्रथम परन्तुक के अधीन नोटिस निर्गत होने के समय या किसी अन्य समय, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भवन का निर्माण या कार्य का निष्पादन उपधारा (3) के अधीन ढाहने के आदेश के विरूद्ध कोई अपील, यदि कोई हो, की अवधि की समाप्ति तक, रोकने का आदेश दे सकेगा।

स्पष्टीकरण– इस अध्याय में ''व्यक्ति जिसके अनुरोध पर'' से अभिप्रेत होगा, ऐसा स्वामी या अधिभोगी या कोई अन्य व्यक्ति, जो किसी भवन का निर्माण अथवा किसी कार्य का निष्पादन

कराता है, जिसमें कराये गये अथवा उसके द्वारा किये गये परिवर्तन या परिवर्द्धन भी, यदि कोई हो, शामिल है।

;2द्ध इस बात के होते हुए भी, कि ऐसे भवन और भूमि पर सम्पति कर के उद्ग्रहण के उद्देश्य से, ऐसे भवन का कर निर्धारण किया गया है, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, उपधारा (1) के अधीन आदेश दे सकेगा।

;3द्ध उपधारा (1) के अधीन नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश के विरूद्ध, आदेश की तिथि से तीस दिनों के भीतर नगरपालिका के लिए गठित भवन न्यायाधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है ।

;4द्ध जब उपधारा (1) के अधीन किये गये आदेश के विरूद्ध उपधारा (3) के अधीन अपील की गयी हो, तो धारा–442 में उल्लिखित नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण, ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हो, तथा, जैसा वह उचित समझे, ऐसी अवधि के लिए, इस आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगा सकता हैः

परन्तु यह कि जब उपधारा (1) के अधीन आदेश के समय किसी भवन का निर्माण अथवा किसी कार्य का निष्पादन पूरा नहीं हुआ है, तो नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण द्वारा उस उपधारा के अधीन आदेश के प्रवर्तन पर तब तक स्थगनादेश नहीं दिया जाएगा, जब तक अपील के निपटारे तक, ऐसे कार्य या निर्माण को लंबित रखने के लिए अपीलार्थी द्वारा प्राधिकरण के मत में पर्याप्त प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं की जाये।

;5द्ध इस धारा में यथा उपबंधित को छोड़कर, कोई न्यायालय, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी के विरूद्ध इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में कोई आदेश देने के लिए अथवा उसे कोई कार्रवाई करने से अवरूद्ध करने के लिए, कोई वाद, आवेदन ग्रहण नहीं करेगा, या निषेधाज्ञा के लिए अन्य कार्यवाही अथवा अन्य राहत देने की कार्रवाई नहीं करेगा।

;6द्ध अपील पर नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश, तथा ऐसे आदेश के अध्यधीन, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा।

;7द्ध जब नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उपधारा (1) में दिये गये किसी आदेश के विरूद्व कोई अपील दायर नहीं की गई हो, अथवा जहाँ उक्त उपधारा के अधीन अपील पर, नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण द्वारा कोई आदेश, परिवर्तन सहित या रहित, पुष्ट कर दिया गया हो, तो वह व्यक्ति, जिसके विरूद्व आदेश दिया गया है, यथास्थिति, इसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, इसका अनुपालन करेगा, तथा अपील द्वारा निश्चित की गयी अवधि, यदि कोई हो, के भीतर, और ऐसी अवधि के भीतर आदेश के अनुपालन में उस व्यक्ति के असफल रहने पर, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, जिस भवन अथवा कार्य के संबंध में आदेश हो, उससे संबंधित भवन या कार्य को ढाहने की कार्रवाई स्वयं करेगा, एवं ऐसे ढहाने पर हुआ व्यय उस व्यक्ति से, इस अधिनियम के अधीन कर के बकाये के रूप में, वसूलनीय होगा।

;8द्ध इस अध्याय में किसी बात के अतंर्विष्ट होते हुए भी, यदि स्थायी समिति, इस मत की हो कि इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लधंन में किसी भवन अथवा किये जा रहे कार्य के संबंध में त्वरित कार्रवाई आवश्यक है, तो कारणों को अभिलिखित करते हुए, ऐसे भवन अथवा कार्य को तत्काल ढहवा देगी।

437. कतिपय दशाओं में भवन अथवा कार्य के रोके जाने का आदेश

;1द्ध जब किसी भवन का निर्माण या किसी कार्य का निष्पादन, धारा–427 में उल्लिखित स्वीकृति के बिना या उल्लंघन में, अथवा ऐसी शर्तो के उल्लंघन में, जिसके अध्यधीन अनुमोदन दिया गया हो, अथवा इस अधिनियम या एतद्धीन बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन में, शुरू कर दिया गया है अथवा किया जा रहा है, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त,

आदेश द्वारा उस व्यक्ति से, जिसकी प्रेरणा से भवन का निर्माण अथवा कार्य प्रारंभ किया गया है अथवा कराया जा रहा है, उसे तत्काल बन्द करने की अपेक्षा कर सकेगा।

;2द्ध (क) इस अधिनियम अथवा एतद्धीन बनाये गये नियमों अथवा विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भवन का स्वामी, अथवा स्वामी की ओर से किसी भवन निर्माण में लगा हुआ कोई व्यक्ति, ऐसे भवन निर्माण हेतु स्थल पर जल जमाव अथवा जलावरोध की अनुमति नहीं देगा, तथा ऐसा प्रत्येक स्वामी अथवा ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, यथास्थिति, सप्ताह में कम से कम एक बार ऐसे संपूर्ण संग्रहीत जल को पूरी तरह खाली करेगा;

(ख) जब किसी भवन का निर्माण खंड (क) के उपबन्धों के उल्लंघन में किया जा रहा हो, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, इस अधिनियम के अधीन अन्य कोई कार्रवाई किए जाने के अतिरिक्त, लिखित रूप में, आदेश द्वारा, उस व्यक्ति से, जिसकी प्रेरणा पर भवन निर्माण हेतु स्थल पर ऐसा जल जमाव अथवा जलावरोध किया गया हो, भवन का अग्रेतर निर्माण कार्य तत्काल रोक देने की अपेक्षा कर सकेगा, और ऐसा आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक यथा पूर्वोक्त व्यक्ति, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी का समाधान होने तक, पूर्वोक्त आदेश की अपेक्षाओं का पालन नहीं कर देता।

;3द्ध यदि, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किसी भवन का निर्माण कार्य रोकने के लिए किसी व्यक्ति को उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन दिये गये आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, जैसा उचित समझे वैसा उपाय कर सकता है, अथवा किसी आरक्षी पदाधिकारी से ऐसे व्यक्ति तथा उसके सभी सहायकों एवं कर्मकारों को, नगर आयुक्त या कार्यपालक

पदाधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, परिसर से हटाने की अपेक्षा कर सकेगा, तथा आरक्षी पदाधिकारी, ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करेगा।

;4द्ध यदि धारा–436 के अधीन अथवा इस धारा की उपधारा (1) के अधीन किसी भवन का निर्माण अथवा किसी कार्य का निष्पादन रोकने हेतु, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, जैसा उचित समझे वैसा उपाय कर सकता है अथवा किसी आरक्षी पदाधिकारी से ऐसे व्यक्ति तथा उसके सभी सहायकों एवं कर्मकारों को, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा यथानिर्दिष्ट अवधि के भीतर, परिसर से हटाने की अपेक्षा कर सकेगा, तथा आरक्षी पदाधिकारी ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करेगा।

;5द्ध इस धारा के उपबंधों के अनुसार, कोई आदेश देने अथवा कोई कार्रवाई करने से रोकने के लिए, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी के विरूद्ध निषेधाज्ञा अथवा अन्य राहत के लिए, न्यायालय कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही स्वीकार नहीं करेगा।

;6द्ध उपधारा (5) के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भवन का निर्माण अथवा कार्य का निष्पादन जारी न रहे तो, यदि उचित समझे, लिखित आदेश द्वारा, परिसर की निगरानी हेतु, किसी आरक्षी पदाधिकारी, या नगरपालिका के किसी पदाधिकारी या किसी अन्य कर्मचारी को प्रतिनियुक्त कर सकेगा।

;7द्ध जब उपधारा (6) के अधीन परिसर की निगरानी के लिए किसी आरक्षी पदाधिकारी या नगरपालिका के पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की जाती है, तो ऐसी प्रतिनियुक्ति की लागत, जिसे विनियमों द्वारा नगरपालिका विहित करे, का भुगतान उस व्यक्ति द्वारा किया जायेगा, जिसकी प्रेरणा पर ऐसा निर्माण अथवा निष्पादन जारी रखा गया है, अथवा जिसे उपधारा

(1) के अधीन नोटिस दी गई हो, तथा ऐसे व्यक्ति से, इस अधिनियम के अधीन, कर के बकाये के रूप में वसूलनीय होगी।

438. इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में भवन निर्माण

;1द्ध इस अधिनियम में या इसके अधीन बनाये गये नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, स्वयं या उसकी ओर से उत्तरदायी बनाया गया कोई अन्य व्यक्ति, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियम के उपबंधों के उल्लंघन में, किसी नये भवन या किसी भवन में अतिरिक्त तल या तलों का निर्माण या प्रयत्न या ऐसे निर्माण का षडयंत्र करता है, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो अथवा संकटापन्न होने की संभावना हो, अथवा नगरपालिका की किसी सम्पति, जलापूर्ति, जल निकासी या सीवरेज या सड़क यातायात विच्छिन्न होता हो अथवा विच्छिन्न होने की संभावना हो, या आग का जोखिम संभावित हो, तो उसे पांच वर्ष तक की अवधि के कारावास से, और पचास हजार रूपये तक के जुर्माना से भी दंडित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण– 'व्यक्ति' में शामिल है कोई स्वामी, अधिभोगी, पट्टेदार, बंधकदार, परामर्शी, संप्रवर्तक, वित्तदाता अथवा स्वामी, अधिभोगी, पट्टेदार, बंधकदार, परामर्शी, प्रोत्साहन या वित्तदाता का कोई सेवक या अभिकर्ता, जो यथापूर्वोक्त किसी नये भवन या किसी भवन में अतिरिक्त तल अथवा तलों के निर्माण का पर्यवेक्षण करता हो अथवा निर्माण कराता हो।

;2द्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अर्थान्तर्गत, उपधारा (1) के अधीन अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होगा।

;3द्ध जहाँ उपधारा (1) के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाता है, तो ऐसी कंपनी पर धारा– 610 के उपबन्ध लागू होंगे।

स्पष्टीकरण– 'कंपनी' का अर्थ वही होगा, जैसा धारा–610 के स्पष्टीकरण में हैं।

439 कार्य

;1द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, किसी

. परिवर्तन की अपेक्षा करने की नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की शक्ति

भवन के परिनिर्माण या किसी कार्य के निष्पादन के दौरान अथवा उसके पूर्ण होने के पश्चात् स्व प्रेरणा/विशेष शिकायत या निरीक्षण के दौरान, किसी भी समय लिखित रूप में नोटिस द्वारा, किसी ऐसे मामले को विनिर्दिष्ट कर सकता है, जिसमें ऐसा परिनिर्माण या निष्पादन धारा–427 में विनिर्दिष्ट स्वीकृति के बिना या उसके प्रतिकूल हो, अथवा ऐसी स्वीकृति के किसी शर्त अथवा इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम या विनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करता हो, तो नोटिस देने वाले व्यक्ति अथवा ऐसे भवन या कार्य के स्वामी से अपेक्षा कर सकता है,–

(क) वह ऐसी मंजूरी या ऐसी मंजूरी की ऐसी शर्त या इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम या विनियम के उपबंधों के अनुरूप, ऐसे भवन या कार्य को करने के लिए, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट परिवर्तन करे, अथवा

(ख) नोटिस में यथा उल्लिखित अवधि के भीतर, ऐसा परिवर्तन नहीं करने का कारण दर्शाए।

;2द्ध यदि ऐसा व्यक्ति या ऐसा स्वामी, यथा उपर्युक्त कोई कारण नहीं दिखा सके, तो वह नोटिस में विनिर्दिष्ट परिवर्तन करने के लिए बाध्य होगा।

;3द्ध यदि ऐसा व्यक्ति या ऐसा स्वामी, यथा उपर्युक्त कारण दिखाता है, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, आदेश द्वारा, या तो उपधारा (1) के अधीन निर्गत नोटिस को रद्द करेगा, अथवा ऐसे रूपान्तरण के अध्यधीन, जैसा वह उचित समझे, उसे पुष्ट करेगा।

440. सम्पूरण प्रमाण–पत्र

;1द्ध प्रत्येक नोटिस देने वाला व्यक्ति अथवा नोटिस से संबंधित भवन या कार्य का प्रत्येक स्वामी, ऐसे परिनिर्माण या ऐसे कार्य के निष्पादन के समाप्त होने के एक माह के भीतर, इस निमित्त बनाए गए नियम एवं विनियम में विनिर्दिष्ट प्रारूप में प्रमाण–पत्र संलग्न कर, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को, लिखित रूप में नोटिस, सुपुर्द करेगा या भेजेगा अथवा सुपुर्द

कराएगा या भिजवाएगा, तथा नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को ऐसे कार्य या भवन के निरीक्षणार्थ सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

;2द्ध कोई भी व्यक्ति, ऐसे भवन का तब तक अध्यासन नहीं करेगा अथवा अध्यासन के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञा नहीं देगा अथवा किसी ऐसे कार्य से प्रभावित किसी भवन या उसके किसी भाग का उपयोग नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम या विनियम के अनुसार, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा इस निमित्त अनुमति नहीं दी जाएः

परन्तु यह कि यदि नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, सम्पूरण—नोटिस की प्राप्ति के साठ दिनों की अवधि के भीतर, ऐसी अनुमति प्रदान करने से इंकार करने की संसूचना नहीं देता है, तो ऐसा व्यक्ति, महापौर या अध्यक्ष को लिखित रूप में अभ्यावेदन दे सकता है।

नगरपालिका भवन संहिता

441. भवन संहिता बनाने तथा भवन संहिता को लागू करने के प्रयोजनार्थ नगर पालिका क्षेत्र का वर्गीकरण करने की राज्य सरकार की शक्ति

;1द्ध राज्य सरकार, निम्नलिखित उपबंधों के लिए नियमों को शामिल करते हुए, नगर पालिका भवन संहिता के नाम से एक संहिता तैयार करेगी—

(क) भवनों के स्थलों के उपयोग के लिए विनियमन या निबंधन,

(ख) भवनों का विनियमन या निबंधन, और

(ग) शहरी भूमि अधिकतम सीमा या शहरी भूमि उपयोग योजना से संबंधित किसी विधि के उपबन्धों का अनुपालन।

;2द्ध पूवर्गामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी संहिता, निम्नलिखित किसी या सभी मामलों के लिए, उपबंध कर सकती है—

(क) इस अध्याय के किसी उपबंध के अधीन आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी एवं योजना,

(ख) स्थल की आवश्यकताएँ,

(ग) पहुँचने का साधन,
(घ) भूमि उप–विभाजन एवं अभिन्यास में भूमि का विकास,
(ङ) भूमि उपयोग वर्गीकरण एवं उपयोग,
(च) खुली जगह, क्षेत्र एवं उँचाई सीमांकन,
(छ) पार्किंग हेतु जगह,
(ज) भवन की कुर्सी के भाग, आवासीय कमरा, रसोई घर, रसोई भंडार, स्नान घर, पानी टंकी, दीर्घा, छज्जा, बिचला–तल्ला, भंडार–घर, गैराज, छत, तहखाना, चिमनी, कमरा में प्रकाश एवं रोशनदान, मुड़ेरा, कुआँ, सेप्टिक टंकी, तथा चहारदीवारी की आवश्यकता,
(झ) उत्थापक (लिफ्ट) का प्रावधान,
(ञ) दरवाजा सहित निकास द्वार, गलियारा, रास्ता, सीढ़ीघर, दालान एवं उपान्तिका,
(ट) आग से बचाव की आवश्यकता,
(ठ) आंतरिक सज्जा के लिए सामग्री एवं रूपांकन,
(ड) आवासीय भवन, शैक्षणिक भवन, सांस्थिक भवन, सभा भवन, भंडारण गृह, परिसंकटमय भवन (जिनमें सभा, गतिविधि, पार्किंग, लोडिंग, अनलोडिंग, जन–सुविधा, जलापूर्ति एवं विक्रेता हेतु सर्वजन स्थान भी शामिल है) की दखलधारी की विशिष्ट आवश्यकतायें,
(ढ) संरचनात्मक रूपांकन,
(ण) सामग्री एवं शिल्प कौशल की गुणवत्ता,
(त) वैकल्पिक सामग्री, रूपांकन पद्धति, निर्माण एवं परीक्षण,
(थ) भवन की सेवायें, यथा बिजली आपूर्त्ति तथा ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोत से ऐसी आपूर्ति, वातानुकूलन या गर्म करना, तथा दूर संचार प्रणाली,
(द) जलापूर्त्ति, जल संग्रहण एवं नलकारी सेवा,
(ध) वर्षा जल संरक्षण,
(न) बेकार जल का पुनर्चक्रण तथा पुनःप्रयोग
(प) निशान और बाहरी संप्रदर्शन संरचना,
(फ) पहाड़ी क्षेत्रों में, भवनों के लिए विशेष आवश्यकतायें,

(ब) विकलांग व्यक्तियों के लिए आने–जाने की विशेष अपेक्षाएँ, और

(भ) भूकम्प एवं तूफान सहित, प्राकृतिक आपदा तथा तकनीकी आपदा से संरक्षण और,

(म) भवन से संबधित आवश्यक समझा गया, कोई अन्य मामला।

;3द्ध राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय या इस धारा के अधीन बनाए गए नियमों के किसी या सभी उपबंधों के प्रवर्तन से, किसी नगरपालिका क्षेत्र या नगर पालिका क्षेत्र समूह को मुक्त कर सकती है।

;4द्ध जब उपधारा (3) के अधीन ऐसी छूट, किसी नगरपालिका क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र–समूह में प्रवृत्त रहती है, तो राज्य सरकार, ऐसे नगर पालिका क्षेत्र या नगर पालिका क्षेत्र समूहों में लागू करने के लिए इस अध्याय के उपबंधों से सुसंगत नियम बना सकती है।

;5द्ध

टी0डी0आर0(ट्रेडेबल डेवलपमेंट राईट) तथा जनोपयोगी योजनाओं यथा सड़क, नाली निर्माण, सामुदायिक भवन, पार्क इत्यादि के लिए अधिग्रहण के केस में प्रभावित व्यक्ति को देय लागू मुआवजा के अतिरिक्त टी0डी0आर0 प्रमाण पत्र एवं अतिरिक्त एफ0ए0आर0 निकाय प्रदान कर सकती है बशर्तें कि सरकार को पुरी स्थिति से अवगत कराते हुए पूर्व में अनुमति प्राप्त कर ले ।

नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण

442. नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण

;1द्ध राज्य सरकार, अध्याय–39ए में विनिर्दिष्ट मामलों से उत्पन्न अपील की सुनवाई एवं विनिश्चय करने के लिए, जैसा उचित समझे, ऐसी प्रक्रिया से तथा ऐसी अपील के संबंध में यथाविहित शुल्क वसूल करने के लिए, यथा आवश्यक, एक या उससे अधिक, नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण (इसके पश्चात् इस धारा में न्यायाधिकरण के रूप में उल्लिखित) की नियुक्ति कर सकती है।

;2द्व प्रत्येक न्यायाधिकरण के एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे।

;3द्व राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा, जो **जिला एवं सत्र न्यायाधिश के समकक्ष हो** या रहा हो।

;4द्व राज्य सरकार, न्यायाधिकरण के दो अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगी, जिसमें से एक, सहायक नगर निवेशक से अन्यून पद का, नगर निवेशक होगा, तथा दूसरा न्यूनतम पन्द्रह वर्षो का अनुभव रखनेवाला सिविल अभियन्ता या वास्तुविद होगाः

परन्तु यह कि कोई पार्षद या व्यक्ति, जो नगरपालिका पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी हो, न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

;5द्व न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, **65 वर्ष की उम्र तक** पद धारण करेंगे, तथा उनको नगरपालिका निधि से भुगतान किया जायेगा, एवं उनकी शर्तें एवं दशायें, राज्य सरकार द्वारा विहित की जायेंगी।

;6द्व राज्य सरकार, यदि उचित समझे, अक्षमता या अवचार या किसी अन्य मान्य या पर्याप्त कारणों से, न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या अन्य सदस्य को हटा सकती है।

;7द्व न्यायाधिकरण में यथाविहित शर्तें एवं निबंधनों पर नियुक्त पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी होंगे, तथा न्यायाधिकरण के व्यय का भुगतान नगरपालिका निधि से किया जायेगा।

;8द्व अपील से संबंधित परिसीमा अधिनियम, 1963 के भाग—प्प् एवं भाग—प्प्प् के उपबंध, इस धारा के अधीन दायर प्रत्येक अपील पर लागू होंगे।

;9द्व न्यायाधिकरण में अपील हेतु, इस अध्याय में किए गए उपबंध से संबंधित कोई मामला, किसी न्यायालय की अधिकारिता में नहीं आएगा।

सामान्य शक्तियाँ

443. गली के मुहाने पर भवन

;1द्ध इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम या विनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, दो गलियों के मुहाने पर निर्माण से आशयित किसी भवन की स्थिति में,—

(क) यथा अभिलिखित कारणों से, स्वीकृति अस्वीकार कर सकता है, अथवा
(ख) इसके उपयोग पर, निर्बंधन अधिरोपित कर सकता है, अथवा
(ग) किसी गली से बाहर निकलने एवं प्रवेश करने के संबंध में, विशेष शर्त रख सकता है, अथवा
(घ) उसके द्वारा यथा अवधारित ऊँचाई या विस्तार को पूरा करने, ढालू बनाने या काटने की अपेक्षा कर सकता है, अथवा
(ङ) स्थल के मुहाने पर ऐसे भाग का अर्जन कर सकता है, जो वह जन—सुविधा या सुख—सुविधा के लिए आवश्यक समझेः

परन्तु यह कि इस उपधारा के उपबन्धों के अधीन किसी मामले में, कुछ भी, इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार, बिना ऐसे मामले की संवीक्षा किये बिना, और स्थायी समिति के पूर्वानुमोदन के बिना, नहीं किया जायेगा।

;2द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व, पूर्ण होने वाले किसी भवन में, उपधारा (1) के खंड (ख) से खण्ड (ङ) के तत्समान कोई परिवर्तन किए जाने की अपेक्षा कर सकता है।

444. नयी गली के दोनों तरफ या उपरिपुल या परिवहन टर्मिनल के समीप भवन एवं

;1द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा, किसी नयी गली के दोनों ओर, किसी कार्य के परिनिर्माण की मंजूरी तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि, ऐसी नयी गली को समतल नहीं कर दिया गया हो, तथा नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी के मत में, उसके समाधान होने तक, यथा संभव उसे पक्की या खड़ंजा करके प्रकाश एवं जल निकासी की व्यवस्था न कर दी गयी हो।

कार्य विषयक उपबंध

;2द्ध ऐसे किसी भवन के परिनिर्माण अथवा ऐसे किसी कार्य के निष्पादन की मंजूरी, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा इंकार की जा सकती है, यदि ऐसे भवन या उसका कोई भाग अथवा ऐसा कार्य, किसी गली की नियमित सीमा के भीतर आता हो, और नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जिसकी अवस्थिति एवं दिशा दी गयी हो, किन्तु वास्तविक रूप में जिसका परिनिर्माण या निष्पादन नहीं हुआ हो, अथवा ऐसा भवन या उसका कोई भाग या ऐसा कार्य, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन तैयार की गयी किसी भवन–योजना या किसी स्कीम या योजना के उल्लंघन में हो।

;3द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, ऐसे किसी भवन के परिनिर्माण या पुनर्निर्माण को अनुमति देने से इंकार कर सकता है, जो पूर्ण होने पर उपरिपुल या परिवहन टर्मिनल अथवा अन्य निर्माण से, ऐसी दूरी के भीतर होगा, जैसा इस निमित्त बनाए गए नियम या विनियम द्वारा उपबंधित किया जाय।

445. बिना अनुमति के भवन आदि के लिए ज्वलनशील सामग्री के उपयोग के विरूद्ध उपबंध

;1द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना, कोई छत, बरामदा, पंडाल या दीवाल अथवा छाजन या चहारदिवारी का निर्माण या पुनर्निर्माण, कपड़ा, घास, पत्ता, चटाई या अन्य ज्वलनशील सामग्री से नहीं किया जाएगा, और न किसी वर्ष में निर्मित या पुनर्निर्मित, ऐसी छत बरामदा, पंडाल, दीवार, छाजन, नयी चहारदिवारी को, इस निमित्त, नयी अनुमति प्राप्त किए बिना, पश्चात्वर्ती वर्ष में प्रतिधारित किया जाएगा।

;2द्ध उपधारा (1) के अधीन प्राप्त प्रत्येक अनुज्ञा, मंजूर होने वाले वर्ष की समाप्ति पर, समाप्त हो जाएगी।

;3द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, इस निमित्त नियम एवं विनियम के अनुसार, आंतरिक

सज्जा के लिए सामग्री का उपयोग, रूपांकन या निर्माण या अन्य कार्य विनियमित कर सकता है।

446. किसी खास गली या इलाका में भविष्य में निर्माण होने वाले भवन को विनियमन करने की शक्ति

;1द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, स्थायी समिति के पूर्वानुमोदन के अध्यधीन, नोटिस देकर अपने आशय की घोषणा कर सकता है—

(क) ऐसी नोटिस में विनिर्दिष्ट किसी गली या उसके किसी भाग में, ऐसी नोटिस के पश्चात् परिनिर्मित या पुनः परिनिर्मित सभी भवनों या का पुरोभाग, किसी श्रेणी के भवनों की स्थापत्य संबधी विशेषताओं के संबंध में ऐसा हो, जो स्थायी समिति, उस इलाका के लिए उचित समझे, अथवा

(ख) ऐसी नोटिस में विनिर्दिष्ट किसी इलाका में, मात्र विलग्न या अर्द्धविलग्न भवन या दोनों के परिनिर्माण को अनुमत किया जाएगा, तथा ऐसे प्रत्येक भवन से संलग्न भूमि का क्षेत्र, ऐसी नोटिस में विनिर्दिष्ट से, अन्यून होगा, अथवा

(ग) किसी विशेष क्षेत्र में भवन भू—खंड का विभाजन या उप—विभाजन, न्यूनतम विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल में होगा, अथवा

(घ) नोटिस में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में, प्रत्येक एकड़ भूमि में विनिर्दिष्ट भवनों की संख्या से अधिक, निर्माण के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, अथवा

(ङ) ऐसी नोटिस में विनिर्दिष्ट किसी गली, उसके किसी भाग या क्षेत्र में, स्थायी समिति की विशेष अनुमति के बिना, एक या उससे अधिक विभिन्न श्रेणी के भवन (यथा आवासीय, शैक्षिक, सांस्थिक, सभा, व्यापार, वाणिज्यिक, औद्योगिक, गोदाम एवं परिसंकटमय भवन) का निर्माण अनुमत नहीं होगा।

;2द्ध स्थायी समिति, ऐसी नोटिस के प्रकाशन के तीन माह के भीतर, प्राप्त सभी सुझावों या आपत्तियों पर विचार करेगी, तथा घोषणा को पुष्ट कर सकेगी, या इस प्रकार उपांतरित कर सकेगी, कि ऐसी नोटिस के प्रभावी होने की अवधि का

विस्तार न हो।

;3द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, इस प्रकार पुष्ट या उपांतरित किसी घोषणा को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगा, और ऐसी घोषणा, ऐसे प्रकाशन की तिथि से, प्रभावी होगी।

;4द्ध ऐसी घोषणा के प्रकाशन की तिथि के पश्चात् कोई व्यक्ति, ऐसी घोषणा के उल्लंघन में किसी भवन का परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण नहीं करेगा।

;5द्ध स्थायी समिति, यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी घोषणा शहरी भूमि उपयोग योजना से संबंधित किसी राज्य विधि के उपबंधों के अनुरूप हो।

447. उत्खनन बंद करने की शक्ति

यदि, उत्खनन या किसी भवन निर्माण के प्रयोजनार्थ, कोई अन्य संक्रिया या किसी कार्य–निष्पादन के दौरान किन्हीं भूमिगत सुविधाओं (जैसे–बिजली या दूरभाष केबल, जलापूर्ति, नाली, मलजल नाली एवं गैस पाइप) का स्पर्श होता है या स्पर्श होने की संभावना हो, अथवा यदि नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी के मत में, ऐसा उत्खनन जनता के लिए खतरनाक हो, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, मामले का अन्वेषण होने एवं अपने समाधान के विनिश्चित होने तक, ऐसे किसी उत्खनन या अन्य कार्य को तत्काल बंद कर सकता है।

448. विद्यमान भवनों के रूपान्तरण की अपेक्षा करने की शक्ति

नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, इस अधिनियम और एतद्धीन बनाए गए नियम एवं विनियम के उपबंधों के अनुरूप, जनता या अध्यासी की सुविधा, सुरक्षा, एकांतता या स्वच्छता बढ़ाने के लिए, किसी विद्यमान भवन के स्वामी से, लिखित आदेश द्वारा, आदेश में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, रूपान्तरण करने की अपेक्षा कर सकता हैः

परन्तु यह कि ऐसा आदेश करने के पूर्व, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, स्वामी को ऐसी कारण पृच्छा देने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा कि क्यों नहीं ऐसा आदेश किया

जाए।

449. परिसंकटमय भवनों को हटाने का आदेश देने की शक्ति

;1द्ध यदि कोई दीवाल या भवन या उससे चिपकी कोई वस्तु, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जीर्ण–शीर्ण अवस्था में प्रतीत हो, या गिरने की संभावना हो, या किसी प्रकार से खतरनाक हो, वह, स्वामी को तुरन्त लिखित नोटिस तामील कराएगा, और दीवाल या भवन के सहजदृश्य भाग पर चिपकवायेगा, अथवा भवन का अध्यासी, यदि कोई हो, को तामील कराएगा, और ऐसे स्वामी या अधिभोगी से ऐसी दीवाल, भवन या वस्तु को ढहाने, मरम्मत करने या सुरक्षित बनाने की, यथास्थिति, अपेक्षा करेगा।

;2द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, जनता या अन्तःवासियों की सुरक्षा के लिए, ऐसी दीवाल या भवन के समुचित टट्टी या घेरा, स्वामी के खर्च पर लगवा सकता है, तथा नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, आवश्यक समझे जाने पर, ऐसे नोटिस देने के पश्चात्, भवन के अन्तःवासियों से उसे खाली करने की अपेक्षा कर सकेगा।

;3द्ध इस अधिनियम एवं एतद्धीन भवनों से संबंधित बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंध, उपधारा (1) के अधीन निर्गत नोटिस के अनुसरण में अथवा उसके फलस्वरूप किए गए किसी कार्य पर लागू होंगे।

;4द्ध (क) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नगर पालिका, वास्तुविद एवं नगर निवेशक के ऐसी रिपोर्ट पर प्रमाणित करते हुए कि ऐसे भवन को ढाहना, मरम्मत करना या घेराबंदी करना, भवन की जनता या अन्तःवासियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, ऐसी दीवाल या भवन या उससे चिपकी किसी चीज को तत्काल या ऐसी नोटिस देकर, जो वह उचित समझे, ढाह सकता है, मरम्मत कर सकता है या घेराबंदी कर सकता

है, या ढहा सकता है, मरम्मत करवा सकता है या घेराबंदी करवा सकता है,

(ख) ऐसे किसी मामलें में, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, जैसा वह उचित समझे, ऐसे भवन या उसके ऐसे भाग से, भवन के अन्तःवासियों को, अल्पावधि में भी हटवा सकता है,

(ग) नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा, इस उपधारा के प्रयोजनों को पूरा करने पर उपगत, सभी व्यय का भुगतान, ऐसी दीवाल, भवन या वस्तु के स्वामी द्वारा किया जाएगा।

;5द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उपधारा (4) के अधीन की गयी कोई बात या की गयी कोई कार्रवाई, जब तक प्रतिकूल सिद्ध न हो, विधि एवं सद्भाव पूर्वक की गयी बात, या की गयी कार्रवाई, समझी जाएगी।

450. भवन का निरीक्षण

;1द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, या नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी, इस अध्याय के अधीन, किसी भवन के परिनिर्माण या पुनर्परिनिर्माण अथवा कोई कार्य–निष्पादन के दौरान किसी भी समय, ऐसा करने के अपने आशय की पूर्व नोटिस दिए बिना, उसका निरीक्षण कर सकता है।

;2द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, अथवा नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी, सात दिनों की अग्रिम नोटिस देकर, किसी भी समय, किसी विद्यमान भवन का निरीक्षण कर सकता है।

451. परिसर के गैर–आवासीय उपयोग की दशा में अनुमति

;1द्ध कोई व्यक्ति, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के बिना, अथवा ऐसी अनुमति की शर्तों, यदि कोई हो, की अनुरूपता से भिन्न, किसी परिसर को गैर–आवासीय उपयोग में नहीं रख सकता है, जिसमें शैक्षिक भवन या सांस्थिक भवन, या सभा भवन, या व्यापार भवन, या वाणिज्यिक भवन, या औद्योगिक भवन या गोदाम या परिसंकटमय भवन

के लिए उपयोग करना भी शामिल है।

;2द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, किसी मामले में ऐसे उपयोग के आधार पर, ऐसी अनुमति देने से मना कर सकता है, जो–

(क) पड़ोस में जनसंख्या–घनत्व के कारण आपत्ति जनक हो, अथवा

(ख) पास–पड़ोस में यातायात दबाव को बढ़ाता हो, जिसमें वाहनों का पार्किंग स्थल भी शामिल है, अथवा

(ग) पड़ोस में अन्य सर्वाधिक उपयोगों के अनुरूप न हो, अथवा

(घ) आग का खतरा संधारित करता हो, अथवा

(ङ) पड़ोस के निवासियों के लिए लोककण्टक हो, अथवा

(च) अस्पताल या क्लीनिक की दशा में, शोर–गुल या पर्यावरण के चलते रोगियों के लिए हानिकारक हो, जो स्वास्थ्य संकट उत्पन्न करता हो, अथवा

(छ) शैक्षणिक भवन की दशा में, छात्रों को खेल के मैदान से वंचित रखता हो।

;3द्ध इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, भूमि उपयोग नियंत्रण के अध्यधीन, प्रत्येक ऐसे मामले में, जहाँ नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा, इस धारा के अधीन अनुमति नामंजूर की गयी हो, वह अंतिम होगी।

452. अनुमति प्रदान करने की शर्ते

ऐसे किसी परिसर के उपयोग की दशा में, जिसमें राज्य सरकार अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी प्राधिकार द्वारा अनुज्ञप्ति या अनुमति अपेक्षित हो, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, किसी व्यक्ति को, इस धारा के अधीन ऐसी अनुमति तब तक प्रदान नहीं करेगा, जब तक कि ऐसा व्यक्ति, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष यथास्थिति, राज्य सरकार या ऐसे प्राधिकार से प्राप्त अनुज्ञप्ति या अनुमति प्रस्तुत न करे, और उसके समक्ष उसकी अधिप्रमाणित प्रति पेश न करेः

परन्तु यह कि जब तत्समय प्रवृत्त किसी

अन्य विधि के अधीन अनुज्ञप्ति या अनुमति मंजूर करने के लिए नगरपालिका की अनुमति प्रस्तुत करना पूर्व शर्त हो, तब नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, औपबंधिक अनुमति मंजूर कर सकेगा, जो उक्त अनुज्ञप्ति या अनुमति प्रस्तुत करने पर ही अंतिम रूप से अधिप्रमाणीकृत होगीः

परन्तु यह और कि इस प्रकार की अनुमति की विधिमान्यता उपर्युक्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञप्ति या अनुमति करने की किसी पूर्व शर्त को पूरा करने के प्रयोजनार्थ ही होगी।

भवन उपयोगों का विनियमन

453. भवन के प्राधिकृत उपयोग के परिवर्तन को निषेध करने की शक्ति

;1द्ध कोई व्यक्ति, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना, अथवा ऐसी अनुमति की शर्तो के अनुरूप के सिवाय,—

(क) ऐसे भवन या उसके किसी भाग को, मानव आवास के प्रयोजनार्थ उपयोग करने तथा उपयोग किए जाने की अनुमति नहीं देगा, जो मूल रूप से ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने हेतु परिनिर्मित या प्राधिकृत नहीं हो,

(ख) स्वीकृत योजना में विनिर्दिष्ट से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए, भवन—उपयोग में परिवर्तन करने या परिवर्तन किए जाने की अनुमति नहीं देगा,

(ग) जिस उपयोग के लिए ऐसा परिनिर्माण मूल रूप से स्वीकृत किया गया था, अथवा जिस उपयोग, के लिए वास्तविक रूप से भवन था, उसके प्रतिकूल, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व परिनिर्मित किसी भवन के उपयोग में परिवर्तन या परिवर्धन करने या न किये जाने की अनुमति नहीं देगा,

(घ) भवन के किसी कोठरी को, व्यावसायिक उपयोग, जो स्वीकृत योजना में आशयित से भिन्न उपयोग में बदलने या बदले जाने की अथवा भरपूर

परिवर्तन, परिवर्धन या ऐसे उपयोग को विस्तारित करने या किये जाने की अनुमति नहीं देगा।

;2द्ध यदि किसी स्थिति में, ऐसी अनुमति दी गयी है, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी के समाधान, तथा इस अधिनियम और एतद्धीन बनाये गये नियम एवं विनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार, आवश्यक परिवर्तन या उपबंध के पूर्व, अधिभोग या उपयोग में कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

;3द्ध इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व, प्रवृत्त पूर्ववर्ती राज्य विधि के उपबंधों के अधीन अनुज्ञेय उपयोग को छोड़कर, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व किए गए उपयोग के परिवर्तन को, इस अधिनियम के उपबंधेां का उल्लंघन समझा जाएगा।

;4द्ध किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध की जाने वाली अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, चाहे वह स्वामी हो या अधिभोगी, जिसके द्वारा, इस धारा के किसी उपबंध का उल्लंघन किया जाता है, नगरपालिका, ऐसे व्यक्ति पर ऐसा जुर्माना अधिरोपित कर सकती है, जो अप्राधिकृत उपयोग के अधीन आने वाले क्षेत्र के लिए ऐसा उल्लंघन जारी रहने की अवधि तक विनियमों द्वारा यथा उपबंधित, प्रतिमाह प्रति वर्ग मीटर एक सौ रूपये से अनधिक होगा।

;5द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, यदि वह उचित समझे, ऐसे अप्राधिकृत उपयोग को तत्काल रोकने का आदेश दे सकेगाः

परन्तु यह कि ऐसा आदेश करने के पूर्व, प्रभावित व्यक्ति को समुचित अवसर प्रदान करते हुए कारण पृच्छा करेगा कि क्यों नहीं ऐसा आदेश किया जाए।

;6द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उपधारा (5) के अधीन किये गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर, आदेश के विरूद्ध, नगरपालिका

भवन न्यायाधिकरण को अपील कर सकता है, और ऐसे मामले में उसका विनिश्चय अंतिम एवं निर्णायक होगा।

;7द्ध जब उपधारा (6) के अधीन अपील की जाती है, तो यथास्थिति नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण, उपधारा (5) के अधीन नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किए गए आदेश के प्रवर्तन पर ऐसी अवधि तक, जो वह उचित समझे, रोक लगा सकता है।

;8द्ध इस धारा में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, कोई न्यायालय इस धारा के उपबंधों के अनुपालन में, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी या स्थायी समिति या नगरपालिका द्वारा की जा रही कार्रवाई या किए जा रहे किसी आदेश को अवरूद्ध करने के लिए, किसी राहत या व्यादेश हेतु कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण— इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, 'अप्राधिकृत उपयोग' से अभिप्रेत होगा, बिना मंजूरी के भवन का धारा—425 की उपधारा (2) में उल्लिखित अधिभोग या उपयोग समूह से किसी अन्य अधिभोग या उपयोग समूह में परिवर्तन या संपरिवर्तन।

454. पर्यावरणीय कारणों से क्षेत्र विशेष में विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु परिसर के उपयोग को रोकने की शक्ति

;1द्ध नगरपालिका, इस आशय का नोटिस देकर, यह घोषणा कर सकती है कि कोई व्यक्ति नोटिस में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र में, उसमें उल्लिखित पर्यावरण संबंधी कारणों से, नोटिस में विनिर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए, किसी परिसर का उपयोग नहीं कर सकेगा।

;2द्ध ऐसी नोटिस पर कोई आपत्ति, नोटिस की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर, प्राप्त की जाएगी।

;3द्ध नगरपालिका, उक्त अवधि के भीतर प्राप्त सभी अपत्तियों पर, नोटिस से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देकर विचार करेगी, तथा तदुपरांत, उपधारा (1) के अधीन नोटिस के अनुसार, ऐसे उपान्तरण के साथ, यदि कोई हो, जो वह उचित समझे, घोषणा करेगी।

;4द्ध ऐसी प्रत्येक घोषणा, विनियमों द्वारा उपबंधित रीति से प्रकाशित की जाएगी, तथा प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

;5द्ध उपधारा (4) के अधीन प्रकाशित घोषणा में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र में, कोई व्यक्ति, उसमें विनिर्दिष्ट किसी प्रयोजनार्थ, किसी परिसर का उपयोग नहीं करेगा, तथा नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को यह शक्ति होगी, कि वह, किसी ऐसे परिसर के किसी ऐसे उपयोग को, ऐसी रीति से, जो वह उचित समझे, रोक दे।

;6द्ध नगरपालिका, यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी घोषणा, किसी राज्य विधि द्वारा विनियमित, ऐसे उपयोग के अधीन, नगर पालिका क्षेत्र में प्रभावी भूमि उपयोग योजना के उपबंधो के अनुरूप हो।

अध्याय—40
नगरपालिका अनुज्ञप्ति

455. बिना नगरपालिका अनुज्ञप्ति के गैर आवासीय प्रयोजनों के लिए परिसरों का उपयोग

;1द्ध इस अधिनियम में इसके पश्चात् यथा उपबंधित को छोड़कर, कोई व्यक्ति, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति के बिना, या उसकी शर्तो की अनुरूपता से भिन्न, अनुसूची में उल्लिखित गैर—आवासीय प्रयोजनों के लिए, किसी परिसर का उपयोग नहीं करेगा, या उपयोग किए जाने की अनुमति नहीं देगा, ताकि इस धारा की उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन न होः

परन्तु यह कि यदि ऐसा उपयोग, इस

नहीं किया जाना

अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या एतद्धीन बनाये गये नियम या विनियम या किए गये आदेश के अनुरूप नहीं हो, तो परिसरों के किसी गैर–आवासीय उपयोग से सम्बंधित ऐसी अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगीः

परन्तु यह और कि ऐसे मामले को छोड़कर, जो इस धारा की उपधारा (2) या धारा–457 या धारा–458 के उपबंधों के अधीन आता हो, ऐसी अनुज्ञप्ति निर्गत करने की शक्ति का प्रयोग, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अपनी अधिकारिता के भीतर विनियम में यथा अवधारित शर्तो एवं रीति के अध्यधीन किया जाएगा।

;2द्ध ऐसे प्रयोजनार्थ परिसरों के गैर–आवासीय उपयोग की स्थिति में, जिसके लिए राज्य सरकार या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी विधिक निकाय से अनुज्ञप्ति या अनुमति अपेक्षित हो, इस धारा के अधीन कोई अनुज्ञप्ति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि उक्त विधि के अधीन प्रदत अनुज्ञप्ति या अनुमति को नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष पेश न किया गया हो, तथा उसकी अधिप्रमाणित प्रति उपस्थापित नहीं की जायः

परन्तु यह कि ऐसी स्थिति में, जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए इस धारा के अधीन अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करना पूर्व शर्त हो, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, औपबंधिक अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा, जो उक्त विधि के अधीन अनुज्ञप्ति या अनुमति प्रस्तुत करने पर ही अंतिम रूप से अधिप्रमाणीकृत होगीः

परन्तु यह और कि ऐसी औपबंधिक अनुज्ञप्ति, उक्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञप्ति, मंजूर करने की पूर्व शर्त को मात्र पूरा करने के लिए ही विधिमान्य होगी।

;3द्ध इस धारा के अधीन मंजूर अनुज्ञप्ति की शर्तो को विनिर्दिष्ट करते समय, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, अपेक्षा कर सकेगा कि अनुज्ञप्तिधारी, जीवन, स्वास्थ्य या सम्पत्ति को खतरा के विरूद्ध, अथवा किसी प्रकार के लोककंटक के उपशमन के लिए, सभी या ऐसा

कोई कार्रवाई करे, जो वह उचित समझे।

;4द्ध नगरपालिका, उपधारा (1) के अधीन मंजूर अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में भुगतान किए जाने वाले शुल्कों को विनियमों द्वारा अवधारित करेगी, तथा नगरपालिका क्षेत्र के भीतर, विभिन्न क्षेत्रों में गैर–आवासीय उपयोग की विभिन्न कोटियों के लिए अलग–अलग शुल्क विनिर्दिष्ट कर सकती है:

परन्तु यह कि ऐसा शुल्क, किसी भी स्थिति में, दो हजार पाँच सौ रूपये से अनधिक होगा।

;5द्ध न्गरपालिका, विनियम, द्वारा अवधारित कर सकती है –

(क) कब प्रारंभिक अनुज्ञप्ति प्राप्त की जानी है, तथा उसकी वार्षिक नवीकरण प्रक्रिया, और

(ख) अनुज्ञप्ति प्रदर्शित करने, परिसर का निरीक्षण करने, निरीक्षकों की शक्ति तथा ऐसे अन्य मामले, जैसा आवश्यक समझा जाए।

456. मेलों के लिए अनुज्ञप्ति देने का अधिकार

किसी मेला या प्रदर्शनी या मनोरंजन के स्वामी या पट्टाधारक, से नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, अनुज्ञप्ति जारी करने के पूर्व भूमि, जिस पर ऐसा मेला, प्रदर्शनी या मनोरंजन लगा है, के स्वामी या पट्टाधारक का सहमति पत्र उपलब्ध कराने की अपेक्षा करेगा। नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, ऐसी शर्तों और ऐसे शुल्क के भुगतान पर, अनुज्ञप्ति स्वीकृत करेगा, जैसा नगर पालिका द्वारा निर्धारित की जाए।

457. जानवर और घोड़ों के रखने के स्थानों के लिए अनुज्ञप्ति

;1द्ध नगर पालिका द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर, कोई गाड़ीवान, पोशाकवाला, किराए के लिए पशु चालित वाहनों का अस्तबल, या डेयरीवाला, घोड़े, खच्चर या जानवर ऐसे स्थान पर नहीं रखेगा, जो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्त न हो।

;2द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, ऐसे प्रयोजनों के लिए अनुज्ञप्ति दे सकता है, तथा स्थायी समिति के अनुमोदन के अधीन, प्रत्येक वर्ष के पहले एवं सातवें महीने में, जारी करने एवं

नवीकरण के लिए बीस रूपये से अनधिक शुल्क वसूल कर सकता है।

;3द्ध उपधारा (1) के अधीन स्वीकृत प्रत्येक अनुज्ञप्ति, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा स्थान, निर्माण, सामग्री और किसी संरचना की माप, जिसका निर्माण, घोड़ों, खच्चरों या जानवरों के रखने के लिए, या उस स्थान की बाड़, जल निकास, सफाई के संबंध में अधिरोपित शर्तों, जैसा वह आवश्यक समझे, के अध्यधीन होगी।

458. सूकर, भेड़ और बकरियों के रखने के स्थान की अनुज्ञप्ति

ऐसी सीमा के भीतर, जिसे नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी निर्दिष्ट करे, कोई व्यक्ति, सूकर, या दस से अधिक भेड़ें या दस से अधिक, बकरियाँ नहीं रख सकता है, जब तक नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुज्ञप्ति न हो, जो वार्षिक रूप से नवीकरण योग्य होगी, तथा वार्षिक शुल्क, जो दो सौ रूपये से अनधिक होगा, तथा इस अधिनियम के अधीन, नगर पालिका द्वारा बनायी गयी उपविधियों में उपबंधित शर्तों एवं निबंधनों के अध्यधीन होगी।

459. दण्ड

कोई व्यक्ति, जो नगर पालिका की सीमा में,—

(i) बिना अनुज्ञप्ति के, विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किसी स्थान का प्रयोग करता है, अथवा
(ii) अनुज्ञप्ति धारक होकर, ऐसी अनुज्ञप्ति की शर्तो का उल्लंघन करता है, अथवा
(iii) अनुज्ञप्ति की शर्तों के विपरीत, कोई सूकर, भेड़ या बकरियां रखता है,

एक सौ रूपये से अनधिक जुर्माना, तथा ऐसे अपराध की दोष सिद्धि के पश्चात् अपराध जारी रहने पर, प्रत्येक दिन दस रूपये से अनधिक, अग्रेतर जुर्माना का दायी होगा।

460. रजिस्टर अनुरक्षित किया जाना

नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी रीति से, जैसा विहित किया जाय, दो अलग रजिस्टर अनुरक्षित करेगा, जिसमें से—

(क) एक में, इस अधिनियम में समनुदेषित गैर—आवासीय उपयोग की परिसर वार सूचना, अनन्य परिसर संख्या उपदर्षित

करते हुए, यदि कोई हो, रहेगी, और

(ख) दूसरे में, विभिन्न गैर–आवासीय उपयोगकर्ता समूह के आधार पर कारखाना, भण्डारागार, चिकित्सा संस्था, शैक्षिक संस्था एवं ऐसे अन्य उपयोग के लिए, जैसा विनियमों द्वारा उपबंधित किया जाय, ऐसी सूचना रहेगी।

461. निजी बाजार के लिए नगरपालिका अनुज्ञप्ति

;1द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, नगरपालिका के पूर्वानुमोदन से, विनियमों द्वारा यथा अवधारित शुल्क के भुगतान पर, निजी बाजार स्थापित करने या खोलने के लिए, किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकता है, तथा इस अधिनियम के संगत, ऐसी शर्त विनिर्दिष्ट कर सकता है, जो वह उचित समझे।

;2द्ध जब नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, कोई अनुज्ञप्ति मंजूर करने से इन्कार करे, तब वह, इन्कार करने के कारणों का संक्षिप्त विवरण अभिलिखित करेगा।

;3द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, नगरपालिका के पूर्वानुमोदन से, एवं कारणों को अभिलिखित करते हुए, आदेश द्वारा, निजी बाजार से संबंधित अनुज्ञप्ति को, ऐसी अवधि तक, जो वह उचित समझे, निलम्बित कर सकता है अथवा ऐसी अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकता है।

;4द्ध कोई निजी बाजार, जिसकी अनुज्ञप्ति उपधारा (3) के अधीन निलंबित या रद्द कर दी गयी हो, निलम्बन या रद्दीकरण के आदेश में यथा विनिर्दिष्ट तिथि से बंद हो जाएगी।

;5द्ध जब नगरपालिका, किसी निजी बाजार को अधिग्रहीत करना विनिश्चित करे, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, ऐसे बाजार के स्वामी को तिथि अधिसूचित करेगा, जिस पर बाजार नगरपालिका द्वारा अधिग्रहीत की जायेगी, ऐसी तिथि, स्वामी को जारी की गयी नोटिस की तिथि से साठ दिन से अन्यून होगी, और उस तिथि से बाजार नगरपालिका में निहित हो जायेगा।

;6द्ध यदि नगरपालिका और किसी निजी बाजार के स्वामी के बीच, अधिग्रहण के लिए क्षतिपूर्ति की धनराशि के संबंध में कोई विवाद हो, तो प्रकरण अधिकारिता वाले सक्षम न्यायालय को संदर्भित किया जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

462. बिना अनुज्ञप्ति के निजी बाजार खुला नहीं रख सकते

;1द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा, इस निमित्त स्थायी समिति द्वारा निर्गत सामान्य या विशेष शर्तों के अनुरूप स्वीकृत अनुज्ञप्ति के अधीन, और उसकी शर्तों की अनुरूपता के सिवाय, कोई व्यक्ति, निजी बाजार न स्थापित करेगा या न रखेगा, या यदि स्थापित है, तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर न हटाएगा, या यदि वह बारह माह से अधिक अवधि के लिए बंद रहा है, तो न पुनः खोलेगा या न पुनः स्थापित करेगा, या न इसका क्षेत्र और आकार बढाएगाः

परंतु यह कि नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, निजी बाजार रखने के लिए अनुज्ञप्ति से इंकार नहीं करेगा या न उसको निरस्त करेगा या न निलम्बित करेगा, किसी कारण से स्वामी द्वारा, इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमों और विनियमों या अनुज्ञप्ति की शर्तों, जिनका अनुपालन उसके द्वारा अपेक्षित हो, के पालन में, विफल रहने के सिवाय।

;2द्ध जब नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, निजी बाजार रखने की अनुज्ञप्ति से इंकार करे या निरस्त या निलम्बित करे, वह, हिन्दी भाषा में एक नोटिस पास के भवन या स्थान, जहाँ ऐसा बाजार है या जहाँ लगने वाला था, पर सहज दृश्य प्रदर्शित करेगा।

463. बिना अनुज्ञप्ति के बाजार के प्रयोग पर दण्ड

कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि या भवन का स्वामी या अधिवासी होते हुए, जानबूझकर या लापरवाही से, बिना नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुज्ञप्ति के, उसे बाजार के रूप में प्रयोग होने देता है, प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए, दस हजार रूपये से अनधिक जुर्माना, तथा दोष सिद्धि के पश्चात्, अपराध जारी रहने पर, प्रतिदिन एक हजार रूपये से अनधिक अग्रेतर जुर्माना, का दायी होगा।

464. मांस, मछली या कुक्कुट के बिक्री हेतु नगरपालिका अनुज्ञप्ति

;1द्ध कोई व्यक्ति, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी से प्राप्त अनुज्ञप्ति के बिना अथवा उसके अनुरूप से अन्यथा, मानव खाद्य के लिए आशयित व्यापार करने वाला कसाई, मत्स्य व्यापारी, कुक्कुटवाला, मांस आयातकर्ता, का व्यापार नहीं करेगा, अथवा मानव खाद्य के लिए आशयित मांस, मछली या कुक्कुट की बिक्री हेतु किसी स्थान का उपयोग नहीं करेगाः

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति, पशु से प्राप्त मांस की बिक्री या बिक्री का प्रदर्शन तब तक नहीं करेगा, जब तक पशु शव पर मुहर, ऐसी रीति में, जैसा नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, इस हेतु सामान्य आदेश द्वारा अपेक्षा करे, न लगी हो कि, पशु का वध नगरपालिका के या अनुज्ञप्ति प्राप्त, बधशाला में किया गया हैः

परन्तु यह और कि वायुरूद्ध या मुहरबंद पात्र में रखे परिरक्षित मांस या मछली की बिक्री या विक्रय के लिए भण्डारण हेतु उपयुक्त किसी स्थान हेतु कोई अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी।

;2द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण के विषय में आदेश द्वारा, एवं ऐसी शर्तो के अध्यधीन, जैसा वह अधिरोपित करना उचित समझे, अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकता है, अथवा कारणों को अभिलिखित करते हुए, आदेश द्वारा, अनुज्ञप्ति मंजूर करने से इन्कार कर सकता है।

;3द्ध नगरपालिका, विनियमों द्वारा अनुज्ञप्ति निर्गत करने एवं उसके नवीकरण हेतु, प्रक्रिया अवधारित कर सकती है।

;4द्ध यदि किसी स्थान का उपयोग, इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए, मानव खाद्य के लिए आशयित मांस, मछली, कुक्कुट बेचने के लिए किया जाता है, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, ऐसे स्थान का उपयोग, ऐसी रीति से रोक सकता है, जो वह आवश्यक समझे।

465. अननुज्ञप्त क्रिया—

;1द्ध कोई व्यक्ति, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा इस निमित्त मंजूर की गयी अनुज्ञप्ति के बिना, या उसकी शर्तो की अनुरूपता

कलापों का प्रतिबंध

से भिन्न, नगरपालिका क्षेत्र के भीतर, निम्नलिखित प्रयोजन हेतु किसी भूमि या भवन का उपयोग नहीं कर सकता है या इसकी अनुज्ञा नहीं दे सकता है—

(क) परिवहन, बिक्री या भाड़ा अथवा उत्पादों की बिक्री के लिए घोड़ा, मवेशी या अन्य चौपाया जानवर या पक्षी रखने के लिए, अथवा

(ख) ऐसे बाजार के रूप में, जिसके लिए, इस अधिनियम के अधीन, अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, अथवा

(ग) शिल्पकारी कार्य करने के लिए, अथवा

(घ) कसाई, मछली व्यापारी, कुक्कुट व्यापारी या मानव खाद्य के लिए आशयित माँस के आयातकर्ता अथवा उसके बिक्री के व्यापार के लिए।

;2द्ध यदि उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में, किसी निजी अथवा सार्वजनिक भूमि या भवन का उपयोग किया जाता है या करने की अनुमति दी जाती है, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, ऐसे उपाय से उसका उपयोग रोक सकता है, जो वह उचित समझे, तथा सूची तैयार कर किसी सामग्री का अधिग्रहण कर सकता है, जिसके लिए ऐसा उपयोग किया जा रहा था, और नष्ट होने वाली वस्तु की स्थिति में बिना नोटिस के नीलाम कर सकता है।

;3द्ध उपधारा (1) और (2) के उपबंधों के उल्लंघन में व्यापार चलाने वाला कोई व्यक्ति, दो हजार रूपये के जुर्माना, और अपराध जारी रहने की दशा में, आदेश किये जाने के बाद पुष्टि की तिथि से, प्रतिदिन पचास रूपये के जुर्माना, का दायी होगा।

466. ऐसे परिसरों के उपयोग को रोकने की शक्ति, जिनका उपयोग

;1द्ध यदि नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी का यह मत हो कि, किसी परिसर का उपयोग, इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति के बिना अथवा इसके लिए प्रदत्त अनुज्ञप्ति की शर्तों की अनुरूपता से अन्यथा किया जा रहा है, तो वह किसी ऐसे प्रयोजनार्थ, ऐसे परिसरों के उपयोग को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, ऐसे उपाय से रोक

अनुज्ञप्ति का उल्लंघन करते हुए किया गया है

सकता है, जो वह आवश्यक समझे।

;2द्ध यदि कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में परिसर का उपयोग जारी रखता है, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, इस अधिनियम के अधीन, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्रवाई होने पर भी, ऐसे व्यक्ति पर धारा–367 की उपधारा (3) के उपबंध के अनुसार जारी रहने वाला जुर्माना अधिरोपित कर सकता है।

467. खाद्य या औषधि आदि को जब्त करने की शक्ति

;1द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, या इसके निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत नगरपालिका का कोई पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी, रात या दिन, किसी भी समय, ऐसे खाद्य या औषधि अथवा उसे तैयार करने, विनिर्माण करने या भंडारण करने में प्रयुक्त बर्तन या पात्र का निरीक्षण एवं परीक्षण कर सकता है।

;2द्ध यदि नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी के मत में, निरीक्षण एवं परीक्षण के उपरान्त, ऐसा खाद्य या औषधि मानव उपभोग के लिए अस्वास्थ्यकर या अनुपयुक्त है, अथवा उसमें जो होना चाहिए, वह नहीं है, अथवा ऐसा बर्तन या पात्र इस प्रकार का है या ऐसी स्थिति में है, जिसमें कोई खाद्य या औषधि तैयार करने, विनिर्माण करने या भंडारण करने से मानव उपभोग के लिए अस्वास्थ्यकर या अनुपयुक्त हो जाता है, तो वह ऐसे खाद्य या औषधि अथवा बर्तन या पात्र को जब्त, सील अथवा ले जा सकता है।

;3द्ध यदि उपधारा (2) के अधीन जब्त कोई खाद्य या औषधि, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी के मत में, मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है, तो वह इसे ऐसी रीति से तत्काल नष्ट करा देगा, ताकि मानव उपभोग के लिए इसके पुनः उपयोग या बिक्री हेतु प्रदर्शित नहीं किया जा सके, तथा इसका व्यय उस व्यक्ति द्वारा वसूल किया जाएगा, जिसके कब्जा में ऐसा खाद्य या औषधि जब्त करने के समय था।

अध्याय—41
जन्म—मरण सांख्यिकी

468. मुख्य रजिस्ट्रार एवं रजिस्ट्रार की नियुक्ति

;1द्ध मुख्य नगरपालिका स्वास्थ्य पदाधिकारी, नगरपालिका क्षेत्र में हुए जन्म एवं मृत्यु का मुख्य रजिस्ट्रार होगा।

;2द्ध इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, जन्म एवं मृत्यु के रजिस्ट्रार के रूप में, ऐसी संख्या में व्यक्तियों को नियुक्त करेगा, जो वह आवश्यक समझे, तथा ऐसे रजिस्ट्रार के प्रभार वाले संबंधित क्षेत्र को परिभाषित करेगा।

469. रजिस्ट्रार का कर्त्तव्य

प्रत्येक रजिस्ट्रार, अपनी अधिकारिता वाले क्षेत्र के भीतर हुए, प्रत्येक जन्म या मृत्यु की जानकारी स्वयं रखेगा, तथा प्रत्येक जन्म या मृत्यु के संबंध में, ऐसा विवरण अभिनिश्चित करेगा, जैसा इस निमित्त विहित किया जाय।

470. संधारित किए जानेवाले रजिस्टर

;1द्ध जन्म एवं मृत्यु—सम्बन्धी ऐसे विवरण, जैसा नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी समय—समय पर विनिर्दिष्ट करे, जन्म एवं मृत्यु के अलग—अलग रजिस्टरों में दर्ज किया जायगा, तथा ऐसा रजिस्टर प्रत्येक रजिस्ट्रार द्वारा संधारित किया जाएगा।

;2द्ध राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन संधारित होने वाले रजिस्टरों के प्रारूप एवं उस रीति को, जिससे ऐसे रजिस्टरों को संधारित किया जाएगा, विनिर्दिष्ट करेगी।

;3द्ध हितबद्ध व्यक्ति से आवेदन प्राप्त होने पर, यथास्थिति, मुख्य रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार, रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियों का उद्धरण, नगरपालिका द्वारा विनियमों द्वारा यथा अवधारित, शुल्क भुगतान करने पर निर्गत करेगा।

471. जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन

जन्म एवं मृत्यु पंजीयन अधिनियम, 1969 के उपबंधों के अध्यधीन, नगरपालिका अपने क्षेत्र के भीतर हुए जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन करायेगी, तथा आवेदन करने पर, विनियमों द्वारा यथा

अवधारित शुल्क के भुगतान पर, प्रमाण—पत्र के रूप में सूचना का उद्धरण आपूर्ति करेगी।

472. शिशु के नाम का रजिस्ट्रीकरण अथवा नाम परिवर्तन

;1द्ध जब किसी शिशु के जन्म का पंजीयन बिना नाम के किया गया हो, और जब उसे एक नाम दिया जाय, अथवा जिस नाम, यदि कोई हो, से पंजीयन था, परिवर्तित किया जाना हो, ऐसे शिशु के माता—पिता या अभिभावक या नाम देने वाले अथवा परिवर्तित करने वाले किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा, जन्म के पंजीयन के अगले साठ माह के भीतर, ऐसा प्रमाण—पत्र, जो इसके बाद उपबंधित है, उस रजिस्ट्रार को सुपुर्द करेगा, जिसके क्षेत्र में जन्म का पंजीयन किया गया था, तथा रजिस्ट्रार, प्रमाण—पत्र प्राप्त होने पर मूल प्रविष्टि को बिना मिटाए, प्रमाण—पत्र में उल्लिखित नाम, जो शिशु को दिया गया हो, या परिवर्तित नाम, रजिस्टर में तत्काल दर्ज करेगा।

;2द्ध प्रमाण—पत्र, ऐसे प्रारूप में, जैसा नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, समय—समय पर विनिर्दिष्ट करे, तथा उस पर शिशु के माता—पिता या अभिभावक अथवा शिशु को नाम देने या परिवर्तित करने वाले दूसरे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

473. जन्म या मृत्यु रजिस्टर में भूल का सुधार करना

;1द्ध जन्म का रजिस्टर या मृत्यु का रजिस्टर में किसी भी समय पायी गयी किसी लिपिकीय भूल का सुधार नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत, किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा।

;2द्ध इस अधिनियम के अधीन, जन्म या मृत्यु से संबंधित जानकारी देने के लिए अपेक्षित व्यक्ति द्वारा अथवा ऐसे व्यक्ति के न होने पर, मामले की जानकारी रखने वाले व्यक्ति द्वारा, मजिस्ट्रेट के समक्ष की गयी शपथ पर घोषणा को, भूल की प्रकृति एवं मामले के तथ्य का वर्णन करते हुए, भूल सुधार कराने वाले व्यक्ति द्वारा, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात्, ऐसे रजिस्टर में हुई तथ्य या सार से संबंधित भूल को यथा पूर्वोक्त कोई व्यक्ति, मूल प्रविष्टि में कोई परिवर्तन किए बिना, हाशिए में प्रविष्टि करके ठीक कर सकता है।

;3द्ध उपधारा (2) में यथा उपबंधित को छोड़कर, ऐसे रजिस्टर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

474. जन्म की सूचना

नगरपालिका क्षेत्र में जन्मे प्रत्येक शिशु के पिता या माता, और उनके अनुपस्थित रहने पर, उसी परिसर में रहने वाले शिशु का कोई रिश्तेदार, तथा ऐसे रिश्तेदार की अनुपस्थिति में, शिशु को अपने प्रभार में रखने वाले व्यक्ति, का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपने सर्वोतम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार, ऐसे जन्म के आठ दिनों के भीतर, संबंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रार को, इस निमित यथा विहित, विवरण के साथ सूचना देः

परन्तु यह कि–

(क) अधर्मज शिशु की दशा में, कोई व्यक्ति, उस शिशु के पिता के रूप में, ऐसे शिशु के जन्म से संबंधित, इस अधिनियम के अधीन जानकारी देने के लिए अपेक्षित नहीं होगा, तथा रजिस्ट्रार, ऐसे शिशु के पिता के रूप में किसी व्यक्ति का नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं करेगा, सिवाय इसके कि माता एवं अपने आपको ऐसे शिशु का पिता स्वीकार करने वाला व्यक्ति, संयुक्त रूप से इसके लिए आग्रह न करे, तथा ऐसे मामले में, ऐसा व्यक्ति, माता के साथ रजिस्टर में हस्ताक्षर करेगा;

(ख) किसी अन्य व्यक्ति के न रहने पर, जानकारी देने के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति, ऐसी जानकारी देने के लिए आबद्ध नहीं होगा, यदि उसे विश्वास था एवं विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण था, कि ऐसी जानकारी दे दी गयी है; और

(ग) जब शिशु का जन्म, अस्पताल या परिचर्या–गृह या प्रसूतिगृह में हुआ हो, तो केवल उसका प्रभारी पदाधिकारी इसके लिए आबद्ध होगा कि वह तत्काल ऐसे जन्म की रिपोर्ट, मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा समय–समय पर यथा विनिर्दिष्ट प्रारूप एवं समय में, रजिस्ट्रार के पास अग्रसारित करे।

475. नवजात शिशु प्राप्त होने के विषय में सूचना

यदि कोई फेंका गया नवजात शिशु पाया जाए, तो ऐसा शिशु प्राप्त करनेवाला व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति, जिसके प्रभार में ऐसा शिशु रखा जाए, का यह कर्तव्य होगा कि वह, ऐसा शिशु पाए जाने के पश्चात् आठ दिनों के भीतर, अपनी सर्वोतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, मुख्य रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार को जानकारी दे, ऐसी जानकारी में ऐसे शिशु के जन्म से संबंधित दर्ज किया जाने वाला अपेक्षित विवरण होना चाहिए, जो वह व्यक्ति जानता हो।

476. मृत्यु के विषय में सूचना

नगरपालिका क्षेत्र में मरनेवाले, किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उपस्थित या अंतिम बीमारी के दौरान परिचर्या में लगा सबसे नजदीकी रिश्तेदार, और ऐसा रिश्तेदार नहीं होने पर, मृत्यु के समय उपस्थित परिचर्या में लगा कोई व्यक्ति, और उस परिसर का अध्यासी, जिसमें उसकी जानकारी में मृत्यु हुई हो, और उपर्युक्त व्यक्ति की अनुपस्थिति में, ऐसे परिसर के प्रत्येक अंतःवासी तथा मृत व्यक्ति के शव की अंत्येष्टि करनेवाला केयर टेकर या अन्य व्यक्ति का, यह कर्तव्य होगा कि, ऐसी मृत्यु के चौबीस घंटे के भीतर, यथाविहित ऐसा विवरण अन्तर्विष्ट करते हुए, जिस स्थान पर मृत्यु हुई हो, उस क्षेत्र के निबंधक को, अपनी जानकारी तथा विश्वास के अनुरूप सूचना देः

परन्तु यह कि–

(क) यदि मृत्यु का कारण खतरनाक बीमारी के रूप में ज्ञात हो, पूर्वोक्त सूचना, इस घटना के बारह घंटे के भीतर दी जाएगी; और

(ख) यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल या परिचर्या गृह या प्रसूति गृह में हुई हो, तो ऐसी मृत्यु की सूचना केवल चिकित्सा पदाधिकारी या अन्य प्रभारी पदाधिकारी द्वारा, मुख्य निबंधक द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट प्रपत्र में भेजी जाएगी।

477. मृत्यु के कारणों का चिकित्सा

ऐसे व्यक्ति के मामले में, जो अपनी अन्तिम बीमारी के दौरान सम्यक् रूप से अर्हता प्राप्त चिकित्सा व्यवसायी के देख–रेख में रहा हो, वहां ऐसा व्यवसायी, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु से अवगत

व्यवसायी द्वारा प्रमाणित करना

होने के तीन दिनों के भीतर, इसके लिए नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा समय—समय पर यथाविहित प्रपत्र में, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के कारणों का प्रमाणपत्र, मुख्य रजिस्ट्रार के पास हस्ताक्षर करके भेजेगा, और ऐसे प्रमाणपत्र में बताए गये मृत्यु के कारण को, प्रमाणित करनेवाले चिकित्सा व्यवसायी के नाम सहित, पंजी में दर्ज किया जाएगा।

478. **लावारिस लाशों के सम्बन्ध में आरक्षी का कर्त्तव्य**

आरक्षी का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक अदावाकृत लाश के बारे में निबंधित कब्रगाह या श्मशान या मृतकों के दफनाने के लिए अन्य स्थानों या सम्यक् रूप से नियत शवगृह को इसकी सूचना दे दे, और उसके बाद जिस रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार के भीतर ऐसा शव पाया गया हो, उसे सूचित कर दे।

479. **गिरजादार आदि शवों को दफनाने आदि का काम नहीं**

शवों के निपटाव के लिए, कोई गिरजादार या निबंधित कब्रगाह या श्मशान या अन्य स्थान का रक्षक, चाहे नगरपालिका क्षेत्र में अवस्थित हो या नहीं, तब तक किसी शव को दफन करने, जलाने अथवा अन्यथा निपटाने का काम नहीं करेगा, अथवा किसी शव को दफनाने, जलाने या अन्यथा निपटाने की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि ऐसे शव के साथ, यथा विहित प्रपत्र में धारा—468 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार द्वारा या निबंधित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा या इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र न हो।

अध्याय—42
आपदा प्रबंधन

480. **प्राकृतिक या प्रौद्योगिक आपदा का प्रबंधन**

;1द्ध जहां तक संभव हो सके, नगरपालिका, मौसम विज्ञान सम्बन्धी कार्यालय सहित, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के सम्बद्ध प्राधिकारों के सहयोग से, पर्यावरणीय आधृत नक्शा तथा प्रभावी क्षेत्र— आरेख तैयार कराएगी, तथा अन्य सुसंगत आंकड़ें एकत्र करेगी, और प्राकृतिक तथा प्रौद्योगिक आपदा के प्रभाव को कम करने के

लिए अधिष्ठापन तथा अन्य अपेक्षित सहायक उपकरण को स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

;2द्ध नगरपालिका, आपदा प्रबंधन के सम्बन्ध में आपातकालीन क्रिया—कलाप आयोजित करेगी, तथा जन चेतना को बढ़ावा देगी।

;3द्ध नगरपालिका, योजना तथा नगर विकास प्राधिकारों द्वारा उच्च भूकम्पीय क्षेत्रों में भूकम्प की भयानकता को कम करने, तथा इस संबंध में नागरिक चेतना जगाने के लिए बनाए गये विनियमों को, यदि कोई हो, कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त उपाय करेगी।

;4द्ध नगर निगम, जिसकी आबादी दस लाख और इससे अधिक हो, परामर्श की प्रक्रिया द्वारा, प्रत्येक वर्ष, अग्निसंकट अनुक्रिया एवं शमन योजना, जैसा राज्य सरकार विहित करे, तैयार करेगी, और योजना को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी।

अध्याय—43
औद्योगिक नगरी

481. नगरपालिका क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र को अलग रखना

;1द्ध राज्य सरकार, क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक स्थापन द्वारा दी जा रही या दिये जाने के लिये प्रस्तावित, नगरपालिका सेवाओं और ऐसी अन्य बातों को, जो वह ठीक समझे, ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा, औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

;2द्ध औद्योगिक नगरी पर, इस अधिनियम के उपबंध राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा तक, लागू होंगे।

;3द्ध राज्य सरकार, उस जिले, जिसके अन्तर्गत नगरपालिका अवस्थित हो, के उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगी, जो

औद्योगिक नगरी के निर्धारित कार्यकलापों पर यथाविहित निगरानी रखेगी।

भाग - IX
शक्तियाँ, प्रक्रिया, अपराध तथा शक्तियाँ

अध्याय—44
प्रक्रिया
अनुज्ञप्ति तथा अनुमति

482. अनुज्ञप्ति तथा अनुमति का हस्ताक्षर, शर्त, अवधि, निलंबन, प्रतिसंहरण इत्यादि

;1द्ध जब कभी, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों में ऐसा उपबंध हो कि, किसी प्रयोजन के लिए कोई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा लिखित रूप में दी जा सकती है, तो ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुमति, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, या ऐसे किसी अन्य पदाधिकारी, जो ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुमति देने के लिए प्राधिकृत हो, द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, और इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के किसी अन्य उपबंध के अधीन विनिर्दिष्ट किये जानेवाली किसी अन्य विशिष्टि के अतिरिक्त, निम्नलिखित विवरण विनिर्दिष्ट करेगा—

(क) अनुज्ञप्ति या अनुमति देने की तिथि,

(ख) प्रयोजन तथा अवधि, यदि कोई हो, जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया हो,

(ग) निबन्धन अथवा शर्ते, यदि कोई हो, जिसके अधीन इसे स्वीकृत किया गया हो,

(घ) उस व्यक्ति का नाम और पता, जिसे यह स्वीकृत किया गया हो, और

(ङ) अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति के लिए दिया गया शुल्क, यदि कोई हो।

;2द्ध इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा विनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसे प्रत्येक अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति के लिए, समय—समय पर, नगरपालिका द्वारा, यथा निर्धारित दरों पर शुल्क वसूला जायेगा, और ऐसे

शुल्क का भुगतान, उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसे अनुमति या अनुज्ञप्ति दी गयी हो।

;3द्ध इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये नियम अथवा विनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये नियमों अथवा विनियमों के अधीन दी गयी कोई अनुज्ञप्ति या अनुमति, किसी भी समय, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी अथवा जिस पदाधिकारी द्वारा यह स्वीकृत गया हो, उसके द्वारा निलंबित अथवा निरस्त कर दिया जायेगा, यदि उसको समाधान हो जाय कि, इसे प्राप्तिकर्ता द्वारा गलत बयानी अथवा कपटपूर्वक प्राप्त किया गया हो, या यदि प्राप्तिकर्ता द्वारा, अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति के किसी निबंधनों अथवा शर्तों का अतिलंघन अथवा अपवंचन किया गया हो, या प्राप्तिकर्ता, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा विनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति या अनुमति संबंधी उपबंध के उल्लंघन के लिए सिद्धदोष ठहराया गया होः

परन्तु यह कि –

(क) निलंबन अथवा निरस्त का कोई आदेश देने के पहले, अनुज्ञप्ति या अनुमति प्राप्त करने वाले को, कारण दर्शाने का अवसर दिया जाएगा कि इसे क्यों नहीं निलंबित या निरस्त कर दिया जाय, और

(ख) ऐसे प्रत्येक आदेश में, यथास्थिति अनुज्ञप्ति या अनुमति के निलंबन या निरस्तीकरण के लिए, संक्षेप में, कारणों का उल्लेख रहेगा।

;4द्ध जब ऐसी कोई अनुज्ञप्ति या अनुमति, निलंबित या निरस्त कर दी जाय, या ऐसी अवधि, जिसके लिए अनुज्ञप्ति या अनुमति दी गयी थी, समाप्त हो जाय, तो प्राप्तिकर्ता को, उस समय तक इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के प्रयोजनार्थ, यथास्थिति बिना अनुमति या अनुज्ञप्ति के माना जाएगा, जब तक कि यथास्थिति अनुज्ञप्ति या अनुमति का निलंबन या निरस्त का आदेश विखंडित नहीं हो जाता है, या यथास्थिति अनुज्ञप्ति या अनुमति का नवीकरण

नहीं हो जाता है।

;5द्ध इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी अनुज्ञप्ति या अनुमति को प्राप्त करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति, वैसे सभी युक्तियुक्त समय पर जबकि ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुमति यथास्थिति प्रवृत्त हो, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी या जिस किसी पदाधिकारी द्वारा यह अनुमत किया गया हो, की अपेक्षा करने पर, यथास्थिति ऐसी अनुमति या अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करेगा।

प्रवेश और निरीक्षण

483. प्रवेश की शक्ति

नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, या इसके लिए नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत नगरपालिका का कोई अन्य पदाधिकारी या कर्मचारी, या इस अधिनियम द्वारा या के अधीन, किसी उपबंध द्वारा शक्ति प्रदत्त कोई अन्य पदाधिकारी या कर्मचारी, निम्न प्रयोजनों से, किसी सहायक या कर्मकार के साथ या उसके बिना, किसी भूमि अथवा भवन में प्रवेश कर सकेगा—

(क) यह अभिनिश्चित करने के लिए, कि क्या भूमि अथवा भवन में इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबंधों का कोई उल्लंघन हुआ है या किया जा रहा है, या

(ख) यह अभिनिश्चित करने के लिए, कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं अथवा नहीं, जो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी या इसके लिए उसके द्वारा प्राधिकृत या इस अधिनियम द्वारा या के किसी उपबंध के अधीन शक्ति प्राप्त नगरपालिका के किसी अन्य पदाधिकारी अथवा कर्मचारी को इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन कोई कार्रवाई करने या निष्पादित करने के लिए आवश्यक प्रतीत होता है, या

(ग) इस अधनियम या इसके अधीन बनाए गये नियमों तथा विनियमों द्वारा या इसके अधीन प्राधिकृत या अपेक्षित कोई कार्रवाई करना या कार्य निष्पादित करना है, या

(घ) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्राधिकृत या अपेक्षित, या इस अधिनियम के समुचित प्रशासन के लिए यथावश्यक, ऐसी जांच, निरीक्षण, परीक्षण, माप, मूल्यांकन या सर्वेक्षण करना, या

(ङ) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये नियमों तथा विनियमों के अधीन, नगरपालिका के किसी पदाधिकारी द्वारा सामान्य रूप से कृत्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन सुनिश्चित करना।

484. किसी कार्य के संबंध में भूमि अथवा लगी हुई भूमि में प्रवेश करने की शक्ति

;1द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत या इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन शक्ति प्राप्त कोई व्यक्ति, किसी ऐसी भूमि पर मिट्टी, कंकड़, पत्थर या अन्य सामान ले जाने या ऐसे काम तक पहुँच प्राप्त करने के लिए या उसके कार्यान्वयन से संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिए, किसी सहायक या कर्मकार के साथ या उसके बिना, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्राधिकृत किसी कार्यस्थल के पचास मीटर के भीतर, किसी भूमि में प्रवेश कर सकेगा।

;2द्ध इस प्रकार प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति, ऐसी किसी भूमि में प्रवेश करने से पूर्व, उसका प्रयोजन बताएगा, और यदि उसके स्वामी या अध्यासी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय, तो ऐसे प्रयोजन के लिए यथापेक्षित उतनी भूमि की घेराबंदी कराएगा।

;3द्ध यथा पूर्वोक्त प्रत्येक व्यक्ति, इस धारा द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते समय उतनी ही क्षति पहुँचाएगा, जितना आवश्यक हो, और नगरपालिका द्वारा, इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अनुसार, ऐसी भूमि के स्वामी अथवा अध्यासी अथवा दोनों को, ऐसी किसी क्षति के लिए, चाहे

वह स्थायी हो अथवा अस्थायी, क्षतिपूर्ति दी जाएगी।

485. भवन में बलपूर्वक घुसना

;1द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, या इस हेतु इसके द्वारा प्राधिकृत या अधिनियम द्वारा या इसके अधीन शक्ति प्राप्त किसी व्यक्ति के लिए, किसी स्थान में प्रवेश करना और कोई दरवाजा, फाटक या अन्य अवरोध को खोलना या खुलवाना, विधिपूर्ण होगा,–

(क) यदि वह सोचता है कि ऐसे प्रवेश के प्रयोजनार्थ उसे खोलना आवश्यक है, और

(ख) यदि स्वामी अथवा अध्यासी अनुपस्थित है, या उपस्थित रहते हुए, ऐसा दरवाजा, फाटक या अन्य अवरोध हटाने से इन्कार करता है।

;2द्ध किसी ऐसे स्थान में प्रवेश करने या किसी ऐसे दरवाजे, फाटक या अन्य अवरोध खोलने या खुलवाने से पहले, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी या इसके लिए प्राधिकृत या शक्ति प्राप्त व्यक्ति, उस क्षेत्र के, जिसमें प्रवेश किया जाने वाला स्थान अवस्थित है, क्षेत्र के दो या दो से अधिक सम्मानित निवासियों को यथास्थिति प्रवेश तथा खोलने के साक्षी के रूप में बुलवाएगा, और ऐसा करने के लिए उन्हें या उनमें से किसी एक को लिखित आदेश निर्गत कर सकेगा।

;3द्ध इस धारा के अधीन जैसे ही किसी स्थान पर प्रवेश किया जाय या कोई दरवाजा, फाटक या अन्य अवरोध हटाया जाय, तत्काल एक प्रतिवेदन स्थायी समिति को दिया जाएगा।

486. प्रवेश करने का समय

इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत कोई भी प्रवेश सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच के समय को छोड़कर, नहीं की जाएगीः

परन्तु यह कि यदि नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी का समाधान हो जाए कि, किसी भवन का निर्माण या किसी कार्य का निष्पादन, किसी परिसर में, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में, सूर्यास्त तथा सूर्योदय की

अवधि के बीच में, प्रारंभ किया जा चुका है या किया जा रहा है, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, ऐसी अवधि के दौरान भी, आरक्षी पदाधिकारी को साथ लेकर, उसके निरीक्षण के लिए, उस परिसर में प्रवेश कर सकता है, और ऐसा कदम उठा सकता है, जो इस अधिनियम के अधीन आवश्यक हो।

487. सामान्यतः सहमति प्राप्त किया जाना

इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अध्यासी की सहमति के बिना, किसी भूमि या भवन में, या यदि कोई अध्यासी न हो, उसके स्वामी की सहमति के बिना, प्रवेश नहीं किया जाएगा, और ऐसा प्रवेश, यथास्थिति अध्यासी अथवा स्वामी को, ऐसे प्रवेश के आशय की लिखित सूचना कम से कम चौबीस घंटे पहले दिये बिना, नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह कि ऐसी सूचना देना आवश्यक नहीं होगा, यदि नगरपालिका, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से ऐसा समझती हो कि ऐसे प्रवेश की तत्काल आवश्यकता है और लिखित सूचना दिये जाने से यह प्रयोजन विफल हो सकता हैः

परन्तु यह और कि ऐसी सूचना देना आवश्यक नहीं होगा, यदि प्रवेश की जानेवाली भूमि या भवन में कोई कारखाना या कार्यशाला या वाणिज्यिक परिसर, या धारा–455 में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए व्यवहार में आने वाला स्थान या घोड़ों के लिए अस्तबल या पशुओं के लिए गोशाला या शौचालय या मूत्रालय या निर्माणाधीन कार्यस्थल हो, या यह अभिनिश्चित करने के लिए, कि क्या ऐसी भूमि अथवा भवन में मानव उपभोग के लिए, इस अधिनियम या एतद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन में, कोई पशुवध किया जाता है।

488. सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं

जब मानव निवास के रूप में प्रयुक्त किसी स्थान में, इस अधिनियम के अधीन प्रवेश किया जाए, तो प्रवेश किए गए स्थान के अधिभोगी की सामाजिक एवं धार्मिक परम्परा तथा प्रथा का सम्यक् आदर

का आदर करना — किया जाएगा, तथा किसी महिला के वास्तविक अधिभोग में रहने वाली किसी कोठरी में प्रवेश नहीं किया जाएगा, अथवा उसको तोड़कर नहीं खोला जाएगा, जब तक उसको सूचना नहीं दी जाती है कि हटने के लिए वह स्वतंत्र है, और हटने के लिए, उसे सभी युक्ति युक्त सुविधा प्रदान की जाएगी।

489\. कार्य—निष्पादन में बाधा या उत्पीड़न का प्रतिषेध — कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन या द्वारा प्राधिकृत या सशक्त, किसी व्यक्ति को, अथवा जिसके साथ नगरपालिका या धारा—23 में उल्लिखित कोई नगरपालिका प्राधिकारी, विधिपूर्वक अनुबंधित हो, अपने कर्तव्य निष्पादन में अथवा यथास्थिति, इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम या विनियम के किसी उपबंध के निमित्त या फलस्वरूप अथवा अपनी संविदा पूरी करने के लिए प्राधिकृत या सशक्त या अपेक्षित व्यक्ति को, कोई कार्य करने में बाधा या उत्पीड़न नहीं पहुँचाएगा।

सार्वजनिक सूचना और विज्ञापन

490\. सार्वजनिक नोटिस को कैसे अभिज्ञात कराया जाए — इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम या विनियम के अधीन दी गयी प्रत्येक नोटिस, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत नगरपालिका के किसी अन्य पदाधिकारी के हस्ताक्षर से लिखित रूप में होगी, तथा इससे प्रभावित क्षेत्र के किसी सहज दृश्य सार्वजनिक स्थान पर इसकी प्रतियां चिपका कर अथवा स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर अथवा नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य साधन से इसे व्यापक रूप में अभिज्ञात कराया जाएगा।

491\. समाचार पत्र जिनमें विज्ञापन या नोटिस प्रकाशित किया जाए — जब कभी, इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम या विनियम द्वारा या के अधीन यह उपबंधित हो, कि नोटिस स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा दी जाएगी, या अधिसूचना या सूचना स्थानीय समाचारपत्रों में प्रकाशित की जायेगी, तो ऐसी नोटिस, अधिसूचना या सूचना, कम से कम, दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी, जिसमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा का होगा।

साक्ष्य

492. नगरपालिका, स्थायी समिति, महापौर या अध्यक्ष, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी इत्यादि की सहमति आदि का प्रमाण

जब कभी, इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम या विनियम के अधीन, किसी कार्य का किया जाना अथवा किसी कार्य को करने की छूट अथवा किसी कार्य के किये जाने की विधिमान्यता, निम्न के अनुमोदन, मंजूरी, सम्मति, सहमति, घोषणा, राय या समाधान पर निर्भर करती हो,—

(क) परिषद, या

(ख) स्थायी समिति, या

(ग) महापौर या अध्यक्ष, या

(घ) नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी अथवा नगरपालिका का कोई अन्य पदाधिकारी, यथास्थिति लिखित में हस्ताक्षरित अभिलेख,—

(i) खंड (क) एवं खंड (ख) में निर्दिष्ट मामले में, जहां नगरपालिका सचिव हो, वहां नगरपालिका सचिव द्वारा, अथवा जहां नगरपालिका सचिव नहीं हो, वहां नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा, और

(ii) खंड (ग) एवं (घ) में निर्दिष्ट मामले में, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा, ऐसे अनुमोदन, मंजूरी, सम्मति, सहमति, घोषणा, राय, समाधान देने के तात्पर्य से उसका पर्याप्त साक्ष्य होगा।

नोटिस आदि

493. युक्तियुक्त समय नियत करने हेतु नोटिस आदि

जहां, इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम या विनियम के अधीन निर्गत किसी नोटिस, विपत्र, आदेश या अधियाचना में कोई बात करने की अपेक्षा की गई हो, किन्तु ऐसा करने के लिए इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम या विनियम में कोई समय नियत नहीं किया गया हो, तो ऐसी नोटिस, विपत्र, आदेश या अधियाचना में उसे करने के लिए युक्तियुक्त समय विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

494. नोटिस आदि पर हस्ताक्षर

;1द्ध प्रत्येक लिखित अनुज्ञप्ति, अनुमति, नोटिस, विपत्र, सम्मन या अन्य दस्तावेज, जिस पर, इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम या विनियम द्वारा, नगर आयुक्त या कार्यपालक

का मोहर लगाया जाना

पदाधिकारी या नगरपालिका के किसी अन्य पदाधिकारी का हस्ताक्षर अपेक्षित हो, यदि उस पर यथा स्थिति, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी या ऐसे अन्य पदाधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति हो, और उस पर मुहर लगी हो, उसे समुचित रूप से हस्ताक्षरित समझा जाएगा।

;2द्ध धारा–106 के अधीन नगरपालिका निधि से काटे गए चेक पर उपधारा (1) की कोई बात लागू नहीं होगी।

495. नोटिस आदि तामील या निर्गत किया जाना

किसी व्यक्ति को तामील कराए जाने या निर्गत किए जाने के लिए, इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम या विनियम द्वारा अपेक्षित प्रत्येक नोटिस, विपत्र, सम्मन या अन्य अभिलेख, नगरपालिका के किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी अथवा इस निमित्त नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, तामील कराया जाएगा या निर्गत किया जाएगा।

496. नोटिस आदि को तामील कराना

;1द्ध नगरपालिका, या धारा–23 में निर्दिष्ट कोई नगरपालिका प्राधिकारी अथवा नगरपालिका के किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा निर्गत, या उसके निमित्त तामील कराए जाने या निर्गत किए जाने के लिए, इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम या विनियम द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत प्रत्येक नोटिस, विपत्र, सम्मन, आदेश, अध्यपेक्षा या अन्य दस्तावेज, इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम या विनियम में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, सम्यक् रूप से तामील समझा जाएगा,–

(क) जहाँ तामील कराए जाने वाला व्यक्ति कम्पनी हो, यदि दस्तावेज कम्पनी सचिव को संबोधित हो, उसके पंजीकृत कार्यालय या प्रधान कार्यालय या कारोबार स्थल पर, उसे या तो–
  (i) रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा जाएगा, अथवा
  (ii) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या प्रधान कार्यालय या कम्पनी के कारोबार स्थल पर सुपुर्द किया जाएगा, अथवा

(ख) जहाँ तामील कराए जाने वाला व्यक्ति

एक भागीदार हो, यदि दस्तावेज प्रधान कारोबार स्थल के भागीदार को उसके नाम या अभिनाम, जिसके अधीन कारोबार चलाया जा रहा हो, को चिन्हित करते हुए संबोधित हो, उसे या तो–

(i) रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा जाएगा, या

(ii) कारोबार के उक्त स्थल पर सुपुर्द किया जाएगा, अथवा

(ग) जहाँ तामील कराए जानेवाला व्यक्ति लोक निकाय या नगरपालिका या समिति या अन्य निकाय हो, यदि दस्तावेज उसके प्रधान कार्यालय के सचिव, कोषाध्यक्ष या अन्य पदाधिकारी को संबोधित हो, तो ऐसे लोक निकाय, नगरपालिका, समिति या अन्य निकाय को, या तो–

(i) रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा जाएगा, या

(ii) उस कार्यालय पर सुपुर्द किया जायेगा, और

(घ) किसी अन्य मामले में, यदि दस्तावेज तामील कराये जाने वाले किसी व्यक्ति को संबोधित हो, तो–

(i) उसे दिया या प्रदत्त किया जाएगा, या

(ii) यदि ऐसे व्यक्ति का पता नहीं लग पाता है, तो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर उसके आवास या कारोबार के अंतिम ज्ञात स्थल के सहजदृश्य भाग पर चिपका दिया जाएगा, अथवा उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को दिया जाएगा या प्रदत्त किया जाएगा, अथवा भूमि या भवन, जिससे यह संबंधित हो, के सहज दृश्य भाग पर चिपका दिया जाएगा, या

(iii) ऐसे व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा जाएगा।

;2द्ध कोई अभिलेख, जो किसी भूमि या भवन के स्वामी या अधिभोगी को तामील कराए जाने के लिए अपेक्षित या प्रधिकृत हो, उसे ऐसे भूमि या भवन (ऐसी भूमि या भवन का नामोल्लेख करते हुए) के स्वामी या अधिभोगी को यथास्थिति, और नाम या वर्णन के बिना, संबोधित किया जा सकता है, तथा उसे सम्यक् रूप से तामील समझा जाएगा–

(क) यदि इस प्रकार संबोधित अभिलेख, उपधारा (1) के खंड (घ) के अनुसार भेजा गया है या सुपुर्द किया गया है, अथवा

(ख) यदि इस प्रकार संबोधित अभिलेख या उसकी प्रति, भूमि या भवन पर उपस्थित व्यक्ति को सुपुर्द की जाती है, अथवा जहां पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो, जिसको इसे सुपुर्द किया जा सके, वहां ऐसी भूमि या भवन के सहजदृश्य भाग पर चिपका दी जाती है।

;3द्ध जहां अभिलेख इस धारा के अधीन भागीदारों को तामील कराया जाता है, वहां वह प्रत्येक भागीदार को सम्यक् रूप से तामील समझा जाएगा।

;4द्ध किसी परिसर के स्वामी को कोई अभिलेख उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, ऐसे परिसर के अध्यासी को, लिखित नोटिस देकर, अपेक्षा कर सकता है कि वह उसके स्वामी का नाम एवं पता बताए।

;5द्ध वह व्यक्ति, जिसको अभिलेख तामील कराया जाना है, अवयस्क है, उसके अभिभावक या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को तामील कराना, अवयस्क को तामील कराना समझा जाएगा।

;6द्ध धारा—494 या धारा—495 या इस धारा की कोई बात, न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन निर्गत किसी सम्मन पर लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनार्थ, नौकर को परिवार का सदस्य नहीं समझा जाएगा।

संकर्म आदि के निष्पादन हेतु आदेशों का प्रवर्त्तन

497. अधियाचना या आदेश पालन करने का समय तथा व्यतिक्रम होने पर अधियाचना या आदेश

;1द्ध जब, इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम या विनियम के अधीन, लिखित नोटिस द्वारा, कोई अधियाचना या आदेश, किसी नगरपालिका प्राधिकारी या नगरपालिका के किसी पदाधिकारी, द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को दिया जाता है, तो ऐसा प्राधिकारी या पदाधिकारी, ऐसी नोटिस में, ऐसी अवधि विनिर्दिष्ट करेगा, जिसके भीतर—

(क) ऐसी अधियाचना या आदेश का पालन

प्रवर्तित करने की नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की शक्ति

किया जाएगा, और

(ख) उससे संबंधित कोई लिखित आपत्ति, ऐसे प्राधिकारी या पदाधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी, जिसे वह प्राधिकारी या पदाधिकारी युक्तियुक्त समझता है।

;2द्ध यदि किसी अधियाचना या आदेश या उसके किसी भाग का अनुपालन, उपधारा (1) के अधीन नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, नगरपालिका द्वारा इस निमित्त बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, ऐसा उपाय कर सकता है अथवा ऐसा उपाय करवा सकता है, जो उसकी राय में, ऐसी अधियाचना या आदेश के अनुपालन के लिए आवश्यक हो, तथा इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम या विनियम में स्पष्टतः अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, ऐसे अनुपालन कराने में ऐसे प्राधिकारी या पदाधिकारी द्वारा उपगत व्यय, यदि कोई हो, का भुगतान उस व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, जिसको नोटिस निर्गत की गयी हो।

;3द्ध ऐसी अधियाचना या आदेश के अनुपालन में असफल रहने पर, इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम या विनियम के अधीन, किसी व्यक्ति को कोई अभियोजन या दंड या दंड के दायित्व के होते हुए भी, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी कोई स्कीम ले सकता है, या कोई कार्य निष्पादित कर सकता है, अथवा इस धारा के अधीन की जानेवाली कोई बात करा सकता है।

498. नोटिस के अनुपालन के लिए आपत्ति प्रस्तुत किया जाना

;1द्ध ऐसा कोई व्यक्ति, जिसको धारा–497 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस तामील की गयी हो, वह ऐसी नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यथास्थिति, नगरपालिका प्राधिकारी या पदाधिकारी या नगरपालिका को लिखित रूप में कोई आपत्ति, जिसे ऐसी नोटिस को वापस लेने या रूपान्तरण करने के लिए वह कहना चाहता है, सुपुर्द कर सकता है।

;2द्ध ऐसी प्रत्येक आपत्ति को, अवधारण के लिए, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष रखा

जाएगा, तथा ऐसा अवधारण लंबित रहने पर, ऐसी नोटिस के अनुसार, किसी अधियाचना या आदेश का अनुपालन रोक दिया जाएगा।

;3द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, अथवा, यदि वह ऐसा निदेशित करे, तो उसके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट पद का नगरपालिका का कोई अन्य पदाधिकारी, जो ऐसी नोटिस निर्गत करने वाले पदाधिकारी से भिन्न हो, संबंधित व्यक्ति अथवा इस निमित्त लिखित रूप में उसके द्वारा सम्पक् रूप से प्राधिकृत, उसके अभिकर्त्ता को, सुने जाने के उपरान्त, तथा मामले की परिस्थिति पर विचार करने के पश्चात्, नोटिस को पुष्ट या उपांतरित या रद्द करने के लिए, ऐसा आदेश करेगा, जैसा वह उचित समझे।

;4द्ध (क) जहां, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, अथवा उपधारा (3) में निर्दिष्ट नगरपालिका का अन्य पदाधिकारी, उस उपधारा के अधीन, नोटिस को पुष्ट करने के लिए या उपांतरित करने के लिए आदेश करता हो, वह, यदि उचित समझे–

(i) निदेश दे सकेगा, कि नोटिस के अनुपालन को पुष्ट या उपांतरित करने में उपगत होने वाले व्यय का अंश, यदि कोई हो, नगरपालिका द्वारा वहन किया जाएगा, और

(ii) एक समय नियत कर सकेगा, जिसके भीतर इस प्रकार पुष्ट नोटिस का अनुपालन किया जाएगा।

(ख) यदि यथा पुष्ट या उपांतरित नोटिस का अनुपालन, ऐसे व्यक्ति द्वारा खंड (क) के उपखंड (2) के अधीन नियत समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, ऐसा उपाय करेगा, अथवा ऐसा संकर्म निष्पादित कराएगा अथवा ऐसा कोई कार्य करेगा, जो उसके मत में, ऐसी नोटिस के

सम्यक् रूप से अनुपालन कराने के लिए आवश्यक हो, तथा नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा इस निमित्त उपगत व्यय, यदि कोई हो, ऐसे व्यक्ति द्वारा, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को मांग किये जाने पर भुगतेय होगा, और यदि ऐसी मांग किए जाने के दस दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसे इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप वसूल किया जाएगा।

व्ययों की वसूली

499. किश्तों में व्यय भुगतान हेतु करार करने के लिए नगरपालिका की शक्ति

;1द्ध जब इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम या विनियम के अधीन, किसी नगरपालिका प्राधिकारी अथवा नगरपालिका के किसी पदाधिकारी या किसी मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा या उसके अधीन किए गए किसी उपाय या निष्पादित कार्य या की गयी किसी बात के लिए उपगत व्यय, किसी व्यक्ति द्वारा भुगतेय हो, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, यदि वह उचित समझे, तथा स्थायी समिति के अनुमोदन से, इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम या विनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसे अन्तराल पर, ऐसी किश्तों में, ऐसे व्यय भुगतान के लिए ऐसे व्यक्ति सें करार करेगा, जिससे कि राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित ब्याज दर पर ब्याज सहित सम्पूर्ण बकाया रकम की वसूली नगरपालिका द्वारा यथा अवधारित अवधि जो छः वर्ष से अनधिक हो, के भीतर सुनिश्चित हो जाए।

;2द्ध ऐसे प्रत्येक करार में, ऐसे व्यक्ति के संपूर्ण बकायों के विरूद्ध पर्याप्त प्रतिभूति के लिए उपबंध होगा।

500. कतिपय व्ययों को सुधार व्यय के रूप में

;1द्ध यदि कोई व्यय वसूल किया जाना हो, या किसी उल्लिखित कार्य के लेखे उपगत हो,–

(क) धारा–224 एवं धारा–226 में, अथवा

(ख) इस अधिनियम के अधीन विनिर्मित

घोषित करने की नगरपालिका की शक्ति

नियम अथवा विनियमों में,

नगरपालिका, यदि उचित समझे, ऐसे व्ययों को सुधार व्यय घोषित कर सकती है।

;2द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा एक रजिस्टर का संधारण किया जायेगा, जिसमें इस धारा के अधीन सुधार व्यय घोषित किए गए सभी व्ययों को दर्शाया जायेगा, तथा ऐसा रजिस्टर किसी व्यक्ति द्वारा, ऐसा शुल्क, जैसा स्थायी समिति द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाये, अदा करने पर, निरीक्षण हेतु सुलभ रहेगा।

501. सुधार व्यय, किस प्रकार वसूलनीय होगा और किसके द्वारा भुगतेय होगा

;1द्ध धारा—500 के अधीन कोई सुधार व्यय, ऐसे परिसरों पर प्रभार्य होगा, जिसके संबंध में या जिसके निमित्त ऐसा व्यय उपगत किया गया है, तथा ऐसे उपगत व्यय को, ऐसी किश्तों एवं ऐसे अंतराल पर वसूलनीय होगा, जैसा नगरपालिका द्वारा समय समय पर अवधारित युक्तियुक्त दर पर ब्याज के साथ, और ऐसी अवधि के भीतर, जो तीस वर्षों से अधिक हो, जैसा नगरपालिका प्रत्येक मामले में नियत करे, ब्याज सहित उन्मोचित करने के लिए पर्याप्त हो।

;2द्ध सुधार व्यय, ऐसे परिसर के स्वामी या अध्यासी द्वारा देय होगा, जिस पर व्यय प्रभार्य है।

502. अध्यासी द्वारा भुगतान किये गये सुधार व्यय की वसूली

धारा—501 में किसी बात के होते हुए भी, जब किसी परिसर का अध्यासी, सुधार व्यय के किसी किश्त का भुगतान करे, वह ऐसे परिसर के स्वामी और अपने बीच हुए प्रतिकूल समझौता, यदि कोई हो, के अध्यधीन, ऐसे स्वामी को अपने द्वारा भुगतेय किराया से, ऐसी किश्त की रकम की कटौती करने, अथवा सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, ऐसे स्वामी से ऐसी रकम वसूल करने का अधिकारी होगा।

503. सुधार व्यय हेतु प्रभार से मुक्ति प्राप्त करने

किसी सुधार व्यय के भुगतान की अवधि के अवसान के पूर्व किसी समय, ऐसे परिसर का स्वामी या अध्यासी, जिस पर ऐसा व्यय प्रभार्य है, नगरपालिका को ऐसा व्यय, जो अभी भुगतेय हो,

के लिए स्वामी अथवा अध्यासी का अधिकार

के भाग का भुगतान करके, ऐसे प्रभार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है।

504 स्वामी के विफल होने पर अध्यासी द्वारा कार्य का निष्पादन

जब कभी, किसी भूमि अथवा भवन का स्वामी, ऐसा कार्य निष्पादित करने में असफल रहे, जिसके निष्पादन की अपेक्षा उससे इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियम या विनियम के अधीन की गयी हो, तो ऐसी भूमि अथवा भवन का अध्यासी, यदि कोई हो, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी के अनुमोदन से, ऐसे कार्य को निष्पादित कर सकेगा, तथा ऐसी भूमि अथवा भवन के स्वामी और अपने बीच किसी प्रतिकूल करार के अध्यधीन, कार्य के निष्पादन में उसके द्वारा उपगत युक्तियुक्त व्यय, उस स्वामी से वसूल करने का हकदार होगा, और ऐसे स्वामी को अपने द्वारा भुगतेय किराया से, ऐसी रकम की कटौती कर सकेगा।

505. आदाता, अभिकर्ता और न्यासी को राहत

;1द्ध इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियम या विनियम के अधीन, जब कभी कोई व्यक्ति—

(क) आदाता अथवा अभिकर्ता अथवा न्यासी के रूप में, अचल सम्पति का किराया प्राप्त करने के कारण, अथवा

(ख) ऐसा आदाता (रिसीवर) अथवा अभिकर्ता अथवा न्यासी होने के नाते, यदि वह ऐसी सम्पत्ति किसी किरायेदार को किराया पर दी गई हो, तो किराया प्राप्त करने के कारण, वह

ऐसी सम्पत्ति के स्वामी पर अधिरोपित किसी बाध्यता के निर्वहन के लिए बाध्य है, किन्तु उसके निष्पादन पर ऐसे स्वामी से संबंधित अथवा उसको देय निधि किसी बाध्यता के निर्वहन के प्रयोजनार्थ पर्याप्त न हो, तो वह किसी नगरपालिका पदाधिकारी अथवा इस अधिनियम के

अधीन इस निमित्त शक्ति प्राप्त नगरपालिका के किसी पदाधिकारी द्वारा, ऐसी सूचना तामील किए जाने के छः सप्ताह के भीतर, जिसके द्वारा उससे ऐसी बाध्यता के निर्वहन की अपेक्षा की गई हो, वह, सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय के समक्ष, ऐसी निधि बढ़ाने हेतु अथवा ऐसे निदेश, जैसा वह इस प्रयोजनार्थ आवश्यक समझे, देने के लिए आवेदन करेगा।

;2द्ध यदि ऐसा आदाता (रिसीवर) अथवा अभिकर्ता अथवा न्यासी, उपधारा (1) के अधीन सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में आवेदन करने में असफल रहे, अथवा न्यायालय द्वारा निधि बढ़ाने हेतु अनुमति प्रदान करने अथवा निदेश निर्गत करने के पश्चात्, ऐसी अनुमति या ऐसा निदेश के बारह माह के भीतर, ऐसी बाध्यता का निर्वहन या ऐसे निदेश का अनुपालन करने में चूक करे, तो वह, ऐसी बाध्यता के निर्वहन के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा।

क्षतिपूर्ति का भुगतान

506. क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए नगर पालिका की सामान्य शक्ति

इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियम या विनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, स्थायी समिति के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसे, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, अथवा नगर पालिका के अन्य पदाधिकारी या कर्मचारी द्वारा, इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियम या विनियम द्वारा निहित शक्ति का प्रयोग करने के कारण, क्षति हुई हो, क्षतिपूर्ति अदा कर सकेगा।

507. नगरपालिका की सम्पत्ति की क्षति

;1द्ध कोई व्यक्ति, जिसे, इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियम या विनियम के अधीन, किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो,

के लिए अदा किया जाने वाली क्षतिपूर्ति

तो किसी ऐसे दण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसके अध्यधीन उसे दंडित किया जाय, वह ऐसे अपराध के फलस्वरूप नगरपालिका की सम्पत्ति को हुई क्षति के लिए, ऐसी क्षतिपूर्ति अदा करने का दायी होगा, जैसा कि उपयुक्त नगरपालिका पदाधिकारी समुचित समझे।

;2द्ध उपधाारा (1) के अधीन क्षतिपूर्ति की राशि से संबंधित किसी विवाद की दशा में, उस दंडाधिकारी के समक्ष, जिसने ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया है, ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखित आवेदन देने पर, ऐसी राशि का निर्धारण उस दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा, और यदि इस प्रकार निर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान उस व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता है, तो ऐसी राशि की वसूली, उस दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत वारंट के अधीन इस प्रकार की जायेगी, मानो उसके द्वारा दायी व्यक्ति पर शास्ति अधिरोपित की गयी हो।

विवादित मामलों में खर्च की वसूली या क्षतिपूर्ति

508. खर्च की वसूली के कतिपय मामलों में नगर पालिका द्वारा सिविल न्यायालय को संदर्भ किया जाना

;1द्ध यदि, धारा–501 में यथा विनिर्दिष्ट किसी व्यय के संबंध में, कोई विवाद उठता है, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, ऐसे विवाद को अधिकारिता रखनेवाले सिविल न्यायालय के पास अवधारण के लिए संदर्भित करेगा।

;2द्ध ऐसे संदर्भ पर, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, ऐसे व्यय की वसूली के लिए अगली कार्यवाही स्थगित कर देगा, और केवल ऐसी राशि, यदि कोई हो, की वसूली करेगा, जो अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय द्वारा अवधारित की जाय।

509 व्यय या

इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये

. क्षतिपूर्ति के भुगतान के कतिपय मामलों में सिविल न्यायालय के समक्ष आवेदन

नियम या विनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये नियम या विनियम के अधीन, किसी नगरपालिका प्राधिकारी या किसी पदाधिकारी या नगरपालिका के अन्य कर्मचारी द्वारा, किसी व्यक्ति को देय किसी व्यय या क्षतिपूर्ति से संबंधित किसी विवाद की स्थिति में, ऐसे व्यय या क्षतिपूर्ति की रकम का निर्धारण, ऐसे व्यय या क्षतिपूर्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर किसी समय, जब यह देय हो, सक्षम अधिकारिता वाले सिविल न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

510. धारा–509 के अधीन निर्धारित व्यय अथवा क्षतिपूर्ति की वसूली

यदि धारा–509 के अधीन निर्धारित व्यय अथवा क्षतिपूर्ति का भुगतान माँग किये जाने पर नहीं किया जाय, तो ऐसी रकम इस प्रकार वसूलनीय होगी, मानो ऐसी रकम सक्षम अधिकारिता वाले सिविल न्यायालय की डिक्री के अधीन अथवा अध्याय–21 में दी गई रीति से देय थी।

511. न्यायालय में वाद द्वारा व्यय अथवा क्षतिपूर्ति की वसूली

धारा–510 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा–509 के अधीन निर्धारित किसी व्यय अथवा क्षतिपूर्ति की वसूली सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में लाये गये वाद द्वारा की जा सकेगी।

कतिपय बकायों की वसूली

512. नगरपालिका के कतिपय बकायों की वसूली

इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियम या विनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियम या विनियम के अधीन किसी प्रभार, लागत, व्यय, फीस, दर, किराया अथवा कोई अन्य देय राशि, ऐसे व्यक्ति से वसूलनीय होगी जिससे ऐसी राशि लेना है, मानो यह सम्पति कर था और लोक मांग वसूली अधिनियम के अधीन भी वसूल की जायेगी।

अध्यासी द्वारा स्वामी को बाधित करना

513. जब अध्यासी अधिनियम आदि के अनुपालन से निवारित करे तो स्वामी द्वारा सिविल न्यायालय के समक्ष आवेदन

;1द्ध किसी भूमि या भवन का स्वामी, जिसे ऐसी भूमि या ऐसे भवन के संबंध में ऐसे किसी उपबंध के अधीन इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियम या विनियम के उपबंधों अथवा किसी अपेक्षा के अनुपालन से अध्यासी द्वारा निवारित किया जाय, तो वह अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय के समक्ष, ऐसे उपबंध या ऐसी अपेक्षा के अनुपालन हेतु, नियत समय के भीतर आवेदन कर सकेगा, और तत्पश्चात्, ऐसा स्वामी, ऐसे अनुपालन के लिए नियत समय के भीतर, ऐसे उपबंध के अनुपालन की विफलता के लिए, दायी नहीं होगा।

;2द्ध उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर, सिविल न्यायालय, यथास्थिति, भूमि या भवन के अध्यासी से यथा पूर्वोक्त उपबंध या अपेक्षा के अनुपालन हेतु, स्वामी को सभी युक्तियुक्त सुविधा उपलब्ध कराने की अपेक्षा करते हुए, लिखित रूप में आदेश कर सकेगा, और, यदि यह उपयुक्त समझे, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे आवेदन एवं आदेश की लागत का भुगतान अध्यासी द्वारा किया जायेगा।

;3द्ध उपधारा (2) के अधीन किसी आदेश की तिथि से आठ दिनों के भीतर, अध्यासी, ऐसे आदेश के अनुपालन में स्वामी को सभी युक्तियुक्त सुविधाएँ उपलब्ध करायेगा। अध्यासी द्वारा ऐसा करने से लगातार इन्कार की स्थिति में, ऐसा इन्कार जारी रहने के दौरान स्वामी को ऐसे किसी दायित्व से, जो वह यथा पूर्वोक्त उपबंध या अपेक्षा का अनुपालन न कराने के कारण उपगत करता, मुक्त कर दिया जायगा।

सिविल न्यायालय में प्रक्रिया

514. सिविल न्यायालय में

;1द्ध जब कभी इस धारा के अधीन कोई आवेदन, अपील या निर्देश अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाय, तो ऐसा

प्रक्रिया

सिविल न्यायालय ऐसे आवेदन, अपील या निर्देश के सबंध में किसी जांच या कार्यवाही के प्रयोजनार्थ, साक्षियों को सम्मन करेगा तथा हाजिर करायेगा तथा साक्ष्य देने के लिए बाध्य करेगा अथवा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में यथा उपबंधित रीति से यथासम्भव उपाय द्वारा कागजात प्रस्तुत करने के लिए भी बाध्य करेगा, और ऐसी सभी जांच या कार्यवाही से संबंधित सभी मामलों में, जहां तक ऐसी जांच या कार्यवाही पर उसके उपबंध लागू हों, सिविल न्यायालय सामान्यतः सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों द्वारा मार्गदर्शित होगा।

;2द्ध यदि ऐसी किसी जांच या कार्यवाही में सम्मन किया गया कोई व्यक्ति, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असफल होता है, तो न्यायालय उसकी अनुपस्थिति में ऐसी जांच या कार्यवाही कर सकता है।

;3द्ध ऐसी हर जांच या कार्यवाही की लागत, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, न्यायालय द्वारा यथानिर्देशित अनुपात या अनुपातों में भुगतेय होगी, एवं ऐसी लागत की रकम, इस प्रकार वसूलनीय होगी, मानो वह न्यायालय की डिक्री के अधीन वसूलनीय हो।

515. सिविल न्यायालय के समक्ष कार्यवाही हेतु शुल्क

;1द्ध नगरपालिका, एक शुल्क निर्धारित कर सकती है—

(क) इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय के समक्ष कोई आवेदन, अपील या निर्देश करने के लिए, या

(ख) ऐसे आवेदन, अपील या निर्देश से संबंधित कोई जांच या कार्यवाही के संबंध में सम्मन निर्गत करने या अन्य प्रक्रिया के लिए शुल्क विनिर्दिष्ट कर सकेगीः

परन्तु यह कि खंड (क) के अधीन लगाया गया शुल्क, यदि कोई हो, ऐसी स्थिति में किसी दावा का मूल्य धन में आंका गया हो, वहां सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन तत्समान मामलों में उदग्राहय शुल्क से अधिक नहीं होगा।

;2द्ध इस अधिनियम के अधीन क्षेत्राधिकार वाले सिविल न्यायालय द्वारा कोई आवेदन, अपील अथवा निर्देश तब तक स्वीकार नहीं किया जायगा, जब तक उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन शुल्क, यदि कोई हो, अदा न कर दिया गया होः

परन्तु यह कि सिविल न्यायालय, किसी ऐसे मामले में, जिसमें उसके मत में ऐसा करना उचित हो,—

(i) ऐसे आवेदन, अपील अथवा निर्देश प्राप्त कर सकेगा, अथवा

(ii) तलबनामा (सम्मन) अथवा अन्य प्रक्रिया जारी कर सकेगा,

बिना ऐसे शुल्क का भुगतान किए।

516. सुनवाई के पूर्व निपटान करने पर आधे शुल्क का पुनर्भुगतान

इस अधिनियम के अधीन, जब कभी क्षेत्राधिकार वाले सिविल न्यायालय में सम्बद्ध पक्षकारों के बीच समझौता द्वारा कोई आवेदन, अपील अथवा निर्देश तय हो जाय, तो ऐसे आवेदन, अपील अथवा निर्देश की सुनवाई के पूर्व ऐसे पक्षकारों द्वारा धारा—515 की उपधारा (2) के अधीन संदत्त किसी शुल्क के आधे का पुनर्भुगतान सिविल न्यायालय द्वारा ऐसे पक्षकारों को किया जायेगा।

नगरपालिका मजिस्ट्रेट और नगरपालिका मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही

517. नगरपालिका मजिस्ट्रेट (दंडाधिकारी)

;1द्ध राज्य सरकार, राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से, एक या अधिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति, निम्न के विरूद्ध अपराधों के विचार के लिए कर सकती है—

(क) इस अधिनियम, और

(ख) इसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम;

और ऐसे अपराध के विचार के लिए, ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बैठने का समय तथा स्थान विहित कर सकेगी।

;2द्ध ऐसा प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट, इस अधिनियम

द्वारा यथा उपबंधित मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियों का प्रयोग तथा अन्य सभी कार्यों का निपटाव करेगा।

;3द्ध उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट, नगरपालिका मजिस्ट्रेट कहा जायेगा।

;4द्ध प्रत्येक नगरपालिका मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार, ऐसे नगर क्षेत्र या क्षेत्रों पर होगा, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

518. न्यायालय की प्रक्रिया

;1द्ध नगरपालिका मजिस्ट्रेट के न्यायालय की प्रक्रिया, इस अधिनियम में अन्यथा विशिष्टतः उपबंधित को छोड़कर, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अनुसार होगी।

;2द्ध धारा 426, 436, 437, 439, एवं 607 में उल्लिखित अपराध, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अर्थान्तर्गत प्रशम्य होंगे।

519. उपस्थिति के लिए सम्मन जारी किए जाने के बावजूद अपराधी की अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई हेतु नगर मजिस्ट्रेट की शक्ति

यदि किसी मामले में, किसी व्यक्ति को नगरपालिका दण्डाधिकारी के समक्ष, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियम या विनियम के अधीन, किसी आरोप का उत्तर देने हेतु उपस्थित होने के लिए सम्मन किया जाता है, और वह व्यक्ति, इस निमित्त निर्गत सम्मन में उल्लिखित तारीख, समय और स्थान पर या बाद की ऐसी तारीख, जिस दिन, ऐसा मामला सुनवाई के लिए स्थगित किया गया था, पर उपस्थित होने में असफल रहता है, तो नगरपालिका दण्डाधिकारी, यदि—

(क) सम्मन की तामील, उसके समाधानप्रद, सम्पन्न हुई सिद्ध होती है, और

(ख) ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति, के लिए पर्याप्त कारण नहीं प्रदर्शित किया गया हो,

ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में, ऐसे मामले की सुनवाई और अवधारण कर सकेगा।

520. अभियोजन के

इस अधिनियम या एतद्धीन निर्मित नियम या विनियमों के अधीन किसी अपराध के लिए, कोई

लिए समय—सीमा

व्यक्ति, तब तक दण्ड का भागी नहीं होगा, जब तक ऐसे अपराध का परिवाद नगरपालिका दण्डाधिकारी के समक्ष, निम्न के पश्चात् छः माह के भीतर, न किया जाय—

(क) उक्त अपराध के घटित होने की तिथि से, या

(ख) जिस तिथि को उक्त अपराध के घटने या उक्त अपराध के लगातार होने की बात सर्वप्रथम नगरपालिका या नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष की गई हो।

521. न्यूसेंस और उसके निवारण संबंधी परिवाद

;1द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, या इस निमित्त उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी या कोई व्यक्ति, जो नगरपालिका क्षेत्र में रहता हो या सम्पत्ति धारित करता हो, नगरपालिका दण्डाधिकारी के समक्ष किसी भी न्यूसेंस के होने की शिकायत कर सकता है।

;2द्ध ऐसी शिकायत मिलने पर, नगरपालिका दंडाधिकारी, ऐसी जाँचोपरान्त, जैसा वह उचित समझे, लिखित आदेश द्वारा,—

(क) ऐसे न्यूसेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को अथवा ऐसी भूमि या भवन के मालिक को, जिस पर उपद्रव हो, आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त न्यूसेंस को कम करने, रोकने, हटाने या सुधारने हेतु ऐसे उपाय, जो नगरपालिका दंडाधिकारी को व्यावहारिक एवं उचित प्रतीत हो, करने का निदेश दे सकता है, और नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को उक्त न्यूसेंस की रोक के लिए, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के किसी उपबंध को लागू करने का आदेश दे सकता है, और

(ख) न्यूसेंस के लिए उत्तरदायी पाये जाने वाले व्यक्ति को परिवाद की युक्तियुक्त लागत (ऐसे परिवाद पर मुकदमा चलाने में समय की हानि के लिए क्षतिपूर्ति सहित), जैसा कि नगरपालिका

दंडाधिकारी अवधारित करे, परिवादी को देने का आदेश दे सकता हैः

परन्तु यह कि जब नगरपालिका दंडाधिकारी के मत में, किसी न्यूसेंस के निवारण के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो, तो वह जाँच से अभिमुक्ति देते हुए तत्काल ऐसा आदेश कर सकेगा, जैसा वह आवश्यक समझे।

;3द्ध यदि किसी उत्पात के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति अथवा किसी ऐसी भूमि या भवन का स्वामी, जिस पर उपद्रव होता है, उपधारा (2) के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, आदेश का अनुपालन करने में असफल होता है, तो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, ऐसी अवधि की समाप्ति पर, आदेश के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अग्रसर होगा, या न्यूसेंस के उपशमन, निवारण, हटाने या उपचार के लिए, जैसा वह आवश्यक समझे, अन्य कार्रवाई कर सकता है, और ऐसी कार्रवाई की लागत यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या ऐसे स्वामी से वसूल की जायेगी।

522. नगरपालिका दंडाधिकारी को जुर्माना का भुगतान करने और गैरकानूनी संकर्मों के विध्वंस का निदेश देने की शक्ति

;1द्ध यदि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन, कोई व्यक्ति ऐसे गैर कानूनी कार्य के बाबत, दायी है–

(क) किसी जुर्माना की अदायगी करने, और

(ख) ऐसे कार्य को विध्वंस करने,

अधिकारिता वाला नगरपालिका दंडाधिकारी, स्व–विवेक से, ऐसे व्यक्ति को जुर्माना का भुगतान करने, और निर्माण को विध्वंस करने का निदेश दे सकेगा।

;2द्ध इस धारा के अधीन जुर्माना के रूप में वसूल की गई सम्पूर्ण राशियॉ नगरपालिका निधि में जमा की जायेंगी।

विधिक कार्यवाही

523 विधिक

नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी,–

. कार्यवाही संस्थित करने और विधिक परामर्श प्राप्त करने की शक्ति

(क) किसी आरोपित व्यक्ति के विरूद्ध अभियोजन कर सकता है या वापस ले सकता है, जो निम्न हेतु अभियुक्त हो,—

(i) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के अधीन किसी अपराध, या

(ii) ऐसा अपराध, जो नगरपालिका की किसी सम्पत्ति अथवा हित अथवा इस अधिनियम के सम्यक् प्रशासन को प्रभावित करता हो या प्रभावित करना संभावित हो,

(iii) जो किसी भी तरह का कोई उपद्रव करता हो, या

(ख) किसी कर के निर्धारण अथवा दर के विरूद्ध किसी अपील पर विवाद या समझौता कर सकेगा, या

(ग) इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका के दावे के रूप में देय व्यय या क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए कार्यवाही कर सकेगा या, वापस ले सकेगा या समझौता कर सकेगा, या

(घ) किसी व्यक्ति के विरूद्ध एक हजार रूपये से अनधिक की राशि के लिए किसी दावे को वापस ले सकेगा या समझौता कर सकेगा, या

(ङ) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन, नगरपालिका के विरूद्ध लाई गई किसी विधिक प्रक्रिया या किसी वाद का अथवा किसी नगरपालिका प्राधिकारी अथवा नगरपालिका के किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरूद्ध, नगरपालिका अथवा ऐसे नगरपालिका प्राधिकारी या किसी पदाधिकारी या किसी अन्य कर्मचारी के बाबत पदीय हैसियत से किये गये या किये जाने के लिए आशयित किसी कार्य का बचाव कर सकेगा, या

(च) स्थायी समिति के अनुमोदन से, या जहाँ स्थायी समिति न हो, नगरपालिका के अनुमोदन से, इस धारा के किसी पूर्ववर्ती

खंडों के अधीन किये गये या किये जाने के लिए आशयित किसी कार्य के बावत, नगरपालिका अथवा किसी नगरपालिका प्राधिकारी अथवा किसी पदाधिकारी या किसी अन्य कर्मचारी के विरूद्ध किये गये किसी दावे या वाद या अन्य विधिक कार्यवाही पर समझौता कर सकेगा, या

(छ) नगरपालिका की ओर से, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के साथ की गई संविदा के अधीन, देय शास्ति के संबंध में किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई दावा वापस ले सकेगा अथवा समझौता कर सकेगा, या

(ज) कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित या अभियेाजित कर सकेगा, अथवा स्थायी समिति के अनुमोदन से, या जहाँ स्थायी समिति न हो वहाँ नगरपालिका के अनुमोदन से, नगरपालिका या नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी के नाम से खंड (घ) में विनिर्दिष्ट दावा के अन्यथा, यथा स्थिति संस्थित या किया गया वाद या दावा वापस ले सकेगा या इस पर समझौता कर सकेगा, या

(झ) इस धारा के पूर्ववर्त्ती उपबंधों में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए, अथवा किसी नगरपालिका प्राधिकारी अथवा किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी में निहित शक्ति के विधिपूर्ण प्रयोग या कर्तव्य के निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए, ऐसी विधिक सलाह एवं सहायता प्राप्त कर सकेगा, जैसा वह समय—समय पर आवश्यक या समीचीन समझे, अथवा जैसा नगरपालिका या स्थायी समिति उससे प्राप्त करने की अपेक्षा करे।

524. नगरपालिका आदि के विरूद्ध वाद में सूचना, सीमा और संशोधन

;1द्ध इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए, किसी नगरपालिका प्राधिकारी या नगरपालिका के किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी या ऐसे किसी व्यक्ति, जो नगरपालिका प्राधिकारी या किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी के दिशा

की पद्धति

निदेशन में कार्यरत हो, के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई वाद तब तक नहीं चलाया जाएगा, जब तक कि लिखित सूचना देने पर अगले एक माह के समय के अवसान के बाद, वैसे प्राधिकारी के कार्यालय अथवा ऐसे पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी या अन्य व्यक्ति के कार्यालय या आवास पर निम्नलिखित विवरण देते हुए, प्रदत्त न की जाय–

(क) वाद हेतुक,
(ख) आशयित वादी के नाम एवं आवास, और
(ग) राहत जो ऐसा वादी दावा करे।

;2द्ध वाद हेतुक होने के अगले चार माह के भीतर, ऐसा प्रत्येक वाद आरंभ किया जायेगा, तथा उसमें दिये गये वाद–पत्र में यह विवरण अंतर्विष्ट होगा कि उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित सूचना दे दी गई है या सौंप दी गई है।

;3द्ध यदि नगरपालिका प्राधिकारी, जिसके कार्यालय में, अथवा नगरपालिका के पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी या अन्य व्यक्ति, जो किसी नगरपालिका प्राधिकारी या किसी नगरपालिका के किसी पदाधिकारी या किसी कर्मचारी के निदेशाधीन कार्यरत हो, के कार्यालय या आवास पर, उपधारा (1) के अधीन सूचना दी गई है या सौंपी गई है, यदि अधिकारिता वाले न्यायालय का समाधान कर दे कि दावा की गई राहत वाद संस्थित होने के पूर्व वादी को दे दी गई है, तो वाद को खारिज कर दिया जायेगा।

;4द्ध इस धारा की पूववर्ती उपबंधों में विनिर्दिष्ट कोई बात, अनुतोष अधिनियम,1963 की धारा–38 के अधीन संस्थित किसी वाद पर लागू नहीं होगी।

525. संरक्षण

किसी नगरपालिका प्राधिकारी अथवा नगरपालिका के किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी, अथवा किसी नगरपालिका प्राधिकारी अथवा नगरपालिका के किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी के निदेशाधीन कार्यरत किसी व्यक्ति, अथवा मजिस्ट्रेट के विरूद्ध, इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों एवं विनियमों के अधीन, विधिपूर्वक एवं सद्भावपर्वूक तथा सम्यक् रूप से सावधानीपूर्वक किये गये किसी कार्य के संबंध में

कोई वाद सम्पोषणीय नहीं होगा।

आरक्षी पदाधिकारियों की शक्तियाँ और कर्त्तव्य

526. आरक्षी का सहयोग

;1द्ध नगरपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले थाना का प्रत्येक प्रभारी आरक्षी पदाधिकारी तथा उसके अधीन प्रत्येक पदाधिकारी और कर्मचारी (इस धारा में इसके पश्चात् नामोदिष्ट प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट),—

(क) इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वित और लागू करने तथा नगरपालिका क्षेत्र के बाहर और भीतर व्यवस्था बनाये रखने में नगरपालिका के साथ सहयोग करेगा, और

(ख) इस अधिनियम द्वारा या के अधीन, किसी आदेश को कार्यान्वित करने में नगरपालिका या नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी या नगरपालिका के अधिकारी या अन्य कर्मचारी की सहायता करेगा।

;2द्ध प्रत्येक आरक्षी पदाधिकारी का यह कर्तव्य होगा—

(i) नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी अथवा नगरपालिका के किसी अन्य पदाधिकारी को ऐसी जानकारी तत्काल संसूचित करना, जो उसे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये नियमों या विनियमों के अधीन किसी अपराध के करने के इरादे या किये गये अपराध के संबंध में प्राप्त हो, और

(ii) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी या नगरपालिका के किसी अन्य पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी में निहित किसी शक्ति के विधिपूर्ण प्रयोग करने में उसके सहयोग की अपेक्षा करने पर, नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी या नगरपालिका के किसी अन्य पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी का सहयोग करना।

;3द्ध नगरपालिका का कोई पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी, जब आरक्षी महानिरीक्षक या नगरपालिका आरक्षी आयुक्त, यदि कोई हो, के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त नगरपालिका की अनुशंसा पर, शक्ति प्रदान किये जाने पर, इस अधिनियम के ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसा सामान्य या विशेष आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, आरक्षी पदाधिकारी की शक्ति का प्रयोग कर सकेगा।

;4द्ध जिला मजिस्ट्रेट, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट तथा उनके अधीनस्थ पदाधिकारी और अन्य कर्मचारी नगरपालिका प्राधिकारियों के साथ इस अधिनियम के अधीन उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहयोग करेंगे।

527. अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए आरक्षी की शक्ति

;1द्ध कोई आरक्षी पदाधिकारी, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उसके विचार में इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये नियमों या विनियमों के अधीन कोई अपराध करता है, गिरफ्तार कर सकता है, बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति अपेक्षा किये जाने पर अपना नाम और पता बताने से इन्कार करे, या ऐसा नाम एवं पता बताये, जिसे झूठा विश्वास करने का आरक्षी अधिकारी के पास कारण हो।

;2द्ध इस प्रकार गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को उसका सही नाम एवं पता मालूम हो जाने पर, या बिना नगरपालिका दंडाधिकारी के आदेश के उसकी गिरफ्तारी के बाद अभिरक्षा में चौबीस घंटे से अधिक नहीं रखा जायगा, जिसमें गिरफ्तारी स्थल से ऐसे नगरपालिका दंडाधिकारी के न्यायालय तक पहुंचने में आवश्यक अवधि शामिल नहीं है।

;3द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी पदाधिकारी के लिखित आवेदन पर, सिपाही के पद से ऊपर का कोई आरक्षी पदाधिकारी, किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा, जो नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी या नगरपालिका के अन्य पदाधिकारी या कर्मचारी द्वारा, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये

नियमों या विनियमों के अधीन किसी शक्ति के प्रयोग या किसी कृत्य के निष्पादन या किसी कर्तव्य के निर्वहन में बाधा पहुँचाता हो।

;4द्ध उपधारा (3) के अधीन नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से अन्यून पद के किसी अन्य पदाधिकारी के लिखित आवेदन पर, सिपाही की पंक्ति से ऊपर का कोई आरक्षी पदाधिकारी, ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा, जो धारा–436 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेशों के उल्लघंन में, उस उपधारा में निर्दिष्ट, किसी भवन का निर्माण अथवा किसी कार्य का निष्पादन आरंभ करे या ऐसा निर्माण या ऐसा निष्पादन जारी रखे।

सामान्य उपबन्ध

528. सूचना एवं अन्य दस्तावेज की विधिमान्यता

इस अधिनियम के अधीन निर्गत कोई भी लिखित सूचना, आदेश, अध्यपेक्षा, अनुज्ञप्ति या अनुमति या कोई अन्य दस्तावेज मात्र प्रारूप की त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगा।

529. साक्ष्य के रूप में दस्तावेज अथवा प्रविष्टि की ग्राह्यता

किसी नगरपालिका प्राधिकारी के कब्जेवाली पंजी में किसी पावती, आवेदन, योजना, सूचना, आदेश या अन्य दस्तावेज या किसी प्रविष्टि की कोई प्रति, यदि यह रक्षक द्वारा या इस निमित्त नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित हो, दस्तावेज या प्रविष्टि के अस्तित्व के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी, और ऐसे मामले में अभिलिखित विषय एवं संव्यवहार के साक्ष्य के रूप में उस परिमाण तक स्वीकृत की जाएगी, जिस परिमाण तक मूल दस्तावेज या प्रविष्टि प्रस्तुत की जाने पर ऐसे विषय एवं संव्यवहार को सिद्ध करने के लिए ग्राह्य होती।

530 नगरपालि

नगरपालिका का कोई पदाधिकारी अथवा अन्य

. का के पदाधिकारी अथवा कर्मचारी का साक्ष्य

कर्मचारी से, ऐसी किसी विधिक कार्यवाही में, जिसमें नगरपालिका पक्षकार न हो, उसके किसी पंजी अथवा दस्तावेज को, जिसकी विषय—वस्तु प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा धारा—514 के अधीन सिद्ध की जा सके, को प्रस्तुत करने, अथवा क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को छोड़कर, उसमें दर्ज किसी विषय अथवा संव्यवहार को सिद्ध करने हेतु गवाह के रूप में हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

531. महापौर या अध्यक्ष अथवा किसी नगरपालिका प्राधिकारी आदि के रूकावट के विरूद्ध प्रतिषेध

कोई व्यक्ति, न बाधा पहुँचायेगा, न छेडछाड़ करेगा—

(क) किसी नगरपालिका प्राधिकारी अथवा महापौर या अध्यक्ष अथवा उप महापौर या उपाध्यक्ष, अथवा नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, अथवा नगरपालिका के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी अथवा नगरपालिका द्वारा योजित किसी व्यक्ति को, या

(ख) किसी व्यक्ति को जो, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्राधिकृत या सशक्त किसी व्यक्ति, अथवा जिसके साथ नगरपालिका या नगरपालिका का कोई प्राधिकारी विधिपूर्वक संविदा में उपबंधित हो, उसके कर्तव्य पालन अथवा उसके या उस कार्य निर्वहन अथवा यथा स्थिति, इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन निर्मित नियम अथवा विनियम या करार के परिणामस्वरूप या आधार पर वह कुछ करने के लिए सशक्त तथा अपेक्षित है।

532. चिह्न हटाने के विरूद्ध प्रतिषेध

कोई व्यक्ति, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियम या विनियम द्वारा प्राधिकृत किसी कार्य के कार्यान्वयन के लिए आनुषंगिक किसी तल या दिशा को सूचित करने के प्रयोजनार्थ स्थापित किसी चिह्न को नहीं हटायेगा।

533. नोटिस को हटाने अथवा

कोई व्यक्ति, नगरपालिका अथवा किसी नगरपालिका प्राधिकारी अथवा एतदर्थ नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा

	अभिलोपित करने के विरूद्ध प्रतिषेध		विनिर्दिष्ट नगरपालिका के किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी के आदेश द्वारा अथवा के अधीन प्रदर्शित किसी नोटिस को, बिना प्राधिकार के न हटायेगा, न विनष्ट करेगा, न विरूपित करेगा और न अन्यथा अभिलोपित करेगा।
534.	सार्वजनिक स्थान अथवा सामग्री के साथ अनधिकृत व्यापार के विरूद्ध प्रतिषेध		कोई व्यक्ति, नगरपालिका में निहित किसी भूमि से न तो मिट्टी, बालू या अन्य सामग्री हटायेगा अथवा न किसी वस्तु को उसमें जमा करेगा अथवा न उस पर कोई अतिक्रमण करेगा अथवा न ऐसी भूमि को किसी प्रकार बाधित करेगा।
535.	नगरपालिका के धन अथवा संपत्ति की हानि, बरबादी अथवा दुर्विनियोग के लिए देनदारी	;1द्ध	प्रत्येक व्यक्ति, नगरपालिका के स्वामित्व वाले अथवा उसमें निहित किसी धन अथवा अन्य संपत्ति की हानि, बरबादी या दुर्विनियोग के लिए उत्तरदायी होगा, यदि ऐसी हानि, बरबादी अथवा दुर्विनियोग उसके कार्य निर्वहन में उसकी उपेक्षा या अवचार का सीधा प्रतिफल हो, और वह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में सेवा सम्मन के लिए उपबंधित रीति से नोटिस द्वारा लिखित या मौखिक अभ्यावेदन के रूप में हेतु दर्शाने का ऐसा अवसर देकर कि क्यों नहीं आदेश द्वारा उससे हानि की पूर्ति की अपेक्षा की जाय, या उसे नगरीय प्रशासन के निदेशक के आदेश द्वारा ऐसी संपत्ति के मूल्य अथवा धन की राशि द्वारा अधिभारित किया जायेगा, और यदि उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अपील की अवधि की समाप्ति के एक महीने के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया जाय, तो वह इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर के बकाये के रूप में वसूलनीय होगी।
		;2द्ध	व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन आदेश दिया गया हो, आदेश संचरण के तीस दिनों के अन्दर राज्य

सरकार के समक्ष अपील कर सकेगा, तथा राज्य सरकार अधिभार को संपुष्ट, उपांतरित या अस्वीकृत कर सकेगीः

परन्तु यह कि किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन घटना से चार वर्षो की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, अथवा पार्षद के मामले में, एक वर्ष की अवधि के बाद, ऐसी हानि या बरबादी या दुर्विनियोग के लिए कारण पृच्छा देने हेतु कहा जायेगा।

536.	नगरपालिका के पार्षद और पदाधिकारी	नगरपालिका का प्रत्येक पार्षद, नगर आयुक्त, **महापौर/अध्यक्ष/उपमहापौर/उपाध्यक्ष** या कार्यपालक पदाधिकारी एवं प्रत्येक अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारी भारतीय दंड संहिता

	तथा कर्मचारी का लोक सेवक होना	1860 की धारा–21 के अधीन लोक सेवक समझे जायेंगे।
537.	अन्य विधियों की अवहेलना नहीं की जायेगी	इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, इस अधिनियम के अधीन कोई बात नगरपालिका अथवा किसी नगरपालिका प्राधिकारी अथवा नगरपालिका के किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की अवहेलना करने के लिए प्राधिकृत किया गया समझा नहीं जायेगा।

अध्याय–45
निर्वाचन

538.	राज्य निर्वाचन आयोग	**राज्य निर्वाचन आयोगः– राज्य में नगरपालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण धारा–2 (91) में उल्लिखित राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा एवं निर्वाचन संबंधी समस्त शक्तियाँ उक्त राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगी।**
539.	नगरपालिका निर्वाचन की अधिसूचना	**"राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर नगरपालिकाओं के गठित करने के प्रयोजनार्थ निर्वाचन के लिए तिथि व तिथियों को नियत कर राज्य के राजकीय राजपत्र में अधिसूचित करेंगे तथा इससे यह अपेक्षा की जाएगी कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मतदातागण नगरपालिकाओं को निर्वाचित करें;** **परंतु यह ऐसी कोई अधिसूचना निर्वाचन की नियत तिथि के पूर्व के छः माह के पहले नहीं निकाली जा सकेगी।"**
540.	निर्वाचन पूरा करने के लिए	**"राज्य निर्वाचन आयोग किसी निर्वाचन के लिए धारा–539 के अधीन जारी अधिसूचना में ऐसे कारणों से, जिन्हें वह पर्याप्त समझें, निर्वाचन हेतु**

समय विस्तार

निर्धारित तिथियों में परिवर्त्तन करने हेतु संशोधन कर सकेगा।"

541. निर्वाचन के संचालन के लिये प्रशासनिक तन्त्र

;1द्ध राज्य सरकार, जब वैसी अपेक्षा की जाय, राज्य निर्वाचन आयोग को नगरपालिकाओं का निर्वाचन कराने के लिए यथा आवश्यक संख्या में पदाधिकारियों एवं कर्मचरियों की सेवाएँ उपलब्ध कराएगी।

;2द्ध

"नगरपालिका के निर्वाचन के संचालन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक जिला के लिए उपायुक्त/जिला दण्डाधिकारी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के रूप में पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करेगा तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) की सहायता के लिए एक या अधिक जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को पदभिहित या नाम निर्दिष्ट कर सकेगा जो उप–समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी से अन्यून हो;

परंतु यह कि राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण के अध्याधीन रहते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) अपने अधिकारिता के क्षेत्र में निर्वाचन के संचालन के संबंध में सभी कार्यो का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करेगा।"

;3द्ध **"राज्य निर्वाचन आयोग या उनके द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) नगरपालिकाओं में निर्वाचन के निमित्त निर्वाची पदाधिकारी (नगरपालिका) नियुक्त कर सकेगा जो उप समाहर्त्ता स्तर से अन्यून स्तर का हो;**

;4द्ध **"राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) निर्वाची पदाधिकारी (नगरपालिका) को उसके कृत्यों के अनुपालन में सहायता करने के लिए एक या अधिक सहायक निर्वाची पदाधिकारी (नगरपालिका) को नियुक्त कर सकेगा, जो राज्य सरकार का पदाधिकारी होगा।"**

;5द्ध जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन पदाधिकारी, तथा पीठासीन पदाधिकारी की सहायता करने के लिए, उतने मतदान पदाधिकारी या पदाधिकारियों को, जितना कि वह आवश्यक समझे, नियुक्त करेगाः

"परंतु यह कि कोई व्यक्ति, जो सरकारी, अर्द्धसरकारी, प्राधिकार, निगम, सरकारी कम्पनी या सरकार से अनुदान प्राप्त संस्था का सेवक हो, पीठासीन पदाधिकारी या मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।"

परन्तु यह और कि जब मतदान पदाधिकारी मतदान केन्द्र से अनुपस्थित हो, पीठासीन पदाधिकारी, किसी अभ्यर्थी द्वारा योजित व्यक्ति से भिन्न ऐसे व्यक्ति को, जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हो, निर्वाचन हेतु मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा, और तदनुसार, जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को इसकी सूचना देगाः

परन्तु यह और भी कि मतदान पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग के निदेश के अध्यधीन, पीठासीन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर, इस अधिनियम तथा इसके अधीन निर्मित नियमों के अधीन, पीठासीन पदाधिकारी के सभी या किन्हीं कृत्यों का निष्पादन करेगा।

;6द्ध यदि पीठासीन पदाधिकारी, रूग्णता या अन्य किसी अपरिहार्य कारण से मतदान केन्द्र से अनुपस्थित रहने के लिए बाध्य हो, तो उसके कृत्यों का निष्पादन ऐसे मतदान पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा, जो ऐसी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे कृत्यों का निष्पादन करने के लिये निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पूर्व में प्राधिकृत किया गया हो।

;7द्ध पीठासीन पदाधिकारी का यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वह मतदान केन्द्र में व्यवस्था बनाए रखे और देखे कि मतदान उचित रूप से हो रहा है।

;8द्ध मतदान केन्द्र के मतदान पदाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे मतदान केन्द्र के पीठासीन पदाधिकारी को उसके कृत्यों के निष्पादन में सहायता करे।

542. कतिपय प्राधिकारों के कार्मिकों को चुनाव

;1द्ध **उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकार, जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के द्वारा अधियाचना करने पर, ऐसे कार्मिक (अध्यापक, प्राचार्य, शिक्षणेत्तर कार्मिकों को सम्मिलित करते हुए)**

	कार्य के लिए उपलब्ध कराया जाना		**जैसी आवश्यकता हो, निर्वाचन संबंधी किन्हीं दायित्वों के निर्वह्न हेतु उपलब्ध कराएगा। मतदान से संबंधित कार्य, आदि निर्वाचन संबंधी दायित्वों संबंधी दायित्वों में शामिल समझें जाएंगे।"**
		;2द्ध	अधिनियम के उद्‌देश्यों के लिए, निम्नलिखित प्राधिकार होंगे, अर्थात्– (क) प्रत्येक स्थानीय निकाय; (ख) केन्द्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित या निगमित प्रत्येक विश्वविद्यालय; (ग) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में (1956 का अधिनियम सं0–1) परिभाषित सरकारी कंपनी, (घ) राज्य या केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित कोई संस्थान, संस्था या निकाय अथवा जो राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः या परोक्ष रूप में नियंत्रित या पूर्णतः या **अंशतः** रूप से वित्तपोषित हो।
543.	उम्मीदवारों के लिए कतिपय सूचनाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य	;1द्ध	किसी उम्मीदवार द्वारा, इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन, प्रदत्त अपने नामांकन प्रपत्र में, सूचना उपलब्ध कराने के अपेक्षित के अतिरिक्त, अपनी उम्मीदवारी के संबंध में, निम्नलिखित आयामों पर भी शपथ–पत्र पर सूचनाएं देगा, **जो प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी अथवा नोटरी पब्लिक के समक्ष का हो;–** (क) क्या वह पूर्व में किसी आपराधिक मामले में, यदि कोई हो, दोष सिद्ध, या दोष मुक्त या बरी रहा है, क्या उसे कारावास या जुर्माने से दण्डित किया गया है, (ख) क्या उम्मीदवार किसी लम्बित मामले या किसी अपराध में अभियुक्त है, जो छः माह से अधिक कारावास से दंडनीय है, और उसमें आरोप तय कर दिया गया है या सक्षम न्यायालय द्वारा नामांकन दाखिल करने के छः माह पूर्व इसका संज्ञान ले लिया गया है, यदि ऐसा है, उसका विवरण, (ग) उम्मीदवार की, और उसके पत्नी/पति तथा उसके आश्रितों की परिसम्पत्तियां

(चल, अचल तथा बैंक में शेष आदि को शामिल करते हुए),

(घ) दायित्व, यदि कोई, विशेषकर क्या किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या सरकारी बकाया का कालातीत देय, और

(ङ) **उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता की पूर्ण विवरणी।**

;2द्ध उम्मीदवार द्वारा शपथ–पत्र न देने की स्थिति में, **निर्वाची पदाधिकारी** द्वारा नामांकन पत्रों के **संवीक्षा** (स्क्रूटनी) के समय शपथ–पत्र न देने के आधार पर उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

;3द्ध प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा, उपधारा (1) में उल्लिखित शपथ–पत्र में दी गई सूचना संबंधित **निर्वाची पदाधिकारी** द्वारा शपथ–पत्र की प्रति कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करके, तथा मुद्रण और इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों को भी स्वेच्छया एवं उदारतापूर्वक उपलब्ध करा कर, और किसी अन्य उम्मीदवार या व्यक्ति को **राज्य सरकार** द्वारा विहित शुल्क जमा करने पर, उपलब्ध कराकर, प्रचारित की जायेगी।

;4द्ध यदि कोई विपक्षी उम्मीदवार विधि सम्मत शपथ–पत्र के माध्यम से कोई विपरीत सूचना देता है, तो ऐसे विपक्षी उम्मीदवार का शपथ–पत्र भी संबंधित उम्मीदवार के शपथ–पत्र के साथ उपर्युक्त निर्दिष्ट विधि से प्रचारित किया जाएगा।

544. झूठा शपथ–पत्र आदि दाखिल करने के लिए दण्ड

कोई उम्मीदवार, स्वयं या अपने प्रस्तावक के माध्यम से, निर्वाचन में निर्वाचित होने के उद्देश्य से,–

(i) गलत सूचना देता है, जिसे वह जानता है कि गलत है, या जिसे गलत मानने का कारण है, या

(ii) अपने शपथ–पत्र या नामांकन–पत्र में यथास्थिति, जो सूचना दी जानी अपेक्षित हो, उसे छुपाता है,

तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में कोई बात

अन्तर्विष्ट होते हुए भी, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि एक साल तक हो सकती है या जुर्माना, **जैसा विहित किया जाए** या दोनों से, दंडनीय होगा।

545. निर्वाचन कार्यो के लिए परिसर, वाहन आदि का अधियाचन

;1द्ध राज्य में किसी निर्वाचन के संबंध में, यदि **जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)** समझती है, कि–

(क) कोई परिसर, मतदान स्थल के रूप में प्रयुक्त करने या मतदान के पश्चात् मत पेटिकाओं के संग्रहण के लिए आवश्यक है, या आवश्यकता हो सकती है, या

(ख) मत पेटिकाओं को मतदान केन्द्र तक तथा मतदान केन्द्र से परिवहन के लिए या ऐसे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, आरक्षी बल के सदस्यों के परिवहन के लिए या किसी पदाधिकारी या अन्य व्यक्ति के निर्वाचन संबंधी दायित्वों के निर्वहन के लिए, परिवहन हेतु, किसी वाहन, नाव या जानवर की आवश्यकता है या आवश्यकता हो सकती है,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), लिखित आदेश द्वारा यथास्थिति, ऐसे परिसर या ऐसे वाहन, नाव या जानवर का अधियाचन कर सकती है, और अधियाचन के संबंध में उसे आवश्यक या कलोचित प्रतीत हो, अग्रेतर आदेश कर **सकेगा**:

परंतु यह कि ऐसा कोई वाहन, नाव या जानवर जो **राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निदेशित** विधिपूर्वक किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता द्वारा ऐसे उम्मीदवार के चुनाव में किसी भी उद्देश्य से प्रयोग किया जा रहा हो, इस अधिनियम के अधीन ऐसे चुनाव के लिए अधियाचित नहीं किया जायेगा।

;2द्ध अधियाचन, ऐसे व्यक्ति को सम्बोधित, एक लिखित आदेश के माध्यम से किया जाएगा, जिसे राज्य सरकार सम्पत्ति का स्वामी या जिसके आधिपत्य में हो समझती है, और ऐसा आदेश, जिस व्यक्ति को वह सम्बोधित है, को विहित

रीति से तामील किया जायेगा।

;3द्ध जब कभी कोई परिसर, वाहन, नाव या जानवर उपधारा (1) के खंड (क) या (ख) के अधीन अधियाचित किया जाए, अधियाचन की अवधि, जिस प्रयोजन के लिए उपधारा में इसका अधियाचन किया गया उल्लिखित हो, से अधिक नहीं होगा।

;4द्ध इस धारा में—

(क) 'परिसर' से अभिप्रेत है कोई भूमि, भवन या भवन का भाग जिसमें झोपड़ी, शेड या अन्य ढॉचा या उसका कोई भाग सम्मिलित है,

(ख) ''वाहन'' से अभिप्रेत है कोई वाहन जो सडक **अथवा जल** परिवहन के योग्य हो, चाहे यांत्रिक शक्ति से या अन्यथा परिचालित हो।

546. प्रतिकर का भुगतान

;1द्ध जब कभी धारा—**545** की उपधारा (1) के अधीन **जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)**, किसी परिसर का अधियाचन करे, परिसर से हितबद्ध व्यक्तियों को प्रतिकर का भुगतान **राज्य सरकार द्वारा विनिर्धारित दर पर** किया जायेगा, जिसकी रकम ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी—

(क) परिसर के संबंध में देय किराया या यदि इस प्रकार कोई किराया देय नहीं हो, तो क्षेत्र में तत्समान परिसर के लिए देय किराया,

(ख) यदि परिसर के अधियाचन के फलस्वरूप हितबद्ध व्यक्ति अपना आवास या व्यावसायिक स्थल परिवर्तित करने को बाध्य होता हो, तो ऐसे परिवर्तन के लिए किया गया युक्तियुक्त व्यय, यदि कोई होः

परंतु यह कि जहाँ निर्धारित प्रतिकर की रकम से क्षुब्ध हितबद्ध व्यक्ति विहित समयावधि में राज्य सरकार को प्रकरण मध्यस्थ को संदर्भित करने के लिए अभ्यावेदन करे, तो भुगतेय प्रतिकर की रकम ऐसी होगी, जो राज्य सरकार द्वारा इस हेतु नियुक्त मध्यस्थ द्वारा निर्धारित की जाएः

परंतु यह भी कि यदि कहीं प्रतिकर प्राप्त करने में स्वामित्व या प्रतिकर की रकम के संविभाजन का विवाद हो, नियत करने के लिए, राज्य सरकार, इसे इस हेतु नियुक्त एक मध्यस्थ को संदर्भित करेगी, और ऐसे मध्यस्थ के निर्णय के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा में शब्द ''हितबद्ध व्यक्ति'' से अभिप्रेत है व्यक्ति जिसका परिसर पर धारा—**545** की उपधारा (1) में अधियाचन से ठीक पहले वास्तविक कब्जा था, या जहाँ कोई व्यक्ति वास्तविक कब्जे में नहीं था, ऐसे परिसर का स्वामी।

;2द्ध जब कहीं, धारा—**545** की उपधारा (1) के अधीन **जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)**, किसी वाहन, नाव या जानवर को अधियाचित करे, उसके स्वामी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर की रकम भुगतान की जाएगी, जो राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र में वाहन, नाव या जानवर के प्रचलित किराया या दर के आधार पर निर्धारित की जायेगीः

परंतु यह कि जहाँ ऐसे वाहन, नाव या जानवर का स्वामी निर्धारित प्रतिकर से क्षुब्ध होकर राज्य सरकार को प्रकरण, मध्यस्थ को संदर्भित करने के लिए विहित समयावधि में अभ्यावेदन करे, भुगतेय प्रतिकर की रकम ऐसी होगी जो राज्य सरकार द्वारा इस हेतु नियुक्त मध्यस्थ द्वारा निर्धारित की जाएः

परंतु यह भी कि जहाँ अधियाचन से ठीक पूर्व कोई वाहन या नाव, किराया—खरीद के समझौते के फलस्वरूप स्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में हो, तो इस उपधारा के अधीन अधियाचन हेतु भुगतेय सम्पूर्ण प्रतिकर के रूप में निर्धारित की गयी रकम, स्वामी और उस व्यक्ति के बीच, इस प्रकार, जिस पर वे सहमत हों, तथा ऐसे समझौते की अनुपस्थिति में, ऐसी रीति में, जैसा राज्य सरकार द्वारा इस हेतु नियुक्त मध्यस्थ द्वारा विनिश्चित किया जाय, संविभाजित की जायेगी।

547. सूचना प्राप्त करने की शक्ति — **जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)**, किसी परिसर, वाहन, नाव या जानवर को धारा–**545**की उपधारा (1) के अधीन अधियाचन या धारा–**546** के अधीन प्रतिकर निर्धारण की दृष्टि से, एक आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति से ऐसे परिसर, वाहन, नाव या जानवर के संबंध में उसके पास उपलब्ध सूचना, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, किसी प्राधिकारी को देने हेतु अपेक्षा कर सकेगी।

548. परिसर आदि में प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति — **जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) या उनके** द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई व्यक्ति, किसी परिसर में प्रवेश कर सकेगा, तथा ऐसे परिसर और किसी वाहन, नाव या जानवर का, यह निर्धारित करने के लिए निरीक्षण कर सकता है कि धारा–**545** की उपधारा (1) के अधीन ऐसे परिसर, वाहन, नाव या जानवर या उस उपधारा के अधीन किए गए आदेश के अनुपालन हेतु किस रीति से आदेश किया जाए।

549. अधियाचित परिसर को खाली कराना — ;1द्ध कोई व्यक्ति, जो धारा–**545** की उपधारा (2) के अधीन आदेशों के उल्लंघन में, अधियाचित किसी परिसर को अपने कब्जे में रखे हुए है, परिसर से इस निमित्त, **जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)** द्वारा सशक्त किसी पदाधिकारी द्वारा तत्काल बाहर किया जा सकता है।

;2द्ध इस प्रकार सशक्त कोई पदाधिकारी, किसी पर्दानशीन महिला को युक्तियुक्त चेतावनी तथा वापस जाने की आवश्यक सुविधा देकर, परिसर को खाली कराने के लिए किसी भवन के किसी ताला या कुण्डे को हटा सकता है या खोल सकता है या किसी दरवाजे को तोड़ सकता है या कोई अन्य आवश्यक कार्यवाही कर सकता है।

550. परिसर को अधियाचन से मुक्त करना — ;1द्ध जब धारा–**545** की उपधारा (1) के अधीन अधियाचित किसी परिसर को अधियाचन से मुक्त किया जाय, इसका कब्जा उसी व्यक्ति को दिया जाएगा, जिस व्यक्ति से इसका कब्जा अधियाचन के समय लिया गया था, या यदि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था तो उस व्यक्ति को, जिसे **जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)**, उस परिसर का स्वामी मानती है, और ऐसी परिसर से संबंधित यह प्रदायता **जिला निर्वाचन पदाधिकारी**

(नगरपालिका) को सभी दायित्वों से उन्मुक्त प्रदायता समझी जायेगी, परन्तु ऐसा व्यक्ति, जिसे परिसर का कब्जा दिया गया हो, के विरूद्ध परिसर के संबंध में विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा हकदार अन्य व्यक्ति के अधिकारों के प्रतिकूल नहीं होगी।

;2द्ध जब वह व्यक्ति, जिसे धारा–**545** की उपधारा (1) के अधीन अधियाचित परिसर का कब्जा, इस धारा के अधीन दिया जाना हो, नहीं मिलता है, या आसानी से निश्चेय न हो, या उसके पक्ष में प्रदायता स्वीकार करने हेतु, कोई अभिकर्ता या सशक्त व्यक्ति न हो, तो **जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)** ऐसे परिसर को अधियाचन से मुक्त करने के आशय संबंधी घोषणा की नोटिस, ऐसे परिसर के किसी सहज दृश्य भाग पर चिपकवायेगी और नोटिस को **जिला गजट** में प्रकाशित करेगी।

;3द्ध जब उपधारा (2) में उल्लिखित नोटिस **जिला गजट** में प्रकाशित की जाय, तो नोटिस में विनिर्दिष्ट परिसर, नोटिस की तिथि पर और से अधियाचन का विक्रय नहीं रह जायेगा, और इसके कब्जा के लिए हकदार व्यक्ति को प्रदान कर दिया गया समझा जायेगा, और उक्त तिथि के पश्चात् किसी अवधि के लिए ऐसे परिसर के संबंध में किसी क्षतिपूर्ति या अन्य दावा के लिए दायी नहीं होगी।

551. अधियाचन के संबंध में राज्य सरकार के कार्यो का प्रतिविधायन

राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा धारा–**545** से **549** के उपबंधों में से किसी द्वारा, सरकार को प्रदत्त किन्हीं अधिकारों या अधिरोपित किन्हीं कृत्यों को, यदि किन्हीं परिस्थितियों में जैसा निर्देशन में विनिर्दिष्ट हो, ऐसे पदाधिकारी या पदाधिकारियों के वर्ग द्वारा प्रयोग या निष्पादित **संशोधित** करने के निदेश दे सकती है **जो राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करेगा**

552. अधियाचन से

यदि कोई व्यक्ति, धारा–546 के अधीन निर्गत किसी आदेश का उल्लंघन करे, तो वह कारावास

सम्बन्धित किसी आदेश के उल्लंघन के लिए दण्ड

जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकती है या जुर्माना **जैसा विहित किया जाए** या, दोनों से दण्डनीय होगा।

553. मतदान का अधिकार

;1द्ध कोई व्यक्ति, जो अधिनियम में उल्लिखित किसी अयोग्यता के अध्यधीन हो, किसी वार्ड में मतदान नहीं करेगा।

;2द्ध कोई व्यक्ति, किसी आम चुनाव या उप चुनाव में, एक से अधिक वार्ड में मतदान नहीं कर सकेगा, यदि वह ऐसे एक से अधिक वार्ड में मतदान करता है, तो उसका मतदान ऐसे समस्त वार्डो में अवैध हो जाएगा।

;3द्ध वार्ड की निर्वाचक सूची में उसका नाम पंजीकृत होते हुए भी, कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में उसी वार्ड में, एक बार से अधिक मतदान नहीं करेगा, यदि वह ऐसा करे, उस वार्ड में उसके सारे मत अवैध हो जायेंगे।

;4द्ध कोई व्यक्ति, जो कारागार में निरूद्व हो, चाहे उसे कारावास की सजा हो या हवालात में हो, या अन्यथा, अथवा आरक्षी की विधिपूर्ण अभिरक्षा में हो, मतदान नहीं करेगाः

परंतु यह कि इस उपधारा का कोई उपबंध ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगा, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विधिपूर्वक आरक्षी की निषेधात्मक अभिरक्षा में हो।

;5द्ध उपधारा (2) और (3) का कोई उपबंध, ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगा, जो किसी मतदाता की छाया के रूप में, इस अधिनियम के अधीन किसी मतदाता का मत देने के लिए प्राधिकृत है।

554. छद्म मतदाताओं के निषेध के लिए विषेष

छद्म मतदाताओं के निषेध के लिए, इस अधिनियम के अधीन नियमों में उपबंध किया जा सकेगा,—

(क) ऐसे प्रत्येक मतदाता, जो किसी मतदान केन्द्र पर मतदान के लिए मतपत्र हेतु आवेदन करता है, की किसी उँगली या

	प्रक्रिया	अंगूठे पर अमार्जनीय स्याही से निशान बनाने के लिए, (ख) पूर्वोक्त ऐसे प्रत्येक मतदाता से, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट पहचानपत्र, किसी मतदान केन्द्र के पीठासीन पदाधिकारी या किसी मतदान पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, और (ग) किसी व्यक्ति को, जो मतपत्र देने के लिए आवेदन करता है, जिसकी किसी उँगली या अंगूठे पर पहले से ही ऐसा निशान है, या जो मांग करने पर, अपना पहचानपत्र किसी मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं करे, मतपत्र देने से निषेध करने के लिए।
555.	नगरपालिका के निर्वाचक	वे सभी व्यक्ति, जिनका नाम, राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की उस समय लागू निर्वाचक सूची या सूचियों का उतना भाग, जो किसी नगरपालिका के वार्ड से सम्बन्धित हो, निर्वाचक के रूप में अंकित हो, वे सभी व्यक्ति सम्बन्धित नगरपालिका निर्वाचन में निर्वाचक होंगेः परन्तु यह कि राज्य निर्वाचन आयोग, स्वप्रेरणा से, अथवा किसी व्यथित व्यक्ति से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, इस मत का हो कि ऐसा करने के लिये पर्याप्त कारण है, नगरपालिका के संबंधित वार्ड की निर्वाचक नामावली में ऐसा परिवर्तन करने का निदेश दे सकेगा, जैसा वह उचित समझेः परन्तु यह और कि इस अधिनियम की धारा–539 के अधीन राज्यपाल द्वारा नगरपालिका निर्वाचन की तिथि की अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् निर्वाचक नामावली में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
556.	प्रेक्षक	**राज्य निर्वाचन आयोग किसी निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों के समूह में निर्वाचन या निर्वाचनों के संचालन पर निगरानी रखने और आयोग द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यो के निष्पादन हेतु सामान्य एवं व्यय प्रेक्षक नियुक्त कर पदाधिकारी, आयोग की अध्यपेक्षा पर अपना प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।**

557.	जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगर पालिका), **निर्वाची पदाधिकारी**, पीठासीन पदाधिकारी आदि को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त माना जायगा		जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), **निर्वाची पदाधिकारी**, सहायक **निर्वाची पदाधिकारी**, पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी और नगर पालिका के निर्वाचन कार्य से सम्बद्ध कोई अन्य पदाधिकारी, और ऐसे निर्वाचन के संचालन में सहायता करने हेतु, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट तत्समय कोई आरक्षी पदाधिकारी, ऐसे निर्वाचन के लिए आवश्यक, अधिसूचना की तिथि से आरम्भ होने वाली अवधि और निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तिथि पर समाप्त होने वाली अवधि के लिए, राज्य निर्वाचन आयोग की प्रतिनियुक्ति पर माना जायेगा, ऐसा पदाधिकारी, उस अवधि के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण एवं अनुशासन के अध्यधीन होगा।

निर्वाचन अपराध

558.	निर्वाचन के सिलसिले में वर्गों के बीच शत्रुता बढ़ाना		कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन के संबंध में भारत के विभिन्न वर्गो के नागरिकों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ाता है या बढ़ाने का प्रयास करता है, वह तीन वर्षों तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा।
559.	मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के अड़तालीस घंटो की अवधि के दौरान आम सभाओं पर प्रतिबंध	;1द्ध	कोई भी व्यक्ति,— (क) निर्वाचन के संबंध कोई जुलूस या आम सभा आहूत, आयोजित, उपस्थित, शामिल या संबोधित नहीं करेगा; अथवा (ख) सिनेमा, टेलीविजन या अन्य समान उपकरण द्वारा किसी निर्वाचन सामग्री को जनता को प्रदर्शित नहीं करेगा; अथवा (ग) किसी रंगमंच या संगीत सभा का प्रदर्शन या किसी अन्य मनोरंजन या मन बहलाने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करके या आयोजन की व्यवस्था करके जनता में कोई निर्वाचन सामग्री प्रचारित नहीं करेगा;

जनता के सदस्यों को आकर्षित करने के उद्देश्य से, किसी मतदान क्षेत्र में उस मतदान केन्द्र पर किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से अड़तालीस घंटे पूर्व की अवधि के भीतर।

;2द्ध ऐसा कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करे, दो वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या, दोनों से, दण्डनीय होगा।

;3द्ध इस धारा में अभिव्यक्ति ''निर्वाचन सामग्री'' से अभिप्रेत है, निर्वाचन के परिणाम को प्रभावित करने या प्रभावित करने के लिए आशयित या सुविचारित कोई सामग्री।

560. निर्वाचन सभा में बाधा

;1द्ध कोई व्यक्ति, जो किसी आम सभा में, जिस पर यह धारा लागू होती है, जिस प्रयोजन के लिए सभा बुलाई गई है, उसके कार्य संव्यवहार को निवारित करने के लिए अव्यवस्था उत्पन्न करता है, या किसी अन्य को इसके लिए भड़काता है, छः माह के कारावास, या दो हजार रूपये तक के जुर्माना से, या दोनों से, दण्डनीय होगा। इस उपधारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

स्पष्टीकरण– **आमसभा से अभिप्रेत है नगरपालिका के सभी पदधारकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करने के लिए इस अधिनियम के अधीन अधिसूचना जारी करने की तिथि और निर्वाचन समाप्ति के समय से अड़तालीस घंटे पूर्व तक की अवधि में आयोजित चुनाव प्रचार हेतु कोई सभा**

;2द्ध यदि कोई आरक्षी पदाधिकारी, उपधारा (1) के अधीन अपराध करने के लिए, किसी व्यक्ति पर पर्याप्त रूप से सन्देह करता है, वह, यदि सभा के अध्यक्ष द्वारा, ऐसा करने के लिए अनुरोध किया जाय, उस व्यक्ति से अपना नाम और पता तुरन्त घोषित करने की अपेक्षा कर सकता है, और यदि वह व्यक्ति अपने नाम और पता घोषित करने से इंकार करता है या नहीं करता है, या यदि आरक्षी पदाधिकारी उस पर गलत नाम या पता देने के लिए पर्याप्त रूप से सन्देह करता है, तो आरक्षी पदाधिकारी वारन्ट के बिना उसे गिरफ्तार कर

सकता है।

561. पुस्तिका, पोस्टर, इत्यादि के मुद्रण पर प्रतिबन्ध

;1द्ध कोई व्यक्ति, कोई निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को, जिसके मुख्य भाग पर मुद्रक और उसके प्रकाशक के नाम और पते नहीं हो, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा या मुद्रित या प्रकाशित नहीं करायेगा।

;2द्ध कोई व्यक्ति, किसी निर्वाचन पुस्तिका (पाम्पलेट) या पोस्टर को तब तक मुद्रित नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करायेगा—

(क) जब तक कि उसके प्रकाशक की पहचान के लिए घोषणा, उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दो ऐसे व्यक्तियों द्वारा अभिप्रमाणित, जो उसे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, दो प्रतियों में उसके द्वारा मुद्रक को परिदत्त नहीं की जाय, और

(ख) जब तक कि अभिलेख के मुद्रण के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर, घोषणा की एक प्रति,दस्तावेज की एक प्रति के साथ मुद्रक द्वारा नहीं भेजी जाए,—

(i) जब यह राज्य की राजधानी में मुद्रित हो, तो राज्य निर्वाचन आयोग को, और

(ii) किसी अन्य मामले में, उस जिले के उपायुक्त को, जिसमें यह मुद्रित किया गया हो।

;3द्ध इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) हाथ द्वारा प्रतियाँ करने के अलावा अभिलेख की अनेकानेक प्रतियाँ बनाने की किसी भी प्रक्रिया को मुद्रण माना जायेगा, और तदनुसार, अभिव्यक्ति ''मुद्रक'' की व्याख्या की जायेगी, और

(ख) ''निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर'' से अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को संप्रवर्तित करने या प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए वितरित कोई

मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज या निर्वाचन से संबंध रखने वाला कोई प्लेकार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है, लेकिन इसमें निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं के दैनिक निदेशों या निर्वाचन सभा की तिथि, समय, स्थान और अन्य विकरणों को घोषित करने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर शामिल नहीं होगा।

;4द्ध कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किन्ही उपबंधों का उल्लंघन करे, छः माह तक के कारावास या दो हजार रूपये तक के जुर्माना, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

562. मतदान की गोपनीयता बनाए रखना

;1द्ध प्रत्येक पदाधिकारी, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति, जो निर्वाचन में मतों के अभिलेखन या की गणना करने के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करता हो, मतों की गोपनीयता बनाये रखेगा, और बनाए रखने में सहायता करेगा, और किसी व्यक्ति को, किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अधिकृत किसी प्रयोजन के अलावा, मत गणना से संबंधित कोई सूचना संसूचित नहीं करेगा जो ऐसी गोपनीयता भंग करने के लिए सुविचारित हो।

;2द्ध कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करे, तीन माह तक के कारावास, या जुर्माना, या दोनों से दण्डनीय होगा।

563. निर्वाचनों में पदाधिकारी आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य नहीं करेंगे या मतदान को प्रभावित नहीं करेंगे

;1द्ध किसी निर्वाचन में, जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) या **निर्वाची पदाधिकारी**, या सहायक **निर्वाची पदाधिकारी** या पीठासीन या मतदान पदाधिकारी, या **निर्वाची पदाधिकारी** या पीठासीन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन के संबंध में किसी कृत्य के निष्पादन हेतु नियुक्त कोई पदाधिकारी या **कार्मिक या अन्य कोई पदाधिकारी या कार्मिक** निर्वाचन के प्रबंधन या संचालन में किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए मत देने के अन्यथा कोई कार्य नहीं करेगा।

;2द्ध यथा पूर्वोक्त कोई व्यक्ति, और आरक्षी बल का कोई सदस्य, प्रयास नहीं करेगा—

(क) निर्वाचन में, किसी व्यक्ति को उसका मत देने के लिए प्रेरित करना, या
(ख) निर्वाचन में, किसी व्यक्ति को उसका मत न देने के लिए प्रेरित करना, या
(ग) किसी निर्वाचन में, किसी व्यक्ति के मतदान पर किसी तरीके से असर डालना ।

;3द्ध कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करे, छः माह तक के कारावास, या जुर्माना, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

;4द्ध उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

564. मतदान केन्द्रों में या उसके नजदीक प्रचार का प्रतिषेध

;1द्ध कोई व्यक्ति, ऐसी तिथि या तिथियों को, जिसमें किसी मतदान केन्द्र पर मतदान होता हो, मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र के एक सौ मीटर की दूरी के भीतर किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में, निम्नलिखित में से कोई कार्य नहीं करेगा, यथा—

(क) मतों के लिए प्रचार, या
(ख) किसी निर्वाचक से मत की याचना करना, या
(ग) किसी अभ्यर्थी विशेष को मत नहीं देने के लिए किसी निर्वाचक को सम्मत करना, या
(घ) निर्वाचन में मत नहीं देने के लिए किसी निर्वाचक को समझाना, या
(ङ) निर्वाचन से संबंधित किसी सूचना या संकेत (शासकीय सूचना के अलावा) को प्रदर्शित करना।

;2द्ध कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करे, वह पाँच सौ रूपये तक के जुर्माना से दण्डनीय होगा।

;3द्ध इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

565. मतदान केन्द्रों में या उसके नजदीक विच्छृंखल आचरण के लिए शास्ति

;1द्ध कोई व्यक्ति, ऐसी तिथि या तिथियों को, जिस पर किसी मतदान केन्द्र पर मतदान होता है,—

(क) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर, या उसके पड़ोस में किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में, मानव ध्वनि के प्रवर्धन या प्रत्युत्पादन करने के लिए मेगाफोन या लाउडस्पीकर जैसा उपकरण का न तो उपयोग करेगा, या न परिचालित करेगा, या

(ख) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर, या उसके पड़ोस में किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में विच्छृंखल तरीके से न चिल्लायेगा या अन्यथा कार्य नहीं करेगा, जिससे कि मतदान के लिए मतदान केन्द्र जाने वाले किसी व्यक्ति को क्षोभ होता हो, या जिससे मतदान केन्द्र में काम पर लगे अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के कार्य में हस्तक्षेप होता हो।

;2द्ध कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करे, या उसमें जानबूझकर सहायता करे या दुष्प्रेरण करे, तीन माह तक के कारावास, या जुर्माना, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

;3द्ध यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन पदाधिकारी के पास विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है, वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसी आरक्षी पदाधिकारी को निदेशित कर सकता है, और तदुपरान्त आरक्षी पदाधिकारी उसे गिरफ्तार कर लेगा ।

;4द्ध कोई आरक्षी पदाधिकारी, ऐसा कोई कदम उठा सकता है, और बल का प्रयोग कर सकता है, जो उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन को रोकने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, और इस उल्लंघन में प्रयुक्त उपकरण को जब्त कर सकता है।

566 मतदान

;1द्ध कोई व्यक्ति, जो मतदान के लिए किसी मतदान

. केन्द्र पर अवचार के लिए शास्ति

केन्द्र में नियत समय के दौरान स्वयं अवचार करता है, या पीठासीन पदाधिकारी के विधिपूर्ण निदेशों का पालन नहीं करता है, उसे पीठासीन पदाधिकारी द्वारा या **कर्त्तव्य** पर तैनात किसी आरक्षी पदाधिकारी द्वारा या ऐसे पीठासीन पदाधिकारी द्वारा इस निमित्त **अधिकृत** किसी व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र से हटाया जा सकेगा।

;2द्ध **उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जाएगा, जिससे कि किसी निर्वाचक को, जो मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अन्यथा हकदार है, उसे केन्द्र में मत देने के अवसर नहीं प्राप्त हो सके।**

;3द्ध यदि कोई व्यक्ति, जिसे मतदान केन्द्र से हटा दिया **गया हो**, पीठासीन पदाधिकारी की स्वीकृति के बिना मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करे, वह तीन माह तक के कारावास, या जुर्माना या दोनों से, दण्डनीय होगा।

;4द्ध उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

567. मतदान की प्रक्रिया के पालन में विफलता के लिए शास्ति

यदि कोई निर्वाचक, जिसे मत पत्र जारी किया गया हो, मतदान के लिए विहित प्रक्रिया का पालन करने से इंकार करता है, उसे जारी मतपत्र रद्द करने के योग्य होगा।

568. निर्वाचनों में वाहनों को अवैध रूप से किराये पर लेने या प्राप्त करने के लिए शास्ति

यदि कोई व्यक्ति, धारा–587 की उपधारा **(च)** में यथाविनिर्दिष्ट या निर्वाचन से संबंधित किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी हो, वह तीन माह तक के कारावास, और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

569. निर्वाचनों के संबंध

;1द्ध यदि कोई व्यक्ति, जिस पर यह धारा लागू होती हो, बिना युक्तियुक्त कारण के अपने पदीय

	में पदीय कर्तव्य का भंग		कर्त्तव्य के भंग में किसी कार्य या लोप का दोषी हो, वह पांच सौ रूपये तक के जुर्माना से दण्डनीय होगा।
		;2द्ध	उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।
		;3द्ध	यथापूर्वोक्त, ऐसे किसी कार्य या लोप के बाबत क्षति के लिए, ऐसे किसी व्यक्ति के विरूद्ध, कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं होगी।
		;4द्ध	व्यक्ति, जिन पर यह धारा लागू होती है, जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), **निर्वाची** पदाधिकारी, सहायक **निर्वाची** पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी एवं नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने या अभ्यर्थिता की वापसी या मतदान लेने अथवा मतगणना करने संबंधी कर्तव्य के निष्पादन हेतु नियुक्त अन्य व्यक्ति हैं, और अभिव्यक्ति ''पदीय कर्तव्य'' की व्याख्या इस धारा के प्रयोजनार्थ तदनुसार की जायेगी, लेकिन इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन निर्धारित कर्तव्यों से अन्यथा अधिरोपित कर्तव्य इसमें शामिल नहीं होंगे।
570.	निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सरकारी कर्मचारियो के लिए शास्ति		यदि कोई व्यक्ति, सरकारी सेवा में रहते हुए, निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता के रूप मे कार्य करता है, वह तीन माह तक के कारावास, या जुर्माना, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

571. मतदान केन्द्र में या उसके नजदीक शस्त्र लेकर जाने पर प्रतिबंध

;1द्ध **निर्वाची पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी और किसी पुलिस पदाधिकारी से तथा मतदान केन्द्र पर शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से, जो मतदान केन्द्र पर कर्त्तव्यारूढ़ है, भिन्न कोई व्यक्ति, मतदान के दिन मतदान केन्द्र के आस–पास आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) में परिभाषित किसी प्रकार के आयुधों से सज्जित होकर नहीं जायेगा।**

;2द्ध यदि कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करे, वह दो वर्षो तक के कारावास, या जुर्माना, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

;3द्ध आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का संख्या 54) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन अपराध का सिद्वदोष हो, उसके कब्जे में उक्त अधिनियम में यथापरिभाषित पाये गये शस्त्र को जब्त कर लिया जाएगा और उन शस्त्रों के लिए प्रदत्त अनुज्ञप्ति को उस अधिनियम की धारा– 17 के अधीन प्रतिसंहरित माना जायेगा।

;4द्ध उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

572. मतदान केन्द्र से मत पत्रों को हटाना अपराध होगा

;1द्ध कोई व्यक्ति, जो किसी निर्वाचन में मतपत्र को मतदान केन्द्र से बाहर अनधिकृत रूप से ले जाने या लेने का प्रयास करता है, या ऐसे किसी कार्य को करने में जानबूझ कर सहायता करता है या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, वह कारावास, जो एक वर्ष तक का हो सकता है, या जुर्माना, जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

;2द्ध यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन पदाधिकारी को ऐसा विश्वास करने का कारण हो, कि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है, ऐसा पदाधिकारी, उस व्यक्ति के मतदान केन्द्र छोड़ने से पहले गिरफ्तार कर सकता है या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आरक्षी पदाधिकारी को निदेश दे सकता है, और उस व्यक्ति की तलाशी

ले सकेगा या किसी आरक्षी पदाधिकारी द्वारा उसकी तलाशी करवा सकेगा :
परन्तु यह कि जब किसी महिला की तलाशी लेना आवश्यक हो, तो मर्यादा का पूर्ण ध्यान रखते हुए तलाशी अन्य महिला द्वारा ली जायेगी।

;3द्ध गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी पर पाये गये किसी मतपत्र को पीठासीन पदाधिकारी द्वारा आरक्षी पदाधिकारी को निरापद अभिरक्षा के लिए दिया जायेगा, या जब तलाशी आरक्षी पदाधिकारी द्वारा की जाय, ऐसे पदाधिकारी द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा।

;4द्ध उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

573. मतदान केन्द्र कब्जा करने का अपराध

;1द्ध जो कोई मतदान केन्द्र को कब्जा करने का अपराध करता है, उसे ऐसे कारावास से, जो एक वर्ष से अन्यून हो, लेकिन जो तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना से दण्डनीय होगा, और जब ऐसा अपराध सरकारी सेवारत व्यक्ति द्वारा किया जाय, वह ऐसे कारावास से, जो तीन वर्षों से अन्यून होगा, लेकिन जिसे पॉच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा , और जुर्माना से दण्डनीय होगा।
स्पष्टीकरण– इस उप धारा के प्रयोजनों के लिए ''मतदान केन्द्र का कब्जा'' में अन्य चीजों के साथ निम्नलिखित सभी या कोई भी गतिविधियाँ शामिल हैं, अर्थात्–

(क) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान को जब्त करना, मतपत्रों या मतदान मशीनों को मतदान प्राधिकारियों से अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो निर्वाचन के सुव्यवस्थित संचालन को प्रभावित करे,
(ख) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान को कब्जे में लेना, और केवल उसके या उनके अपने समर्थकों को मताधिकार के प्रयोग करने की अनुमति देना और दूसरों को स्वतंत्रतापूर्वक मत देने से

रोकना,

(ग) किसी निर्वाचक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पीड़ित करना या अभित्रास या धमकी देना, और अपना मत देने के लिए मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान जाने से रोकना;

(घ) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतगणना स्थान का कब्जा करना, मतपत्रों या मतदान मशीनों को गणना प्राधिकारियों से अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो व्यवस्थित रूप से मतगणना को प्रभावित करे ;

(ङ) अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भावनाओं को बढ़ाने के लिए सरकारी सेवारत किसी व्यक्ति द्वारा पूर्वोक्त कार्यों में से सभी या कोई कार्य करना, या करने में सहायता या मौन अनुमति देना ।

;2द्ध उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

574. अन्य अपराध और उसके लिए शास्तियां

;1द्ध कोई व्यक्ति, निर्वाचन अपराध का दोषी होगा, यदि किसी निर्वाचन में, वह –

(क) किसी नामनिर्देशन पत्र को कपटपूर्वक विरूपित करता है या कपटपूर्वक नष्ट करता है, या

(ख) **निर्वाची** पदाधिकारी के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन लगायी गई किसी सूची, सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित, नष्ट या हटाता है, या

(ग) डाक मत–पत्र द्वारा मत डालने के सम्बन्ध में प्रयुक्त शासकीय लिफाफे या पहचान की किसी घोषणा या किसी मत पत्र पर शासकीय चिह्न या किसी मत पत्र को कपटपूर्वक विरूपित करता है या कपटपूर्वक नष्ट करता है, या

(घ) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को किसी मतपत्र की आपूर्ति करता है या किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त

करता है या उसके कब्जे में कोई मतपत्र हो, या

(ङ) मतपत्र, जिसे डालने के लिए **या मतदान के लिए** वह विधितः प्राधिकृत है, से भिन्न किसी वस्तु को किसी मतपेटी **या वोटिंग मशीन** में कपटपूर्वक डालता हो; या

(च) निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त, किसी **वोटिंग मशीन,** मतपेटी या मतपत्र को आवश्यक प्राधिकार के बिना, नष्ट करता हो, ले जाता हो, खोल देता हो या अन्यथा हस्तक्षेप करता हो ; या

(छ) पूर्वोक्त किन्हीं कार्यों को करने का कपटपूर्वक या आवश्यक प्राधिकार के बिना यथास्थिति, प्रयास करता हो, या किसी ऐसे कार्य को करने के लिए जानबूझ कर सहायता करता हो या उत्प्रेरित करता हो।

;2द्ध इस धारा के अधीन निर्वाचन विषयक अपराध का दोषी व्यक्ति, —

(क) यदि वह **निर्वाची पदाधिकारी** या सहायक **निर्वाची पदाधिकारी** या मतदान केन्द्र पर पीठासीन पदाधिकारी या निर्वाचन के सम्बन्ध में शासकीय कर्तव्य पर योजित कोई अन्य पदाधिकारी या **कार्मिक** हो, कारावास से जो दो वर्षों तक का हो सकता है, या जुर्माना, या दोनों से, दण्डनीय होगा;

(ख) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति हो, कारावास से, जो छः माह तक हो सकता है, या जुर्माना, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

;3द्ध इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को शासकीय कर्तव्य पर माना जायेगा, यदि उसका कर्तव्य किसी निर्वाचन के या निर्वाचन के अंग के संचालन में भाग लेना हो, और इसमें मतगणना, या निर्वाचन के पश्चात् मतपत्रों और ऐसे निर्वाचन से जुड़े अन्य कागजात के लिए जिम्मेदार, शामिल है, लेकिन अभिव्यक्ति ''शासकीय कर्तव्य'' में इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अधिरोपित के

अन्यथा कोई कर्तव्य शामिल नहीं होगा ।

;4द्ध उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

575. मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने की मंजूरी

;1द्ध किसी कारोबार, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में योजित और राज्य की नगरपालिकाओं के निर्वाचन में मत देने के लिए योग्य प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन अवकाश प्रदान किया जायेगा।

;2द्ध उपधारा (1) के अनुसार प्रदान किये गये अवकाश के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी में कोई भी कमी या कटौती नहीं की जायेगी, और यदि वह व्यक्ति इस आधार पर योजित है कि वह ऐसे दिन के लिए मजदूरी साधारणतया प्राप्त नहीं करेगा, फिर भी उसे ऐसे दिन के लिए मजदूरी का भुगतान उसी प्रकार से किया जायेगा, जिस प्रकार से वह अवकाश प्रदान नहीं किये जाने पर प्राप्त करता।

;3द्ध यदि कोई नियोक्ता, उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करता हो, तो ऐसा नियोक्ता, जुर्माना से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

;4द्ध यह धारा ऐसे किसी निर्वाचक पर लागू नहीं होगी, जिसकी अनुपस्थिति, उस योजन की बावत खतरा या सारभूत हानि पहुँचा सकती हो, जिसमें वह कार्यरत हो।

576. मतदान के दिन शराब की

;1द्ध स्प्रिटयुक्त, किण्वित (फर्मेन्टेड) या मदोन्मत्त करने वाला कोई मद्य या इसी प्रकार के अन्य पदार्थ की, मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय की

	बिक्री या वितरण नहीं किया जायेगा और न दिया जाएगा		समाप्ति के अड़तालीस घंटे की अवधि के भीतर, मतदान क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले किसी होटल, भोजनालय, दुकान, भोजशाला या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान में, बिक्री या वितरण नहीं किया जाएगा, और न दिया जाएगा।
		;2द्ध	उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति, ऐसी अवधि के कारावास से जो छः माह तक हो सकता है, या जुर्माना, जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।
		;3द्ध	जब कोई व्यक्ति, इस धारा के अधीन किसी अपराध का सिद्ध दोष पाया जाय, उसके कब्जे में पायी गयी स्प्रिट युक्त, किण्वित (फर्मेन्टेड) या मदोन्मत्त करने वाला मद्य या इस प्रकार का अन्य पदार्थ जब्त किये जाने योग्य होगा और ऐसी रीति से, जैसा विहित किया जाय, निस्तारित किया जायेगा।
577.	निर्वाचन व्यय का लेखा और उसकी अधिकतम राशि	;1द्ध	नगरपालिका निर्वाचन का प्रत्येक उम्मीदवार, जिस तिथि को उसका नाम निर्देशन हुआ हो, उस तिथि से लेकर उसका परिणाम घोषित किए जाने की तिथि तक, उसके या उसके अभिकर्ता द्वारा उपगत और प्राधिकृत, निर्वाचन से जुड़े सभी खर्च का पृथक् और सही लेखा स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता से रखवायेगा।
		;2द्ध	लेखा में ऐसे विवरण शामिल होंगे, जैसा विहित किया जाय।
		;3द्ध	उक्त व्यय का कुल योग ऐसी अधिकतम सीमा से, जैसा विहित किया जाय, अधिक नहीं होगा।
		;4द्ध	**किसी निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी अपने निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से तीस दिनों के अन्दर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के पास निर्वाचन व्यय की विवरणी समर्पित करेगा जो उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा रखी गई लेखा की सच्ची प्रतिलिपि होगा।**

578. निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अनर्हता

यदि राज्य निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाए कि कोई व्यक्ति,—

(क) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित समय एवं रीति से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है, और

(ख) चूक के लिए कोई युक्तियुक्त कारण या औचित्य नहीं है,

राज्य निर्वाचन आयोग, आदेश द्वारा, उसे निरर्हित घोषित कर देगा, तथा ऐसा व्यक्ति, आदेश की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए निरर्हित किया जाएगा।

579. सदस्यता के लिये अर्हता

ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम किसी नगरपालिका के निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो, और जिसे इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निरर्हित नहीं किया गया हो, नगरपालिका के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए **अर्हत्त** होगाः

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गो या महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के मामले में, ऐसा कोई व्यक्ति, जो यथास्थिति किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग का सदस्य या महिला न हो, उसे ऐसे स्थानों के लिये निर्वाचित होने की अर्हता प्राप्त नहीं होगी।

चुनाव याचिकाएँ

580. चुनाव याचिका

किसी नगरपालिका के किसी पद के निर्वाचन को यथा विहित चुनाव याचिका के सिवाय प्रश्नगत नहीं किया जायेगाः

परन्तु यह कि अगर किसी नगर पंचायत के किसी पद का निर्वाचन विवादित हो, चुनाव याचिका वैसे मुन्सिफ के समक्ष दायर होगी, जिसके क्षेत्राधिकार में वैसी नगर पंचायत अवस्थित हो, तथा यदि किसी नगर परिषद या नगर निगम के किसी पद का निर्वाचन विवादित हो, चुनाव याचिका वैसे अवर न्यायाधीश के समक्ष दायर होगी, जिसके क्षेत्राधिकार में ऐसी नगरपालिका अवस्थित हो।

581. याचिका के

प्रार्थी, अपनी याचिका में प्रत्यर्थी के रूप में, निम्नलिखित को जोड़ेगा —

पक्षकार

(क) जब प्रार्थी, ऐसी घोषणा करने के दावे के अतिरिक्त कि सभी या किन्ही निर्वाचन अभ्यर्थियों का निर्वाचन अवैध है, अन्य घोषणा का दावा करता है कि वह स्वयं या किसी अन्य अभ्यर्थी को सम्यक् रूप से निर्वाचित किया गया है, प्रार्थी के अलावा सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, और जब ऐसी अन्य घोषणा का दावा नहीं किया जाय, सभी निर्वाचित अभ्यर्थी, और

(ख) किसी अन्य अभ्यर्थी को, जिसके विरूद्ध किसी भ्रष्ट आचरण का आरोप याचिका में लगाया गया हो।

(ग) **उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर किसी रिट याचिका को छोड़कर अन्य किसी न्यायालय में दायर किसी निर्वाचन याचिका में राज्य निर्वाचन आयोग या उसके किसी पदाधिकारी को पक्षकार नहीं बनाया जा सकेगा।**

582. याचिका की सामग्री

निर्वाचन याचिका,—

(क) ऐसे तथ्यों का संक्षिप्त कथन, जिस पर याची विश्वास करता हो, अंतर्विष्ट करेगी,

(ख) ऐसे भ्रष्ट आचरण का पूर्ण विवरण, जो याची आरोपित करता है, जिसमें यथासंभव भ्रष्ट आचरण के लिए आरोपित पक्षों के नाम तथा ऐसे आचरण का स्थान एवं तिथि का समावेश हो, घोषित करेगी,

(ग) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम सं0—5 1908) में याचिकाओं के सत्यापन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हस्ताक्षरित और सत्यापित की जायेगीः

परन्तु यह कि जब याची किसी भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाता हो, याचिका के साथ लगाये ऐसे भ्रष्ट आचरण के आरोप और उनके विवरण के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में एक शपथपत्र याचिका के साथ लगेगी,

(घ) याचिका की कोई अनुसूची या संलग्नक याचिका की तरह ही हस्ताक्षरित और सत्यापित की जायेगी।

583 निर्वाचन

इस अधिनियम में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते

. संबंधी मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप पर रोक

हुए भी,—

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद—243 य क के अधीन बनाए गए या बनाए जाने को तात्पर्यित वार्डों के परिसीमन अथवा ऐसे वार्डों के लिए स्थानों के आवंटन से संबंधित किसी **ऐसे** विधि की विधि मान्यता को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा;

(ख) किसी नगरपालिका का निर्वाचन इस अधिनियम के अधीन विहित प्राधिकार के पास प्रस्तुत की गयी निर्वाचन याचिका के सिवाय प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

584. निर्वाचन को रद्द घोषित करने के आधार

;1द्ध उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन, यदि विहित प्राधिकारी का मत हो, कि—

(क) अपने निर्वाचन की तिथि को कोई निर्वाचित उम्मीदवार, इस अधिनियम के अधीन पार्षद के रूप में चुने जाने के लिए अर्ह नहीं था या निरर्हित किया गया था, अथवा

(ख) निर्वाचित उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता द्वारा, या निर्वाचित उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता की सहमति से, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है, अथवा

(ग) कोई नामांकन—पत्र अनुचित रूप से अस्वीकृत कर दिया गया है, अथवा

(घ) निर्वाचन का परिणाम, जहां तक किसी निर्वाचित उम्मीदवार से इसका संबंध है, तात्विक रूप से प्रभावित हुआ हो—

(i) किसी नामांकन—पत्र को अनुचित रुप से स्वीकार करने से, या

(ii) किसी अभिकर्ता द्वारा निर्वाचित उम्मीदवार के हित में किए गए किसी भ्रष्ट आचरण से, या

(iii) किसी मत को अनुचित रूप से स्वीकार करने, इंकार करने या अस्वीकार करने अथवा ऐसे किसी मत को, जो रद्द हो, स्वीकार करने से, या

(iv) इस अधिनियम या इसके अधीन

बनाए गए किन्हीं नियमों या आदेश के उपबन्धों के अनुपालन न होने से,

विहित प्राधिकारी निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन रद्द घोषित कर देगा।

;2द्ध यदि विहित प्राधिकारी की राय में, किसी निर्वाचित उम्मीदवार का कोई अभिकर्ता, भ्रष्ट आचरण का दोषी हो, किन्तु विहित प्राधिकारी का समाधान हो गया हो, कि–

(क) उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन में ऐसा कोई भ्रष्ट आचरण नहीं किया गया, और ऐसा प्रत्येक भ्रष्ट आचरण उम्मीदवार के आदेशों के प्रतिकूल तथा उसकी सहमति के बिना किया गया,

(ख) उम्मीदवार ने चुनाव में भ्रष्ट आचरण रोकने के लिए सभी समुचित उपाय किये, और

(ग) अन्य सभी दृष्टि से निर्वाचन, उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता की ओर से, भ्रष्ट आचरण से, मुक्त था,

तो विहित प्राधिकारी यह विनिश्चय कर सकेगा कि निर्वाचित उम्मीदवार का चुनाव अवैध नहीं है।

585. वैसे कारण जिनके चलते निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न अन्य कोई उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया जा सकेगा

;1द्ध यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन के बारे में आपत्ति करने के अतिरिक्त दायर निर्वाचन याचिका में इस आशय की घोषणा का दावा करता है, कि स्वयं उसे या किसी अन्य उम्मीदवार को सम्यक् रुप से निर्वाचित किया गया है, और विहित प्राधिकारी का यह मत हो,–

(क) कि वस्तुतः याची या ऐसे अन्य उम्मीदवार ने वैध मतों से बहुमत प्राप्त किया है, या

(ख) कि निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा भ्रष्ट आचरण से प्राप्त मत को छोड़कर याची या ऐसा अन्य उम्मीदवार वैध मतों का बहुमत प्राप्त कर लिया होता,

विहित प्राधिकारी, निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को रद्द घोषित करने के बाद यह घोषणा

करेगा कि यथा स्थिति याची या ऐसा अन्य उम्मीदवार को सम्यक् रुप से निर्वाचित घोषित किया गया है।

;2द्ध विहित प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

586. भ्रष्ट आचरण

इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित को भ्रष्ट आचरण में समझा जाएगा—

(क) तत्समय प्रवृत्त जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (केन्द्रीय अधिनियम 48, 1951) की धारा– 123 के खंड (i) में यथा परिभाषित रिश्वत;

(ख) तत्समय प्रवृत्त उक्त धारा के खंड (ii) में यथा परिभाषित अनुचित प्रभाव ;

(ग) किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता द्वारा अथवा किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के लिये उसके धर्म, प्रजाति, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर मतदान करने या नहीं करने की अपील अथवा उस उम्मीदवार के निर्वाचित होने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिये अथवा किसी उम्मीदवार के निर्वाचन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिये धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करने या उसकी दुहाई देने या राष्ट्रीय प्रतीकों, यथा राष्ट्रीय झंडा या राष्ट्रीय चिह्न का उपयोग करना या दुहाई देना,

(घ) उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता द्वारा अथवा उम्मीदवार या उसके चुनाव अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं को बढ़ाने के लिये या किसी उम्मीदवार के चुनाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये धर्म, प्रजाति, जाति, समुदाय अथवा भाषा के आधार पर भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गो के बीच शत्रुता और घृणा की भावनाओं को भड़काना या भड़काने का प्रयास करना,

(ङ) किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता

द्वारा अथवा उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे तथ्यों के विवरण का प्रकाशन, जो किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के संबंध में अथवा किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी या उसकी वापसी के संबंध में मिथ्या हो, और जिसे वह मिथ्या समझता हो, या सही नहीं मानता हो, जो ऐसा विवरण हो जिसे उस उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये सुविचारित ढंग से तैयार किया गया हो;

(च) उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता द्वारा अथवा उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता की सहमति से, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चाहे भुगतान पर, या अन्यथा किसी वाहन या जलयान को भाड़े पर लेना अथवा उसे प्राप्त करना या ऐसे वाहन या जलयान का इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किसी मतदान केन्द्र तक या उससे किसी मतदाता (स्वयं उम्मीदवार, उसके परिवार के सदस्य या उसके अभिकर्ता से भिन्न) के निःशुल्क परिवहन के लिए ऐसे वाहन या जलयान का उपयोग करनाः

परन्तु यह कि किसी मतदाता द्वारा अपने व्यय पर किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिये नियत स्थान पर जाने या वहां से वापस लौटने के प्रयोजनार्थ किसी सार्वजनिक वाहन या जलयान या रेल का उपयोग इस खंड के अधीन भ्रष्ट आचरण नहीं माना जायेगा,

स्पष्टीकरण— इस खंड में "यान" शब्द से अभिप्रेत है मार्ग परिवहन के प्रयोजनार्थ उपयोग में लाया गया या उपयोग में लाने योग्य कोई यान, चाहे यांत्रिक षक्ति से या अन्यथा चलता हो, चाहे उसका उपयोग अन्य यानों को खींचने के लिये या अन्यथा किया जाता हो।

(छ) किसी ऐसी बैठक का आयोजन करना

जिसमें मादक द्रव्य की आपूर्ति की जाती हो,

(ज) निर्वाचन के प्रसंग में किसी ऐसे परिपत्र, विज्ञापन या इश्तहार का जारी किया जाना जिस पर इसके मुद्रणकर्ता और प्रकाशक का नाम और पता नहीं हो ;

(झ) कोई अन्य आचरण, जिसे राज्य सरकार नियम बनाकर भ्रष्ट आचरण विनिर्दिष्ट करे।

587. भ्रष्ट आचरण के संबंध में आदेश — इस अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण के चलते, किसी स्थानीय प्राधिकार की सदस्यता से पाँच वर्षों की अवधि के लिये निरर्हता हो जायगी, जिसकी गणना उस तिथि से की जायगी, जिससे ऐसे आचारण के संबंध में विहित प्राधिकार का निष्कर्ष इस अधिनियम के अधीन प्रभावी हो।

588. आदेशों की संसूचना — इस अधिनियम की धारा—581 के अधीन विहित प्राधिकारी, दिए गए आदेशों की घोषणा करने के पश्चात्, उसकी प्रति राज्य निर्वाचन आयोग और उपायुक्त के पास भेज देगा।

589. यदि कोई स्थान रिक्त हो जाए तो नया निर्वाचन — यदि इस अधिनियम के अधीन, किसी सदस्य का स्थान रिक्त हो गया हो, अथवा रिक्त हुआ समझा जाय, इस प्रकार हुई रिक्ति के लिये इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नया निर्वाचन कराया जायेगा।

अध्याय—46
नियम और विनियम

590. नियम बनाने की शक्ति — ;1द्ध राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त्तों के अध्यधीन, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम को लागू करने के प्रयोजनार्थ नियम बना सकेगी।

;2द्ध इस अधिनियम के अधीन बनाया गया कोई नियम, यह उपबंधित कर सकेगा कि इसका कोई उल्लंघन जुर्माना द्वारा दंडनीय होगा, जो पाँच हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा।

;3द्ध **राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से मतदाता सूची तैयार कराने, और नगरपालिका**

के सभी निर्वाचनों के संचालन के लिए नियम बना सकेगी।

(क) मतदातासूची को तैयार कराने या निर्वाचनों के संचालन के संबंध में इस अधिनियम के किसी उपबंध को प्रभावी करने में किसी शंका में उद्भूत होने या कोई अपर्याप्तता महसूस होने की दशा में, यथास्थिति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा इसके तहत बनायी गई नियमावली के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्त्तनों के साथ लागू होंगें।

;4द्ध इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाये जाने के पश्चात्, जितना जल्दी हो सके, दस दिनों की कुल अवधि के सत्र में, जिसमें एक सत्र अथवा दो या अधिक सत्र समाविष्ट होंगे के दौरान, राज्य विधान मंडल के पटल पर रखा जायेगा, और यदि उस सत्र, जिसमें इसे रखा जाय, अथवा अनुक्रमित सत्रों की समाप्ति के पूर्व, राज्य विधायिका नियम में कोई उपान्तरण करने में सहमत हो, या इस बात पर सहमत हो कि नियम नहीं बनाया जाय, तो नियम यथास्थिति ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा अथवा इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसा उपान्तरण अथवा निष्प्रभावन इस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात अथवा किसी लोप की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

591. अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति — राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम की अनुसूची को परिवर्धित, संशोधित अथवा परिवर्तित कर सकेगी।

592. विनियम बनाने की शक्ति — नगरपालिका, समय–समय पर, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ, इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाये गए नियमों के अनुरूप विनियम बना सकेगी।

593. विनियम बनाने की — इस अधिनियम के अधीन विनियम बनाने की शक्ति, विनियमों के पूर्व प्रकाशन की शर्त के

पूर्ववर्ती शर्तें

अध्यधीन तथा निम्नलिखित उत्तरभावी शर्तों के अधीन होगी, यथा—

(क) विनियम के ऐसे प्रारूप पर आगे कार्रवाई नहीं की जायेगी जब तक ऐसे प्रकाशन की तिथि से एक महीने की अवधि न बीत गई हो,

(ख) एक महीने से अन्यून अवधि के दौरान, सार्वजनिक निरीक्षण के लिए नगरपालिका के कार्यालय में ऐसे प्रारूप की एक मुद्रित प्रति रखी जायेगी, और किसी भी व्यक्ति को, किसी युक्तियुक्त समय में ऐसा प्रारूप देखने की अनुमति निःशुल्क प्रदान की जाएगी, और

(ग) ऐसे प्रारूप की मुद्रित प्रति, किसी व्यक्ति द्वारा, ऐसे शुल्क के भुगतान पर, जैसा स्थायी समिति द्वारा निर्धारित किया जाय, प्राप्त करने के योग्य होगी।

594. विनियम राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होगा

;1द्ध इस अधिनियम के अधीन, नगरपालिका द्वारा बनाया गया कोई भी विनियम, तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक राज्य सरकार द्वारा उसे अनुमोदित नहीं कर दिया गया हो, तथा वह शासकीय राजपत्र में प्रकाशित न हो गया हो।

(2) कोई विनियम, अनुमोदित करने से पूर्व, राज्य सरकार उसमें ऐसा परिवर्तन कर सकेगी, जैसा उसे आवश्यक प्रतीत हो।

595. विनियम को विलोप या उपान्तरित करने की राज्य सरकार की शक्ति

;1द्ध यदि राज्य सरकार का, किसी समय, यह मत हो कि कोई विनियम पूर्णतः या अंशतः विलोपित अथवा उपान्तरित किया जाना चाहिए, तो यह ऐसी राय के कारणों को नगरपालिका को संसूचित करेगी, और इसके लिए एक युक्तियुक्त अवधि विनिर्दिष्ट करेगी, जिसके भीतर नगरपालिका उसके संबंध में ऐसा अभ्यावेदन दे सकेगी, जैसा वह उचित समझे।

;2द्ध ऐसे किसी अभ्यावेदन के प्राप्त होने तथा उस पर विचार करने के पश्चात् या यदि, इसी बीच, पूर्वोक्त अवधि के समापन के पश्चात् कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हो, तो, राज्य सरकार, किसी भी समय अधिसूचना द्वारा, ऐसे विनियम को पूर्णतः या अंशतः विलोपित अथवा उपान्तरित

कर सकेगी।

;3द्ध उपधारा (2) के अधीन किसी विनियम का विलोपन या उपान्तरण राज्य सरकार द्वारा उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तिथि से प्रभावी होगा या, यदि ऐसी तारीख विनिर्दिष्ट न हो तो ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगीः

परन्तु यह कि ऐसे विलोपन तथा उपान्तरण का प्रभाव, ऐसी तिथि के पहले ऐसे विनियम के अधीन किसी किए गए कार्य या नुकसान या चूक पर नहीं, होगा।

;4द्ध उपधारा (2) के अधीन कोई अधिसूचना शासकीय राजपत्र में भी प्रकाशित की जायगी।

596. विनियम के बारे में अनुपूरक उपबन्ध

कोई विनियम, जो इस अधिनियम के अधीन, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर, नगरपालिका द्वारा बनाया जा सकेगा, राज्य सरकार के अनुमोदन से, नगरपालिका द्वारा परिवर्तित या विखंडित किया जा सकेगा।

597. विनियम भंग के लिए शास्ति

;1द्ध इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी विनियम में ऐसा उपबंध किया जा सकेगा कि, उसका उल्लंघन दंडनीय होगा—

(क) जुर्माना से, जो पाँच हजार रूपये तक हो सकेगा, या

(ख) प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात् उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में, अतिरिक्त जुर्माना से, जो प्रतिदिन दो सौ पचास रूपये तक हो सकेगा, या

(ग) नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी अथवा इस निमित्त प्राधिकृत नगरपालिका के किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को जारी, ऐसे उल्लंघन को

बन्द करने के नोटिस प्राप्त होने के बाद भी उल्लंघन जारी रहने के दौरान जुर्माना से, जो प्रतिदिन के लिए दो सौ पचास रूपये तक का हो सकेगा, से दंडित किया जायेगा।

;2द्ध ऐसे किसी विनियम में, यह उपबंध भी किया जा सकेगा कि उस विनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को, जहाँ तक उसके दायरे में आता हो, उस अनिष्ट के यदि कोई हो, उपचार की भी अपेक्षा की जायेगी, जो ऐसे उल्लंघन के चलते हुई हो।

598. निरीक्षण तथा कय के लिए नियम तथा विनियम की उपलब्धता

;1द्ध इस अधिनियम के अधीन बनाये गए सभी नियमों तथा विनियमों की एक प्रति नगरपालिका के कार्यालय में रखी जाएगी, और कार्यालय अवधि के दौरान नगरपालिका क्षेत्र के किसी भी निवासी द्वारा निःशुल्क निरीक्षण के लिए खुली रहेगी।

;2द्ध ऐसे नियमों तथा विनियमों की प्रति, नगरपालिका के कार्यालय में रखी जायेगी, और स्थायी समिति द्वारा यथानिर्धारित मूल्य पर लोगों को बेची जाएगी।

599. नगरपालिका प्राधिकारियों की शक्तियों, कर्त्तव्यों या कृत्यों के संबंध में संदेह

यदि कोई ऐसा सन्देह पैदा हो, कि किस नगरपालिका पदाधिकारी से कोई विशेष शक्ति, कर्त्तव्य या कार्य संबंधित है, तो महापौर या अध्यक्ष, इस बात को राज्य सरकार के समक्ष रखेगा और उस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय—47
अपराध एवं शास्ति

600 कुछ

जो कोई भी,—

. अपराधों के लिए दंड

(क) इस अधिनियम की किसी धारा, उपधारा, खंड, परन्तुक या किसी अन्य उपबन्ध का उल्लंघन करता है, अथवा

(ख) उसको विधिपूर्वक दी गई किसी अध्यपेक्षा या कथित धारा, उपधारा, खंड, परन्तुक या किसी अन्य उपबन्ध के अधीन उसको विधिपूर्वक दिए गए किसी आदेश के अनुपालन में चूक करता है—

(i) जुर्माना से, जो पच्चीस हजार रूपये तक हो सकेगा, या कारावास से, जो छः माह तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा, और

(ii) पहले ऐसे उल्लंघन अथवा चूक के लिए दोष सिद्ध होने के पश्चात्, निरन्तर उल्लंघन अथवा चूक की दशा में, ऐसे अतिरिक्त जुर्माना, जो सौ रूपये प्रतिदिन की दर से अधिकतम पांच हजार रूपये तक हो, से दंडनीय होगा।

601. नगरपालिका के साथ अंश अथवा हित अर्जित करने के लिए जुर्माना

कोई पार्षद, जो निगमित कम्पनी में शेयर धारक (निदेशक से भिन्न) के रूप में या सहकारी समिति के सदस्य के अन्यथा, जानबूझकर नगरपालिका के साथ किए गये किसी संविदा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, कोई हिस्सा या हित अर्जित करता है, भारतीय दंड संहिता की धारा—168 के अधीन दंडनीय अपराध किया गया, समझा जाएगा।

602. अध्याय—19 के अधीन कर का भुगतान नहीं करने के लिए जुर्माना

यदि कोई व्यक्ति, इस अध्याय के अधीन, किसी कर का भुगतान किए बिना, अध्याय—19 में निर्दिष्ट कोई विज्ञापन खड़ा करता है, प्रदर्शित करता है, बैठाता है, या अधिकार में रखता है, वह ऐसे कर की रकम से कम से कम दोगुना जुर्माना से, या ऐसे उल्लंघन की गुरूता के अधीन ऐसे कर की रकम के पांच गुना तक के जुर्माना से दंडित होगा।

603 जिस

जब धारा—455 की उपधारा (1) के अधीन दी गई

. प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति दी गई हो उससे भिन्न किसी अन्य उपयोग में भवन को लगाना

अनुज्ञप्ति से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए, या अस्तबल या पशुशाला या गौशाला के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा किसी परिसर का उपयोग किया जाता है या करने की अनुमति दी जाती है, तब ऐसी किसी अन्य शास्ति पर, जिसके अध्यधीन वह आता हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह जुर्माना का भागी होगा, जो पक्के भवन के मामले में पाँच हजार रूपये तथा झोपड़ी के मामले में पाँच सौ रूपये तक का होगा, और आगे ऐसे उपयोग के जारी रहने की स्थिति में यह जुर्माना पक्के भवन के मामले में पाँच सौ रूपये और झोपड़ी के मामले में एक सौ रूपये प्रतिदिन के हिसाब से तब तक जारी रहेगा जब तक प्रथम दिन के बाद ऐसा उपयोग जारी रहे।

604. ठेकेदार को बाधित करने के लिए शास्ति

जो कोई ऐसे किसी व्यक्ति को बाधित या तंग करता है, जिसके साथ नगरपालिका ने, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्य के निष्पादन के लिए संविदा किया है, दोष सिद्ध होने पर, कारावास, जो दो माह तक का हो सकेगा, या जुर्माना, जो दस हजार रूपये तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडित होगा

605. नगरपालिका की संपत्ति को क्षति पहुँचाने के लिये शास्ति

कोई व्यक्ति, नगरपालिका की किसी सम्पत्ति को किसी तरह की क्षति नहीं पहुॅचाएगा। नगरपालिका की किसी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने वाला कोई व्यक्ति, दोष सिद्ध होने पर, जुर्माना, जो पाँच हजार रूपये तक हो सकेगा, या एक माह के कारावास, या दोनों से, दंडित किया जायेगा।

606. मार्ग का अतिक्रमण

;1द्ध कोई भी व्यक्ति, नगरपालिका के ऐसे पदाधिकारी की विशिष्ट अनुमति के बिना, जिसे ऐसी अनुमति प्रदान करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो, नगरपालिका की किसी सम्पत्ति, जैसे मार्ग,पगडंडी या पार्क का अतिक्रमण नहीं करेगा या कोई अवरोध पैदा नहीं करेगा। कोई व्यक्ति, जो नगरपालिका की पूर्वोक्त किसी सम्पत्ति का ऐसा अतिक्रमण या अवरोध करेगा, दोष सिद्ध होने पर, जुर्माना, जो पाँच हजार रूपये तक हो सकेगा, से दंडनीय होगा।

;2द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को

नगर पालिका की सम्पत्ति पर किसी अतिक्रमण और अवरोध, जो अनधिकृत हो या आपत्तिजनक हो या यातायात को अवरूद्ध करे, को हटाने का अधिकार होगा ।

607. जुर्माना का भुगतान न करने पर कारावास की सजा

प्रत्येक मामले में जहाँ, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध जुर्माना या कारावास या दोनों से दंडनीय हो, और यदि किसी व्यक्ति को अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा जुर्माना का भुगतान करने की सजा दी गई हो, तो ऐसा न्यायालय, यह निदेश देने के लिए सक्षम होगा कि जुर्माना के भुगतान न करने पर वह यथास्थिति ऐसी अवधि तक के लिये या ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए, जो छः माह से अनधिक, कारावास की सजा, जो न्यायालय द्वारा नियत की जाए, भुगतेगा।

608. सामान्य शास्ति

वैसी किसी भी स्थिति में, जिसमें इस अधिनियम के अधीन शास्ति स्पष्टतः उपबंधित न हो, जो कोई भी इसके किन्हीं उपबंधों के अधीन जारी किसी सूचना अथवा आदेश अथवा अधियाचना का पालन करने में विफल रहे, अथवा इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का अन्यथा उल्लंघन करे, वह जुर्माना, जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा, और लगातार विफल रहने या उल्लंघन किए जाने की स्थिति में ऐसी अवधि, जिसमें प्रथम बार से ऐसी विफलता या उल्लंघन जारी रहा हो, के प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त जुर्माना, जो एक सौ रूपये तक हो सकेगा, से दंडनीय होगा।

609. कम्पनी द्वारा किए जाने वाले अपराध

;1द्ध जब इस अधिनियम के अधीन, कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो, अपराध किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए प्रभारी या उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति तथा कंपनी, उस अपराध का दोषी माना जायेगा, और तदनुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही चलाये जाने तथा उसे दंडित किए जाने का दायी होगाः

परन्तु यह कि यदि कोई व्यक्ति यह प्रमाणित कर दे कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया अथवा उसने ऐसा अपराध

किए जाने को रोकने के लिए सम्यक् तत्परता बरती थी, तो इस अपराध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का दायी नहीं होगा।

;2द्ध उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब इस अधिनियम के अधीन किसी कम्पनी द्वारा अपराध किया गया हो, और यह सिद्ध हो जाए कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक या सचिव या अन्य पदाधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है अथवा उसके द्वारा की गई उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है, ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव, अथवा अन्य पदाधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और तदनुसार वह उसके लिए कार्यवाही चलाए जाने तथा दंडित किए जाने का दायी होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनार्थ,–

(क) ''कंपनी'' से अभिप्रेत है निगमित निकाय और इसमें फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम सम्मिलित है, और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में ''निदेशक'' से अभिप्रेत है, फर्म में भागीदार।

610. अभियोजन

इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन या इसके द्वारा दंडनीय किसी अपराध का विचारण तब तक प्रारंभ नहीं करेगा, जब तक नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी या इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश से उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति शिकायत दर्ज न कराये या उससे सूचना प्राप्त नहीं हो।

611. अपराधों का संयोजन

;1द्ध नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी या यदि सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त नगरपालिका द्वारा इस रूप में प्राधिकृत किया

गया नगरपालिका स्वास्थ्य पदाधिकारी, नगरपालिका अभियंता या नगरपालिका का कोई अन्य पदाधिकारी, कार्यवाही संस्थित किए जाने के पूर्व या बाद में और विनियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करने पर, किसी अपराध को संयोजित कर सकेगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियमों द्वारा संयोजित किए जाने के लिए वर्गीकृत किया गया हो।

;2द्ध उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा या उसके अधीन बनाये गए किसी नियम या विनियम द्वारा दंडनीय कोई भी अपराध संयोजनीय नहीं होगा, यदि ऐसा अपराध धारा–23 में निर्दिष्ट किसी नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा या उसकी ओर से निर्गत, यथास्थिति किसी नोटिस, आदेश या अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में विफल रहने के कारण किया गया हो, बशर्ते कि यथास्थिति, ऐसी नोटिस, आदेश या अध्यपेक्षा का अनुपालन उस हद तक किया गया हो, जिस हद तक उसका अनुपालन करना संभव हो।

;3द्ध जब अपराध का संयोजन किया जाय, यदि अपराधी अभिरक्षा में हो, तो उसे उन्मोचित कर दिया जाएगा और ऐसे संयोजित अपराध की बाबत उसके विरूद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं चलायी जाएगी।

अध्याय–48

अन्य क्षेत्रों में अधिनियम का विस्तार तथा नगरपालिका क्षेत्र में क्षेत्र को शामिल किया जाना अथवा उससे अलग किया जाना

612. अधिनियम का अन्य क्षेत्रों में विस्तार करने के आशय को अधिसूचित

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा तथा ऐसी अन्य रीति से जो वह नियत करे, अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट उपान्तरणों और निर्बन्धनों, यदि कोई हो, के अध्यधीन, इस अधिनियम के समस्त अथवा किसी उपबंध को किसी अन्य क्षेत्र में, विस्तारित करने

	करने की राज्य सरकार की शक्ति		का अपना आशय घोषित कर सकेगी।

प्रकीर्ण तथा अस्थायी उपबंध

613.	इस अध्याय के उपबंधों का अन्य उपबंधों का अध्यारोही होना		इस अधिनियम में अन्यत्र अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस अध्याय के उपबंध प्रभावी होंगे।
614.	कठिनाइयों का निराकरण		यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार, अवसरानुरूप, उस कठिनाई का निराकरण **हेतु आदेश द्वारा, कार्यान्वित कर** सकेगी या करवा सकेगी।
615.	निरसन या व्यावृत्तियाँ	;1द्ध	इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि से, झारखण्ड नगर पालिका अधिनियम, 2000 और रांची नगर निगम अधिनियम, 2001 निरसित हो जायेंगे।
		;2द्ध	झारखण्ड पंचायतराज अधिनियम, 2001 के अधीन गठित ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषद, जिनके क्षेत्राधिकार नगरपालिका क्षेत्रों पर विस्तारित हैं, ऐसे कार्यों एवं अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे, जो अधिनियम के अन्तर्गत नगर **निकाय** को सौंप दिये गए हैं।
		;3द्ध	झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम, 2001 के अधीन गठित रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित शर्त्तों के अध्यधीन, इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से **राँची नगर निगम क्षेत्र में** निष्प्रभावी हो जाएगा।
		;4द्ध	झारखण्ड खनिज विकास प्राधिकार अधिनियम, 1986 के अधीन गठित खनिज क्षेत्र विकास

प्राधिकार, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित शर्त्तों के अध्यधीन, इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से निष्प्रभावी हो जायेगा, **प्राधिकार के अध्यधीन क्षेत्र सम्बद्ध नगर निकाय में** समाहित हो जायेगा।

;5द्ध हजारीबाग खान बोर्ड अधिनियम, 1936 के अधीन गठित हजारीबाग खान बोर्ड राज्य सरकार द्वारा विस्तरित सीमा तक, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित शर्त्तों के अध्यधीन, इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से निष्प्रभावी हो जाएगा, तथा **बोर्ड के अध्यधीन क्षेत्र सम्बद्ध नगर निकाय में संनिहित हो जाएगा।**

;6द्ध उपधारा (1), (3), (4) और (5) के उपबंधों के होते हुए भी,—

(क) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी पदाधिकारी या पदाधिकारियों द्वारा निर्धारित, नगरपालिका की मांगों की अपेक्षाओं के अध्यधीन, इस धारा की उपधारा (1), (3), (4) एवं (5) में सूचीबद्व विभिन्न प्राधिकारों एवं संगठनों की सेवा में, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के तत्काल पूर्व रत वैसे पदाधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के बारे में, यह माना जायेगा कि ऐसी तिथि से वे उन पदनामों सहित, जो नगरपालिका अवधारित करे, नगरपालिका को अन्तरित कर दिये गये है और उसके पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी हो गये हैं और वे उसी अवधि तक उसी पारिश्रमिक तथा उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर पद धारण करेंगे, जिन पर वे तब धारण करते यदि अधिनियमों का निरसन नहीं हुआ होता, और तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक नगरपालिका ऐसी पदावधि, पारिश्रमिक तथा निबंधनों और शर्तों में सम्यक् परिवर्तन नहीं कर देती:

परन्तु यह कि उपधारा (1), (3), (4) और (5) में उल्लिखित विभिन्न अधिनियमों के निरसन के पूर्व किसी पदाधिकारी या अन्य नियमित कर्मचारी द्वारा की गई किसी सेवा के बारे में यह

माना जायेगा कि सेवा नगरपालिका के अधीन की गई है:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी या पदाधिकारीगण, प्रत्येक वैसे पदाधिकारी एवं कर्मचारी की सेवा अभिलेखों की जांच करेगा और सत्यापित करेगा, और मात्र वैसे पदाधिकारी एवं कर्मचारी को नगरपालिका में आमेलित किया जायेगा, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियम के अनुसार विधिवत स्वीकृत पद पर नियुक्त किया गया हो।

(ख) कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, (उपधारा (1), (3), (4) और (5) में उल्लिखित विभिन्न अधिनियमों के अधीन बनाये गये नियम या विनियम तथा किसी नियुक्ति को शामिल करते हुए) प्रभावी बनी रहेगी और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किया या की गई मानी जायेगी, जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी कार्य या की गई किसी कार्रवाई द्वारा अधिक्रमित, रूपान्तरित या परिवर्तित न कर दी जाय,

(ग) इस धारा की उपधारा (1), (3), (4) और (5) में उल्लिखित अधिनियमों के अधीन गठित विभिन्न प्राधिकारों और संगठनों द्वारा उनके साथ या उनके लिये उपगत सभी ऋण, बाध्यताओं और दायित्वों, की गयी सभी संविदाओं और किये जाने के लिये बचनवद्ध सभी विषयों और कार्यों के बारे में यह माना जायेगा कि वे नगरपालिका के साथ या के लिये उपगत हुये हैं, की गई है या किये जाने के लिये बचनवद्ध है,

(घ) इस धारा की उपधारा (1), (3), (4) और (5) में उल्लिखित अधिनियमों के अधीन गठित प्राधिकारों तथा संगठनों में निहित सारी जंगम (चल) और स्थावर(अचल) सम्पति या किसी सम्पत्ति में समस्त अधिकार, पदवी तथा हित नगरपालिका

में निहित हो जायेंगे तथा ऐसे प्राधिकारों तथा संगठनों के कब्जे की सारी सम्पतियाँ नगरपालिका की सम्पत्तियॉ समझी जायेंगी,

(ड.) इस धारा की उपधारा (1), (3), (4) और (5) में उल्लिखित अधिनियमों के अधीन गठित प्राधिकारों एवं संगठनों की ओर से या उनके विरूद्ध चलायी गई या चलाये जा सकने वाले सभी वाद, अभियोजन एवं अन्य न्यायिक कार्यवाहियाँ नगरपालिका की ओर से या उसके विरूद्ध जारी रखी या चलाई जाने योग्य होंगी,

(च) इस धारा की उपधारा (1), (3), (4) और (5) में उल्लिखित अधिनियमों एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों में वर्णित विभिन्न अधिनियमों के अधीन किसी सम्पति पर भारित सभी राशि उस सम्पत्ति पर भारित बनी रहेगी और यह प्रभार नगरपालिका द्वारा प्रवर्तनीय होगा,

(छ) अधिनियम के अपने अस्तित्व में आने के दिन से ही, नगरपालिका को वे ही अधिकार प्राप्त होंगे, जो उक्त प्राधिकारों एवं संगठनों को इस अधिनियम की उपधारा (1), (3), (4) और (5) के अधीन अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत सभी भूमियों पर प्राप्त थे, जिन्हें उक्त विभिन्न प्राधिकारों एवं संगठनों द्वारा राज्य सरकार से एक निश्चित अवधि के लिये पट्टे पर लिया गया था या जिन पर उक्त प्राधिकारों एवं संगठनों को कब्जा दे दिया गया है,

(ज) इस धारा की उपधारा (3), (4) और (5) में उल्लिखित अधिनियमों तथा उनके अधीन बने नियमों एवं विनियमों के अधीन स्थापित उक्त प्राधिकारों एवं संगठनों द्वारा वसूली जानेवाली लेवी, शुल्क, सेस आदि के रूप में आय के विभिन्न स्त्रोतों की वसूली का अधिकार नगरपालिका को बना रहेगा, मानो

उपर्युक्त प्राधिकार एवं संगठन अपने परिनियमों के अधीन अभी भी कार्य कर रहे हैं, जब तक कि नगरपालिका द्वारा समय–समय पर उनमें संशोधन नहीं कर दिया जाता।

;7द्ध इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) में उल्लिखित अधिनियमों के अधीन गठित परिषदें नियत अवधि की समाप्ति तक कार्यशील रहेंगी।

;8द्ध ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में उल्लिखित अधिनियमों द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

616 अधिनियम का हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण

अधिनियम के हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण की भाषा में यदि किसी प्रकार की अनुवादीय त्रुटि पायी जाती है तो हिन्दी भाषा के सार तत्व अनुमान्य समझे जायेंगे ।

617 क्षतिपूर्ति

इस अधिनियम तथा इसके अधीन निर्गत नियमों पर कार्रवाई के आलोक में विश्वास के साथ किया गया अथवा किए जाने की मंशा रखने के एवज में कोई वाद अथवा विधिक कार्रवाई सरकार के विरूद्ध नहीं की जा सकेगी, न ही अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्रवाई किसी सरकारी कर्मी के विरूद्ध किया जा सकेगा ।

अनुसूची

(देखें धारा—454)

वे प्रयोजन जिनके लिए अनुज्ञप्ति अथवा लिखित अनुमति के बिना परिसर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

1. वातित जल— निर्माण करना, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, साफ करना, शुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा तैयार करना,
2. एलो तन्तु तथा सूत (यार्न)— भण्डारण, डिब्बाबंदी, दबाना, शुद्ध करना, किसी अन्य प्रक्रिया से तैयार अथवा विनिर्माण करना,
3. युद्ध सामग्री— भंडारण, दबाना, शुद्ध करना, तैयार करना या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना,
4. सुपारी— भिंगोना,
5. आटे से बनी वस्तुएं— सेंकना, तैयार करना, रखना या मानव उपभोग के लिए भण्डारण, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
6. हींग— भण्डारण, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
7. राख— भण्डारण, डिब्बाबंदी, दबाना, शुद्ध करना, अन्य प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना, ढेर लगाना या हटाना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
8. मोटर वाहन या ऑटो साइकिल की सर्विसिंग या मरम्मत करना,
9. बेकेलाइट (एक प्रकार की प्लास्टिक) के सामान— उत्पादन या प्रसंस्करण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, धुलाई, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा तैयार करना,
10. बांस— बिक्री, किराये पर देने या निर्माण करने के लिए भंडारण, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
11. बैंकिंग,
12. बीड़ी हेतु पत्ते— भंडारण या प्रसंस्करण, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
13. बीड़ी (देशी सिगरेट), सुंघनी, सिगार या सिगरेट का निर्माण करना, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, धुलाई, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा तैयार करना,
14. बिस्किट— सेंकना, विनिर्माण, रखना या मानव उपभोग के लिए भंडारण, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
15. अलकतरा (कोलतार)— विनिर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, धुलना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना,
16. लोहार का कार्य करना,
17. विस्फोटक (चूर्ण)— भण्डारण, विनिर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, धुलाई, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा तैयार करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
18. रक्त— भंडारण, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा विनिर्माण या तैयार करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),

19. भोजन व्यवस्था एवं आवास घर, भुगतान अतिथि सुविधा और कार्यशील पुरूष/महिला हास्टल–रखना,
20. हड्डियां– किसी भी प्रक्रिया द्वारा प्रसंस्करण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, धुलना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
21. रोटी – सेंकना, निर्माण, रखना या मानव उपभोग के लिए भण्डारण, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
22. हाथ से बने ईंटें या टाइल (खपड़ा)– विनिर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, धुलना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना,
23. यांत्रिक शक्ति द्वारा बने ईंटें या टाइल– विनिर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, धुलना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना,
24. कूंची (तूलिका)– निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, धुलना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना,
25. कपूर– भंडारण, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
26. मोमबत्तियाँ– निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, धुलना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना,
27. कैल्शियम कार्बाइड– भंडारण, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
28. गत्ता (कार्ड बोर्ड)– भंडारण व निर्माण, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
29. कालीन– निर्माण,
30. काजू– भंडारण, डिब्बाबंदी, किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना,
31. तांत– निर्माण, भण्डारण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, धुलना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा प्रसंस्करण,
32. सेल्यूलाइड या सेलुलाइड के सामान– भंडारण, निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, धुलना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
33. सीमेंट कंक्रीट के डिजाइन या मॉडल– निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, धुलना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना,
34. लकड़ी का कोयला – इकट्ठा करना, हटाना, बेचने हेतु भण्डारण, विनिर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, धुलना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
35. रसायन, तरल व गैर तरल– निर्माण, उत्पादन, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, धुलना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
36. मिर्च, मसाला, मक्का व बीज– मशीन द्वारा पीसना, थोक में बेचना या थोक व्यापार के लिए भंडारण, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
37. क्लोरेट मिश्रण – भंडारण, डिब्बाबंदी, दबाना, साफ करना, या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
38. अवस्कर (भस्म)– भंडारण, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना, ढेर करना या हटाना,

39. किसी भी व्यापार के सिलसिले में चलचित्र (सिनेमेटोग्राफ) का— निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, धुलना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना, फिल्माना, संसाधित या प्रसंस्करित करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
40. कपड़ा — रंगाई, विरंजन, चमकाना या भंडारण, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
41. कपास, ऊन, रेशम, रेशम कला आदि के कपड़े, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
42. कोयला— ढेर करना, हटाना, बेचना या भंडारण करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
43. नारियल के तंतु, भूसी व गोले— भंडारण, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या प्रसंस्करित करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
44. नारियल का सूत— भंडारण, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना या विनिर्माण करना,
45. पत्थर का कोयला— भंडारण, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
46. ज्वलनशील पदार्थ— भंडारण, सिंकाई, तैयार करना, रखना या मानव उपयोग के लिए भंडारण, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
47. यौगिक गैस—ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइ ऑक्साइड, सल्फर, क्लोरीन, एसिटिलीन, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
48. तांबे का कार्य,
49. खोपड़ा या गरी— तैयारी या भंडारण या थोक बिक्री, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
50. सौंदर्य प्रसाधन व हमाम के सामान— निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना,
51. सभी प्रकार की कपास, कपास की छांटन व कपास के बीज— भंडारण, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
52. उपले या कंडे— भंडारण, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना,
53. डामर या राल— निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना,
54. विस्फोटक करने हेतु यंत्र— भंडारण, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
55. औषधि खुदरा बिक्री— निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना,
56. सूखी पत्तियां— भंडारण, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
57. रंग रोगन के सामान— डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना,
58. डायनामाइट— भंडारण, निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
59. भोजनालय या खानपान की व्यवस्था,
60. विद्युत द्वारा कलई का कार्य,

61. विस्फोटकीय लेप (नाइट्रो सेल्यूलोज, लाख, चिपकने वाला लेप)– भंडारण, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
62. वसा (चर्बी)– निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
63. नमदा– भंडारण, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
64. तन्तु– बेचने या भंडारण,
65. मछली के शल्क– भंडारण, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
66. जलौनी– बेचने या भंडारण, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
67. आतिशबाज़ी– भंडारण, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
68. मछली, सूखी मछली एवं मछली का तेल– भंडारण, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
69. सन (पटुआ)– भंडारण, निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
70. मांस– भंडारण, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना,
71. आटा– डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना,
72. खाद्य पदार्थ व खुदरा बिक्री के लिए खाद्य पदार्थ– निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना,
73. ईंधन– किसी भी औद्योगिक प्रयोजन के लिए प्रयोग,
74. पारे या चांदी की फूटन (स्फूर्णक)– भंडारण, निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
75. फर्नीचर– बिक्री के लिए बनाना या भंडारण,
76. गैस– भंडारण, निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, उबालना, पिघलाना, पीसना, या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना,
77. जिलेटिन– भंडारण, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
78. गिलेगनाइट, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
79. घी– निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, शुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, पीसना, या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना,
80. कांच या कांच के सामान, कांच को काटना, समतल करना और चमकाने के कार्य– निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना,
81. स्वर्ण– परिष्कृत करना,
82. स्वर्णकारी,
83. गल्ला– थोक में बिक्री या थोक व्यापार के लिए भंडारण, सुखाना,
84. चना– मशीन द्वारा भूसी निकालना,

85. घास– भंडारण, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
86. मूंगफली– थोक में बिक्री या थोक व्यापार के लिए भंडारण,
87. मूंगफली के बीज, इमली के बीज या किसी अन्य के बीज– सुखाना,
88. गन कॉटन– भंडारण, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
89. जूट के झोले– भंडारण, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
90. बारूद – भंडारण, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना,
91. बारूद– भंडारण, निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
92. केश– भंडारण, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
93. केश सज्जा केन्द्र (सलून) या नाई की दुकान– रखना,
94. भूसा या चारा– बिक्री या भंडारण, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
95. सन– भंडारण, निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
96. टाट के कपड़े (बोरियां)– भंडारण, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
97. खाल, खाल (सूखी), खाल (कच्ची) – भंडारण, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, शुद्ध करना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
98. खुर– भंडारण, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
99. सींगे– भंडारण, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
100. बर्फ (सूखी बर्फ सहित)– निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, उबालना, पिघलाना, पीसना, या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना,
101. धूप बत्ती– भंडारण, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
102. छपाई, लेखन, मुद्रांकन आदि के लिए स्याही– निर्माण, सुखाना, पैकिंग करना, दबाना, साफ करना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना,
103. कीटनाशक व जीवाणुनाशक– निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, साफ करना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना,
104. गुड़– भंडारण, डिब्बाबन्दी, दबाना, सफाई या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना,
105. जूट– भंडारण, डिब्बाबंदी दबाना, सफाई या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
106. खाकी– तैयार करना,
107. खोखा, बक्से, पीपे, फर्नीचर या लकड़ी की अन्य वस्तुयें, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),

108. घोड़ों, पशुओं या अन्य चौपाया जानवरों और पक्षियों का परिवहन करना, बिक्री या किराया और उनसे पैदा बच्चों की बिक्री करना,
109. लाख— भंडारण, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
110. धोबी की दुकान (लाउण्ड्री) चलाना,
111. सीसा— पिघलाना,
112. चमड़ा— भंडारण, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना
113. चमड़ा, चमड़े के कपड़े या रेक्सीन के कपड़े या जल रोधक कपड़े— भंडारण, यांत्रिक विधि से विनिर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
114. चूना या चूने की ठठरी— भंडारण, निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना सफाई, शुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना,
115. अलसी का तेल— निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना सफाई, शुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना,
116. लिथो प्रेस— रखना,
117. आवास घर— बनाना,
118. मशीनरी — किसी औद्योगिक प्रयोजन के लिए प्रयोग करना,
119. खाद— भंडारण, डिब्बाबंदी, दबाना, साफ करना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना,
120. संगमरमर को काटना, पीसना, तैयार करना या चमकाना,
121. ऐसी वस्तुओं का निर्माण, जिसमें से तीखी या गन्दी गंध, भाप, धूल या शोर उठता हो,
122. माचिस या रोशनी के लिये महताब (बंगाली महताब सहित)— निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना सफाई, शुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
123. मैट्रिर्फ क्लिफ्स और निलफिज— निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, शुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना,
124. मांस— भंडारण, डिब्बाबंदी, दबाना, साफ करना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना,
125. धातु (लौह या अलौह धातु या एण्टीमनी पूर्वगामी धातुओं को छोड़कर) को काटना या उसका उपचार हथौड़े से पीटकर , छेद कर , दबा कर, घिस कर, चमका कर, या गरम करके या किसी भी तरीके से करना व धातु के टुकड़ों को मिलाकर, पीट कर, तोड़ कर या गला कर जोड़ना,
126. मेथीलेटेड स्पिरिट, विकृत की गयी स्पिरिट या फ्रांसीसी रोगन— भंडारण, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
127. नाइट्रो यौगिक, नाइट्रो सेलूलोज़, नाइट्रो ग्लिसरीन, नाइट्रो मिश्रण— भंडारण, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),

128. पशु बिसरा— भंडारण, विनिर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, शुद्ध करना, उबालना, पिघलाना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
129. तेल— भंडारण, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना,
130. तेल, पेट्रोलियम के अतिरिक्त (या तो यांत्रिक शक्ति द्वारा या हाथ की शक्ति द्वारा या बैल या किसी भी अन्य पशु के द्वारा चलने वाली घानी द्वारा उत्पादित)— विनिर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, शुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
131. तैल कपड़ा— निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना सफाई, शुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना,
132. बादाम सहित तैल बीजों लेकिन कपास के बीज छोड़कर— भंडारण, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
133. पुराने कागज या रद्दी कागज, पुराने अखबारों, पत्रिकाओं, साप्ताहिकों सहित, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
134. पैकिंग का सामान (कागज काटनेवाला, भूसे व बुरादे आदि)—(घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
135. धान— उबलना या मशीन द्वारा चमकाना,
136. पेन्ट— विनिर्माण, भंडारण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, शुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
137. कागज या गत्ते — निर्माण, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना,
138. कागज (पुराना कागज से भिन्न) बंडलों में या खुला हुआ या रिमों में, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
139. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद— खतरनाक पेट्रोलियम उत्पादों के अलावा जो पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 में परिभाषित किये गये है, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
140. औषधि या चिकित्सा उत्पाद— निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना सफाई, शुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना,
141. फोटोग्राफ़ी— स्टूडियो,
142. फास्फोरस— भंडारण, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
143. खाल से चुनी वस्तुयें— निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना सफाई, शुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना,
144. राल— भंडारण, निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना सफाई, शुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना,
145. प्लास्टिक या प्लास्टिक के सामान— निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना सफाई, शुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
146. प्लाईवुड— भंडारण, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
147. पॉलिथीन— निर्माण या भंडारण,

148. मिट्टी के बर्तन, हाथ से बने मिट्टी के बर्तन— निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना सफाई, शुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना उन बर्तनों को छोड़कर जो यांत्रिक या हाथ के अलावा किसी अन्य द्वारा बने हों,
149. कीमती धातुओं का शोधन या उन्हें दस्तकारों से लेकर इकट्ठा करना,
150. प्रिंटिंग प्रेस— चलाना,
151. रेडियो, रेडियो (वायरलेस सेट), **मोबाईल**— बिक्री, विनिर्माण, संयोजन, सर्विसिंग और मरम्मत,
152. चिथड़न, छोटे टुकड़ों या कपड़े, टाट, चटाई, बैग, कपड़े, सिल्क, रेशम या ऊनी कपड़े के टुकड़े सहित, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
153. राल (रोसिन सहित)— भण्डारण, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विर्निर्माण करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
154. रबर या रबर का बना माल— निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, शुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना,
155. गलीचा— भंडारण, निर्माण, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना,
156. सुरक्षा हेतु फ़्यूज़, कोहरे के लैम्प कारतूस आदि, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
157. साबूदाना— निर्माण या आसवन,
158. यवक्षार— भंडारण, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
159. चंदन, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
160. चीनी मिट्टी के बने प्रसाधन के सामान— निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, शुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना,
161. चपड़ा— भंडारण, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना,
162. रेशम— डिब्बाबंदी, दबाना सफाई करना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना,
163. रेशम की कतरन या रेशम के धागे की कतरन या रेशमी कला के बेकार सामानों की कतरन, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
164. चाँदी (सुनार) का कार्य,
165. सनई— भण्डारण, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
166. खाल (कच्ची या सूखी)— भंडारण, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),
167. साबुन— निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना सफाई, शुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना,
168. विद्युत की सहायता से कपास, रेशम, ऊन या पटसन की कताई व बुनाई,
169. स्पिरिट— भंडारण, निर्माण, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना,
170. पत्थर की रगड़ाई, कटाई, बनवाई और चमकाने का कार्य,
171. भूसा— बिक्री या भंडारण, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),

172. चीनी— डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना,

173. चीनी, चीनी से निर्मित कण्डी— निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, शुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना,

174. गंधक— भण्डारण, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),

175. सुरकी— भंडारण, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना,

176. मिठाई और मिष्ठान्न सामग्री— निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, शुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),

177. वसा (चरबी)— भंडारण, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना,

178. वसा (चरबी)— निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, शुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),

179. तारकोल— भंडारण, निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, शुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),

180. तिरपाल— भंडारण, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),

181. छाजन सामग्री— बिक्री या भंडारण,

182. विलायक— भंडारण, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),

183. टाइलें (खप्पर)— निर्माण करना,

184. इमारती लकड़ी— बिक्री या भंडारण, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),

185. इमारती लकड़ी या लकड़ी को काटने का कार्य, यांत्रिक या विद्युत शक्ति के द्वारा,

186. टीन के सामान बनाने का कार्य,

187. तम्बाकू (नासवार, सिगार, सिगरेट और बीड़ी सहित)– भंडारण, निर्माण, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना,

188. तारपीन– भंडारण, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),

189. वार्निश– विनिर्माण या भंडारण,

190. वार्निश– निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, शुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),

191. धोबी का कार्य,

192. बिजली, गैस या किसी भी अन्य प्रक्रिया द्वारा धातु की जुड़ाई,

193. लकड़ी के फर्नीचर, बक्से, पीपे या लकड़ी , चन्दन या प्लाईवुड के अन्य सामान– निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई, शुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, पीसना या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार करना,

194. ऊन, ऊन (कच्चा)– भंडारण, डिब्बाबंदी, दबाना, सफाई या किसी प्रक्रिया द्वारा तैयार या विनिर्माण करना, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर),

195. धागे– रंगाई या विरंजन,

196. अपशिष्ट धागों के अतिरिक्त धागे, (घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर)

197. **विद्युत चालित सभी यंत्र संयत्र क्रय विक्रय एवं मरम्मति ।**

———————

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पंकज श्रीवास्तव,

सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी

विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधिसूचना

30 जनवरी, 2012

संख्या–एल०जी०–7 / 2011–31 / लेज०, झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2012 को अनुमत झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।